खंड 11, अंक 31

बुधवार, 8 अप्रैल, 1992
19 चैत्र, 1914 (शक)

8

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

63
16/8/93

(खंड 11 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 11, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 31, बुधवार, 8 अप्रैल, 1992/19 चैत्र, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—45
*तारांकित प्रश्न संख्या : 592 से 595, 596** और 598 से 600	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	45—344
तारांकित प्रश्न संख्या : 597, 601 से 606 और 608 से 612	45—67
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6454 से 6456, 6458, 6459, 6461 से 6488, 6490 से 6498, 6500 से 6515, 6518 से 6539, 6541 से 6581, 6583 से 6602 और 6604 से 6686	67—344
सहकारी आवास समितियों को भूमि के आवंटन के बारे में दिनांक 4-3-1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1259 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	345
प्रेसीडेंट यासर अराफात के बारे में	345—346
अयोध्या भेजे गए संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के बारे में	346—353
सभा पटल पर रखे गए पत्र	367—368 और 422

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

**22-4-92 के लिए स्थगित किया गया।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	369
नौवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
कार्य मंत्रणा समिति	369
चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
नियम 377 के अधीन मामले	369—373
(एक) नमक्कल-रसीपुरम होते हुए सलेम तथा मदुरै-मनियाची के बीच बड़ी रेल लाइन का निर्माण एक साथ किए जाने की आवश्यकता	
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन	369
(दो) केलों के निर्यात के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय एन० पाटील	370
(तीन) राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर सुंकी के निकट पहाड़ी ढलानों पर "यू" मोड़ की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता	
श्री के० प्रधानी	370
(चार) कालीकट दूरदर्शन केन्द्र में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री के० मुरलीधरन	371
(पांच) लद्दाख तथा जम्मू क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किए जाने की आवश्यकता	
श्री मदन लाल खुराना	371
(छः) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए अधिक समुद्री जहाजों की व्यवस्था करने की आवश्यकता	
श्री काशी राम राणा	371
(सात) औरंगाबाद से मुंबई के लिए एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री अंकुशराव रावसाहब टोपे	372
(आठ) सूती धागे पर उत्पाद शुल्क में कमी करके उसे बजट पूर्व स्तर तक लाए जाने की आवश्यकता	
डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम	372

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93	373—421 और 422—462
ग्रामीण विकास मंत्रालय	
खाद्य मंत्रालय	
कृषि मंत्रालय	
नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
श्री आर० जीवरत्नम	373
श्री एच० डी० देवगौड़ा	377
श्री वीरेन्द्र सिंह	386
श्री के० प्रधानी	393
श्री बृशिण पटेल	396
श्री जी० एम० सी० बालयोगी	401
श्री अशोक आनंदराव देशमुख	404
श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे	408
श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर	412
श्री जी० वेंकट स्वामी	416
श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार	428
श्री अंकुश राव रावसाहब टोपे	429
श्री मंजय लाल	433
श्री शरत चन्द्र पटनायक	437
डा० रमेश चन्द्र तोमर	440
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	443
श्री भू० विजय कुमार राजू	447
श्री पलास बर्मन	453
श्री नारायण सिंह चौधरी	455
श्री रामपाल सिंह	459
श्री बीर सिंह महतो	461

विषय	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य	392 और 421—422
(एक) प्रेसीडेन्ट यासर अराफात	392
श्री एडुआर्डो फैलीरो	392
(दो) मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का निरसन	421
श्री एम० एम० जैकब	421

लोक सभा

बुधवार, 8 अप्रैल, 1992/19 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

*592. श्री जी० एम० सी० बालयोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला उपभोक्ता संरक्षण मंचों के सदस्यों की शक्तियों, कृत्यों और वेतनों के संबंध में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिला मंचों, राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग ने फरवरी, 1992 तक राज्यवार कितने मामलों और अपीलों को निपटाया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त कार्य दल ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों (जिला मंचों) को और अधिक न्यायिक शक्तियां देने, जैसे प्रश्नाधीन सेवाओं में त्रुटियों तथा कमियों को दूर करने, अंतरिम आदेश जारी करने, "सीज एंड डिजिस्ट" आदेश जारी करने, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होने वाली त्रुटिपूर्ण तथा असुरक्षित वस्तुओं को वापिस किए जाने के निर्देश देने, खर्चा दिलवाने, उपचारात्मक विज्ञापन जारी करने के निर्देश देने की शक्तियां प्रदान करने की सिफारिश की है। सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। इसके अलावा दल ने जिला मंचों के मौद्रिक न्यायाधिकार को 1 लाख रु० से बढ़ाकर 5 लाख रु० करने की भी सिफारिश की है। जिला मंचों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों को राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए स्वयं बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार दायर किए गए 1224 मामलों में से अब

तक 706 मामलों (अपीलों तथा रिवीजन याचिकाओं सहित) का निबटान कर दिया गया है। राज्य आयोगों तथा जिला मंचों के संबंध में अद्यतन सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : महोदय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 10(1) के अन्तर्गत जिला मंच के दो सदस्य शिक्षा, व्यापार अथवा वाणिज्य क्षेत्र के ख्यातिप्राप्त व्यक्ति तथा एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश, राज्य मंचों में सदस्यों की नियुक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से की जाती है, जिनका उपभोक्तावाद से कुछ लेना-देना नहीं होता है अथवा वे इससे जुड़े हुए नहीं होते हैं। कभी-कभी व्यवसायी लोगों की भी नियुक्ति की जा रही है। यदि उपभोक्तावाद को बनाये रखना है तो वास्तविक उपभोक्ता गतिविधियों की पहचान करनी होगी और उसके पश्चात सदस्य नियुक्त किये जाने चाहिए। सिर्फ तब ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य मंडल, रोटरी, लायन्स क्लब, उपभोक्ता परिषदों तथा सामाजिक और महिला संगठनों के क्षेत्र से मंच के सदस्यों की नियुक्ति हेतु मार्गनिर्देशों पर विचार कर रही है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : हाल ही में कार्यदल ने कुछ संशोधनों की सिफारिश की है और सरकार उन पर विचार कर रही है। इनमें से एक जिला मंच तथा राज्य आयोगों के सदस्यों की अर्हताओं से सम्बन्धित है। उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। महोदय, यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है तथा अनेक लोग अपनी शिकायतों को लेकर तथा उन्हें दूर करने के लिए मंच के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मामले शक्तिशाली व्यवसायी लोगों तथा कमजोर उपभोक्ताओं से सम्बन्धित हैं। यहां तक कि वैसे मामले जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं उन्हें भी इन मंचों द्वारा संतोषप्रद ढंग से निपटाया जाता है। पीठासीन अधिकारियों से भी इन मंचों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्षेत्राधिकार में अन्य विभाग जैसे नगरपालिकाएं, सरकारी विभाग तथा व्यावसायिक विभागों की स्थापना करने जा रही है और क्या सरकार इन मंचों में मामलों को लम्बित पड़ने से बचाने के उद्देश्य से नियमित रूप से मामलों को निपटाने हेतु मंच के गठन पर विचार कर रही है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मंच का क्षेत्राधिकार समस्त संस्थाओं पर है तथा किसी को भी इससे परे नहीं रखा गया है। जिला मंच भी उचित रूप से कार्य कर रहे हैं। जिला मंच में दर्ज किये गये मामलों की संख्या से वहां दर्ज की जाने वाली शिकायतों की संख्या का पता चल जायेगा।

श्री सुख राम : महोदय, अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अन्तर्गत बताये गये नियमों के अनुसार जिला मंच, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग को एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही शिकायतों का निपटारा करना है। क्या सरकार इन प्रावधानों का सख्ती से कार्यान्वयन

सुनिश्चित करेगी ? वर्तमान में इस प्रकार का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। क्या सरकार अधिनियम के नियमों अथवा प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार करेगी ताकि जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ही शिकायतों का निपटाया जाना अनिवार्य किया जा सके ? अन्यथा ये मामले लम्बित पड़ते जाएंगे जैसा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हो रहा है और फिर एक अतिरिक्त जिला मंच, राष्ट्रीय और राज्य मंच की स्थापना की मांग उठ खड़ी होगी। क्या सरकार इस पर विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आदेशों का अनुपालन सख्ती से किया जाये ताकि शिकायतों को समय से दूर किया जा सके।

श्री कमालुद्दीन अहमद : अधिकांश मंच अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं और वे निर्दिष्ट समय में ही मामलों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामलों में उनके लिए यह असंभव हो जाता है। देर ऐसे मामलों में होती है जहां कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है या फिर जिस व्यक्ति से पूछताछ करनी होती है वह मंच के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाता है इत्यादि। अन्यथा अधिकांश मामलों को वे निर्दिष्ट समय में ही निपटाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सुख राम : यदि मंच के समक्ष किसी व्यक्ति को उपस्थित होना है तो 60 दिनों का समय दिया जाता है। प्रयोगशाला परीक्षण आदि के सम्बन्ध में 90 दिन दिये जा चुके हैं। इस निर्दिष्ट समय-सीमा के अन्दर ही मामलों को निपटाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रयोगशाला परीक्षण के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।

श्री सुख राम : प्रयोगशाला परीक्षण के मामलों में भी उन्हें 90 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए।

श्री कमालुद्दीन अहमद : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि अधिकांश मामलों को वे निर्दिष्ट समय में ही निपटा रहे हैं।

श्री राम कापसे : सरकार अधिनियम में संशोधन लाने पर विचार कर रही है। इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष संशोधन लाने का प्रस्ताव कब समझती है ? दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि अनेक जिला मंच उचित रूप से कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि वास्तव में भारत में ऐसे कितने जिले हैं जहां कि कोई मंच नहीं है। यदि वहां मंच नहीं है तो उनके सुचारू रूप से कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं उन जिलों की संख्या जानना चाहूंगा जहां कोई मंच कार्य नहीं कर रहा है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : सिक्किम, मेघालय तथा नागालैंड तीन राज्यों में जिला मंचों का गठन नहीं किया गया है। इन तीन राज्यों में जिला मंचों का गठन नहीं किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार देश के 450 जिलों में से 360 जिलों में जिला मंच है।

श्री राम कापसे : विधान के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : गत सप्ताह भी जब श्री आडवाणी ने यह प्रश्न उठाया था, तो मैंने इसका उत्तर दिया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि कार्यकारी दल की सिफारिशों पर

सरकार विचार कर रही है और इसमें शामिल विभिन्न मंत्रालयों से हम विचार-विमर्श कर रहे हैं। करीब 12 दिन पूर्व उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक हुई थी और उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की हैं। इन सिफारिशों का भी अध्ययन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से जानना चाहते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद की जांच के दायरे और कार्रवाई के दायरे में जन वितरण प्रणाली को भी लाना चाहेंगे कि नहीं ? चूंकि समाचार पत्रों में यह छपा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में अनाज का जो वितरण होता है, उसमें 49 प्रतिशत इम्प्योरिटी की इजाजत दी गयी है तो हम जानना चाहते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर जो गन्दे किस्म का अनाज दिया जा रहा है, वह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को खाने के लिए दिया जा रहा है, उसकी जांच करने का अधिकार भी उपभोक्ता संरक्षण परिषद को होगा कि नहीं ? उसके दायरे में अगर फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया व अन्य अधिकारी आते हैं, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं ? यदि उसके दायरे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आउटलेट्स आती हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी ?

[अनुवाद]

श्री कमालुद्दीन अहमद : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सभी वस्तुएं और सेवाएं आती हैं। जहां तक 49 प्रतिशत अशुद्धि का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट शायद गलत है। मैं समझता हूं कि गलत सूचना दी गई है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अपने विभाग के अनुदान की मांगों का उत्तर देते समय मैं सभी बातों को स्पष्ट कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में महाराष्ट्र में सभी जिलों में यह वर्किंग नहीं हो रहा है। जिन जिलों में कमेटी नहीं बनी, क्या वहां के लिए सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बतायेगी ? दूसरा, जो इसमें डिले होता है और जो भी सुविधा कमेटी के मेम्बरों को दी जा रही है, उन सुविधाओं को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया है, इसके लिए फोरम बराबर इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है। स्टेट फोरम में भी जो सुविधा देने का काम था, वह भी नहीं हुआ तो क्या सरकार इसके बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिखने वाली है तथा उन फोरम को एफेक्टिव काम करने के लिए आप क्या करने वाले हैं ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : महाराष्ट्र में 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फोरम हैं और वे फंक्शन कर रहे हैं। सुविधाओं की जो बात है, वह स्टेट का अपना मामला है और स्टेट वे सुविधाएं देता है।

[अनुवाद]

जैव प्रौद्योगिकी का विकास

*593. श्री महाबलुप्रेम गणेश रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अनुसंधान संस्थानों की स्थापना के विशेष संदर्भ में भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उन्नत तकनीक से औषधीय उत्पाद बनाने के लिए लाइसेंस हेतु जैव प्रौद्योगिकी कम्पनियों से प्राप्त हुए विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) सरकार ने देश में जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सर्वप्रथम 1982 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड तथा तदुपरान्त 1986 में एक पृथक बायोटेक्नोलोजी विभाग (डी० बी० टी०) की स्थापना करके विशिष्ट उपाय किए हैं । अधिक दक्षतापूर्ण जनशक्ति पैदा करना; अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, आधारभूत एवं उत्पाद आधारित अनुसंधान एवं विकास तथा जैव प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक कार्य शुरू किए गए हैं । अनुसंधान एवं विकास तथा जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादों के अनुप्रयोग, दोनों के लिए अपेक्षित सुरक्षा संबंधी उपाय किए गए हैं । आंध्र प्रदेश में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के अलावा जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं : राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद में आधुनिक पशुशाला सुविधा का सृजन, कोशिकीय एवं आण्विक जीव विज्ञान केन्द्र (सी० सी० एम० बी०) के लिए कार्यक्रम संबंधी सहायता; उस्मानिया विश्वविद्यालय में पादप आण्विक जीव विज्ञान केन्द्र, बायोटेक्नोलोजी विभाग, गृह मंत्रालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) द्वारा सी० सी० एम० बी० में संयुक्त रूप से स्थापित की जा रही डी० एन० ए० अंगुलि-छाप सुविधा, कोशिकीय एवं आण्विक जीव विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद में चालू डाक्टरोत्तर प्रशिक्षण और जैव सूचना विज्ञान केन्द्र, चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में चावल जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तथा पशु-चिकित्सा-विज्ञान कालेज, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिषद, तिरूपति में पशु नैदानिक विकास । नेल्लोर में जैव प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप के माध्यम से (8.50 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष) अधिक उत्पादकता के लिए अर्धगहन झींगा संवर्धन परियोजना में सफलता प्राप्त की गई है । कृष्णा एवं गोदावरी जिलों में एक हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में तेलताड़ विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम चालू हैं । बायोटेक्नोलोजी विभाग से सहायता के अलावा, वैज्ञानिक अभिकरणों जैसे भारतीय कृषि चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कृषि पोषण और आण्विक जीव विज्ञान संबंधी उच्च कार्य के अंतर्गत अनुसंधान संस्थाएं स्थापित की हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम को सहायता भी प्रदान की है ।

(ख) शून्य

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री महासमुद्रम गजेन्द्र रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों में, कितने उद्योग इस प्रकार के हैं जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से लाभान्वित हुए हैं तथा हो रहे हैं और इन उद्योगों के प्रत्येक उत्पाद का वाणिज्यीकरण किए जाने की मौजूदा स्थिति या इनका वाणिज्यीकरण किये जाने के लिए संभावित तिथियां क्या हैं तथा देश में इनकी खपत और विदेशों में इनके निर्यात की संभावना क्या है तथा इनका ब्यौरा क्या है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संपूर्ण देश में 78 उद्योग लाभान्वित हुए हैं और इनमें से 9 उद्योग आंध्र प्रदेश में हैं। इन क्षेत्रों में किये जाने वाले अनुसंधान और विकास का काम इन उद्योगों को प्रदान किया गया है। जैव तकनीक विभाग द्वारा विकसित तकनीक की सहायता से अब आंध्र प्रदेश में 9 उद्योग कार्य कर रहे हैं।

श्री महासमुद्रम गजेन्द्र रेड्डी : महोदय, क्या आंध्र प्रदेश में किसी जैवतकनीक परियोजना को विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों इत्यादि द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है तथा पश्चिम की 'ब्रेन ड्रेन' प्रक्रिया को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं एवं क्या विभिन्न जैवतकनीक कम्पनियों द्वारा बनायी जा रही औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जैव तकनीक विभाग में कोई प्रणाली निर्धारित की है। यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, इस समय विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कोई परियोजना नहीं है। इसके द्वारा हमें धनराशि नहीं दी जा रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में मुझे विशेष जानकारी नहीं है लेकिन जहां तक मैं जानती हूं, इस समय हमारा किसी के साथ सहयोग नहीं है। यह हमारे अपने प्रयास एवं विकास हैं जिन पर हम कार्य कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने उन सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के बारे में भी प्रश्न किया है जो कि किये जा रहे हैं? जहां तक इसका सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहूंगी कि दवाइयों और औषधों में प्रयुक्त किये जाने वाले उत्पादों से बैक्टीरिया 'फंगी' इत्यादि पूरी तरह से समाप्त करने हेतु उनका परीक्षण बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि भारत के औषध नियंत्रक द्वारा बहुत ही सुविचारित सुरक्षा सम्बन्धी निर्देश दिये जाते हैं जिनका अनुपालन इनके वाणिज्यिक उपयोग से पूर्व किया जाता है।

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि सम्बन्धी उत्पादों का सम्बन्ध है, आंध्र प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। जहां तक जैव तकनीक का सम्बन्ध है, कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन किसी भी परियोजना द्वारा जैव-उर्वरक का उत्पादन नहीं किया गया है। इसी प्रकार बायो-गैस, जो कि कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, के उत्पादन हेतु कोई परियोजना नहीं है। महोदय, क्या आंध्र प्रदेश में जैव-उर्वरक और बायो-गैस के उत्पादन हेतु किसी परियोजना पर विचार किया गया है?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं सिर्फ यह कह सकती हूं कि इस समय मेरे पास 9 ऐसे उद्योगों

की सूची है जो कि हमारी तकनीकों के आधार पर कार्य कर रहे हैं। इस समय हमारे पास कोई जैव-उर्वरक परियोजना आंध्र प्रदेश में नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में अनेक जैव-तकनीक परियोजनायें चल रही हैं और उनमें से दो या तीन आंध्र प्रदेश में हैं। देश के विभिन्न भागों में जैव-उर्वरक उद्योगों को चरणों में लागू किया जाएगा। लेकिन उस समय हमारे पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

महिलाओं के लिए कल्याण योजनाएं

*594. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं के कल्याण के लिए 1989-90 और 1990-91 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चलाई गई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना/योजना के संदर्भ में, राज्यवार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं तथा कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) इनसे लाभान्वित हुए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) 1992-93 में इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) इसका विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान "महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" योजना के अधीन शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरों का एक विवरण संलग्नक 'एक्स' पर रखा है।

(घ) वर्ष 1992-93 के लिए 100 रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव है।

संलग्नक : X

वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधीन शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्था का नाम	परियोजना का शीर्षक	उपलब्धियां	लाभभोगियों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	एक्शन फार कोलेक्टिव ट्राइबल इम्प्रूवमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन, कल्लूर जिला खम्मम	ग्रामीण गरीबों के लिए सहकारी डेरी यूनिट	चारे के अधिकतम उत्पादन, आधुनिक डेरी पद्धतियों, कृत्रिम गर्भाधान आदि में महिलाओं को प्रशिक्षण।	40	16 महीने के लिए 1,50,000 रुपये
	आर्थिक समता मण्डल, विजयवाड़ा	ग्रामीण महिलाओं के लिए जल, स्वास्थ्य और सफाई के बारे में अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	जल, स्वास्थ्य और सफाई के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित कीं।	60	एक वर्ष के लिए 35,000 रुपये
	विवेकानन्द इंस्टीट्यूट आफ रूरल रीकन्स्ट्रक्शन इब्लूर, नलगोंडा जिला	शुष्क क्षेत्रों में महिलाएं और इनकी समस्याएं—उनके जीवन में सुधार लाने के लिए विज्ञान	नलगोंडा जिले में 58 ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण मे विभिन्न जातियों और धर्मों के 1049 उत्तर देने वालों को शामिल	*	6 महीनों के लिए 45,000 रुपये

		और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए सर्वेक्षण	किया गया था। महिलाओं द्वारा प्रयोग की गई परम्परागत प्रौद्योगिकियों का भी सर्वेक्षण किया गया था।		
	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	बागवानी उत्पाद के निम्न लागत पर संरक्षण के बारे में अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	आलू और अन्य वनस्पतियों का सौर ऊर्जा द्वारा निर्जलीकरण, लुकाठ और अंगूर तथा अन्य वनस्पतियों के रस निकालने में प्रशिक्षण दिया।	40	1 वर्ष के लिए एक लाख रुपये
असम	रीजनल मैडिकल रिसर्च सैन्टर, (आई० सी० एम० आर०) डिब्रूगढ़	जल, स्वास्थ्य और सफाई के बारे में अ० भा० स० परि-योजना	डिब्रूगढ़ में ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के बीच जागरूकता उत्पन्न की और जल, स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया।	60	1 वर्ष के लिए 70,000 रुपये
बिहार	दलित विकास समिति बिहार, खगड़िया	खगड़िया में ग्रामीण महिलाओं के लिए एकीकृत रेशम उत्पादन	महिलाओं को शहतूत के पेड़ लगाने और रेशमकीट पालन में प्रशिक्षण	160	3 वर्ष के लिए 5,49,000 रुपये
चण्डीगढ़	सोसाइटी फार टैक्नोलोजी ट्रांसफर फार नीड्स आफ वाइफ एंड रूरल डिवेलपमेंट, चंडीगढ़	जल, स्वास्थ्य और सफाई के बारे में अ० भा० स० परियोजना	ग्रामीण महिलाओं के बीच जागरूकता उत्पन्न की और जल, स्वास्थ्य और सफाई से सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया।	60	1 वर्ष के लिए 70,000 रुपये

1	2	3	4	5	6
दिल्ली	सैन्टर फार साइंस एंड टैक्नोलीजी एंड इन्वायरनमेंट पालिसी स्टडीज, नई दिल्ली	ग्रामीण महिलाओं को व्यावसायिक और वैज्ञानिक जागरूकता देने के लिए सुविधाएं स्थापित करना और स्वीकृत कार्यक्रम विकसित करना	अध्ययन से वि० और प्रौ० निविष्टों के लिए अनेक संभाव्य क्षेत्रों का पता लगाना।	*	6 महीने के लिए 48,000 रुपये
	सोसाइटी फार इकानामिक एंड सोशल स्टडीज, नई दिल्ली	ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य संसाधन में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए डिजाइन और फैब्रिकेशन	बस्तर जिले में इमली और उखल में दालचीनी के लिए नई प्रौद्योगिकी पैकेज के लिए सिस्टम डिजाइन विकसित करना।	*	9 महीने के लिए 84,700 रुपये
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	बागवानी उत्पादों का कम लागत पर संरक्षण करने के बारे में ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम	सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रदर्शनों के साथ एक 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।	15	70,800 रुपये
	अपर्णा सोसाइटी, नई दिल्ली	बेक्ड मिट्टी के प्रैशर कूकर का डिजाइन और विकास	प्रेशर वेसल्स बनाने के लिए एडेटिक्स के साथ मिट्टी का आदर्श मिश्रण तैयार किया गया है।	8	एक वर्ष के लिए 90,300 रुपये

रूरल रीकन्स्ट्रक्शन, रिसर्च सर्विसिस, नई दिल्ली	जल, स्वास्थ्य और सफाई के बारे में अ० भा० स० परियोजना	जल, स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया और महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न की।	60	1 वर्ष के लिए 70,000 रुपये
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रेशम उत्पादन का प्रचार	हरियाणा और दिल्ली की गंदी बस्तियों में शहतूत के पेड़ लगाना और रेशम का कार्य करना।	25	3.15 लाख रुपये
इस्टीट्यूट आफ होम इकानामिक्स, नई दिल्ली	चुनिंदा ग्रामों में घरेलू क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा बचत उपकरणों के अनुप्रयोग का प्रदर्शन करना	परम्परागत पद्धतियों से मानव बाहुबल की खपत की तुलना के लिए बाल बियरिंग चक्की, बाल बियरिंग चर्नर और बत्ती वाले स्टोव के बारे में अरगोनामिक अध्ययन किये गये।	*	1 वर्ष के लिए 56,000 रुपये
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, नई दिल्ली	ग्रामीण सफाई और कम्पोस्ट उत्पादन के लिए सालिड वेस्ट रीसाइक्लिंग	बायोगैस कम्पोस्ट, कृषि औजार और परम्परागत औषध से संबंधित प्रौद्योगिकियों को लागू करने के जरिये एकीकृत विकास नीति तैयार की गई।	130	3.00 लाख रुपये
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	झींगा मछली उद्योग में कामगारों को पेश आने वाली डरमेटोलोजीकल समस्याओं का सर्वेक्षण	झींगा मछली के संसाधन के परिणामस्वरूप डरमैटोलोजीकल अभिव्यक्ति के लिए 150 कामगारों का सर्वेक्षण।	*	2 वर्ष के लिए 1.5 लाख रुपये

1	2	3	4	5	6
गुजरात	इन्टरनेशनल सैन्टर फार इंटरप्रिन्योरशिप एंड कैरियर डिवेलपमेंट, अहमदाबाद	शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम	विकलांग महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया और अपने उद्यमों को स्वतंत्र रूप से आरंभ करने और प्रबन्ध करने के लिए सक्षम बनाया गया।	19	15 महीने के लिए 40,000 रुपये
	गुजरात कृषि विश्व-विद्यालय, नवसारी कैम्पस, गुजरात	बागवानी उत्पादों के कम लागत संरक्षण के बारे में अ० भा० स० परियोजना	आम, नींबू, केला, वनस्पतियों आदि के संरक्षण में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।	432	एक वर्ष के लिए 1.00 लाख रुपये
	खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति, अहमदाबाद	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में उत्पादित एरि रेशम धागे के संसाधन के लिए उपयुक्त यंत्र विकसित करने हेतु विद्यमान यंत्रों और उपकरणों का सर्वेक्षण	कोया खोलने वाली मशीन, रेशा काटने वाली मशीन, डी० अम्मिग, स्लिवर बनाने वाली मशीन और 6 तकुओं वाले अम्बर चरखे में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य में प्रगति हो रही है।	*	दो वर्ष के लिए 4.26 लाख रुपये
गोवा	गोवा कैन्सर सोसाइटी डोना पोला, गोवा	ग्रामीण महिलाओं में कैंसर सरविक्स के डाउन स्टेजिंग के लिए सहायक नर्स मिडवाइफ को प्रशिक्षण की संभावना	कैंसर सर्विक्स के लिए ग्रामीण महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए 20 सहायक नर्स मिडवाइफ, 5 मुख्य सेविकाओं और 90 आंगनवाड़ी कामगारों को प्रशिक्षण	2000 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया और 115	18 महीने के लिए 3.47 लाख रुपये

			दिया गया है।	महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।	
हिमाचल प्रदेश	सोशल एक्शन फार रूरल डिवेलपमेंट आफ हिल्ली एरियाज, कफोटा, सिरमौर, हिमालय प्रदेश	जल स्वास्थ्य और सफाई के बारे में अ० भा० स० परियोजना	महिलाओं के लिए जल, स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया और जागरूकता उत्पन्न की।	60	1 वर्ष के लिए 70,000 रुपये
कर्नाटक	फारमर्स डिवलपमेंट एजेन्सी, चिकाबल्लापुर	जल, स्वास्थ्य और सफाई के बारे में अ० भा० स० परियोजना	जल, स्वास्थ्य और सफाई के बारे में प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया और जागरूकता उत्पन्न की।	60	1 वर्ष के लिए 70,000 रुपये
	कस्तूरबा मैडिकल कॉलिज, मनीपाल	झींगा मछली उद्योगों के कामगारों के सामने आने वाली त्वचाविज्ञान संबंधी समस्याओं का सर्वेक्षण	झींगा मछलियों के विशल्कन, कोटि-निर्धारण तथा पैकिंग से होने वाले त्वचा विज्ञान संबंधी प्रभावों का पता लगाने के लिए 3 फैक्टरियों का भ्रमण किया गया और लगभग 150 कामगारों की जांच की गई।	*	2 वर्ष के लिए 1.87 लाख रुपये

1	2	3	4	5	6
	एम० एम० सिंगम्मा श्रीनिवास फाउन्डेशन, बंगलौर	धान पौदों के रोपण में कड़ी मेहनत से राहत के लिए अभिकल्पित प्रोटोटाउप धान रोपक, इनका क्षेत्रीय परीक्षण	प्रोटोटाइपों को विकसित कर लिया गया है और इनका क्षेत्रीय परीक्षण किया जा रहा है।	*	6 महीने के लिए 53,000 रुपये
केरल	शोरानूर पोट्टर्स वेल्फेयर सोसाइटी, शोरानूर	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का स्वस्थ्य सुधार-महिला कुम्हारों के लिए कम लागत के शौचालय	कम लागत के शौचालयों के निर्माण में महिला कुम्हारों को शामिल किया गया।	40 परिवार	6 महीने के लिए 69,000 रुपये
	वेल्फेयर सर्विस, एर्नाकुलम, कोचीन	रेशमकीट पालन व रेशम बुनाई पद्धतियों का प्रसार, महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी	शहतूत की खेती, रेशमकीट पालन, चरखी पर लपेटने व बुनाई में प्रशिक्षण दिया गया।	200	2 वर्ष के लिए 7.59 लाख रुपये

इंटीग्रेटेड रूरल टैक्नोलॉजी सेन्टर केरल शास्त्र साहित्य परिषद, पालघाट	-वही-	शहतूत की खेती, रेशमकीट पालन और बुनाई में प्रशिक्षण दिया गया।	250	3 वर्ष के लिए 2.5 लाख रुपए
दि रिट्रीट, कोचीन	वेलाकारा, केरल में ग्रामीण कुम्हारों के पारंपरिक कौशलों को विकसित करना	विविधपूर्ण मूल्यवर्धित मिट्टी की वस्तुएं तथा भवन-निर्माण सामग्रिमों को तैयार करने के लिए एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किया गया।	40	1 वर्ष के लिए 5.51 लाख रुपये
केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	बागवानी उत्पाद के कम लाख संरक्षण पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	कटहल, पपीते, केले इत्यादि के लिए सौर शुष्कन और अन्य कम लागत संरक्षण में प्रशिक्षण।	150	1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपये
केरल ग्राम निर्माण समिति, कोजीकोड़	जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	महिलाओं के लिए जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित प्रौद्योकियों के प्रति जागरूकता पैदा की और इनको प्रदर्शित किया।	60	1 वर्ष के लिए 70,000 रुपये

1	2	3	4	5	6
	सैन्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज एण्ड मैनेजमेंट, कोजीकोड	केरल की ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए घरेलू क्षेत्र में जल संरक्षण, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और लघु सिंचाई का प्रयोग	जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाया गया। जल प्रबंध जल-कृषि और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गई।	200	3 वर्ष के लिए 3.58 लाख रुपये
	मित्रनिकेतन, त्रिवेन्द्रम	नारियल रेशे की चटाइयों की बुनाई—प्रायोगिक करघा केन्द्र आरंभ करने, करघों के निर्माण के लिए अनुसंधान करना और बुनाई की प्रौद्योगिकी में उधार करना तथा आर्थिक उत्पाद के लिए नारियल-रेशा कामगारों को प्रशिक्षण करना	गोल और आयताकार नारियल रेशा चटाइयों की बुनाई के लिए 1 प्रोटोटाइप की रचना की गई।	10	2 वर्ष के लिए 5.7 लाख रुपये

मध्य प्रदेश	गवर्नमेंट पालीटेक्नीक, रुद्री	जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित प्रौद्योगिकियों के प्रति ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता पैदा की और इन प्रौद्योकियों को प्रदर्शित किया।	60	70,000 रुपये
	टैक्निक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल	-वही-	-वही-	60	70,000 रुपये
	विद्या अकादमी, जबलपुर	मंडैला जिले में बीजा-डंडी गांव में अनुसूचित जाति/जनजाति की तथा अन्य साधनहीन महिलाओं के लिए पोषण और पाक-कला पर परियोजना	स्वास्थ्य और पोषण शिविरों का आयोजन किया गया।	100	58,800 रुपये
महाराष्ट्र	नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरी, बम्बई	महिला कामगारों की जीवन-दशा सुधारने में लिए व भवन-निर्माण उद्योग में सामग्री के इस्तेमाल तथा औजारों के डिजाइन पर एक अर्गोनॉमिक अध्ययन	थकान को कम करने व सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भवन-निर्माण कार्य में महिलाओं के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सामान्य उपकरण में यथोचित रूप से सुधार किया गया है।	*	2 वर्ष के लिए 3.05 लाख रुपये

1	2	3	4	5	6
	स्वामी विवेकानंद सेवा संस्था, नागपुर	जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूकता पैदा की गई और इनको प्रदर्शित किया गया।	60	1 वर्ष के लिए 70,000 रुपये
	नैशनल एन्वायरन्मेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर	-वही-	-वही-	60	1 वर्ष के लिए 80,000 रुपये
	एस० एन० डी० टी० वीमेन्स यूनिवर्सिटी, बम्बई	सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं की रोजगार की आवश्यकताओं का आकलन करना	विश्वविद्यालय और अन्य संस्था द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया गया और महिलाओं के लिए रोजगार के विभिन्न अवसरों का पता लगाया गया।	*	1,36,000 रुपये
	ग्राम आश्रय, पबल, जिला पुणे	ग्रामीण प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण लड़कियों को हीमोग्लोबिन, मधुमेह हरियो-साइटों, अवसादीकरण दर, सकल अवकल गणना, मूत्र मधुमेह, लार, पाखाना, जल विषाक्तता, मृदा विश्लेषण, दुग्ध के वसा तत्व के आकलन में प्रशिक्षित किया गया।	83	3 वर्ष के लिए 1.23 लाख रुपये

	भारत एग्रो इंडस्ट्रीज फाउन्डेशन, पुणे	बागवानी उत्पाद के कम लागत पर संरक्षण पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	आम पापड़ और आम लुगदी बनाने के लिए प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र स्थापित किया गया।	80	1 वर्ष के लिए 1.00 लाख रुपये
	जागृत महिला समाज, चन्द्रपुर	महिलाओं में पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दृश्य सहाय्यों का विकास	महिलाओं को पौष्टिक आहार तथा दूध छुड़ाने के बाद दिए जाने वाले आहार को तैयार करने में प्रशिक्षित किया गया।	50	18 महीने के लिए 39,000 रुपये
	केरला प्रोजक्ट सोसाइटी, सांगली	अपनी-सहायता-आप परियोजना मे ग्रामीण महिलाओं को सुधारने के अध्ययन	कौंकरल पालन, रोगों के निदानों, उपचार के उपायों, पोषण सूत्रीकरण इत्यादि में प्रशिक्षण	80	2 वर्ष के लिए 2.00 लाख रुपये
मणिपुर	गवर्नमेंट पोलीटेक्नीक, इम्फाल	जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूकता पैदा की गई तथा इनको प्रदर्शित किया गया।	60	70,000 रुपये
नागालैण्ड	सेकरी वेल्फेयर सोसाइटी, विश्वेमा, नागालैण्ड	बागवानी उत्पाद का कम लागत संरक्षण	आलुओं के संसाधन के लिए एक फ्लू तापित शुष्कक को प्रतिष्ठापित किया गया।	67	1.00 लाख रुपए

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	इंस्टीट्यूट आफ सोशियो-इकोनामिक डिवलपमेंट, ढेंकानाल	ढेंकानाल जिले के आंगुल ब्लाक की महिलाओं को उनकी आय के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना	पत्ता दोना बनाना तथा रस्सी बनाना।	45	6 महीने के लिए 83,000 रुपए
	भारतीय युवा एवं विकास संस्थान, फुलबनी	आदिवासी महिलाओं द्वारा मधुमक्खी पालन के माध्यम से आयोपार्जन	महिलाओं को मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षित किया गया।	50	2 वर्ष के लिए 1.00 लाख रुपये
	ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान केन्द्र, जिला-ढेंकानाल	मधुमक्खी पालन एवं बांस के उत्पादों में महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए महिला विज्ञान केन्द्र	महिलाओं को मधुमक्खी पालन एवं ताड़-नीरा में प्रशिक्षित किया गया।	50	3 महीने के लिए 45,000 रुपये
	भारत में कमजोर वर्ग का एकीकृत ग्रामीण विकास, कोरापुट	कोरापुट जिले में आदिवासी एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए आधुनिक रेशमकीट पालन तकनीक	शहतूत रोपण, रेशमकीट पालन एवं रेशम रीलिंग में प्रशिक्षण दिया गया।	50	4.94 लाख रुपये
पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	कृषिकीय उत्पादों के निम्न लागत संरक्षण पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	(रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई)	—	1 वर्ष के लिए 1.00 लाख रुपये

राजस्थान	सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र, बाड़मेर	अनुसूचित जनजाति की महिला कारीगरों के लिए जल भंडारण टैंक तथा धुआंरहित चूल्हों के साथ निम्न ज्योडेसीय गुम्बदों का निर्माण करना	20 ज्योडेसीय गुम्बद बनाए गए ।	20	9 महीनों के लिए 1.98 लाख रुपये
तमिलनाडु	श्री अम्मान औद्योगिक महाविद्यालय, पल्लिपलायम, इरोद	सेलम जिले के कुछेक गांवों में महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ाना	मोटर रिवाइन्डिंग, रेडियो रिपेयरिंग, प्लास्टिक तार एवं पोलिथीन बैग बनाने और अरप्पु पाउडर तैयार करने से संबंधित प्रशिक्षण । एक सहकारिता का गठन किया गया, जो प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र का प्रबंध करता है ।	60	3 वर्षों के लिए 3.89 लाख रुपये
	गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	तमिलनाडु में ग्रामीण महिला समुदाय की सफाई एवं जल-प्रबंध कार्यों में सुधार के लिए प्रतिकृति-योग्य माडल का विकास करना	एक उन्नत शॉकपिट का डिजाइन तैयार किया गया और इसे गांधी-ग्राम के पास कुछेक गांवों में स्थापित किया गया । एक वर्षाजल सिंचाई युक्ति तथा हैण्ड पम्पों के पास जमा गंदे पानी के पुनर्चक्रण के लिए एक युक्ति विकसित की गई ।	500	1½ वर्षों के लिए 3.36 लाख रुपये

1	2	3	4	5	6
	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	जल, स्वास्थ्य एवं सफाई पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	महिलाओं के बीच जल, स्वास्थ्य एवं सफाई से संबंधित जागरूकता लाना तथा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना।	60	1 वर्ष के लिए 80,000 रुपये
	होलीक्रास गृह-विज्ञान महाविद्यालय, टूटीकोरिन	जल, स्वास्थ्य एवं सफाई पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	महिलाओं के बीच जल, स्वास्थ्य एवं सफाई से संबंधित जागरूकता लाना तथा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना।	60	एक वर्ष के लिए 70,000 रुपये
	तमिलनाडु ग्रामीण विकास बोर्ड, मद्रास	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषक महिलाओं तथा छोटे एवं सीमांत किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए उन्नत डेयरी उद्योग प्रौद्योगिकी का विकास करना	कृषि वीर्यसेचन सहित चारा उत्पादन, फसल अवशिष्ट के उपयोग तथा पशु पालन प्रौद्योगिकी से संबंधित उन्नत प्रौद्योगिकियों में भूमिहीन कृषक मजदूरों तथा सीमांत किसानों की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।	210	2½ वर्षों के लिए 1.37 लाख रुपये
	श्री ए० एम० एम० मुरुगप्पा चेट्टियार अनुसंधान केन्द्र; थरमानी, मद्रास	जैव-गतिकी उद्यान सहकारिता तथा अनुवाही पारि-विकास	100 गृहणियों की एक सहकारिता गठित की गई और महिलाओं को धन प्रदान करने वाली जैव-गतिकी विधि से सब्जियों की पैदावार की गई।	100	3 वर्षों के लिए 5.46 लाख रुपये

	अविनाशीलिंगम गृह-विज्ञान महाविद्यालय, कोयम्बटूर	बागवानी उत्पादों के कम लागत संरक्षण पर अ० भा० स० परियोजना	पपीता जैसे फलों एवं सब्जियों के प्रक्रियण के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र के साथ एक सहकारिता का गठन किया गया।	133	1 वर्ष के लिए 1.00 लाख रुपये
	मद्रास इंस्टीट्यूट आफ मैग्नेटो-बायोलोजी, अन्नानगर, मद्रास	रेशम रीलिंग एवं रेशम-कीटों के जीवन चक्र पर स्पन्दित चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव	चुम्बकीय क्षेत्र में उच्छादन के प्रारंभिक परिणामों से सेरिसीन में तथा तनन सामर्थ्य में वृद्धि हुई।	*	1 वर्ष के लिए 1.78 लाख रुपये
उत्तर प्रदेश	मनोवदय, लखनऊ	जल, स्वास्थ्य एवं सफाई पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना	जल, स्वास्थ्य एवं सफाई से संबंधित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया और जागरूकता उत्पन्न की गई।	60	1 वर्ष के लिए 70,000 रुपये
	इंस्टीट्यूट आफ वेस्ट-लैंड रीकलेमेशन एंड रूरल डिवेलपमेंट, सुलतानपुर	सुलतानपुर की ग्रामीण महिलाओं के लिए बंजर-भूमि पर रेशमकीट पालन उद्योग का विकास	महिलाओं को शहतूत रोपण, रेशमकीट पालन तथा रीलिंग में प्रशिक्षण दिया गया।	55	2 वर्ष के लिए 6.3 लाख रुपये
	डी० जी० कालेज, कानपुर	दैनिक जीवन में कड़ी मेहनत को कम करने तथा आय का प्रावधान करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण	बटेर एवं मुर्गीपालन में प्रशिक्षण	60	3 वर्ष के लिए 4.26 लाख रुपये

1	2	3	4	5	6
	हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, कोटद्वार	पारि-भंडारण के बायोमास के विभिन्न उपयोगों संबंधी अनुप्रयोग तथा गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन पर एक समन्वित परियोजना	9 संगठनों ने महिलाओं को एनाफिलिस, अगावा ग्रेविया, बाउहिनिया इत्यादि जैसे अल्प-उपयोगी बायोमास के विभिन्न आयोपार्जक वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण दिया।	200	1 वर्ष के लिए 5.7 लाख रुपये
	नरेन्द्रदेव विश्वविद्यालय, फैजाबाद	बागवानी उत्पादों के कम लागत संरक्षण पर अ० भा० स० परियोजना	आंवला, जामुन इत्यादि जैसे छोटे वन-उत्पादों का अल्प-लागत संरक्षण।	100	1 वर्ष के लिए 1.00 लाख रुपये
पश्चिम बंगाल	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता	जल, स्वास्थ्य एवं सफाई पर अ० भा० स० परियोजना	महिलाओं में जल, स्वास्थ्य एवं सफाई से संबंधित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया व जागरूकता उत्पन्न की।	60	एक वर्ष के लिए 70,000 रुपये
	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ	-वही-	-वही-	60	1 वर्ष के लिए 70,000 रुपये

मानव विकास केन्द्र, पुरूलिया	आत्मनिर्भर लाभकारी रोजगार के लिए पुरूलिया जिले की महिलाओं हेतु विज्ञान केन्द्र की स्थापना करना	महिलाओं को पत्तं के दोने और प्लेट बनाने, मोमबत्ती बनाने, प्लास्टिक बैग और पाउच बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।	150	1 वर्ष के लिए 89,100 रुपये
साइंस एसोसिएशन आफ वैस्ट बंगाल, कलकत्ता	बागवानी उत्पादों के कम लागत संरक्षण पर अ० भा० स० परियोजना	सागर द्वीपसमूह की महिलाओं को मिर्ची सौम बनाने तथा तरबूज का जूस संरक्षित करने का प्रशिक्षण दिया गया। एक महिला सहकारिता का गठन किया गया।	36	1 वर्ष के लिए 1.00 लाख रुपये

*अनुसंधान और विकास तथा सर्वेक्षण परियोजनाओं को इंगित करता है।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि यद्यपि कई योजनायें प्रवर्तित की गईं लेकिन अधिकांश चलाई गई योजनायें वास्तविक रूप से हकदार लाभ प्राप्तकर्ताओं तक नहीं पहुंचीं। अधिकांश विज्ञान के स्नातक गैर-आदिवासी लोग हैं। यद्यपि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिलों, जिन्हें सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाले जिलों के रूप में मान्यता प्राप्त है, की भी हमें योजनाओं के संदर्भ में अनदेखी की गई है।

शायद इसी तरह भारत के अनेक जिलों की अनदेखी की गई है। ये योजनायें अधिकांशत: शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।

मैं आपके जरिये माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह इन पहलुओं पर गौर करेंगी और इस प्रकार की योजनाओं को इन आदिवासी बहुलता वाले जिलों में भी चलाए जाने के बारे में निर्देश देंगी।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : छठी और सातवीं योजनावधि के दौरान हमने महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबद्ध कई योजनायें चलाई थीं। इनका उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना है, विशेष रूप से देश के प्राचीन और पिछड़े क्षेत्रों में। दूसरा पहलू महिलाओं के रोजमर्रा के कार्यों में काम के बोझ को कम करने के बारे में है।

और तीसरी बात महिलाओं को उन नये उभरते क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के संबंध में है जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित किया जाता है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहती हूं कि जहां तक आदिवासी या ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात है, इस संबंध में कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। वस्तुत: अधिकांश ऐसे क्षेत्र, जहां इस संबंध में ज्यादा जोर दिया गया है, ग्रामोन्मुख और ग्राम आधारित हैं।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। हमारा सौभाग्य है कि संबद्ध मंत्री स्वयं एक महिला हैं। यह प्रश्न भी महिलाओं से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो महिला सदस्य पूरक प्रश्न पूछेंगी।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंची है। योजनायें ऐसी होना चाहिए कि उनसे गांवों में विज्ञान का फैलाव हो, विशेष रूप से महिलाओं में।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए जाने चाहिए न कि शहरी क्षेत्रों में। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री सभा को इस बात का आश्वासन देंगे कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केन्द्र शुरू करने के लिए जोर दिया जाएगा।

जिनका विवरण सभा पटल पर रखा गया है उनमें अधिकांश केन्द्र दिल्ली और अन्य स्थानों पर स्थित हैं। मेरा इससे यह तात्पर्य है कि इस प्रकार की योजनायें वास्तव में उन महिलाओं के लिए होनी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं और जो बहुत पिछड़ी हैं। इस वर्ष के लिए जो धनराशि आबंटित की गई है वह भी बहुत कम है। यह लगभग 100 लाख रुपये है।

अत: मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या भविष्य में निधियों के आबंटन के बारे में और इन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने के संबंध मे अधिक जोर दिया जाएगा ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : यह कार्यक्रम दो भागों में चल रहा है । एक तो अनुसंधान और विकास से संबद्ध है, जिसके अन्तर्गत ऐसे तौर-तरीके ढूंढ़े जाते हैं, जिनसे महिलाओं के श्रम के बोझ को कम किया जा सके । आप कार्य करने के नये साधन, नई प्रणालियां विकसित कर सकते हैं । इस प्रयोजन के लिए हमारे यहां विशेष अनुसंधान परियोजनायें हैं ।

महोदय, दूसरे हम प्रौद्योगिकी का अन्तरण कर रहे हैं और इसे उन महिलाओं को उपलब्ध करा रहे हैं जिन्हें इस उन्नत तकनीक, प्रणाली, साधनों की आवश्यकता है, जिससे उनकी नियमित नौकरियों या नियमित कार्य में जो कि उनके जीवन के अभिन्न अंग हैं, उनका काम आसान हो जाए और समय भी कम लगे ।

अत: ग्रामीण महिलाओं के लिए समस्त अनुसंधान और विकास को ग्रामीण आधारित नहीं होना चाहिए तथापि जो भी कार्य वस्तुत: किया जाता है और इसका कार्यान्वियन ग्रामीण आधारित होना चाहिए ।

मैं कहना चाहूंगी कि अधिकांश स्वैच्छिक अभिकरण जो कि प्रयोगशालाओं से खेतों में प्रौद्योगिकी के अन्तरण में लगे हैं, ग्रामीणोन्मुख हैं, ये सब विकास ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं जहां महिलायें कार्यरत हैं ।

जहां तक आबंटनों का सवाल है आप तो जानते ही हैं कि परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कुछ सामान्य समस्यायें हैं और जहां तक मेरी बात है, मैं एक मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक महिला के रूप में यही चाहूंगी कि महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वास्ते अधिक-से-अधिक धन आबंटित किया जाए ।

[हिन्दी]

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि महिलाओं से संबंधित इन योजनाओं के बारे में क्या कभी कोई असैसमैंट कराया गया है कि ये योजनाएं लाभकारी सिद्ध हो रही हैं या नहीं । यदि असैसमेंट कराया गया है जो उनके विचार से, यदि ये योजनाएं लाभप्रद हैं तो फिर हर प्रदेश में अधिक मात्रा में इन्हें चलाया जा सके, इसके लिए बजट में उचित धनराशि का आबंटन कराने का वे प्रयत्न करेंगी क्योंकि ऐसा कराने में मंत्री की हैसियत से वे सक्षम हैं ।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : इस समय 19 राज्यों को पैसा दिया जा रहा है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें एक सूची दे सकती हूं ।

जहां तक प्रत्येक राज्य की बात है, यह आबंटन उन परियोजनाओं पर निर्भर है, जो

प्रवर्तित की जाती हैं, जो हमें भेजी जाती है और फिर उसके बाद ही हम उनके लिए पैसा देते हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है हम इससे सीधे ही संबद्ध नहीं हैं। स्वैच्छिक संगठनों या राज्य सरकार के जरिये हम परियोजनाओं को प्रवर्तित करते हैं और इस तरह से जहां कहीं भी आवश्यक हो या संभव हो, हम महिलाओं के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की मंशा के लिए उनको धन्यवाद देना चाहती हू, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसको देख कर ऐसा लगता है कि वे किसी क्षेत्र की महिलाओं को बहुत ऊपर उठाना चाहती है और किसी क्षेत्र की औरतों को बिलकुल मदद नहीं देना चाहती है। वहां के क्षेत्र के पिछड़ेपन को जानते हुए, रोज-रोज उसकी चर्चा करते हुए, उसकी मजाक करते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए इस सदन में हम अघाते नहीं हैं, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि केवल खगड़िया मे सेरीकल्चर के नाम से एक योजना देकर बिहार को साइंस तकनीकी वैलफेयर के नक्शे से बिलकुल उड़ा दिया गया है, तो क्या बिहार के सभी पिछड़े क्षेत्रों में कोई साइंस तकनीकी वैलफेयर की स्कीम लागू करने का सरकार का विचार है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह तो समय का मिसयूज हो रहा है। यह वैलफेयर का नहीं है, यह प्रश्न तो साइंस एण्ड टैक्नालोजी का है।

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मै उसी के बारे में पूछ रही हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं बार-बार कह चुकी हू कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रयास रहा है कि ऐसी विभिन्न चीजों का विकास किया जाए जिनसे देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं को सहायता मिले। यदि कोई नया उपस्कर है या नई प्रौद्योगिकी है तो राज्य सरकार या स्वैच्छिक संगठन या स्थानीय निकाय इसे प्रयोग में लाते हैं, इसे लोकप्रिय बनाते हैं। मैं इसके दो उदाहरण दूंगी। एक उदाहरण तो धूआं रहित चूल्हा है। इसे विकसित किया गया, कई महिला संगठनों ने इसे अपने कार्यक्रम में शामिल किया और उन्होंने ही इसे देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्थिति के अनुरूप लोकप्रिय बनाया।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, क्या बिहार के और लोगों ने मांग की थी या नहीं?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : इसको स्टेट गवर्नमेंट ने ही लेना है, उनको इसे करना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ये विकसित चूल्हा कहीं भी उपयोग में लाया जा सकता है और इसे बिहार भी भेजा जा सकता है।

श्रीमती मालती भट्टाचार्य : जो सूची उत्तर में दी गई है उससे लगता है कि कुछ राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक लाभ मिल रहे हैं। क्या सरकार ने इस संबध में कोई विचार किया है कि किसी क्षेत्र विशेष में राज्य सरकारों और स्थानीय स्व-शासन को लाभग्राहियों की पहचान करने के बारे में किस हद तक शामिल किया जा सकता है और वहां यह देखने के लिए कि क्या महिलाओं की आय इन सबसे परिणामस्वरूप बढ़ी है, कोई निगरानी और समीक्षा करने संबंधी व्यवस्था है?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक आमदनी की बात है, इस संबंध में परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक रहे हैं क्योंकि उन्हें जिन नये क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनमें नौकरियां मिल जायें, उनका बहुत ही ध्यानपूर्वक नियोजन किया जाता है और उदाहरण के लिए मैं तो कहूंगी कि पारंपरिक धंधों, जैसे रेशम उद्योग और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जहां महिलायें कार्यरत हैं, वहां विकसित तकनीकों से उनकी आय बढ़ी है और कार्य का बोझ भी कम हुआ है; अब चाहे हम नारियल-जटा उद्योग की बात करें अथवा ग्रामीण महिलाओं के लिए ईंधन और चारे का सवाल हो तो वहां भी बंजर भूमि विकास से जहां विशेष किस्म के पौधों को लगाने का सुझाव देने से महिलाओं द्वारा ईंधन और चारे को एकत्र करने के कार्य का बोझ, जोकि ग्रामीण महिलाओं के जीवन का अंग बन चुका है इसे भी काफी आसान बना दिया गया है। अत: जब हम महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो हम केवल प्रयोगशाला विकास के बारे में ही बात नहीं करते हैं बल्कि इसके कार्यान्वयन का भी तात्पर्य होता है।

यह सच है कि विभिन्न राज्यों को विभिन्न स्तरों पर अनुदान मिल रहा है, यह उन प्रवर्तित परियोजनाओं पर निर्भर करता है जो हमें भेजी जाती हैं, जिनके लिए हम पैसे देते हैं और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इन आगामी परियोजनाओं में, जिनके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा धन दिया जाता है, राज्य सरकारों की कितनी रुचि है और वे कितनी सक्रिय भूमिका निभायेंगी।

इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि कुछ क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर पर्यावरण और स्थानीय समस्याओं के आधार पर हमारे पास तटीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पृथक कार्यक्रम हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ये कार्यक्रम भेड़ पालने और बकरी पालने और ऊन धुनने तथा ऊन के विकास से संबंधित अन्य समस्याओं के बारे में हैं और हमने औषध गुणों वाले पौधे लिए हैं जिनके द्वारा महिलाएं कमाई कर सकती हैं, वे औषध गुणों वाले ऐसे पौधे लगा सकती हैं जिनकी बाजार में मांग है। वे अपने घरों के पिछवाड़े में इन्हें उगा सकती हैं। इस प्रकार ये परियोजनाएं उनके मुताबिक हैं। जहां तक तटीय क्षेत्रों का संबंध है तो हम तट से दूर मत्स्य पालन और अन्य कार्यक्रमों का उल्लेख कर रहे हैं जिनके द्वारा महिलाओं को समुद्री उत्पादों के उत्पादन और उनके प्रसंस्करण में मदद मिलती है। इसलिए क्षेत्रों के मुताबिक स्थानीय समस्याओं के आधार पर विभिन्न गुटों के लिए विभिन्न कार्यक्रम हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : निगरानी के बारे में उत्तर नहीं दिया गया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु केरल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

*595. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना से प्रथम वर्ष में शुरू की जाने वाली संभावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके लिए अनुमानतः कितना नियतन किया गया है; और

(घ) यह नियतन गत वर्ष के नियतन की तुलना में कितना अधिक होगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) योजना आयोग द्वारा परिव्यय को शीर्ष/उपशीर्षवार अनुमोदित किया जाता है न कि परियोजनावार। केरल की आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, राज्य की 1992-93 की वार्षिक योजना के लिए, जो कि आठवीं योजना का प्रथम वर्ष है 913 करोड़ रुपए के परिव्यय पर सहमति हुई है जो 1991-92 वर्ष के लिए अनुमोदित 807 करोड़ रुपए के परिव्यय से 33.1 प्रतिशत अधिक है।

श्री थाइल जान अंजलोज : राज्य सरकार द्वारा आठवीं योजना में शामिल करने के लिए भेजे गए मुख्य प्रस्ताव क्या हैं और क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है और किन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है?

श्री एम० आर० भारद्वाज : राज्य सरकार ने 913 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुरोध किया और इस पर सहमति हो गई है।

श्री थाइल जान अंजलोज : मुद्रास्फीति और रुपये के अवमूल्यन को देखते हुए पिछले वर्ष के परिव्यय की तुलना में 13.1 प्रतिशत बहुत कम हैं और रुपये के अवमूल्यन के बाद तो यह बहुत कम हो गया है। इसलिए 1992-93 के लिए परिव्यय में कम-से-कम 30 प्रतिशत की वृद्धि करना आवश्यक है। यदि केरल सरकार इस बारे में अनुरोध करती है तो क्या सरकार राज्य सरकार की वित्तीय तंगी को देखते हुए इसके हिस्से में वृद्धि करेगी?

श्री एम० आर० भारद्वाज : जहां तक वृद्धि का संबंध है तो यह 13.1 प्रतिशत है और अवमूल्यन को देखते हुए मैं यह मानता हूं कि यह अधिक वृद्धि नहीं है। लेकिन आप पिछले वर्ष के व्यय पर गौर कीजिए, केरल सरकार द्वारा संशोधित परिव्यय अब 620 करोड़ रुपये है; यह नवीनतम सूचना है। इसलिए वृद्धि 13.1 प्रतिशत से अधिक होगी। लेकिन इस योजना पर राज्य से विस्तृत चर्चा की गई थी और वे इस आवंटन से सहमत हैं।

श्री रमेश चेन्निथला : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस वर्ष की वार्षिक

योजना को गाडगिल फार्मूले के तहत अन्तिम रूप दिया गया है अथवा संशोधित गाडगिल फार्मूले के तहत।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह गाडगिल फार्मूले के मुताबिक नहीं है। इस बार संशोधित मुखर्जी फार्मूले का उपयोग किया गया है।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या केरल के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के विवरण को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इसे कब पूर्ण किया जाएगा।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जैसा कि मैंने पहले कहा आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। केवल वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया गया है और हम चर्चा कर रहे हैं। आठवीं योजना पर राष्ट्रीय विकास परिषद की अगली बैठक में चर्चा होगी जो कि संभवत: मई में होगी।

श्री ई० अहमद : माननीय मंत्री ने सभा को सूचित किया कि भारत सरकार ने अब मुखर्जी फार्मूले को स्वीकार कर लिया है। हम गाडगिल फार्मूले और संशोधित गाडगिल फार्मूले से अवगत हैं। माननीय मंत्री सभा को स्पष्ट करें कि संशोधित गाडगिल फार्मूले और मुखर्जी फार्मूले में क्या अन्तर है?

श्री एच० आर० भारद्वाज : वास्तव में चाहे गाडगिल फार्मूला हो या सर्वसम्मति का फार्मूला हो या अब मुखर्जी फार्मूला हो, इनमें कोई अधिक अन्तर नहीं है। अब केन्द्रीय सहायता का नवीनतम वितरण इस प्रकार होगा—जनसंख्या 60 प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय 25 प्रतिशत जिसमें दूरी के तरीके के लिए 5 प्रतिशत शामिल है और 20 प्रतिशत विचलन तरीके के लिए और कार्य-निष्पादन के लिए 7.25 प्रतिशत है···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केरल से संबंधित है, फार्मूले से नहीं।

कोयले पर आधारित उद्योग

***596. श्री अनिल बसु :**
श्री राजेश कुमार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्याम गौड़) : (क) से (घ) इस संबंध में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों के बहुत बड़ी संख्या के उद्योगों के लिए कोयला एक आगत तथा फीड-स्टाक के रूप में आवश्यक है। भारत में कुल उत्पादित कोयले के लगभग 60 प्रतिशत भाग का अकेले विद्युत क्षेत्र ही उपभोग करता है, जिनके बाद इस्पात, सीमेंट और बड़ी संख्या में अन्य उद्योग आते हैं। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना (1996-97) के अंतिम वर्ष में कच्चे कोयले की मांग वर्तमान 235 मिलियन टन के स्तर से 309.20 मिलियन टन तक बढ़ जाने की संभावना है। कोयले की मांग में यह बढ़त डाउनस्ट्रीम उपभोक्ता क्षेत्र में प्रक्षिप्त विकास की पद्धति को दर्शाता।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्तूबर, 1991 में कोयला मंत्रालय को कोयला पर आधारित आसनसोल-रानीगंज कोयला क्षेत्र के उद्योगों के विकास के बारे में जोर देते हुए लिखा था। उक्त पत्राचार के उत्तर में राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि राज्य सरकार का संबंधित विभाग/एजेंसी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिए के साथ सम्पर्क करें और सहायक उद्योगों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करें। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय को पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों मे तापीय विद्युत गृहों, सीमेंट संयंत्रों, स्पोन्ज लोहा संयंत्र, आदि को स्थापित करने के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

बिहार और पश्चिम बंगाल के निम्नलिलित तापीय विद्युत गृहों के लिए कोयला का संयोजन प्रदान करने के संबंध में सहमति हुई है :—

(1) गौरीपुर (प्रतिस्थापन) (2 × 67.5 मे० वा०)	: पश्चिम बंगाल
(2) बुदगे-बुदगे (2 × 250 मे० वा०)	: पश्चिम बंगाल
(3) सागरडीघी (2 × 500 मे० वा०)	: पश्चिम बंगाल (सिद्धांत रूप में सहमति)
(4) चंदिल (2 × 250 मे० वा०)	: बिहार
(5) मुज्जफरपूर (2 × 250 मे० वा०)	: बिहार (सिद्धांत रूप में सहमति)

विशेष धुआं रहित इंधन और ब्रिकेटिंग संयंत्र, जैसे कुछ छोटे यूनिटों के अतिरिक्त, एक सीमेंट संयंत्र (विस्तार) और बिहार में दो स्पोन्ज लोहा परियोजनाओं को भी कोयले का संयोजन दिए जाने पर सहमति हुई है।

श्री अनिल बसु : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं गया। मेरा प्रश्न कोयले पर आधारित उद्योगों के बारे में था। लेकिन मंत्री महोदय ने कोयले का उपयोग करने वाले उद्योगों पर उत्तर दिया है, ऐसे उद्योग जो कोयला उपयोग करते हैं···(**व्यवधान**) यह एक बड़ा उत्तर है। पूरा उत्तर विभिन्न उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग से

संबंधित है । लेकिन मेरा प्रश्न कोयले पर आधारित उद्योगों, कोयले को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों से संबंधित था ।

महोदय, आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में कोयले के विशाल भण्डार हैं । लेकिन इस कोयले का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस राष्ट्रीय सम्पदा को व्यर्थ गंवा रहे हैं । कोयले को अनेक उद्योगों में मुख्यतया गैर-मुख्य क्षेत्र में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है । कच्चे माल के रूप में कोयले का उपयोग विभिन्न उत्पादों तथा उपोत्पाद के उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए । इस संबंध में अत्यधिक क्षमता है ।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार का कोयले पर आधारित उद्योगों के प्रति कोई दृष्टिकोण है, यह कोयले का उपयोग कर रहे उद्योगों के बारे में नहीं है । क्या आप कोयले पर आधारित कोई उद्योग स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं ? क्या आपको यह जानकारी है कि कोयले को गैस में बदला जा सकता है और कोयले के गैसीकरण से तेल का उत्पादन किया जा सकता है ? यह प्रौद्योगिकी विकसित हो चुकी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार देश में तेल के उत्पादन हेतु इस प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना बना रही है ।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने उचित ही कहा है कि कोयला मंत्रालय अथवा कोयला उद्योग क्या कर रहा है । वास्तव में यह सभी जानते हैं कि कोयला हमारे आर्थिक विकास के लिए एक बुनियादी कच्चा माल है । यद्यपि सदस्य मुझसे यह नहीं चाहेंगे कि मैं उनका कथन पुनः दोहराऊं, लेकिन कोयला उद्योग का मुख्य दायित्व मुख्य क्षेत्र तथा गैर-मुख्य क्षेत्र की जरूरत पूरी करना है । सारा प्रश्न कोयले पर आधारित उद्योगों से संबंधित है । कोयले पर आधारित उद्योग के संबंध में वास्तव में कोयला उद्योग को अपने बुनियादी दायित्व से परे हटना नहीं है बल्कि···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोंड कर दिया जाये क्योंकि मंत्री जी बिल्कुल भी तैयार होकर नहीं आये हैं। जिस प्रकार से यह जवाब दे रहे हैं।···(व्यवधान) यह पब्लिक इंटरस्ट में है कि इसको पोस्टपोंड करके अगले दिन इसका जवाब दिया जाये।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और यह कोयले पर आधारित उद्योग के बारे में है । मंत्री महोदय कोयले को अन्य उद्योगों से जोड़ने की बात कर रहे हैं । प्रश्न कोयले पर आधारित उद्योग के बारे में है···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : प्रश्न कोयले पर आधारित उद्योग के बारे में है, कोयले का उपयोग कर रहे ताप विद्युत संयंत्रों के बारे में नहीं···(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, आप मंत्री महोदय का अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं क्योंकि यह एक अत्यंत तकनीकी प्रश्न है···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : कोयला मंत्री श्री संगमा आएं और उत्तर दें। उन्हें यहां पर होना चाहिए···(**व्यवधान**) कोयला मंत्री उत्तर दें।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यदि वे मुझे अनुमति दें तो मैं उत्तर दे सकता हूं। यदि वे मुझे अनुमति नहीं देते तो मैं क्या कर सकता हूं ? (**व्यवधान**) तेल उत्पादन के सुझाव पर विचार किया जा रहा है। यह बहुत महंगा और असंभव है। इसलिए यह संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा है···

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर कोयला उत्पादन से संबंधित मंत्री द्वारा देने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर उद्योग मंत्री को देना है। आपके पास इसके उत्तर की पूर्ण जानकारी नहीं होगी। मैं आपकी कठिनाई समझ सकता हूं। आपके पास नहीं होगी···

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं वही कह सकता हूं जो मेरे पास है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम इस प्रश्न पर उचित तरीके से चर्चा करेंगे। मैं इसे यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मैं इस बारे में विचार करूंगा। यह आपके मंत्रालय को नहीं जाना चाहिए था; यह किसी अन्य मंत्रालय को जाना चाहिए था। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। अब इसके बाद दूसरों को पूछने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : कृपया मेरे अधिकार की रक्षा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

मारुति कारों के मूल्य

*598. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान मारुति कारों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मारुति कारों के मूल्य निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान मारुति कारों के मूल्यों में निम्नलिखित वृद्धियां हुई हैं :

तारीख	मारुति-800 (स्टैंडर्ड) का फैक्टरी से निकलते समय का मूल्य (रुपयों में)	मूल्य वृद्धि का कारण
20-3-90 से पहले	92,616	
30-3-90 से	96,075	मूल उत्पाद शुल्क 35% से बढ़कर 40% हो गया।
8-5-90 से	99,984	विदेशी मुद्रा ऋणों पर विनिमय परिवर्तनों सहित सामग्री लागत और स्थायी लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए मूल मूल्य में वृद्धि की गई।
22-8-90 से	1,07,190	मूल उत्पाद शुल्क 40% से बढ़कर 50% हो गया।
20-12-90 से	1,11,769	उपकरणों पर सीमा शुल्क 60% से बढ़कर 80% और पेनलों पर 63% से बढ़कर 85% हो जाने के कारण मूल मूल्य में वृद्धि की गई।
8-4-91 से	1,20,251	डालर और येन की तुलना में रुपये का मूल्य ह्रास और उपकरणों और उपभोक्यों की स्वदेशी खरीद लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए मूल में मूल्य वृद्धि की गई।
25-7-91 से	1,50,823	मूल उत्पाद शुल्क 50% से बढ़कर 60% हो गया, विशेष उत्पाद शुल्क 5% से बढ़कर 10% हो गया; रुपये के अवमूल्यन के कारण आयातित सामग्री की लागत में वृद्धि और निर्यात आयात सूचियां खरीदने की आवश्यकता तथा विदेशी मुद्रा ऋणों पर विनिमय परिवर्तन के कारण निर्धारित लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए मूल मूल्य में वृद्धि की गई।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि स्वर्गीय संजय गांधी ने मारुति कार मध्यम श्रेणी के मनुष्यों के लिए बनाई थी, इसकी कीमत दिन-पर-दिन बढ़ती चली जा रही है, क्या यह आज भी मध्यम श्रेणी के मनुष्यों के लिए रह गई है ? इसके लिए माननीय मंत्री जी यह बतायें कि और कोई कार मध्यम श्रेणी के मनुष्यों के लिए बनाने जा रहे हैं या इसकी कीमतों को कम करने का आपका इरादा है ?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, यह सच है कि मारुति कार न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो गई है। आपकी बात सही है कि इस उद्योग को स्वर्गीय श्री संजय गांधी ने शुरू किया था (व्यवधान) मैं केवल तथ्यों के बारे में बता रहा हूं। यह आम आदमी के लिए शुरू की गई थी।

जहां तक मूल्य वृद्धि का संबंध है, हम पूर्णतः मारुति उद्योग लिमिटेड पर आरोप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इसकी कीमतें बढ़ानी पड़ीं। मैं कुछ और ब्यौरा देना चाहता हूं। 1990 से 1991 तक, लगभग दो वर्ष की अवधि में 58,207 रुपये बढ़ गए। मैंने प्रतिशतता का आकलन किया है जिसके आधार पर यह वृद्धि हुई, क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि क्या मारुति उद्योग अनावश्यक रूप से तो मूल्य वृद्धि नहीं कर रहा है। मैंने यह पाया कि इन दो वर्षों मे उत्पाद शुल्क के कारण 62 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। उत्पाद शुल्क में वृद्धि और उतार-चढ़ाव के कारण मारुति कार के मूल्यो में 5 प्रतिशत वृद्धि हुई। (व्यवधान) आप कृपया मेरी बात सुनिए। यह तर्क पर आधारित है।

इसी दौरान रुपये का अवमूल्यन हो गया। इससे मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई। मारुति उद्योग लिमिटेड ने केवल···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का दूसरा भाग है कि क्या आप आम आदमी के लिए कोई छोटी कार बनाने जा रहे हैं ? पहला भाग अब समाप्त हो चुका है।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इसकी आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे भाग का उत्तर दें।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, मारुति उद्योग लिमिटेड ने 9 प्रतिशत कीमत बढ़ा दी है। मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा स्वयं इस वृद्धि का यह कारण बताया गया है कि ऊपरी व्यय तथा वेतन में वृद्धि आदि बताया है। इसीलिए इसे बढ़ाना पड़ा। जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, जिसके बारे में आपने सही कहा है कि नवीकरण करने के लिए सतत प्रयास जारी हैं। (व्यवधान) 1992-93 से मारुति उद्योग लिमिटेड निर्यात के लिए कारें बना रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सारी चीजों का जवाब दे दिया कि

एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है, लेकिन वहां के जो उच्च अधिकारी और मैनेजमेंट के लोग अपनी जेब भर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताया। मंत्री जी क्या सी० बी० आई० के द्वारा जांच करवाने का इरादा रखते हैं?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में पहले ही कहा है कि प्रबंधन के कुछ सदस्यों के विरुद्ध आरोप हैं। हम गंभीरता से इस बात की जांच कर रहे हैं और इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या चल रहा है, जब आप चाहेंगे, उठ कर पूछेंगे। ऐसे कैसे चलेगा। आप प्लीज बैठ जाइए। इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, जब मारुति कार बनाने का विचार आया था उस समय दो बातें मुख्य थीं—एक तो यह कि यह आम आदमी के लिए कम कीमत की कार होगी और दूसरे समय के साथ-साथ इसके सभी कल-पुर्जे अपने देश में बनने लगेंगे। पहले कार्य में तो हम पूर्णतः असफल रहे। प्रारंभ में कार की कीमत 82,000 रुपये थी और अब यह 1,50,000 रुपये से अधिक हो गई है। मंत्री महोदय ने यह बताया है कि शुल्क 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बढ़ जाने से मूल्य वृद्धि हुई। 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक शुल्क में वृद्धि इतनी अधिक नहीं है कि कार की कीमत 1,50,000 रुपये हो जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मारुति कार के कुल कितने कल-पुर्जे अभी भी आयात किए जा रहे हैं और आप कब तक सभी कलपुर्जे स्वदेश में बनवाना शुरू कर देंगे।

श्री पी० के० थुंगन : मैंने प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दिया है। दूसरे भाग के बारे में मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जब 1982 में मारुति उद्योग शुरू किया गया तब ऐसी योजना बनाई गई थी कि जितनी जल्दी संभव हो सकेगा, स्वदेशीकरण कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 1992 को मारुति कार (800 सी० सी०) में 94.10 प्रतिशत स्वदेशी कल-पुर्जे थे। (व्यवधान) 31 मार्च, 1982 को मारुति ओमनी में 95 प्रतिशत, मारुति जिप्सी में 79.00 प्रतिशत तथा मारुति कार (1000 सी० सी०) में 79.36 प्रतिशत कल-पुर्जे स्वदेशी थे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आस्कर फर्नान्डिस : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन को न केवल गुमराह कर रहे हैं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि असत्य भी यहां पर बोल रहे हैं। एक तरफ आपके उत्तर में आया है कि 94 प्रतिशत इस गाड़ी का इंडिजिनाइजेशन हुआ है। दूसरी ओर मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि रुपए

का अवमूल्यन होने के चलते और विदेशी मुद्रा ज्यादा महंगी होने के चलते, हमको दाम बढ़ाने की जरूरत हो रही है। (व्यवधान) तो इसके अन्दर बिल्कुल असत्य जुड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं···(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हम ऐसा नहीं करते हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष जी, यह अनपार्लियामेंटरी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह असंसदीय है, मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके कारखाने की तरफ से ही जो जापान से आप इस गाड़ी के पुर्जे मंगाते हैं उसको लेकर और ये जो तथाकथित इनडिजनाइजेशन आपका हुआ है वह इनडिजनेल, जो आपके पुर्जे बनाकर आपको देने वाले जो लोग हैं, उनकी तरफ से गाड़ी को लेकर कितनी विदेशी मुद्रा जापान को प्रतिवर्ष जा रही है और अगर मैं यह कहूं कि साढ़े तीन सौ करोड़ से लेकर लगभग पांच सौ करोड़ साल में जापान को भेज रहे हैं तो क्या आप इस बात को इन्कार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, जहां तक प्रश्न···

अध्यक्ष महोदय : इस बात को छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा आपसे कोई निजी झगड़ा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : सम्मानीय सभा जानती है कि माननीय सदस्य सभा को गुमराह करने

में दक्ष हैं—और उन्होंने कई बार ऐसा किया भी है। (व्यवधान) वह इस काम में दक्ष हैं। लेकिन मुझमें वह गुण नहीं है अतः मैं गलत वक्तव्य नहीं दूंगा।

जहां तक आयातित और स्वदेशी कलपुर्जों का संबंध है मैंने पहले ही उनके बारे में बता दिया है और जहां तक इनकी रुपयों तथा डालर में कीमत का संबंध है वह मैं उन्हें बता सकता हूं अथवा सभा पटल पर रख सकता हूं। मेरे पास समय अधिक नहीं है, यदि वह चाहते हैं तब मैं उन्हें यह भेज दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, प्रश्न यह है कि एक कार बनाने में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है। यदि आपके पास वह आंकड़े नहीं हैं तब आप उन्हें बाद में दे सकते हैं, हम वह अभी नहीं मांग रहे हैं।

श्री पी० के० थुंगन : इसीलिए मैं कह रहा था···

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में दे सकते हैं।

श्री पी० के० थुंगन : अभी मेरे पास रुपये तथा डालर में इसकी कीमत नहीं है। मैं यह बाद में उन्हें दे दूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप कबूल करिए कि आपके पास जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने प्रश्न काल में भी सभा को गुमराह किया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 599.

सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को अन्य परियोजनाओं में लगाना

[हिन्दी]

*599. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** :
डा० लाल बहादुर रावत :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को अन्य परियोजनाओं में लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसकी अनुमति कब तक दे दिए जाने की संभावना है;

(ख) सिंचाई परियोजनाओं के लिए इन राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) इन राज्यों ने अब तक वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया है?

[अनुवाद]

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ङ) आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने 1991-92 के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिव्ययों सहित अपने संबंधित वार्षिक योजना परिव्ययों को संशोधित करने के लिए योजना आयोग का अनुमोदन मांगा था। इस संबंध में तीनों राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा वित्तीय वर्ष 1991-92 की समाप्ति से पहले संशोधित परिव्ययों को अनुमोदित कर दिया गया। तीनों राज्यों के सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रक के लिए मूल रूप से अनुमोदित परिव्ययों, राज्य सरकार से प्रस्तावित संशोधनों तथा संशोधित परिव्ययों को नीचे दिया गया है।

(लाख रुपयों में)

	1991-92		
	अनुमोदित परिव्यय	राज्य द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन	संशोधित अनुमोदित परिव्यय
	1	2	3
I. आंध्र प्रदेश (सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण)			
1. बड़ी तथा मझोली सिंचाई	23645	28905	28905
2. लघु सिंचाई	3904	4304	4304
3. कमान क्षेत्र विकास	547	433	433
4. बाढ़ नियंत्रण	390	800	800
जोड़	28486	34442	34442

	1	2	3
II. उत्तर प्रदेश (सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण)			
1. बड़ी तथा मझौली सिंचाई	30508	21508	21506
2. लघु सिंचाई	8763	5926	5926
3. कमान क्षेत्र विकास	1800	1400	1400
4. बाढ़ नियंत्रण	1500	1000	1000
जोड़	42571	29834	29834
III. मध्य प्रदेश (सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण)			
1. बड़ी तथा मझौली सिंचाई	38006	26543	26545
2. लघु सिंचाई	16977	12623	12623
3. कमान क्षेत्र विकास	2491	1881	1881
4. बाढ़ नियंत्रण	98	77	77
जोड़	57572	41124	41124

संशोधित अनुमोदित परिव्ययों की तुलना में वास्तविक व्यय को राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा जो सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि डिमांड की गई है, क्या यह देश की संपूर्ण परियोजनाओं में से, देश की जनसंख्या और उसका सिंचाई अनुपात देखकर आवंटित किया जाता है, उसका मापदंड क्या है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने 1991-92 के रिवाइज्ड आउटले प्रपोजल्स प्लानिंग कमीशन को दिए थे और मैंने अपने उत्तर के भाग ए से ई में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, उनको माननीय सदस्य देख लें और जैसा मैंने अर्ज किया कि पिछले प्लान एलोकेशन में जो मापदण्ड है, उसका राष्ट्रीय स्तर पर एक फार्मूला है, जिसके तहत आवंटन किया जाता है ।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है और आबंटित धनराशि में से कितनी राशि शेष है। इसी प्रकार से अपर ताप्ती परियोजना में प्रथम चरण में कितनी धनराशि व्यय की गई है और आगामी दूसरे चरण में कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश का विवरण दिया है और उसमें मैंने पूरे डिटेल्स दिए हैं। इरीगेशन के दो हैड्स में, मेजर और मीडियम इरीगेशन का अलग और माइनर इरीगेशन का अलग दिया हुआ है। उसमें यह भी दिया हुआ है—

[अनुवाद]

संशोधित स्वीकृत योजना परिणाम में से हुए वास्तविक व्यय के बारे में राज्य सरकारों ने नहीं बताया है। राज्य सरकारों को इन परियोजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय के बारे में हमें बताया है।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : ऊपरी ताप्ती परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि उन्होंने किए गए व्यय का ब्यौरा नहीं दिया है। जब भी मुझे ब्यौरा मिल जाएगा मैं उसे माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश का जो परिव्यय था, उसको बढ़ा दिया गया है तथा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का जो परिव्यय है, उसको घटाया गया है, जबकि प्रदेश सरकारों ने उसमें संशोधन करने के लिए कहा था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए आबंटित परिव्यय को अन्य किन्हीं परियोजनाओं के लिए डायवर्ट करने के लिए क्या शासन से स्वीकृति मांगी थी, यदि हां तो उनका विवरण क्या है। क्या उन परियोजनाओं के परिव्यय को डायवर्ट करने के लिए केन्द्र सरकार ने अनुमति दी है, यदि नहीं तो क्यों नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री एच० आर० भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि डायवर्शन का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने रिवाइज्ड आउटले दिया है और जिन राज्य सरकारों ने रिवाइज्ड आउटले दिया था, कुछ आधारों पर वह एक ही किस्म का था और जो राज्य सरकारों ने कहा है, उसके अनुसार एग्री किया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के लिए सिंचाई परिव्यय बढ़ाया गया है और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बढ़ाया गया है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा अनुपालित विकास की नीति को ध्यान में रखकर किया गया है क्योंकि उन्होंने सिंचाई को महत्व नहीं दिया।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, इन दोनों राज्यों में भेदभाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इन योजना परिव्ययों को राज्य सरकारों के परामर्श से स्वीकार किया जाता है और उनके अनुरोध से ही इनमें संशोधन किया जाता है। हम वित्तीय कठिनाइयों के कारण कोई संशोधन नहीं करते।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों की बड़ी, मंझली और लघु सिंचाई योजनाएं और बाढ़ नियंत्रण, ये सबसे मुख्य समस्याएं इन प्रदेशों की हैं। इन प्रदेशों की केवल 30-32 प्रतिशत भूमि सिंचित है और उत्तर प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप भी बहुत ज्यादा है। प्लानिंग कमीशन ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही पहली बार जो धन स्वीकृत किया था, जिसका एक तिहाई धन दोनों में कम कर दिया गया है, बाढ़ नियंत्रण पर भी और सिंचाई योजनाओं पर भी, यह उत्तर प्रदेश में भी हुआ है और मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो राज्य सरकारों की कठिनाई रही होगी, उनके पास धन का अभाव रहा होगा, इसलिए इस जरूरी क्षेत्र में भी उन्होंने मजबूरी में यह संशोधन किया है। तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए, जिस आधार पर प्लानिंग कमीशन ने इनको धन उपलब्ध कराया था, ये आवश्यक क्षेत्र हैं, तो क्या उनके साधन बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, ताकि उन आवश्यक क्षेत्रों में धन की कमी न हो सके।

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : मेरा निवेदन है कि यह सही है कि 28.56% तक कमी हुई है। लेकिन सामान्य कमी 29.37% हुई है। अतः सिंचाई में नुकसान कम हुआ है। चूंकि सभी क्षेत्रों के लिए पूरे योजना परिव्यय में आम कटौती की गई है, अतः यह क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। लेकिन सिंचाई पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा यह था जो मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि धन में कमी की गयी है। मैंने यह पूछा था कि क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में, राज्यों में बहुत कम प्रगति हुई है, इसको ध्यान में रखकर क्या प्लानिंग कमीशन, उनको जो धन आबंटित किया है, उसको बढ़ाने की कृपा करेंगे ? क्या इस धन को बढ़ाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि इस बारे में राज्य का प्रस्ताव है और उसे स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। (व्यवधान)

सेवाओं के बदले उपकर

[हिन्दी]

*600. **श्री ब्रह्मानंद मंडल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला प्रबंधक कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले प्रति टन कोयले की दर से उपकर का भुगतान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का और यह उपकर किससे एकत्रित किया जाता है;

(ग) क्या कोयला प्रबंधकों का विचार इस आवश्यक सेवा को बन्द करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रति टन उपकर की बकाया राशि का भुगतान कब तक शुरू कर देने का विचार है ?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) इस संबंध में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां । कोयला कंपनियां सम्बद्ध कोयला क्षेत्रों से कोयले/कोक के प्रेषण पर कोयला खान क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जी० एम० ए० डी० ए०) को कोयले पर 3.50 रु० प्रति टन और हार्ड कोक तथा साफ्ट कोक पर 4.00 रु० प्रति टन की दर से उपकर की अदायगी करती रही हैं ।

(ग) और (घ) कोयला कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कोयले पर उपकर को लगाए जाने के संबंध में न्यायालयों द्वारा इस आशय का निर्णय किए जाने से कि राज्य सरकारें उपकर लगाए जाने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं, उपकर की अदायगी बंद कर दी गई है। कोयला कंपनियां, सी० एम० ए० डी० ए० द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले जल के लिए अलग से अदायगी कर रही हैं । चूंकि सी० एम० ए० डी० ए० की स्थापना बिहार सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत की गई है, अत: इसके चलते रहने के संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा ही लिया जाना है । जहां तक सी० एम० ए० डी० ए० द्वारा उपकर की बकाया राशि का दावा किए जाने का संबंध है, इस मामले का निपटारा सी० एम० ए० डी० ए० तथा कोयला कंपनियों के बीच किया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण 1985 में बना था उसके पहले माइन्स बोर्ड को टनेज शेष दिया जाता था । 1990-91 में कोयला मैनेजमेंट और बिहार सरकार के बीच सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चला । उसमें टनेज शेष बिहार सरकार को लेने का अधिकार नहीं रहा । लेकिन जो शेष प्राधिकार को मिलता था वह खरीददारों से मिलता था, ग्राहकों से मिलता था । हम पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कम्पनियां हैं, ग्राहक हैं, क्या वे गए थे ? दूसरी बात, जो चुनौती दी गयी थी उस चुनौती में खरीददार को पार्टी बनाया गया था या उस सूची में वे थे । उनका शेष बन्द कर दिया गया । जिसकी वजह से तीन हजार मजदूर बोकारो और धनबाद में बेकार हो जाएंगे । वे भुखमरी के शिकार हैं । इसलिए हम जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कम्पनियां या खरीददार या ग्राहक गए थे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, प्रश्न रिपीट करने की जरूरत नहीं है ।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि वास्तव

में कोयला कंपनी कोयला खरीदारों से पैसा वापस लेती थी। पहले झरिया बोर्ड पानी की आपूर्ति के काम को देखता था। सी० एम० ए० डी० केवल पानी की आपूर्ति का ही कार्य कर रहा है। उन्होंने 1 जनवरी, 1991 से पानी की दरें 6 रुपये प्रति 1,000 गैलन से बढ़ाकर 16 रुपये प्रति 1,000 गैलन कर दी, जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधक न्यायालय में चले गए और न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया कि इस प्राधिकरण को उपकर लगाने का कोई अधिकार नहीं है जिसके परिणामस्वरूप कोयला कंपनी ने कोयला खरीदारों से उपकर लेना बंद कर दिया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य काफी सक्षम हैं। उन्हें प्रश्न पूछने दें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानंद मंडल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। मैंने कहा था कि कोयला मैनेजमेंट सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार के खिलाफ गया और बिहार सरकार को जो शेष मिलता था वह समाप्त किया गया। ग्राहक खरीददार क्या सुप्रीम कोर्ट में गए, मेरा यह प्रश्न था, इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया।... (व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : आप मंत्री महोदय की भर्त्सना करें।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे ऐसा करने के लिए अवश्य कहें!

श्री सी० के० जाफर शरीफ : पटना उच्च न्यायालय, रांची खंड पीठ के 6-11-90 के निर्णय, जिसके द्वारा कोयले पर उपकर के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था, टनेज पर वसूली और कर एकत्र करना बंद कर दिया गया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप फिर मंत्री महोदय को बोलने नहीं दे रहे हैं। कृपया आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए। वह अपनी बात कहने में सक्षम हैं। श्री बसुदेव आचार्य उनकी सहायता क्यों करें?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के लिए "हुडको" की योजनाएं

*597. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) ने महाराष्ट्र के लिए कुछ योजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने फ्लैटों/आवास स्थलों का निर्माण/विकास किया गया, कितने आबंटित किये गये और कितनों का आबंटन किये जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि तथा 1990-91 और 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र के ऋण लेने वाले विभिन्न अभिकरणों की परियोजनाओं के विषय में हुडको की स्वीकृतियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	7वीं योजना (1985-90)	1990-91 और 1991-92
स्कीमों की कुल संख्या	322	107
परियोजना लागत	285.26 करोड़ रुपये	176.61 करोड़ रुपये
स्वीकृत किए गए ऋण	160.58 करोड़ रुपये	185.89 करोड़ रुपये
रिहायशी एककों की संख्या (उन्नत एककों सहित)	1,24,697	74,774
विकसित किए गए भूखंडों की संख्या	10,851	190

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए ऋण लेने वाले सभी अभिकरणों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1991-92 के लिए महाराष्ट्र तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के संबंध में उनके द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :

निर्मित किए गए	आबंटित
3911 मकान	5433 मकान
2290 भूखंड	2742 भूखंड

नेहरू रोजगार योजना

***601. श्रीमती बासव राजेश्वरी :**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1991-92 के अन्त तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इसके फलस्वरूप लाभान्वित हुए व्यक्तियों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम के प्रभाव की संवीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किसी प्रणाली का विकास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत 1992-93 के दौरान, राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी राशि आबंटित करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार नेहरू रोजगार योजना के अधीन किया गया संचयी व्यय विवरण-I में दिया गया है ।

(ख) शहरी लघु उद्यम योजना और आवास तथा आश्रय उन्नयन योजना के अन्तर्गत सहायता तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभानुग्राहियों की संख्या व शहरी मजदूरी रोजगार योजना के अन्तर्गत सर्जित कार्य के श्रम दिवस की संख्या विवरण-II में दी गई है ।

(ग) और (घ) योजना के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य निष्पादन का आवधिक रूप से मूल्यांकन एक विस्तृत प्रबोधन प्रपत्र के माध्यम से किया जाता है । यह प्रपत्र निम्नलिखित सम्बन्ध में कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है :

शहरी लघु उद्यम योजना

(I) आर्थिक सहायता तथा बैंकों से ऋण की व्यवस्था द्वारा लघु उद्यमों की स्थापना में सहायता प्राप्त लाभानुभोगी ।

(II) प्रशिक्षित/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभानुभोगी ।

शहरी मजदूरी रोजगार योजना

(III) कार्य से सृजित श्रम दिवस

आवास यथा आश्रय उन्नयन योजना

(IV) आर्थिक सहायता तथा हुडको से ऋणों के प्रावधान के माध्यम से आश्रय उन्नयन हेतु सहायता प्राप्त लाभानुभोगी ।

(V) प्रशिक्षित/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभानुभोगी ।

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दिये जाने के लिए प्रस्तावित नियमों से सम्बन्धित सूचना विवरण-III में दी गई है ।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नेहरू रोजगार योजना के अधीन व्यय की गई धनराशि रुपये (लाख में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1430.33
2.	बिहार	964.86
3.	गुजरात	694.17
4.	हरियाणा	336.47
5.	कर्नाटक	1290.73
6.	केरल	754.16
7.	मध्य प्रदेश	1420.91
8.	महाराष्ट्र	1520.64
9.	उड़ीसा	597.61
10.	पंजाब	458.00
11.	राजस्थान	940.68
12.	तमिलनाडु	1956.04
13.	उत्तर प्रदेश	3309.23
14.	पश्चिम बंगाल	858.67
15.	गोवा	24.70
16.	अरुणाचल प्रदेश	—
17.	असम	344.96
18.	हिमाचल प्रदेश	141.98
19.	जम्मू तथा कश्मीर	31.33

1	2	3
20.	मणिपुर	71.11
21.	मेघालय	0.93
22.	मिजोरम	31.36
23.	नागालैंड	—
24.	सिक्किम	49.94
25.	त्रिपुरा	76.03
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	6.53
27.	चण्डीगढ़	15.77
28.	दादर तथा नगर हवेली	2.89
29.	दमन तथा दीव	4.90
30.	लक्षद्वीप	11.53
31.	पांडिचेरी	17.58
32.	दिल्ली	4.45
	योग :	17367.20

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार।

विवरण-II

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभानुभोगियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लघु उद्यम योजना और आवास तथा आश्रय उन्नयन योजना के अधीन सहायता प्राप्त/सहायता दिये जा रहे लाभानुभोगियों की संख्या	शहरी मजदूरी रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या	शहरी मजदूरी रोजगार योजना के अन्तर्गत सर्जित कार्य के श्रम दिवसों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	36,758	3,904	9.30

1	2	3	4	5
2.	बिहार	2,000	1,287	6.77
3.	गुजरात	4,819	8,952	6.95
4.	हरियाणा	5,006	1,303	1.90
5.	कर्नाटक	13,915	3,322	11.40
6.	केरल	12,810	4,864	7.00
7.	मध्य प्रदेश	19,870	4,048	9.70
8.	महाराष्ट्र	22,379	15,075	23.91
9.	उड़ीसा	8,100	1,441	6.40
10.	पंजाब	6,875	754	2.05
11.	राजस्थान	2,615	5,600	8.51
12.	तमिलनाडु	40,217	13,196	22.10
13.	उत्तर प्रदेश	24,486	6,330	28.59
14.	पश्चिम बंगाल	6,975	6,905	45.54
15.	गोवा	—	—	0.46
16.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
17.	असम	1,620	1,240	2.46
18.	हिमाचल प्रदेश	493	91	2.32
19.	जम्मू और कश्मीर	259	278	0.32
20.	मणिपुर	—	1,125	1.34
21.	मेघालय	49	—	0.01
22.	मिजोरम	—	54	—
23.	नागालैण्ड	—	—	—
24.	सिक्किम	368	80	—
25.	त्रिपुरा	537	537	0.90
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	—	—	0.10

1	2	3	4	5
27.	चंडीगढ़	—	—	—
28.	दादर और नगर हवेली	21	—	—
29.	दमन और द्वीव	—	—	0 98
30.	लक्षद्वीप	—	—	0.05
31.	पांडिचेरी	430	125	0.14
32.	दिल्ली	—	—	—
	योग :	2,1',302	80,511	199.11

विवरण-III

नेहरू रोजगार योजना (1992-93) के लिए निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रस्तावित नियतन

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93 के दौरान नियतन की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि (रुपये लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	630
2.	बिहार	560
3.	गुजरात	280
4.	हरियाणा	115
5.	कर्नाटक	490
6.	केरल	250
7.	मध्य प्रदेश	570
8.	महाराष्ट्र	569
9.	उड़ीसा	160

1	2	3
10.	पंजाब	168
11.	राजस्थान	340
12.	तमिलनाडु	660
13.	उत्तर प्रदेश	1420
14.	पश्चिम बंगाल	509
15.	गोवा	20
16.	अरुणाचल प्रदेश	20
17.	असम	87
18.	हिमाचल प्रदेश	30
19.	जम्मू तथा कश्मीर	34
20.	मणिपुर	20
21.	मेघालय	20
22.	मिजोरम	15
23.	नागालैण्ड	20
24.	सिक्किम	16
25.	त्रिपुरा	14
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	07
27.	चंडीगढ़	10
28.	दादर तथा नगर हवेली	06
29.	दमन एवं दीव	10
30.	पांडिचेरी	10
31.	दिल्ली	20
	योग :	7080

आवास योजनाओं के लिए विदेशी सहायता

*602. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आवास योजनाओं हेतु कुछ देशों से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने आवास तथा नगर निगम के लिए निम्नलिखित सहायता प्राप्त की है :

1. के० एफ० डब्ल्यू० (जर्मनी)/हुडको-I डी० एम० 20 मिलियन

2. के० एफ० डब्ल्यू० (जर्मनी)/हुडको-II डी० एम० 30 मिलियन

इन दोनों ऋणों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य अभिकरणों द्वारा प्रतिपादित की गई कम लागत की विभिन्न आवास योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया गया है। निम्न आय आवास योजनाओं के लिए के० एफ० डब्ल्यू० (जर्मनी) से डी० एम० 25 मिलियन की तृतीय ऋण राशि प्रक्रियाधीन है।

सरकार ने आवास विकास वित्त निगम के लिए के० एफ० डब्ल्यू० (जर्मनी) से डी० एम० 25 मिलियन का ऋण भी प्राप्त किया है ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास की वित्त व्यवस्था करने में निगम को सहायता मिल सके।

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

*603. **डा० सी० सिलवेरा** :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों को फ्लैटों का आवंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों की ओर से इस आशय की कोई मांग की गई है कि उन्हें उस सरकारी आवास का स्वामित्व दिया जाए जिसमें वे रहते रहे हैं और जिसकी लागत से अधिक वे किराये के रूप में दे चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) 1991 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन सरकारी कर्मचारियों, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या 31 दिसम्बर, 1993 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले और न्यू पैटर्न स्कीम 1979, पांचवीं, छठी और छठी-क स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, से आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे।

निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत 1165 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :—

1.	स्ववित्त पोषित योजना	407
2.	मध्यम आय वर्ग	587
3.	निम्न आय वर्ग	169
4.	जनता	2

पात्र पाए गए व्यक्तियों को प्राथमिकता आधार पर फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।

(ग) जी, हां।

(ग) सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

परमाणु विद्युत संयंत्र

***604. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**
श्री आर्थर फर्नान्डीज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर;

(ग) प्रत्येक संयंत्र पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(घ) इन संयंत्रों की क्षमता कितनी-कितनी होगी तथा उनका निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाना है;

(ङ) क्या इनमें से किसी संयंत्र से गोआ को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों के अलावा, ककरापार (गुजरात), कैगा (कर्नाटक) मे तथा रावतभाटा (राजस्थान) के समीप परमाणु विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव मे तारापुर (महाराष्ट्र) में, रावतभाटा (राजस्थान) के समीप, कैगा (कर्नाटक) तथा कुडनकुलम (तमिलनाडु) में और यूनिटों का निर्माण शुरू करने की परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित परमाणु विद्युत परियोजनाओं पर आने वाला अनुमानित व्यय परियोजना के तैयार होने की अवधि, धन के स्रोतों, ब्याज की दरों, रुपये के मूल्य और देश में

सामान्य मुद्रास्फीति पर निर्भर करेगा । वर्तमान में बिजली की स्थापित क्षमता की प्रति किलोवाट अनुमानित लागत 25,000 रुपये से 35,000 रुपये तक है ।

(घ) निर्माणाधीन परियोजनाओं की क्षमता तथा उनके पूरा होने की संभाव्य तारीख नीचे दिए अनुसार हैं :

	क्षमता मेगावाट	क्रांतिकता प्राप्त करने का पूर्वानुमानित कार्यक्रम (वर्ष)
ककरापार (1 और 2)	2 × 220	1992 पहला यूनिट
		1993 दूसरा यूनिट
कैगा (1 और 2)	2 × 220	1996
राजस्थान (3 और 4)	2 × 220	1996 तीसरा यूनिट
		1997 चौथा यूनिट

निम्नलिखित परियोजनाएं आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तथा आवश्यक अनुमोदन मिलने के बाद शुरू की जानी हैं। उनके पूरा होने की संभाव्य तारीखें प्रत्येक के सामने दी गई हैं । स्थल का चयन करने तथा आधारभूत सुविधाओं संबंधी प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं ।

तारापुर (3 और 4)	2 × 500	2000
कैगा (3 से 6)	4 × 220	1999 से 2001 तक
राजस्थान (5 और 6)	2 × 500	2001 से 2002 तक
कुडनकुलम (1 और 2)	2 × 1000	1998 से 1999 तक

(ङ) और (च) गोआ के पश्चिमी विद्युत क्षेत्र का लाभभोगी राज्य होने की वजह से, यह आशा की जाती है कि उसे ककरापार—1 और 2 तथा तारापुर—3 और 4, जब ये यूनिट काम करना शुरू कर देंगे, से अपने हिस्से की बिजली मिलेगी । ऊपर (घ) में उल्लिखित बिजलीघरों से पैदा होने वाली बिजली के आबंटन के संबंध में ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है ।

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा निर्यात

*605. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा अपने उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों का और किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई

(मात्रा मीटरी टनों में)
(मूल्य लाख रुपयों में)

1991-92 के निर्यात संबंधी आंकड़े उत्पाद-वार दिए गए हैं :

क्रम संख्या	उत्पाद	1991-92*	
		मात्रा	मूल्य
(क) खनिज :			
1.	इल्मेनाइट	119117	2024.56
2.	रूटाइल	0	0.00
3.	जर्कन	1555	65.83
4.	सिलिमेनाइट	1825	99.73
5.	गार्नेट	1630	25.49
6.	सिंथेटिक रूटाइल	4214	399.17
	उप-योग (क)		2614.78
(ख) विरल मृदाएं :			
1.	विरल मृदा क्लोराइड	4511.483	754.38
2.	विरल मृदा फ्लुओराइड	119.000	102.83
3.	सेरियम सांद्र	0.000	0.00
4.	सीरियम हाइड्रेट	2.200	1.46
5.	डाइडिमियम यौगिक	0.000	0.00
6.	मिश्रित भारी विरल मृदा यौगिक	0.000	0.00
7.	ट्राइसोडियम फास्फेट	0.000	0.00
	उप-योग (ख)		858.67
	कुल योग (क+ख)		3473.45

*अनंतिम आंकड़े

देश-वार निर्यात मूल्य (लाख रुपए)

क्रम संख्या	देश का नाम	1991-92*
1.	आस्ट्रेलिया	0.00
2.	आस्ट्रिया	1.46
3.	ब्राजील	0.00
4.	चीन	5.44
5.	यूरोप और ब्रिटेन	927.65
6.	हांगकांग	0.00
7.	इटली	0.00
8.	जापान	1996.19
9.	मलेशिया	0.00
10.	नेपाल	0.00
11.	दक्षिण कोरिया	0.00
12.	ताईवान	23.32
13.	रूस	0.00
14.	अमरीका और कनाडा	519.39
		3473.45

*अनन्तिम आंकड़े

[हिन्दी]

कोयले पर नियंत्रण समाप्त करना

*606. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयले पर लगे नियंत्रण को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) वह नियंत्रण संभवतः कब तक हटा लिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रो० ए० समा) : (क) से (ग) कोलियरी नियंत्रण

आदेश के विद्यमान उपबंधों के अंतर्गत सभी तरह के कोयले का वितरण, ऐसे कोयले को छोड़कर जोकि धातुकर्मी प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सांविधिक नियंत्रण से बाहर हैं। किन्तु कोयले की पिटहैड कीमतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कोयले के संवितरण पर प्रशासनिक नियंत्रण कोयला कंपनियों द्वारा संबद्ध प्रायोजन प्राधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार कोयले की उपभोक्तावार आवंटन किए जाने की एक पद्धति के रूप में विद्यमान है। कुछ मात्रा में कोयले को कोयला कंपनियों द्वारा सड़क परिवहन के माध्यम से बिना किसी प्रयोजन के "उदारीकृत बिक्री योजना" के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है। कोयले का रेल के वैगनों द्वारा संचलन किए जाने के आवंटन के मामले में प्राथमिकता वाले विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच परस्पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं जैसे विद्युत, इस्पात आदि क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

एक सुझाव दिया गया है कि प्रायोजित उपभोक्ताओं द्वारा कोयले का स्थानांतरण, जिन्होंने कोयला प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किया है, उस पर रोक लगा दी जाए। यह सुझाव समीक्षाधीन है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

*608. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों द्वारा उक्त शीर्ष के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र के विकास के लिए किए गए आवंटनों का ब्योरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में नियत की गई धनराशि में से केन्द्रीय सरकार, राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने संबंधित राज्यों से इस आशय का आश्वासन लिया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए आवंटित धनराशि को पूर्ण रूप से खर्च दिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) शहरी विकास मंत्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए 35 करोड़ रुपये का नियतन किया था। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सहभागी राज्यों को अपने-अपने राज्यों में विकासात्मक कार्य आरम्भ करने के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि नियतित की थी।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के निमित्त बोर्ड के लिए नियतनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है और इस प्रकार अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

राज्य का नाम	केन्द्रीय अंश (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा ऋण)	राज्य अंश	राज्य सरकारों द्वारा कुल व्यय
हरियाणा	1020.50	2060.39	3080.89
राजस्थान	483.70	93.38	577.88
उत्तर प्रदेश	1850.00	3365.23	5215.23
	3354.20	5519.00	8873.20

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल और सफाई की व्यवस्था

*609. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरे देशों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों मे पेय जल और सफाई की बेहतर व्यवस्था प्रदान करने की योजनायें बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस दिशा मे क्या उपलब्धियां हुई हैं;

(ग) क्या इस संबंध में उत्तर प्रदेल के लिए नीदरलैंड सरकार के साथ मिलकर कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वच्छता और पेय जल मुहैया कराने की योजनाए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन/केन्द्रीय प्रयोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य

प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 31 परियोजनाएं ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड (हालैंड) की सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) विदेशों की सहायता से कार्यान्वित की जा रही स्वच्छता सुविधाएं और/अथवा स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने की परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्रमांक	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना में सहायता देने वाले बाहरी देश का नाम	सहायता की राशि (करोड़ रुपये में)	किया खर्च गया (करोड़ रुपये में)	पूरा होने की संभावित तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश (कुर्नूल, प्रकाशम, मेडक और महबूब नगर)	4	नीदरलैंड	29.53	23.63	3 परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुर्नूल जिले में परियोजना मार्च, 1993 तक पूरी की जानी है।	
2.	गुजरात	3	नीदरलैंड	42.54	34.44	परियोजनाएं दिसम्बर, 1992 तक पूरी की जानी हैं।	195 गांव और 3 कस्बे लाभान्वित होंगे। 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
3.	कर्नाटक (1) बीजापुर, चित्र-दुर्ग, कोलार,	2	डेनमार्क	21.95	8.36	एक पूरी हो गई, मार्च, 1994	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(2) बीजापुर, गुलबर्गा, कोलार और चित्र-दुर्ग						
	बीजापुर और धारवाड़ जिले	1	नीदरलैंड	40.00	—	मार्च, 1994	तैयारी के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं।
4.	केरल उत्तरी केरल, त्रिसूर और एलेप्पी प्रत्येक में दो,	3	डेनमार्क	38.74	20.43	अगस्त, 1993	2825 शौचालयों का निर्माण किया गया है। योजना का लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
	और त्रिवेन्द्रम पठानमिता, क्विलोन, पलक्कड़, प्रत्येक में एक	8	नीदरलैंड	50.41	41.85	मार्च, 1992 जून, 1994	5675 शौचालयों का निर्माण किया गया है। 16 गांवों की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 36 गांवों, 5 वार्डों और 3 कस्बों में काम प्रगति पर है।

5.	मध्य प्रदेश (हैंड पम्प नवीकरण परियोजना-12 जिलों में)	1	डेनमार्क	4.56	4.05	पूरी हो रही है।	11800 हैंडपम्प लगाए गए, 120 लोह दूर करने के संयंत्र लगाए गए।
	(37 जिलों में)	1	जर्मनी	44.95	11.20		
6.	उड़ीसा (कटक, बालासोर और पुरी जिले)	1	डेनमार्क	36.10	19.85		1640 ट्यूबवैल लगाए गए। 1662 हैंडपम्प लगाए गए।
7.	तमिलनाडु सलेम और दक्षिणी	2	डेनमार्क	7.48	7.48	एक परियोजना पूरी हो गई।	
	आरकोट में एक और सलेम जिले में एक			7.50	—	मार्च, 1994	परियोजना सलाहकार ग्रुप का गठन हो गया है। प्रथम चरण का काम चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, वाराणसी, रायबरेली, लखीमपुर, खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलिया)	4	नीदरलैंड	47.08	42.52	जून, 1992 मार्च, 1993	अभी तक 2683 गांव लाभान्वित हुए हैं।
९.	महाराष्ट्र (धुले, जलगांव और नासिक जिले)	1	इंग्लैंड	49.80	9.19 (1-4-90 से 31-12-91 तक)	मार्च, 1995	210 गांवों और एक कस्बे को लाभ होगा।

(ग) एक परियोजना—उत्तर प्रदेश-1 जिसमें डच सहायता से 3 जिलों में 706 गांवों के लिए पाइप द्वारा जल सप्लाई की 22 योजनाएं 1986 में पूरी हो गई थीं। डच सहायता से 4 और परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें से दो के पूरा होने की तारीख मार्च, 1992 तथा शेष दो की अप्रैल, 1992 तथा जून, 1992 है।

(घ) उत्तर प्रदेश में चल रही चार परियोजनाओं में गांवों आदि की संख्या जिन्हें कवर किये जाने की संभावना है, निम्नोक्त प्रकार है :—

क्रमांक	परियोजना का नाम	जिलों की संख्या	गांवों की संख्या	योजना का स्वरूप
1.	उप-परियोजना-3 (इलाहाबाद, आगरा, मथुरा इटावा, फर्रुखाबाद और मैनपुरी)	6	960	5830 हैंडपम्प
2.	उप-परियोजना-4 (इलाहाबाद और वाराणसी)	2	237	पाइप द्वारा जल सप्लाई की 13 योजनाएं।
3.	उप-परियोजना-5 (वाराणसी और रायबरेली)	2	46	पाइप द्वारा जल सप्लाई की 2 योजनाएं। 3551 पारिवारिक और स्कूलों के 44 शौचालय।
4.	उप-परियोजना-6 (लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलिया, सिद्धार्थनगर)	6	1638	13599 हैंडपम्प

इलेक्ट्रोनिक सामान की गुणवत्ता

*610. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में निर्मित इलेक्ट्रानिक सामान की गुणवत्ता बढ़ाने का है, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह प्रतियोगी बन सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण (एस० सी० क्यू० सी०) कार्यक्रम नामक गुणवत्ता संबंधी एक मूल संरचनात्मक सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। स्वदेशी इलेक्ट्रानिक उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में उद्योगों की सहायता करना और उसके फलस्वरूप घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में उनकी स्वीकार्यता में वृद्धि करना एस० टी० क्यू० सी० के मुख्य उद्देश्य हैं।

एस० टी० क्यू० सी० के कार्यकलाप निम्नलिखित क्षेत्रों में किए जाते हैं:—

(I) इलेक्ट्रानिक उत्पादों का मानकीकरण तथा विद्यमान मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल बनाना।

(II) इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण योजनाओं को कार्यान्वित करना, जिसमे कार्य-निष्पादन, सुरक्षा तथा इलेक्ट्रो-चुम्बकीय व्यातकरण (ई० एम० आई०)/इलेक्ट्रो-चुम्बकीय संगतता (ई० एम० सी०) संबंधी पहलू शामिल हैं।

(III) देश भर में फैली प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से उत्पाद के सभी क्षेत्रों में विस्तृत परीक्षण तथा अंशांकन उपलब्ध कराना।

(IV) उत्पाद के विकास में सहायता प्रदान करना, अनुसंधान तथा विकास करना और गुणवत्ता प्रबंधक तथा साफ्टवेयर विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

(V) गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

(VI) सेमिनारों/संगोष्ठियों के माध्यम से उद्योगों तथा प्रयोगकर्ताओं में गुणवत्ता संबंधी जागरूकता पैदा करना।

कृषि क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उपयोग

*611. **कुमारी उमा भारती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विकिरण और रेडियो आइसोटोपों के रूप में कृषि अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए व्यापक स्तर पर किया जाता है।

(ख) कृषि के क्षेत्र में इसके मुख्य अनुप्रयोग निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं:—

(1) उपज बढ़ाने, जैव तथा अजैव प्रतिबलों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करने, फसलों की अवधि में परिवर्तनशीलता लाने, पोषणज गुणता बढ़ाने और अनुकूलन (दीप्ति-काल)

के लिए, बेहतर किस्म की फसलें विकसित करने के वास्ते फसली पौधों में आनुवंशिक परिवर्तनशीलता उत्पन्न करने के लिए;

(II) भिन्न-भिन्न किस्म की मिट्टी के उर्वरकों की प्रागुणता को बेहतर बनाने (नाइट्रोजन तथा फासफोरस) और फसलों के लिए सूक्ष्म पोषकों की उपलब्धता तथा मृदा प्रोफाइलों में गतिशीलता का पता लगाने के लिए;

(III) फसलों, मिट्टी में तथा पौध-उत्पादों में कीटनाशकों और भारी धातु प्रदूषकों के ऐसे अवशेषों को न रहने देने के लिए जो दुर्लोप किस्म के हों।

[हिन्दी]

कम मूल्य की कारें

*712. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी सहयोग के बिना चार सीटों वाली कम मूल्य की कारों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भारतीय कम्पनी ने ऐसी कारों के निर्माण का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) विदेशी सहयोग के बिना कम लागत की सवारी कारें बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

1. श्री पंकज दुबे, नयी दिल्ली—इलैक्ट्रिक मोटर कार बनाने के लिए।

2. मैसर्स एकता मैरीन, मद्रास—डीजल कारें बनाने के लिए। ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

6454. डा० असीम बाला : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आवासीय समितियों ने समितियों की निधि को गैर-कानूनी तरीके के व्यक्तियों/संस्थाओं को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों के क्या नाम हैं; और

(ग) समितियों की निधि को ऐसे गैर-कानूनी तरीके से देने को रोकने के लिए क्या कारंवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उन आवास समितियों, जिन्होंने पिछले छः महीनों के दौरान अनधिकृत रूप से अपनी निधियां व्यक्तियों/संस्थाओं को दे दी हैं, के नाम एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध निर्माण

6455. **श्री छेदी पासवान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने बड़े बिल्डरों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किया है;

(ग) अधिग्रहित की गई उक्त भूमि के कितने भाग पर अवैध कब्जा किया गया है; और

(ग) इस संबंध में कितने बिल्डरों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नीति विषयक मामले के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इसके विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों/स्थानीय विपणन केन्द्रों और अन्य विपणन केन्द्रों में विकसित वाणिज्यिक भूखंडों की बिक्री नीलामी द्वारा की जाती है। नीलामी क्रेता को भूखंड के प्रीमियम का भुगतान करने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत भवन नक्शे के अनुसार भवन का निर्माण करने की अनुमति दी जाती है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि पर बड़े बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से बहुमंजिली इमारत का निर्माण करने की कोई घटना दिल्ली विकास प्राधिकरण की जानकारी में नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण दिल्ली में फार्म हाउस

6456. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में अवैध तौर पर कई फार्म हाउसों का निर्माण हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली नगर निगम (एम०सी०डी०) ने सूचित किया है कि कृषि हरित पट्टी में अनधिकृत निर्माण हो रहा है।

(ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 334 तथा 344 के तहत दिल्ली नगर निगम कार्रवाई कर रहा है।

[अनुवाद]

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा लिए गए ठेके

6458. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सिन्दरी द्वारा लिए गए ठेकों का ग्राहक का नाम, ठेके की तिथि, ठेके का कार्य पूरा करने की तिथि, ठेके की मूल अनुमानित लागत और अंतिम लागत सहित संक्षिप्त ब्योरा क्या है;

(ख) इस समय कितने ठेकों पर कार्य चल रहा है; इनके ग्राहकों के नाम, ठेके की तिथि, पूरा होने की तिथि तथा इन पर आने वाली लागत का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में इस निगम के कार्यकरण की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी० डी० आई० एल०) द्वारा लिए गए प्रमुख ठेकों के संबंध में संक्षिप्त सूचना, ग्राहकों के नाम, ठेके की तिथि, ठेके के पूर्ण होने की तारीख, पी० डी० आई० एल० की फीस तथा कार्य निष्पादन में पी० डी० आई० एल० के अंतिम लागत अनुमान के साथ, संलग्न विवरण-I में दी गयी है ।

(ख) नकद ठेकों के संबंध में सूचना, ग्राहकों के नाम, ठेके की तिथि, अनुमानित लागत (अर्थात पी० डी० आई० एल० की फीस) के साथ संलग्न विवरण-II में दी गयी है ।

चल रहे ठेकों के संबंध में पूर्ण होने की अवधि सूचित करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह परामर्शदाताओं के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों पर निर्भर है ।

(ग) अभी हाल की समीक्षा के आधार पर ऐसा पाया गया है कि पी० डी० आई० एल० एक रुग्ण कम्पनी है और रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्वास बोर्ड को सुपुर्द करना चाहिए ।

विवरण-I

पूर्ण की गयी परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना एवं ग्राहक	ठेके की तारीख	ठेका पूर्ण हुआ	पीडीआईएल फीस (रु० लाखों में)	कार्य निष्पादन में पीडीआईएल का अंतिम लागत अनुमान (लगभग)
1	2	3	4	5	6
1.	2 × 1350 टीपीडी अमोनिया संयंत्र, आरसीएफ, थाल	15-2-81	जून, '85	952.40	485
2.	3 × 1500 टीपीडी यूरिया संयंत्र, आरसीएफ, थाल	13-2-81	जून, '85	485.36	314
3.	4 × 1100 टीपीडी यूरिया संयंत्र, कृभको, हजीरा	14-3-81	जून, '85	561.00	330
4.	600 टीपीडी अमोनिया, 1167 टीपीडी यूरिया संबद्ध आफ साइट के साथ, एचएफसी, नामरूप-III	मई, '79	मार्च, '88	1185.00	1050
5.	50 टीपीडी मेथानोल संयंत्र, एनएफएल, नांगल	23-1-82	मार्च, '85	617.00	550
6.	टी वी ग्लास ट्यूब परियोजना, भारत इलैक्ट्रानिक लि०, बंगलौर	फरवरी, '83	फरवरी, '89	82.00	152
7.	1350 टीपीडी अमोनिया संयंत्र, एनएफएल, विजयपुर	मई, '84	दिसम्बर, '87	726.48	464
8.	आफ साइट सुविधाएं, एनएफएल, विजयपुर	जून, '84	अगस्त, '87	130.00	115
9.	1350 टीपीडी अमोनिया संयंत्र, इफको, आंवला	दिसम्बर, '84	फरवरी, '88	747.18	450
10.	2200 टीपीडी यूरिया संयंत्र, इफको, आंवला	दिसम्बर, '84	फरवरी, '88	534.34	346

11.	1350 टीपीडी अमोनिया-2200 टीपीडी यूरिया सम्बद्ध आफ साइट सुविधाएं, इण्डो गल्फ फर्टि०, जगदीशपुर	मई, '85	नवम्बर, '88	1300.00	870
12.	अमोनिया संयंत्र पुनर्वास, आरसीएफ, ट्राम्बे	अक्तूबर, '87	नवम्बर, '90	221.00	205
13.	मेथानोल संयंत्र पुनर्वास, आरसीएफ, ट्राम्बे	अक्तूबर, '88	नवम्बर, '91	76.40	65
14.	हजीरा हैवी वाटर, परमाणु ऊर्जा विभाग	अगस्त, '86	नवम्बर, '91	280.00	210
15.	हाइड्रोजन संयंत्र, एसएफएल, नांगल	जुलाई, '86	जुलाई, '90	57.12	81
16.	एचबीजे पाइपलाइन, सोएल सैम्पलिंग एनालिसिस एण्ड रिसेस्टीविटी मेज़रमेंट जीएआईएल	अक्तूबर, '82	फरवरी, '84	95.00	65
17.	सरफेस कैपिसिटी फार इस्टीट्यूट कम्बायन, एनजीसी, बर्नोल	मई, '84	मार्च, '90	78.00	60
18.	ओक्सो सिंथेसिस गैस संयंत्र, आरसीएफ, थाल	मई, '88	नवम्बर, '90	49.24	42
19.	मिथाइल एमाइन संयंत्र, आरसीएफ, थाल	मई, '89	सितम्बर, '91	28.20	22
20.	सरफेस फेसीलिटी फार इंस्टीट्यूट कम्ब्यूशन, ओएनजीसी, लावा	अक्तूबर, '85	जून, '91	76.85	62
21.	डीईपी फार गैस कोलैक्टिंग स्टेशन, ओएनजीसी, त्रिपुरा	मई, '87	दिसम्बर, '89	35.00	28
22.	यूरिया हाइड्रोलाइजर, एनएफएल, नांगल	मई, '89	दिसम्बर, '91	536.00	482
23.	कम्प्रैस्ड एयर पिपिंग सिस्टम, जीटीआरआई, बंगलौर	मई, '89	दिसम्बर, '90	120.00	102

1	2	3	4	5	6
24.	सोयल सैम्पलिंग एनालिसिस एण्ड रिसैस्टीविटी मेइयरमेंट काण्डला-थटिण्डा पाइपलाइन, आईओसी, नई दिल्ली	फरवरी, '88	अगस्त, '87	36.00	21
25.	थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन सर्विस, एमईसीओएन, बंगलौर	जून, '80	जून, '81	18.00	12
26.	थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन सर्विस, फीडो, कोचीन	जून, '82	दिसम्बर, '84	30.00	18
27.	सप्लाई आफ आरगैनो फास्फोनेट बैस्ड कूलिंग वाटर कैमिकल्स, आईओसी, मथूरा	जनवरी, '90	जुलाई, '90	15.40	12
28.	सोयल सैम्पलिंग एनालिसिस एण्ड रिसैस्टीविटी मेइयरमेंट गन्धार-धुवारन, ओएनजीसी, बड़ोदा	अगस्त, '87	अक्तूबर, '87	08.50	06

विवरण-II

चलाए जा रहे ठेके

क्रमांक	परियोजना एवं ग्राहक	टेके की तारीख	मूल तथा अंतिम लागत	
			ठेका समाप्त हुआ	पीडीआईएल फीस (रु० लाख में)
1	2	3	4	5
1.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की गडेपन में 1350 टन प्रतिदिन अमोनिया, 2200 टन प्रतिदिन यूरिया संयंत्र	जनवरी, 1989	—	1502.0
2.	टाटा केमिकल्स लि० के लिए बबराला में 1350 टन प्रतिदिन अमोनिया, 2200 टन प्रतिदिन यूरिया संयंत्र	नवम्बर, 1988	—	1502.0
3.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि० के लिए काकीनाडा में 900 टन प्रतिदिन अमोनिया, 1500 टन प्रतिदिन यूरिया संयंत्र	मई, 1988	—	1400.0
4.	बिन्दल एग्रो केमि० लि० के लिए शाहजहांपुर में 1350 टन प्रतिदिन अमोनिया, 2200 टन प्रतिदिन यूरिया संयंत्र	—	—	2325.0
5.	एसएआईएल राउरकेला के नाइट्रिक एसिड एवं सीएएन संयंत्र का आधुनिकीकरण	मार्च, 1990	—	360.0
6.	बीबाईबीसीओएल के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन परियोजना	जुलाई, 1989	—	200.0

1	2	3	4	5
7.	रक्षा मंत्रालय के लिए एलटीपीई परियोजना	जुलाई, 1988	—	108.0
8.	आईओसी, बड़ोदा में एयू-4 का पुनर्वास	नवम्बर, 1991	—	70.5
9.	आईओसी गुजरात शोधनशाला के लिए अखनित जल की टर्न की आपूर्ति	नवम्बर, 1988	—	590.0
10.	एनटीपीसी औरैया के लिए डीमिनेरलाइज्ड जल संयंत्र की टर्नकी आपूर्ति	अक्तूबर, 1987	—	278.74
11.	एनटीपीसी अंटा के लिए डीमिनेरलाइज्ड जल की टर्नकी आपूर्ति	मार्च, 1988	—	255.55
12.	गैल के लिए एचबीजे पाइपलाइन अपग्रेडेशन हेतु मृदा धारण क्षमता एवं मृदा परीक्षण अध्ययन	जुलाई, 1991	—	45.0
13.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स विशाखापत्तनम के लिए फ्लोरीन रिकवरी सिस्टम हेतु डिजाइन अभियांत्रिकी सेवाएं	मई, 1990	—	25.55
14.	सीएसआईआर के लिए आंकड़े उपलब्ध कराना एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना	—	—	20.0
15.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० के लिए कावेरी बेसिन में फर्टिलाइजर कम्पलेक्स हेतु संभाव्यता रिपोर्ट	—	—	11.0
16.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमि० लि० के लिए लाइसेंसरों की आपूर्ति	दिसम्बर, 1991	—	18.42

1	2	3	4	5
17.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के लिए सीओ2 वेन्ट साइलेंसरों की आपूर्ति	दिसम्बर, 1991	—	9.66
18.	आरसीएफ ट्राम्बे 5 संयंत्र का सम्पूर्ण सर्वेक्षण	अप्रैल, 1991	—	10.0
19.	वेस्ट ट्रीटमेंट जल संयंत्र मेहसाना के लिए परामर्श सेवाएं	--	—	8.5

"ग्राफ्ट चार्जेज अगेन्स्ट इमिग्रेशन स्टाफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6459. **श्री राम नाईक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1992 के "टाइम्स ऑफ इंडिया", मुम्बई में "ग्राफ्ट चार्जेज अगेन्स्ट इमिग्रेशन स्टाफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है कि आवेदन पत्रों को स्वीकृत देते समय कदाचार न हो; और

(ग) वर्तमान प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां, यह समाचार उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय के कुछ ऐसे अधिकारियों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है जिन पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने के आरोप हैं ।

(ख) से (ग) उत्प्रवास जांच से संबंधित मामलों के तीव्र और शीघ्र निपटान के लिए प्रक्रिया तथा दिशा-निर्देश पहले से ही निर्धारित हैं । कर्मचारियों द्वारा किए गए कदाचार इत्यादि के मामले में उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है । उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । गैर-नियोजन उद्देश्य से विदेश जाने वाले उन व्यक्तियों के मामले में जो सस्पेंसन (निलंबन) चाहते हैं विदेशी मुद्रा की निकासी के प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा को 26-4-91 से वापस ले लिया गया है। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के देशों को जाने वाले व्यक्तियों के लिए उत्प्रवास जांच उपेक्षित नहीं है । कर्मकारों की निम्नलिखित श्रेणियां भी ई०सी०एन०आर० (उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं) के अंतर्गत रहेंगी ।

1. पर्यवेक्षक (सभी व्यवसाय)

2. कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

3. अर्ध-कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

4. हल्के/मध्यम/भारी वाहन चालक

5. आधुनिक, स्टोर कीपर, टाइम-कीपर, टाइपिस्ट इत्यादि सहित सभी वर्गों के लिपिकीय कर्मकार।

6. घरेलू रोजगार में कार्यरत रसोइयों को छोड़कर सभी रसोइये।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन का परिकलन

6461. **श्री के० चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान 10 महीने के औसत वेतन के बदले अन्तिम वेतन को आधार मानकर उन्हें पेंशन का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता।

सहायकों और अन्य पदों के वेतनमान संशोधित करना

6462. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 जुलाई, 1990 को सहायकों और अन्य पदों के वेतनमान संशोधित करने संबंधी आदेश जारी किया है;

(ख) क्या यह आदेश अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों पर लागू नहीं होता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" आशुलिपिकों के वेतनमानों को संशोधित करने वाला दिनांक 31-7-90 का आदेश, चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा यथा संस्तुत इन ग्रेडों के वेतनमानों में विसंगति को निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार दूर करने के लिए जारी किया गया था। चूंकि अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों के मामले में ऐसी कोई विसंगति विद्यमान नहीं है, अतः 31-7-90 का आदेश उन पर लागू नहीं होता है।

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा कैंसर शोध के लिए संस्थाओं का वित्त-पोषण करना

6463. **श्री भाग्ये गोबर्धन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंसर के शोध तथा उपचार से संबंधित उन संस्थाओं और अस्पतालों के नाम क्या हैं जिनको परमाणु ऊर्जा विभाग ने वित्त पोषित किया है;

(ख) क्या उपकरणों की खरीद के लिए इन संस्थाओं और अस्पतालों से प्राप्त कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित संस्थानों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है :—

(1) टाटा स्मारक केन्द्र, बम्बई और

(2) विकिरण चिकित्सा केन्द्र, बम्बई।

ये संस्थान कैंसर के रोगियों का उपचार करने के अतिरिक्त, रोगों के निदान और उपचार में रेडियोआइसोटोपों तथा विकिरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग आरम्भ करने के लिए अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों के रूप में भी काम करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग कैंसर में अनुसंधान करने से संबंधित विशिष्ट परियोजनाओं के साथ-साथ कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए धनराशि उपलब्ध कराता है। ऐसे संस्थान बहुत हैं। तथापि, इनमें से कुछ मुख्य संस्थान निम्नलिखित हैं :—

—डा० बी० बरुआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी।

—क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम।

—कैंसर अनुसंधान संस्थान, मद्रास।

—विकिरण चिकित्सा केन्द्र, ठकुरपुकुर, कलकत्ता।

(ख) तथा (ग) उपस्कर की खरीद के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए है। न्यूक्लियर विज्ञान अनुसंधान बोर्ड इन प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है और बोर्ड की सिफारिशों को तत्संबंधी वित्त वर्षों में धन की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है।

बकाया तकनीकी पदों को भरा जाना

6464. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1989 के विशेष भर्ती अभियान के दौरान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के बकाया पदों को भरने के लिए कितने राजपत्रित और अराजपत्रित रिक्त पद अधिसूचित किए गए;

(ख) इस अभियान में इन जातियों के कितने अभ्यर्थी चुने गए;

(ग) क्या राजपत्रित तकनीकी पदों पर चयन के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह बकाया पद भर लिए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क)

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
संघ लोक सेवा आयोग	186	148	339 (इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 5 रिक्तियां शामिल हैं जिनके न मिलने पर इन्हें अनुसूचित जनजाति द्वारा भरा जाएगा या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए उम्मीदवार न मिलने पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।)
कर्मचारी चयन आयोग	1187	1324	2511

(ख)

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
संघ लोक सेवा आयोग	130	56	186
कर्मचारी चयन आयोग	1175	1243	2418

(ग) और (घ) बकाया रिक्तियों (राजपत्रित तकनीकी पदों सहित) जिन्हें पहले नहीं भरा जा सका, को भरने के लिए 1990 तथा 1991 में विशेष भर्ती अभियान चलाए गए।

विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण

6465. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) वर्तमान में कोयले/लिग्नाइट का, लौह एवं इस्पात उद्योग द्वारा उपभोग किए जाने के खनन कार्य और ऐसे क्षेत्रों में लघु रूप में खनन किए जा रहे कार्य को, जोकि आर्थिक विकास की दृष्टि से उपयोगी नहीं

हैं तथा जिन क्रियाकलापों में रेल परिवहन अपेक्षित नहीं है और जो खनन कार्य ग्रहीत रूप में किए जा रहे हैं, को छोड़कर, खनन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है॥

यह सुझाव दिया गया है कि कोयला पर आधारित नए तापीय विद्युत गृहों को अपनी ग्रहीत कोयला खानें रखने की अनुमति दी जाए। सरकार को इस सुझाव पर अभी विचार करना है।

कम्प्यूटर वैज्ञानिकों और संस्कृत संस्थाओं के बीच समन्वय

6466. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्प्यूटर वैज्ञानिकों और विभिन्न संस्कृत संस्थाओं के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने का है;

(ख) क्या कुछ कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को समन्वय नेटवर्क के लिए संस्कृत संस्थाओं में प्रति-नियुक्ति पर भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी संस्थाओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नेटवर्क से कब तक जोड़ लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग अपने भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी० डी० आई० एल०) कार्यक्रम के अंतर्गत कम्प्यूटर तथा संस्कृत के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करता है। किन्तु, कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत संस्थानों में समन्वय-कार्य करने के लिए भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) नेटवर्क का सम्पर्क जरूरत के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है और इस समय इन संस्थानों को नेटवर्क का सम्पर्क उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नजफगढ़ क्षेत्र पर अनधिकृत कालोनियां

6467. श्री रामदेव राम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजफगढ़ रोड पर हस्साल गांव और नजफगढ़ नाला के बीच के क्षेत्र में, जिसे सरकार ने 1979 में "बाढ़ग्रस्त भूमि" घोषित कर दिया था, कई अनधिकृत कालोनियां बस गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कालोनियों को नियमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन कालोनियों को कब तक नियमित किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन

6468. **श्री बलराज पासी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जोन-वार भूमि के आवंटन की पात्र उन गृह निर्माण समितियों के नाम और पते क्या हैं जो सामूहिक आवास समितियां नहीं हैं;

(ख) क्या उनके सदस्यों की सूची के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन सूचियों की जांच कराने के लिए क्या कारंवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विद्यमान नीति के अनुसार, दिल्ली में गृह निर्माण समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब भूमि आवंटित नहीं की जा रही है। इसलिए, भूमि के आवंटन के लिए पात्रता का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग 'क' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आवास सम्बन्धी कार्यदल

6469. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवास संबंधी एक कार्यदल गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके विचारार्थ विषय क्या होंगे तथा इसके सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) इसके द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

साकेत के०डी० डी० ए० फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण

6470. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** 19 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 3253 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साकेत के मध्यम आय वर्ग के उन फ्लैटों का ब्योरा क्या है जिनमें अवैध निर्माण किया गया है;

(ख) आवंटन रद्द किए जाने के लिए किन-किन फ्लैटों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम के अनधिकृत निर्माण को हटा दिया है/गिरा दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) साकेत में एम० आई० जी० फ्लैटों के 38 मामलों में अतिक्रमणों/अनधिकृत निर्माण का पता लगाया गया है।

(ख) फ्लैट नम्बर ए-59, ए-66, ए-67, ए-75 और ए-83 के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल और चावल मिलों का आधुनिकीकरण

6471. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी प्रौद्योगिकी से देश के चावल और तेल की मिलों का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनका आधुनिकीकरण कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों में पूंजी निवेश

6472. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों में पूंजी निवेश की कोई सीमा तय की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में लघु उद्योग एककों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा लघु उद्योगों को दी गई सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० के० कुरियन) : (क) और (ख) लघु उद्योग की

परिभाषा संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश पर आधारित होती है न कि कुल पूंजी विवेश पर। लघु उद्योगों, सहायक एककों तथा निर्यातोन्मुख एककों के लिए संयत्र एवं मशीनरी में निवेश की वर्तमान सीमाएं क्रमश: 60 लाख रुपये, 75 लाख रुपये तथा 75 लाख रुपये हैं।

(ग) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उद्योग निदेशालय में पंजीकृत सीडो एककों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं और प्रोत्साहनों में निम्नलिखित शामिल हैं, संस्थागत वित्त का प्रावधान, उत्पाद शुल्क संबंधी लाभ, केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन हेतु मदों के आरक्षण के जरिये विपणन सहायता, लघु उद्योग एककों से खरीद के लिए मदों का आरक्षण, एन० एस० आई० सी० द्वारा किराया-खरीद आधार पर मशीनरी की आपूर्ति, तकनीकी/प्रबंधकीय/आर्थिक परामर्शदायी सेवाओं हेतु प्रावधान तथा परीक्षण एवं सामान्य सुविधा सेवाएं।

विवरण

31-12-90 की स्थिति के अनुसार (नवीनतम अवधि जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत सीडो एककों की संचयी संख्या का विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1	2	
1.	आंध्र प्रदेश	85470
2.	असम	12429
3.	बिहार	71408
4.	गुजरात	78441
5.	हरियाणा	69365
6.	हिमाचल प्रदेश	11'07
7.	जम्मू तथा कश्मीर	19877
8.	कर्नाटक	74182
9.	केरल	57738
10.	मध्य प्रदेश	167676 (अ)
11.	महाराष्ट्र	56807

1	2	
12.	मणिपुर	4152
13.	मेघालय	1233
14.	नागालैण्ड	581
15.	उड़ीसा	17619 (अ)
16.	पंजाब	115003
17.	राजस्थान	59931
18.	तमिलनाडु	107503
19.	त्रिपुरा	4411
20.	उत्तर प्रदेश	185566
21.	सिक्किम	185
22.	पश्चिम बंगाल	137526
23.	अरुणाचल प्रदेश	474
24.	गोवा	4947
25.	मिजोरम	2245
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	653
27.	चंडीगढ़	2666
28.	दादर तथा नगर हवेली	284
29.	दिल्ली	25774
30.	लक्षद्वीप	शून्य
31.	पांडिचेरी	2893
32.	दमन एवं दीव	344
	योग :	1378480

(अ) अनुमानित

पहुंच मार्गों की मरम्मत

6473. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाहरी मुद्रिका मार्ग पर समितियों के नवनिर्मित फ्लैटों को जाने वाले पहुंच मार्गों के मरम्मत के कार्य पर 1992 के दौरान कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ख) इन पहुंच मार्गों का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है;

(ग) अब तक इन पहुंच मार्गों का मरम्मत कार्य न कराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन पहुंच मार्गों की मरम्मत के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान एकमुश्त धन-राशि मंजूर की गई थी किन्तु उक्त राशि को अन्यत्र खर्च किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी धनराशि खर्च की गई और इन मार्गों पर कितना मरम्मत का कार्य हुआ ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हल्के व्यावसायिक वाहनों का निर्माण

6474. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्के व्यावसायिक वाहनों के चार प्रमुख निर्माताओं ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण उनका निर्माण बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन शुल्कों का हल्के व्यावसायिक वाहनों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) उसके कारण कितने कर्मी बेकार हो गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) हल्के व्यावसायिक वाहनों के चार प्रमुख निर्माताओं ने उत्पादन बंद करने के बारे में सरकार को सूचित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विकास परियोजनाएं

6475. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के संबंध में वर्ष 1989 से 31 मार्च, 1992 तक भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से अब तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है; और

(घ) उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में पेश आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (घ) 1989-92 के दौरान उत्तर प्रदेश से कोई विशिष्ट परियोजनाएं प्राप्त नहीं हुई थीं। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य से दो योजना स्कीमों अर्थात् (1) ग्रामीण गोदामों की स्थापना और (2) ग्रामीण मण्डियों का विकास के अन्तर्गत प्राप्त कुछ प्रस्तावों को इस मंत्रालय के विपणन प्रभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। इन प्रस्तावों के संबंध में स्थिति निम्नोक्त प्रकार है :

योजना का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	टिप्पणी
1. ग्रामीण गोदामों की स्थापना	76	76	—
2. ग्रामीण मण्डियों का विकास	36	8	राज्य सरकार से प्राप्त 22 परियोजनाएं मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं और शेष 6 को हालांकि व्यवहार्य पाया गया था लेकिन उनका अनुमोदन नहीं किया जा सका, क्योंकि योजना को राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जा रहा था।

उपरोक्त दोनों योजनाओं को अब 1-4-1992 से राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

केरल में खादी और कुटीर उद्योगों के लिए योजनाएं

6476. **श्री पी० सी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए क्या नई योजनाएं हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए किस रूप में सहायता दी जा रही है और किन-किन योजनाओं के लिए ऐसी वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के अंतर्गत केरल को कितनी धनराशि दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकास हेतु प्रस्तावित नई योजनाएं इस प्रकार हैं :

1. मिनी चावल मिलें
2. "दलिया" बनाना
3. पशु चारा/मुर्गी चारा
4. जिला कच्चा माल बैंक (चमड़े हेतु)
5. नमीयुक्त नीले चमड़े की पुन: टैनिंग करना तथा उसे फिनिश करना (चमड़े हेतु)
6. दूध पर आधारित उत्पाद
7. "सीसल" तंतु उत्पादन एकक
8. "बान" बनाने के एकक
9. रेशे की वस्तुओं के एकक
10. कोरा घास की चटाइयां बुनने के एकक
11. कदली तंतु उत्पादन एकक
12. रस्सी बनाने के एकक
13. अनिवार्य तेल/इत्र उत्पादक एकक
14. पावर घानी सहित एक "4" बोल्ट एक्सपेलर यूनिटें
15. हवाई चप्पलें बनाने का एकक।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग के कार्यक्रम केरल में राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 33 पंजीकृत संस्थानों और 2117 सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग के विकासार्थ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इन संस्थानों एवं सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष रूप से तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता देता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने केरल में निम्नलिखित धनराशि का वितरण किया है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	अनुदान	ऋण
1988-89	206.99	436.72
1989-90	268.67	595.89
1990-91	175.44	750.41

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

6477. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) आई० ए० एम० संवर्ग में पदोन्नति हेतु राज्यवार कोटा कितना है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में आई० ए० एस० की संख्या आवश्यकता से अधिक है और यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) आई० ए० एस० अधिकारियों की नियुक्ति हेतु संवर्गवार निर्धारित दिशा-निर्देश क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय तथा राज्य उपक्रमों में आई० ए० एस० अधिकारियों को किन-किन पदों पर नियुक्त किया जाता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) दिनांक 31-3-1992 को देश-भर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या 5035 है। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार के अधीन कुल वरिष्ठ पदों के 33$\frac{1}{3}$% तथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के पदों को राज्य सरकार के पात्र अधिकारियों में से पदोन्नति/चयन द्वारा भरा जाता है।

(ग) जी, नहीं। महाराष्ट्र संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या 351 है जबकि इस संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 366 है।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतियोगी परीक्षा/राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति/कुछ अन्य राज्य सेवाओं से चयन द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निम्नानुसार उच्च स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं :

(i) वरिष्ठ समय वेतनमान (3200-4700 रुपए) 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर

(ii) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (3950-5000 रु०) 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर

(iii) चयन ग्रेड (4800-5700 रुपए) सेवा के 14वें वर्ष में आने पर

(iv) अधिसमय वेतनमान (5900-6700 रुपए) 16 वर्ष की सेवा पूरी करने पर

(v) उच्चतर ग्रेडों में (7300-7600 रुपए तथा 8000 रुपए) (नियत) पदों की उपलब्धता तथा चयन की शर्त के अध्यधीन।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सामान्यत: राज्य सरकारों के विभिन्न उपक्रमों में राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व वाले पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है, जब उपक्रमों को स्थायी संविलियन की आवश्यकता से छूट मिल जाती है।

विवरण

दिनांक 31-3-1992 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की राज्यवार कुल प्राधिकृत पद संख्या तथा साथ ही वास्तविक पद संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	कुल प्राधिकृत पद संख्या	वास्तविक पद संख्या
1.	असम-मेघालय	213	205
2.	आन्ध्र प्रदेश	331	322
3.	बिहार	408	379
4.	गुजरात	253	251
5.	हिमाचल प्रदेश	140	131
6.	हरियाणा	233	215
7.	जम्मू तथा कश्मीर	118	111
8:	केरल	195	172
9.	कर्नाटक	265	261
10.	महाराष्ट्र	366	351
11.	मध्य प्रदेश	398	387
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	171	137
13.	नागालैंड	54	51
14.	उड़ीसा	216	205
15.	पंजाब	204	198
16.	राजस्थान	266	249
17.	सिक्किम	59	43
18.	तमिलनाडु	340	316
19.	उत्तर प्रदेश	554	545
20.	केन्द्र शासित प्रदेश	245	212
21.	पश्चिम बंगाल	320	294
	कुल :	5349	5035

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास

6478. डा० लाल बहादुर रावल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य के तेजी से औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को क्या संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार सूचकांक का संकलन नहीं करता है। तथापि, समस्त देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार 1990-91 के दौरान समग्र विकास दर 8.5% थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 1991 तक उपलब्ध आंकड़े अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में —0.9% की वृद्धि दर्शाते हैं।

(ग) योजना आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 1990-91 के दौरान खनन क्षेत्र सहित बड़े तथा मंझौले उद्योगों में योजनागत व्यय 7433 लाख रु० था।

नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में सर्वेन्ट क्वार्टरों का निर्माण

6479. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में संसद सदस्यों को आबंटन करने के लिए वर्तमान पुराने सर्वेन्ट क्वार्टरों को गिराकर नए टाइप के सर्वेन्ट क्वार्टर बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में केन्द्रीय पूंजी निवेश

6480. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय पूंजी निवेश बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

यूरोप के देशों को मारुति कारों का निर्यात

6481. **श्री गोविन्दराव निकाम :**
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड को 800 सी० सी० कारों के निर्यात हेतु यूरोप में एक बड़ा बाजार हाथ लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरोप के देशों को प्रत्येक वर्ष 50,000 कारों का निर्यात करने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा कोई योजना तैयार की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान. मारुति उद्योग लिमिटेड ने यूरोप को 21,811 वाहन निर्यात किए।

(ख) से (घ) सुजुकी मोटर कारपोरेशन ने जापान से 800 सी० सी० कार का उत्पादन और निर्यात बन्द करने का निर्णय लिया है। इस 800 सी०सी०कार के स्थान पर एक नए मॉडल का विकास किया गया है और 1993 से सुजुकी के माध्यम से बिक्री के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड में इसका उत्पादन किया जाएगा। अनुमान है कि वर्ष 1995 तक इस कार की बिक्री 50,000 रुपये तक पहुंच जाएगी।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में कोयला खानें

6482. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी कोयला खानों में कार्य चल रहा है;

(ख) इन कोयला खानों में श्रेणी-वार कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(घ) 1985 से दिसम्बर, 1991 के दौरान कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया तथा तत्संबंधी पद-वार, श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में औषधीय पौधे

6483. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी स्थानों में मिलने वाले औषधीय पौधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों से इस समय विभिन्न दवाइयों/औषधों के लिए पौधों से प्राप्त सामग्री और इनसे बनने वाली दवाइयों और औषधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों में पाए जाने वाले 'अमलतास' वृक्ष से इस समय बनाई जा रही दवाई का नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे वृक्षों/पौधों के रोपण को प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाले और औषधियों का निर्माण करने में व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पौधे इस प्रकार हैं : एकोनाइटम हैटरोफाईलम (अतीस), बेरबेरिस स्पेयीज (दारूहल्दी), पिक्रोरहिज़ा कुरोओ (कुटकी), वैलेरीआना वैलीची (टैकार), एकोरस कैलामस, (बच), पिस्टासिआ इंटेगैरिमा (काकड़ासिंगी), रोसकोईआ प्रोकैरा (काकोली), एसपेरागस कुरूलस (शतावर), माईक्रोस्टाईलिस वैलीची (जीवक), करक्यूलिगो ओरचीओईडिस (काली मूसली), हैडाईचीयम् स्पिकैटम (कपूरकचरी), पोलीगोनेटम वरटीसिलेटम (मेदा/महा मेदा), रूबिया कारडीफोलिया (मंजीठ), वाईटैक्स नैगुनडो (निरगुण्डी), एबलीका ओफीसिनैलस (आँवला), आदि।

इन पौधों से निकाले गए निम्नलिखित आयुर्वेदिक फार्मूलों (सूत्रणों) का विपणन वैद्यनाथ द्वारा किया जा रहा है :

1. अग्नितुंडी वटी एकोनिटम हिटरेफाइलम (अतीस) से बनाई गई है।
2. रूबिया कार्डिफोलिया (मंजीठ) से तैयार किया गया अश्वगंधारिष्ठ।
3. अधातोडा वासिला से निकाला गया अदुसाक्षार।

कुछ और सूत्रण (फार्मूले) इस प्रकार हैं :

1. पिक्रोराईजा कुरोओ (कुटकी) से बनाई गई आरोग्यवर्धनी।
2. नारडोस्टसंचीस इंटेमानसी से निकाली गई जटामांसी।

(ग) उत्तर प्रदेश की निचली पहाड़ियों में पाए जाने वाले अमलतास के वृक्ष के फलों में

औषधियां—जैसे आरागवेधाड़ी लेह, अरागवेधाड़ी लेह, अरागवेधाडारिष्ट, अरागवेधयादी क्याथ बनाई जा रही हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) केन्द्रीय औषध और सगंध पौधा संस्थान (सीआईएमएपी), लखनऊ के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में औषधीय पौधों के अनुसंधान और सजनन में लगी हुई कुछ अन्य एजेंसियां हैं—गोविन्द वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर, उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग, फारमॉसियूटीकल लैबोरेटरी, रानीखेत, हरबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोपेश्वर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग्स रिसर्च ऑफ आयुर्वेद, रानीखेत।

मौसम की स्थिति के अध्ययन

6484. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 1992 के इकॉनामिक टाइम्ज में "चेंजिग वेदर पैटर्न्स इनटू द कोल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ज्वालामुखी फटने की घटनाएं बढ़ने और शीघ्र फटने के परिणामों का "ग्रीन-हाऊस इफक्ट" पर होने वाले प्रभाव के फलस्वरूप मौसम में आये परिवर्तन का विश्लेषण करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है अथवा किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ज्वालामुखी फटने के दौरान महीन राख और कणों के ऊपर फेंके जाने से मामूली-सी ठंड हो जाने की संभावना है जबकि ऐसे ज्वालामुखी के फटने से ग्रीनहाऊस गैसों का मामूली-सा गर्म प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर विश्व की जलवायु पर इनका नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

राजस्थान में पेट्रो रसायन उद्योग

6485. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पेट्रो-रसायन और सहायक उद्योग स्थापित करने हेतु 31 दिसम्बर, 1991 तक राजस्थान सरकार अथवा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस समय यह मामला किस स्थिति में है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) विभिन्न

पेट्रो रसायनों, जिनमें राजस्थान में स्थगित करने के प्रस्तावित परियोजना भी शामिल हैं, के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन समय-समय पर प्राप्त होते हैं। इनकी जांच की जाती है और तकनीकी-आर्थिक आधार पर वर्तमान नीतियों के अनुसार सतत प्रक्रिया के रूप में निर्णय लिए जाते हैं। फिर भी, पेट्रो रसायन सेक्टर में अधिकांश मदें जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति मे लाइसेंस मुक्त कर दी गई हैं और ऐसे मामलों में उद्यमी राजस्थान सहित अन्य राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पेटेंटों की स्वीकृति

6486. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेटेंट किस आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आविष्कार करने के बजाय पहले नियम फाइल करने का मानदंड अपनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में पेटेन्ट की मंजूरी हेतु "पहले अर्जी देने" के सिद्धान्त का पालन किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को डी० डी० ए० फ्लैट

6487. **श्री रोशन लाल** : क्या शहरी विकास मंत्री 12 अगस्त, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 393 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 31 दिसम्बर, 1993 को या इससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को "अम्बेडकर आवास योजना" के अन्तर्गत डी० डी० ए० फ्लैटों को प्राथमिकता आवंटन योजना में शामिल करने तथा अम्बेडकर आवास योजना 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने और आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि को आगे बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवेदन पत्रों को कब तक प्राप्त करने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) अम्बेडकर आवास योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन की प्रक्रिया दिल्ली विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है तथा इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा।

उड़ीसा में "मल्टी-डिसिप्लीनरी सेफ्टी आर्गेनाइजेशन"

6488. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के जोखिम वाले उद्योगों में बड़े औद्योगिक खतरों

को रोकने के लिए भुवनेश्वर में "मल्टी डिसीप्लीनरी सेफ्टी आर्गेनाइजेशन" की स्थापना करने संबंधी भेजा गया कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) श्रम मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम से छुटकारा

6490. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइट्स लिमिटेड, इलूर, फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, वेल्लूर, केरल के श्रमिक संगठनों ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम से छूट दिए जाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त मामले पर सरकार विचार कर रही है।

हरिनगर में अनधिकृत निर्माण

6491. **श्री केसरी लाल** : क्या शहरी विकास मंत्री हरिनगर, नई दिल्ली, पाकेट बी में दूसरी मंजिल के अनधिकृत निर्माण के बारे में 29 जुलाई, 1991 और 4 दिसम्बर, 1991 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 799 और 2237 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतारांकित प्रश्न संख्या 799 के भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 2237 के भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर में बताया गया है कि नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जा रही है, इस परस्पर विरोधी उत्तर के क्या कारण हैं;

(ख) क्या आबंटियों को दूसरी मंजिल के अनधिकृत निर्माण के लिए द्वितीय चरण के नोटिस वास्तव में जारी कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो अतारांकित प्रश्न संख्या 799 के संबंध में किन-किन लोगों को नोटिस दिए गए हैं और कब-कब;

(घ) अतारांकित प्रश्न संख्या 2237 के उत्तर के संबंध में किन-किन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और कब-कब; और

(ङ) इस संबंध में आगे और क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों/प्लाटों/दुकानों का बिना बारी के आबंटन

6492. श्री ललित उरांव :
श्री रामदेव राम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों/प्लाटों/दुकानो का बिना बारी का आबंटन करने हेतु क्या नीति व प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और चुने गए जन-प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों के लिए बिना बारी से आबंटन/प्राथमिकता का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान मकानों/प्लाटों व दुकानों का प्राथमिकता के आधार पर अथवा बिना बारी का आवंटन किया है;

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन व्यक्तियों को मकानों/प्लाटों व दुकानों का बिना बारी का आबंटन किया है; और

(ङ) किन स्थानों पर आबंटन किया गया, कब किया गया और किसकी सिफारिश पर किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकारी नीति तथा मार्ग-निर्देशों के अनुसार, उपराज्यपाल, दिल्ली/उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण अति अनुकम्पा और विपत्ति तथा विश्वासों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को और ऐसे अन्य विशेष मामलों में, जो कि उनकी राय में विशेष ध्यान दिए जाने के पात्र हैं, के मामलों में एक वर्ष के दौरान आबंटित फ्लैटों/भूखंडों की कुल संख्या का $2\frac{1}{2}$% बिना बारी आधार पर आबंटन करने में सक्षम हैं।

दुकानें बिना बारी आधार पर आबंटित नहीं की जाती हैं क्योंकि दुकानों के आबंटन हेतु कोई पंजीकरण स्कीम नहीं है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक संकल्प के तहत उपराज्यपाल, दिल्ली के पास निम्नलिखित को दुकानों के आबंटन के लिए वैवेकिक शक्तियां हैं :

(i) सेवाकाल में मारे गए भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं।

(ii) सेवाकाल में मारे गए सर्विस अधिकारियों की विधवाएं।

(iii) अनुकम्पा आधार पर व्यक्तिगतों को।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना बारी आधार पर आबंटित फ्लैटों की संख्या इस प्रकार है :

1989	—	341
1990	—	166
1991	—	115

उपराज्यपाल, दिल्ली/उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन फ्लैटों का आबंटन उपर्युक्त भाग "क" तथा "ख" के उत्तर में सन्दर्भित सरकारी नीति के तहत किया गया था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को किए गए आवंटनों सहित इनके ब्यौरों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संदर्भाधीन अवधि के दौरान बिना बारी के आधार पर कोई भूखण्ड आबंटित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली को साफ्ट कोक की सप्लाई

6493. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों से दिल्ली को साफ्ट कोक की सप्लाई नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लि० (को० इं० लि०) ने यह सूचित किया है कि 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान दिल्ली को क्रमश: 50.1 हजार टन तथा 40.8 हजार टन साफ्ट कोक की आपूर्ति की गई। उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल, '91 से जनवरी, '92 की अवधि में 21.49 हजार टन आपूर्ति की गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वाहनों (मोबाइल वेन्स) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

6494. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगम्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों को चलती-फिरती दुकानों हेतु वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र को दी गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान सिक्किम को और ऐसी सहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) जिन राज्य सरकारों को 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान मोबाइल वैन क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी, वे इस प्रकार हैं :

राज्य	1990-91	
	वैनों की संख्या	राशि (लाख रु० में)
बिहार	20	50.00
कर्नाटक	10	25.00
महाराष्ट्र	6	15.00
मेघालय	3	7.50
उड़ीसा	10	25.00
सिक्किम	2	4.50
तमिलनाडु	7	17.50

राज्य	1991-92	
	वैनों की संख्या	राशि (लाख रु० में)
कर्नाटक	10	25.00
महाराष्ट्र	12	30.00
उड़ीसा	16	40.00
राजस्थान	8	20.00
जम्मू व कश्मीर	13	32.50
पंजाब	4	10.00
केरल	9	22.50
हरियाणा	10	25.00

(ग) से (ङ) उचित दर की दुकानों के रूप में चलाने के लिए मोबाइल वैनों को क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता की योजना स्कीम सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खुली है। केन्द्रीय सरकार को सिक्किम सरकार से 1991-92 व 1992-93 के दौरान सहायता देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विटामिन "सी" की कमी होना

6495. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विटामिन "सी" की अनुपलब्धता के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या विटामिन "सी" के निर्माताओं द्वारा अधिक मूल्य वसूल किए जाने की भी शिकायतें हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में इस समय इसकी लाइसेंस क्षमता तथा विभिन्न इकाइयों द्वारा दिए जाने वाले उत्पादन की इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(च) देश की विटामिन "सी" संबंधी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (छ) किसी राज्य औषध नियंत्रक अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से विटामिन 'सी' की आम कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। फिर भी, प्रपुंज औषध विटामिन 'सी' की उपलब्धता में कुछ समस्याओं के बारे में कुछ कंपनियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रपुंज औषध की उपलब्धता की समस्याओं को हल करने के लिए विटामिन 'सी' प्रपुंज औषध उत्पादकों और प्रमुख सूत्रयोग निर्माताओं की एक बैठक बुलाई जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) जहां तक जानकारी उपलब्ध है, संगठित क्षेत्र के एककों के बारे में जानकारी नीचे दी जाती है।

क्रम सं०	कंपनी का नाम	लाइसेंसशुदा क्षमता (मी० ट० प्रति वर्ष)	उत्पादन (1991-92)
1.	पी० एस० आई० डी० सी०	500	उपलब्ध नहीं
2.	मेज प्रोडक्ट्स	250	उपलब्ध नहीं
3.	जयन्त विटामिन्स	770.5	371.73
4.	साराभाई केमिकल्स	240	321.23
		1760.5	692.96

(च) आठवीं योजना कार्यदल द्वारा मांग के अनुमानित पूर्वानुमानों के अनुसार मांग के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

मद	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
विटामिन सी	984 मी० टन	1033 मी० टन	1085 मी० टन	1139 मी० टन

असम की औद्योगिक परियोजनाएं

6496. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम की कौन-कौन-सी परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हैं; और

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) आज की तारीख तक, असम में उद्योग लगाने के लिए आशय पत्रों की मंजूरी के 9 प्रस्ताव निपटाये जाने बाकी हैं। परियोजनाओं के ब्यौरे तब तक प्रकट नहीं किये जाते तब तक कि इन्हें अंतिम रूप से निपटाया नहीं जाता।

(ख) औद्योगिक स्वीकृतियों की मंजूरी के लिए आवेदनों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाये जाते हैं कि आवेदन इस समय-सीमा के भीतर निपटा दिए जाएं।

जवाहर रोजगार योजना के लिए धनराशि

6497. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 और आगामी वित्तीय वर्ष

1992-93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत नियत धनराशि को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण, जवाहर रोजगार योजना के लिए वर्ष 1991-92 हेतु किए गए बजट आवंटन को 2100 करोड़ रुपये से संशोधित करके 1825 करोड़ रुपये कर दिया था। वर्ष 1992-93 के लिए, 2046 करोड़ रुपए के बजट अनुमान को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण श्रमिकों का शहरी क्षेत्रों में प्रवास

6498. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में बसने वाले ग्रामीण श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रवास रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) आठवीं योजना मे इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन-सी योजनाए लागू किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर स्टालों का आवंटन

6500. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर दुकान/स्टाल खुली नीलामी के माध्यम से एक वर्ष के लिए आवंटित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राज्यीय बस अड्डे, दिल्ली मे दुकानों/स्टालों के आवंटन में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी हां। अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर दुकान/स्टाल निविदायें आमंत्रित करके 11 महीने की अवधि के लिए आवंटित की जाती है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार लाइसेंस फीस की बढ़ोत्तरी की शर्त पर सालाना आधार पर लाइसेंस बढ़ाया/नवीकरण किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्यविधि का अनुपालन किया जाता है।

[हिन्दी]

डी० डी० ए० की भूमि का अवैध कब्जा

6501. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान डी० डी० ए० की भूमि के अवैध कब्जे के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये शिकायतें किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर गैर-कानूनी कब्जे के संबंध में गत तीन वर्षों अर्थात् 1-1-89 से 31-12-91 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग को 282 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, इन सभी शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की गई थी और 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (दिसम्बर 91 तक) के दौरान इस अवधि में 19423 ढांचों को हटाया गया था।

इसके अतिरिक्त, की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप एक कर्मचारी को नौकरी से हटाया गया है और एक अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्त की गई है। पांच अधिकारियों/कर्मचारियों को असाधारण शास्ति कार्यवाही के लिए आरोप पत्र दिए गए।

[अनुवाद]

परमाणु रिएक्टरों का निर्यात

6502. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय परमाणु अनुसंधान रिएक्टरों का 1988-89; 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुछ देशों को निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्माण को कोई पृष्ठभूमि है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) और (घ) भारत ने एक सामान्य उद्देश्य वाले अनुसंधान रिएक्टर का डिजायन तैयार किया है जिसे विकासशील देश आइसोटोपों के उत्पादन तथा शान्तिमय प्रयोजनों के वास्ते नाभिकीय प्रौद्योगिकी के अन्य अनुप्रयोगों के लिए काम में ला सकते हैं। इस अनुसंधान रिएक्टर के डिजायन में ऐसी विशिष्टताएं हैं जिनकी वजह से उच्च न्यूट्रान अभिवाह अपेक्षाकृता निम्न विद्युत स्तर पर उत्पन्न किया जा सकता है, तथा इस रिएक्टर में अनुसंधान और विकास करने संबंधी अनेक सुविधाएं हैं जिससे यह विकासशील देशों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बन गया है। ये रिएक्टर, जब सप्लाई किए जाएंगे, पूर्ण रूप से अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण द्वारा निर्धारित सुरक्षोपायों के अन्तर्गत होंगे। ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने इन अनुसंधान रिएक्टरों में अपनी रुचि दिखाई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कथित भ्रष्टाचार

6503. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "विंग करप्शन इन डी० डी० ए० अलेज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि "स्लम विंग" ने गरीबों के निमित्त किए गए धन का दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सूचित किया गया है कि मार्च-अप्रैल, 1991 में दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग के कार्य संचालन के विषय में विशेष लेखा परीक्षा के आदेश किए। रेखा परीक्षा रिपोर्ट में स्लम विंग में वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रशासनिक कुप्रबन्ध का उल्लेख है।

दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित कारंवाई की है :—

(1) प्रथम मन्त्रणा और आगामी आवश्यक कारंवाई हेतु विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सहित मामला केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को भेजा गया;

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण के व्यक्तियों के बारे में विशेष प्रशासनिक कारंवाई करने के अनुरोध सहित मामला, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजा गया।

प्रमुख पत्तनों पर आयातित उर्वरकों की ढुलाई

6504. **श्री जीवन शर्मा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जनवरी, 1992 तक वर्षवार यूरिया और डी० ए० पी० की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ठेकेदारों को आयातित यूरिया और डी० ए० पी० की विभिन्न पत्तनों से उनके ठिकानों तक प्रति टन की ढलाई के लिए वर्षवार कितना भुगतान किया गया ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और वर्ष 1991-92 (जनवरी, '92 तक) के दौरान बड़े पत्तनों पर संचालित की गई आयातित यूरिया तथा डी० ए० पी० की मात्रा प्रति टन स्वीकृति संचालन अधिभार संलग्न विवरण पत्र में दर्शाया गया है।

विवरण

(मात्रा लाख टन मे)

(प्रति टन दर रु० में)

क्र० सं०	बड़े पत्तन	1988-89 (डीएपी)		1989-90 (डीएपी)		1990-91 (डीएपी)	
		मात्रा	मूल्य प्र०मी०ट०	मात्रा	मूल्य प्र०मी०ट०	मात्रा	मूल्य प्र०मी०ट०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	काण्डला	0.50	1048.00	1.00	901.00	0.62	432.68
2.	बॉम्बे	—	—	—	—	—	—
3.	गोआ	—	—	1.31	919.00	0.47	635.75
4.	नया मंगलौर	—	—	0.30	765.00	0.20	595.81
5.	कोचीन	—	—	0.84	1031.00	0.47	676.94
6.	तुतीकोरिन	—	—	3.40	1179.00	1.38	499.00
7.	विजाग	—	—	1.78	1039.00	2.06	581.75
8.	मद्रास	—	—	—	—	1.01	501.00

9.	कलकत्ता	—	—	—	—	—	—
10.	हल्दिया	0.10	1093.00	0.23	928.00	0.14	—
11.	नहावा शेवा	—	—	0.71	914.00	2.72	752.89
12.	पारादीप	—	—	0.58	1142.00	1.03	831.20

क्र० सं०	बड़े पत्तन	1990-91 (यूरिया)		1991-92 (डीएपी)		1991-92 (यूरिया)	
		मात्रा	मूल्य प्र०मी०ट०	मात्रा	मूल्य प्र०मी०ट०	मात्रा	मूल्य प्र०मी०ट०
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	काण्डला	—	—	0.92	559.18	—	—
2.	बॉम्बे	—	—	—	—	—	—
3.	गोवा	—	—	0.29	688.18	—	—
4.	नया मंगलौर	—	—	0.34	635.18	—	—
5.	कोचीन	—	—	0.38	725.12	—	—
6.	तुतीकोरिन	—	—	1.35	580.18	0.18	—
7.	विजाग	—	—	1.38	603.18	0.77	553.78
8.	मद्रास	—	—	1.25	615.18	0.24	562.78

9.	कलकत्ता	—	—	—	—	—	—
10.	हल्दिया	—	—	—	—	—	—
11.	नहावा शेवा	—	—	2.48	770.81	0.47	745.28
12.	पारादीप	—	—	0.87	815.18	—	—

टिप्पणी : (I) 1989-90 और 1990-91 के दौरान यूरिया का आयात नहीं किया गया। 1989-90 के दौरान छोटे पत्तनों पर 1.11 लाख टन यूरिया की ढुलाई की गई।

(II) 1988-89 और 1989-90 के लिए संचालन अधिभारों में अंतर्देशीय भाड़ा शामिल नहीं है, क्योंकि संचालन अभिकरणों को संचालन अधिभारों की सभी सम्मिलित एक मुश्त दरें स्वीकृत नहीं थीं।

(III) 1990-91 तथा 1991-92 के लिए संचालन अधिभारों में अंतर्देशीय भाड़ा शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

"नेपा" पेपर लिमिटेड में जांच

6505. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि "नेपा" पेपर लिमिटेड, नेपा नगर के खुफिया विभाग द्वारा की गई जांच में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : नेपा लिमिटेड के सतर्कता कक्ष ने उच्चतम मूल्य पर नमक की खरीद से संबंधित एक जांच पूरी कर ली है। मुख्य सतर्कता अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर, कंपनी के दो वरिष्ठ कार्यपालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे जिनके उत्तर प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

घटिया औषध सप्लाई करने के लिए औषध कम्पनियों को काली सूची में डालना

6506. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औषध नियंत्रक ए०डी०जी० (निरीक्षण) और निदेशक (वित्त) ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के संबंधित नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए 160 औषध कंपनियों के पंजीकरण को रद्द करने का विरोध किया है;

(ख) क्या गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक ने शासन फार्मास्युटिकल्स, फरीदाबाद और अर्नेस्ट एण्ड कंपनी, इंदौरा को औषध सप्लाई के लिए 'ए' श्रेणी में रखा है जबकि इनमें से पहली कंपनी ने एलएनजेपी नारायण अस्पताल दिल्ली को फंगसयुक्त "आई० वी० फ्लूइड" (ग्लूकोज वाटर) की सप्लाई की थी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बाद वाली कंपनी को घटिया औषधों की सप्लाई और पंजीकरण करवाने के लिए झूठे कागज प्रस्तुत करने के लिए काली सूची में रखने की सिफारिश की थी;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनमें से एक कंपनी की धोखाधड़ी करने के लिए भर्त्सना की है;

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी जो भी उपलब्ध होगी, एकत्र की जाएगी और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिकी विभाग में हुआ व्यय

6507. **प्रो० रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रानिकी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया;

(ख) किन-किन राज्यों में तथा कहां-कहां इलेक्ट्रानिकी तथा प्रौद्योगिकी हेतु शोध उत्पादन तथा निर्माण इत्यादि के संबंध में संयंत्र स्थापित किए गए तथा इनमे कितने अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ग) जापान तथा जर्मनी की भांति भारत में प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिकी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई कुल राशि नीचे दिए अनुसार है :—

(रुपये करोड़ों में)

1988-89	1989-90	1990-91
112.56	104.20	107.21

(ख) (I) इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इलेक्ट्रानिक इकाइयों की राज्यवार संख्या तथा उनमें रोजगार की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(II) इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विनिर्माण कार्य में संलग्न इलेक्ट्रानिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं/परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) देश में प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए जापान तथा जर्मनी के प्रौद्योगिकी के विकास के तरीकों को ध्यान में रखा गया है। पिछले वर्षों के दौरान शुरू किए गए कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा आगामी वर्षों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। वर्ष 1992-93 के दौरान इलेक्ट्रानिकी विभाग को 75 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

विवरण-I

वर्ष 1990 में इलेक्ट्रानिक इकाइयों की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य	इकाइयों की संख्या	रोजगार
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	139	25,000
2.	असम	4	100
3.	बिहार	24	1,600
4.	चंडीगढ़	11	350
6.	दिल्ली	328	37,000
6.	गोवा	15	600
7.	गुजरात	184	15,500
	कांडला (एफटीजेड)	2	50
8.	हरियाणा	64	7,000
9.	हिमाचल प्रदेश	13	800
10.	जम्मू और कश्मीर	6	450
11.	कर्नाटक	246	44,000
12.	केरल	76	9,000
	कोचीन (एफटीजेड)	1	10
13.	मध्य प्रदेश	35	6,000
14.	महाराष्ट्र	670	56,000
	सीप्ज (एफटीजेड)	82	1,000
15.	मणिपुर	1	50
16.	मेघालय	1	100
17.	उड़ीसा	10	1,700
18.	पांडिचेरी	10	540

1	2	3	4
19.	पंजाब	46	6,150
20.	राजस्थान	63	9,200
21.	तमिलनाडु	249	13,500
	मद्रास (एफटीजेड)	7	40
22.	उत्तर प्रदेश	160	37,100
	नोएडा (एफटीजेड)	15	100
23.	पश्चिम बंगाल	145	12,000
	फाल्टा (एफटीजेड)	2	60
	कुल	2,500	2,85,000
	एफटीजेड	109	1,260

विवरण-II

अनुसंधान तथा विनिर्माण के संबंध में इलेक्ट्रानिकी विभाग के संयंत्रों/संस्थाओं के स्थापना-स्थल

प्रमुख परियोजना/कार्यक्रम	स्थापना-स्थल तथा राज्य	नियोजित जनशक्ति
1	2	3
सीएमसी लिमिटेड	दिल्ली, हैदराबाद, मुम्बई तथा अन्य शहर	2265
इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	दिल्ली	451
सेमीकंडक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड	मोहाली, पंजाब	841
उन्नत, अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक)	पुणे, महाराष्ट्र, बंगलौर, कर्नाटक	226
प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर)	मुम्बई, महाराष्ट्र	313

1	2	3
इलेक्ट्रानिक पैकेजिंग प्रौद्योगिकी तथा डिजाइन केन्द्र (सीईपीटीडी), समीर, मद्रास	मद्रास, तमिलनाडु	20
इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ईआर एण्ड डीसी)	त्रिवेंद्रम, केरल	400
इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ईआर एण्ड डीसी)	कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	37
इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ईआर एण्ड डीसी)	पुणे, महाराष्ट्र	21
इलेक्ट्रानिक अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ईआर एण्ड डीसी)	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	ये केन्द्र हाल ही में शुरू हुए हैं
इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ईआर एण्ड डीसी)	मोहाली, पंजाब	
ग्रामीण इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी केन्द्र	जयपुर, राजस्थान	18
इलेक्ट्रानिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-मैट)		
सी-मैट मुख्यालय	दिल्ली	29
सी-मैट	हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	28
सी-मैट	पुणे, महाराष्ट्र	14
सी-मैट	त्रिचूर, केरल	14
राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनसीएसटी)	मुम्बई, महाराष्ट्र	112
वीएलएसआई डिजाइन केन्द्र	बंगलौर, बड़ोदा, भुवनेश्वर, नोएडा, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, त्रिवेंद्रम, नई दिल्ली	70
वीएलएसआई डिजाइन तथा प्रोटोटाइपिंग केन्द्र	दिल्ली	यह केन्द्र हाल ही में शुरू हुए हैं

मुख्यतः विभिन्न संस्थानों को साथ लेकर पूरे किए गए प्रमुख कार्यक्रम

ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणालियां (केबीसीएस)

कम्प्यूटर नेटवर्किंग में उन्नत प्रौद्योगिकी (अर्नेट)

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएन)

राष्ट्रीय उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा परियोजना

समुचित स्वचालन संवर्धन कार्यक्रम (एएपीपी)

माइक्रोप्रोसेसर अनुप्रयोग इंजीनियरी कार्यक्रम (एमएईपी)

अंकीय टी वी परियोजना

तंतु प्रकाशिकी प्रणाली अनुप्रयोग संवर्धन कार्यक्रम (फोसैप)

प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास संबंधी परियोजनाएं

प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (टीडीसी) राष्ट्रीय रेडार परिषद् (एनआरसी) राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी परिषद् (एनएमसी) इलेक्ट्रानिकी सामग्री विकास परिषद् (ईएमडीसी) राष्ट्रीय फोटानिकी परिषद (एनपीसी)	विद्यमान संगठनों में मुख्यतः मौजूदा जनशक्ति का उपयोग किया गया और कुछ अतिरिक्त परियोजना कार्मिक लगाए गए।

[अनुवाद]

इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले

6508. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री लोक नाथ चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1990 में हुई दुर्घटना के संबंध में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के विभिन्न कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दायर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, हां। 5 नवम्बर, 1990 को नागो थाणे में हुई दुर्घटना के संबंध में 26-11-90 को रोहा में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आईपीसीएल के अधिकारियों के खिलाफ दो मुकदमे दायर किए गए थे। ये मुकदमे फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रमुख फैक्ट्री निरीक्षक, क्लास I, बम्बई और फैक्टरियों के रसायन निरीक्षक, बम्बई द्वारा दायर किए गए हैं।

[हिन्दी]

उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना

6509. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना करने संबंधी योजना और इसके विस्तार कार्यक्रमों के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ख) क्या उक्त क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कोई समुचित व्यवस्था की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर में त्वरक तथा लेसर कार्यक्रमों के अंतर्गत अनेक लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं और आशा है कि 7वीं योजना की स्कीमों को दिसम्बर, 1992 तक पूरा कर लिया जाएगा। तथापि, उल्लेखनीय है कि ये कार्यक्रम चूंकि अनुसंधान तथा विकास से संबंधित प्रयास हैं, अतः ये कार्यक्रम इन परियोजनाओं के पूरा होने के साथ समाप्त नहीं हो सकते हैं। 8वीं योजना में, केन्द्र ने त्वरक कार्यक्रमों का विस्तार करने एवं और अधिक प्रगत तथा अधिक शक्तिशाली लेसरों का विकास करने का प्रस्ताव किया है। आशा है कि इन कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्य मार्च, 1997 तक प्राप्त कर लिए जाएंगे।

(ख) जी, हां।

महरौली में पेयजल की सप्लाई

6510. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए पेयजल को पीने से मार्च, 1992 के दौरान दिल्ली के महरौली क्षेत्र के कुछ गांवों के कुछ व्यक्तियों की मौत हुई थी;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए जल को सही ढंग से साफ न किए जाने के कारण इसे पीने से अनेक लोग पीलिया तथा पेट के अन्य रोगों से पीड़ित हैं;

(ग) यदि हां, तो इन गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) दिल्ली के लोगों को भविष्य में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि फरवरी-मार्च, 1992 में सफदरजंग अस्पताल में असौला गांव के दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के कारण का पता लगाया जा रहा है।

(ख) के० डी० ब्लाक, पीतमपुरा से पीलिया के कुछ मामले दिल्ली नगर निगम की जनरल विंग के ध्यान में आये हैं।

(ग) तथा (घ) दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि इस संस्थान द्वारा इन गांवों में सप्लाई किया जा रहा पेयजल स्वीकार्य गुणवत्ता का है जिस पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। 6 मार्च, '92 को पानी में कुछ खराबी थी। दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। एक खुले कुएं को नलकूप में परिवर्तित करके रेजिडेन्ट्स एसोसिएशन द्वारा चलया जा रहा है। दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने इस पर यह चेतावनी "पानी पीने योग्य नहीं है" अंकित की है। टैंक से निकाले गये पानी के क्लोरीफिकेशन के लिए दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निवासियों को पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन की गोलियां उपलब्ध कराई गई हैं।

असोला गांव की विस्तारित आबादी में एक निजी नलकूप भी है जिसकी पाइप लाइन गंदे नाले के बीच से गुजरती है और बहुत से स्थानों से टूटी हुई है। उस नलकूप का पानी दूषित होना संभावित है। दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस नलकूप को बन्द करा दिया है।

लोगों के मकानों में लगाए गए उथले हैण्ड पम्पों पर लाल रोगन किया जा रहा है ताकि पेय प्रयोजनार्थ इनका उपयोग न किया जाए। हरिजन बस्ती असोला में इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त सावधानी बरती गई है। दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा सप्लाई किये जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की निरंतर जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वःरोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन

6511. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : केन्द्र सरकार लाभग्राहियों के रूप में राज्यों को केवल वास्तविक लक्ष्य आबंटित करती है। जिला स्तरीय जिला उद्योग केन्द्र के कृतिक बलों की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय बैंकों द्वारा ऋण मजूर किये जाते हैं। बैंकों से उद्यमियों को मिलने वाले प्रत्येक ऋण पर केन्द्र सरकार 25% तक पूंजीगत राजसहायता देती है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दी जाती है। इसका आबंटन राज्यवार नहीं होता। वर्ष 1992-93 के बजट प्रस्तावों का अभी अनुमोदन किया जाना है।

[हिन्दी]

समयोपरि भत्ते में कमी करना

6512. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से सरकारी कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते के भुगतान में बेहद वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस पर अंकुश लगाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) गत कुछ वर्षों से सरकारी कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते के खर्च में कुछ वृद्धि होती जा रही है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ते की दरों को 1-12-1990 से बढ़ा दिया गया है। तथापि समयोपरि भत्ते के खर्च की वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी गई है कि वे कार्यालय समय के दौरान कर्मचारियों की सेवाओं का इष्टतम उपयोग करें और निगरानी में कड़ाई लाएं ताकि कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते पर बैठाने की आवश्यकता को कम करने के लिए उनसे अधिक काम लिया जा सके। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा समयोपरि भत्ते पर खर्च की जाने वाली धनराशि की भी एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। यह महसूस किया जाता है कि ये उपाय सरकारी कार्यालयों में समयोपरि भत्ते पर खर्च पर अंकुश लगाने में सहायक होंगे।

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़क निगम

6513. **श्री प्रफुल पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण सड़क निगम की स्थापना की है और इसकी शाखाओं ने राज्य स्तर पर कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ओषधों और रसायनों का आयात

6514. **डा० विश्वनाथम कनिथी :**
श्री रामकृष्ण कोंताला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेषज उद्योग के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान बल्क में आयात की गई ओषधियों तथा रसायनों का उत्पाद-वार ब्योरा क्या है;

(ख) इन वस्तुओं के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं का बल्क में आयात करने की अनुमति जिन कंपनियों को दी गई, उनका ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ग) औषधों और रसायनों के आयात के उत्पाद-वार और कंपनी-वार ब्यौरे इस मंत्रालय द्वारा मानीटर नहीं किए जाते हैं।

(ख) डीडीएचएस द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में आयात करने में खर्च हुई कुल विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	कुल आयात (रु० लाख में)
1988-89	446.91
1989-90	652.12
1990-91	800.00

[हिन्दी]

औषधियां बनाने वाली इकाइयों को मिथाइल-युक्त स्पिरिट व अल्कोहल का आवंटन

6515. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान में स्थित औषधियां बनाने वाली ऐसी कंपनियां के नाम क्या हैं जिन्हें औषधियां बनाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान मिथाइल-युक्त स्पिरिट तथा अल्कोहल का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को उक्त कंपनियों को इन पदार्थों के दुरुपयोग की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कारंवाई की गई है;

(घ) क्या उक्त पदार्थों का दुरुपयोग करके बनाई गई जहरीली शराब के कारण बहुत से शहरों में मौतें हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कठोर कानून बनाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (च) औषध विनिर्माताओं सहित उपभोक्ता एककों को मिथाइल-युक्त स्प्रिट और अल्कोहल का आवंटन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और उन पर जहरीले पेयों आदि के विनिर्माण के लिए इन सामग्रियों का दुरुपयोग रोकने की जिम्मेदारी भी है।

मझोले शहरों का विकास

6518. **श्री काशीराम राणा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मझोले शहरों के विकास से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जबकि निधियों के उपयोग पर रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, कार्य के वास्तविक प्रगति की सम्पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। गुजरात के संबंध में रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। पूर्व में रिलीज की गई निधियों के उपयोग की मात्रा से संबंधित सूचना के आधार पर निधियों को रिलीज किया जाता है।

विवरण

छठी योजना, 7वीं योजना, 1990-91 और 1991-92 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/कस्बा	6ठी योजना कुल रिलीज	7वीं योजना कुल रिलीज	1990-91 कुल रिलीज	कुल योग (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	गुजरात				
6ठीं योजना					
1.	आनन्द	30.430	9.570	—	40.000
2.	पटन नार्थ	22.240	13.000	4.520	39.760
3.	पोरबन्दर	28.370	—	—	28.370
4.	वलिसाद	35.000	6.740	—	41.740
5.	वारावल पट्टन	14.500	10.000	—	24.500
6.	पालनपुर	27.940	4.000	8.060	40.000
7.	अंकलेश्वर	34.760	3.580	—	38.340
8.	दाहोद	36.950	3.000	—	39.950
9.	गहमदाबाद	14.250	12.000	—	26.250
10.	गोधरा	35.300	6.700	—	40.000

1	2	3	4	5	6
11.	भुज	12.000	18.000	—	30.000
12.	अमरेली	37.000	3.000	—	40.000
13.	महसाना	24.680	11.340	—	36.020
14.	खम्भट	24.250	20.000	—	44.250
15.	कलोलसेज	30.000	10.000	—	40.000
16.	सनंद	8.000	—	—	—
17.	देहगाम	15.000	4.500	—	19.500
	योग	428.670	135.430	12.580	576.680
7वीं योजना					
18.	दीसा	—	12.150	—	12.150
19.	महुवा	—	28.000	—	28.000
20.	बिल्लीमोरा	—	33.000	—	33.000
21.	विष गनर	—	43.000	—	43.000
22.	धपलेता	—	46.000	—	46.000
23.	उंझा	—	45.000	—	45.000
24.	गोंडल	—	20.000	—	20.000
25.	नोसरी	—	23.000	—	23.000
26.	हिम्मत नगर	—	29.750	—	29.750
27	जूनागढ़	—	29.750	—	29.750
	योग	—	309.650	—	309.650

1	2	3	4	5	6
8वीं योजना					
28.	सुरेन्द्र नगर	—	—	27.500	27.500
29.	बोटड	—	—	15.000	15.000
30.	मोरनी	—	—	25.000	25.000
	योग	—	—	67.500	67.500
	कुल योग	428.670	445.080	80.000	953.830

वर्ष 1991-92 के दौरान तीन नये कस्बों नामत: कसोड, सिधपुर और विरामगांव के लिए 75.00 लाख रुपये की धनराशि (प्रत्येक कस्बे के लिए 20.00 लाख रुपये) और महुवा कस्बे को 7वीं योजना में चालू परियोजना के लिए 15.00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

[अनुवाद]

लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृति

6519. **श्रीमती रीता वर्मा :**

श्री अन्ना जोशी :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री प्रफुल पटेल :

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं का राज्य-वार/संघ राज्य-वार ब्योरा क्या है, जो स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) योजना आयोग में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की निम्नलिखित पांच परियोजनाएं, जांच की विभिन्न अवस्थाओं में है, निवेश की मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाएं हैं :—

	परियोजना का नाम	राज्य
1.	मुरागांव के बिस्तार का 8 किमी० से 13 कि० मी का प्रत्यागमन, ब्रह्मपुत्र डाइक का प्रत्यागमन	असम
2.	केशो जलाशय परियोजना	बिहार
3.	देवगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र
4.	देव सिंचाई परियोजना	उड़ीसा
5.	अनाइमादावु जलाशय परियोजना	तमिलनाडु

[हिन्दी]

वैज्ञानिकों के लिए पदोन्नति के अवसर

6520. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री लाल बहादुर रावल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग में पदोन्नति के लिए कोई एक समान नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसके फलस्वरूप वैज्ञानिकों में व्याप्त रोष में वृद्धि हो रही है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वैज्ञानिकों की प्रोन्नति के लिए लगभग समानार्थक योजना का पालन करते हैं। सांगठनिक जरूरतों को देखते हुए उनकी योजनाओं में कुछ भिन्नताएं होती हैं। तथापि, सरकार समय-समय पर प्रोन्नति संबंधी नीतियों की समीक्षा करती है ताकि उन्हें युक्तियुक्त बनाया जा सके। यह एक सतत प्रक्रिया है और जहां आवश्यक होता है, उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार

6521. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार करने का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या क़दम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद युक्तिकरण, विविधकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और घरेलू अनुसंधान एवं विकास तथा इसके साथ ही राज्यों के उद्यमों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और रक्षा इत्यादि सहित विभिन्न ग्राहकों से, नेशनल इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड में सृजित सुविधाओं का उपयोग करने का अनुरोध शामिल है।

कोयले पर उपकर/राजशुल्क

6522. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और बिहार द्वारा कोयले पर उपकर व राजशुल्क लगाने से अर्जित आय में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी आय हुई है और कितना घाटा हुआ है और उड़ीसा व बिहार द्वारा कोयले पर लगाया गया उपकर रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोयले के राजशुल्क में वृद्धि की है;

(घ) क्या इसके बावजूद इन दो राज्यों की आय गत वर्ष की तुलना में कम है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि मात्र राजशुल्क लगाने से उपकर व राजशुल्क से अर्जित आय में कमी न आये;

(च) क्या दोनों सरकारों ने केन्द्रीय सरकारों की इससे संबंधित आय में वृद्धि करने के बारे में लिखा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) उड़ीसा और बिहार राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कोयले पर उपकरों की लेवी न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किए जाने के बाद कोयले पर रायल्टी और उपकरों से उड़ीसा और बिहार की राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाले राजस्व की आय में कमी आ गई।

(ख) से (छ) न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप कुछ राज्यों में कोयले पर उपकर के संग्रहण को वापिस लिए जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने दिनांक 1-8-91 से असम और बंगाल राज्य में उत्पादित कोयले को छोड़कर, जोकि अभी उच्च दरों पर कोयले पर उपकर लगा रहे हैं, सभी राज्यों द्वारा उत्पादित कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि कर दी गई है। रायल्टी की दरें बढ़ाते हुए सरकार को कोयला उपभोक्ताओं के हितों के साथ-साथ राज्य सरकारों की राजस्व की आवश्यकताएं संतुलित रखनी होती हैं। इस प्रक्रिया में किसी राज्य विशेष के राजस्व

को संरक्षण देना हमेशा संभव नहीं है। यद्यपि उन सभी राज्यों में जहां कोयले का उत्पादन होता है, कोयले पर रायल्टी और उपकर से प्राप्त सकल राजस्व, रायल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने के पश्चात् बढ़ गई है। पृथक राज्य को पहले से कम या अधिक राजस्व प्राप्त होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उपकर की दरें और पुरानी रायल्टी दरें जोड़कर संशोधित रायल्टी दरों से कम या अधिक हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान को० इं० लि० द्वारा दी गई वास्तविक रायल्टी और उपकर के बीच तुलना और यदि बिहार और उड़ीसा राज्यों में वर्ष 1989-90 के दौरान कोयले पर रायल्टी की संशोधित दरें लागू की गई होतीं तब जो रायल्टी प्राप्त होती वह निम्नलिखित है :—

(करोड़ रु० में)

राज्य	वर्ष 1989-90 के दौरान को०इं० लि० द्वारा अदा की गई वास्तविक रायल्टी तथा उपकर		जोड़	यदि वर्ष 1989-90 के दौरान कोयले पर रायल्टी की संशोधित दरें लागू की जातीं तो रायल्टी से निम्न राशि प्राप्त होती
	रायल्टी	उपकर		
बिहार	27.93	648.59	676.52	541.39
उड़ीसा	4.11	42.71	46.82	45.26

(च) तथा (छ) उड़ीसा सरकार ने उपर्युक्त मामले में यह कहते हुए अपनी सीमाओं का उल्लेख किया कि 1989-90 के दौरान पूरे वर्ष के उपकर का संग्रहण करने में असमर्थ रहे है। बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को कोयले पर रायल्टी की यथामूल्य दर पर निर्धारण करने का सुझाव दिया है। उड़ीसा सरकार ने निम्न ग्रेड के कोयले की रायल्टी की दरों में वृद्धि करने का भी अनुरोध किया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कथित अनियमितताएं

6523. श्री नरेश कुमार बालियान :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री महेश कनोडिया :

क्या शहरी विकास मंत्री 18 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4409 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपर्युक्त उत्तर में उल्लिलित प्रत्येक अनियमितता के संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी. हां। तथाकथित अनियमितताओं और तथ्य जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है, के ब्योरे संलग्न विवरण मे दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नही उठता।

विवरण

आश्वासन के मुद्दे	उत्तर
1	2
(I) यद्यपि राशि खर्च कर दी गई है परंतु मकानों का निर्माण नहीं किया गया है।	यह सही नही है कि वर्ष 1990-91 के दौरान कोई निर्माण कार्य और विकास कार्य नहीं किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न श्रेणियों के 8846 मकानों को पूर्ण किया है तथा रोहिणी के विभिन्न सैक्टरों में 5491 प्लाट विकसित किए हैं एवं वर्ष 1990-91 के दौरान दक्षिणी दिल्ली की ई० पी० डी० पी० कालोनी में 126 प्लाट विकसित किए गए।
(II) कर्मचारी भविष्य निधि से लगभग 30 करोड़ रुपये के व्यय के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं।	कुल 30.87 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपये का निवेश किया गया है। निधियों के निवेश की पद्धति निर्धारित करने के लिए सामान्य भविष्य निधि के खाते में निधियों के निवेश को विनियमित करने वाले नियमों को संशोधित किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवश्यक संशोधन पूरा होने के पश्चात् आगे निवेश किया जाएगा। जब कभी सेवारत, स्थानांतरित हुए और सेवानिवृत्त हुए अंशधारियों द्वारा आवेदन किया जाता है, सामान्य भविष्य निधि से सभी निकासियों और भुगतानों की सदैव अनुमति दी जाती है।
(III) अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत आबंटन नहीं किए गए हैं तथा जिन्हें आबंटन नहीं किया	निम्न आय वर्ग और जनता श्रेणी के कुल 17825 असफल आवेदकों में से 17695 मामलों में राशि वापिस करने के चैक तैयार कर लिए गए थे तथा वाहक सेवा के माध्यम से भेज दिए गए थे तथा 12700 पहले ही चैक भेज दिए गए थे। संबंधित

1	2
गया है, उन्हें पंजीकरण शुल्क वापिस नहीं किया गया है।	व्यक्ति या उचित पते की अनुपलब्धता के कारण 4995 चैक वापिस हो गए थे। इस श्रेणी के संबंध में, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक प्रेस विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा, जिस चालान के द्वारा भुगतान किया गया है, की प्रति प्रस्तुत करने पर 30-3-92 से 10-4-92 तक किसी भी कार्यदिवस को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय से अपने रिफण्ड चैक प्राप्त करने के लिए कहा गया है। शेष 130 मामले रिफण्ड के लिए प्रक्रियाधीन हैं। मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए लाटरी न्यायाधीन है और इसलिए मध्यम आय वर्ग के असफल आवेदकों के मामले में राशि वापिस करने का प्रश्न नहीं उठता।
(IV) पदोन्नति के अवसरों को प्रभावित करते हुए सहायक निदेशक के स्तर तक बाहर से सीधी भर्ती हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमों में परिवर्तन किया जा रहा था।	दिल्ली विकास प्राधिकरण की आर० आर० समिति द्वारा केवल सहायक निदेशक के स्तर पर सीधी भर्ती करने के लिए भर्ती नियमों की जांच की जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्रशासनिक संवर्ग को बनाने के लिए इस उपाय की आवश्यकता है जो संगठन के दीर्घावधि हित में होगी।
(V) "दुरुपयोग" के मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच की जाए।	प्रश्न के भाग I से IV के उत्तर को देखते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच का प्रश्न नहीं उठता।

अनधिकृत कालोनियों में मल व्ययन सुविधाएं

6524. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन उपक्रम ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

सभी अनधिकृत/नियमित कालोनियों में मल व्ययन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उन अनधिकृत/अनियमित कालोनियों का ब्यौरा क्या है जिनमें 1992-93 के दौरान मल व्ययन की सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि 555 अनधिकृत नियमित कालोनियों में से 204 कालोनियों में फरवरी, 1992 तक मल-जल निर्यात पद्धति को क्रियाशील बनाया जा चुका है तथा अप्रैल-मई, 1992 में अन्य कालोनियों में इसके चालू किए जाने की संभावना है। वर्ष 1992-93 के दौरान संलग्न विवरण के अनुसार 46 ऐसी कालोनियों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने यह भी सूचित किया है कि संस्थान ने आठवीं योजना अवधि के अंत तक एक चरणबद्ध तरीके से क्रमिक रूप में बकाया कालोनियों में मल-जल निर्यात सुविधाओं के विस्तार हेतु योजना बनाई है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा अनुमोदित 1992-93 के लिए वार्षिक परिव्यय में इस प्रयोजन हेतु 900 लाख रुपये का प्रावधान है जिसमें पुराने तथा छोटे आकार के सीवरों को बदलना और पर्यावरणीय सुधार भी शामिल है।

सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि अनधिकृत नियमित कालोनियों में सुविधाओं की व्यवस्था विकास प्रभारों की वास्तविक लागत से जमा करने पर की जाएगी तथा जो कालोनियां नियमित की जा चुकी हैं उनमें से किसी भी कालोनी को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान इस प्रकार की कालोनियों में सीवर मुहैया कराने के लिए वसूली दर का परिकलन कर रहा है।

विवरण

शाहदरा जोन

1. ज्वाला नगर
2. ज्वाला नगर ईस्ट
3. ज्वाला नगर मुकेश नगर (बकाया क्षेत्र)
4. मुकेश नगर ज्वाला नगर (मराठी कालोनी)
5. जनता कालोनी (सर्कुलर रोड)
6. वैस्ट विनोद नगर
7. आचार्य निकेतन

8. शशी गार्डन

9. प्रताप नगर

10. पांडव नगर "पी" ब्लाक

11. गुरु अंगद नगर ईस्ट

12. गुरु अंगद नगर वैस्ट

13. लक्ष्मी नगर एक्स०

14. कुन्दन नगर एक्स०

15. गोबिंदपुरा

16. नया गोबिंदपुरा

17. नया गोबिंदपुरा (बकाया क्षेत्र)

18. नया रशीद मार्किट एक्स०

19. रशीद मार्किट एक्स०

20. गणेश पार्क

21. ब्रिजपुरी (एक्स०)

22. शशी मस्जिद

23. चावला पार्क

24. ब्रिजपुरी (पुरानी व नई)

25. बलदेव पार्क

26. बलदेव पार्क ईस्ट

27. श्याम नगर

28. जित्तर नगर ब्लाक ए, बी, सी

29. अनारकली पार्ट-I

30. अनारकली साउथ (पार्ट ब्लाक डी व ई)

31. अनारकली साउथ एक्स०

32. अनारकली गार्डन

33. राधेश्याम पार्क

34. राधेश्याम पार्क एक्स०

35. गोविन्द पार्क

36. पुराना गोबिंदपुरा एक्स०

37. जगतपुरी (ब्लाक ए० बी० एफ० जी० एम०)

रोहिणी जोन (शास्त्री नगर ग्रुप कोलोनीज)

38. शास्त्री नगर नजदीक सराय रोहिल्ला

39. शास्त्री नगर "सी" ब्लाक

40. शास्त्री नगर "एम" ब्लाक

41. शास्त्री नगर "डी" ब्लाक

42. शास्त्री नगर "ई" ब्लाक

43. शास्त्री नगर "एफ" ब्लाक

सिविल लाइन्स जोन (आदर्श नगर ग्रुप आफ कालोनीज)

44. केवल पार्क एक्स०

45. मजलिस पार्क एक्स०

46. आदर्श नगर एक्स०

जमाखोरी के खिलाफ अभियान

6525. **श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने के उद्देश्य से जमाखोरी के खिलाफ अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा की गई कारंवाई का ब्यौरा क्या है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कितनी गिरावट आई है;

(ग) देश में गत छः महीनों के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने के लिए और क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत 1-1-92 से 31-3-92 तक 17,033 छापे मारे गये, 521 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 955 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, 44 व्यक्ति दोषसिद्ध पाए गए और 142.82 लाख रु० मूल्य का माल जब्त किया गया। 28-12-91 से 21-3-92 की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की दर पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की दर से 1.1% अधिक आकलित की गई है।

(ग) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1659 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) सरकार द्वारा किए गए मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के अलावा खाद्य तेलों की उपलभ्यता बढ़ाने हेतु उनका आयात किया गया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सम्पुष्ट करने के उपाय किए गए हैं। सूती साड़ियों/धोतियों के खुदरा मूल्य कम करके जुलाई, 1990 के स्तर तक ला दिए गए हैं। बिजली के बल्बों के मूल्य कम कर दिए गए हैं। किफायती पैकों में अच्छी किस्म की चाय, जनता साबुन की बिक्री आरंभ कर दी गई है। आवश्यक वस्तुओं को केन्द्रीय बजट और रेल बजट दोनों में ही अतिरिक्त लेवी से मुक्त रखा गया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डल समिति आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की नियमित रूप से परीवीक्षा कर रही है और मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

कोयला खानों के द्वारा हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी को किराये पर लेना

6526. **श्री हाराधन राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खानों में चरणबद्ध ढंग से हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी को किराये पर लेना बंद कर दिया गया है जैसी कि सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल ने सिफारिश की थी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन कारणों को दूर कर दिया गया है जिसकी वजह से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या काटण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) और (ख) जी, हां। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने दिनांक 1-4-91 से निजी रूप में स्वामित्वधीन हैम मशीनों को किराये पर लेना बंद कर दिया है।

(ग) और (घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में हैवी अर्थ मूविंग (हैम) मशीनरी के कम उपयोग किए जाने के कारणों का पता लगा लिया गया है तथा इसकी उपयोगिता में सुधार लाये जाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किया जाना

6527. श्री दिग्विजय सिंह :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने संबंधी मामलों से अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरों की मजूरी की दरों में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) किसी भी राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने संबंधी मामलों से भारत सरकार को अवगत नहीं कराया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी निर्धारित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या राज्य सरकारें मजदूरी दरों में वृद्धि करने पर विचार कर रही हैं।

स्वरोजगार कार्यक्रम निष्पादन

6528. श्री सुधीर गिरि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में/लघु उद्यमियों के उत्पादों के विपणन में आने वाली कठिनाई स्व-रोजगार योजनाओं के निष्पादन में एक बाधा है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने स्व-रोजगार योजनाओं को वित्त पोषित करने में आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार की ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए धन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने स्व-रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता किए गए लाभार्थियों के उत्पादों के विपणन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) राज्य सरकारों से स्वरोजगार में लगे लाभार्थी परिवारों को आधारभूत ढांचा संबंधी सहायता और पूर्वापर मदद प्रदान करने के लिए नाडल एजेन्सियों के रूप में जिलों के लिए निकायों का चयन करने की सलाह दी गई है।

(2) जहां किन्हीं निकायों का चयन न किया जा सकता हो, वहां राज्य सरकारों को कच्चे माल की जरूरतों और विपणन समस्याओं की देखरेख करने के लिए जिला सप्लाई तथा विपणन समितियों जैसी संस्थाएं विकसित करने की सलाह दी गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आधारभूत ढांचे के विकास हेतु निर्धारित निधियों का इस्तेमाल ऐसी सहायता विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

(3) कापार्ट समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना और ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना के अन्तर्गत तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के लिए "ग्राम श्री" मेलों का आयोजन कर रहा है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान बैंकों ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को 1190 करोड़ रुपए के ऋण दिए थे जबकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सबसिडी के रूप में 668.16 करोड़ रुपए दिए गए थे। प्रति परिवार निवेश 6422 रुपए था। वृहद स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण जुटाना संतोषजनक है लेकिन फील्ड स्तर पर कुछ समस्याएं हैं जैसे अपर्याप्त इकाई लागत, कम वित्त पोषण, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना, बोझिल प्रलेखन और प्रक्रियाएं, ऋणसंस्वीकृति और वितरण में देरी, ऋण पास बुकों का जारी न किया जाना।

(घ) ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए वित्त जुटाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) ऋण प्रबन्धों की समीक्षा करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु ऋण संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों, और बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। विकास कार्यक्रमों के समन्वय और संयुक्त कार्यान्वयन के लिए एक अन्तर-संस्था मंच के रूप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रगति की निगरानी तथा समीक्षा करने और अन्तर-एजेन्सी मतभेदों को हल करने के लिए जिला तथा खण्ड स्तरों पर जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति व खण्ड स्तरीय परामर्शदात्री समिति भी गठित की गई है।

(2) बैंकों के लिए 1-4-1989 से सेवा क्षेत्र नीति शुरू की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को आवास

6529. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार, दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालयों के कर्मचारियों को उचित आवास नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) दिल्ली में यमुना पार क्षेत्रों के क० रा० बी० औषधालयों के कर्मचारियों को क० रा० बी० नि० द्वारा दिल्ली में निर्धारित सामान्य आवासीय पूल से इन कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार आवास आबंटित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

ईंट भट्ठा उद्योग

6530. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :**
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने भट्ठे चल रहे हैं;

(ख) देश में ईंट भट्ठा उद्योग में कुल कितने व्यक्ति लगे हैं; और

(ग) इस लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, शहरी विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय ईंट तथा टाइल निर्माता संघ, नई दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में पंजीकृत तथा अपंजीकृत लघु एककों की संख्या 60,000 है। चल रहे एककों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यह उद्योग मौसमी धंधों में लगभग 90 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया करा रहा है।

(ग) सरकार ने ईंट भट्ठा उद्योग को लघु उद्योग के रूप में मान्यता दे रखी है और यह उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध सभी सुविधाओं का हकदार है। लघु उद्योगों को सहकारी

प्रोत्साहन के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान/संगठन जैसे केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान (सी० बी० आर० आई०), राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन० बी० ओ०), यांत्रिकीय इंजीनियरी अनुसंधान तथा विकास संगठन तथा अनेक राज्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ईंधन बचाने वाले भट्ठों और ईंट बनाने वाली मशीनों आदि का वैज्ञानिक विकास करने में लगे हैं।

भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, शहरी विकास मंत्रालय ईंट तथा टाइल उद्योग विकास संबंधी कार्य करता है जिसमें ईंट उद्योग में उत्पादकता वृद्धि तथा ईंधन बचत हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी का अंतरण शामिल है।

विवरण

राज्यवार ईंट भट्ठों की संख्या

राज्य	एककों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	1000
अंडमान निकोबार	20
असम	200
बिहार	6000
चंडीगढ़	100
दिल्ली	400
गुजरात	3500
गोवा	20
हरियाणा	3000
हिमाचल प्रदेश	250
जम्मू और कश्मीर	200
कर्नाटक	250
केरल	1000
मध्य प्रदेश	2000
महाराष्ट्र	1000

1	2
नागालैंड	200
दादरा और नगर हवेली	20
उड़ीसा	6500
पंजाब	4500
पांडिचेरी	250
राजस्थान	1500
तमिलनाडु	1500
उत्तर प्रदेश	21000
पश्चिमी बंगाल	5500

विद्युत बोर्डों को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई

6531. **श्री एस० बी० थोरात : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को इनके तापीय संयंत्रों और अन्य औद्योगिक उपक्रमों के लिए घटिया किस्म के कोयले की लगातार सप्लाई की जा रही है जिसके कारण कोल इंडिया लिमिटेड की बदनामी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं कि राज्य विद्युत बोर्डों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वस्थ प्रथा बने और बढ़िया किस्म के कोयले की सप्लाई हो; और

(ग) गैर योजना व्यय में पर्याप्त कटौती करने के लिए किए गए आर्थिक उपायों का ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० द्वारा विद्युतगृहों और अन्य कोयला के उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं। गुणवत्ता की समस्या के संबंध में शिकायतें मुख्यत: निम्नलिखित के संबंध में हैं—कोयले का ग्रेड, कोयले म अवशिष्ट पदार्थ का होना और कोयले का विकृत आकार का होना। उपभोक्ताओं को प्रेषित किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

1. भूमिगत खानों में सतही रूप में कोयले का लदान करते समय अवशिष्ट पदार्थों को अलग कर दिया जाता है।

2. सतही स्टाक में कोयले में से कंकड़ तथा पत्थर हटाए जाने की दृष्टि से श्रमिकों द्वारा छंटाई की जाती है।

3. कोयला रख-रखाव संयंत्रों में धीमी गति की छंटाई बैल्टें मुहैया कराई जाती हैं, जिनके द्वारा कंकड़ तथा पत्थर की छंटाई की जाती है।

4. कोयला नियंत्रक संगठन को उपभोक्ताओं को प्रेषित किए गए कोयले की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण किए जाने की दृष्टि से सुदृढ़ीकृत किया जाता है।

5. उपभोक्ताओं को लदान स्थल पर कोयले की संयुक्त रूप में नमूना लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

6. कोयला कंपनियों ने उपभोक्ताओं की शिकायतों/कठिनाइयों को दूर किए जाने के लिए उपभोक्ता परिषदें भी स्थापित की हैं।

(ग) कोल इण्डिया लि० ने अपनी सहायक कंपनियों को समयोपरि भत्ते यात्रा भत्ते, दूर-भाष, प्रचार, लेखन सामग्री, स्टाफ कार आदि के संबंध में होने वाले प्रशासनिक व्यय को न्यूनतम किए जाने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं।

सभी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों को इन निर्देशों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के निर्देश दे दिए गए हैं।

[हिन्दी]

कागज का उत्पादन

6532. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज का उत्पादन इसकी मांग के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कागज की मांग कितनी थी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के कागज का उत्पादन किया गया है; और

(घ) कागज की मांग को पूरा करने के लिए देश में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) इस समय देश में कागज का उत्पादन मांग के लगभग बराबर है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान इसका उत्पादन निम्न प्रकार था :—

(लाख मी० टन)

वर्ष	उत्पादन
1989	18.50
1990	19.56
1991	19.65

(ग) कागज उद्योग के विभिन्न एकक विभिन्न प्रकार के कागज तथा गत्ते का निर्माण करते हैं और इनके मूल्य हर मिल तथा हर क्षेत्र में अलग-अलग होते हैं।

(घ) (i) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कम सीमा शुल्क की दर पर लकड़ी की लुगदी तथा रद्दी कागज के आयात की अनुमति दे दी गई है।

(ii) सिलाई और छपाई के कागज तथा बिना लेप के क्राफ्ट कागज, जिसमें जूट (रद्दी जूट सहित) मेस्टा अथवा खोई अथवा इनके मिश्रण से बनी लुगदी अथवा उपर्युक्त सामग्रियों की दो अथवा अधिक लुगदियों के मिश्रण से बनी लुगदी का वजन 75% से कम न हो, के निर्माण को उत्पाद शुल्क से छूट है।

(iii) कृषि अवशेषों और अन्य अपरंपरागत कच्ची सामग्रियों का न्यूनतम 50% तक इस्तेमाल करने वाली कागज मिलों के रियायती दरों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है।

(iv) खोई, कृषि अवशेषों तथा अन्य परंपरागत कच्ची सामग्रियों से बनी न्यूनतम 75% लुगदी के प्रयोग पर आधारित कागज एककों को औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

उपकरण पैकेजों की लागत में वृद्धि

6533. डा० पी० वल्लल पेरूमान : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चरण-I और चरण-II में पैकेजों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक पैकेज की लागत कितनी है; और

(ग) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में चरण-I की तुलना में चरण-II टी एस-II के उपकरण पैकेज में मदवार वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) टी० पी० एस०-II के चरण-I और चरण-II में पैकेजों की संख्या को नीचे दर्शाया गया है :—

		चरण-I	चरण-II
1.	सिविल पैकेजें	20	12
2.	मैकेनिकल पैकेजें	24	21
3.	इलेक्ट्रीकल पैकेजें	28	17
	जोड़	72	50

पैकेजों के उपर्युक्त तीन ग्रुपों में सप्लाई पैकेजों को शामिल किया गया है।

(ख) सम्भावित पूर्ण लागत के आधार पर, सिविल यंत्रीकृत और इलेक्ट्रीकल पैकेजों की कुल लागत को नीचे दर्शाया गया है :—

(लाख रुपये में)

		चरण-I	चरण-II
1.	सिविल पैकेजें	5791.74	8966.89
2.	यंत्रीकृत पैकेजें	32976.79	78572.03
3.	इलेक्ट्रीकल पैकेजें	5892.76	11241.14

उपर्युक्त तीन ग्रुपों के पैकेजों की लागत में सप्लाई पैकेजों की लागत को शामिल कर लिया गया है ।

(ग) मदवार तुलनात्मक लागत का कार्य सम्भव नहीं है, चूंकि दो चरणों में ये पैकेज, स्वरूप तथा विस्तृत आकार में भिन्न हैं । किन्तु कुल सम्भावित पूर्ण लागत (जिसमें निर्माण अवधि के दौरान ब्याज शामिल है) की तुलनात्मक स्थिति चरण-I और चरण-II में नीचे दर्शाई गई है :—

(लाख रुपये में)

यूनिट	आकार	लागत
चरण-I	3 × 210 मे० वा०	56573
चरण-II	4 × 210 मे० वा०	136324

खाद्य तेलों के मूल्य

6534. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 और जनवरी, 1992 में वनस्पति सहित खाद्य तेलों के तुलनात्मक मूल्य कितने-कितने रहे;

(ख) खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) खाद्य तेलों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जनवरी, 1991 और जनवरी, 1992 में वनस्पति सहित खाद्य तेलों के तुलनात्मक मूल्य निम्नलिखित हैं :—

		जनवरी, 1991	जनवरी, 1992
1.	मूंगफली का तेल (रु०/क्विटल)	3850	3520
2.	तिल का तेल (रु०/क्विटल)	3050	2870
3.	सरसों का तेल का टीन (रु०/15 कि० ग्रा० पक्की घानी)	485	425
4.	वनस्पति (रु०/15 कि० ग्रा० का टीन)	590	572

(ख) खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं : वनस्पति तेलों पर उत्पाद शुल्क की छूट जारी रखना, खाद्य तेलों की स्टाक रखने की सीमाओं में कमी करना, किन्हीं दो खाद्य तेलों के मिश्रण की अनुमति देना, रेल माल-भाड़े में वृद्धि से खाद्य तेलों को छूट देना, जमाखोरी विरोधी अभियान में तेजी लाना आदि। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की परिवीक्षा करने तथा उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक मूल्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति गठित की है।

(ग) सरकार ने तेलों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजनाओं पर जोर देने के साथ-साथ सीमित मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी 31-3-1992 तक पामोलीन की 80,000 मी० टन मात्रा का सीधा आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

कोयले की चोरी

6535. श्री मोरेश्वर सावे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों और रेल वैगनों से बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और सरकार ने इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या कुछ मामलों में कोयला खान कार्मिकों और रेल कार्मिकों की मिली-भगत देखी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगोड) : (क) से (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव

6536. **श्री राम बदन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना प्रस्ताव तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में शुरू किया जाएगा; और

(ग) यह प्रस्ताव विगत वर्ष की तुलना में कितना अधिक होगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा परिव्यय शीर्ष/उपशीर्ष-वार स्वीकृत किए जाते हैं, न कि परियोजना वार्षिक योजना 1992-93, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) का प्रथम वर्ष है, के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तथा वार्षिक योजना 1991-92 के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय सहित मुख्य शीर्षवार परिव्ययों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	मुख्य शीर्ष	1991-92 अनुमोदित परिव्यय	1992-93 प्रस्तावित परिव्यय	कालम (3) की तुलना में कालम (4) में % वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	38230	41197	7.8
2.	ग्रामीण विकास	26552	30120	13.4

1	2	3	4	5
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4950	4850	(—) 2.0
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	42571	53413	25.5
5.	ऊर्जा	126390	135575	7.3
6.	उद्योग एवं खनिज	11127	12622	13.4
7.	परिवहन	35029	40169	14.7
8.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	400	952	138.0
9.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	13686	1739	(—)87.3
10.	समाज सेवाएं	70847	82155	15.9
11.	सामान्य सेवाएं	1218	650	(—)46.6
		371000	*403442	8.7

*वार्षिक योजना 1992-93 के लिए सहमत परिव्यय 3853.00 करोड़ रु० है, जिसमें क्षेत्रकीय ब्यौरे राज्य सरकार से अभी तक प्रतीक्षित हैं।

कोयले का निर्यात

6537. डा० महावीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतीश कुमार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान बंगलादेश को कोयले के निर्यात करने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और यह कोयला किन-किन स्थानों से इकट्ठा किया जाएगा;

(ग) इन खानों से कोयले की कितनी अनुमानित मात्रा प्राप्त होगी;

(घ) इन खानों से वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया;

(ङ) क्या सरकार को बंगलादेश को कोयला निर्यात करने से विदेशी मुद्रा अर्जित होगी; और

(च) यदि हां, तो कितनी ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) इस संबंध में माननीय सदस्य का संदर्भ शायद कोल इण्डिया लि० के स्रोतों से बंग्लादेश को कोयले का निर्यात किए जाने के संबंध में है। बंग्लादेश को कोयले का निर्यात को० इं० लि० के स्रोतों से किया जा रहा है। को० इं० लि० का वर्ष 1992-93 के दौरान भी बंग्लादेश को कोयले का निर्यात किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) बंग्लादेश को कोल इण्डिया लि० के स्रोतों से कोयले का निर्यात मुख्यतः ई० को० लि० से किया जाता है। भारत से निर्यात किए जाने वाले कोयले की वास्तविक मात्रा बंग्लादेश में कोयले की मांग पर तथा वास्तविक रूप में निर्यात के लिए प्राप्त होने वाले आर्डरों पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान ई० को० लि० में कोयले का उत्पादन 23.47 मि० टन हुआ। वर्ष 1991-92 के लिए ई० को० लि० का उत्पादन लक्ष्य 24.5 मि० टन था।

(ङ) जी, हां। बंग्लादेश को कोयले का निर्यात दुर्लभ मुद्रा के आधार पर किया जाता है।

(च) वर्ष 1992-93 के दौरान बंग्लादेश को निर्यात किए जाने वाले कोयले के संबंध में प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा निर्यात किए गए कोयले की मात्रा पर तथा कोयले की कीमत पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता

6538. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक रुग्णता विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी किए गए दिशा-निर्देशों तथा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, सितम्बर, 1990 के अन्त में आंध्र प्रदेश राज्य में लघु क्षेत्र में 29,977 एकक तथा गैर-लघु क्षेत्र में 128 एकक रुग्ण थे। औद्योगिक रुग्णता के लिए आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के कई कारण उत्तरदायी होते हैं। बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मुख्य कारण विपणन, वित्त, श्रमिक व उत्पादन समस्याओं, प्रबंधकीय कमियों, बिजली की कमी, मांग की कमी तथा प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित है।

(ग) जहां तक गैर-लघु क्षेत्र के रुग्ण एककों का संबंध है, इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाता है। सीमांत धन योजना के अधीन केन्द्र सरकार लघु क्षेत्र के रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन के लिए राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराती

है। 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन हेतु सीमांत धन योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को कुल 5.00 लाख रु० की राशि मंजूर की गई थी।

ईंट भट्ठों को कोयले की सप्लाई

6539. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंट भट्ठा उद्योग को कोयले की नियमित सप्लाई नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) लघु उद्योगों को कोयले की मियमित सप्लाई देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) जी, नहीं। ईंट-भट्ठा उद्योग को कोयले की नियमित आपूर्ति की जाती है। वास्तव में कोल इंडिया लि० ने ईंट-भट्ठा उद्योग को 1990-91 में 32.21 लाख टन कोयले की आपूर्ति की थी। इस संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार 1991-92 के दौरान कोल इंडिया लि० ने ईंट-भट्ठा उद्योग को सितम्बर, '91 तक 14.23 लाख टन कोयले की आपूर्ति की थी।

(ग) सरकार ने सभी कोयला कंपनियों को सलाह दी है कि वे सभी गैर-महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को, जिसमें लघु क्षेत्र के उद्योग भी शामिल हैं, कोयले की संयोजित मात्रा की कम-से-कम 50% आपूर्ति सड़क द्वारा या रेल द्वारा करें।

भूमि सुधार तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

6541. श्री जायनल अबेदिन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पर्याप्त सफलता हासिल करने हेतु ग्रामीण निर्धन लोगों को संगठित करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू करने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) ग्रामीण गरीबों का संगठन बनाने, ताकि वे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और भूमि सुधारों के लाभ प्राप्त कर सकें, की एक योजना विचाराधीन है। इस योजना के लिए इस समय कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[हिन्दी]

सागर, मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम

6542. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सागर, मध्य प्रदेश में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से बीड़ी श्रमिकों के लिए पचास बिस्तरों का कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) और (ख) बीड़ी श्रमिक कल्याण-निधि से सागर, मध्य प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए 10 बिस्तरों वाला एक अस्पताल, जिसे बढ़ाकर 50 बिस्तरों तक किया जा सके, का निर्माण करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है । अत: इस अवस्था में यह कहना संभव नहीं है कि अस्पताल कब तक पूरा हो जाएगा । फिलहाल सागर, मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के लिए समिति

6543. **श्री शरद दिघे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम और निदेश पद क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) नई औद्योगिक नीति से श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न समस्याओं तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने तथा उनके बारे में उपयुक्त सिफारिशें सुझाने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा एक विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित की गई थी । इस समिति की संरचना इस प्रकार है :

(I) सरकार

	केन्द्रीय सरकार	स्थानों की संख्या
	1	2
1.	श्रम मंत्रालय	1
2.	उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	1
3.	उद्योग मंत्रालय (सरकारी उद्यम विभाग)	1

1		2
4.	वित्त मंत्रालय	1
5.	योजना आयोग	1
	जोड़	5

(II) नियोक्ता

1.	भारतीय नियोक्ता परिषद्	8
2.	अखिल भारतीय निर्माता संगठन	2
	जोड़	10

(III) कामगार

1.	भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस	3
2.	भारतीय मजदूर संघ	2
3.	हिन्द मजदूर सभा	1
4.	संयुक्त परिवार संघ केन्द्र (एल० एस०)	1
5.	अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस	1
6.	भारतीय व्यापार संघ केन्द्र	1
7.	राष्ट्रीय श्रमिक संगठन	1
	जोड़	10

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड को घाटा

6544. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :**
श्री जीवन शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की कमियों, विशेषकर विदेशी मुद्रा में हुए घाटे की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कमियों के क्या कारण हैं और इनके लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व निदेशक श्री बी० स्वामीनाथन से (अप्रैल, 1991 में) मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । तथापि, घाटे के निम्नलिखित कारण हैं :

1. हानियों के लिए मुख्य कारण खाड़ी क्षेत्रों में दो विदेशी परियोजनाओं का होना था ।

2. ईरान-इराक युद्ध से ई० पी० आई० की हानियों में वृद्धि हुई ।

3. विदेशी ग्राहकों का अड़ियल रुख ।

4. विदेशी प्रचालनों हेतु लिए गए ऋण पर देय भारी ब्याज ।

यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो सरकार द्वारा रिपोर्ट के स्वीकार किए जाने के उपरान्त उसके विरुद्ध कारंवाई की जाएगी ।

[हिन्दी]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयले का अनाधिकृत आबंटन

6545. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयले के कथित अनाधिकृत आवंटन के संबंध में जानकारी है जैसा कि 19 फरवरी, 1992 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई छापा मारा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड में घाटे के लिए उत्तरदायी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सी० बी० आई० (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) से जांच कराने का विचार है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कारंवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

बिहार में उद्योग

6546. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के लिए सप्लाई किए जा रहे कच्चे माल का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या बिहार में उत्पादित कच्चे माल पर आधारित किसी उद्योग को बिहार में स्थापित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) बिहार राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कच्चे लोहे, स्टील स्क्रैप्स इत्यादि जैसे कच्चे माल की आपूर्ति बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों को की जाती है।

(ख) और (ग) जी, हां। आयरन और कोयला, चूना पत्थर, पायरिटीस तांबा, अभ्रक, गन्ना मोलासिस, पटसन, चमड़ा, कच्ची खालें और चमड़ी इत्यादि जैसे कच्चे माल जो बिहार में उपलब्ध हैं, पर आधारित उद्योग राज्य में स्थापित किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु व कुटीर उद्योगों के कार्यकरण में सुधार करना

6547. **श्री अन्ना जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक व लाइसेंस नीति के अन्तर्गत लघु व कुटीर उद्योग क्षेत्र के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु व कुटीर उद्योगों के लिए ही आरक्षित करने का है;

(ग) यदि हां, तो ये कौन-कौन-सी वस्तुएं हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) लघु, अति लघु तथा ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के लिए 6-8-1991 को संसद में रखे गये नीतिगत उपायों की मंशा इस क्षेत्र को विभिन्न सुविधाएं व सहायता के उपायों की व्यवस्था करके अधिक जीवंतता व विकास संबंधी प्रोत्साहन देना है।

(ख) से (घ) आज की तारीख तक, केवल लघु क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण करने के लिए 836 मदों का आरक्षण किया गया है। 24 जुलाई, 1991 को घोषित औद्योगिक नीति में यह

उल्लेख किया गया है कि आरक्षण संबंधी नीति जारी रहेगी। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित 836 मदों की सूची दिनांक 25 जुलाई, 1991 की गजट अधिसूचना सं० का०आ० 477(अ) के अनुसूची-III में दी गयी है।

मदों का आरक्षण करना एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत गठित आरक्षण संबंधी सलाहकार समिति द्वारा आरक्षित मदों की सूची की समय-समय पर पुनरीक्षा की जा रही है। यह समिति सरकार की आरक्षित सूची में मदों को जोड़ने और उन्हें हटाने के संबंध में सिफारिश करती है।

प्रागा टूल्स लिमिटेड द्वारा उठाया गया घाटा

6548. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश) द्वारा प्रतिवर्ष कितना घाटा उठाया गया;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) प्रागा टूल्स लिमिटेड (पी० टी० एल०) का पिछले तीन वर्षों का कर पूर्व लाभ/(हानि) निम्न प्रकार है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	लाभ (+)/हानि(—)
1989-90	83.17
1990-91	(—)169.88
1991-92 (अनन्तिम)	(—)242.69

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कंपनी को हानि मुख्य रूप से उच्च तकनीक वाली मशीनों और फोर्जिंग्स जैसी पूंजीगत सामग्री के लिए अपर्याप्त क्रयादेशों के कारण हुई है।

(ग) कंपनी के उत्पादों के लिए और अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के सभी संभव प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

कोयले पर से हटाए गए उपकर के लिए मुआवजा देना

6549. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले पर से हटाए गए उपकर के कारण बिहार, बंगाल और उड़ीसा राज्यों को होने वाले सतत घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : कुछ राज्य सरकारों के कोयले पर उपकर लगाये जाने वाले कानून को, जिसमें बिहार तथा उड़ीसा की राज्य सरकारें शामिल हैं, न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ऐसे उपकरों को लगाए जाने के विरुद्ध याचिकाएं न्यायालयों के अधीन हैं। एक बार कोयले पर उपकर को लगाये जाने संबंधी कानून को अमान्य घोषित किए जाने के बाद कोयले के खरीददारों से उपकर का संग्रहण नही किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा, उपकर को वापिस लिए जाने के परिणामस्वरूप संबद्ध राज्य सरकारों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। किन्तु, भारत सरकार ने जिन राज्यों में उत्पादित कोयले की रायल्टी की दरों में संशोधन कर दिया है, उनमें कोयले पर उपकर के संग्रहण को वापिस ले लिया गया है। कोयले पर रायल्टी की दरों में हुई वृद्धि से प्राप्त राजस्व की राशि संबद्ध राज्य सरकारों को मिल सकेगी।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय निवेश

6550. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितने प्रतिशत केन्द्रीय निवेश किया गया; और

(ग) उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) 31-3-1991 को उड़ीसा राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में 6898.72 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया है जो सभी राज्यों में किए गए कुल पूंजीनिवेश का 5.32% है। 31-3-1991 तक की स्थिति के अनुसार पूंजीनिवेश की दृष्टि से यह राज्य आठवें स्थान पर आता है। राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजीनिवेश संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

श्रमिक की परिभाषा

6551. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, बोनस संदाय अधिनियम, 1952, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, ई० एस० टी० एक्ट और मजदूरी संदाय अधिनियम जैसे श्रमिक संबंधी विभिन्न अधिनियमों में कामगारों की परिभाषा में विभिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप विवादों और मुकदमेबाजो में वृद्धि हुई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां।

(ख) कर्मकार की परिभाषा विभिन्न अधिनियमों में उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। इसी प्रकार विवादों और मुकदमेबाजी की संख्या में वृद्धि केवल विभिन्न अधिनियमों में कर्मकार की परिभाषा में भिन्नता के कारण ही नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश की पेयजल परियोजनाओं के लिए नीदरलैंड से सहायता

6552. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड सरकार ने आंध्र प्रदेश में फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कितने गांवों को लाभ पहुंचा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) नीदरलैंड सरकार ने आंध्र प्रदेश परियोजना-1 के अन्तर्गत 6 जिलों (प्रकाशम, गुन्टूर, कृष्णा, कुर्नूल, नालगोंडा और करीमनगर) में फ्लोराइड से प्रभावित 201 गांवों और आंध्र प्रदेश परियोजना-2 के अन्तर्गत फ्लोराइड, खारेपन से प्रभावित और पेयजल की कमी वाले 234 गांवों में स्वच्छ पेयजल-सप्लाई के लिए अभी तक 60.635 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। नीदरलैंड सरकार से प्राप्त सहायता और लाभान्वित गांव/जनसंख्या के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

परियोजना	गांवों की संख्या	जन संख्या (लाख में)	परियोजना की लागत (लाख रुपए में)	कवर किए गए गांव
1	2	3	4	5
6 जिलों में आंध्र प्रदेश परियोजना-1	201	7.62	1825.51	199

1	2	3	4	5
महबूब नगर जिले में 10,000 एकड़ उठान सिंचाई सहित कुर्नूल, महबूब नगर, मेडक और प्रकाशम के 4 जिलों में आन्ध्र प्रदेश परियोजना-2	234	6.48	4238.00	24
	435	14.100	6063.51	223

खानों में सुरक्षोपाय संबंधी समिति

6553. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों में सुरक्षोपाय को देखने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) श्रम मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई समिति गठित नही की गई है। तथापि, खान नियमावली, 1955 के अनुसार सामान्यतया 100 से अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाली प्रत्येक खान में, उक्त नियमावली में दिए गए उपबन्धों के अधीन सुरक्षा समितियां गठित की जानी अपेक्षित हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी सहायता प्राप्त संगठनों/संस्थाओं में आरक्षण नीति

6554. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी परिषद तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, शहरी विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं और ये कुछ अनुदान सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज तक इन संगठनों को कितनी अनुदान सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या 2 लाख रुपये से अधिक की अनुदान सहायता प्राप्त कर रही संस्थाओं/संगठनों को सरकार की आरक्षण नीति का पालन करना पड़ता है;

(घ) क्या ये संगठन आरक्षण नीति का भी पालन करते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन संस्थाओं द्वारा आरक्षण नीति का सख्ती से पालन किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवास कल्याण संगठन की स्थापना 1990 में की गई थी। इन संगठनों को 1990-91 और 1991-92 में दिए गए अनुदानों के ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं :—

	भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवास कल्याण संगठन
1990-91	100.00	5.00
1991-92	280.00	10.00

(ग) और (घ) यह नियम उन संस्थानों के लिए प्रयोज्य है जो नियमित आधार पर 20 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं। आज की तारीख के अनुसार दोनों संस्थानों में नियमित कर्मचारी 20 से कम हैं। तथापि, दोनों संगठन अपने नियमों में सरकार को आरक्षण नीति की व्यवस्था कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मालाबार सीमेंट, केरल का गैर-सरकारीकरण

6555. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल में वालायार में सरकारी क्षेत्र के एक बड़े उपक्रम "मालाबेर सीमेंट" का गैर-सरकारीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ प्राइवेट कम्पनियों ने भी इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त कारखाने को कुल कितना घाटा हुआ है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मै०, मालाबार, सीमेंट्स लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार, कंपनी का पिछले तीन वर्षों में हानि/लाभ का ब्योरा इस प्रकार है :—

1989-90	—हानि 96.95 लाख रुपये
1990-91	—लाभ 15.94 लाख रुपये
1991-92	—अनंतिम लाभ 200 लाख रुपये

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद पुनरीक्षा समिति की सिफारिशें

6556. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद पुनरीक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अपने वित्त और कार्यकलापों में इस प्रकार समायोजन करना चाहिए ताकि सातवीं योजना के अन्त तक प्रायोजित अनुसंधान से कुल खर्च का एक तिहाई खर्च निकल सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश के 4½ वर्ष बाद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कौन-कौन प्रयोगशालाएं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकी हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं का प्रायोजित अनुसंधान करने का कार्य संतोषजनक रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि कोई सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है, तो वे क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती मार्गरेट अल्वा**) : (क) जी हां।

(ख) बाह्य स्रोतों के अनुसंधान तथा विकास व्यय का एक तिहाई पैदा करने संबंधी निदेश सीएसआईआर के लिए समग्र रूप से हैं न कि इसकी प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए अलग-अलग। फिर भी सीएसआईआर की 20 प्रतिशत प्रयोगशालाएं पहले ही वर्ष 1990-91 तक बाह्य स्रोतों से अपने व्यय का एक तिहाई से अधिक पैदा कर रही थीं।

(ग) जी हां। यह इस तथ्य में स्पष्ट है कि सीएसआईआर के बाह्य नगदी प्रवाह में 1986-87 में 31 करोड़ से 1990-01 में 64 करोड़ की वृद्धि हुई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्यों में दिए गए ऋण

6557. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा, दिल्ली और गुजरात को श्रेणी-वार कितनी-कितनी राशि के ऋण दिए हैं;

(ख) इन ऋणों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस अनुपात में बांटा गया था; और

(ग) इसके लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं तथा ऋण देने की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अधीन हरियाणा, दिल्ली और गुजरात राज्यों को दिए गए ऋण की राशि इस प्रकार है :—

ऋण की राशि (लाख रु० में)

	हरियाणा		दिल्ली		गुजरात	
	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1988-89	134.89	129.72	21.53	12.40	541.12	74.38
1989-90	132.96	355.55	27.85	33.37	123.31	186.43
1990-91	126.28	300.56	11.54	48.42	168.96	130.00

(ख) 1947 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में संशोधन के पश्चात खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों को लाभ पहुंचाना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यान्वयन अभिकरण तथा इसके बिक्री केन्द्र हालांकि शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, किन्तु इनके ज्यादातर उत्पादन एकक ग्रमीण क्षेत्रों में हैं। अत: 1987 से पहले स्थगित इकाइयों को दी गई राशि के अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी जाने वाली तकरीबन पूरी राशि केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने कार्यक्षेत्र के अधीन भिन्न-भिन्न खादी और ग्रामोद्योग की योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का ढांचा तैयार किया है। भिन्न-भिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को दी जाने वाली राशि बजट चर्चा के समय खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं कार्यान्वयन अभिकरणों के बीच सहमत कार्यक्रम के आकार तथा कार्यक्रम हाथ में लेने वाले कार्यान्वयन अभिकरणों की क्षमता पर निर्भर करता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात ही धनराशि जारी की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग ऋण नियमावली (1956) के अनुसार पेशगी ऋण देने के लिए शर्तें तैयार की हैं। धनराशि जारी करने से पहले बंधक-पत्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पक्ष में अचल परिसम्पत्तियों के बंधक-पत्र प्राप्त करने और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वास्तविक जांच, इत्यादि जैसे पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

कोयले का तौल

6558. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और गुजरात तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच कोयले के तौल को लेकर कोई विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, हां। कोयले की तौल के संबंध में कोल इंडिया लि० और गुजरात राज्य बिजली बोर्ड तथा कोल इंडिया लि० और उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच कुछ विवाद हैं।

(ख) कोल इंडिया लि० और कोयला उपभोक्ताओं के बीच विवाद, जोकि वाणिज्यिक स्वरूप के हैं, इसे परस्पर बातचीत के जरिए निपटाया जाना चाहिए। कोल इंडिया लि० कोयले की तौल से संबंधित इस विवाद को निपटाने के लिए गुजरात विद्युत बोर्ड और उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड से परस्पर संपर्क रखे हुए हैं।

रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाना

6559. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक मफतलाल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने श्रमिकों का प्रस्ताव मंजूर किया है;

(ग) श्रमिकों ने अब तक ऐसे कितने रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाया है;

(घ) क्या सरकार का विचार श्रमिकों को संबंधित उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने मै० मफतलाल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि० के पुनरुज्जीवन के लिए एक योजना का मसौदा तैयार किया है। योजना में मौजूदा प्रवर्तकों के शेयरों को कर्मचारियों की सहकारी समिति को हस्तांतरित करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अनुसार कर्मचारियों की सहकारी समितियों के माध्यम से तीन कम्पनियों के पुनरुज्जीवन की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) से (च) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की परिसीमा के अधीन आने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के उपायों में रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम को ऐसे उपक्रम के कर्मचारियों की सहकारी समिति सहित किसी व्यक्ति को पट्टे पर देना और रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के व्यवस्थापकों और कर्मचारियों सहित शेयरों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी में किसी व्यक्ति के नाम हस्तांतरित अथवा जारी करने जैसे उपाय शामिल हैं।

डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि

6560. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मॉडर्न ब्रेड सहित विभिन्न स्तरीय कंपनियों द्वारा डबल रोटी के मूल्य में पिछले दो वर्षों के दौरान बार-बार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 और 1992 में अब तक की गई इन वृद्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मूल्य वृद्धियों के क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) राजधानी में डबल रोटी (800 ग्राम) के मूल्यों में किया गया संशोधन निम्नवत है :

निम्न तारीख से	मूल्य (रु० प्रति 800 ग्राम)
7-9-1990	3.80
8-2-1991	4.20
23-12-1991	5.50
1992	मूल्य

(ग) अक्तूबर, 1991 तक दिल्ली प्रशासन द्वारा और 23-12-1991 को मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि० द्वारा डबल रोटी के मूल्यों में संशोधन आंशिक रूप से विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की लागत, वेतन बिलों, शुल्कों, वितरण प्रभारों, ढुलाई लागत तथा अन्य निवेशों में हुई तीव्र वृद्धि को बेअसर करने के लिए किया गया था।

[हिन्दी]

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

6561. **श्री भवानी लाल वर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन स्थानों पर कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक संयंत्र कार्य कर रहे हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इनमें से प्रत्येक कारखाने को कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) क्या कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक के किसी कारखाने को बन्द करने का निर्णय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें कार्यक्षम बनाने के लिए तैयार की गई योजनाओं, यदि कोई हों, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) इस समय, कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र हैं—एक आन्ध्र प्रदेश में, रामागुण्डम में और दूसरा उड़ीसा में तालचर में। गत चार वर्षों के दौरान इन दो संयंत्रों द्वारा उठाये गये घाटे के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	रामागुण्डम (रु० लाख)	तालचर (रु० लाख)
1988-89	2680	7348
1989-90	3994	3609
1990-91	4619	2322
1991-92 (अनन्तिम)	3224	5035

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया ने दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :

(I) रामागुण्डम के लिए रु० 180.12 करोड़ की लागत पर कैपटिव पावर संयंत्र सहित चरण-I का पुनर्वास प्रस्ताव ।

(II) तालचर में 60 प्रतिशत क्षमता प्राप्त करने के लिए 137.94 करोड़ रुपए की लागत से एच पी बायलर सहित पुनर्वास प्रस्ताव ।

[अनुवाद]

वार्ता के दौरान मजदूर संघों को रियायतें

6562. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध मंडलों को वार्ता के दौरान मजदूर संघों को रियायतें न देने के निदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मजदूर संघों ने उक्त निदेश का विरोध किया है, और

(घ) यदि हां, तो इस संयंत्र में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) जी, नहीं । सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमों में लागू मजूरी समझौते 31-12-91 को समाप्त हो गये हैं । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों को सलाह दी गई है कि वे उस समय तक कामगारों की यूनियनों को कोई वचन न दें अथवा उनके साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करें जब तक सरकार मजूरी सम्बन्धी बातचीत के पांचवें दौर के लिए नई मजूरी नीति तैयार नहीं कर लेती ।

[हिन्दी]

सिविल सर्विस परीक्षा में योग्यता के विनिश्चय का मानदंड

6563. डा० जी० एल० कनोजिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले दो या अधिक सफल उम्मीदवारों के मेरिट के क्रम के निर्धारण में संघ लोक सेवा आयोग के मानदंडों/सिद्धान्तों को न्यायालय में चुनौती दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जो उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं उनका योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति को 1979 में सिविल सेवा परीक्षा के शुरू करने के बाद न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। 1979 से पूर्व जब भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा जो सिविल सेवा परीक्षा की पूर्ववर्ती परीक्षा थी, उसकी पद्धति को दिल्ली उच्च न्यायालय में सी० डब्ल्यू० पी० संख्या 1969 का 305—पी० आर० एस० बरार बनाम संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य में चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति पर उपयुक्त विचार करने के बाद रिट याचिका को खारिज कर दिया।

[अनुवाद]

कर्नाटक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तालाबन्दी

6564. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रमों में 1991 के दौरान काम बन्द रहा या तालाबन्दी घोषित की गई थी; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) श्रम ब्यूरो, शिमला, जो इस सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन करता है, के अनुसार 1991 के दौरान कर्नाटक के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से किसी हड़ताल या तालाबंदी होने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार को आबंटन

6565. श्री राम टहल चौधरी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के घटिया निष्पादन के कारण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता धनराशि में कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि कम की गई; और

(ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं के संबंध में कटौती की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास के लिए विज्ञान संबंधी मंत्रालयों को अनुदान

6566. श्री के० तुलसिऐया वान्डायार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न भाषाओं में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए वैज्ञानिक मंत्रालयों और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को कुल कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है;

(ख) इन अनुदानों में तमिलनाडु का हिस्सा कितना है;

(ग) क्या तमिलनाडु में कोई अनुसंधान और विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में विकास केन्द्र

6567. श्री सुधीर सावंत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नागिरि में विकास केन्द्र की घोषणा कर दी गई है;

(ख) क्या इस विकास केन्द्र की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सिन्धुदुर्ग जिले में किसी विकास केन्द्र का चयन न करने के कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र में रत्नागिरी को एक विकास केन्द्र के रूप में चुना गया है। सरकार ने रत्नागिरी की परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है तथा 2 करोड़ रु० की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गई है।

(घ) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विकास केन्द्रों का चयन किया जाता है। महाराष्ट्र के संदर्भ में, राज्य सरकार ने चयन हेतु सिंधुदुर्ग जिले के नाम का सुझाव नहीं दिया था।

मृतकों के आश्रितों को रोजगार

6568. डा० देवी प्रसाद पाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी सेवा में खपाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति का विभिन्न सरकारी संगठनों में समान रूप से पालन किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सभी सरकारी विभागों में इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/निकट संबंधी को, पूर्णतया उपयुक्त मामलों में जहां परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, अनुकम्पा के आधार पर सरकार में नौकरी देने की एक योजना है।

(ख) और (ग) सभी मंत्रालयों/विभागों से यह आशा की जाती है कि वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित अनुदेशों का पालन करें।

उर्वरक उद्योग में वित्तीय संकट

6569. **श्री विजय नवल पाटिल :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजसहायता के रूप में बकाया देय राशि इकट्ठा हो जाने के कारण वित्तीय संकट के संबंध में उर्वरक उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस-आयोग, भारतीय तेल निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने भी उर्वरक उद्योग को ऋण देने से मना कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उर्वरक उद्योग को पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का राजसहायता के भुगतान न किए जाने को देखते हुए उर्वरक उद्योग को होने वाले वित्तीय संकट को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि ऋण सुविधाओं को मना करने का ऐसा कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है जिसके कारण उत्पादन बन्द हुआ हो, यह सम्भव है कि कुछ उर्वरक कम्पनियों को समापन समस्याओं के कारण भुगतान में चूक की वजह से निवेश आपूर्तिकर्ताओं से ऋण प्राप्त करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हों।

(ग) और (घ) राजसहायता का शीघ्र भुगतान करने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं, जोकि बजटीय बाधाओं के कारण गत वर्ष नहीं किए जा सके।

सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

6570. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**

श्री बी० कृष्णा राव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में कितने आवास बनाये गए;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के अनुसार और अधिक क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली में गत दो वर्षों (1989-90 तथा 1990-91) के दौरान निर्मित साधारण पूल मकानों की संख्या 574 थी।

(ख) से (घ) सरकार, निधियों के नियतन पर निर्भर करते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए और अधिक साधारण पूल मकानों के निर्माण की स्वीकृति देना जारी रखेगी।

प्रोटोटाइप सुपर कम्प्यूटर का विकास

6571. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने स्वदेशी प्रोटोटाइप वाणिज्यिक सुपर कम्प्यूटर सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अंतर्गत पुणे स्थित उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) नामक एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था ने 'परम' नामक सुपर कम्प्यूटर की अभिकलन क्षमता वाली समानान्तर संसाधन मशीन की शृंखला का विकास कर लिया है, जिसकी अभिकलन क्षमता 1000 मीगा फ्लाप्स (प्लव बिन्दु प्रचालन प्रति सेकण्ड) है। ये अब व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं।

गाजियाबाद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करना

6572. **डा० रमेश चन्द तोमर** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत गाजियाबाद को दिल्ली महानगर क्षेत्र में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गाजियाबाद को इसके समग्र विकास के लिए और अधिक वित्तीय सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नियतन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

कोयले की गुणवत्ता में गिरावट

6573. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ताप विद्युत घरों में पिछले दो वर्षों के दौरान घटिया कोयले की सप्लाई करने के क्या कारण हैं और उसके परिणामस्वरूप विद्युत घरों के उत्पादन में आई कमी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अच्छी गुणवत्ता के कोयले की अनुपलब्धता के संबंध में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की ओर से शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कारंवाई की गई है; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश के बिजली घरों को अच्छी गुणवत्ता का कोयला सप्लाई करने हेतु कोई विशेष प्रयास किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) मध्य प्रदेश के ताप विद्युत गृहों को को० इं० लि० द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा सामान्य रूप में संतोषप्रद रही है। कोल इण्डिया लि० (को० इं० लि०) के प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की जरूरत का 92% रही है। किन्तु मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के सतपुरा ताप विद्युत गृह में कोयले की उपलब्धता में कमी होने के कारण बिजली के उत्पादन में कमी आई है।

(ख) से (घ) कोल इण्डिया लि० द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने गुणवत्ता वाले कोयले की अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के संबंध में उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। किन्तु को० इं० लि० उत्पादित किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है—कोयले का उत्पादन किए जाने के दौरान बेहतर पर्यवेक्षण का सुनिश्चय, लदान से पूर्व कंकड़ तथा पत्थरों को अलग किया जाना और कोयला रख-रखाव संयंत्रों आदि की स्थापना करना।

उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और नरोरा संयंत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति

6574. **श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में किसी नये परमाणु विद्युत केन्द्र का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र चालू हो जाने के पश्चात् कुल कितने ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति में सुधार हुआ है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) उत्तर प्रदेश में कोई नया परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(घ) नरोरा परमाणु बिजलीघर से उत्पादित विद्युत ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार सभी लाभभोगी राज्यों और उत्तरी विद्युत क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सहभागिता में उपयोग में लाई जाती है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा 35% है। विद्युत की सप्लाई उस क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को की जाती है।

[अनुवाद]

ईस्ट कोस्ट फर्टिलाइजर लिमिटेड को कार्यक्षम बनाना

6575. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईस्ट कोस्ट फर्टिलाइजर लिमिटेड, कालमा, मयूरभंज, उड़ीसा में रुग्ण होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस एकक को कार्यक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) कम्पनी की वित्तीय कठिनाइयों के कारण ईस्ट कोस्ट फर्टिलाइजर लि०, मयूरभंज को सितम्बर, 1991 के अन्तिम सप्ताह से बन्द किया जा चुका है।

(ग) ईस्ट कोस्ट फर्टिलाइजर लि०, मयूरभंज एक निजी कम्पनी है अतः, इस एकक को पुनः चालू करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वैज्ञानिकों को काम का आवंटन

6576. **श्री शरद यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक अधिकारियों को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्रों के अनुसार काम का आवंटन किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकारियों की योग्यता का उपयोग करने के लिए उनका समुचित स्थापन करना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न अधिकारियों को उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप काम का आवंटन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) वैज्ञानिक विभागों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अधिकारियों की भर्ती, संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ऐसे अधिकारियों की लचीली पूरक स्कीम के अनुसार स्व-स्थाने पदोन्नति की जाती है। कुल मिलाकर ये अपने विशिष्टता के क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। यह भी नोट किया जाए कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों की प्रकृति है कि इनमें थोड़े समय में ही तीव्र परिवर्तन हो जाते हैं। यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत आवश्यक है कि वे बहु-विषयक कार्य में योगदान दें। सरकार वैज्ञानिकों के उपयोग की भी समय-समय पर समीक्षा करती है और जहां आवश्यक होता है, परिवर्तन करती है।

अचल संपत्ति का अधिग्रहण

6577. **श्री मोहन सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का स्थावार संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1970 के अधीन अधिग्रहण की गई किसी निर्मित संपत्ति को इसके अधिग्रहण की तिथि से 15 वर्षों की अवधि की पूरी होने से पहले अथवा 15 वर्ष होने पर रिलीज करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को यह अधिग्रहण समाप्त करने और इस संपत्तियों को खाली करने के लिए कहने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां, स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में 1980 में एक संशोधन (35 अथवा 1980) करके यह व्यवस्था की गई थी कि किसी संपत्ति को अधिकतम 15 वर्ष की अवधि के

लिए अधिग्रहण में रखा जा सकता है। तथापि, कुछ संपत्तियां, जो कि रक्षा मंत्रालय (पहले) निर्माण एवं आवास मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन आदि के अधिग्रहण में थी, इस अवधि के समाप्त होने के बाद भी सार्वजनिक प्रयोग के लिए अपेक्षित थी। अतः 1985 में एक अध्यादेश द्वारा (1985 का दूसरा) संपत्ति अधिग्रहण में रखने की अवधि को दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तदन्तर, इस अध्यादेश का स्थान संशोधन अधिनियम, 1985 ने लिया था।

(ग) से (ङ) चूंकि अधिग्रहीत की गई संपत्ति को रिलीज करने के लिए सरकार द्वारा कोई व्यक्तिगत आदेश जारी नहीं किए गए हैं, अतः अधिनियम की मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार कार्रवाई करना संबंधित अधिग्रहणकर्ता अधिकरण का दायित्व है।

[हिन्दी]

खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, गुजरात को अनुदान

6578. **श्री दिलीप भाई संघानी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्षों के दौरान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, गुजरात को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान उक्त अनुदान में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) केन्द्र सरकार गुजरात सहित सभी राज्यों में अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले खादी तथा ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और ऋण देकर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार से मिली धनराशि में से पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने गुजरात राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को निम्नलिखित राशि दी है :—

(लाख रु० में)

	दिए गए अनुदान	
	खादी	ग्रामोद्योग
1988-89	22.91	10.19
1989-90	54.20	35.57
1990-91	52.26	11.14

(ख) तथा (ग) संसद द्वारा इस मंत्रालय की अनुदान मांगें पारित कर दिए जाने के बाद

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को सूचित कर दिया जाएगा कि उसे केन्द्र सरकार से कितनी बजट सहायता मिलेगी। उसके बाद, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अपने प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्थानों तथा भिन्न-भिन्न राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों से व्यापक बजट चर्चाएं करके राज्यवार आबंटन को अंतिम रूप देता है।

पूर्ण स्वामित्व प्रणाली

6579. श्री अरविन्द नेताम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डी० डी० ए० फ्लैटों/मकानों के आवंटियों को अपेक्षित धनराशि जमा करके पूर्ण स्वामित्व योजना का लाभ मिलने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली में भूमि के भू-धारणाधिकार की लीजहोल्ड पद्धति को फ्री-होल्ड में परिवर्तन से संबंधित दिनांक 14-2-1992 के आदेश दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों/मकानों के आवंटितियों पर भी लागू होते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों/टिनामेंटों के संबंध में देय योग्य परिवर्तन शुल्क संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा इसके स्लम विंग द्वारा लीज होल्ड आधार पर आवंटित किए गए फ्लैटों के लिए :

फ्लैट/टेनेमेंट की श्रेणी	पूर्वी क्षेत्र	उत्तरी/पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र
जनता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निम्न आय वर्ग	3,000	9,000	12,000	15,000
मध्यम आय वर्ग/ स्ववित्त पोषित योजना (I)/टाइप-II	4,250	12,750	17,000	21,250
स्ववित्त पोषित योजना (II)/ उच्च आय वर्ग/ टाइप-II (ए)/ टाइप-II-बी	6,250	18,750	25,000	31,250
स्ववित्त पोषित योजना (III)	7,500	22,500	30,000	37,500

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि पर सामूहिक आवास समितियों द्वारा बनाए गए फ्लैटों के लिए :

फ्लैट/टेनेमेंट का कुर्सी क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	पूर्वी क्षेत्र	उत्तरी/पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र
30 और इससे कम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30 से अधिक और 50 तक	3,000	9,000	12,000	15,000
50 से अधिक और 75 तक	4,250	12,750	17,000	21,250
75 से अधिक और 100 तक	6,250	18,750	25,000	31,250
100 से अधिक और 125 तक	7,500	22,500	30,000	37,500
125 से अधिक	परिवर्तन शुल्क अनुलग्नक-क के भाग (क) में उल्लिखित इमारतदार भू-खण्डों के लिए फार्मूले के आधार पर होंगे, भू-खण्ड का क्षेत्रफल 1.2 × फ्लैट का कुर्सी क्षेत्रफल माना जाएगा।			

[अनुवाद]

केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को धन का आवंटन

6580. **श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 के दौरान केरल में विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आबंटित किए गए धन का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) धन उपयोग की स्थिति का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए, वर्ष 1991-92 के सरकारी लेखे बन्द करने के लिए निर्धारित तिथि अभी नहीं आई है। केरल स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच उद्यमों की, वर्ष 1990-91 की स्थिति का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को कामगारों द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

6581. डा० आर० मल्लू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्रों के 17 रुग्ण एककों के कामगारों ने इन एककों को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न सहकारी समितियों तथा प्राइवेट फर्मों को भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) विशिष्ट त्रिपक्षीय समिति की 20-1-1992 को आयोजित बैठक में कुछ श्रमिक संघों ने कामगारों की सहकारी समितियों के गठन का सुझाव दिया है। यदि कामगार इच्छुक हों तो, सरकार, सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को कामगारों की सहकारी समितियों के जरिए चलाए जाने संबंधी अर्थक्षम प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार है। बहरहाल, कामगारों की सहकारी समितियों के विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर इस संबंध में कंपनी-वार ब्योरा तैयार किया जाना है।

डी० डी० ए० के धन का तथाकथित दुरुपयोग

6583. श्री सुकदेव पासवान : क्या शहरी विकास मंत्री 20 नवम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन आरोपों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह जांच कब तक पूरी करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण पिछले छः महीनों से आरोपों की जांच कर रहा है। कुछ निर्माण कार्यों, जिनसे आरोप संबंधित हैं, की गहन जांच केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा भी प्रारम्भ की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दो आरोप जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे हैं।

(ख) और (ग) चूंकि, आरोपों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा विस्तृत तकनीकी अभिलेखों, स्थल निरीक्षण इत्यादि की जांच अपेक्षित है, जो कि समय लेने वाली प्रक्रिया है, अतः ब्योरों का उल्लेख करना अथवा किसी निश्चित समय, जिस तक जांच पूरी की जा सके, को निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए समितियां

6584. श्री बारे लाल जाटव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों की समस्याओं के अध्ययन हेतु किसी समिति का गठन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी तथा सावधिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने, रुग्ण लघु उद्योगों की पुनः स्थापना तथा लघु उद्योगों से संबंधित किसी भी मामले की जांच संबंधी प्रबंधों की समीक्षा करने के लिए आरबीआई के दिनांक 9-12-1991 के ज्ञापन के तहत एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) से (घ) समिति के 30-6-1992 तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की सम्भावना है।

राजस्थान के शहरों के लिए पेयजल की व्यवस्था

6585. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के शहरों/कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराने में हो रही समस्याओं का पता लगाने की दृष्टि से कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने राजस्थान के शहरों/कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6586. श्री उद्धव बर्मन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक का पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें बन्द कर दिया गया है;

(घ) उनकी इस सम्बन्ध में रुग्णता के क्या कारण हैं और क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) असम में सार्वजनिक क्षेत्र के स्थापित किये जाने वाले नये उपक्रमों का विवरण क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) और (ख) असम राज्य में स्थित पंजीकृत कार्यालयों वाले उद्यमों का लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम बन्द नहीं किया गया है। उपक्रमों की कम लाभकारिता/रुग्णता के सामान्य कारण हैं—कम उत्पादकता, क्षमता का कम उपयोग, अतिरिक्त जनशक्ति, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुराना संयंत्र तथा मशीनरी, आदेशों की कमी आदि। इनके कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा 5 मार्च, 1992 को संसद में प्रस्तुत किये गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खण्ड-I के पृष्ठ संख्या 165 में दिया गया है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रुग्ण उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना अपेक्षित है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के किसी नये उपक्रम की स्थापना का निर्णय, परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है।

विवरण

असम स्थित पंजीकृत कार्यालयों वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ(+)/हानि(—) का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	उद्यम का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1.	असम अशोक होटल निगम लि०	(—) 5	(—) 5	(—) 5
2.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लि०	2192	2899	4850
3.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	(—) 145	(—) 198	(—) 198
4.	ऑयल इंडिया लि०	8656	8698	6811

[हिन्दी]

नेवेली लिग्नाइट खानों में तथाकथित अनियमितताएं

6587. श्री मृत्युंजय नायक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट खानों में तथाकथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की खान तथा तापीय विद्युत गृह-II में स्टाक की स्थिति की जांच किए जाने और उन्हें नवम्बर, 1991 में तापीय विद्युत गृह-II के बंद हो जाने के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) इस रिपोर्ट में खान तथा तापीय विद्युत गृह-II के न तो स्टाक में कोई विसंगति पाई गई है और न ही इस रिपोर्ट में तापीय विद्युत गृह-II के बंद हो जाने के संबंध में किसी परिहार्य लापरवाही का उल्लेख किया गया है।

(ग) यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति में कमी

6588. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण प्रभावित हो रहे उत्पादन के संबंध में कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयले की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य में विद्युत गृहों और अन्य उद्योगों को कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसके कारण इन यूनिटों ने उत्पादन में हुए नुकसान की सूचना है।

(ग) विद्युत, सीमेंट, इस्पात आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कोयले का संकलन नियमित रूप से किया जाता है और कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। सभी कोयला कंपनियों को, जहां तक गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों का

संबंध है. उन्हें कोयले की संयोजित मात्रा की कम-से-कम 50% तक आपूर्ति या तो रेल द्वारा अथवा सड़क द्वारा किए जाने की भी सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

सिंगरेनी कोयला खानों को "कोल इंडिया लिमिटेड" को सौंपना

6589. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :**

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिंगरेनी कोयला खानों को "कोल इंडिया लिमिटेड" को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे कब तक सौंपे जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या सिंगरेनी कोयला खान का कोल इंडिया के प्रबन्धन के विकल्प के रूप में निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के शेयर आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार के पास लगभग 51:49 के अनुपात में हैं। भारत सरकार शेयर-धारिता की इस वर्तमान पद्धति में परिवर्तन किए जाने के पक्ष में नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राज्यों में उद्योग विहीन जिले

6590. **श्री रति लाल वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार किन-किन जिलों को उद्योगविहीन जिलों की सूची में रखा गया है; और

(ख) ऐसे जिलों में उद्योग लगाने के लिए सरकार ने राज्यवार क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) "उद्योग विहीन जिलों" की राज्यवार सूची का एक विवरण संलग्न है।

(ख) किसी विशिष्ट जिले/क्षेत्र के औद्योगीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार, जहां संभव होता है, पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर उनके प्रयासों में सहायता करती है।

विवरण

1. असम

    1. लखीमपुर
    2. उत्तरी काचर पहाड़िया

2. बिहार

    1. औरंगाबाद
    2. भोजपुर
    3. खगड़िया
    4. नालंदा
    5. पूर्णिया
    6. सहरसा (नये बनाये गये माधेपुर जिले सहित)

3. गुजरात

    1. दांग

4. हिमाचल प्रदेश

    1. चम्बा
    2. कांगड़ा
    3. किन्नौर
    4. कुल्लू
    5. लाहौल तथा स्पीती

5. जम्मू तथा कश्मीर

    1. डोडा
    2. कुपवाड़ा
    3. लद्दाख
    4. पुंछ
    5. पालवामा
    6. राजौरी
    7. ऊधमपुर

6. कर्नाटक

1. बीदर

7. केरल

1. विनाड़

2. इदुक्की

8. महाराष्ट्र

1. गदचिरौली

9. मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. भिंड
3. छत्तरपुर
4. छिंदवाड़ा
5. दमोह
6. दतिया
7. धार
8. गुना
9. झबुआ
10. मांडला
11. नरसिंहपुर
12. पन्ना
13. राजगढ़
14, सियोनी
15. शिवपुरी
16. सीधी
17. सरगुजा
18. टीकमगढ़

10. मणिपुर

1. मणिपुर (मध्य)
2. मणिपुर (पूर्वी)
3. मणिपुर (उत्तरी)
4. मणिपुर (दक्षिणी)
5. मणिपुर (पश्चिमी)
6. तंगनौपाल

11. मेघालय

1. पूर्वी गारो पहाड़ियां
2. पश्चिमी गारो पहाड़ियां
3. जैन्तिया पहाड़ियां
4. पश्चिमी खासी पहाड़ियां

12. नागालैंड

1. त्वेन्सांग

13. उड़ीसा

1. बालासौर
2. बोलनगीर
3. बौद्ध खोंडमाल्स (फूलबनी)

14. राजस्थान

1. जैसलमेर
2. सिरोही
3. बाड़मेर
4. चूरू

15. सिक्किम

1. गंगटोक
2. गियालशिंग
3. मन्गन
4. नामची

16. त्रिपुरा
   1. उत्तरी त्रिपुरा
   2. दक्षिणी त्रिपुरा
   3. पश्चिमी त्रिपुरा

17. उत्तर प्रदेश
   1. बांदा
   2. चमोली
   3. फतेहपुर
   4. हमीरपुर
   5. जालौन
   6. जौनपुर
   7. पौढ़ी गढ़वाल
   8. सुल्तानपुर
   9. टेहरी गढ़वाल
   10. उत्तर काशी
   11. कानपुर देहात

18. पश्चिम बंगाल
   1. बांकुरा
   2. कूच बिहार
   3. दार्जीलिंग
   4. जलपाईगुड़ी
   5. मालवा

19. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
   1. निकोबार द्वीपसमूह

20. अरुणाचल प्रदेश
   1. कामेंग
   2. सियांग
   3. सबनसीरी
   4. तिराप

21. लक्षद्वीप

1. लक्षद्वीप

22. मिजोरम

1. आइजोल

2. लुंगलेज

23. दादरा और नागर हवेली

1. दादरा और नागर हवेली

उद्योग विहीन जिले—93 की कुल संख्या

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनिस्पंदित जल आपूर्ति प्रभाग का कार्यकरण

6591. **श्री नानी भट्टाचार्य** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1990-91 के दौरान "अनिस्पंदित जल आपूर्ति प्रभाग" नाम से एक नया प्रभाग बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस प्रभाग के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) विद्यमान अनिस्पंदित जल आपूर्ति के नवीकरण और सुधार कार्य करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनिस्पंदित जल आपूर्ति मण्डल सृजित किया गया है और इससे अनिस्पंदित जल के वितरण के पर्याप्त सुधार होने की संभावना है। इस मण्डल के सृजन हो जाने के बाद अनिस्पंदित जल की विद्यमान वितरण पद्धति के रखरखाव के स्तर में सुधार होने की सूचना है।

उर्वरक राजसहायता की समीक्षा

6592. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए उर्वरकों पर पूर्व में दी जा रही राजसहायता को पुनः बहाल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे पुनः कब तक बहाल किए जाने की संभावना है और कितनी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट और कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट और सल्फेट आफ पोटाश की तरह के निम्न विश्लेषण उर्वरकों को छोड़कर सभी उर्वरकों के लिए राजसहायता का भुगतान किया जा रहा है। उक्त चार उर्वरकों को वापस उर्वरक प्रतिधारण मूल्य एवं राजसहायता योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रमिकों को पेयजल की आपूर्ति

6593. श्री रामदमन मरान्डी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्रा (दुमका, बिहार) की कोयला खान में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को पेय जल की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस पर वर्षवार हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस खान में पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था पर्याप्त न होने के परिणामस्वरूप श्रमिकों/कर्मचारियों को समुचित और नियमित रूप से पेय जल की आपूर्ति नहीं हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या का तत्काल और उचित समाधान निकालने का है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) चित्रा कोलियरी में एक लाख गैलन प्रतिदिन की क्षमता का एक धीमी सैंड फिल्टरेशन संयंत्र विद्यमान है जिससे चित्रा कोलियरी के कर्मचारियों के पेय जल की आपूर्ति की जाती है। यह योजना वर्ष 1984 में 4.57 लाख रुपए की लागत से क्रियान्वित की गई थी। 1987 में एक अतिरिक्त ओवरहैड टैंक के निर्माण की सुविधा प्रदान किए जाने के लिए 3.59 लाख रुपए की राशि और खर्च की गई। इसके अलावा 1990-91 में पांच हैंड पम्प/नलकूप लगाए गए हैं। इन नलकूपों से निकाले गए पानी का नियमित आधार पर जलवाहक के माध्यम से आपूर्ति की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयले का निर्यात

6594. श्री नीतीश कुमार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले के निर्यात का कार्यभार लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक (विपणन) की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में बंगलादेश गया था;

(घ) यदि हां, तो इस प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उनके दौरे पर कितना खर्च हुआ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोयला/कोक के निर्यात का निस्तारण कर दिया गया है। कोल इण्डिया लि०, वाणिज्यिक आधार पर कोयले का निर्यात किए जाने के मामले में स्वतंत्र है।

(ग) और (घ) जी, हां। कोल इण्डिया लि० ने यह सूचित किया है कि ओ० इं० लि० के मुख्य महाप्रबंधक (विपणन) श्री एस० के० सेन के नेतृत्व में कोयला कंपनियों के तथा एम० एम० टी० सी० के प्रत्येक के दो सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने कोयले में निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बंगलादेश का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमण्डल के अन्य सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं:

कोल इण्डिया लि०

1. श्री वी० के० सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (बिक्री तथा विपणन), ईस्टर्न कोलफील्डस लि० कलकत्ता।

2. श्री एस० वी० राव, महाप्रबंधक (वित्त) कोल इण्डिया लि०, कलकत्ता।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम :

1. श्री बी० एन० घोष, उपमहाप्रबंधक (एफ० एण्ड ए०), एम० एम० टी० सी०, कलकत्ता।

2. श्री बी० डी० सेठ, वरिष्ठ प्रबंधक, एम० एम० टी० सी०, नई दिल्ली।

(ङ) को० इं० लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कोयला कंपनियों द्वारा इस दौरे पर लगभग 1.48 लाख रु० की राशि खर्च की गई है।

मूल्य वृद्धि पर नागरिक पूर्ति मंत्रियों की बैठक

6595. **श्री सूरज भानु सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि की समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्यों की नागरिक पूर्ति मंत्रियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इनके क्या परिणाम निकले हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) मूल्य-स्थिति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण से संबंधित मामलों पर अक्तूबर, 1991 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों ने भी भाग लिया था। वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया था कि वे गैर-योजना

पक्ष के सरकारी खर्चों में कटौती करके बजटीय घाटे को नियंत्रित करें। वित्त मंत्री ने केंद्रीय सरकार द्वारा विचारित उपायों की रूपरेखा भी इस बैठक में प्रस्तुत की थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे मे भी इस बैठक में चर्चा की गई और प्रधान मंत्री ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण में स्थानीय लोगों को शामिल करें। राज्य सरकारों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही में तेजी लाने के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की।

मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का अधिक आबंटन किया जा रहा है, बाजार दखल कार्यवाही की जा रही है तथा खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। ऐसा करते समय अनेक बातों, जैसे कि केंद्रीय पूल में भंडार की उपलभ्यता, विदेशी मुद्रा की स्थिति और इन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है।

विजयवाड़ा में आवास की कमी

6596. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा शहर में आवास यूनिटों का भारी अभाव है;

(ख) क्या निकट भविष्य में वहां 'हुडको' की निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के रिहायसी यूनिटों का निर्माण करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आवास राज्य का विषय है और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार राज्य योजना प्रावधानों के माध्यम से अपनी आवश्यकता, प्राथमिकता और वित्तीय संसाधनों के अनुरूप विभिन्न लक्षित वर्गों के लिए शहरी क्षेत्रों में आवास योजनाएं तैयार करने के लिए स्वतन्त्र हैं। केन्द्र सरकार, विजयवाड़ा नगर में आवास यूनिटों की विकट कमी की रिपोर्टों से अवगत नहीं है।

(ख) और (ग) हुडको का गठन मकानों के निर्माणाधीन नहीं है, अपितु यह हुडको दिशा-निर्देशों के अनुसार मकानों के निर्माण के लिए विभिन्न आवास मंडलों/स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हुडको ने अपने प्रारम्भण से, 31-1-92 की स्थिति के अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा नगर में 15 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन योजनाओं की परियोजना लागत 19.30 करोड़ रुपये है। इसमें 12.37 करोड़ रुपये हुडको ऋण घटक है। इन परियोजनाओं में 10922 रिहायशी एककों और 19643 बेसिक स्वच्छता एककों के निर्माण की परिकल्पना है।

[हिन्दी]

मारुति कारों की डीलरशिप

6597. **श्री राम निहोर राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा दिसम्बर, 1991 तक कितने व्यक्तियों को बिक्री की डीलरशिप और सर्विस सैंटर आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न नामों से एक से ज्यादा एजेंसी/डीलरशिप दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा और कारण क्या है; और

(घ) अब तक किए गए कुल आबंटन में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को डीलरशिप और सर्विस सेंटर आवंटित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिनांक 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार, मारुति उद्योग लिमिटेड की 56 डीलर कंपनियां और 1359 मारुति प्राधिकृत सर्विस स्टेशन थे। इन 1359 सर्विस स्टेशनों में से 1636 प्रचालन में हैं।

(ख) और (ग) 'परिवार' का अर्थ परिवार से सीधा सम्बन्ध, अर्थात् पिता, माता, पुत्रों और पुत्रियों को मानते हुए, एक ही परिवार के दो व्यक्तियों को अलग-अलग नामों से एक से अधिक डीलरशिप आबंटित नहीं की गई थी जैसा कि कंपनी ने सूचित किया है।

(घ) एक डीलरशिप कम्पनी का मालिक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है। मारुति प्राधिकृत सर्विस स्टेशनों के बारे में यह सूचना कंपनी द्वारा नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

कस्बों एवं शहरों में पेय जल की व्यवस्था के लिए धनराशि

6598. श्री धनन्जय कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पेय जल सप्लाई एवं भूमि जल निकासी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए धनराशि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कर्नाटक को कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा 1992-93 में कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि, 5 लाख से कम आबादी वाले शहरी कस्बों (1981 की जनगणना) में पेय जल आपूर्ति योजनाओं हेतु राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों मे शहरी स्थानीय निकायों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए हुडको को 1990-91 के दौरान 3 करोड़ रुपये तथा 1991-92 के दौरान 3.5 करोड़ रुपये रिलीज किए गए थे। हुडको के माध्यम से दिया जाने वाला केन्द्रीय अनुदान परियोजना सहबद्ध है तथा यह परियोजना लागत के 5 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित है।

(ख) कर्नाटक के लिए कोई राशि उद्दिष्ठ नही की गई है क्योंकि निधियों का राज्यवार नियतन नहीं किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कावेरी

जल आपूर्ति योजना तृतीय चरण के लिए बंगलोर जल आपूर्ति तथा मल निर्यात बोर्ड को रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित ऋण दिए गए हैं:—

1990	300 लाख रुपये
1991	400 लाख रुपये
1992	300 लाख रुपये

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विधवाओं को आवंटित किए गए आवास

6599. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 35 वर्ष या इससे कम आयु की विधवाओं को आवास आवंटित करने की योजना के अन्तर्गत कितनी विधवाओं को पंजीकृत किया गया;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितनी विधवाओं को आवास आवंटित किए गए; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी सभी पंजीकृत विधवाओं को कब तक आवास आवंटित कर दिए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विधवाओं के लिए पंजीकरण की कोई योजना नहीं चलाई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु औषध एककों द्वारा मूल्य वृद्धि

6600. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 1991 के "इकानोमिक टाइम्स" में लघु औषध इकाइयों द्वारा मूल्य वृद्धि के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या लघु औषध एकक औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1986 से मुक्त हैं;

(ग) क्या ये एकक उपभोक्ताओं से कोई भी मूल्य लेने के लिए स्वतंत्र हैं जो कि अधिसूचित मूल्यों से अधिक होते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) औषधों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) डीपीसीओ, 1987 के अंतर्गत श्रेणी-II सूत्रयोगों के संबंध में लघु क्षेत्र के एकक मूल्य नियंत्रण से मुक्त हैं।

(ङ) मूल्य नियंत्रित दवाइयों के मूल्य डीपीसीओ, 1987 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। मूल्य विनियंत्रित औषधों के मामले में सरकार उनके मूल्यों पर निरन्तर नजर रखती है।

[हिन्दी]

कतिपय उर्वरक एककों का बन्द किया जाना

6601. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री जगमीत सिंह :
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री राजवीर सिंह :
डा० लाल बहादुर रावल :
श्री ए० चार्ल्स :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
डा० ए० के० पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता में भारी कमी किए जाने के कारण अधिकांश उर्वरकों का उत्पादन करने वाले एककों के बन्द होने की संभावना है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि पता चला है कि लगभग 135 उर्वरक उत्पादक एककों में से लघु और मध्यम क्षेत्र में सिंगल सुपरफास्फेट (एस० एस० पी०) का उत्पादन करने वाले 24 एककों ने अस्थायी रूप से एस एस पी का उत्पादन करना बन्द कर दिया है जो मुख्यत: आयातित कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण लागत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राजसहायता के संशोधन में कुछ विलम्ब के कारण हुआ है। तथापि, इन 24 एककों में से कुछ एककों ने सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करना जारी रखा। लागत से वृद्धि के कारण राजसहायता को शीघ्र संशोधित करने के हर प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

केरल और कर्नाटक के लिए परमाणु विद्युत संयंत्र

6602. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम के रसायन अनुसंधान निदेशक ने यह बताया है कि केरल और कर्नाटक जैसे राज्य, जिनकी बिजली संबंधी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति केवल पन बिजली उत्पादन द्वारा नही की जा सकती है, के लिए परमाणु बिजली के उत्पादन की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह बताया गया है कि मानसून में कम बारिश होने के कारण इन राज्यों में बिजली की कमी पैदा हो गई है;

(ग) क्या यह भी बताया गया है कि ताप विद्युत की तुलना में परमाणु बिजली सस्ती पड़ेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

केरल में इस समय विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता पूर्ण रूप से पन बिजलीघरों पर निर्भर है और कर्नाटक में यह मुख्यत: पन बिजली के उत्पादन पर निर्भर करती है जिसके लिए ताप प्रादेशिक केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन एकक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मानूसन में अपर्याप्त वर्षा की वजह से इन राज्यों में पन बिजली के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन राज्यों में कोयले को ईंधन के रूप में काम में लाने वाले ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(ग) जी, हां।

कोयले की खानों के मुहानों से दूरी पर स्थित स्थलों पर, जिनमें केरल और कर्नाटक के स्थल भी शामिल हैं, लगाए गए परमाणु बिजलीघरों में पैदा की जाने वाली परमाणु बिजली पर आने वाली लागत, परम्परागत किस्म के उन ताप बिजलीघरों में जिनमे कोयले को ईंधन के रूप मे काम में लाया जाता है, में उत्पादित बिजली पर आने वाली लागत जितनी ही होगी। इसके अतिरिक्त, परमाणु विद्युत संयंत्रों को कोयले की खानों के मुहानों से दूर स्थलों पर लगाने की नीति से कोयले की लम्बी दूरी तक ढुलाई करने की कठिनाई को कम किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) सरकार की नीति सामान्यतः परमाणु विद्युत संयंत्रों को, मिश्रित तरीके से विद्युत की इष्टतम स्थापित क्षमता हासिल करने के उद्देश्य से, कोयले की खानों के मुहानों से दूर स्थित स्थलों पर लगाने की रही है। कर्नाटक में कैगा में 1 तथा 2 (2 × 220 मेगावाट) परमाणु विद्युत रिएक्टर पहले से निर्माणाधीन है और परमाणु ऊर्जा विभाग के आठवीं योजना के प्रस्तावों के अंतर्गत उसी स्थल पर 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले चार और यूनिट (कैगा 3 से 6) लगाने की परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि इसके लिए धनराशि उपलब्ध हो। केरल में अब तक कोई परमाणु बिजलीघर नहीं लगाया गया है। केरल में संभावित स्थलों की जांच और पुनरीक्षा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति द्वारा की जा रही है। इससे पहले कि भारत सरकार कोई निर्णय ले सके किसी परमाणु बिजलीघर के लिए स्थलों का पता लगाने और उसके संबध में स्वीकृति के लिए संबद्ध निकायों द्वारा उनकी सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि के विस्तृत रूप से जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, ऐसी परियोजनाएं स्थापित करना धनराशि की उपलब्धता के समनुरूप होना आवश्यक है।

विदेशी निवेश के प्रस्ताव

6604. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितने विदेशी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई;

(ख) विदेशी मुद्रा में कुल कितने निवेश का अनुमान लगाया गया है;

(ग) सहयोग करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) औद्योगिक अथवा व्यवसायिक क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ङ) निर्माण किए जाने वाले अथवा व्यापार किए जाने वाले उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनमे विशेष रूप से निर्यात के लिए परियोजनाएं चलाई गई हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) विवरण I और II संलग्न है। जिसमे क्रमशः देश-वार तथा उद्योग-वार अनुमोदनों का ब्यौरा दिया गया है।

(ङ) अनुमोदित विदेशी सहयोग प्रस्तावों, अर्थात्, विदेश सहयोगकर्ता का नाम, सहयोग का स्वरूप तथा विनिर्माण की मदों के विस्तृत ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मासिक समाचारपत्र के पूरक के रूप में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय भेजी जाती हैं।

(च) वर्ष 1991-92 (1-4-91 से 29-2-92) के दौरान 69 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिनमें उत्पाद केवल निर्यात हेतु हैं।

विवरण-I

वर्ष 1991-92 (फरवरी, 1992 तक) के दौरान जारी किए गए विदेशी सहयोग अनुमोदन/अनुमोदित विदेशी निवेश का देश-वार ब्यौरा

अवधि 1-4-1991 से 28-2-1992

क्र० सं०	सहयोग के देश का नाम	योग	वित्त	अनुमोदित पूंजी निवेश (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	अर्जेन्टीना	—	—	—
2.	आस्ट्रेलिया	58	6	329.94
3.	आस्ट्रिया	16	5	210.03
4.	बहरीन	—	—	—
5.	बेल्जियम	6	2	2,358.94
6.	ब्राजील	3	2	2.14
7.	बुल्गारिया	1	—	—
8.	कनाडा	16	8	485.99
9.	चीन	3	1	75.00
10.	चेकोस्लोवाकिया	6	—	—
11.	डेनमार्क	13	6	1729.50
12.	फिनलैण्ड	4	3	243.70
13.	जर्मनी	163	42	2509.15
14.	फ्रांस	39	11	2076.69
15.	जी० डी० आर०	—	—	—
16.	ग्रीस	—	—	—
17.	हांगकांग	15	11	7,278.96
18.	हंगरी	1	—	—

1	2	3	4	5
19.	आयरलैण्ड	—	—	—
20.	इटली	69	25	3,624.79
21.	जापान	75	24	14,514.52
22.	कोरिया (दक्षिण)	20	9	1,223.84
23.	कोरिया (उत्तरी)	1	1	16.85
24.	कुवैत	—	—	—
25.	लक्समबर्ग	—	—	—
26.	मलेशिया	2	1	18.00
27.	मैक्सिको	1	1	520.00
28.	नीदरलैण्ड	50	24	5,026.75
29.	पनामा	—	—	—
30.	पोलैण्ड	7	—	—
31.	पुर्तगाल	3	1	16.00
32.	रोमानिया	—	—	—
33.	सऊदी अरब	1	—	—
34.	सिंगापुर	22	12	325.21
35.	स्पेन	6	1	33.00
36.	स्वीडन	32	7	2,928.81
37.	नार्वे	3	2	42.39
38.	स्विटजरलैण्ड	63	18	8,739.39
39.	ताइवान	9	3	68.00
40.	थाइलैण्ड	—	—	—
41.	तुर्की	—	—	—
42.	यू ए ई	3	3	619.00
43.	यू० के०	154	47	9,994.45

1	2	3	4	5
44.	यू० एस० ए०	194	62	32,021.89
45.	रूस (यू० एस० एस० आर०)	12	8	914.98
46.	यूगोस्लाविया	1	—	—
47.	एन आर आई	9	7	25,509.40
48.	स्काटलैण्ड	2	—	—
49.	बर्मूडा	4	4	332.00
50.	ब्रिटिश वर्जिनिया	1	—	—
51.	दुबई	1	1	40.00
52.	इंडोनेशिया	1	1	125.00
53.	कतर	1	1	453.00
54.	दक्षिण अफ्रीका	1	—	—
55.	मान्टोवीडियो	1	1	0.26
		1053	361	1,21,407.57

विवरण-II

1-4-1991 से 28-2-1992 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग के मामलों का उद्योग-वार ब्योरा (वर्ष 1991-92)

क्र० सं०	उद्योग का नाम	योग	वित्तीय
1	2	3	4
1.	धातुकर्मी उद्योग	40	11
2.	इंधन	13	3
3.	बायलर्स और भाप जनित्रण संयंत्र	7	2
4.	प्राइम मूवर्स (वैद्युत जनित्रणों के अलावा)	1	—
5.	वैद्युत उपकरण	184	64

1	2	3	4
6.	दूर संचार	19	6
7.	परिवहन	73	17
8.	औद्योगिक मशीनरी	190	48
9.	मशीनी औजार	23	8
10.	कृषि मशीनरी	5	—
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	7	1
12.	विविध मकें० तथा इंजी० उद्योग	34	9
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	9	1
14.	चिकित्सा तथा सर्जीकल उपकरण	8	3
15.	औद्योगिक उपकरण	45	16
16.	वैज्ञानिक उपकरण	4	2
17.	गणितीय सर्वेक्षण तथा ड्राइंग उपकरण	—	—
18.	उर्वरक	3	1
19.	रसायन (उर्वरक के अलावा)	148	52
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म और कागज	1	—
21.	रंगाई का सामान	—	—
22.	औषध एवं भेषज	5	3
23.	वस्त्र (रंगीन, छपे अथवा अन्यथा प्रसाधित सहित)	19	7
24.	कागज एवं लुगदी (कागज उत्पादों सहित)	14	2
25.	चीनी	—	—
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	2	1
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	40	19
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	5	3
29.	साबुन, सौन्दर्य प्रसाधन एवं टायलेट का सामान	1	—
30.	रबड़ का सामान	13	4

1	2	3	4
31.	चमड़ा, चमड़े का सामान एवं परिष्कारक	12	8
32.	सरेस तथा जिलैटिन	—	—
33.	कांच	10	3
34.	सिरेमिक	18	6
35.	सीमेंट तथा जिपसम उत्पाद	7	2
36.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	1	—
37.	रक्षा उद्योग	1	—
38.	सिगरेट	—	—
39.	परामर्श और सेवाएं	35	20
40.	विविध उद्योग	56	39
	योग :	1053	361

बंगलौर में मेट्रो रेलवे

6605. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर में एक मेट्रो रेलवे परियोजना को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने किलोमीटर लम्बी लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है;

(घ) कितने मामलों में काम का निष्पादन हो चुका है; और

(ङ) इसका निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) फिलहाल बंगलौर में मेट्रो रेल परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपक्रमों के लिए योजना राशि

6606. **डा० असीम बाला** : क्या **प्रधान मंत्री** उपक्रमों के लिए योजनागत राशि के बारे में 28 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4855 और 21 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3165 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईडीपीएल के नकद घाटों को पूरा करने के लिए वर्ष 1986-87 से 1989-90 के दौरान योजनागत धनराशि का जो विपणन किया गया था, उसे उपक्रम के खाते नाम डाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इतने वर्षों तक योजनागत धनराशि का अन्ततः अन्य कार्यों में विपणन करने के उद्देश्य से निकाले जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) भारी वित्तीय कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए यह कंपनी योजनागत और गैर-योजनागत ऋणों की मूल राशि या ब्याज अदा नहीं कर रही है। नकद हानियों को पूरा करने के लिए अस्थायी रूप से उपयोग में लाई गई योजनागत राशियों पर लगने वाले ब्याज के ब्यौरों की गणना की जा रही है।

(ग) और (घ) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को कई वर्षों से बहुत अधिक नकद हानियां हो रही थीं और इसे कार्यसंचालन पूंजी और सप्लाई और सेवाओं के लिए ऋणदाताओं को भुगतान, कानूनी भुगतानों, मजदूरी बिलों, बकाया बिजली के बिलों, बैंक ब्याज आदि के लिए निधियों की बहुत कमी थी। कंपनी के पास इसके सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं कि योजनागत निधियों का उपयोग करके अस्थायी तौर पर नकद हानि के एक भाग को वित्तपोषित करे जिसे कंपनी का पूंजी पुनर्गठन को स्वीकृति के बाद पूरा किया जाएगा। कार्यशील पूंजी की लगातार गंभीर कठिनाइयों के बावजूद बिना उचित अनुमोदन के नकद हानियों को पूरा करने के लिए योजनागत निधियों का अस्थायी उपयोग करना भी बन्द कर दिया गया है।

कैसेट बनाने वाले एकक

6607. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश मे कैसेट बनाने वाले एककों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कालीन उद्योग में बाल श्रमिक

6608. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीन उद्योगों में कार्यरत चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, इस समिति की रिपोर्ट का ब्योरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने दोषी व्यक्तियों को दंडित किया गया और किस अधिनियम के अन्तर्गत दंडित किया गया; और

(घ) इनमें से कितने व्यक्ति सरकारी सेवाओं में हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी नहीं, केन्द्र सरकार ने ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया है।

(ख) से (घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

6609. **श्री थाइल जान अंजलोस** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कितनी परियोजनाएं हैं;

(ख) परियोजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई और जारी की गई;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को लेखा परीक्षा की गई रिपोर्ट सौंप दी है, और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान परियोजनावार किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

विवरण

केन्द्रीय सातवीं योजना 1985-90 (पांचवीं वार्षिक योजना का पूर्ण योग)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	पद्धति (%)	की कुल व्यय	दी गई कुल केन्द्रीय सहायता	लक्ष्य तथा उपलब्धियां		
					इकाई	लक्ष्य	उप-लब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप						
	फसल उत्पादन						
1.	मिनीकिट चावल	सीएसएस 100	18.90	18.77	—	—	—
2.	ज्वार तथा बाजरा के लिए मिनीकिट प्रदर्शन	,,	2.93	—	—	—	—
3.	राष्ट्रीय परियोजना तथा बायोगैस विकास	—	385.58	413.81	—	—	—
4.	राष्ट्रीय जलसंभरण विकास परियोजना	—	—	—	—	—	—
5.	चावल कीट के एकीकृत नियंत्रण पर आपरेशन रिसर्च के लिए आईसीएआर	—	9.19	—	—	—	—
6.	काजू के लिए प्रौढ़ संरक्षण उपाय के अनुकूल कार्यक्रम	—	8.57	8.56	—	—	—

7.	काजू के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रम (काजू का एकीकृत विकास)	—	—	—	—	—	—
8.	मसालों के विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—
9.	किसानों के लिए कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना	सीएसएस 100	—	—	—	—	—
10.	फल तथा सब्जियों का उत्पादन (सब्जियों का मिनीकिट)	,,	11.74	—	—	—	—
11.	बायो उर्वरक कार्यक्रम का विकास	—	—	—	—	—	—
12.	शुष्क अंचलों में फलों का विकास	—	—	—	—	—	—
13.	कोको के विकास के लिए केन्द्र क्षेत्रक स्कीम	—	—	—	—	—	—
14.	सुपारी के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम	—	—	—	—	—	—
	आठवी योजना में कार्यान्वित न किए गए कार्यक्रम	सीएसएस 100	9.90	13.20	—	—	—
	फसल उत्पादन का जोड़ 100% सीएसएस	—	446.81	454.34	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	चावल विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम :						
	फसल उत्पादन	सीएसएस 75	—	—	—	—	—
	जोड़ 75% सीएसएस	—	—	—	—	—	—
	उप-जोड़	—	446.81	454.34	—	—	—
	मृदा व जलसंरक्षण						
1.	कंदह जलग्रहण नदी घाटी परियोजना में मृदा संरक्षण	सीएसएस 100	421.81	414.00	हैक्टेयर	7000.00	6871.00
2.	कवानी नदी घाटी के जलग्रहण में मृदा संरक्षण	सीएसएस 100	—	—	—	—	—
	उप-जोड़	—	421.81	414.00	—	—	—

(रुपए लाख में)

कुल व्यय	दी गई केन्द्रीय सहायता	वार्षिक योजना 1990-91 लक्ष्य एवं उपलब्धियां			वार्षिक योजना 1991-92		प्रोपोज्ड आउटले		टिप्पणी
		इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां	अनुमानित वार्षिक व्यय	संभावित व्यय	आठवीं योजना	वार्षिक योजना 1992-93	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.50	5.53	वितरित मिची-किटों की सं०	22000	27088	5.50	4.04	50.00	10.00	—
0.04	0.04	,,	—	1060	0.10	0.04	10.00	0.20	—
85.43	84.79	निर्मित बायो-गैस प्लांट	3300	2662	85.00	85.00	500.00	100.00	—
40.00	153.90	चयनित वाटर-शेड	151	113	540.00	540.00	2161.00	540.00	—
—	—	संचालित प्रशिक्षण	14	14	—	—	—	—	—
4.75	—	—	—	—	5.00	5.00	25.00	5.00	-
—	—	—	—	—	20.00	—	50.00	10.00	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.38	1.74	नर्सरियों का रखरखाव	5	5	13.32	1.38	10.00	2.00	—
		लिए गए क्षेत्र तथा क्लोनल प्लांटिंग मटैरियल है० (I)	100	100					
143.10	144.80	वितरित पेपर कटिंग्स लाख सं०	30	46	150.00	369.00	1850.00	370.00	—
		इनपुट किट सं०	55000	55000	—	—	—	—	—
		परिधि उपस्कर सं०	275	275	—	—	—	—	—
		रिहेबिलेट किए गए पेपर गार्डन है०	2500	2441	—	—	—	—	—
		वृक्ष मसालों की प्लांटिंग सामग्री सं०	70000	65772	—	—	—	—	—

—	—	—	—	—	6.00	6.00	30.00	6.00	—
2.21	1.69	—	—	—	2.25	2 25	50.00	10.00	—
—	—	—	—	—	—	—	50.00	10.00	—
—	—	—	—	—	—	—	6.00	1.20	—
—	—	—	—	—	—	—	150.00	30.00	—
—	—	—	—	—	—	—	31.25	6.25	—
—	—	—	—	—	4.00	—	—	—	—
284.41	392.49	—	—	—	831.17	1012.71	4973.25	1100.65	—
229.75	172.32	बीज मात्रा	17500	21139	186.00	186.00	630.00	126.00	—
		पी॰बी॰ उपस्कर	3810	5167					
		पावर टीलर की सं॰	300	287					
229.75	172.32	—	—	—	186.00	186.00	630.00	126.00	—
514.16	564.71	—	—	—	1017.17	1198.71	5603.25	1226.65	—
119.00	125.00	सं॰	1800.00	1103.00	100.00	100.00	1000.00	200 00	—
—	—	—	—	—	—	—	500.00	100.00	—
119.00	125.00	—	—	—	100.00	100.00	1500.00	300.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	पशु पालन						
1.	रिंडर पेस्ट जिरो	100	—	—	—	—	—
2.	प्रमाणित साढ़ों के उत्पादन के लिए समन्वित पशु प्रजनन तथा संयुक्त पशु संतति परीक्षण कार्यक्रम	,,	81.65	81.65	—	—	—
3.	पशुओं के लिए फोरोजंन प्रौद्योगिकी का विस्तार तथा भैंस विकास आउटसाइड आपरेशन फ्लश एरिया	,,	26.92	26.92	—	—	—
	उप जोड़ :		108.57	108.57	—	—	—
	वानकी तथा वन्य जीवन						
1.	नीलगिरी बायो स्फैटर रिजर्व	100 सीएसएस	34.59	34.59	पा०-पुर्नस्थापन, संघटन	वन्य जीवन संरक्षण वन	
2.	पेरियार टाईगर रिजर्व	,,	—	—	—	—	—
3.	विकेन्द्रीकृत लोगों की नर्सरियां	,,	55.78	55.78	लोगों की सहभागिता से पौधशालाओं को बढ़ावा		
	उप जोड़		90.37	90.37	—	—	—
	सहकारिता						
1.	कृषि ऋण स्थरीकरण निधि	100	11.77	10.00	सं०	—	—

2.	उपभोक्ता सहकारिताओं	,,	9.17	8.85	समितियों की सं०	—	14
3.	एस सी/एस टी सहकारिताओं	,,	—	—	—	—	—
4.	नई स्कीमें	,,	—	—	—	—	—
	उप जोड़ :		20.94	18.85	—	—	—
	जोड़ : कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप		1088.56	1086.13	—	—	—
	ग्रामीण विकास						
1.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी, कार्यक्रम (आरएलईजीपी)	100	9663.66	8006.83	लाख श्रम दिवस	310.28	350.77
2.	कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम	100	459.89	410.15	केन्द्रों की सं०	—	15991
					प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या	—	430513
3.	पश्च साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम	100	45.02	44.27	जेएसएन के कार्य कर रहे सं०	—	450
4.	जवाहर रोजगार योजना	80	5910.70	4472.09	लाख श्रम दिवस	214.18	23.79
	जोड़ : ग्रामीण विकास		16079.27	12963.[illegible]4	—	—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.85	17.50	सभी पशु	—	—	40.00	40.00	250.00	50.00	—
19.55	19.55	—	—	—	20.00	20.00	206.00	29.40	—
35.00	52.74	—	—	—	58.60	58.60	250.00	50.00	—
80.40	89.79	—	—	—	118.60	118.60	706.00	129.40	—
41.61	—	वन एकीकरण, जीवन संरक्षण	पा०पुनर्स्थापन इत्यादि	वन्य —	40.00	40.00	200.00	40.00	—
—	—	—	—	—	25.00	25.00	200.00	40.00	—
22.71	—	लोगों की सहायता से पौधशालाओं का उत्थान		—	15.00	15.00	75.00	15.00	—
64.32	—	—	—	—	80.00	80.00	475.00	95.00	—
20.00	20.90	—	—	1	20.00	20.00	100.00	20.00	—
4.50	4.50	समितियां लाख में	—	5	50.00	50.00	250.00	50.00	—
—	—	—	—	—	10.00	10.00	50.00	10.00	—
—	—	—	—	—	15.00	—	50.00	10.00	—

24.50	24.50	—	—	—	95.00	80.00	450.00	90.00	—
802.38	804.00	—	—	—	1410.77	1577.31	8734.25	1841.00	—
				बन्द कर दी गई					
				बन्द कर दी गई					
30.81	5.40	कार्य कर रहे जेएसएन की सं०	—	450	28.00	28.00	150.00	30.00	—
6819.92	4861.10	लाख श्रम-दिवस	249.22	180.96	5116.95	5116.95	39500.00	6380.00	—
6850.73	4866.50	—	—	—	5144.95	5144.95	39650.00	6410.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	विद्युत						
1.	अन्तर्राज्यि संचरण लाइनों के कार्य पर कार्यान्वित केएसईबी को ऋण	100	103.48	103.48	—	—	—
2.	ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत	—	11.76	11.76	—	—	—
3.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम	—	16.50	16.50	—	—	—
	जोड़ : विद्युत		131.74	131.74	—	—	—
	उद्योग तथा खनिज						
	लघु उद्योग						
1.	जनगणना के लिए मुख्य प्रकोष्ठ	100	25.12	—	—	—	—
	छोड़ी गई स्कीमें	100	9.32	—	—	—	—
	उप जोड़ :	100	34.44	—	—	—	—
	100% केन्द्रीय सहायता वाले केन्द्र						
	हथकरघा उद्योग						
1.	हैंडटेक्स द्वारा करघा पूर्व	100	80.00	—	—	—	—

2.	केरल राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा		55.00	—	—	—	—
	प्रीलूम तथा पोस्टलूम प्रक्रिया केन्द्र	,,	19.67	—	—	—	—
	उप जोड़ :		154.67	—	—	—	—
	हथकरघा						
1.	छोड़ी गई स्कीमें (हस्तकला का विस्तृत सर्वेक्षण)	75	0.02	—	—	—	—
	उप जोड़ :		0.02	—	—	—	—
	जोड़ : लघु उद्योग		189.13	—	—	—	—
	परिवहन						
	सड़कें तथा पुल						
1.	अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें	100	95.00	95.00	किमी	—	20
2.	अनमैंड लेवल क्रासिंग की	100	122.00	122.00	—	—	—
3.	कोचीन तथा समीपस्थ द्वीपों का एकीकृत विकास	100	—	—	—	—	—
	जोड़ :		217.00	217.00	किमी	—	20

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.30	10.30	—	—	—	—	—	200.00	35.00	—
82.00	82.00	—	—	—	80.00	80.00	1300.00	150.00	—
47.00	47.00	—	—	—	60.00	60.00	480.00	75.00	—
139.30	139.30	—	—	—	140.00	140.00	1980.00	260.00	—
4.58	—	—	—	—	5.00	5.00	20.00	4.00	—
2.22	—	—	—	—	3.50	3.50	—	—	—
6.80	—	—	—	—	8.50	8.50	20.00	4.00	—
40.00	40.00	—	—	—	40.00	40.00	200.00	40.00	—
30.00	30.00	—	—	—	30.00	30.00	150.00	30.00	—
0.92	0.92	—	—	—	1.00	1.00	5.00	1.00	—
70.92	70.92	—	—	—	71.00	71.00	355.00	71.00	—
					8.00	—	—	—	कार्यान्वित नहीं क्योंकि भारत सरकार ने यह सूचित किया कि सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

77.72	—		—	—	87.5	79.5	375.00	75.00	—
60.00	60.00	कि०मी०	12	12	—	60.00	4400.00	880.00	—
40.00	40.00	—	—	—	—	40.00	250.00	50.00	—
500.00	—	—	50	—	—	500.00	4000.00	500.00	—
600.00	100.00	कि०मी०	62	12	—	600.00	8650.00	1430.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	परिवहन विभाग						
1.	चुनिंदा कस्बों में हाई लेन का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग सहित	100	—	—	—	—	—
	अंतर्देशीय जल परिवहन						
	सिंचाई विभाग (केन्द्रीय सहायता)						
1.	हाइड्रोग्राफिक सर्वे	100	17.16	17.16	—	—	—
2.	अंतर्देशीय जलमार्गों	100	—	—	—	—	—
	जोड़ : परिवहन		234.16	234.16	—	—	—
	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण						
1.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग की स्थापना	100 सीएसएम	—	—	—	—	—
2.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण पर राज्य समिति की सहायता	100 सीएसएस	—	—	—	—	—
	सर्वेक्षण और सांख्यिकी (आर्थिक सलाह और सांख्यिकी)						
1.	कृषि जनगणना	100	25.65	—	—	—	—
2.	आर्थिक जनगणना	100	—	—	—	—	—

3.	लघु सिंचाई सांख्यिकी का राशनीकरण	100	3.45	—	—	—	—
4.	पेपर सर्वे	100	0.96	—	—	—	—
	जोड़		30.06	—	—	—	—
	पर्यटन						
1.	वेसाइड एमेनटीज	100 सीएसएस	98 87	98.87	सं०	7	3
2.	यात्री निवास	—	—	—	—	5	4
3.	विभिन्न केन्द्रों पर नौका सुविधाएं	—	60.13	60.13	—	—	—
4.	बेली में फ्लेटिंग रेस्टोरेंट	—	4.03	4.03	—	—	—
5.	जलक्रीड़ा का परिचय	—	5.79	5.79	—	—	—
6.	मेलों तथा त्योहारों सहित प्रचार	—	—	—	—	—	—
7.	बकेल का विकास	—	—	—	—	—	—
8.	केरल के बैकवाटर में टूरिस्टकूश सेवा	100 सीएसएस	103.35	103.35	—	—	—
9.	विभिन्न केन्द्रों पर नदी के	—	—	—	—	—	—
10.	अगंतुक केन्द्र (पर्यटक सुविधायुक्त केन्द्र)	—	—	—	—	1	—
11.	वाटरसाइड एमेंटीज	—	—	—	—	—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.00	—	—	—	—	4.00	4.00	20.00	4.00	—
—	—	—	—	—	10.00	10.00	—	10.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1200.00	—
604.00	100.00	—	—	—	614.00	614.00	8670.00	2644.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	50.00	10.00
—	—	—	—	—	—	—	—	75.00	15.00
3.38	—	—	—	—	30.00	30.00	60.00	27.00	—
8.62	—	—	—	—	15.00	15.00	5.00	5.00	—
3.68	—	—	—	—	3.50	3.50	20.00	4.00	—
1.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.44	—	—	—	—	48.50	48.50	85.00	36.00	—
53.54	53.54	सं०	—	—	49.00	49.00	112.00	32.00	—
—	—	—	—	—	84.00	40.00	135.00	10.00	—
—	—	—	—	—	—	—	85.00	6.00	—
—	—	—	—	—	14.00	14.00	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	35.00	—	—
12.00	12.00	—	—	—	31.00	31.00	60.00	20.00	—

—	—	—	—	—	—	—	160.00	5.00	—
—	—	—	—	—	—	—	115.00	5.00	—
—	—	—	—	—	—	—	70.00	5.00	—
—	—	—	—	—	10.85	10.85	33.00	2.00	—
—	—	—	—	—	13.05	7.05	40.00	7.05	—

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	पोंनमुंडी के लिए टेन्टेड एकोमोडेशन	—	—	—	—	—	—
13.	एलेप्पी तथा कोवलम के बीच बोट ट्रेन	—	—	—	—	—	—
14.	पथिरामनल द्वीपसमूह सैरगाह का विकास	—	—	—	—	—	—
15.	बेली पर पर्यटक कुटी (सं० 4)	—	—	—	—	—	—
16.	तीर्थयात्री केन्द्र का विकास	—	—	—	—	—	—
17.	बोलगेट्टी पर रज्जुमार्ग	100 सी०सी०एस०	—	—	—	—	—
18.	बेली पर डोल्फीनेरियम	—	—	—	—	—	—
19.	भारत सरकार द्वारा भारत ग्रामवर्ष के संबंध में स्वीकृत स्कीमें	—	—	—	—	—	—
	जोड़ ।	272.17	272.17	—	—	—	—
	सामाजिक सेवाएं						
	शिक्षा						
	सामान्य शिक्षा						
1.	सामाजिक (प्रौढ़) शिक्षा	100	117.79	10.00	—	—	—
2.	विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा		243.81	219.97	—	—	—
3.	आपरेशन ब्लेक बोर्ड	—	450.20	374.55	—	—	—

4.	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था (डीआईजी) की स्थापना	—	119.61	155.44	—	—	—
5.	विज्ञान शिक्षा का सुधार	—	400.34	400.33	—	—	—
6.	हाई स्कूल तथा तकनीकी हाई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा	—	30.00	299.86	—	—	—
7.	सुविधा स्कूलों में रेडियो सहित कैसेटप्लेयरों की शैक्षणिक प्रौद्योगिक स्कीम आपूर्ति	—	132.00	—	—	—	—
8.	स्थानान्तरित/छोड़ी गई स्कीमें	—	10.13	—	—	—	—
	जोड़ :		1303.88	1459.83	—	—	—
	तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग के लिए						
1.	थिरूवनंतपुरम इंजीनियरिंग कालेज के परास्नातक पाठ्यक्रम	100	213.38	280.00	—	—	—
2.	थ्रिसर इंजीनियरिंग कालेज में परा स्नातक पाठ्यक्रम	—	106.78	125.00	—	—	—
3.	सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों/पालीटेक्नीकों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता	—	188.89	230.00	—	—	—
4.	स्थानान्तरित/छोड़ी गई स्कीमें	—	1.45	—	—	—	—
	जोड़ :	—	510.50	635.00	—	—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—	—	2.90	2.90	—
—	—	—	—	—	—	—	16.00	16.00	—
—	—	—	—	—	—	—	73.00	15.00	—
—	—	—	—	—	—	—	6.00	6.00	—
—	—	—	—	—	—	—	55.00	55.00	—
—	—	—	—	—	—	—	160.00	—	—
—	—	—	—	—	—	—	150.00	—	—
48.30	48.30	—	—	—	—	—	—	—	—
113.84	113.84	—	—	—	201.90	151.90	1309.90	186.95	—
18.61	3.50	—	—	—	55.00	—	250.00	60.00	—
119.97	96.68	—	—	—	132.00	—	792.00	132.00	—
366.36	156.12	—	—	—	550.00	—	105.00	105.00	—
	27.87								
89.50	194.75	—	—	—	192.50	—	1722.00	722.00	—
152.72	152.72	—	—	—	550.00	—	50.00	50.00	—
114.38	353.23	—	—	—	457.08	—	1884.00	392.00	—
—	—	—	—	—	—	—	525.00	93.00	—

1.00	—	—	—	—	27.50	—	—	—	—
862.54	984.87	—	—	—	1964.08	—	5328.00	1554.00	—
74.83	—	—	—	—	70.00	—	400.00	70.00	—
18.47	—	—	—	—	30.00	—	150.00	30.00	—
37.05	—	—	—	—	30.00	—	160.00	70.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130.35	—	—	—	—	130.00	—	710.00	170.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	एलोपैथी (लोक स्वास्थ्य)						
1.	परिवार कल्याण	100	11875.22	7498.25	नं०	—	5004 उपकेन्द्र
2.	कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	,,	285.90	212.00	नं०	—	16 केन्द्र
3.	अंधेपन पर नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम (विज्युअल इम्पयरमेंट)	,,	130.15	120.59	नं०	—	6 (मोबाइल यूनिटें)
4.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कामगार स्कीम का प्रशिक्षण	,,	1.70	—	लिए गए जिले	—	14
5.	राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण प्रोग्राम	,,	—	—	—	—	—
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्कीम	,,	—	—	—	—	—
	स्थानांतरित/छोड़ी गई स्कीमें		4273.73	4193.99	—	—	—
	उप-जोड़		16566.70	12024.83	—	—	—
	आयुर्वेद						
1.	उच्चतर शिक्षा के लिए कार्यक्रम प्रशिक्षण तथा अनुसंधान (आईएसएस)	100	96 00	75.25	—	—	—

2.	मछुआरों के लिए औषधालय	—	—	—	—	—
3.	पंचकर्म का विकास/चिकित्सा तथा पैरा मेडीकल विभाग के स्टाफ को प्रशिक्षण देना	—	—	—	—	—
4.	कोटक्कल मानसिक चिकित्सालय का विकास/दो वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	—	—	—	—	—
5.	औषधीय पौधे	—	—	—	—	—
6.	जनजातियों में सामान्य रोग के उपचार हेतु विशेष एकक	—	—	—	—	—
7.	होम्योपैथी—होम्योपैथी के अंतर्गत मानसिक रूप से मंद बुद्धि	—	—	—	—	—
	उप-जोड़	96.00	75.25	—	—	—
	जोड़	16662.70	12100.08	—	—	—
	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता					
	स्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	5212.42	3529.65	जनसंख्या (लाखों में)	24	24
	शहरी विकास					
	गरीबों के लिए शहरी आधारिक सेवाएं	—	—	—	—	—
	जोड़ : शहरी विकास	—	—	—	—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3317.00	1623.00	—	—	—	5300.00	4000.00	20000.00	3800.00	—
5.38	111.00	सं०	—	3	111.00	111.00	637.00	125.00	—
0.60	13.52	चल एकक	—	7	—	—	291.00	52.00	—
शून्य	—	—	—	—	10.00	10.00	81.10	17.10	—
शून्य	—	—	—	—	2.75	2.75	12.30	2.00	—
शून्य	—	—	—	—	—	—	453.75	42.00	—
562.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3885.04	1746.52	—	—	—	5423.75	4123.75	21475.15	4038.10	—
39.17	1.00	—	—	—	44.00	44.00	220.00	44.00	—
—	—	—	—	—	4.00	4.00	30.00	4.00	—
शून्य	—	—	—	—	10.00	10.00	50.00	10.00	—
शून्य	—	—	—	—	15.00	15.00	75.00	15.00	—
शून्य	—	—	—	—	2.00	2.00	10.00	2.00	—
—	—	—	—	—	—	—	10.00	2.00	—

—	—	—	—	—	—	—	25.00	5.00	—
39.17	1.00	—	—	—	75.00	75.00	420.00	82.00	—
3924.21	1747.52	—	—	—	5498.75	4198.75	21895.15	4120.10	—
1524.85	1076	जनसंख्या लाखों में	26	26	2200	1500	7500	1500	—
45.20	63.80	—	—	—	52.00	52.00	500.00	120.00	—
45.20	63.80	—	—	—	52.00	52.00	500.00	120.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	अनुसूचित जाति का कल्याण						
1.	अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा वजीफा	100	871.15	—	—	—	—
2.	अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा वजीफा	"	86.24	—	—	—	—
3.	प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का उत्थान	"	—	—	—	—	—
	उप-जोड़		957.39	—	—	—	—
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण						
1.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	100	2130.81	2017.79	—	—	—
2.	शारीरिक रूप से विकलांगों को छात्रवृत्तियां	"	93.71	79.50	—	—	—
	उप-जोड़		2224.52	2097.29	—	—	—
	जोड़ : सामाजिक सेवाएं		25071.41	21821.87	—	—	—
	कुल जोड़		43096.47	36509.41	—	—	—

	सब्सिडी सहायता स्कीमें						
1.	क्षेत्र विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण केईआरएएसईडी—कोकोनट विकास के लिए एकीकृत परियोजना, प्रसंस्करण तथा विपणन :						
	(क) (विविधीकरण तथा अनुसंधान कृषीय उपकरण के लिए) अनुदान	—	—	—	चल दल	18	12
					प्रदर्शन	1200	1049
					संगोष्ठियां	600	505
					प्रशिक्षण	482	482
	(ख) (केईआरएएसईडी—को ईक्विटी अंशदान तथा पीएसी को अंश पूंजी सहायता के लिए) राज्य सरकार को 100% एनसीडीसी प्रतिपूर्ति	—	685.15	616.25	पीएसी की सदस्यता	593	593
	(ग) (औद्योगिक घटक के लिए) एनसीडीसी ऋण मत्स्य पालन	—	—	518.80	—	—	—
2.	एकीकृत मत्स्य पालन विकास परियोजना	75% ऋण सहायता 25%	218.48	1214.22	मछुआरों की सं०	—	5643 (I व II चरण के अंतर्गत)
3.	झींगा कल्चर (नई स्कीमें) के लिए केरल मत्स्य पालन विकास	दी गई सहायता	शून्य	—	है०	1500	—
	जोड़		218.48	1214.22	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	सहकारिता						
1.	टी एंड मी सेल मे व्हाइट स्टॉफ नियुक्ति की ओर सहकारी विपणन संघ की सब्सिडी	100	4.97	4.38	वैज्ञानिकों की सं०	—	-
2.	उपभोक्ता समितियों को सहायता	"	87.27	86.77	"	—	522
3.	भंडार निर्माण के अंतर्गत सहकारी भंडारण स्कीमों के लिए ऋण	"	205.83	201.71	"	—	347
4.	व्यापार विस्तार के लिए सहकारी विपणन संघ को ऋण	"	180.00	180.00	समितियों की सं०	—	1
5.	सोएएसपीसीओ को अंश पूंजी अंशदान	"	193.88	151.62	"	—	1
6.	केरल राज्य सहकारी युवा विपणन संघ को धन सहायता मार्जिन	"	200.00	200.00	"	—	1
7.	परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहकारी विपणन अनुदान	"	30.00	0.84	"	—	2
8.	सहकारी समिति विकास राज्य में सहकारी विपणन समिति को अंश पूंजी अंशदान	"	105.43	125.85	"	—	54

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400.00	—	—	—	—	400.00	400.00	2000.00	400.00	—
25.00	—	—	—	—	25.00	25.00	125.00	25.00	—
—	—	—	—	—	4.00	4.00	15.00	4.00	—
425.00	—	—	—	—	429.00	429.00	2140 00	429.00	—
673.36	878.44	—	—	—	1000.00	1000.00	5000.00	1000.00	—
79.50	28.00	—	—	—	40.00	40.00	150.00	30 00	—
752.86	906.44	—	—	—	140.00	140.00	5150.00	1030.00	—
7665.01	4778.63	—	—	—	10413.83	6319.75	43223.15	8923.10	—
16270.42	10802.27	—	—	—	18061.45	14075.91	104152.30	20401.10	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
245.00	313.09	चल दल	6	6	—	—	—	—	—
		प्रदर्शन	1200	1144	201.06	—	1334.95	410.00	—
		संगोष्ठियां	600	598	—	—	—	—	—
		प्रशिक्षण	377	377	—	—	—	—	—
839.50	319.50	पीएसी की सदस्यता	337	337	886.87	—	499.40	450.00	—
287.40	964.34	—	—	—	—	—	2450.30	1200.00	—
24.00	—	मछुआरे	3231	168.00	168.00	500.00	100.00	—	—
—	—	है०	—	50.00	50.00	—	420.00	50.00	एनसीडीसी के अंतर्गत विचाराधीन परियोजना
24.00	—	—	—	—	218.00	218.00	920.00	150.00	—
1.66	1.66	समितियों की संख्या	—	1	2.00	2.00	10.00	2.00	—

13.65	10.85	"	—	83.00	50.00	50.00	440.00	80.00	—
3.22	3.22	"	—	—	2.00	2.00	1.00	1.00	—
60.00	60.00	"	—	1	80.00	80.00	400.00	80.00	—
—	—	—	—	—	60.00	60.00	300.00	60.00	—
50.00	50.00	—	—	1	80.00	80.00	400.00	80.00	—
0.04	0.01	—	—	1	5.00	5.00	15.00	5.00	—
52.00	44.00	—	—	—	50.00	50.00	300.00	50.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास तथा नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए विपणन ऋण सहायता	100	81.14	85.12	समितियों की संख्या	—	8
10.	हरिजन संघ/गिरिजन सहकारी समितियों को भंडार निर्माण के लिए ऋण तथा सब्सिडी	,,	6.66	21.27	,,	—	1
11.	मुर्गी पालन सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	,,	1.60	1.40	,,	—	4
12.	केरल राज्य अनु० जाति/अनु० जनजाति विकास, सहकारी समिति संघ—सहायता की और—प्रसंस्करण इकाइयां/वाहन खरीद	,,	24.29	19.97	,,	—	1
13.	अनु०जाति/अनु०जनजाति सहकारी समितियों को सहायता	,,	0.59	0.80	,,	—	4
14.	रेडीको अतिरिक्त राशि सहायता	,,	21.97	22.00	,,	—	1
15.	एकीकृत सहकारी समिति विकास परियोजना	,,	285.89	315.06	,,	—	104
16.	मूल्य उतार-चढ़ाव निधि विपणन संघ को सहायता	,,	3.10	3.10	,,	—	1
17.	नई एनसीडीसी स्कीमों को सहायता	,,	26.26	—	,,	—	—
18.	कृषक सेवा केन्द्र —राज्य पूंजी अंशदान	,	—	—	,,	—	—

19.	एनसीडीसी भंडार परियोजना-3 को विश्व बैंक सहायता	,,	131.72	131.73	,,	—	272
20.	केरल राज्य सहकारी समिति विपणन संघ—पुनर्वास स्कीम	,,	—	—	,,	—	—
21.	केरल राज्य सहकारी समिति रबर विपणन संघ का कम्प्यूटीकरण-सब्सिडी	,,	—	—	,,	—	—
22.	एकीकृत रबर विकास परियोजना	,,	—	—	,,	—	—
23.	खाद्यान्न एवं फल प्रसंस्करण इकाई—रेडको को सहायता	,,	—	—	,,	—	—
24.	एनसीडीसी-4 भंडारण परियोजना—वर्ल्ड बैंक सहायता	,,	—	—	,,	—	—
25.	अन्य	,,	1.50	—	,,	—	—
	जोड़—सहकारिता		1592.10	1552.22	,,	—	—
	हथकरघा उद्योग						
1.	ऊंचे शो-रूम/प्रसंस्करण केन्द्र/कर्मशाला/भंडारों का निर्माण तथा प्राथमिक समितियों तथा पुनर्वास सहित उत्पादन कार्यक्रम करघा-रहित बुनाई (एनसीडीसी सहायता स्कीमों के लिए राज्य का हिस्सा)	75	99.75	—	—	—	—
	जोड़ :		99.75	—	—	—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
126.29	98.81	—	—	—	200.00	200.00	2500.00	200.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1.00	1.00	15.00	3.00	—
—	—	—	—	—	10.00	10.00	50.00	10.00	—
—	—	—	—	—	15.00	15.00	50.00	10.00	—
10.00	10.00	—	—	1	20.00	20.00	100.00	20.00	—
312.16	312.13	—	—	278	600.00	600.00	3000.00	600.00	—
—	—	—	—	—	20.00	20.00	50.00	5.00	—
—	—	—	—	—	10.00	10.00	10.00	2.00	—
15.52	0.53	—	—	5	10.00	10.00	80.00	20.00	—
—	—	—	—	—	—	—	850.00	50:00	—
2.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4320.00	20.00	—
—	—	—	—	—	—	—	670.00	10.00	—
—	—	—	—	—	—	—	1223.00	10.00	—

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
646.66	591.21	—	—	—	215.00	1215.00	14784.00	1318.00	—
24.00	—	—	—	—	33.00	33.00	1216.00	264.00	—
24.00	—	—	—	—	33.00	33.00	1216.00	264.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	रेशा उद्योग						
1.	बर्कशेड आदि (ऋण), प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना	100	89.83	—	—	—	—
2.	परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए अन्य समितियां तथा कॉयरफेड को अनुदान	,,	1.19	—	—	—	—
3.	तकनीकी स्थापना के लिए अनुदान तथा रेशा विपणन संघ में प्रोन्नति सेल	,,	1.69	—	—	—	—
4.	रेशा विपणन संघ के लिए वाहन की खरीद के लिए सहायता	,,	—	—	—	—	—
5.	मोटोराइज्ड ट्रेडल रेट-प्रशिक्षण के लिए अनुदान	50	—	—	—	—	—
6.	मोटराइज्ड ट्रेडल रेट—ऋण तथा डीफारबिंग मिल्स की स्थापना के लिए एकीकृत रेशा विकास परियोजना	,,	—	—	—	—	—
	छोड़ दी गई स्कीमें	,,	76.29	—	—	—	—
	जोड़ :	,,	169.00	—	—	—	—
	हुडको सहायता स्कीमें :						
	मत्स्य पालन						
1.	आधारिक स्वच्छता तथा सहायता प्राप्त आवास	60% हुडको ऋण 20% सरकारी सब्सिडी 20% लाभग्राहियों का अंशदान	148.65	300.00	आवास तथा शौचालयों की संख्या	—	9076

	कृषि तथा सहकार कार्यकलाप						
	फसल उत्पादन						
1.	महामारी क्षेत्रों में [illegible] तथा रोग उन्मूलन	50 सीएसएस	3?.24	11.65	—	—	—
2.	राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम	,,	9.97	4.96	—	—	—
3.	कोकोनट लघु सम्पत्ति (एसएस 50%) में कोकोनट बोर्ड स्कीम—एकीकृत फार्मिंग	,,	19.63	21.50	—	—	—
4.	टीएक्सडी पौद(एसएस 50%) का उत्पादन तथा वितरण	,,	21.98	17.77	—	—	—
5.	एसएस (50%) स्प्रींकल्स के प्रयोग से सीधी सिंचाई	,,	4.80	1.47	—	—	—
	आठवीं योजना में नहीं ली गई स्कीमें	,,	1896.61	884.85	—	—	—
	उप जोड़ :		1985.23	942.20	—	—	—
	पशु पालन						
1.	पशुधन बीमारियों का सुचारू रूप से नियंत्रण को राष्ट्रीय महत्व	50	189.34	112.00	सभी पशु	—	—
2.	मुख नक्क पैर के रोगों का नियंत्रण कार्यक्रम	,,	12.87	9.55	—	—	—
3.	पशु बीमारी तथा निगरानी	,,	9.93	4.27	—	—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.75	—	—	—	—	37.50	37.50	150.00	37.50	—
—	—	—	—	—	1.00	1.00	5.00	1.00	—
0.83	—	—	—	—	1.00	1.00	5.00	1.00	—
—	—	—	—	—	5.00	5.00	25.00	5.00	—
—	—	—	—	—	—	—	160.00	10.00	नई स्कीमें
—	—	—	—	—	—	—	1300.00	180.00	25% केन्द्रीय सरकार
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25% राज्य सरकार
5.58	—	—	—	—	44.50	44.50	1645.00	234.50	—
52.00	50.00	आवास तथा शौचालयों की संख्या	2500 1500	1254 1500	72.50	72.50	312.50	72.50	—
8.06	5.05	—	—	—	0.84	0.84	40.00	8.00	—

1.00	0.75	—	—	—	1.25	1.25	25.00	5.00	—
8.86	10.50	—	—	—	10.50	10.50	350.00	70.00	—
5.65	2.13	—	—	—	5.00	5.00	40 00	8.00	—
—	10.00	—	—	—	10.00	10.00	75.00	15.00	—
181.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—
202.44	28.88	—	—	—	27.59	27.59	530.00	106.00	—
19.62	39.00	सभी पशु	—	—	20.00	20.00	80.00	20.00	—
0.70	2.00	"	—	—	1.00	1.00	1.00	5.00	—
1.10	3.25	"	—	—	1.50	1.50	8.00	1.50	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	राज्य वेटर्नरी परिषद	50	3.05	2.45	—	—	—
5.	पशुपालन आंकड़े तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण	,,	29.91	28.36	—	—	—
6.	देशी भैंसों का विकास	,,	20.45	8.78	—	—	—
7.	कंपाउन्डेड फीड का गुणवत्ता नियंत्रण	,,	3.50	—	—	—	—
8.	विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम	,,	256.83	180.11	—	—	—
9.	मीट प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लि०	,,	36.25	—	—	—	—
10.	अनुसंधान सहायता	,,	—	—	—	—	—
	उप-जोड़		562.13	345.52	—	—	—
	मत्स्य पालन						
	इंलैंड सेक्टर						
1.	फिश फार्मर्स विकास एजेंसी (एस० एस० 50%)	,,	36.04	15.00	हे०	2000	2000
2.	ब्रैकिश वाटर फिश/झींगा मछली कृषक विकास एजेंसी	50 : 50	18.04	12.08	हे०	200	160
3.	जलाशय मत्स्य पालन	,,	14.38	—	हे०	1000	1000
4.	राष्ट्रीय मछली सीड फार्म	,,	53.67	—	सं०	2	2
5.	नर्सरीज	,,	10.00	—	हे०	5	5

6.	सार्वजनिक क्षेत्र में ब्रैकिश वाट फिश कृषक	,,	88.11	75.93	सं०	4	4
7.	हैचरी तथा फीड मिल	,,	24.18	—	सं०	4	4.00
8.	फिश रोग नियंत्रण मैरीन क्षेत्रक	,,	—	—	—	—	—
9.	विजिजम फिशिंग हार्बर फेज-II तथा III	,,	*233.16	341.00	सं०	100	—
10.	नीदकारा फिशिंग हार्बर	,,	203.79	292.50	सं० मेकेनाइज्ड बोट	1500	2300
11.	थंकासरी फिशिंग हार्बर	50:50	15.00	25.00	सं० क्राफ्ट	—	—
12.	पुथिअप्पा फिशिंग हार्बर	,,	63.84	60.00	—	—	—
13.	मुनामबम फिशिंग हार्बर	,,	150.00	12.50	—	—	—
14.	पोन्नानी फिशिंग हार्बर	,,	—	—	—	—	—
15.	भोपला बे फिशिंग हार्बर	,,	—	—	—	—	—
16.	चोमबल फिशिंग हार्बर	,,	—	—	—	—	—
17.	मेकेनाइज्ड नावों के लिए लैंडिंग केन्द्र	,,	91.50	78.41	सं०	10	6
18.	पारंपरिक मछुआरों के लिए लैंडिंग केन्द्र	,,	44.91	8.60	सं०	5	4
19.	फिशिंग हार्बर का प्रबंध	,,	—	—	—	—	—
20.	वेश तकनीकी का मोटराइजेशन	,,	28.13	37.50	सं०	300	750

*सातवीं योजना परिव्यय

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.45	2.02	—	—	—	1.50	1.50	8.00	1.50	—
8.48	10.70	—	—	—	7.00	7.00	45.00	9.00	—
6.00	—	—	—	—	5.00	5.00	20.00	3.00	—
0.14	—	—	—	—	3.00	3.00	20.00	3.00	—
75.38	75.00	—	—	—	76.50	76.50	600.00	100.00	—
15.00	—	—	—	—	15.00	15.00	65.00	65.00	—
—	—	—	—	—	—	—	10.00	2.00	—
126.87	131.97	—	—	—	130.50	130.50	861.00	206.00	—
22.50	3.00	है०	500	517	35.00	35.00	315.00	37 00	—
22.00	5.90	है०	50	50	32.50	32.50	310.00	33.00	—
7.00	—	है०	1000	1000	10.00	10.00	50.00	10.00	—
—	—	संख्या	—	—	—	—	50.00	10.00	—
28.13	—	है०	0.50	0.50	25.00	25.00	200.00	20.00	—
17.93	15.38	संख्या	1	1	15.00	15.00	40.00	15.00	—

19.59	—	संख्या	—	—	23.00	23.00	300.00	30.00	—
—	—	—	—	—	—	—	20.00	5.00	—
10.10	11.00	—	—	—	45.00	45.00	150.00	45.00	—
34.20	—	संख्या	1500	2500	10.00	10.00	10.00	10.00	—
23.38	55.00	—	—	—	40.00	40.00	600.00	100.00	—
50.01	70.00	परियोजना के पूरा होने पर लाभ प्राप्त होगा		—	60.00	60.00	90.00	65.00	—
38.12	10.00	—	—	—	40.00	40.00	280.00	50.00	—
10.00	—	—	—	—	5.00	5.00	200.00	5.00	—
—	—	—	—	—	—	—	150.00	5.00	—
—	—	—	—	—	—	—	150.00	5.00	—
15.66	6.50	सं०	—	—	5.00	5.00	10.00	5.00	—
14.54	21.25	सं०	2	—	20.00	20.00	100.00	20.00	—
—	—	—	—	—	2.00	2.00	25.00	3.00	—
22.50	25.00	सं०	600	600	15.00	15.00	112.50	22.50	—

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	नई फिशिंग तकनीकियों का प्रसार	50:50	5.00	—	सं०	50	50
22.	गहरे समुद्र में मछली मारना अन्य	,,	11.02	—	—	—	—
23.	मूल्य वर्धित उत्पादों का परिवर्तन	,,	—	—	—	—	—
24.	कोल्ड चेंस की स्थापना	,,	—	—	—	—	—
25.	मछुआरों के लिए बचत और राहत स्कीम	,,	—	—	सं० (फिशरमेन)	—	—
26.	मछुआरों के लिए समूह बीमा स्कीम	,,	22.50	26.42	सं०(फिशरमेन)	1,00,000	161217
27.	के० एम० एफ० आर० अधिनियम को बढ़ाने का कार्यक्रम	,,	—	—	—	—	—
28.	सांख्यिकी प्रकोष्ठ	,,	16.78	—	—	—	—
29.	एन० एफ० डब्ल्यू० एफ० द्वारा सहायता प्राप्त आवास	,,	36.60	36.84	सं०	600 आवास 3 सामुदायिक हॉल 30 नलकूप	सभी कार्य प्रगति में हैं
	जोड़ :		1031.85	1021.78	—	—	—

	वानिकी तथा वन्य जीवन						
1.	वन्य जीवन अभ्यारण्य चीता रिजर्व	50 एसएस	341.52	341.52	वन एकीकरण पा० पुनर्स्थापन	—	—
2.	राष्ट्रीय उद्यान	,,	45.95	45.95	वन्यजीवन संरक्षण आदि	—	—
3.	शिकार तथा गैर-कानूनी व्यापार का नियंत्रण	,,	1.46	1.46	शिकार निरीक्षण का मोबाईल स्क्वैड		
	बन्द की गई स्कीम		151.44	151.44	—	—	—
	जोड़ : वानिकी तथा वन्य जीवन		540.37	540.37	—	—	—
	खाद्य भण्डारण तथा वेअर हाउसिंग						
1.	केरल राज्य वेअर हाउसिंग निगम	50 सीएसएस	30.00	30.00	—	—	—
	उप जोड़ :		30.00	30.00	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	निगम						
1.	नान ओवर ड्यू कवर के लिए जिला सहकारी बैंकों को सहायता	50	—	—	—	—	—
	जोड़ : कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप		4149.58	2879.87	—	—	—
	ग्रामीण विकास						
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रायसेम तथा संबद्ध कार्यक्रम	50	9097.68	4323.54	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की सं०	484132	486615
					प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं०	30000	26472

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.00	—	नं०	50	50	15.00	15.00	40.00	15.00	—
—	—	—	—	—	5.00	5.00	50.00	20.00	—
—	—	—	—	—	—	—	15.00	3.00	—
—	—	—	—	—	—	—	10.00	3.00	—
—	—	मं० (मछुआरे)	75000	75000	222.00	222.00	2250.00	350.00	—
7.00	7.00	सं० (मछुआरे)	161217	161217	8.00	8.00	45.00	8.00	—
10.02	—	सं० (जलयान)	1	—	40.00	40.00	300 00	40.00	—
6.20	—	—	—	—	5.00	5.00	30.00	6.00	—
19.23	19.24	सं०	300 आवास 3 सामुदायुयिक हॉल 15 ट्यूब वैल 3 उधार समितियां	—	22.00	22.00	350.00	70.00	—
383.11	249.07	—	—	—	699.50	699.50	6252.50	1010.50	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90.85	—	वन एकीकरण, पा० पुनर्स्थापन वन्य जीवन संरक्षण इत्यादि		—	141.00	141.00	665.00	132.00	—
12.23	—	"	"	—	20.00	20.00	100.00	• 20.00	—
3.24	—	वनों में शिकार को रोकने तथा गैर-कानूनी व्यापार को रोकने में दलदल	—	—	5.00	5.00	25.00	5.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106.32	—	—	—	—	166.00	166.00	790.00	157.00	—
30.00	30.00	—	—	—	15 00	15.00	20.00	20.00	—
30.00	30.00	—	—	—	15.00	15.00	20.00	20.00	—

—	—	—	—	—	—	175.00	100.00	10.00	—
848.74	439.92	—	—	—	1038.59	1213.59	8553.50	1509.50	—
2031.91	904.75	परिवारों की सहायता सं०	92500	60877	992.10	930.05	6300.00	1112.00	—
		प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	6040	5657	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
					बताए गए व्यक्तियों की संख्या	20000	18858
					दैनिक मजदूरों की संख्या	—	10355
	(I) केईआरएएमएस	50	—	—	—	—	—
	(II) ट्राइसेम आधारित संरचना	50	—	—	—	—	—
	(III) प्रशासनिक प्रभाग	50	—	—	—	—	—
	(IV) आईआरडीपी सेल के लिए प्रबोधन	50	—	—	—	—	—
	उप-जोड़		9097.68	4323.54	—	—	—
II	(I) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी)	50	9781.48	4997.73	लाख श्रम दिवस	342.70	425.98
	(II) ग्रामीण विकास (एसआईआरडी) के लिए सरकारी संस्थान	50	74.67	33.04	—	—	—

	(III) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डीडब्ल्यूसीआरए) भूमि सुधार	33⅓	128.11	46.05	बनाए गए समूह	879	1118
1.	भूमि अभिलेखों का रखरखाव	50	121.41	107.00	—	—	—
2.	अतिरिक्त भूमि पाने वालों में वित्तीय सहायता	50					
	उप-जोड़	—	121.41	107.00	—	—	—
	कुल ग्रामीण विकास	—	19203.35	9507.36	—	—	—
	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण						
1.	लघु सिंचाई	—	—	—	—	—	—
	(क) भौम जल का विकास	50	95.16	92.16	—	—	—
2.	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	,,	1475.82	1475.82	000 हे०	56.894	38.498
	जोड़-सिंचाई		1567.98	1567.98	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	उद्योग और खनिज						
	लघु पैमाने के उद्योग						
1.	जिला उद्योग केन्द्र पर्यवेक्षण एवं संगठन	50	90.35	—	—	—	—
2.	जिला उद्योग केन्द्रों—अन्य विकासात्मक स्कीम ग्रामीण नलकूप कार्यक्रम	50	31.05	—	—	—	—
3.	जिला उद्योग केन्द्र—अन्य विकास स्कीमें—अतिरिक्त पूंजी सहायता	50	122.57	—	—	—	—
4.	अनुसूचित जाति उद्यमशीलता के लिए कर्मशाला का निर्माण	50	—	—	—	—	—
5.	अनुसूचित जनजाति के उद्यमशीलता के लिए कार्यशाला का निर्माण	50	—	—	—	—	—
6.	छोड़ी गई स्कीम	50	25.00	—	—	—	—
	उप-जोड़	—	268.97	—	—	—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	4532	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2651	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	10.00	10.00	30.00	5.00	—
—	—	—	—	—	20.00	20.00	100.00	20.00	—
—	—	—	—	—	27.36	27.36	250.00	40.00	—
—	—	—	—	—	2.00	2.00	10.00	2.00	—
2091.91	904.75	—	—	—	1051.46	989.41	6690.00	1179.00	—
जे०आर०वाई० शामिल स्कीम	—	—	—	—	—	—	—	-	—
20.00	12.64	—	—	—	7.50	7.50	100.00	20.00	—
40.88	11.22	बनाए गए समूहों की संख्या	—	50	15	15	75	15	—
116.98	उ०न०	—	—	—	55.00	55.00	262.00	60.00	—
—	15.00 सं० लाभग्राही	—	13000	135316	15.00	15.00	100.00	15.00	—
116.98	15.00	—	—	—	70.00	70.00	362.00	75.00	—
2269.77	943.61	—	—	—	1143.96	1081.91	7227.00	1289.00	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.71	16.71	—	—	—	40.00	80.00	500.00	40.00	—
802.56	802.56	000 हे०	14.453	14.453	827.00	893.50	6000.00	900.00	—
819.27	819.27	—	—	—	867.00	973.50	6500.00	940.00	—
44.46	—	—	—	—	40.00	40.00	400.00	45.00	—
6.89	—	—	—	—	10.00	10.00	60.00	12.00	—
29.57	—	—	—	—	28.00	28.00	140.00	28.00	—
32.82	—	—	—	—	—	—	400.00	65.00	—
8.23	—	—	—	—	—	—	75.00	15.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121.97	—	—	—	—	78.00	78.00	1075.00	165.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	हथकरघा उद्योग						
1.	उत्पाद उन्मुखी स्कीम						
(क)	सहकारिता क्षेत्रक						
1.	बुनकरों को शेयर कैपिटल लोन	50	1.62	—	—	—	—
2.	करघा आधुनिकीकरण	,,	19.08	—	—	—	—
3.	करघा विहीन बुनकरों के लिए करघों की खरीद तथा वितरण अनुदान तथा ऋण	,,	5.65	—	—	—	—
	उप जोड़ : (क) सहकारिता क्षेत्रक		26.35	—	—	—	—
(II)	कल्याण स्कीम						
1.	हथकरघा बुनकरों के लिए आवास और कार्यशाला का निर्माण	50	55.00	—	—	—	—
2.	कंट्रीब्यूटरी थ्रिफ्ट फण्ड	,,	1.08	—	—	—	—
	उप जोड़ : (कल्याण स्कीम)		56.08	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	विशेष घटक योजना जनजातीय	50	47.39	—	—	—	—
	उप-योजना		33.56	—	—	—	—
	उप जोड़ : (कुल सी पी)		100.95	—	—	—	—
	छोड़ी गई स्कीमें		237.99	—	—	—	—
	उप जोड़ :		421.37	—	—	—	—
	क्वायर उद्योग						
	क्वायर बोर्ड स्कीम (केंद्रीय हिस्सा)						
1.	हिन्दी [illegible]	90	2.14	—	—	—	—
2.	प्रबंधकीय सहायता के लिए सहायक अनुदान रेशा सहकारी समितियों का विस्तार	,,	13.98	—	—	—	—
3.	रेशा सहकारी समिति में अंशपूंजी निवेश	,,	158.83	—	—	—	—
4.	रेशा तथा रेशा उत्पादकों की बिक्री में कटौती तथा छूट	,,	176.47	—	—	—	—

5.	डीफाइबरिंग मिलों तथा मोटरराइज हेडल रेट्स की स्थापना के लिए एकीकृत क्वायर विकास परियोजना-सतिब्धी (एनसीडीसी तथा क्वायर बोर्ड सहायता से)	25	—	—	—	—	—
	छोड़ी गई स्कीम	"	124.98	—	—	—	—
	उप जोड़ :		476.50	—	—	—	—
	बड़े तथा मझौले उद्योग						
1.	औद्योगिक विकास केन्द्र	50	—	—	—	—	—
	जोड़ : उद्योग तथा खनिज		—	1166.84	—	—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	1.00	1.00	7.00	1.00	—
19.98	—	—	—	—	20.00	20.00	80.00	10 00	—
21.20	—	—	—	—	21.00	21.00	200.00	15.00	—
41.18	—	—	—	—	42.00	42.00	287.00	26.00	—
19.23	—	—	—	—	20.00	20.00	80.00	15 00	—
—	—	—	—	—	0.50	0.50	5.00	0.80	—
19.23	—	—	—	—	20.50	20 50	85.00	15.80	—
5.28	—	—	—	—	5.00	5.00	30.00	3.00	जिला योजना
1.68	—	—	—	—	4.50	4.50	10.00	1.00	—
6.96	—	—	—	—	9.50	9.50	40.00	4:00	—
1.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68.43	—	—	—	—	72.00	72.00	412.00	45.80	—
—	—	—	—	—	0.50	0.50	5.00	—	—
1.02	—	—	—	—	1.50	1.50	15.00	1.00	—

20.00	—	—	—	—	25.00	25.00	200.00	30.00	—
168.37	—	—	—	—	115.00	115.00	900.00	135.00	—
—	—	—	—	—	—	—	650.00	90.00	नई स्कीम
					64.01	64.01	—	—	—
189.39	—	—	—	—	206.01	206.01	1770 00	256.00	—
2.50	—	—	—	—	200.00	200.00	2000.00	350.00	—
2.50	—	—	—	—	200.00	200 00	2000.00	350.00	—
382.29	—	—	—	—	556.01	556.01	5257.00	816.80	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	परिवहन						
	सड़कें और पुल						
1.	आर्थिक महत्व की सड़कें	50	106.00	52.00	कि० मी०	11	11
2.	डी आर आई क्यू निकाय के तहत जैव तकनीकी यूनिट का गठन	,,	—	—	—	—	—
	उप-जोड़		106.00	52.00	कि० मी०	11	11
	अंतर्देशीय जल परिवहन						
1.	अंतर्देशीय नहर स्कीम	,,	472.97	219.97	—	—	—
	जोड़ : परिवहन		578.29	271.97	—	—	—
	विज्ञान प्रौद्यो० और पर्यावरण						
1.	इमेज प्रोसेसिंग के विकास के लिए केन्द्र	,,	—	—	—	—	—
2.	राष्ट्रीय संसाधन डाटा प्रबंधन प्रणाली (एन० आर० डी० एम० एस०)	,,	—	—	—	—	[illegible]
3.	सोफिस्टीकेटिड इन्स्ट्रूमेंटेशन केन्द्र	25	—	—	—	—	—

4.	आई आर टी सी मंडूर	50	—	—	—	—	—
5.	सामान्य एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट संयंत्र	25	—	—	—	—	—
	जोड़ : विज्ञान तथा प्रौद्यो०		—	—	—	—	—
	*सामान्य आर्थिक स्कीमें						
	सचिवालय आर्थिक सेवाएं						
	आयोजना मशीनरी						
1.	राज्य आयोजना मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	331/3 : 662/3	33.99	67.98	—	—	—
2.	जिला आयोजना इकाइयां	50 : 50	81.07	81.07	—	—	—
3.	मूल्यांकन मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	,,	6.79	6.79	—	—	—
	उप-जोड़		121.85	155.84	—	—	—
	सर्वेक्षण और आंकड़े						
	कृषि की समय पर सूचना						
	आंकड़े	,,	388.48	388.48	—	—	—
	उप-जोड़		388.48	388.48	—	—	—
	जोड़ : सामान्य आर्थिक सेवाएं		510.33	544.32	—	—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.88	18.88	कि० मी०	4	4	50.00	50.00	400.00	80.00	—
—	—	—	—	—	5.00	5.00	20.00	4.00	—
18.88	18.88	कि० मी०	4	4	55.00	55.00	420.00	84.00	—
173.66*	86.83	—	—	—	60.00	60.00	250.00	75.00	—
192.54	105.71	—	—	—	115.00	115.00	670.00	159.00	—
—	—	—	—	—	—	—	300.00	50.00	—
—	—	—	—	—	—	—	50.00	10.00	—
—	—	—	—	—	—	—	150.00	30.00	—
—	—	—	—	—	—	—	25.00	5.00	—
—	—	—	—	—	—	—	80.00	20.00	—
—	—	—	—	—	—	—	605.00	115.00	—

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.67	3.67	—	—	—	7.00	7.00	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	160.00	30.00	—
0.17	0.17	—	—	—	1.00	1.00	—	—	—
3.84	3.84	—	—	—	8.00	8.00	160.00	30.00	—
118.05	118.05	—	—	—	105.00	105.00	800.00	130.00	—
118.05	118.05	—	—	—	105.00	105.00	800.00	130.00	—
121.89	121.89	—	—	—	113.00	113.00	960.00	160.00	—

*अनंतिम

1	2	3	4	5	6	7	8
	सामाजिक सेवाएं						
	I सामान्य शिक्षा						
1.	माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा	50	5 54	—	—	—	—
2.	अंग्रेजी के जिला केन्द्रों की स्थापना	,,	—	—	—	—	—
3.	अंतरित/छोड़ी गई स्कीमें	,,	7.30	—	—	—	—
	उप जोड़ :		12.64	—	—	—	—
	II तकनीकी शिक्षा						
1.	अंतरित/छोड़ी गई स्कीमें	,,	2.04	18.00	—	—	—
	उप जोड़ :		2.64	18.00	—	—	—
	III खेल और युवा सेवाएं						
1.	युवाओं के प्रशिक्षण के लिए स्कीमें	50	—	—	—	—	—
2.	युवाओं के लिए प्रदर्शनी स्कीमे	,,	—	—	—	—	—
3.	राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	,,	—	—	—	—	—
4.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा	,,	—	—	—	—	—
5.	साहसिक कार्यक्रम	,,	—	—	—	—	—
6.	राष्ट्रीय स्वैच्छिक सेवा	,,	—	—	—	—	—

7.	खेल परियोजना विकास क्षेत्र	,,	—	—	—	—	—
8.	खेल मैदानों का विकास	,,	—	—	—	—	—
9	स्टेबुले स्टेडियमों का निर्माण	,,	–	—	—	—	—
10.	इन्डोर स्टेडियम का निर्माण	,,	—	—	—	—	—
11.	स्विमिंग पूलों का निर्माण	,,	—	—	—	—	—
12.	खेल के मैदानों की फ्लड लाइटिंग	,,	—	—	—	—	—
13.	उपयोगी खेल उपकरणों की आपूर्ति	,,	—	—	—	—	—
14.	खेल परिसरों का निर्माण	25	—	—	—	—	—
	उप जोड़ :		—	—	—	—	—
	जोड़ :		15.28	18.00	—	—	—
	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य						
	संक्रामक रोगों का नियंत्रण	50					
1.	टी० बी०	,,	52.92	170.00	जिला टी० बी०	सभी जिलों में कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा है	
2.	फाइलेरिया	,,	31.24	—	—	—	–
3.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	,,	35.97	—	जांच किए गए मामलों की सं०	—	11273
	अंतरित/छोड़ी गई स्कीमें	,,	640.90	—	—	—	–
	उप जोड़ :		761.03	170.00	—	—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	3.00	—	15.00	3.00	—
—	—	—	—	—	10.00	—	75.00	10.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	13.00	—	90 00	13.00	—
6.29	—	—	—	—	10.00	—	—	—	—
6.29	—	—	—	—	10.00	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	25.00	5.00	—
—	—	—	—	—	—	—	10 00	2.00	—
—	—	—	—	—	—	—	15.00	3.00	—
—	—	—	—	—	—	—	25 00	5.00	—
—	—	—	—	—	—	—	5.00	1.00	—
—	—	—	—	—	—	—	2.00	0.50	—
—	—	—	—	—	—	—	15.00	3.00	—
—	—	—	—	—	—	—	50 00	10.00	—
—	—	—	—	—	—	—	25.00	5.00	—

—	—	—	—	—	—	—	40.00	8.00	—
—	—	—	—	—	—	—	40.00	8.00	—
—	—	—	—	—	—	—	5.00	1.00	—
—	—	—	—	—	—	—	5.00	1.00	—
—	—	—	—	—	—	—	20.00	4.00	—
—	—	—	—	—	—	—	282.00	56.50	—
—	—	—	—	—	23.00	—	372.00	69.50	—
36.00	38.00	—	—	—	30.00	30.00	109.00	38.00	—
9.73	20.23	—	—	—	23.00	23.00	60.00	20.00	—
0.35	0.35	—	—	—	20.00	20.00	60.00	10.00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46.08	58.58	—	—	—	73.00	73.00	310.00	68.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	शहरी विकास						
1.	छोटे तथा मध्यम कस्बों का	50	474.50	278.23	सं०	6	14
2.	गरीबों के लिए शहरी आधारिक	,,	78.62	27.00	सं० (लिए गए कस्बे)	13	13
3.	नेहरू रोजगार योजना	,,	—	—	—	—	—
	उप जोड़		553.21	305.23	—	—	—
	श्रम एवं रोजगार						
	रोजगार						
1.	रोजगार कार्यालय का कंप्यूटरीकरण प्रशिक्षण	,,	—	—	—	—	—
2.	कुशल विकास परियोजना	,,	53.81	80.83	—	—	—
3.	प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर ट्रेड	,,	4 80	—	—	—	—
	उप जोड़		58.61	80.83	—	—	—

	अनुसूचित जातियों का कल्याण						
1.	कोचिंग और संबद्ध स्कीमें	,,	19.78	—	केन्द्र	3	3
2.	बालिकाओं का छात्रावास	,,	32.81	—	छात्रावास	2	2
3.	बालकों का छात्रावास	,,	—	—	—	—	—
4.	प्रोफेशनल कालेजों और पालीटेकनीकों के लिए बुक बैंक	,,	18.84	—	कालिज	12	12
5.	पी सी आर अएक्ट का प्रवर्तन	,,	6.57	—	—	—	—
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए	49	244.57	—	—	—	—
7.	के आई आर टी ए डी एस	50	30.96	—	संस्थान	1	1
	उप जोड़		362.53				
	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण						
1.	बालकों के छात्रावासों का निर्माण	,,	—	—	—	—	—
2.	बालिका छात्रावासों का निर्माण	50% अनावर्ती	14.63	18.27	छात्रावास	2	2
		50% व्यय का सीएसएस	—	—	—	—	—
		49% क्षेत्रक	—	—	—	—	—
	उप जोड़		14.63	18.27		—	—

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60.81	55.81	—	—	—	30.00	30.00	150.00	38.00	—
71.00	—	—	—	—	60.00	60.00	50.00	20.00	—
411.08	354.00	सं• लाभग्राही	—	4426	180.00	180.00	950.00	180.00	—
542.89	409.81		—	4426	270.00	270.00	1150.00	230.00	—
—	—	—	—	—	—	—	68.00	13.60	—
136 82	31.00	—	—		193.00	193.00	683.24	352.90	—
9.18	—	—	—	—	5.00	5.00	15.00	7.00	—
146.00	31.00	—	—	—	198.00	198.00	766.24	373.50	—
5.00	—	केन्द्र	3	3	10.00	10.00	50.00	12.00	—
10.00	—	छात्रावास			10.00	10.00	50.00	11.00	—
5.00	—	छात्रावास	3	—	5.00	5.00	25.00	5.00	—
3.00	—	कॉलिज	12	3	3	3.00	15.00	5.00	—

1.00	—	—	—	—	1.00	1.00	24.50	5.50	—
72.00	—	—	—	—	82.00	82.00	408.00	81.00	—
7.35	—	संस्थान	1	1	12.00	12.00	60.00	12.00	—
103.35	—	—	—	—	123.00	123.00	632.50	131.50	—
7.00	10.27	छात्रावास	3	—	10.00	10.00	100.00	20.00	—
20.00	17.98	छात्रावास	3	1	20.00	20.00	100.00	20.00	—
—	6.23	—	—	—	14.00	14.00	30.00	10.00	—
—	8.75	—	—	—	—	—	65.00	15.00	—
—	2.50	—	—	—	20.00	20.00	21.50	6.50	—
7.20	—	—	—	—	7.20	7.20	36.0	7.20	—
34.20	45.73	—	—	—	71.20	71.20	352.50	78.70	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	समाज कल्याण						
1.	अनाथों को सहायता अनुदान	50	55.47	39.95	—	—	—
2.	जुवेनाइल न्याय अधिनियम के अंतर्गत मॉडल जुवेनाइल आवास की स्थापना	"	—	—	—	—	—
3.	किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत सुधार गृह की स्थापना	"	—	—	—	—	—
4.	कैदियों का कल्याण	"	0.13	1.00	—	—	—
5.	स्व-रोजगार के लिए एक्स-सर्विसमेन तैयार करना (पीईएक्सएसईएम)	"	6.13	2.00	—	—	—
			61.73	42.95	—	—	—
	जोड़ सामाजिक सेवाएं		1827.02	635.28*	—	—	—
	कुल जोड़ :		29003.39	15406.78	—	—	—

*अनुसूचित जाति का कल्याण शामिल नहीं है।

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.26	16.33	—	—	—	10.00	10.00	50.00	10.00	—
6.35	6.35	—	—	—	[illegible].00	5.00	6.00	6.00	—
15.37	18.80	—	—	—	18.00	18.00	17.00	9.00	—
2.56	2.50	—	—	—	2.00	3.00	15.00	2.00	—
4.06	5.00	—	—	—	5.00	5.00	10.00	2.00	—
38.60	48 99	—	—	—	40.00	40.00	98.00	35.00	—
917.41	594.10*	—	—	—	**798.20	773.20	3681.24	986.20	—
5551.91	3024.50	—	—	—	4631.76	4828.21	33453.74	5975.50	—

**इसमें जिला शामिल है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

6610. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्त बाजार बिक्री के अंतर्गत औषधों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बहुत ही कम कोटा आबटित किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी वस्तुओं की खुली बिक्री के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) माह फरवरी, '92 के लिए और 21 मार्च तक चुनी हुई 30 आवश्यक वस्तुओं मे से 15 वस्तुओं के संबंध में थोक मूल्य सूचकांकों में उतार-चढ़ाव स्थिर/ऋणात्मक रहा। अन्य 5 वस्तुओं के मामले में यह +0.5% से कम रहा और शेष 10 वस्तुओं के मामले में वृद्धि हुई है। फरवरी, '92 तथा मार्च, '92 (21-3-92 तक) के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक मे आए प्रतिशत उतार-चढ़ाव दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के किए जाने वाले आबटन में 1989 से निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1990 और 1989 में आबटित की गई क्रमश: 178 लाख मी० टन तथा 167 लाख मी० टन मात्रा की तुलना मे 1991 में खाद्यान्नों की कुल 213 लाख मी० टन मात्रा आबंटित की गई। अगस्त, 1991 से नवम्बर, 1991 तक खरीफ के अनाज की कमी के मौसम को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्नों के आबटन में तदर्थ वृद्धि की गई थी। इसी से ही पता चल जाता है कि खाद्यान्नों के आबंटन में सुधार हुआ है। खाद्यान्नों का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है और इसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करना नहीं होता। लेवी चीनी का आबंटन आम तौर पर 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम मात्रा प्रतिमाह उपलब्ध कराने के एक समान मानदंड के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगस्त, 1991 से मार्च, 992 तक लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेल का आबंटन अब पुन: आरम्भ कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बाजार में उपलब्ध सभी आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम मूल्य-सीमा नियत करना

संभव नहीं है। सरकार की नीति का उद्देश्य पूरे वर्ष चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने का है। तथापि, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के निर्गम मूल्य नियत करती है। वस्तुओं के खुले बाजार मूल्य विभिन्न बातों, जिनमें उनकी मांग और आपूर्ति की बात शामिल है, से प्रभावित होते हैं। सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के रुख पर बारीकी से नजर रखती है और समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाती है।

विवरण

फरवरी, '92 और मार्च, '92 (21-3-92 तक) के दौरान आवश्यक वस्तुओं में थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार-चढ़ाव

क्रम सं०	वस्तु	फरवरी, 1992	मार्च, 1992 (21-3-92 तक)
1	2	3	4
1.	चावल	+2.6	स्थिर
2.	गेहूं	+3.7	—1.9
3.	ज्वार	+1.8	+1.7
4.	बाजरा	+4.0	+5.8
5.	चना	—1.4	+1.3
6.	अरहर	+2.7	—2.4
7.	मूंग	+2.9	+2.7
8.	उड़द	—0.2	—1.7
9.	मसूर	—8.1	—5.7
10.	आलू	—26.0	+7.2
11.	प्याज	—17.7	+9.3
12.	दूध	—0.6	स्थिर
13.	मछली	+3.0	—2.4
14.	गोश्त	+2.6	+1.7
15.	लाल मिर्च (सूखी)	—4.5	—2.8

1	2	3	4
16.	चाय	—2.5	+1.9
17.	कोक	स्थिर	स्थिर
18.	मिट्टी का तेल	+0.5	स्थिर
19.	आटा	+2.8	+4.0
20.	चीनी	+6.9	+0.1
21.	गुड़	+0.3	+0.1
22.	नमक	+0.8	+2.8
23.	वनस्पति	—2.4	—3.4
24.	सरसों का तेल	—5.2	—2.8
25.	नारियल का तेल	—4.6	—2.9
26.	मूंगफली का तेल	—6.0	—2.9
27.	सूती कपड़ा (मिल का)	+0.3	+3.6
28.	कपड़े धोने का साबुन	स्थिर	+0.6
29.	दियासलाई	स्थिर	स्थिर
30.	औषध और दवाइयां	+0.1	+1.1
	समस्त वस्तुएं	+0.4	+0 6

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।

बिजली के संरक्षण संबंधी नीति

6611. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिजली के संरक्षण के लिए किसी नीति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप विभिन्न उद्योग किस हद तक बिजली का संरक्षण कर सकेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सरकार ने विद्युत शक्ति

तथा पैट्रोलियम एवं कोयले जैसे ऊर्जा के अन्य स्रोतों के संरक्षण संबंधी एक विस्तृत नीति तैयार की है।

(ख) सरकार औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देती रही है। इन प्रोत्साहनों में ऊर्जा बचाने वाले यंत्रों एवं उपकरणों की लागत पर आयकर तथा सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क सहायता के तहत देय 100% मूल्य ह्रास भत्ता शामिल है।

(ग) इन प्रोत्साहनों के कारण उद्योग किस हद तक ऊर्जा का संरक्षण करने में सक्षम होंगे उसे मापा नहीं जा सकता है। यद्यपि, सरकार द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों से उद्योगों द्वारा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों में त्वरित पूंजी निवेश में सहायक वातावरण बनेगा।

बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए कानूनी संरक्षण

6612. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के बकाया पदों को भरने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्विट्जरलैंड की सहायता से तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान

6613. **श्री पी० सी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में स्विट्जरलैंड की सहायता से चलाये जा रहे तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्विट्जरलैंड की एजेंसी ने अन्य राज्यों में भी ऐसे ही कुछ संस्थाओं की सहायता करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इंडो-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसटीसी) सीएसआईआर की प्रयोगशाला, केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ में स्विस सहायता से स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य परिशुद्ध कार्य (प्रिसिजन वर्क) में उच्च ग्रेड तकनीकी स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह निम्नांकित पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है :

1. उपकरण प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय एकीकृत डिप्लोमा कार्यक्रम।

2. डाई और मोल्ड मेकिंग में चार वर्षीय एडवांस डिप्लोमा कार्यक्रम।

3. औद्योगिक इलेक्ट्रोनिक्स में एक वर्षीय पोस्ट-डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(ख) तथा (ग) जी हां। विश्व एजेन्सी इलेक्ट्रोनिक उद्योग के लिए विभिन्न राज्यों में चुने हुए इंजीनियरिंग कालेजों, इलेक्ट्रोनिक्स डिजाइन और प्रशिक्षण तथा पोलिटेक्निक केन्द्रों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक परियोजना के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक्स विभाग की सहायता कर रही है।

गैर-सरकारी अस्पतालों द्वारा भूमि आवंटन

6614. **श्री आस्कर फर्नान्डीज** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गैर-सरकारी अस्पतालों को भूमि देने की क्या शर्तें हैं;

(ख) क्या अधिकांश उच्च सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापित मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं और गरीबों की अवहेलना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री) नियमावली, 1981 के नियम 20 के तहत व्यवस्था के अनुसार अस्पतालों सहित संस्थाओं को भूमि आवंटन के लिए सामान्य शर्तों के अलावा गैर-सरकारी अस्पतालों को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों पर रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाती है :

(I) अस्पताल आम जनता अस्पताल के रूप में कार्य करेंगे और कम-से-कम 25 प्रतिशत बिस्तर समाज के कमजोर वर्गों के मुफ्त उपचार हेतु आरक्षित रखेंगे।

(II) अस्पताल का बाह्य रोगी विभाग गरीबी की श्रेणी में आने वाले रोगियों को निशुल्क सेवा उपलब्ध करेगा।

(ख) यह पाया गया है कि कुछ अस्पताल आवंटन के समय की गई इन वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित उपचारी कदम उठाये हैं :

(1) आवंटन पत्रों की जांच की गई है और उनके द्वारा किए जा रहे मुफ्त कार्य की मात्रा देखने के लिए अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है।

(2) इन संस्थानों से शर्तों का पालन करने और अपेक्षित मुफ्त कार्य करने के लिए कहा गया है। इन संस्थानो द्वारा किए गए मुफ्त कार्यों के सम्बन्ध में एक तिमाही रिपोर्ट मांगी गई है।

(3) इसके बावजूद, यदि अस्पताल अपेक्षित मुफ्त कार्य करने में विफल रहते हैं तो दिल्ली विकास प्राधिकरण से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा जाएगा जिसमें लीज का पर्यवसान भी हो सकता है।

प्रमुख बंदरगाहों पर पोटाश के आयात से संबंधित प्रबंध

6615. **श्री जीवन शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) म्यूरेट तथा पोटाश के सल्फेट का पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जनवरी, 1992 तक वर्षवार कुल कितना-कितना आयात किया गया;

(ख) उपर्युक्त वस्तुओं को विभिन्न बंदरगाहों से इंडियन पोटाश लिमिटेड के गंतव्य स्थलों तक पहुंचाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में, वर्षवार प्रति टन कितना-कितना पारिश्रमिक दिया गया; और

(ग) उपर्युक्त वस्तुओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा इस वर्ष विभिन्न बंदरगाहों से उनके गंतव्य स्थलों तक ले जाने, लादने, उतारने आदि के लिए इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) में मुख्य पत्तनों पर संचालित म्यूरेट आफ पोटाश तथा सल्फेट आफ पोटाश की मात्रा निम्न प्रकार थी :

(मात्रा लाख टनों में)

वर्ष	एमओपी	एमओपी
1988-89	14.51	0.14
1989-90	15 00	0.22
1990-91	13.89	0.59
1991-92 (31-1-1992 तक)	15.70	—

(ख) और (ग) इंडियन पोटाश लि० के देय एम० ओ० पी० और एस० ओ० पी० के लिए संचालन प्रभार, सभी पत्तनों के लिए भारित औसत प्रति टन लागत पर आधारित है। गत कुछ वर्षों के दौरान इंडियन पोटाश लि० को भुगतान किए गए प्रति टन भारित औसत की दर नीचे दर्शाई गई है :

(राशि रु० प्रति टन में)

वर्ष	भाड़ा	भाड़ा से भिन्न घटक	कुल संचालन प्रभार
1988-89	130.92	375.08	506.00
1989-90 (अनंतिम)	135.80	379.20	515.00
1990-91 (अनंतिम)	135.80	379.20	515.00
1991-92 (अनंतिम)	162.27	387.23	550.00

टूथपेस्ट निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

6616. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रियों का ब्यौरा क्या है जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित टूथपेस्ट का अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक मात्रा में उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उन्होंने वास्तव मे कितना उत्पादन किया; और

(ग) लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) मै० कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लि०, तथा मै० हिन्दुस्तान लीवर लि० के अलावा मै० कलकत्ता कैमिकल के० लि०, मै० सीबा गाएगी ऑफ इंडिया लि०, मै० जाफरी मिनर्स एंड कं० लि० तथा मै० जे० एल० मारीसन एंड जोन्स इंडिया लि० की अपनी अनुमोदित क्षमता से अधिक टूथपेस्ट का उत्पादन करने की सूचना है। तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इनमें से प्रत्येक कंपनी का पिछले 3 वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन तथा अधिष्ठापित क्षमता इस प्रकार है :—

(मी० टन में)

क्र० सं०	कंपनी का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन		
			1989	1990	1991
1	2	3	4	5	6
1.	मै० कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लि०	1550	17056	16675	18085
2.	मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०				
	(I) गांधीनगर, कच्छ स्थित एकक, गुजरात (100% निर्यातोन्मुख एकक)	3000	4716	2396	3334
	(II) बम्बई स्थित एकक	250	854	894	849
	(III) कलकत्ता स्थित एकक	339	383	729	1336

1	2	3	4	5	6
3.	मै० कलकत्ता कैमिकल क०	156	306	157	391
4.	मै० सीबा गाएगी ऑफ इंडिया लि०	557	2746	2553	2573
5.	मै० जाफरी मैनर्स एंड कं० लि०	1014	3649	1648	1389
6.	मै० जे० एल० मारीगन एंड जोन्स इंडिया लि०	31	154	201	167

(ग) जबकि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 13(1)(घ) के उल्लंघन में टूथपेस्ट और टूथपाउडर के विनिर्माण के लिए पर्याप्त विस्तार करने के लिए मै० कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लि० द्वारा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने से सरकार को रोकने के लिए लिया गया स्थगन आदेश तथा बिना सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त किए लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा है, मै० हिन्दुस्तान लीवर लि० ने उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित क्षमताओं का विरोध किया है। जिन कम्पनियों के बारे में बताया गया है कि इन्होंने अपनी स्वीकृत क्षमताओं से ज्यादा टूथपेस्ट बनाया है उनके विरुद्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई करने का प्रश्न केवल तभी उठेगा यदि जांच के पश्चात् यह सिद्ध हो जाता है कि इन कम्पनियों ने वास्तव में उक्त अधिनियम के अधीन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है।

परमाणु विद्युत रिएक्टरों से छोड़े गए 'रेडियो ऐक्टिव' पदार्थों का निपटान

6617. कुमारी उमा भारती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न परमाणु रिएक्टरों से छोड़े गए रेडियो एक्टिव पदार्थों के निपटाने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या यह प्रक्रिया संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) परमाणु रिएक्टरों से निकलने वाले विकिरण सक्रिय पदार्थों को पहले मानीटर किया जाता है और फिर उनके स्वरूप तथा उनमें विद्यमान विकिरण सक्रियता की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग किया जाता है। इसके बाद इन पदार्थों को उपयुक्त पात्रों में पैक करने से पहले समुचित रूप से संसाधित किया जाता है और अनुकूलन करके उन्हें स्थायी रूप में लाया जाता है। इन पात्रों का निपटान परमाणु रिएक्टरों के नियंत्रित क्षेत्र के भीतर ही लगभग भूमि की सतह पर

कम गहराई पर बनाई गई संरचनाओं में किया जाता है और उन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है।

(ख) जी, हां। ये प्रक्रियाएं सुकर हैं। जिन संरचनाओं और क्षेत्रों में इन पदार्थों का निपटान कई वर्षों से किया जा रहा है, उन पर रखी जा रही निगरानी से इन प्रक्रियाओं की प्रभाविकता की सुरक्षा संबंधी विनिर्देशों के अनुरूप होने की पुष्टि हुई है।

(ग) ऊपर (ख) पर उल्लिखित उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह लागू नहीं होता।

संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय को न मानना

6618. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक बार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह नहीं मानी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किस आधार पर आयोग की सलाह नहीं मानी है; और

(ग) सेवाओं के मनोबल और छवि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को न मानने के मामलों की संख्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई ऐसी सिफारिशों की कुल संख्या के मुकाबले नगण्य है। यह निम्नलिखित आंकड़ों से साबित होता है।

	1988-89	1989-90	1990-91
की गई सिफारिशों की कुल संख्या	14705	14740	19024
उन मामलों की कुल संख्या जिनमें संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें नहीं मानी गईं	15	10	8

(ख) कुछ मामले जिन पर सरकार का आयोग की सिफारिशों से मतभेद था उन पर सभी संगत बातों को ध्यान में रख कर समुचित स्तर पर निर्णय लिया गया था।

(ग) असहमति के मामलों की नगण्य संख्या को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिक

6619. **कुमारी उमा भारती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा उससे औसतन कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विदेशों में नियोजित भारतीय श्रमिकों द्वारा उपार्जित विदेशी मुद्रा की राशि से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

6620. **श्री राजनाथ शोनकर शास्त्री** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के तेजी से विकास हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यरूप दिए जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) देश में ग्रामीण क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए कोई नया या विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत क्षेत्र विकास का दृष्टिकोण अपनाया जाना है। यह इस अवधारणा पर आधारित है कि विकेन्द्रीकृत आयोजना तथा इन स्कीमों के कार्यान्वयन से गरीबी की समस्या पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। आठवी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में इस दृष्टिकोण के ब्यौरे शामिल किए जाएंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के निकट उड़ीसा सरकार को भूमि का आवंटन

6621. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के छात्रों के लिए पुस्तकालय, होस्टल और सन्दर्भ केन्द्र के निर्माण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के निकट उड़ीसा सरकार को पांच एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए कोई प्रतिवेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली उड़िया स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन (पंजीकृत) से दिनांक 6 मार्च, 1992 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने उड़ीसा सरकार द्वारा एक पूर्ण विकसित होस्टल के निर्माण (एक सांस्कृतिक केन्द्र और एक सन्दर्भ पुस्तकालय सहित) के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के समीप पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से अनुरोध की जांच की गई है, और यह निर्णय लिया गया है कि होस्टल के लिए अनुरोध को दिल्ली विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि के अन्तर्गत ही समायोजित किया जाना चाहिए।

रुग्ण एककों के बन्द किए जाने को रोकना

6622. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के रुग्ण, घाटे में चल रही और अत्यधिक अक्षम एककों तथा दिवालिया गैर-सरकारी एवं सरकारी कंपनियों को बन्द न करने के संबंध में विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय समुदाय के साथ सहयोग

6623. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय समुदाय मशीन उपकरणों के क्षेत्र में भारतीय फर्म के साथ दीर्घकालीन समझौते करना चाहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) नई दिल्ली में 26 सितम्बर, 1991 को हुई भारतीय-यूरोपीय समुदाय की औद्योगिक सहयोग कार्य दल की चर्चा के सिलसिले में मशीन औजार उद्योग के सहयोग सम्बन्धी यूरोपीय समिति और मशीन औजार आयातकों की यूरोपीय संपर्क समिति द्वारा प्रायोजित यूरोपीय विनिर्माताओं और मशीन औजार के आयातकों के एक शिष्ट मण्डल ने अखिल भारतीय मशीन औजार विनिर्माता संघ द्वारा 7 से 16 मार्च, 1992 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित इमटेक्स '92 प्रदर्शनी के दौरान भारत का दौरा किया था। दोनों पक्षों के बीच हुए वार्तालाप के दौरान दोनों पक्षों ने दीर्घकालीन सहयोग में अपनी रुचि जाहिर की थी और चर्चा प्रौद्योगिकी अन्तरण की सम्भावना, भारत से

उपकरणों तथा सहायक उपकरणों के स्रोत की गुंजाइश और भारत यूरोप के बीच मशीन औजारों के आयात-निर्यात पर केन्द्रित थी। इस दौरे से यूरोप से आए व्यक्तियों को भारतीय उद्योग की क्षमता को समझने और सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिली, सरकार ऐसे सहयोग को प्रोत्साहन देती है। मशीन औजार उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है, अतः जुलाई, 1991 में घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति के प्रेस नोट सं० 10 के अनुसार स्वतः विदेशी सहयोग स्वीकृति का पात्र है।

[हिन्दी]

नन्द नगरी में दोषपूर्ण वाटर टैंक

6624. श्री राम बदन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में नन्द नगरी में जल की कमी के समय वहां निर्मित वाटर टैंक द्वारा जल की सप्लाई न किए जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस टैंक के निर्माण के तुरन्त बाद इसमें दरार पड़ने की शिकायतें मिली थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भंडारण सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था

6625. श्री के० वी० तंग्काबालू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलू, सब्जियों और फलों के भंडारण एवं अनुरक्षण हेतु विशेष व्यवस्था करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड (एन०एच०बी०), राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) तथा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से कटाई के बाद बागवानी फसलों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत शीत भण्डारण/प्रिकूलिंग इकाइयां उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड फल के रस/फल पर आधारित पेयों के वितरण के लिए जूस वैंडिंग मशीनें लगाने के लिए भी सहायता उपलब्ध करा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य, फल तथा सब्जियों के प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास की योजनाएं;

2. खाद्य, फल तथा सब्जियों की प्रसंस्करण सुविधाएं जुटाने अथवा उन्हें बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों तथा राज्य स्तरीय सहकारी समितियों की सहायता देने की योजनाएं,

3. मशरूम की खेती तथा इसके प्रसंस्करण के लिए आधारभूत ढांचे का विकास करना।

4. प्रमुख इकाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा उत्पादन केन्द्रों पर शीत भण्डारण सुविधाओं का विकास करना।

सेवाकाल का बढ़ाया जाना

6626. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में सेवाकाल को बढ़ाया नहीं जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया और उसके क्या कारण थे;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सेवानिवृत्त व्यक्तियों को ठेके के आधार पर सरकार में और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त किया गया;

(ङ) इस संबंध में नीति क्या है और ठेके के आधार पर सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं जिससे बेरोजगार व्यक्तियों के रोजगार के अवसर कम हो गए हैं; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सामान्यत: सेवाकाल में वृद्धि नहीं की जाती है तथापि लोक हित में आपवादित परिस्थितियों में बिरले ही मामलो में सेवा काल में वृद्धि की जाती है। सेवाकाल को अलग-अलग विभागों द्वारा बढ़ाया जाता है और पिछले दो वर्षों के दौरान जिन अधिकारियों के सेवाकाल को बढ़ाया गया था उनकी संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है।

(घ) से (च) अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां अल्पकालीन नियुक्तियां होती हैं जो

नियुक्त किए गए व्यक्ति को विशेषज्ञता का उपयोग करने अथवा विशिष्ट अल्पकालीन आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए लोक हित में की जाती हैं। उनकी विशेषज्ञता के आधार पर, उपयुक्त व्यक्तियों पर जिसमें सेवानिवृत्त व्यक्ति भी शामिल हैं, अनुबंध नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए जारी रखा जा रहा है कि ऐसी सरकारी नियुक्तियों के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध हो सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संख्या केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

विदेशों के लिए भर्ती की प्रक्रिया

6627. **श्री पीयूष तीरकी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के माध्यम से विभिन्न देशों के लिए भर्ती करने के लिए क्या प्रक्रिया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशों में की गई भर्ती का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी भर्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी योजनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों की विदेशों में भर्ती की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारत सरकार द्वारा भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आई०टी०ई०सी०) तथा इसके संबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न देशों में विशेषज्ञ भेजे जाते हैं। इन विशेषज्ञों का चयन अन्तर्विभागीय समितियों द्वारा उन विशेषज्ञों में से किया जाता है जिनके नाम कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में दर्ज होते हैं और जिनके नाम अनुरोध पर संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं।

(ख) भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आई०टी०ई०सी०) तथा इसके संबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन विशेषज्ञों का चयन किया गया है उनकी संख्या विवरण I, II तथा III में देखी जा सकती है।

(ग) विदेशों में भेजे जाने वाले विशेषज्ञों के चयन में किसी भी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि इन व्यक्तियों को उन नौकरियों के लिए निर्धारित अर्हताओं तथा अनुभव की अपेक्षाओं को पूरा करना होता है। इसे देखते हुए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से विदेशों में भेजे गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

विवरण-I

भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आई०टी०ई०सी०)

1989

	देश	डाक्टर/ पैरामेडिकल	इंजीनियर	अध्यापक	विविध	जोड़
1.	अंगोला	—	—	—	3	3
2.	जाम्बिया	—	—	—	4	4
3.	इण्डोनेशिया	—	—	1	—	1
4.	जेमाइका	—	1	—	—	1
5.	किनिया	—	1	—	—	1
6.	कम्पूचिया	4	—	—	—	4
7.	मोरिशियस	1	4	—	2	7
8.	निकारागुआ	—	—	—	1	1
9.	पी०डी०आर०वाई०	—	8	—	—	8
10.	सिचेल्स	—	—	—	2	2
11.	टोंगा	—	1	—	—	1
12.	यूगाण्डा	3	—	—	1	4
13.	वियतनाम	—	—	—	1	1
	योग :	8	15	1	14	38

विवरण-II

भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आई०टी०ई०सी०)

1990

	देश	डाक्टर/ पैरामेडिकल	इंजीनियर	अध्यापक	विविध	जोड़
1.	अफगानिस्तान	—	1	—	1	2
2.	ईथोपिया	—	—	—	1	1
3.	जेमाइका	—	1	—	—	1
4.	मोरिशियस	2	5	1	2	10
5.	पी०डी०आर०आई०	—	5	—	—	5
6.	सियेचल्स	1	—	—	—	1
7.	तंजानिया	—	—	1	—	1
8.	यूगाण्डा	1	—	—	—	1
9.	जाम्बिया	2	1	1	2	6
	योग :	6	13	3	6	28

विवरण-III

भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आई०टी०ई०सी०)

1991

	देश	डाक्टर/ पैरामेडिकल	इंजीनियर	अध्यापक	विविध	जोड़
	1	2	3	4	5	6
1.	अफगानिस्तान	—	4	—	—	4
2.	बंगलादेश	—	—	—	1	1
3.	ईथोपिया	1	—	—	—	1

1		2	3	4	5	6
4.	इण्डोनेशिया	—	—	3	—	3
5.	मोरिशियस	—	4	1	—	5
6.	नामीबिया	—	1	—	1	2
7.	सियेचल्स	—	—	—	2	2
8.	तंजानिया	—	—	1	—	1
9.	जाम्बिया	—	—	2	—	2
	योग :	1	9	7	4	21

टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां

6628. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोलिव इंडिया लि० द्वारा उसकी उत्पादन क्षमता को वास्तविक लाइसेंस शुदा क्षमता तक सीमित रखने के विरुद्ध उनके द्वारा प्राप्त रोकादेश सरकार द्वारा न तो अभी खत्म कराया गया है न ही इस मामले को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कारंवाई की गई है; और

(घ) ऐसी ही अन्य कंपनियों का ब्योरा क्या है जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं और उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) 1985 में टूथपेस्ट और टूथ पाउडर के विनिर्माण के लिए पर्याप्त विस्तार करके और सी० ओ० बी० लाइसेंस लिए बिना लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करके उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर मै० कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लि० के विरुद्ध कानूनी कारंवाई का निर्णय लिया गया था। इस बीच कम्पनी ने सरकार द्वारा कानूनी कारंवाई न करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की थीं और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इस मामले को निपटाने में बहुत ज्यादा देरी होने के कारण औद्योगिक विकास विभाग ने इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दरखास्त दी। तदनुसार इस मामले को 16-2-90 को सुनवाई के लिए रखा गया था, किन्तु इस मामले पर वास्तविक सुनवाई 9-4-91 को ही शुरू हुई। अंत में जैसी कि दोनों पार्टियों के बीच सहमति हुई दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने अपने तारीख 11-4-91 के आदेश में मै० कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लि० को उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़े एक दूसरे मामले में पक्षकार बनने का

निदेश दिया। किन्तु, नई औद्योगिक नीति की घोषणा के परिणामस्वरूप अर्जीदार कम्पनियों में उच्चतम न्यायालय में उनके विरुद्ध लम्बित रिट याचिकायों को वापिस लेने के लिए एक दरखास्त दी और तदनुसार, उच्चतम न्यायालय ने 25-10-91 के आदेश द्वारा अर्जीदारों को अपनी रिट-याचिकाएं वापिस लेने की अनुमति दे दी। अत: यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय को दुबारा सौंप दिया गया है। औद्योगिक विकास विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय मे केन्द्र सरकार के स्थायी परामर्शदाता के स्थगन-आदेश को वापिस लेने/रिट-याचिकाओं को निपटाने के लिए इस मामले की जल्दी सुनवाई करने की तारीख निश्चित करने का अनुरोध किया है। अत: यह मामला न्यायाधीन है।

(घ) मै० हिन्दुस्तान लीवर लि० और मै० डाबर इण्डिया लि०, जिनके बारे में यह बताया गया है कि ये कम्पनियां अपनी स्वीकृत क्षमताओं से ज्यादा टुथपेस्ट/टुथपाउडर बना रही हैं, ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्रों/लाइसेंसों पर पृष्ठांकित क्षमताओं का विरोध किया है। इन कम्पनियों के अलावा, मै० कलकत्ता कैमिकल क० लि०, मै० सीबा गाइगी ऑफ इण्डिया लि०, मै० जेओफ्रे मेनर्स एण्ड कं० लि० और मै० जे० एल० मोरिसन एण्ड जोन्स इण्डिया लि० के बारे में भी बताया गया है कि ये कम्पनियां अपनी स्वीकृति क्षमताओं से ज्यादा टूथपेस्ट बना रही हैं। किन्तु इन कम्पनियों के विरुद्ध कारंवाई करने का प्रश्न केवल तभी उठेगा यदि जांच करने के पश्चात् यह सिद्ध हो जाता है कि इन कम्पनियों ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है।

आंध्र प्रदेश में एच० डी० एफ० सी० की शाखाएं

6629. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 में आवास विकास वित्त निगम (एच० डी० एफ० सी०) के पास कितनी धनराशि जमा हुई थी;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में एच० डी० एफ० सी० की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और शाखाएं खोलने का है;

(घ) एच० डी० एफ० सी० ने आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए कितनी ऋणराशि जारी की है; और

(ङ) क्या एच० डी० एफ० सी० का विचार राज्य की और अधिक ऋण की मंजूरी देने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार आवास विकास वित्त निगम (एच० डी० एफ० सी०) के वित्तीय कार्यकलाप निम्नलिखित प्रकार के सूचित किए गए हैं :

(रुपये करोड़ों में)

(I) साम्यता (इक्विटी)	44.87
(II) संचय तथा आधिक्य	145 करोड़ (आंकड़े अंतरिम हैं तथा इनकी लेखा परीक्षा की जानी है)
(III) स्वीकृत आवास ऋण	711.86

(ख) आवास विकास वित्त निगम का आन्ध्र प्रदेश के राज्य में, हैदराबाद में एक शाखा कार्यालय, विशाखापट्टनम में एक प्रतिनिधि कार्यालय है तथा विजयवाड़ा और गुंटूर से एक आउट-रीच कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(ग) एक निजी कम्पनी होने के कारण आवास विकास वित्त निगम अपनी व्यावसायिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में कहीं भी अपने शाखा कार्यालय खोलने के लिए स्वतंत्र है।

(घ) 1991-92 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में मकानों के निर्माण हेतु स्वीकृत ऋणों के विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं:—

(I) व्यक्तियों को दिए गए प्रत्यक्ष ऋण	18.78 करोड़ रुपये
(II) लाभभोगियों को उधार देने के लिए राज्य-स्तर अभिकरणों को दी गई ऋण राशि	4.19 करोड़ रुपये

(ङ) जैसा कि आवास विकास वित्त निगम ने सूचित किया है, उनके द्वारा किसी लाभकर तथा व्यवहार्य योजना को सहायता के लिए अस्वीकृत नहीं किया गया है।

विशाखापत्तनम को पेयजल

6630. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम को पेयजल की पूर्ति करने की कोई योजना स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। तथापि, विशाखापत्तनम के लिए जल आपूर्ति सुधार स्कीम 32.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन द्वारा 23-3-1989 को तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित की गई थी।

(ख) उपर्युक्त स्कीम में सन् 2010 तक 45 मिलियन गैलन तक प्रतिदिन नगर की जल आपूर्ति के सवर्धन हेतु येलरू तथा रायवाड़ा नहरों से 16 मिलियन गैलन प्रतिदिन जल की प्राप्ति पर विचार किया गया है। स्कीम की लागत विशाखापत्तनम नगर निगम, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया किए गए संसाधनों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण से पूरी की जा रही है।

शीरे का उत्पादन/निर्यात

6631. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :
श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री राम पूजन पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज तक शीरे का कितनी मात्रा में उत्पादन और निर्यात किया गया और इसका उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान शराब उत्पादकों को राज्यवार इसकी कितनी मात्रा आवंटित की गई और उपयोग की गई;

(ग) क्या 1991-92 के दौरान शीरे के निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) शीरे के उत्पादन और निर्यात के आंकड़े विवरण-1 में दिए जाते हैं। लगभग 90% शीरे का अल्कोहल के उत्पादन में प्रयोग होता है जबकि शेष को पशु चारे, फाउंडरियों और अन्य उद्योगों में प्रयोग में लाया जाता है।

(ख) राज्य के अन्दर आसवनियों को शीरे का आवंटन संबंधित राज्य शीरा नियंत्रकों द्वारा किया जाता है और ऐसे आवंटनों के आंकड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन अल्कोहल वर्षों के दौरान, राज्यवार, आसवन के लिए प्रयुक्त मात्राओं को बताने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

(ग) और (घ) 14 अगस्त, 1991 से पहले शीरे का निर्यात एसटीसी के माध्यम से होता था और कितने शीरे की निर्यात की अनुमति दी जा सकती थी और उनसे संबंधित अन्य ब्योरों के निर्णय सरकार द्वारा लिए गए थे। उसके पश्चात् शीरे का निर्यात अमारणीकृत करके शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के उपबन्धों के अधीन ओजीएल में रख लिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू अल्कोहल वर्ष में शीरा का उत्पादन और निर्यात

(लाख टनों में)

वर्ष	उत्पादन (30 नवम्बर को समाप्त होने वाला अल्कोहल वर्ष)	निर्यात (31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष
1988-89	35.50	1.140
1989-90	49.70	1.840
1990-91	55.32	2.770
1991-92	58.20 (अनुमानित)	3.420 (अस्थायी)

विवरण-II

(आंकड़े लाख टनों में)

राज्य का नाम	आसवन के लिए शीरे का उपयोग		
	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	2.930	2.760	3.050
अरुणाचल प्रदेश	—	—	उप० नहीं
असम	0.039	0.040	0.041
बिहार	1.118	1.182	1.433
चण्डीगढ़	—	—	—
दादर और नगर हवेली	—	—	—
दमन	0.114	0.126	0.151

1	2	3	4
दिल्ली	—	—	—
गोवा	—	—	—
गुजरात	1.143	1.720	2.065
हरियाणा	1.040	1.134	1.335
हिमाचल प्रदेश	—	0.021	0.020
जम्मू और कश्मीर	0.005	0.139	—
कर्नाटक	2.190	2.610	2.880
केरल	0.091	0.264	0.208
मध्य प्रदेश	0.879	1.033	1.673
महाराष्ट्र	7.960	10.920	10.370
मणिपुर	—	—	—
मेघालय	—	—	—
मिजोरम	—	—	—
नागालैण्ड	0.023	0.019	0.042
उड़ीसा	0.083	0.120	0.175
पांडिचेरी	0.184	0.175	0.212
पंजाब	0.996	1.337	1.002
राजस्थान	0.290	0.271	0.291
सिक्किम	—	—	—
तमिलनाडु	3.270	3.240	3.410
त्रिपुरा	—	—	—
उत्तर प्रदेश	10.100	14.960	15.440
पश्चिमी बंगाल	0.464	0.490	0.232

असुरक्षित बस्तियों को स्थानांतरित करना

6632. **श्री अनिल बसु** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अवैधानिक तरीकों से किए गए खनन कार्य के कारण पहले से ही असुरक्षित घोषित बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कोयला क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाने वाली भू-धसाव की समस्या राष्ट्रीयकरण से पूर्व के दिनों में कोयले का अवैज्ञानिक रूप से खनन किए जाने के कारण उत्पन्न हुई। कोल इंडिया लि० ने श्री एच० बी० घोष, भूतपूर्व खान सुरक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ निगरानी समिति स्थापित की है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, वर्दमान, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, आसनसोल, स्थानीय संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य, केन्द्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लि०, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रतिनिधि, सदस्य शामिल हैं। यह समिति रानीगंज कोलफील्ड्स में असुरक्षित क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण किए जाने का अध्ययन कर रही है।

कोयला खानों का हक-विलेख

6633. **श्री अनिल बसु** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोयला खानों के संबंध में इन खानों के पूर्व मालिकों से हक-विलेख प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड/कोल इंडिया लिमिटेड इन्हें किस प्रकार प्राप्त करेगी; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी विकल्प पर विचार किया है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खुले मुहाने की परियोजनाएं

6634. **श्री अनिल बसु** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले मुहाने की परियोजनाओं की उपरि परत में निहित गौण खनिज पदार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स/कोल इंडिया लिमिटेड के हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इन्हें किस ढंग से निबटाया जा रहा है;

(ग) क्या इस तरह निपटान से पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार की पूर्व अनुमति ले ली गई थी;

(घ) क्या इस प्रकार निपटान से अर्जित राजस्व राज्य सरकार को मिलता है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के वार्षिक आंकड़े क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) (क) से (च) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट

6635. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट आवंटित करने के लिए 1985 में स्लम विंग ने आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो आयोजित किए गए ड्रा का ब्योरा क्या है तथा तैथिक क्रम के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कितने फ्लैट आवंटित किए गए है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत और अधिक फ्लैट आवंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग ने अब तक दो ड्रा किए हैं। 1264 फ्लैटों के आवंटन के लिए पहला ड्रा दिसम्बर, 1988 में और 92 फ्लैटों के लिए जनवरी, 1991 में दूसरा ड्रा हुआ था।

(ग) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, चालू वर्ष के दौरान 582 फ्लैटों का आवंटन करने का प्रस्ताव है।

(घ) विवरण इस प्रकार है :

बोलवर्ड रोड पर 150 फ्लैट

रघुबीर नगर में 144 फ्लैट

तिलक नगर में 288 फ्लैट

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इन्डोनेशिया के शिष्टमंडल का दौरा

6636. डा० सी० सिलवेरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डोनेशिया के एक उच्च शक्ति प्राप्त शिष्टमंडल ने हाल में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत की गई; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उद्योग मंत्री श्री हरटार्टो के नेतृत्व में इन्डोनेशिया के एक उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल ने 14 से 21 मार्च, 1992 तक भारत का दौरा किया था।

(ख) और (ग) शिष्टमंडल के साथ हुए विचार-विमर्श में दोनों देशों के बीच निकट संबंधों को मजबूत व विकसित करने और व्यापार, उद्योग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक सहयोग को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया गया था। द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई थी।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा निर्यात

6637. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा निर्यात किये गये उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस निर्यात से "भेल" ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की और कितना लाभ कमाया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्यात के आर्डरों में कोई कमी आई; और

(घ) यदि हां, तो इस कारण कितना घाटा हुआ है और सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार किया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

	1989-90	1990-91	1991-92
वास्तविक निर्यात द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	23	68	155 (अनन्तिम)

निर्यात प्रचालनों से तीनों वर्षों में लाभ हुआ है। लाभ की सही मात्रा को दर्शाना कम्पनी के व्यावसायिक हित में नहीं है।

(ग) जी, नहीं। आपूर्ति और सेवाओं के आदेशों को स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भेल द्वारा निर्यात

देश	उत्पाद
माल्टा	थर्मल सेट, सेवाएं
साइप्रस	थर्मल सेट
मलेशिया	हाइड्रो सेट, थर्मल सेट, ट्रांसफार्मर इन्सुलेटर्स, ट्रांसमिशन लाइन उपकरण, कलपुर्जे और सेवाएं
रूस	हॉलेज विन्चेज, स्टील कास्टिंग्स, कन्डेंसर्स, बॉयलर उपकरण
लीबिया	थर्मल सेट, मोटर्स, कलपुर्जे और सेवाएं
चीन	थर्मल सेट्स
जापान	थर्मल सेट्स, माइका शीट्स
ईरान	थर्मल सेट्स
जर्मनी	जनरेटर रोटर, इन्सुलेटर्स, सेवाएं
संयुक्त राज्य अमेरिका	बायलर उपकरण, थर्मल सेट्स
ईराक	थर्मल सेट्स
टर्की, इन्डोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात	इन्सुलेटर
सऊदी अरब, वियतनाम	कलपुर्जे और सेवाएं
केनिया	विद्युत ट्रांसफार्मर्स

सरकारी आवास नियमित करना

6638. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या शहरी विकास मंत्री 5 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1633 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाहित पुत्रियों के नाम सरकारी आवास नियमित करने वाले प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी हां, उन मामलों में, जिनमें सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी का कोई पुत्र न हो अथवा यदि केवल विवाहित पुत्री ही माता-पिता का भरण-पोषण करने के लिए तैयार हो तथा पुत्र ऐसा करने की स्थिति में न हो (उदाहरणार्थ, नाबालिग पुत्र), तो विवाहित पुत्री के नाम से तदर्थ आवंटन/सामान्य पूल रिहायशी आवास का नियमतीकरण करने का निर्णय किया गया है। यह उन्हीं शर्तों तथा निबन्धकों के अध्यधीन है जो सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के अन्य पात्र आश्रितों के लिए लागू हैं। इस संबंध में आदेश 17-12-91 को जारी किए गए हैं।

सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

6639. **श्री मदन लाल खुराना** :
श्री मोहन रावले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया और कितने अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति की गई तथा इसके क्या कारण थे;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सेवानिवृत्त अधिकारी सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/अर्धसरकारी/निगमों/स्वायत्तशासी निकायों आदि में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये गये;

(ग) सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में उठाये गये सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है;

(ख) से (घ) अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां अल्पकालीन नियुक्तियां होती हैं जो नियुक्त किए गए व्यक्ति की विशेषज्ञता का उपयोग करने अथवा विशिष्ट अल्पकालीन आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए लोक हित में की जाती हैं। उनकी विशेषज्ञता के आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों पर जिसमें सेवानिवृत्त व्यक्ति भी शामिल हैं, अनुबंध नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए जारी रखा जा रहा है कि ऐसी सरकारी नियुक्तियों के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध हो सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संख्या केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकानों का आवंटन

6640. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियो को आवंटित करने हेतु गैर-सरकारी आवास किराए पर लेने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए दिल्ली तथा अन्य शहरों में और आवास निर्माण का है;

(घ) यदि हां, तो वर्षवार, श्रेणीवार तथा शहरवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने प्रतिशत कर्मचारी अभी तक सरकारी आवास के आवंटन की प्रतीक्षा में हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) संसाधन नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9850 फ्लैटों के निर्माण का प्रस्ताव है। तथापि, निर्मित किए जाने वाले फ्लैटों की वास्तविक संख्या इस प्रयोजनार्थ निधियों के नियतन पर निर्भर करेगा।

(ङ) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

रंगीन राशन कार्ड

6641. श्री मदन लाल खुराना :
श्री के० प्रधानी :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
डा० सी० सिलवेरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के नागरिकों को रंगीन राशन कार्ड दिए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राशन की वस्तुओं को केवल हरे कार्ड पर 10,500 रु० तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को दिए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो नए राशन कार्ड को कब तक लागू किया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनका रंगीन राशन कार्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वव्यापी स्वरूप की है और इसमें आय अथवा पेशे के आधार पर लाभभोगियों के बीच भेद नहीं किया जाता है।

भारत साइकिल निगम के कार्यकरण में सुधार

6642. श्री बसुदेव आचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत साइकिल निगम के कार्यकरण में सुधार करने और इसको अर्थक्षम बनाने के लिए निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत साइकिल निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड अपनी शुरूआत से ही, पुरानी और अप्रचलित मशीनरी, बेशी जनशक्ति, उच्च उत्पादन लागत, कठिन वित्तीय स्थिति इत्यादि जैसे कारणों से घाटा उठाती रही है। सरकार की सी०सी०आई०एल० के पुनरुद्धार/पुनर्वास की योजनाएं हैं जिसमें संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण, कार्यबल का युक्तिकरण, पूंजी पुनर्गठन इत्यादि जैसे पहलू शामिल हैं। तथापि, यह कम्पनी उन कम्पनियों में से है जिनके बारे में रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को लिखा गया है।

[हिन्दी]

बिजली घरों को कोयले की सप्लाई

6643. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
डा० लाल बहादुर रावल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न बिजली घरों और देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न अन्य कारखानों को प्राप्त कोयले की वास्तविक मात्रा रेलवे रेक कोयला खानों से भेजे जाने वाली कोयले की घोषित मात्रा से कम होती है, कोयला घटिया किस्म का होता है और उसकी समय पर सप्लाई नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश के विद्युत गृहों तथा देश के अन्य कोयला उपभोक्ताओं से कोयले के भार में कमी होने, निम्न किस्म का कोयला होने तथा कोयले को विलंब से वितरण होने से संबंधित कुछ शिकायतें मिल रही हैं।

(ख) सरकार ने कोयला कंपनियों को गुणवत्ता नियंत्रण अतसंरचना को सुदृढ़ करने, उचित तौल के लिए वे-ब्रिजों की स्थापना करने, कोयले को सही रूप में ग्रेड करने तथा कोयला हैंडलिंग संयंत्रों को स्थापित करने की सलाह दी है कि ताकि अंतिम रूप से सम्पूर्ण कोयले का प्रेषण इन्हीं संयंत्रों से किया जा सके। कोयला कंपनियों ने ग्राहकों में शिकायतों/कठिनाइयों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर कोयला उपभोक्ता परिषदों की भी स्थापना की है।

[अनुवाद]

बच्चों के लिए एच०एम०टी० की घड़ियां

6644. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच०एम०टी० का विचार बच्चों के लिए रंगीन व आकर्षक घड़ियां बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घड़ियों के मूल्य क्या हैं; और

(ग) इन घड़ियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये घड़ियां अधिकतर डिजिटल किस्म की और प्लास्टिक केस वाली होंगी।

[हिन्दी]

उचित दर की दुकानों के द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण

6645. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के भंडारों से उचित दर की दुकानों के वितरकों के सप्लाई किए जाने वाले गेहूं चावल, चीनी और अन्य वस्तुओं को तौल बहुत कम होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिष्ठित नागरिकों की संस्थाओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल और आयुक्त नागरिक पूर्ति विभाग से शिकायतें की हैं;

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वितरकों को उचित तोल में सप्लाई सुनिश्चित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं तथा चावल दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को उचित दर की दुकानों के दरवाजे तक ढुलाई व सुपुर्दगी के लिए जारी किया जाता है। खाद्यान्नों के प्रत्येक बोरे का वजन भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों द्वारा किया जाता है। चीनी का स्टाक मानक भार के आधार पर दिया जाता है। चूंकि इस कार्य में काफी मात्रा अंतर्ग्रस्त होती है, अतः, नमी, बोरों को बार-बार उठाने-रखने, बोरों के कट जाने जैसे कारणों से बोरों में रखी मात्रा में अंतर होने की बात से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ग) जी हां।

(घ) से (च) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान वजन में कमी होने के बारे में 161 शिकायतें प्राप्त हुई हैं/उनके द्वारा खाद्य वस्तुओं की गुणता तथा तोल की जांच के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रतिनिधियों के सामने बोरों को तोलना, उचित दर दुकानधारियों के प्रतिनिधियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में आने हेतु प्राधिकृत करना, आदि शामिल है। कम वजन होने की शिकायतों को माल प्राप्ति के 72 घंटों के भीतर अधिकारियों को सूचित करना होता है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो बोरों को बदलने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। प्रशासन ने प्रायोगिक आधार पर भारतीय खाद्य निगम के कुछ गोदामों पर तोल-हेतु (वे ब्रिज) लगाने का निर्णय किया है।

नकली हाट प्लेटों का निर्माण

6646. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर प्लेन और अन्य आई एस आई मार्का की नकली हाट प्लेटों का दिल्ली में विशेषकर पूर्वी दिल्ली में निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इस बारे में कोई छापे भी मारे गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार, आई एस आई मार्क वाली डुप्लीकेट हॉट प्लेटें (एल० पी० जी० के साथ घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले गैस स्टोव) बनाने के बारे में उनके पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो ने छापे नहीं मारे हैं।

[अनुवाद]

भारतीय गणितीय विज्ञान परिषद

6647. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री बलराज पासी :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय गणितीय विज्ञान परिषद की स्थापना के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक **शिकायत और पेंशन मंत्रालय में** राज्य **मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नही।

विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने की योजना

6648. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मे भारतीय प्रतिभाओं को आकृष्ट करने की किसी योजना पर विचार किया है।

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसको कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को स्वदेश लौटने के लिए आकृष्ट करने के बारे में समय-समय पर अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ हैं :—

— वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को वैज्ञानिकों के पूल की स्कीम के अधीन अस्थायी नौकरी देने का प्रावधान है।

— अधिसंख्य पदों को बनाने के लिए भी प्रावधान किया गया है।

— विदेशों से वापिस आने वाले वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को साज-सामान का आयात करने की सहूलियतें प्रदान की गई हैं।

— अनिवासी भारतीयों की सहायता के लिए उद्योग मंत्रालय में एक विशेष कक्ष खोल दिया गया है ताकि उन्हें देश में औद्योगिक यूनिटों की स्थापना संबंधी अपने आवेदन-पत्रों पर शीघ्र अनुमति मिल सके।

— कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं जिनके द्वारा विज्ञान के नए और अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न वैज्ञानिकों के देश में कोर समूह बना दिए गए हैं।

— वैज्ञानिकों की कार्य दशाओं में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों को वर्धित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

— भारतीय मूल के प्रोफेशनल पुरुषों और स्त्रियों को जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त कर ली है और विदेशों में बस गए हैं, अल्पकालीन तकनीकी नियुक्तियों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी और उभरते क्षेत्रों में हमारे विकासात्मक प्रयासों मे सहायता के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

6649. श्री केशरी लाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवास समस्या से निपटने के लिए सरकारी क्वार्टरों का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मकानों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टाइप-V के 21 और टाइप-IV के 256 मकान निर्माणाधीन हैं और लगभग पूर्ण हो गए हैं। नेहरू नगर में टाइप-III के 135 मकानों की सितम्बर, 1993 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

और अपने निर्माण, निर्माण पूर्ण तथा योजना अवस्था में है और इसका प्रारम्भ निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा भूमि की खरीद

6650. श्री हाराधन राय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने राष्ट्रीयकरण के बाद मध्यस्थता के माध्यम से अथवा सीधे भू-स्वामियों से भूमि खरीदी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी भूमि खरीदी गई है;

(ग) क्या ऐसी खरीद करने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसके परिणामस्वरूप कानूनी अड़चनें उभर कर आई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (च) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा

6651. **श्री हाराधन राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने पश्चिम बंगाल को दी गई भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा जमा रखा है;

(ख) यदि हां, तो यह भूमि, कोलियरी/ओ० सी० पी०-वार कितनी है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में आपत्ति प्रकट की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) किन्तु, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने यह सूचित किया है कि 13 मामलों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 1653.25 एकड़ भूमि कंपनी के अधीन होने के संबंध में विवाद उठाया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

		(एकड़)
1.	सीबपुर	447.99
2.	पश्चिम जामूरिया	59.65
3.	ईस्ट जामूरिया	159.74
4.	जामूरिया 7/9 पिट	62.27
5.	बामोंधिया	39.58
6.	देबोलिया और वेस्ट देबोलिया	12.08

7.	सोनेपुर	34.50
8.	अपर काजोरिया	29.59
9.	बंकसिमूलिया (1-6 पिट)	244.60
10.	बंकसिमूलिया (11/12 पिट्स)	367.62
11.	धड़का	13.35
12.	चोरा	7.19
13.	न्यू केन्दा	175.09

(घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने सक्षम प्राधिकारियों से अपीलें की हैं और उक्त अपीलों का अभी निपटारा किया जाना है ।

ई० सी० एल० में प्रबंधन सूचना प्रणाली

6652. **श्री हाराधन राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० सी० एल० की वर्तमान प्रबंधन सूचना प्रणाली की व्यवहारिकता की जांच करने और इसमें सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु विशेषज्ञों की जो समिति गठित की गई थी, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कारवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) कोयले के उत्पादन, प्रेषण, स्टाक आदि के संबंध में रिपोर्ट किए जाने की विद्यमान प्रबन्धक सूचना प्रणाली का गहराई से अध्ययन किए जाने के लिए निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का वर्ष 1987 में गठन किया गया था । चूंकि इस समिति ने अपने क्रियाकलापों को अंतिम रूप नहीं दिया था, कोल इंडिया लि० के निदेशक, बोर्ड से, बोर्ड के अंतर्गत एक उप-समिति को गठित किए जाने का निर्णय ले लिया, जो कि प्रचलित अनुरक्षण पद्धति, नियंत्रण, कोयले के स्टाक, आदि में सत्यापन की जाच और उक्त उप-समिति उपर्युक्त क्षेत्रों में सुधार किए जाने का सुझाव देगी । इस उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1991 में प्रस्तुत कर दी है और उक्त रिपोर्ट कोल इंडिया लि० की सभी सहायक कंपनियों द्वारा अपना लिया गया है ।

नए कोयला भंडारों की खोज

6653. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अधीन क्षेत्र में नए कोयला भंडारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा 1992-93 के लिए उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति हेतु 1992-93 के दौरान इन नए भंडारों से कोयला निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० (सी एम पी डी आई एल) और इसके द्वारा अनुबंधित एजेंसियों के अन्वेषणों के कार्यों के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित ब्लाकों में कोयला भंडार होना प्रमाणित हुआ है :—

(मात्रा : मिलियन टन में)

महाराष्ट्र		
1.	दिम्बल गांव ओ०का०	9.55
2.	उकनी ओ०का०	23.45
3.	जुनाद ओ०का०	3.19
4.	भाटाडीह ओ०का०	1.98
5.	गौरी ओ०का० II	7.00
6.	सिरना ओ० का०	1.73
7.	चिन्चोली भू० ग०	8.12
मध्य प्रदेश		
1.	दिसमौरा भू० ग०	11.40
2.	भयानी भू० ग०	5.68

(ग) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० उन सभी 9 ब्लाकों में विकास कार्य शुरू करने के प्रति आशावान है बशर्ते कि भूमि, वाणिकी, पर्यावरण और अन्य संबंधित मुद्दों तथा वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता हो। किन्तु वर्ष 1992-93 के दौरान इन ब्लाकों से कोयला उत्पादन की कोई संभावना नहीं है। कम्पनी वर्तमान और चालू परियोजनाओं से वर्ष 1992-93 के दौरान 25 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य को हासिल करेगी।

औषधियों का निर्यात

6654. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 में औषधि निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया और वास्तविक उपलब्धि क्या रही;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान औषधि निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य औषधि एककों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) चालू वर्ष अर्थात् 1991-92 में औषधों के निर्यात के लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियां, जैसी केमिकल्स द्वारा बताई गई हैं, इस प्रकार हैं :—

(रुपए करोड़ में)

		आनुपातिक लक्ष्य अप्रैल, 91/फरवरी, 92	उपलब्धियां अप्रैल, 91/फरवरी, 92
1.	मूल औषधें	595.8	537.4
2.	तैयारशुदा सूत्रयोग	451.6	397.2
		1047.4	934.6

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात में 10% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

(ग) भेषज उद्योग क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रम हैं। ये उपक्रम हैं—आईडीपीएल, एचएएल, बीसीपीएल, बीआईएल और एसएसपीएल। आईडीपीएल और सरकारी क्षेत्र के अन्य औषध एककों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं :—

आईडीपीएल के पुन:स्थापन उपायों में पेनिसिलिन-जी की क्षमताओं का बड़े पैमाने पर विस्तार का पुनर्गठन करना, नई सुविधाएं स्थापित करना, केप्टिव विद्युत सुविधायें, फालतू जन-शक्ति को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कार्यान्वयन करना शामिल है। बीआईएल के पुन:स्थापन उपायों में आधुनिकीकरण, नवीकरण/प्रतिस्थापन, जन शक्ति में कमी करना और एलबीपी और डीपीटी के विनिर्माण के लिए नई सुविधायें स्थापित करने की परिकल्पना की गई हैं। बीसीपीएल की पुन:स्थापन योजना में आधुनिकीकरण, विविधीकरण, नकद घाटे के लिए धन-राशि जुटाना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन और सांविधिक और विविध देयताओं के पुनर्भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना शामिल है। एसएसपीएल की पुन:स्थापन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित बढ़े हुए उत्पादन लक्ष्य और वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। कंपनी की विविधीकरण की योजनाएं भी हैं।

औषध कंपनियों से अप्रत्याशित लाभ की वसूली

6655. **श्री संदीपान भगवान थोरात :**
श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उन औषध कंपनियों को नए नोटिस जारी किए हैं जो सरकार के अप्रत्याशित लाभ का भुगतान नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक कंपनी पर यह भुगतान कब से बकाया है और बकाया राशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने संबंधित पक्षों की राय से इस समस्या का कोई समाधान निकाला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) डीपीसीओ के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के कारण और/अथवा न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार कंपनियों की अन्तिम देनदारियों का निर्धारण अनेक मामलों में पहले ही पूरा कर लिया है, जबकि शेष मामलों के संबंध में उन्हें यथाशीघ्र पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में अद्यतन जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। अनेक मामलों में संपूर्ण संबंधित अवधि के पूरे आंकड़े नहीं मिलने के कारण प्रगति में बाधा आई है। कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे आंकड़े उपलब्ध नहीं कराते हैं तो सरकार के पास जहां से जो आंकड़े उपलब्ध होंगे, उन्हीं के आधार पर उनकी देनदारियों का परिकलन करने के सिवाय और कोई चारा नहीं होगा। किसी कंपनी को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कानून के अनुसार वसूली के सभी प्रयास किए जाएंगे।

विवरण-I

अधिक राशियों की वसूली

(क) उच्चतम न्यायालय मामले की कंपनियां

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	कंपनी का नाम (अन्तर्ग्रस्त औषध)	अन्तर्ग्रस्त अवधि	विशेष दल द्वारा निर्धारण	संशोधित निर्धारण	निर्धारित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	मै० सिनामिड (आई) लि० (डिमिथाइल क्लोरो टेट्रासाइक्लीन और फार्मूलेशन)	अक्तूबर, 1983 तक	389.06	490.47	100.00
		1984-87	अनु०	830.05	
		योग	389.06	1320.52	
2.	मै० हेक्सट (आई) लि० (बरालगन कीटोन, फ्रूसेमाइड फिनिरेमाइन मेलिएट, पीएमटी, ग्लाइबेनक्लेमाइड)	दिसम्बर, 1983 तक	458.10	2491.05	312.10
		1984-87	अनु०	5289.75	
		योग	458.10	7780.80	

3. और 4.	मै० जोहन वेयथ एण्ड ब्योफरी मैनर्स (बेन्जाथीन पेनिसिलीन और फार्मूलेशन्स)	दिसम्बर, 1983 तक	161.83	286.04	45.00
		1984-87	अनु०	299.95	.
		योग	161.83	505.99	
5.	मै० मेरिन्ड (डेक्सामेथासोन और सूत्रयोग)	दिसम्बर, 1983 तक	138.79	781.58	शून्य
		1984-87	अनु०	1610.14	
		योग	138.79	2391.7[illegible]	
6.	मै० फाइजर (आक्सीटेट्रासाइक्लीन और सूत्रयोग)	दिसम्बर, 1983 तक	48.21	87.61	19.90
		1984-87	अनु०	अनु०	
		योग	48.21	87.61	
7. और 8.	मै० फेंको इण्डिया एंड मै० ग्रीफोन (फिनोक्सी मिथाइल पेनि० टिकिया)	दिसम्बर, 1983 तक	11.02	14.02	0.43
		1984-07	अनु०	अनु०	
		योग	11.02	14.02	

1	2	3	4	5	6
9.	मै० तमिलनाडु दीधा (केलसियम लेक्टेट)	दिसम्बर, 1983 तक	15.59	37.97	शून्य
		1984-87	अनु०	अनु०	
		योग	15.59	37.97	
10.	मै० अनिल स्टार्च (डेक्सट्रोज इनहाइड्रस)	दिसम्बर, 1983 तक	11.61	12.77	शून्य
		1984-87	अनु०	अनु०	
		योग	11.61	12.77	
11.	मै० एस० जी० फार्मास्युटिकल्स (आक्सीफेनबुटाजोन)	दिसम्बर, 1983 तक	114.30	205.36	शून्य
		1984-87	अनु०	अनु०	
		योग	114.30	205.36	
12.	मै० इथनोर (ट्रेटामिसोल एचसीएल) (डेकीज टिकिया)	अक्तूबर, 1983 तक	8.15	10.19	10.19
		1984-87	अनु०	अनु०	
		कुल योग	1356.66	12366.95	487.62

(ख) अन्य कम्पनियां

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	कंपनी का नाम (अन्तग्रंस्त औषध)	अन्तग्रंस्त अवधि	अनन्तिम निर्धारण	जमा की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	मै० ग्लेक्सो इंडिया लि० (बेटामेथासोम और इसके लवण)	1981 से अगस्त, 1987	7178.00	819.00
2.	मै० साराभाई केमिकल्स	विविध	20.00	20.00
3.	मै० सेण्डोज इंडिया लि० (मल्टी विटामिन्स)	1-4-1986 से सितम्बर, 1987	74.68	—
4.	मै० फाइजर इंडिया लि० (मल्टी विटामिन्स)	अप्रैल, 1986 से दिसम्बर, 1988	122.00	—
5.	मै० पार्क डेविस (मल्टी विटामिन)	अगस्त, 1983 से अगस्त, 1987	1466.15	—
6.	मै० अबोट लेब्स (मल्टी विटामिन्स)	मार्च, 1986 से अगस्त, 1987	182.38	—
7.	मै० बरोल वेलकम (सल्फामेथाक्साजोल)	1979-80 से फरवरी, 1984	441.27	—
8.	मै० लायकन लैब्स (फिल्यूसिनोलोन एसिटोमाइड)	1979-80 से 25-8-87	678.73	—
9.	मै० वार्नर हिन्दुस्तान (एलबर्ट डेविस) (इमेकिन और पाइरीडियम)	1982 से 1986	106.36	55.49
10.	मै० बोहरिंगल नोल	13-12-1984 से 31-1-88	97.74	—
11.	मै० केरियूज (कोम्बीफ्लेम)	नवम्बर 1986 से दिसम्बर, 1988	710.24	—
12.	मै० आईडीपीएल (इम्पोर्टेड बल्क ड्रग्स)	1985-86 से 1987-88	336.45	—

1	2	3	4	5
13.	मै० कुसा ट्रेडर्स (रिफाम्पिसिन)	विभिन्न	20.48	—
14.	मै० आईडीपीएल (सल्फाडिमिडीन)	विभिन्न	37.30	—
15.	मै० ए० पी० केमिकल्स (पेरासिटामेल)	फरवरी, 1988 से नवम्बर, 1989	25.43	—
16.	मै० मालादी ड्रग्स (इफीड्रीन)	अप्रैल, 1988 से मार्च, 1990	116.30	—
17.	मै० लुपिन लेब्स (रिफेम्पिसिन)	1988-91	3.72	—
18.	मै० लुपिन लेब्स (इथम्बुटोल)	1989-90	17.31	—
	उप-योग (ख)		11634.54	804.49
	योग		24001 49	1382.11
			रु० 240.00 करोड़	रु० 13.82 करोड़

विवरण-II

डीपीईए के अन्तर्गत वसूली

क्रम सं०	कंपनी का नाम	अन्तर्ग्रस्त अवधि	अनंतिम निर्धारित राशि (रु० लाखों में)	जमा की गई राशि (रु० लाखों में)
1	2	3	4	5
रिफेम्पिसिन				
1.	बायोकेम फार्मास्युटिकल्स	3/79 से 3/84	34.28	—
2.	लायका लेब्स	4/79 से 3/84	57.57	5.70
3.	आस्ट्रा आईडीएल लि०	82-83 से 5/84	24.11	2.41
4.	माइक्रो लेब्स	79-80 से 82-83	2.24	—
5.	थेमिस केमि० लि०	82-83 से 83-84	36.31	—
6.	एलम्बिक केमि० लेब्स	81-82 से 83-84	38.73	3.80
7.	बम्बई ड्रग्स हाउस	1980-81 से 83-84	1.73	—
8.	फार्म्ड प्रा० लि०	79-80 से 83-84	66.01	—
9.	डोलफिन लेब्स	1979 से 1983	18.11	—
10.	एलबर्ट डेविड लि०	11/81 से 9/83	3.91	3.91
11.	फार्मा एण्ड केम० लि०	80-81 से 82-83	87.99	—
12.	केडिला लेब्स प्रा० लि०	79-80 से 83-84	76.52	7.50
13.	साराभाई केमिकल्स	82-83 से 83-84	4.14	2.00
14.	लुपिन लेबोरेट्रीज लि०	8/80 से 3/84	215.89	21.60
15.	रेनबेक्सी लेबोरेट्रीज लि०	4/79 से 6/84	36.23	3.63
16.	वेलेस फार्मा०	4/82 से 2/84	2.82	0.29
17.	इथीको ड्रग्स एण्ड केमि० एसएफजी कंपनी	5/82 से 3/84	140.98	—

1	2	3	4	5
18.	मै० इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा० लि०	12/80 से 1/86	2.18	—
19.	मै० हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०	81-82 से 83-84	36.66	—
			886.41	50.84
	डियाइरीडेमोल			
1.	जर्मन रिमेडीज	4/79 से 7/84	59.95	59.95
	डोक्साइसिन			
1.	फुलफोर्ड आई० लि०	79-80 से 2/84	194.62	50.00
2.	बायोकेम फार्मा० लि०	79-80 से 3/84	33.88	—
3.	लायका लेब्स लि०	7/79 से 3/84	17.47	1.75
4.	निकोलस लेब्स	79-80 से 3/84	53.03	10.00
			299.00	61.75
	साल्बुटामोल			
1.	मै० खंडेलवाल लि०	79-80 से 81-82	0.15	—
2.	मै० बिद्दुले सेवेयर प्रा० लि०	4/79 से 3/83	142.74	—
			142.89	—
	क्लोफेजामाइन			
1.	मै० एस० जी० फार्मास्युटिकल्स	4/79 से 3/84	5.01	—
	एम्पिसिलिन और एमोक्सिलीन			
1.	मै० बायोकेम फार्मा० लि०	79/80 से 83-84	11.80	—
	आक्सीफेनाइलबुटाजोन			
1.	मै० टेबलेट्स इंडिया लि०	79/80 से 83-84	9.49	—
	मेट्रोनिडाजोल			
1.	मै० बूट्स कंपनी लि०	79/80 से अगस्त, 87	62.17	47.92

1	2	3	4	5
	2. मै० स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि०	79/80 से 83/84	7.82	—
	3. मै० केएसडीपीएल	79-80 से 83/84	5.50	—
	4. मै० खंडेलवाल लेब्स	79-80 से 3/84	1.34	—
	5. आईडीपीएल	79/80 से 3/84	20.33	—
			97.16	47.92
	ट्रिमेथोप्रीम			
	1. मै० जर्मन रेमेडीज	2/82 से 5/86	8.25	8.25
	योग :		1519.96	228.71

[हिन्दी]

कारों पर उत्पाद शुल्क

6656. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उद्योग मे मंदी पर काबू पाने के उपाय के रूप में उत्पादन शुल्क में कोई कमी करने की सिफारिश की है जैसा कि 9 मार्च, 1992 के स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) औद्योगिक मंदी का सामना करने के लिए सरकार द्वारा दिये गये अन्य सुझाव क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) तारीख 9-3-1992 के "दि स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। केन्द्रीय बजट से संबंधित वार्षिक कार्यकलाप के अंग के रूप में उद्योग मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों पर लागू अप्रत्यक्ष करों के ढांचे की समीक्षा करता है। ऐसे प्रस्तावों पर सरकार का अंतिम निर्णय केन्द्रीय बजट में दर्शाया गया है। बजट में औद्योगिक क्षेत्र तथा अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के भिन्न-भिन्न उपाय होते हैं। जैसा कि वर्ष 1992-93 के बजट में घोषणा की गई है, उत्पादों पर विशेष उत्पाद-शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया

गया है। किंतु यात्री कारों पर यह वृद्धि लागू नहीं की गई है, क्योंकि यह उद्योग एक कठिन समय से गुजर रहा है।

(ग) वर्ष 1992-93 के केन्द्रीय बजट में घोषित उपाय, जैसे कि शुल्कों में कमी, एक छोटी निषेधात्मक सूची को छोड़कर शेष के लिए आयात लाइसेंस समाप्त करने, कानूनी ऋण शोधन अनुपात में कमी, ब्याज दरों के न्यूनतम स्तर में कमी, इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए बनाये गये हैं।

[अनुवाद]

नगरों में जन परिवहन संबंधी समिति

6657. श्री जीवन शर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 10 लाख और इससे अधिक आबादी वाले नगरों में जन परिवहन के वैकल्पिक साधनों का पता लगाने के लिए महानगर परिवहन के संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा 1984 में महानगर परिवहन पर विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने 6 महानगरीय शहरों कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, बंगलौर तथा हैदराबाद के सम्बन्ध में 1985 में केवल अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने शहरी परिवहन सम्बन्धी मामलों को देखने के लिए शीर्ष निकायों और अंतर्मंत्रालयी निकायों के गठन तथा शहरी विकास मंत्रालय को एक नोडल अभिकरण होने की सिफारिश की थी। इसने एक केन्द्रीय महानगरीय परिवहन निधि की स्थापना की भी सिफारिश की थी।

सुपर बाजार में कदाचार

6658. श्री जीवन शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सुपर बाजार में वस्तुओं के क्रय/उनके निपटान में कदाचार की कितनी घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सुपर बाजार का पुनर्गठन और पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उसकी शाखाओं द्वारा मूल्य से अधिक पैसा वसूलने के संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) क्या सुपर बाजार को अपने सभी शाखा भंडारों में उचित दर दुकानें खोलने का निदेश देकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने का कोई विचार है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) दि कोआपरेटिव स्टोर लि० दिल्ली जो सुपर बाजार के नाम से लोकप्रिय है, ने बताया है कि वर्ष 1991-92 की अवधि में कदाचारों के तीन मामले उनकी जानकारी में आए थे। एक मामले में जूतों की खरीद के लिए आदेश बिना खरीद समिति की स्वीकृति प्राप्त किए पार्टी को भेज दिए गए थे और माल खरीद लिया गया था। अन्य दो मामलों में सामान्य जरूरत से अधिक मात्रा में चाय की खरीद की गई थी। संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनकी खरीद प्रणाली समुचित रूप से कार्य कर रही है तथा समय-समय पर उसकी पुनरीक्षा की जाती है। प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर खरीदारी सुनिश्चित करने के लिए पाक्षिक निविदा प्रणाली शुरू की गई है। 1991-92 के दौरान अधिक मूल्य वसूलने की चार शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(घ) जी नहीं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सुपर बाजार की शाखाओं में उचित दर की दुकानें खोलने के प्रस्ताव की विगत में जांच की जा चुकी है। युक्तिसंगत दरों पर अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रस्ताव को व्यावहारिक नहीं पाया गया। सुपर बाजार पहले ही अपनी शाखाओं के जरिए विभिन्न दरों पर इसी प्रकार की अलग-अलग क्वालिटी की वस्तुएं बेच रहा है तथा उसी बिक्री-केन्द्र के माध्यम से उचित दर दुकानों के तहत उन्हीं वस्तुओं को बेचने से रोजाना वस्तु-सूची नियंत्रण और लेखा संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तथापि, सुपर बाजार दैनिक आवश्यकता की प्रायः सभी वस्तुएं बेच रहा है, जिनमें कुछ ऐसी वस्तुएं भी शामिल हैं जो पहले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेची जा रही हैं।

कम्प्यूटर के लिए भाषा

6659. **श्री शंकर सिंह बाघेला** : क्या प्रधान मंत्री 4 दिसम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न सं० 183 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में भारतीय संस्कृत परम्परा के माध्यम से कृत्रिम बौद्धिक प्रणाली के सरलीकरण संबंधी परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उन अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां कम्प्यूटर कार्य में संस्कृत का प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के लिए एक मानकीकृत कोड बनाने का कार्य कब शुरू किया गया था और क्या कोड बनाया गया था; यदि हां, तो कब और कितनी बार और तब से इस बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) संस्कृत को कम्प्यूटर भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग के भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई

परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धि, संस्कृत तथा कम्प्यूटर शामिल हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे तथा इनमें अब तक की गई प्रगति संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (घ) भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (टी० डी० आई० एल०) के अंतर्गत जिन केन्द्रों में संस्कृत तथा कम्प्यूटर पर कार्य चल रहा है, उनके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए है। हालांकि, इस प्रकार के कोई संकेत नहीं हैं कि संस्कृत भाषा का प्रयोग कम्प्यूटर की भाषा के लिए किया जा सकता है तथापि, एक धारणा यह भी है कि संस्कृत व्याकरण के नियमों और संरचना का पूर्णतया पालन किया जाए तो कम्प्यूटरों की प्राकृतिक भाषा को समझने में आसानी हो सकती है। यह देखा गया है कि संस्कृत में ज्ञान का एक आदर्श स्रोत और यांत्रिक अनुवाद हेतु लिंक भाषा होने की क्षमता है।

(ग) भारतीय भाषाओं के कोड के मानकीकरण का कार्य सत्तर के दशक में शुरू किया गया था। वर्ष 1983 में इलैक्ट्रानिकी विभाग ने सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु भारतीय मानक लिपि कोड 83 की घोषणा की जिसे 1986 में संशोधित किया गया। 1988 में इसे व्यक्तिगत कम्प्यूटरों के लिए उपयुक्त बनाने हेतु इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु भारतीय मानक लिपि कोड का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अन्तिम संस्करण दिसंबर, 1991 में प्रकाशित किया गया।

विवरण-I

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धि, संस्कृत तथा कम्प्यूटर से संबंधित जिन परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनकी सूची

	परियोजना का नाम	संस्थान का नाम	शुरू करने का वर्ष	वर्तमान स्थिति
	1	2	3	4
1.	कम्प्यूटर पर आधारित अर्थ निरूपण संसाधन में संस्कृत का प्रयोग (क्रिया अनुसंधान) चरण-II	संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोट	1991	परियोजना का पहला चरण मार्च, 1992 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। उपयुक्त एवं संक्षिप्त अर्थ वाले तकनीकी संस्कृत शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया है। कम्प्यूटरों में शब्द बोध तकनीकों के कार्यान्वयन के लिए साफ्टवेयर का विकास किया गया है।
2.	संस्कृत शास्त्र में सूचना संसाधन के ढांचे का पता लगाना	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1991	कार्य प्रगति पर है।
3.	कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत विभाग/ज्ञानार्जन वातावरण (केस्टल) भाग-I तथा II, चरण-II	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1988	परियोजना का प्रथम चरण मार्च, 1992 में पूरा हो गया है। कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत शिक्षण ज्ञानार्जन के लिए संस्कृत, संधि, विच्छेद पदों की रचना के लिए बुद्धिपरक शिक्षक प्रणाली आदि जैसे कई पैकेजों का विकास किया गया है।

	1	2	3	4
4.	मशीन में पठन योग्य रूप में भारतीय भाषा के पाठ के मूल तत्वों का विकास (संस्कृत)	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1991	मशीनी अनुवाद के लिए संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ सहित संस्कृत के मूल तत्वों तथा अन्य तत्त्रों को तैयार करने के कार्य में प्रगति हो रही है।

विवरण-II

भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 'संस्कृत तथा कम्प्यूटर' से संबंधित जिन परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उनकी सूची

	परियोजना का नाम	संस्थान का नाम	शुरू करने का वर्ष
1.	कम्प्यूटर पर आधारित अर्थ निरूपण संसाधन में संस्कृत का प्रयोग (क्रिया अनुसंधान) चरण-II	संस्कृत अनुसंधान अकादमी, मेलकोट	1991
2.	संस्कृत शास्त्र में सूचना संसाधन के ढांचे का पता लगाना	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1991
3.	शिक्षा स्नातक, शिक्षा निष्णात के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर की सहायता से ज्ञानार्जन शिक्षण कार्यक्रम के लिए साधन स्रोत केन्द्र	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1991
4.	कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत शिक्षण/ज्ञानार्जन वातावरण (केस्टल) भाग-II, चरण -	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1988

5.	कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत शिक्षण/ज्ञानार्जन वातावरण (केस्टल) भाग-I, चरण-II	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	1988
6.	मशीन में पठन योग्य रूप में भारतीय भाषा के पाठ के मूल तत्वों का विकास (संस्कृत)	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	1991
7.	भाषा वैज्ञानिकों और कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत व्याकरण मीमांसा तथा निरुक्त का ज्ञान दिलाने के लिए पाठ्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा पाठ्य-सामग्री तैयार करना	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1991

प्राचीन भारतीय पुस्तकों का पता लगाने वाले संस्थानों को सहायता

6660. **श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या प्रधान मंत्री** 4 दिसम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 183 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे किसी संस्थान या किसी व्यक्ति को सहायता देने का आश्वासन दिया था जो आधुनिक रूप में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हमारी प्राचीन भारतीय पुस्तकों का उपयोग करने/पता लगाने की योजना बनाने और कार्य करने का इच्छुक हो;

(ख) यदि हां तो ऐसे संस्थानों और लोगों का राज्यवार ब्योरा क्या है जो इस प्रकार सरकार की सहायता ले रहे हैं और जिनके नाम विचाराधीन हैं तथा उनमें से प्रत्येक का विशेष प्रोजेक्ट क्या है और उन्हें कितनी मात्रा में सहायता दी गई है/दी जा रही है; और

(ग) इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश दिए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा हाल ही में प्रयोजित परियोजनाएं/अध्ययन निम्नलिखित हैं :

परियोजनाएं

1. भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास, विशेषकर कृत्रिम आसूचना प्रणालियां तैयार करने में, भारतीय संस्कृत परम्परा की भूमिका से सम्बद्ध समन्वित कार्यक्रम (इलैक्ट्रानिकी विभाग)।

2. भारतीय परम्परा में सैद्धांतिक विज्ञानों के मूल सिद्धांत और रीतिविज्ञान (तर्कशास्त्र, भाषा विज्ञान, गणित शास्त्र, संज्ञानात्मक विज्ञान)। (राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान) (57 लाख रुपये)।

अध्ययन

1. "हिस्ट्री आफ साइंस एण्ड टैक्नोलाजी इन एनशिएन्ट इंडिया।···द बिगनिंग्स—लेखक देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय --राष्ट्रीय, विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, 1986" (7 लाख रुपये)।

2. "हिस्ट्री आफ साइंस एण्ड टैक्नोलाजी इन एनशिएन्ट इंडिया-II फार्मेशन आफ थियोरेटिकल फंडामेंटल आफ नेचुरल साइंसेज---राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, 1991" (एक लाख रुपये)।

(ग) भारतीय प्राचीन ग्रंथों का उपयोग करते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश और क्रियाविधियां विद्यमान हैं।

किसानों को प्लाटों का आवंटन

6661. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री बलराज पासी :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या शहरी विकास मंत्री 18 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4348 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्लाटों के आवंटन में अनियमितताओं की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इन जांच-कार्यों के क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा जांच-कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 18-12-91 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4348 में उल्लिखित अनियमितताओं के 7 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गए हैं तथा कोई निश्चित समय निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कब तक जांच-पड़ताल पूरा करेगा।

[हिन्दी]

उत्तरी क्षेत्र में कच्चे माल की कमी

666?. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नीतीश कुमार :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और निर्यात भी प्रभावित हुआ जैसा कि 11 मार्च, 1992 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो और उत्पादन बढ़े ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० के० कुरियन) : (क) से (ग) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक और निर्यात के आंकड़ों का संकलन क्षेत्रवार नहीं किया जा रहा है। किसी भी कच्चे

माल की कमी का प्रभाव औद्योगिक उत्पादन और निर्यात पर पड़ना अवश्यंभावी है। कोयला मंत्रालय के अनुसार, महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं, विशेष रूप से बिजली उत्पादक क्षेत्रों को रेल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कोयला भेजा जा रहा है, इस कारण उत्तरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं सहित कुछ उपभोक्ताओं को संभवत: कोयले की कमी का सामना पड़ रहा होगा। इस्पात विभाग के अनुसार देश में "पिग आयरन" और इस्पात की कुछ मदों की सामान्य रूप से कमी है। इन मदों के आयात की अनुमति है। आयात तथा निर्यात नीति, 1992-97 के उपबंधों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर कच्चे माल तथा मध्यवर्ती वस्तुओं पर से सीमांत धन की बाध्यता समाप्त कर दिये जाने और विशिष्ट मदों की छोटी-सी नकारात्मक सूची से भिन्न मदों हेतु आयात लाइसेंस की अनिवार्यता हटा लिए जाने, महत्वपूर्ण कच्चे माल को मार्गीकरण से मुक्त कर दिये जाने तथा आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक निविष्टियों के आयात की व्यवस्था कर देने पर उद्योगों को कच्चा माल शीघ्रतापूर्वक और आसानी से मिलने लगेगा तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ जाएगा।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान मोटर्स का संयुक्त राज्य अमेरिका के जनरल मोटर्स के साथ सहयोग

6663. **श्री रवि राय :**

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स ने ईंधन की कमी खपत करने वाली कारों और आटो वाहन उपकरणों का निर्माण करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जनरल मोटर्स के साथ सहयोग समझौता करने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकार ने मैं० हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, कलकत्ता को मौजूदा लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर ईंधन बनाने वाली यात्री कारों के निर्माण के लिए मै० जनरल मोटर्स कारपोरेशन, यू० एस० ए० के साथ एक संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सहयोगकर्ता द्वारा लगाई जाने वाली विदेशी इक्विटी भागीदारी लगभग 30% होगी और बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा को निर्यात से होने वाली आय के माध्यम से संतुलित किया जाएगा।

एच० एफ० सी० के कार्यकरण में सुधार

6664. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० एफ० सी० के विभिन्न एककों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ एकक-वार कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस समय यह मामला किस चरण में है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) एच० एफ० सी० ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार अपने निम्नलिखित एककों के संबंध में 128.31 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

(रुपये करोड़ों में)

बरोनी	35.49
दुर्गापुर	46.78
नामरूप-I	11.50
नामरूप-II	34.54
योग	128.31

(ख) और (ग) प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए एकक-वार कोई निधियां आबंटित नहीं की गई हैं।

वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

6665. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए भारत को दी जा रही सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तमिलनाडु में उद्योगविहीन जिले

6666. **श्री के० वी० तंग्काबालू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने जिलों को उद्योगविहीन जिलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है;

(ख) क्या इन जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे औद्योगिक एकक कब तक स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जिला उद्योग केन्द्र कार्य योजना, 1989-80 के अनुसार जिन जिलों में कोई भी बड़ा या मझोला औद्योगिक एकक नहीं था उन जिलों को उद्योग रहित जिले घोषित किया गया था। इस नियम के अनुसार तमिलनाडु में कोई "उद्योग रहित जिला" नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयले की खपत

6667. **श्री के० वी० तंग्काबालू** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले की राज्यवार खपत क्या है;

(ख) ऐसे कौन से राज्य है जो आवंटित वैगनों में निर्धारित समय मे पूरे कोयले की ढुलाई करने में समर्थ हैं;

(ग) क्या गत छः महीनों के दौरान कोयले की ढुलाई में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान ईंट-भट्ठों को राज्यवार कितना कोयला सप्लाई किया गया है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कोयले की कुल आपूर्ति 210.07 मि० टन थी। वर्ष 1990-91 के दौरान को० इं० लि० और सि० को० कं० लि० से विभिन्न राज्यों के उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा (जिसमें हार्ड कोक तथा साफ्ट कोक शामिल है) नीचे दर्शाई गई हैं :

('000 टनों में)

राज्य	कुल प्रेषण		
	को० इं० लि०	सि० को० कं० लि०	जोड़
1	2	3	4
बिहार	17448	—	17448

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	27722	—	27722
उड़ीसा	8593	—	8593
मध्य प्रदेश	31588		31588
पश्चिम बंगाल	15887	—	15887
महाराष्ट्र	20838	754	21592
गुजरात	14602	—	14602
राजस्थान	3853	—	3853
दिल्ली	4953	—	4953
पंजाब	6095	—	6095
हरियाणा	2976	—	2976
तमिलनाडु	7983	420	8403
आंध्र प्रदेश	3547	14485	18032
कर्नाटक	2049	1839	3888
केरल	174	42	216
हिमाचल प्रदेश	220	—	220
असम	1009	—	1009
जम्मू एवं कश्मीर	302	—	302
अन्य	149	—	149
जोड़	169988	17540	187528*

* इसमें को० इं० लि० तथा सिं० को० कं० लि० द्वारा रेलवे, रक्षा सेवाओं आदि को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा शामिल नहीं है, जिसका राज्यवार विभाजन नहीं किया गया है।

(ख) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) आम तौर पर निम्नलिखित के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं—कोयले की आपूर्ति न किए जाने अथवा आपूर्ति में विलंब किए जाने, आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा और/अथवा गुणवत्ता के संबंध में, कोयला आवंटित किए गए उपभोक्ता के ठीक होने आदि के संबंध

में ऐसी शिकायतों की जांच संबद्ध कोयला कंपनी द्वारा की जाती है। किसी कर्मचारी की गलत मंशा, लापरवाही आदि के मामले पकड़े जाने की स्थिति में उस कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान को० इं० लि० तथा सिं० को० कं० लि० के द्वारा ईंट-भट्ठा यूनिटों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :—

(आंकड़े '000 टनों में)

राज्य	1990-91
बिहार	1146
पश्चिम बंगाल	178
उत्तर प्रदेश	662
उड़ीसा	2
मध्य प्रदेश	49
महाराष्ट्र	152
गुजरात	30
राजस्थान	331
दिल्ली	102
पंजाब	101
हरियाणा	32
तमिलनाडु	37.668
आंध्र प्रदेश	18.250
कर्नाटक	9.360
केरल	—
हिमाचल प्रदेश	—
असम	70
जम्मू एवं कश्मीर	291
अन्य	52
जोड	3263.278

रंगीन टेलीविजनों के विदेशी ब्रांड नाम

6668. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रंगीन टेलीविजनों के लिए विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग करने की अनुमति देने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) क्या देश में रंगीन टेलीविजन विनिर्माताओं को भारत में टेलीविजन सैट बनाने हेतु औपचारिक विदेशी तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रंगीन टेलीविजन सैटों के निर्माण को बढ़ावा देने संबंधी कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारत में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने तथा औद्योगिक विकास में तेजी लाने की दृष्टि से सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को घोषित उदारीकरण की विभिन्न योजनाओं के अनुसरण में, भारत में विदेशी अथवा भारतीय स्वामित्व के ब्रांड नाम/ट्रेड मार्क के इस्तेमाल पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का निर्णय किया गया है, बशर्ते इनके इस्तेमाल से इस देश के किसी सांविधिक नियम अथवा विनियम का उल्लंघन न होता हो।

किसी ट्रेड मार्क के इस्तेमाल से लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना तब तक आवश्यक नहीं है, जब तक विदेशी स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले किसी ट्रेड मार्क के मामले में, उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार करने की आवश्यकता न हो अथवा जहां किसी औद्योगिक या विदेशी सहयोग संबंधी अनुमोदन में विदेशी स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले ट्रेड मार्क के इस्तेमाल को सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।

(ख) भारत में टेलीविजन सैटों के विनिर्माण के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग का आवेदन करने वाली इकाइयों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। ऐसे सभी आवेदन-पत्रों पर उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) देश में विनिर्मित इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की क्वालिटी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के कार्य में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग के अंतर्गत मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण (एस टी क्यू सी) की प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य छोटे तथा मझोले स्तर के उद्योगों को परीक्षण तथा अंशांकन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के जरिए इलेक्ट्रानिक उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाने के कार्य को बढ़ावा देना है। अच्छी क्वालिटी के टी वी सैटों का उत्पादन करने तथा उनका निर्यात करने में टी वी उद्योग की सहायता करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं :

(i) क्वालिटी प्रमाणिकरण की योजनाएं इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही हैं;

(ii) यू एल मानकों के अनुसार, टी वी सेटों, पिक्चर ट्यूबों तथा सम्बद्ध बिक्षेपण संघटक-पुर्जों के मामले में इलेक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम), बम्बई की परीक्षण संबंध सुविधाओं का अण्डरराइटर्स लेबोरेटरी (यू एल), संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुमोदिन प्राप्त करना; तथा

(iii) यूरोप को निर्यात करने के लिए जर्मन सुरक्षा मार्क : जी एस आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणीकरण को प्राप्ति करने में टी वी उद्योग की सहायता करना।

सामान्य पूल आवास के लिए पात्रता

6669. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी सामान्य पूल आवास के पात्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी आवास की सुविधा सभी स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों की विशेष रूप से भारतीय निवेश केन्द्र के कर्मचारियों को भी देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) निम्नलिखित स्वायत्त संगठनों का नियमित स्टाफ साधारण पूल वास के आबंटन हेतु पात्र है :

1. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

3. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली।

(ख) से (घ) साधारण पूल रिहायशी वास की अत्यन्त कमी को देखते हुए सरकार की नीति केवल उन कर्मचारियों, जो मंत्रालय के सचिवालय, भारत सरकार के सचिवालय, भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के एक भाग के रूप में हैं, को सरकारी वास आबंटन करने की है। समस्त स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को सरकारी वास की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूमि सुधारों पर राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन

6670. श्री शरद दिघे :

डा० रामचन्द्र डोम :

श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधारों तथा भूमि रिकार्डों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने हेतु 14 मार्च, 1992 को दिल्ली में राज्यों के राजस्व मंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां तो इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय लिए गए ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, भूदान भूमि के वितरण तथा भूमि अभिलेखों से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई थी। अन्य निर्णयों के साथ-साथ, यह निर्णय भी लिया गया था कि विवादमुक्त अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण का कार्य 30 जून, 1992 तक पूरा कर लिया जाए और राजस्व अदालतों में मुकदमेबाजी में फंसी 75 प्रतिशत भूमि को ऐसी मुकदमेबाजी से मुक्त करके वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाए तथा भूमि वितरण के कार्य को 30 सितम्बर, 1992 तक पूरा कर लिया जाए।

औद्योगिक उत्पादों के लिए आयोग का गठन

6671. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए कोई आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित आयोग के कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) वर्ष 1970 में गठित औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) को एक आयोग बनाकर उसकी पुन: संरचना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। आयोग के कार्यों में एक कार्य लागत कम करने तथा औद्योगिक कार्यक्षमता में सुधार करने और औद्योगिक लागत के बारे में मूल्य निर्धारण संबंधी समस्याओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। परन्तु इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

कारों के लिए विदेशी सहयोग

6672. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी भारतीय कंपनी को विदेशी सहयोग से चार सीटों वाली कारें बनाने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो उस भारतीय कंपनी का नाम क्या है;

(ग) इन कारों के बाजार में कब तक आने की संभावना है; और

(ख) इस कार का अनुमानित मूल्य क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कूरियन) : (क) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय परियोजना के पूरा होने में विलम्ब

6673. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार मंत्रालयवार कितनी केन्द्रीय परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) उसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके पूरा होने में विलम्ब के कारण मूल लागत की तुलना में उनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 31-12-91 की स्थिति के अनुसार अपनी मूल चालू होने की तिथि के संदर्भ में, निर्धारित समय से पीछे चल रही केन्द्रीय परियोजनाओं की संख्या मंत्रालय/विभागवार नीचे दी गई है :

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग	चालू होने की मूल तिथि के संदर्भ में विलम्बित परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	परमाणु ऊर्जा	5
2.	नागर विमानन	1
3.	कोयला	35
4.	उर्वरक	1
5.	सूचना और प्रसारण	3
6.	खान	
7.	इस्पात और खनिज लोहा	[illegible]

1	2	3
8.	रसायन और पेट्रो रसायन	3
9.	पेट्रो और प्राकृतिक गैस	17
10.	विद्युत	32
11.	पेपर, सीमेंट तथा आटोमोबाइल	6
12.	रेलवे	44
13.	जल-भूतल परिवहन	21
14.	दूरसंचार	16
	योग	189

(ख) परियोजनाओं के पूरा होने में बिलम्ब के अनेक कारण थे, जो निम्नलिखित हैं :

(I) भूमि अधिग्रहण में बिलम्ब।

(II) वन/पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुमति मिलने में बिलम्ब तथा आधारी संरचना के विकास की अग्रिम कार्यवाही में कमी।

(III) परियोजना की अपर्याप्त तैयारी।

(IV) पर्याप्त निधि तथा निधि स्रोतों के अनुबंध में बिलम्ब (बजट सम्बन्धी, अंतरिम, अतिरिक्त बजट संबंधी तथा बाह्य)।

(V) विस्तृत इंजीनियरिंग को अन्तिम रूप देने मे विलम्ब।

(VI) कार्यक्षेत्र का बारंबार बदलना।

(VII) निविदा तथा आदेश देने में विलम्ब।

(VIII) सलाहकार तथा परियोजना संगठन के माथ उत्तरदायित्व की रूपरेखा में कमी।

(IX) औद्योगिक सम्बन्ध तथा कानून और व्यवस्था की समस्याएं।

(X) माल की अपर्याप्त आपूर्ति।

(XI) तैयार उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब तथा अपरिणामिकता।

(XII) उपकरणों के गलत कार्य करने के कारण प्रारम्भिक कठिनाइयां।

(XIII) अप्रमाणित तकनीक का चयन।

(XIV) प्रयोग के अधिकार की अनुमति में विलम्ब।

(XV) परियोजना स्थलों की कठिन भौमिकी।

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लागत में हुई वृद्धि के अनेक कारण हैं। पूरा होने में विलम्ब के कारण हुई लागत वृद्धि की प्रतिशतता का अलग से मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(घ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का प्रबोधन तथा विभिन्न स्तरों पर, परियोजना प्राधिकारियों सहित, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सचिवों की समिति, कोयला और विद्युत परियोजनाओं के लिए कार्यदल, सार्वजनिक निवेश बोर्ड तथा आधारी संरचना पर मंत्रिमंडल समिति समस्याओं के निराकरण की कार्यवाही करते हैं।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

6674. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कोयले के मूल्य में हुई वृद्धि का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : कोयले की विभिन्न ग्रेडों की पिटहैड कीमतें सरकार द्वारा कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के उपबंधों के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के तीन वित्तीय वर्षों में कोयले की कीमतों में केवल एक बार दिसम्बर, 1991 में वृद्धि की गई है। इससे पूर्व कोयले की कीमतें पिछली बार जनवरी, 1989 में संशोधित की गई थीं। कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की ग्रेडवार कीमतें, जिनमें जनवरी, 1989 तथा दिसम्बर, 1991 में संशोधन किया गया था, नीचे दी गई है :

(I) कोल इंडिया लि० में उत्पादित कोककर, अर्धकोककर और साप्ताहिक कोककर कोयला

	जनवरी, 1989 में बढ़ी कीमतें	दिसम्बर, 1991 में बढ़ी कीमतें
इस्पात ग्रेड I	651.00	842.00
इस्पात ग्रेड II	543.00	702.00
वाशरी ग्रेड I	470.00	600.00
वाशरी ग्रेड II	390.00	504.00
वाशरी ग्रेड III	300.00	388.00
वाशरी ग्रेड IV	280.00	362.00
सेमी कोकिंग ग्रेड I	470.00	608.00
सेमी कोकिंग ग्रेड II	390.00	504.00

(II) कोल इंडिया लिमिटेड में उत्पादित अकोककर कोयला

लॉंग फ्लेम कोयला	जनवरी, 1989 में बढ़ी कीमतें	दिसम्बर, 1991 में बढ़ी कीमतें
ग्रेड ए	424.00	541.00
ग्रेड बी	389.00	496.00
ग्रेड सी	343.00	436.00
ग्रेड डी	277.00	351.00
लांग फ्लेम कोयले के अलावा		
ग्रेड ए	399.00	516.00
ग्रेड बी	364.00	471.00
ग्रेड सी	318.00	411.00
ग्रेड डी	252.00	326.00
ग्रेड ई	200.00	259.00
ग्रेड एफ	160.00	207.00
ग्रेड जी	114.00	147.00

(III) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (आंध्र प्रदेश) में उत्पादित कोयला

	जनवरी, 1989 में बढ़ी कीमतें	दिसम्बर, 1991 में बढ़ी कीमतें
ग्रेड सी	396 00	517.00
ग्रेड डी	349.00	455.00
ग्रेड एफ	295.00	375.00
ग्रेड जी	222.00	308.00
	173.00	225.00

टिप्पणी : विनिर्दिष्ट कीमत रन-आफ-माइन (आर० ओ० एम०) कोयला के लिए है।

आंध्र प्रदेश में शीत भंडारण संयंत्र

6670. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय कितने शीत भंडारण संयंत्र उपलब्ध हैं;

(ख) वे कहां-कहां स्थित हैं और उनकी भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) क्या गुन्टुर में, मिर्च के किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पादों के भंडारण की सुविधा के लिए वहां ऐसा कोई संयंत्र है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र मे ऐसे किसी शीत भंडारण संयंत्र के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) आंध्र प्रदेश में 70 शीत भंडार हैं जिनकी कुल क्षमता 100265 घन मीटर है।

(ख) आंध्र प्रदेश में शीत भंडारों के स्थान और उनकी भंडारण क्षमता को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) गुन्टूर में तीन शीत भंडार हैं जिनम से एक को इमली और लाल मिर्च आदि के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(घ) सरकार शीत भंडारों का निर्माण नहीं करती है। शीत भंडारों की स्थापना भंडारण योग्य अधिशेष को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक एजेंसी की आवश्यकता के आधार पर सहकारी समितियों सहित विभिन्न एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा की जाती है।

विवरण

क्रमांक	जिला	शीत भंडारों का स्थान	शीत भंडारों की संख्या	क्षमता (घन मीटर में)
1	2	3	4	5
1.	चित्तूर	(1) मदनीपाली	3	15429
		(2) चित्तूर	2	2610
		(3) तिरुमाला हिल्स	1	60
2.	कुडप्पा	(1) प्रोदात्तूर	2	1289
3.	पूर्वी गोदावरी	(1) काकीनाडा	2	1474
		(2) अननाइकपुर	1	345

1	2	3	4	5
		(3) राजमुन्द्री (काकीनावड़ा)	3	3514
		(4) बालसा पाकेलू (काकीनाड़ा)	1	373
4.	गुन्टूर	(1) वावलामुडी	1	589
		(2) नगरमपालम	1	70
		(3) लालीपुरम	1	4844
5.	हैदराबाद	(1) लालापेट	2	2685
		(2) हयातनगर	1	526
		(3) नामपल्ली	1	2401
		(4) टोलीचौकी	1	109
		(5) हैदराबाद	3	8357
		(6) बंजारा हिल्स	1	274
		(7) उसमानागंज	1	1462
		(8) बाग अम्बरपेट	1	41
		(9) टैंक बंद रोड़ (हैदराबाद)	1	61
		(10) सिकन्दराबाद	1	3867
		(11) बाला नगर	1	2475
		(12) [illegible]	1	88
6.	कृष्णा	(1) [illegible]	1	600
		(2) विजयवाड़ा	5	22188
		(3) गनावरम	1	637
7.	कुर्नूल	(1) नानदयाल	1	1771
		(2) कुर्नूल	1	175

1	2	3	4	5
8.	नालगोंडा	(1) नागार्जुन सागर	1	49
9.	नेल्लौर	(1) नेल्लौर	1	82
		(2) रामामूर्ती नगर	1	53
		(3) लक्ष्मीपुरम	1	4637
10.	श्रीकाकुलम	(1) काशीबग्गा (श्रीकाकुलम)	1	131
11.	विशाखापत्तनम	(1) विशाखापत्तनम	15	9193
		(2) पेनडुर्थी	1	289
		(3) वेदेलापुड़ी	1	405
		(4) विजयानगरम (विजाक)	1	557
		(5) भवानीपत्तनम	1	153
		(6) मिन्धी (विशाखापत्तनम)	1	771
		(7) खम्मन	1	1837
12.	पश्चिम गोदावरी	(1) ताडा पालीगुडाई	1	:4
13.	अनन्तपुर	(1) हिन्दपुर	1	3740
		योग :	70	100265

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में घोटाला

6676. श्री पीयूष तीरकी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा कोयले की सप्लाई में तथाकथित रूप से अनियमितता बरती गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कारंवाई की है/कर रही है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) कोयला कंपनियां

एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत खरीददारों को कोयले की बिक्री करती हैं। अनियमितताओं के बारे में प्राप्त शिकायतों पर कोयला कंपनियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। प्रश्न में मांगी गई सीमित सूचना के कारण कोयला कंपनी माननीय सदस्य द्वारा संदर्भित विशिष्ट शिकायत को विनिर्दिष्ट नहीं कर पाई हैं। यदि इस विशिष्ट शिकायत के बारे में माननीय सदस्य द्वारा कुछ और जानकारी दी जा सके तो शिकायत का ब्यौरा और उक्त शिकायत पर की गई कार्रवाई को प्रस्तुत किया जा सकता है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा भूमि का अर्जन

6677. **श्री पीयूष तीरकी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और क्षेत्रवार, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा अर्जित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक मामलों में भूमि तो अर्जित कर ली गई है जबकि उस क्षेत्र से खनन के लिए परियोजना रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार और क्षेत्र-वार, अर्जित की गई भूमि के लिए कुल कितनी और किस दर से मुआवजा राशि दी गई; और

(ङ) विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध ताड़ी की बरामदगी

6678. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री विजय कुमार यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में 3500 बोतल अवैध ताड़ी बरामद किए जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु सरकार से तथ्यों को भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 4-1-92 को अनवानंदेवपुरम मुक्कुट्टु सिरवामी रोड पर

मैसर्स एम० ओ० एच० कैंटर सर्विस के नाम पंजीकृत वाहन से ताड़ी की 4500 बोतलें बरामद की गई थीं। राज्य पुलिस ने जांच के लिए एक मामला दर्ज कर लिया है।

प्रधान मंत्री निवास को नया रूप प्रदान करना

6679. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार प्रधानमंत्री निवास की मरम्मत, नवीकरण तथा रख-रखाव और संरचनात्मक परिवर्तन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इसी अवधि में मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों के निवास पर इन्हीं मदों पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इसी अवधि में संसद सदस्यों के इसी प्रकार के निवासों पर इन्हीं मदों पर कितनी धनराशि खर्च की गई और ऐसे निवास-स्थानों की संख्या कितनी है; और

(घ) इसी अवधि में भारत सरकार के सचिव तथा तद्समान एवं उच्च पदासीन व्यक्तियों के निवास स्थानों पर किए गए ऐसे खर्च के आंकड़े क्या हैं तथा ऐसे निवास-स्थानों की संख्या कितनी है?

शहरी विकास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना इस प्रकार है :—

निम्नलिखित निवासों की मरम्मत, नवीकरण और अनुरक्षण पर किया गया वर्ष-वार व्यय :—

(रुपये लाख में)

		1988-89	1989-90	1990-91
I.	प्रधान मंत्री निवास	18.40	48.85	74.58
II.	मंत्रियों के निवास	188.61	181.19	230.86
III.	संसद सदस्यों के निवास	313.76	405.67	535.0

(III) उपर्युक्त व्यय 1093 रिहायशी मकानों के सम्बन्ध में है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नेपा नगर के निकट कारखाना

6680. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा लिमिटेड नेपा नगर के अलीगंज (काशीपुर) में सम्भावित नये कारखाने की स्थापना पर गत तीन वर्षों से बिना किसी लाभ के करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) अलीगंज स्थित अखबारी कागज परियोजना पर फरवरी, 1992 तक हुए खर्च के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

(लाख रुपये में)

1.	भूमि	333
2.	आरंभिक सिविल कार्य	61
3.	परियोजना लागत	178
4.	टाउनशिप	26
		598

इस परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए सरकार का प्रस्ताव गैर-सरकारी वित्त-पोषण प्राप्त करने का है ।

त्रिपक्षीय बैठक

6681. प्रो० राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कपड़ा मिलों की भूमि की बिक्री से प्राप्त धन का इन मिलों के मजदूरों के पुनर्वास हेतु उपयोग करने का विचार है; और

(ख) इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाई की भूमि की बिक्री औद्योगिक इकाई के पुनर्वास के लिए नहीं की जा सकती । तथापि रुग्ण औद्योगिक इकाई को उसके पुनर्वास के लिए अपनी खाली पड़ी भूमि की इस पुनर्वास

पैकेज के अनुसार बिक्री करने के लिए अनुमति देने के सुझाव प्राप्त हुए हैं जैसी कि औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा सिफारिश की जाए। पैकेज में संबंधित मिल के श्रमिकों के पुनर्वास को शामिल किया जा सकता है।

परमाणु वैज्ञानिकों की सेवाएं

6682. **श्री सी० श्रीनिवासन :**
श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :
श्री आर धनुषकोडी आदित्यन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सोवियत संघ के परमाणु वैज्ञानिकों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

कावेरी चतुर्थ चरण जलपूर्ति योजना

6683. **श्री जी० मादेगौड़ा :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने योजना आयोग को बंगलौर शहर के लिए कावेरी चतुर्थ चरण जलपूर्ति योजना को आठवीं योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या योजना आयोग का विचार सन् 2000 तक बंगलौर शहर की जल सप्लाई की मांग को पूरा करने के लिए इस योजना को आठवीं योजना में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का अनुमानित व्यय कितना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) कर्नाटक सरकार ने बेंगलूर नगर के लिए अपने आठवीं योजना दस्तावेज के मसौदे में कावेरी चतुर्थ चरण (चरण-प्रथम) जलपूर्ति स्कीम को शामिल किया है। किन्तु इस स्कीम पर योजना आयोग में अभी तक कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ?

(ख) कर्नाटक के लिए जलपूर्ति और सफाई पर कार्यकारी दल ने 16-12-1991 को योजना आयोग में हुई अपनी बैठक में इस परियोजना को राज्य की आठवीं योजना में शामिल किए जाने की स्वीकृति दी है।

(ग) कावेरी जलपूर्ति स्कीम चतुर्थ चरण (चरण-प्रथम) की अनुमानित लागत 490 करोड़

रुपये है ताकि 1997-98 तक 60 एम जी डी जल लाया जा सके। परियोजना का वित्त पोषण राज्य सरकार, जीवन बीमा निगम, हुडको, बेंगलूर नगर निगम, बेंगलूर विकास प्राधिकरण और अन्य रक्षा स्थापनाओं द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए राज्य योजना के अंतर्गत कर्नाटक के आठवीं योजना के मसौदे में 89.89 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

हल्दिया परियोजना के पैरामीटर में परिवर्तन

6684. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1992 के आब्जर्वर आफ बिजनेस एण्ड पालिटिक्स मे आईएफसी टू स्टडी हल्दिया प्रोजेक्ट स्फेश शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के पैरामीटर में प्रस्तावित परिवर्तन की अद्यतन स्थिति क्या है और वह किस स्थिति में है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) सरकार ने दिनांक 28-1-1992 को बिजनेस और पालिटिक्स आब्जर्वर म प्रकाशित समाचार देखा है।

(ख) मैसर्स हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लि० (एचपीएल) द्वारा बताए गए संशोधित पैरामीटरों के अनुसार परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। क्रैकर की प्रारंभिक क्षमता प्रतिवर्ष 2,00,000 टन इथाइलीन की होगी जिसे बाद मे प्रतिवर्ष 3,00,000 टन तक बढ़ाने की सुविधा होगी। नेफ्था क्रैकर, एचडीपीई और पालीप्रोपिलीन परियोजनाओं के लिए पूंजीगत माल के आयात और विदेशी सहयोग के लिए सरकारी स्वीकृतियां कंपनी को पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं।

सरकारी व्यय में कमी का सुझाव देने के लिए समिति

6685. **श्री मोरेश्वर सावे : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई समिति नियुक्त की है, जहां सरकारी व्यय मे कटौती की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इसके निदेश-पदों का ब्यौरा क्या है तथा इसके सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं और इसका कार्यकाल कितना है;

(ग) क्या समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों में से प्रत्येक सिफारिश पर क्या निर्णय लिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय, इसकी संरचना तथा कार्यकाल के ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार कार्यालय आदेश में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सं० 17/4/91—एफ आर

भारत सरकार

योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दि० 19 फरवरी, 1992

आदेश

विषय : किफायत के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) की समिति का गठन।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने 23 व 24 दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में किफायत के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

2. किफायत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

1.	श्री बीजू पटनायक, मुख्य मंत्री, उड़ीसा	—अध्यक्ष
2.	श्री कल्याण सिंह, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	—सदस्य
3.	श्री गेगोंग अपांग, मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश	—सदस्य
4.	श्री भजन लाल, मुख्य मंत्री, हरियाणा	—सदस्य
5.	श्री एच०आर० भारद्वाज, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री	—सदस्य
6.	डा० सी० रंगराजन, सदस्य, योजना आयोग	—सदस्य सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

1. राज्य सरकार के कुल व्यय तथा इसके घटकों की संवृद्धि की नवीन प्रवृत्तियों तथा कारणों पर नजर रखना।

2. हाल की अवधि में स्थापना संबंधी व्यय में जहां किफायत की जा सकती है वृद्धि के विशेष घटकों की पहचान करना।

3. गैर-स्थापना व्यय संबंधी मुख्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण जहां कटौती उपायों को समर्थन मिल सके।

4. सब्सिडी कम करने के लिए निहितार्थों सहित कतिपय नीति मुद्दों पर विचार करना।

5. राज्य के व्यय के ब्याज घटकों को कम करने के लिए व्यवहार्य उपायों पर भी विचार करना; और

6. केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले विशिष्ट उपायों को सुझाना जिससे राज्यों को अपने व्यय कम करने में सहायता मिल सके।

4. समिति अपने विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी अथवा गैर-सरकारी को विशेष रूप से आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत है।

5. राष्ट्रीय विकास परिषद के विचार हेतु समिति अपनी रिपोर्ट चार माह के अन्दर प्रस्तुत कर देगी।

6. सरकारी कर्मचारी अपने संगठनों से यात्रा/दैनिक भत्ते के हकदार होंगे। गैर-सरकारी व्यक्तियों को योजना आयोग द्वारा यात्रा/दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

7. समिति के दैनिक कार्य में डा० कल्याण एम० रामपुरिया, सलाहकार (एस०आर) योजना आयोग सहायता करेंगे।

ह०/-

(एन०के० मल्होत्रा)

उप सचिव, भारत सरकार

समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण।

प्रति प्रेषित :

राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी सदस्य

सदस्य, योजना आयोग

मंत्रिमंडल सचिव

प्रधान मंत्री के प्रमुख सलाहकार

राष्ट्रपति, भारत सरकार के सचिव

उपराष्ट्रपति, भारत सरकार के सचिव

भारत सरकार के सभी सचिव

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिव

प्रधान मंत्री के निजी सचिव

योजना आयोग में मानक वितरण

ह०/-

(एन०के० मलहोत्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

[हिन्दी]

उड़ीसा में खदानों और खानों में विस्फोटक सामग्री का प्रयोग

6686. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या प्रधान मंत्री उड़ीसा में खानों में विस्फोटक सामग्री के प्रयोग के बारे में 19 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4646 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) दिनांक 19-12-91 के अतारांकित प्रश्न सं० 4646 के उत्तर में उल्लिखित सूचना 31-3-1992 को एक विवरण के रूप में सभा-पटल पर रखी जा चुकी है। इस विवरण के अनुसार उड़ीसा में बिना उचित भण्डारण लाइसेंस के उत्खनन तथा खनन में विस्फोटक सामग्री प्रयोग करने के बारे में विस्फोटक विभाग को कोई सूचना नहीं मिली है।

सहकारी आवास समितियों को भूमि के आवंटन के बारे में दिनांक 4-3-1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1259 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : सहकारी आवास समितियों को भूमि के आवंटन के बारे में दिनांक 4 मार्च, 1992 को संसद सदस्य श्री प्रबीन डेका द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1259 के भाग (क) तथा (घ) के उत्तर में कुछ टाइप संबंधी त्रुटियां हो गई थीं। इस संबंध में सही उत्तर इस प्रकार पढ़ा जाए :—

"(क) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर की चौथी लाइन में उल्लिखित तारीख 10-6-91 को 10-5-91 पढ़ा जाए।

(घ) प्रश्न के भाग (घ) के मौजूदा उत्तर के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"आज की तारीख तक 1450 सामूहिक आवास समितियां भू-आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

इस संबंध में सदन को हुई असुविधा के लिए खेद है।

12.00 म०

प्रेसीडेंट यासर अराफात के बारे में

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, आपका ध्यान और इस सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज सुबह-सुबह खबर मिली है कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति व्यक्तित्व और भारत के परममित्र श्री यासर अराफात जब सूडान से लीबिया जा रहे थे तो लीबिया के रेगिस्तान के ऊपर उनका जहाज खो गया।···(व्यवधान) ठीक है संध्या को बात है। लीबिया के राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि जहाज की खोजबीन में सहायता करें। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि पूरी सहायता दें और मैं चाहूंगा कि यह सदन उनकी कुशलता के लिए शुभकामना प्रकट करे। वे भारत के परम मित्र रहे हैं और आड़े दिनों में हमारे काम आए हैं।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभा इस घटना पर चिंतित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभा को उस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय सदस्य और हम सभी ने प्रेसीडेंट अराफात के वायुयान के दक्षिण लिबिया में सहारा मरुभूमि में कहीं भटक जाने के समाचार को अत्यधिक चिंता के साथ सुना। मुद्दा यह है कि लीबिया और विशेषकर ट्युनिसिया जहां पी० एल० ओ० के मुख्यालय स्थित हैं वह हमारे यहां के समय से तीन-चार घंटे पीछे हैं। अभी वहां सुबह हुई है। इस बीच उनके विमान को तलाशने का प्रयास चल रहा है। मैं अपनी, सभा और भारत सरकार की प्रेसीडेंट अराफात की कुशलता के संबंध में चिंता व्यक्त करता हूं। ट्युनिस स्थित अपने दूतावास से हम संपर्क बनाए हुए हैं जहां पी० एल० ओ० का मुख्यालय स्थित है ताकि हमें उक्त वायुयान के संबंध में अद्यतन स्थिति का पता चल सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह जानकारी सभा को दें।

श्री एडुआर्डो फलेरो : हम ऐसा ही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। हम अच्छे समाचार की आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं।

[हिन्दी]

अयोध्या भेजे गये संसद सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के बारे में

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं एक चीज जानकारी के लिए आपसे ही जानना चाहता था कि बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के ऊपर सदन ने तय किया कि एक डेलीगेशन वहां जाएगा।... **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, वहां एक कमेटी गई और आज समाचार पत्रों में आया है कि वह अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्टर को देगी। हालांकि कुछ मैम्बरों के जो पहले से विचार थे, जो उनके दायरे में नहीं आते थे, एक मैम्बर ने यह कह दिया...।

...**(व्यवधान)**...

मेरा यह कहना है कि जब यह रिपोर्ट देंगे, बी० जे० पी० का भी एक डेलीगेशन आज जा रहा है वह तथ्य भी रखेंगे उस पर बहस कराना चाहें तो करा लें। लेकिन रिपोर्ट देने से पहले बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। तथ्य हमारे पास भी हैं ...**(व्यवधान)** ...यहां पर रोज कोई-न-कोई इश्यू बनाकर राम जन्म भूमि का मसला उठाया जाता है, यह ठीक नहीं है। इस पर फुटफुल चर्चा तभी होगी जब यह रिपोर्ट देंगे। हम भी जा रहे हैं, हम भी रिपोर्ट देंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विजय नवल पाटिल (इरनदोल) : दो प्रतिनिधिमंडलों में अंतर है। जो प्रतिनिधि-

मंडल पहले गई थी वह संसदीय प्रतिनिधिमंडल के तौर पर गई थी। आप दोनों को एक जैसा क्यों मान रहे हैं ? इन दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। यह राजनीति से प्रेरित प्रतिनिधिमंडल है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना जी, मैंने इसे अब समझ लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : खुराना साहब ने मैटर आफ प्रोपराइटी का सवाल उठाया तो मैं उनका आदर करते हुए बैठ गया। लेकिन मैं यह कह रहा था कि मैं भी इसी मैटर आफ प्रोपराइटी को उठा रहा था। जब सदन का डेलीगेशन वहां गया···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सदन का नहीं गया।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने बायकाट किया था वह दूसरी बात है, लेकिन पार्लियामेंट का डेलीगेशन गया था···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह पार्लियामेंट का डेलीगेशन नहीं था, वह पार्लियामेंट के मेम्बर्स का डेलीगेशन था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह समझ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : यह ठीक नहीं है, आप मेरी बात सुनिये। अटलजी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। इस सदन में बहस हुई और निश्चित हुआ कि एक डेलीगेशन पूरे सदन का जाये। उसी दिन अटलजी ने यह कहा था कि सदन का डेलीगेशन जाये, इसका स्वागत है, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्षजी, मुझे याद है कि इस विषय पर सदन का डेलीगेशन होगा, संसद का डेलीगेशन होगा तो स्वयं अध्यक्षजी आपने कहा था कि मुझे इन्वाल्व मत करिये, मैं इसमें नहीं हूं। यह सरकार निर्णय कर रही है और सरकार निमंत्रण दे रही है कि सारी पार्टियां जाएं, मैं कहीं बीच में नहीं हूं। मैं करूंगा तो सब सदस्यों और पार्टियों से राय करके करूंगा, यह आपने कहा था।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आप डेलीगेशन भेजेंगे तो सबकी राय से नहीं, सबकी सहमति से भेजेंगे, मुझे आपके ये शब्द अच्छी तरह से याद हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपकी तमाम बातों का आदर करते हुए मैं भी कह रहा हूं कि

माइनस बी० जे० पी० इस सदन के सारे दलों को और जो भी जाना चाहते थे उनका डेलीगेशन गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच मे न बोलें, दो मिनट में समाप्त कर देंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं बिल्कुल दो मिनट में खत्म कर दूंगा। हम आपका बहुत ध्यान रखते हैं, कभी टोका-टाकी नहीं करते, आप भी मुझे सुनिये। राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसमें बी० जे० पी० शामिल है उसमें एक निर्णय हुआ था कि डेलीगेशन जाये, तो एन० आई० सी० का भी गया। जिसमे बी० जे० पी० नहीं गई। मैं प्रोपराइटी की यह बात नहीं कर रहा। जैसे अभी खुराना साहब ने कहा। कुछ सदस्यों ने भी कहा, अखबार में भी पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह कहा है, जो खबर छपी है उसके अनुसार, कि यह डेलीगेशन फ्लाप हो गया, बिल्कुल फ्लाप हो गया। इस डेलीगेशन का कोई महत्व नहीं है और मैं इसको कोई महत्व नहीं देता। अब मैं प्रोपराइटी की बात कर रहा हूं कि वहां के मुख्य मंत्री का यह बयान आना मैं यह समझता हूं यह बयान बहुत गलत है। सदन के सदस्यों का जो डेलीगेशन गया उस पर आक्षेप है इस तरह का बयान देना। और श्रीमन्, मैं समझता हूं और यह जानना चाहता हूं कि जो डेलीगेशन गया है, इसकी रिपोर्ट इस सदन में पेश की जाये ताकि यह सदन उस रिपोर्ट की रोशनी में फिर अपना निर्णय ले सके। मैं चाहता हूं कि तात्कालिक तरीके से और जितना शीघ्र-से-शीघ्र हो सके, यह निर्णय लें क्योंकि मामले में एक्स्प्लोसिव सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें। यदि आप यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो होम मिनिस्टर से कहें कि इस डेलीगेशन की रिपोर्ट इस सदन के सामने आनी चाहिए और जब तक यह रिपोर्ट नहीं आती है, विस्फोटक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्माण का कार्य, कोई भी परिवर्तन का काम सरकार को रोकना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बेवजह इसे नहीं खींचें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, यह जो नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल का डेलीगेशन जाने वाला था। अब हम यह भी चाहेंगे कि इसके अध्यक्ष वहां नहीं गये, होम मिनिस्टर नहीं गये, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वे नहीं गये। तो इतना महत्वपूर्ण डेलीगेशन जब जाने के लिए तय किया गया तो जब रिपोर्ट आयेगी तो इसमें यह भी जानना चाहेंगे कि ये लोग वहां क्यों नहीं गये? अखबारों में अलग-अलग बात···

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सभी ऐसा कर रहे हैं तो मुझे उनको भी चांस देना पड़ेगा···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। उचित समय आने पर हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अभी नहीं।

श्री राम नाईक : फिर भी उन्होंने मुद्दे को उठाया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उसी की चर्चा कर रहा था।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : कृपया यह करें। प्रतीक्षा नहीं करें। आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वह संसदीय प्रतिनिधिमंडल नहीं था। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यदि इससे हमारे मित्र संतुष्ट हो जाते हैं, महोदय··· (व्यवधान) मैं अस्वस्थता के कारण दो दिनों के लिए संसद में नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, वह संसदीय प्रतिनिधिमंडल था या संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल था इस बात पर हम ज्यादा चर्चा न करें। प्रश्न यह है कि उक्त प्रतिनिधिमंडल के जाने का उद्देश्य क्या था—सच्चाई और तथ्य का पता लगाना। हम यह पाते हैं कि सच्चाई और तथ्य को छिपाने का और भी गंभीर प्रयास किया जा रहा है जिसकी हम आशंका थी। यह अत्यंत दुर्भाग्य-पूर्ण बात है कि एक राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा संसदीय प्रतिनिधिमंडल के संबंध में इस तरह कहा जाए···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : संसदीय प्रतिनिधिमंडल के संबंध में नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी :···या संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के संबंध में भा० ज० पा० सदस्य सहित या रहित।···(व्यवधान) यह संसदीय प्रतिनिधिमंडल तभी कहलाता जब भा० ज० पा० उसमें शामिल होती।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए, ऐसा लगता है कि भा०ज०पा० के हमारे सम्माननीय मित्र केवल संसदीय प्रतिनिधिमंडल के बारे में गंभीर हैं संसद सदस्य के प्रतिनिधिमंडल के बारे में नहीं। इसलिए, यदि यह संसदीय प्रतिनिधिमंडल था तो सत्य सामने आता, अन्यथा नहीं। और मुख्य मंत्री, जिनके प्रति हमारे व्यक्तिगत सम्मान हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि वह प्रेस में क्यों गए और इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी क्यों की जिससे मामला और उलझ जाता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं जानता कि इससे उनको या उनके उद्देश्य को क्या लाभ मिला। संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने वहां क्या देखा या अनुभव किया और उनकी प्रतिक्रिया क्या इसकी प्रतीक्षा किये बिना ही···(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने यह कहा है, "मैं आशा करता हूं कि रिपोर्ट निष्पक्ष होगी।" स्पष्ट है यह उनसे कहवाया गया है। **(व्यवधान)** 'द पायोनियर' के अनुसार यह विफल रही। मुख्य मंत्री ने ऐसा नहीं कहा है।

[हिन्दी]

चीफ मिनिस्टर ने कुछ कहा ही नहीं तो कौन जवाब देगा? उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि फेयर रिपोर्ट देंगे, आब्जेक्टिव रिपोर्ट देंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब हम पता लगाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आडवाणी जी को अधूरी जानकारी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह प्रथमदृष्टया जानकारी है। मैंने श्री चन्द्रजीत यादव को पहली बार यह कहते सुना। यह कहना उचित नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का प्रतिनिधिमंडल उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री फलां-फलां के नहीं जाने के कारण नहीं गए। आखिर राष्ट्रीय एकता परिषद के प्राधिकार के तहत यह प्रतिनिधिमंडल वहां गया था। और वहां जो लोग गए थे वे राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य थे। वे उपसमिति के सदस्य हैं। तीन या अधिक से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। प्रश्न यह है कि उन्होंने प्रतिनिधित्व किया अथवा नहीं। इसलिए, मैं भा० ज० पा० के मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे पूरा सहयोग दें। जो रवैया उन्होंने अपनाया उसके कारण शक और भी गहरा गया है। इसलिए, मैं श्री चन्द्रजीत के इस सुझाव से सहमत हूं कि गृह मंत्री को सभा में अविलम्ब आकर वास्तविक स्थिति की जानकारी देनी चाहिए। हमें रिपोर्ट दी जाए—मैं नहीं जानता कि रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है—ताकि जनता, देश और सभा को कम-से-कम यह पता चले कि वास्तविक स्थिति क्या है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : अध्यक्ष महोदय, इस पक्ष की भी बात सुनी जाए।

मैं उन सदस्यों में से एक हूं जिसे कल प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने के लिए कहा गया। मैं प्रतिनिधिमंडल के संबंध में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं वहां स्वयं ही पर्यटक के तौर पर नहीं गया था। मुझे गृह मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया कि संसद के निर्णय के आधार पर संसद सदस्यों और राष्ट्रीय एकता परिषद का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा है। और मैं भी उसमें शामिल हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं बताता हूं कि उस दिन क्या हुआ क्योंकि मैं उस दिन सभा में था।

श्री ए० चार्ल्स : आज 10 बजे हमने गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक में भाग लिया और उसके कुछ परिणाम निकलेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्रीय एकता परिषद के लोग वहां गए थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि उस प्रतिनिधिमंडल को उचित उत्तरदायित्व और संसदीय समिति होने का दर्जा नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं जबकि उस पर निर्णय लिया जा सकता है। मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में मैं भी अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। आप यह स्वीकार करेंगे कि सामूहिक रूप से तथा सरकार द्वारा यह अत्यंत असामान्य कदम उठाया गया है। सरकार ने यह शुरू में कहा और रिकार्ड में यह बात है कि केन्द्रीय गृह मंत्री स्वयं इसका नेतृत्व करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, उनकी बात रिकार्ड (कार्यवाही वृतांत) में शामिल है। मैं उस बात पर आ रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, ये बातें कार्यवाही वृतांत की हैं।

श्री जसवंत सिंह : यह मामला कार्यवाही वृतांत के संबंध में है। उन्होंने कहा था, "मैं स्वयं इसका नेतृत्व करूंगा।" यह प्रेस द्वारा बतलाया गया और यह घोषणा की गई कि दो प्रतिनिधिमंडल जाएंगे जिसमें एक का नेतृत्व केन्द्रीय गृह मंत्री करेंगे और दूसरे का केन्द्रीय राज्य मंत्री। बाद में यह बदल दिया गया। यह अत्यंत असाधारण कदम था।

अध्यक्ष महोदय : कम-से-कम मेरी याददाश्त के अनुसार ऐसा नहीं कहा गया है।

श्री जसवन्त सिंह : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाए। फिर भी भारत के राज्यों में क्या हो रहा है, यह देखने के लिए सांसदों के शिष्टमंडल भेजने हेतु उठाया गया यह कदम बहुत ही असामान्य था। यह कदम बहुत ही असामान्य था और यह कदम उठा लेने के पश्चात मैं अपने मित्र श्री सोमनाथ जी से यह अनुरोध करता हूं कि यदि वे समाचार पत्र में छपी खबरों के आधार पर इस सभा का इस्तेमाल राज्य के मुख्य मंत्री को अपराधी के कटघरे में खड़े करने के लिए करते हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है उसे बहुत ही आपत्तिजनक बनाते हैं तो वे उसे सिर्फ इसलिए आपत्तिजनक न कहें कि यह बात प्रकाशित हुई है। विधान सभा तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आचरण पर चर्चा करने के लिए संसद प्राधिकृत नहीं है और फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं। यह दूसरा असामान्य कदम है और दूसरी सर्वाधिक असामान्य प्रक्रिया है। तीसरी बात, अब हम यह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद के शिष्टमंडल के इस दौरे, चाहे यह तीसरा हो, पांचवां हो अथवा पहला ही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है और मैं इसकी चर्चा कर भी नहीं रहा हूं कि इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय एकता परिषद को सौंपने की जगह, यह बहुत ही अच्छी बात है और मुझे बहुत ही खुशी है कि जनता दल या जनता पार्टी, मैं नहीं जानता हूं, इसे अब किस नाम से पुकारा जाता है, के नेता ने इस शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। मुझे यह जानकारी मिली थी कि यद्यपि वे इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं थे फिर भी उन्हें अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करने के लिए कहा गया था। मैं इसके लिए तैयार हूं। यदि माननीय सदस्य यह परामर्श देते हैं कि उस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाए तो इसे पेश होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह किसने कहा है कि उस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाना चाहिए ?

श्री जसवन्त सिंह : माननीय सदस्य ने कहा है। यह रिपोर्ट पेश किया जाए और इस प्रकार से तीसरा सर्वाधिक असामान्य कदम भी उठाया जाए। दो पूर्वोदाहरण बना दिए गए हैं। अतः यदि अब इस रिपोर्ट की मांग की जा रही है···(**व्यवधान**)···

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : हमने भाजपा के अध्यक्ष अथवा अन्य किसी दल के अध्यक्ष का उल्लेख नहीं किया है ?

श्री जसवन्त सिंह : मैं नहीं जानता हूं कि वे किस बात पर आपत्ति उठा रहे हैं लेकिन वे जो भी आपत्ति उठा रहे हैं···

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे समीकरण बना रहे हैं···(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री नीतीश कुमार (**बाढ़**) : लेकिन आपने कहा क्योंकि जनता दल है या जनता पार्टी है, ऐसा आप बोले क्यों। जब आप पार्टी का नाम भी नहीं जानते तो फिर बोले क्यों। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी भ्रम हो जाता है। (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार : फिर आप जनता दल या जनता पार्टी किस तरह से बोल रहे हैं।

[**अनुवाद**]

श्री जसवन्त सिंह : मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। (**व्यवधान**) अब एक सर्वाधिक असामान्य तीसरा कदम उठाए जाने की सिफारिश की जा रही है कि राष्ट्रीय एकता परिषद तथा सांसदों की रिपोर्ट संसद में पेश की जानी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं। इस रिपोर्ट को यहां पेश किया जाए और इस प्रकार यह सर्वाधिक असामान्य कदम संसद द्वारा उठाया जाए। फिर इस रिपोर्ट पर चर्चा कर चौथा सर्वाधिक असामान्य कदम उठाया जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं। उस रिपोर्ट को संसद में पेश होने दीजिए, जरूरी नहीं है कि यह दो या तीन दिनों में ही पेश हो। मैं उन सबों से, जो अयोध्या गए थे, यह अनुरोध करता हूं कि वे अपनी रिपोर्ट पेश करें क्योंकि वे पहले से ही ऐसा निश्चय कर चुके हैं। इसलिए आज का दिन समाप्त होने से पहले उन्हें अपनी रिपोर्ट पेश करने दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कल का दिन

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

समाप्त होने से पहले यह चर्चा कर लीजिए। इस मुद्दे को पूरी तरह से निपटा दीजिए। महोदय, इस प्रकार से संसद की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए भी इस मुद्दे पर इतना बोलना आवश्यक नहीं है। (व्यवधान) यह आवश्यक नहीं है। यह क्यों आवश्यक हो ? (व्यवधान) प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस मुद्दे पर बोलना क्यों आवश्यक हो ? (व्यवधान) जी नहीं। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। (व्यवधान) इस प्रतिष्ठित सभा में जो कुछ कहा गया है और जो कुछ मैंने समझा है, वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चर्चा के लिए तैयार है। यह एक मुद्दा है।

(व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : इसमें एक तथ्य है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्यों आवश्यक है ? जब चर्चा होगी आप बोल सकते हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : महोदय, शिष्टमंडल के नेता ने उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ दस्तावेजों की मांग की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें देने का वायदा किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व हमें उन दस्तावेजों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इस मुद्दे पर मतभेद नहीं होना चाहिए कि सभा में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और यथाशीघ्र हमें यह कर लेना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस प्रतिष्ठित सभा के कुछ माननीय सदस्य वहां गए थे। इस सभा में यह बात कही गई थी कि राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा एक शिष्टमंडल भेजा जा रहा है और यदि इस सभा के माननीय सदस्यगण उनके साथ जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः राष्ट्रीय एकता परिषद का शिष्टमंडल सांसदों के साथ अयोध्या गया। उन्होंने वहां की स्थिति का अवलोकन किया। उन्हें निश्चय ही इस संबंध में अपने विचार और दृष्टिकोण बनाने चाहिए और जानकारी एकत्र करनी चाहिए। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि अपने दौरे के संबंध में वे माननीय गृह मंत्री से बात करेंगे। शायद वे अपने दौरे से संबंधित रिपोर्ट भी माननीय गृह मंत्री को देंगे।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : मैं उनसे बात कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां। आप इस मुद्दे पर गृह मंत्री जी से बात कर चुके हैं। (व्यवधान) यह आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूं कि हम इस पर एक चर्चा करेंगे। मैं संबद्ध सभी लोगों से परामर्श कर चर्चा का समय निर्धारित करूंगा। फिर उचित तरीके से हमें चर्चा करनी चाहिए। हमें प्रत्येक दिन इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। एक बार चर्चा कर लेने के पश्चात यह मुद्दा समाप्त हो जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप कर चुके हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी धरना पर हैं। कल लगभग सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि हमारे देश में बैंक कर्मचारी असंतुष्ट हैं। सरकारी बैंकों की उपेक्षा कर निजी और विदेशी बैंकों को हमारे देश में कार्य करने की अनुमति देने की प्रवृत्ति सहित नरसिंहमन समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य अनेक मुद्दों पर वे आपत्ति कर रहे हैं।

आज के धरने के पीछे पांच या दस वर्षों का इतिहास है।

12.25 म० प०

(**श्री शरद दिघे पीठासीन हुए**)

वर्ष 1983 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी समान कार्य समान वेतन की साधारण-सी मांग जिसे कि हमारे संविधान में भी मान्यता दी गई है, को लेकर उच्चतम न्यायालय में गए। वे इस संबंध में गारंटी लेने के लिए उच्चतम न्यायालय में गए थे। उनके पश्चात उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को इस विशेष उपक्रम में वेतन के निर्माण पर विचार करने हेतु एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के गठन का निर्देश दिया। इस न्यायाधिकरण ने 30 अप्रैल, 1990 अर्थात् करीब दो वर्ष पूर्व अपना निर्णय दिया था। इसके द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि उन्हें देश के वाणिज्य बैंकों की भांति समान वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधायें मिलनी चाहिए और यह 1 सितम्बर, 1987 से देय होना चाहिए अर्थात इसे लगभग तीन वर्ष के पूर्व व्याप्ति प्रभाव से लागू किया गया था।

सारी बात यह है कि भारत सरकार ने इस आदेश को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था और 22 फरवरी, 1991 अर्थात् एक वर्ष पूर्व सरकारी आदेश लागू किया था।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अभी तक उन्होंने इसे आदेश के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं को नहीं दिया है। न्यायाधिकरण द्वारा दो वर्ष पूर्व आदेश जारी किए जाने के पश्चात अभी भी इन्हें लागू नहीं किया गया है। स्वाभाविक है कि उपरोक्त आदेश के अनुसार 1 सितम्बर, 1987 से बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

कुछ समय पहले हमने जनता की कार मारुति आदि वातों के बारे में चर्चा की थी। ये बैंक कर्मचारी उस आम स्तर से थोड़ा ही नीचे हैं। विगत पांच वर्षों से उन्हें उनका वेतन नहीं मिल रहा है क्योंकि यह जो एवार्ड है वह 1987 से है और वे धरना दे रहे हैं। आपके माध्यम से मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जोकि किसी समय, जैसा कि मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हू, ऐसे आन्दोलन में अलग नहीं थे, वह यह बतायें कि धरने

के दौरान उठाई गई मांगों के बारे में सरकार का कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने भी सूचना दे रखी है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर एक महिला नक्सली संगठन खड़ा हो गया है और खासकर के मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुत जिला बस्तर में इसकी गतिविधियां तीव्र हो रही हैं। महाराष्ट्र के गढ़-चिरोली नामक स्थान पर इसका केन्द्र स्थापित है जहां से ये सारी गतिविधियों का संचालन करते हैं। यह नक्सली संगठन पीपुल्स वार-ग्रुप के संरक्षण में चल रहा है। इनको प्राथमिक रूप से भाला चलाने, तीर चलाने आदि की शिक्षा तो दी ही जाती है, लेकिन इसके साथ राइफल चलाना, बम बनाना तथा ए० के०-47 राइफल चलाना सिखाया जाता है। यह एक ऐसा मामला है, जिसके कारण चारों राज्यों के सीमावर्ती जिलों में नक्सली गतिविधियां तीव्रता से बढ़ रही हैं और विशेष-कर महिलाओं को विद्रोह करने के लिए खड़ा किया जा रहा है। इसका कार्यक्षेत्र पूरा दण्डकारण्य क्षेत्र है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस मामले में क्या कदम सरकार उठा रही है, क्या कदम उठाए गए है, इस बारे में जानकारी दें और यह जो संगठन खड़ा हो रहा है, जिसके कारण नक्सली गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और उन-उन राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में अशांति पैदा कर रही हैं, उसको तत्काल रोकने का प्रयत्न करें।

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कलकत्ता में भारतीय स्टेट बैंक की विदेश शाखा अपनी स्थापना से ही केन्द्रीयकृत विदेशी मुद्रा व्यापार करती रही है। इस तरह के कार्य संचालित करती रही है, और भारतीय स्टेट बैंक के समूचे विदेशी-मुद्रा कारोबार को बड़ी ही दक्षता के साथ नियंत्रित करती रही है। लेकिन स्टेट बैंक प्रबन्धकों ने विदेश विभाग को कलकत्ता से मुंबई स्थानान्तरित करने और महत्वपूर्ण कार्यों को कलकत्ता से अल्प अन्तरित करने के लिए 1960 के दशक से ही प्रयत्नशील रहे हैं। 1983 में प्रबन्धकों ने रुपया ट्रेवलर चैक सेक्शन को कलकत्ता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया और 1986-87 में उन्होंने विदेशी मुद्रा व्यापार को विकेन्द्रीकृत करने और विदेशी मुद्रा कार्यों संबंधी लेन-देन से निपटने के लिए मुंबई, मद्रास और दिल्ली में भी व्यापार केन्द्र खोल दिए। भारतीय स्टेट बैंक की स्टाफ एसोसिएशन और स्टेट बैंक के अधिकारी वर्ग ने इन कदमों का डटकर विरोध किया, क्योंकि, उनका विचार यह था कि इससे स्टेट बैंक के विदेशी-मुद्रा संबंधी लेन-देनों से होने वाले लाभांश पर प्रभाव पड़ेगा। इनका यह विचार है कि कलकत्ता में स्थित विदेश शाखा अपने निपुण मौलिक ढांचे और केन्द्रीयकृत कार्यसंचालन के साथ निगमित व्यापारियों को सही विदेशी-मुद्रा दरें बताने में दूसरे बैंकों के साथ अच्छी प्रतियोगिता कर सकती है।

इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए और यह साफ-साफ बताया जाए कि कलकत्ता स्थित विदेश शाखा को मुंबई अथवा अन्यत्र किसी स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। यह एक अति आवश्यक मामला है। सैंकड़ों बैंक कर्मचारियों का भाग्य ही इससे नहीं जुड़ा बल्कि स्टेट बैंक विदेश शाखा की दक्षता का प्रश्न भी इससे जुड़ा है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, आप अपनी लिस्ट चलाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जिन सदस्यों ने सूचना दे रखी है, उनके बोलने के पश्चात् ही मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कालकुट्टी स्थान पर प्रीमियर केबल्स नाम की एक फैक्ट्री के अहाते में आग लगने की दुर्घटना घटित हुई थी जहां कि 10 घंटे तक आग लगी रही। केबल फैक्ट्री को बचाने और आग को बुझाने के प्रयासों में एक अग्निशमन कर्मचारी श्री राधाकृष्णन की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य कर्मचारी भी जख्मी हुए थे।

इस फैक्ट्री में आगजनी की यह पहली घटना नहीं थी। 26 जनवरी, 1991 से किन्हीं श्रमिक समस्याओं के कारण फैक्ट्री में तालाबंदी है और इसके बाद फैक्ट्री के अहाते में आग लगने की कम-से-कम 4 घटनाएं हुई हैं। 62 एकड़ भूमि पर स्थित इस फैक्ट्री में उगी 12 फीट तक की घास और वहां पड़े पुरानी इन्सुलेशन तार के ढेर फैक्ट्री में आग के फैलाने के कारण हो सकते हैं। फैक्ट्री अहाते में उगे सभी वृक्षों को आग लग गई। ऐसा कहा गया है कि फैक्ट्री को फायर लाइन की स्वीकृति नहीं दी गई थी।

मेरा सरकार से यह आग्रह है कि इस मामले की जांच कराई जाए और मृतकों के परिवारों, पात्र कर्मचारियों और वहां की आम जनता तक को आवश्यक मुआवजा दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : सभापति महोदय, पूर्व में इस सदन में धारा 14 (11) के तहत जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, हमारे सम्मानित सदस्य उनको दुबारा नौकरी में लेने का सवाल उठाते रहे हैं। एक तरफ उनको दुबारा नौकरी में लेने की बात उठती रही है और दूसरी तरफ आज भी धारा 14 (11) के तहत कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा रहा है।

एन० ई० रेलवे के मुजफ्फरपुर मंडल के पदाधिकारियों ने 20-11-91 को श्री शंकर

प्रसाद प्रधान लिपिक अधीनस्थ रेल पथ निरीक्षक मुजफ्फरपुर एवं 25-11-91 को श्री सी० के० पाण्डेय कार्यपालक इंजीनियर निर्माण मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षक को धारा 14 (11) के तहत बर्खास्त कर दिया गया है। जिस जुर्म के आरोप में उनको बर्खास्त किया गया है वह मामला आज भी न्यायालय में लंबित है। जब मैटर सबजुडिस है तो फिर उसमें उनको कैसे बर्खास्त कर दिया गया। आप जानते है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश है कि कर्मचारियों को बर्खास्त करने से पहले उनको शो कोज नोटिस देना चाहिए। उनको जवाब का पूरा समय देना है। इन सबकी अवहेलना करके वहां के पदाधिकारियों ने इन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। उनके साथ नाजायज हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अविलम्ब इसकी जांच करायी जाए ताकि जो बर्खास्त किए गए कर्मचारी हैं, उनको न्याय मिल सके। धन्यवाद।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, मै आपके जरिए सरकार और सदन का ध्यान संविधान का उल्लंघन जो भारत सरकार कर रही है, उसकी ओर दिलाना चाह रहा हूं। हमारे देश में आठवीं अनुसूची मे 14-15 भाषाएं शामिल हैं। उनके अलावा देश की सभी भाषाओं को संविधान में राष्ट्रीय भाषा की संज्ञा दी गई है। उनमें एक भाषा मैथिली है जिसका समृद्ध साहित्य 12वीं सदी से उपलब्ध है। जो भारत और नेपाल दोनों के बहुत बड़े हिस्से की मातृभाषा भी है। नेपाल दिल्ली से विदेश मालूम पड़ता है। वह हमारे लिए भाषा, भूगोल, इतिहास और संस्कृति के हिसाब से सहोदर भी है और हमारा वहां आना-जाना सब कुछ है। 1941 में विश्व युद्ध के चलते मर्दुम-शुमारी भारत में नही हो सकी थी। 1951 और 1961 सभी जनगणना के समय का मैथिली भाषा-भाषियों का प्रतिवेदन आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने संविधान का उल्लंघन करके मैथिली का प्रकाशन बंद कर दिया। यह बात भी हमें बहुत बाद मे मालूम हुई लेकिन इसे इन्होंने गुप्त आदेश के जरिए शायद बंद कर दिया। मैंने गृह मंत्री को लिखा भी है कि वह इस अनुचित बात को जल्दी हटाएं। मैथिली भाषा प्राचीन भाषा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इसे इस सदी के पहले दशक मे मंजूर किया। जब बिहार, उड़ीसा सभी कलकत्ता विश्वविद्यालय के मातहत थे। अभी सात विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर तक इसकी पढ़ाई होती है। हजारों छात्र स्नातकोत्तर कर चुके हैं और कर रहे हैं। सैकड़ों इसके बाद डाक्ट्रेट भी कर रहे हैं, मगर इधर केन्द्र की ही नकल करके बिहार सरकार ने भी राज्य सेवा आयोग में परीक्षा के एक ऐच्छिक विषय से उसे वंचित करने का निर्णय लिया है। मातृभाषा हम सभी जानते हैं। आम लोगों के ज्ञान अर्जन के लिए, विकास के लिए सबसे पहला सरल माध्यम है। इसलिए, जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि लाखों लोगों के कंठ से गाए जाने वाले महान लोक काव्य लोडीकायन जिसमें लोडी को वीर गाथा है, शैलेश जिसे लोग सलेहस कहते हैं, के लोक काव्य, दीनाभद्री के लोक काव्य, भारत और नेपाल में प्रचलित हैं। इसके अलावा इसके हजारों ग्रंथ भी हैं। ऐसी हालत में नई चीज हम अच्छी तरह नहीं कर पाए लेकिन पुरानी चीज के साथ ऐसा करना अनुचित है। खास करके ऐसे समय मे जब सभी प्रयासों के बावजूद तीन चौथाई लोग अभी भी निरक्षर हैं। जो शिक्षा पाते हैं मातृभाषा उनके लिए सबसे सुलभ, सबसे बेहतर एक माध्यम है। ऐसी हालत में मैं आग्रह करूंगा कि भारत सरकार मैथिली

की जनगणना के परिणाम को शीघ्र प्रकाशित करे और बिहार सरकार अपना निर्णय वापस लेकर यथाशीघ्र उसे कायम करे। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

मेरे मित्र कह रहे हैं···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)*

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : मैं कर्नाटक में घोर विद्युत संकट सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। विद्युत का उत्पादन मांग की अपेक्षा 50 प्रतिशत से भी कम है। बहुत से छोटे तथा बड़े उद्योग बंद होने की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं और इससे अत्यधिक बेरोजगारी पनप रही है। काफी लम्बे सोच-विचार के पश्चात मंगलौर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई थी। इस प्रयोजन के लिए 1500 एकड़ से भी अधिक भूमि पहले से ही अधिग्रहीत कर ली गई थी। यह प्रोजेक्ट रूस की सहायता से स्थापित होना था। अब चूंकि रूस में राजनैतिक परिवर्तन हो रहे हैं, इस बात की कोई गारन्टी नहीं रही कि यह प्रोजेक्ट स्थापित हो सकेगा। आज हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि विद्युत उत्पादन क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से सहायता ली जाएगी। इसलिए सरकार से मेरी विनम्र अपील है कि यह धनराशि इस पर लगाई जाए ताकि यह मंगलौर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शीघ्र अतिशीघ्र स्थापना हो सके। मेरा यह अनुरोध है कि इसकी स्थापना होने तक तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र को विद्युत की आपूर्ति के लिए शीघ्र अतिशीघ्र व्यवस्था की जाए ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके।

श्री थाइल जान अंजलोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान केरल राज्य में गंभीर सूखा की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस राज्य को अभूतपूर्व सूखा और पीने के पानी के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। सूखे ने इस राज्य के सभी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। नकदी फसलें जोकि देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करती हैं, विनाश के कगार पर हैं। ग्रामीण आबादी को बेरोजगारी और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तटवर्ती क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है जिसमें मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में तत्काल कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, अभी बिहार सरकार कोसी नदी पर हाई डैम बनाने के लिए नेपाल से बातचीत चला रही है और भारत सरकार इस पर अभी

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

कोई कार्रवाई करने नहीं जा रही है, जिससे बिहार सरकार को नेपाल सरकार से बातचीत करने में कठिनाई हो रही है।

प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार में बाढ़ से फसल और जान-माल का नुकसान तो होता ही है, भारत सरकार और बिहार सरकार अरबों-खरबों रुपया प्रत्येक वर्ष रिलीफ और अनुदान के मद में खर्च करती है। मैं भारत सरकार से मांग करता हू कि इतने महत्वपूर्ण सवालों को वह शीघ्रता से ले। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने जो सर्वेक्षण कराया है, उसमे नेपाल सरकार के इस हाई डैम बनने से हमारा बिजली का उत्पादन कितना होगा, उस सर्वेक्षण से यह बात सिद्ध हो गई है कि आधे हिन्दुस्तान को वह हाई डैम बनने से हम बिजली मुहैया कर सकते हैं।

मेरी मांग है कि शीघ्रातिशीघ्र हाई डैम कोसी नदी पर बनाने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : असम के हेलाकंठी जिले में रसोई गैस वितरण करने वाली केवल एक ही एजेन्सी है और परिणाम यह है कि वहां पर कुकिंग गैस की बहुत ज्यादा मांग है जबकि यह अकेली एजेन्सी इस भारी मांग को पूरा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ ईंधन-लकड़ी भी वहां पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां पर वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है और पेड़-पौधे और बांस हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, पानेहग्राम द्वारा कच्चे माल के रूप में खरीद लिए जाते हैं।

इसलिए, मेरा सरकार से यह आग्रह है कि हेलाकंडी जिले में शीघ्रातिशीघ्र एक और रसोई गैस वितरण करने वाली एजेन्सी की अनुमति प्रदान की जाए जिससे कि बहुत-से उपभोक्ताओं की मांग पूरी हो सके और गैस सिलेण्डर प्राप्त करने की उनकी उत्सुकता भी शान्त हो सके।

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकरों की बिगड़ती हुई हालत की ओर दिलाना चाहूंगा। सरकार की उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण उनकी सही मांगों को भी पूरा करने में अनावश्यक देरी हुई है। एक सौ से भी अधिक हथकरघा बुनकरों का भुखमरी के कारण हुई मृत्यु की कथित सूचना मिलने पर, कुछ मंत्रियों और अधिकारियों ने 1991 की अंतिम तिमाही के दौरान राज्य का दौरा किया। मेरे विचार से ऐसे दौरों का उद्देश्य हतभाग्य मृतकों के परिवारों के प्रति जुबानी सहानुभूति दर्शाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और यह इस कारण है कि अपने इन दौरों के दौरान इन्होंने लोगों से जो वायदे किए, उनमें से एक भी आज तक पूरा नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, केन्द्रीय कपड़ा मंत्री श्री अशोक गहलोत ने हथकरघा उद्योग के संकटों को दूर करने के लिए सभी संभव सहायता देने का वायदा किया, और वाणिज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम ने आश्वासन दिया कि साउथ इण्डियन मिल्स एसोसिएशन आंध्र प्रदेश को 4000 सूत की गांठें प्रतिमाह सप्लाई करेगी।

लेकिन निराशा इस बात की है कि कुछ भी नहीं किया गया। बुनकरों को एक भी गांठ

प्राप्त नहीं हुई। न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्रीय सरकार ने इस ओर वांछित ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त गंभीर चिंता की बात यह है कि मृतकों के परिवारों को आज तक किसी तरह का कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है।

जहां तक हथकरघा उद्योग के संकटों की बात है। मेरे विचार से ऐसा सूत, रंगाई आदि की कीमतों मे हुई अभूतपूर्व वृद्धि और काम की कमी के कारण ऐसा हुआ है। परिणामत: प्राथमिक सहकारी समितियां, एपको तथा राज्य कपड़ा विकास निगम इन बुनकरों को काम देने में असफल रहे हैं। बड़े-बड़े बुनकरों ने न केवल अपना कारोबार कम किया अपितु सूत्र के दामों में हुई वृद्धि की घाटापूर्ति के लिए मजदूरी की मजूरी भी कम कर दी। वास्तव में, राज्य कपड़ा विकास निगम, जिसने चिराला (जिला गुन्टूर) में नवम्बर, 1988 में अपनी शाखा स्थापित की, घोर वित्तीय संकट की वजह से आज इस स्थिति में नहीं है कि बुनकरों को लगातार काम दे सके। उदाहरणार्थ, इस निगम में पंजीकृत 1200 सदस्यों में से 400 से 500 तक को काम मिल रहा है और वह भी लगातार नहीं मिल रहा।

अंत में एक और बात जो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, वह यह है कि क्षमता और कार्यकुशलता की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का बुनकर किसी से भी पीछे नहीं है, लेकिन उसे, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष, पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है। नि:संदेह इस राज्य में कृषि के बाद, हथकरघा उद्योग ही रोजगार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है।

मैं इस संदर्भ में संबंधित मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या से युद्ध-स्तर पर निपटा जाए जिससे धागा तथा अन्य सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा कर और प्रतिदिन काम दिलाने की व्यवस्था करवा कर लोगों को राहत प्रदान की जाए। यह अनिवार्य है ताकि भविष्य में इस तरह से मृत्यु की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय, इस महत्वपूर्ण मसले पर कही जा रही बातों को सुन रहे हैं। मैं सोचता हूं कि शायद वे इस महत्वपूर्ण बात को नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के करोड़ों गन्ना बोने वाले किसानों की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश मे बहुत बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश में कुल बारह करोड़ आबादी है और उसके जीवन-यापन का सबसे मुख्य साधन गन्ना है। उत्तर प्रदेश में 105 चीनी मिलें हैं। इनमें से अधिकांश चीनी मिलें पुरानी और जर्जर हालत में हैं तथा उसकी रिकवरी जो फैक्ट्रियां 1200 से 800 टन की हैं. डाउन हैं। वे हमेशा से करोड़ों रुपए के घाटे में जा रही हैं। आज स्थिति यह है कि अरबों रुपया गन्ना किसानों का मिल-मालिकों के पास है। इस वक्त जितनी भी वसूलियां हैं, चाहे सरकारी हों या गैर-सरकारी, किसानों से वसूल हो रही हैं। इस वजह से किसानों की कुर्की और वारन्ट हो रहा है। किसानों के पास गन्ने की पुर्जी होने के बावजूद भी गन्ने का

दाम नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को जीवित रखने के लिए दो उपाय हैं। प्रथम उपाय तो यह है कि 800 से 1200 टन की क्षमता की जो चीनी मिलें हैं, उनका विकास कर 2500 टन करने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाएं। दूसरा, गन्ना इतना अधिक है, जब तक वहां और चीनी मिलें नहीं लगाई जाएंगी, तब तक गन्ना क्रश नहीं हो पाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दो मूल्य मिलते हैं, 45 रुपया शुगर फैक्ट्री में मिलता है और 30 रुपया से 35 रुपया क्रशर पर मिलता है। एक और निवेदन यह है कि आज अरबों रुपया किसानों का मिल-मालिकों के पास बकाया है, इसके पूर्व किसानों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने बारह अरब रुपए का कर्जा माफ किया था। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि बैंकों को निर्देश दिया जाए कि गन्ना किसानों की जितनी भी पर्चियां हैं, बैंक उसको गिरवी के रूप में रख ले और उसका पेमेंट करे, जिससे किसान अपना जीवन-यापन कर सकें और जितना भी उसके जिम्मे लगाया है, वह धनराशि भी दे सके। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उपयुक्त सुझाव है और भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, यह उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का गम्भीर प्रश्न है। किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। इस वजह से अगले साल किसान गन्ना नहीं बोएगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : महोदय, दिनांक 31 अक्तूबर, 1990 को बिहार में पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल के मसौढ़ी शहर की स्टेट बैंक आफ इण्डिया के करीब एक करोड़ रुपये जान-जोखिम में डाल कर बचाने वाले नौजवान चालक सरयु प्रसाद को किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं दिया गया। वह नौजवान इसमें बुरी तरह घायल हो गया था लेकिन वह अपने कर्त्तव्य के लिए अपनी जान को तुच्छ समझा। इस बात की प्रशंसा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बैंक के उच्च अधिकारियों ने भी की और कहा कि उस नौजवान ने देश के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। ऐसे नौजवान को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए।

जीप पर अपराधकर्मियों या लुटेरों द्वारा बम से प्रहार किया गया। चालक घायल हो गया, जीप में आग लग गई लेकिन फिर भी वह धैर्यपूर्वक जीप चलाता रहा और सरकारी धन को बचा

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

लिया। जबकि ड्राइवर को इलाज के लिए भी अपने पास से ही पैसा खर्च करना पड़ा। उसे तो नौकरी और उचित मुआवजा देकर पुरस्कृत करना चाहिए था।

मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उस नौजवान चालक को उचित मुआवजा और नौकरी दिया जाए ताकि और लोग भी इससे प्रोत्साहित हों।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1992 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि बेलगाम शहर में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं।

मैं सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1992 में 'हिन्दुस्तान टाईम्स' में 'टॉप अल्ट्रा लिंक्स इन कर्नाटका' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। इस समाचार के अनुसार 'भिंडरवाले टाइगर्स फोर्स ऑफ खालिस्तान' के कुछ प्रमुख उग्रवादी तथा एक स्वयंभू ले० जनरल ने हाल ही में धन एकत्र करने हेतु बंगलौर का दौरा किया था। उस समाचार में यह भी कहा गया है कि पंजाब के इन खूंखार उग्रवादियों ने बीदर का भी दौरा किया है और वहां 1988 में स्थानीय लोगों के साथ हुए झगड़ों में कुछ सिक्ख छात्रों की हत्याओं का बदला लेने के लिए गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलिज के छात्रों को सहायता करने का वचन दिया है।

यह सत्य है कि उग्रवादियों ने कर्नाटक में बड़े पैमाने पर अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं और वहां साम्प्रदायिक दंगे भी ज्यादा होने लगे हैं।

इस प्रतिष्ठित सभा को यह स्मरण कराना उचित होगा कि हाल के महीनों में लिट्टे की गतिविधियों का उल्लेख समाचार पत्रों की सुर्खियों से हुआ था।

कर्नाटक एक बहुत ही शांतिप्रिय राज्य समझा जाता है और यहां के शांतिप्रिय लोगों को इन ताकतों के शिकंजे में नहीं फंसना चाहिए। बेलगाम के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है और अब इन तत्वों के प्रवेश के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

मैं सरकार से और अपने माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि देश की एकता के हित में राज्य सरकारों की मदद से इन तत्वों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैं एक बार फिर यहां पूर्वांचल के सवाल को उठा रहा हूं। अभी आज सुबह खबर मिली है कि आज दोपहर को तीन बजे वहां पर कांग्रेस पार्टी और जिन लोगों को उन्होंने अपने ढंग से, अन्य दलों से अपनी तरफ खींचने का काम किया है उनको लेकर सरकार बनाने जा रही है। महोदय, वहां विधान सभा को ससपेंडिड एनिमेशन में रखने का काम आज से कई सप्ताह के पहले हुआ था, उसके बाद वहां के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने और अनेक राजनीतिक दलों ने यह मांग की थी कि असेम्बली को वहां पर बर्खास्त किया जाए

और नए सिरे से चुनाव किए जाएं। जो प्रस्ताव इधर नागालैंड ने, यहां की सरकार ने अपना बहुमत रखते हुए किया था कि विधान सभा को बर्खास्त करिए और फिर से चुनाव कराइए और जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी आपत्तियां वहां पर उठायीं तो मणिपुर के मामले मे, मणिपुर के तमाम दलों की तरफ से यह मांग आई, युवा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि फिर से वहां पर चुनाव किया जाए और कांग्रेस पार्टी ने अपने सही पुराने रवैये का एक नया प्रदर्शन मणिपुर में करने का फैसला किया है।

हम यह मानते हैं कि जहां जिनके मन में भी कुछ अपेक्षा रही हो कि आज भी यह कोई बदली हुई कांग्रेस, यह कोई अलग किस्म की कांग्रेस है तो इस प्रकार की गलतफहमी अब तो देश में किसी के भी मन में नहीं रहनी चाहिए। यह तो वही जमात है कि जिसने पिछले 40-43 सालों में इस देश में इस प्रकार की हरकतें निर्माण करा करके उधर काश्मीर, पंजाब और असम जैसी परिस्थितियों को निर्मित किया। आज मुझे आपके माध्यम से इस सदन में एक बार फिर इस बात को यहां पर दोहराना पड़ रहा है कि पूर्वांचल में सरकार ऐसी स्थिति का निर्माण करने जा रही है, जिसको हम लोग पश्चिमांचल में बैठे हुए देख रहे हैं और समूचे देश के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने का काम किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक दल की सरकार वहां पर रहे। एक छोटा-सा प्रदेश, जिसकी आबादी मुश्किल से 15-20 लाख है, उस सूबे में अपनी सरकार बनाने के लिए संविधान के और इस देश के राजनीतिक मूल्यों का हनन करके अपने देश की सरकार वहां पर बनाने के लिए इन लोगों का जो आग्रह वहां पर है, उस आग्रह को लेकर जो नई परिस्थिति मणिपुर में बनी है, वह ठीक नहीं है। अभी 3 बजने में समय है और मेरा सरकार से आग्रह है कि पूर्वांचल की अभी भी आपको चिंता है तो इस आग्रह को छोड़ने का काम करें और वहां पर गवर्नर ने भी कहा है कि कोई नई सरकार बनाने का प्रश्न नहीं है, आप असेंबली बर्खास्त करिए और मेरे खयाल से शनिवार को लाल कृष्ण आडवाणी जी भी वहां पर थे, उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर यह मांग की है कि असेंबली बर्खास्त की जाए और नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस को छोड़कर हर दल की सरकार से आपके माध्यम से यह मांग है और इस मांग को सरकार कुबूल करे तथा वहां असेंबली बर्खास्त की जाए ताकि फिर से चुनाव कराने का काम वहां पर हो सके।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, थोड़े ही काल में एक के बाद एक 3 प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर जो उत्तर भारत के पूर्व में हैं, वे इस प्रकार की राजनीति के शिकार हुए हैं जिसको धारा 356 की घिनौनी राजनीति कहा जा सकता है और जिसका उद्देश्य लगता है मात्र सत्ताधारी दल के हित के लिए, स्वार्थ के लिए किया जाता है।

सभापति महोदय, जैसा कि जार्ज साहब ने कहा, मैं पिछले शनिवार को इम्फाल में था। मणिपुर में मैंने देखा कि 2 विषयों के बारे मे लोग आंदोलित हैं एक मणिपुरी भाषा के विषय में और दूसरा जिस प्रकार चाहे जब विधान सभा भंग कर देना और किसी-न-किसी प्रकार से कांग्रेस को सत्ता में लाने की जो प्रवृत्ति नई दिल्ली में प्रकट हुई है, उसके खिलाफ वातावरण था। इस-

लिए मैंने कहा कि लोकतंत्र में जो सबसे अच्छा तरीका उपलब्ध है कि जहां भी इस प्रकार की अनिश्चय की स्थिति पैदा हो, वहां पर आप जनता को फिर से अपना निर्णय देने का अवसर दीजिए और नया जनादेश प्राप्त करिए और जो सही निर्णय एक प्रकार से नागालैण्ड में भी राज्यपाल ने किया, जिसके ऊपर यहां की नई दिल्ली की सरकार ने धारा 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति राज लागू कर दिया और अब वहां पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि जितने शब्दों में इसकी भर्त्सना की जाए, वह कम है। जार्ज साहब ने जो सुझाव दिया है, सरकार को यदि सद्‌बुद्धि आ जाए और इसको स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। मैं इसकी निन्दा और भर्त्सना करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सदन को इसके बारे में निर्णय करना चाहिए कि जब यह प्रस्ताव आएगा तो उसका किस प्रकार से विरोध किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस अर्थ में यह एक खतरनाक कदम है कि देश के संवेदनशील क्षेत्र में हमेशा से यह एक संवेदनशील मुद्दा बना रहा है। सरकार को कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतनी होगी ताकि वे लोग स्वयं को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग न समझें और ठीक यही बात हो रही है। उनकी न्यायोचित मांग मणिपुरी भाषा को मान्यता दिए जाने और संविधान की आठवीं सूची में इसे सम्मिलित करने की है। इस सभा में और इससे बाहर भी इस मांग को सर्व-सम्मत समर्थन प्राप्त है। सरकार तो उनके शिष्टमंडल को बुलाकर उनसे बात करने के लिए उन्हें समय देने के लिए भी तैयार नहीं है। उनकी मांग पर विचार करना तो दूर सरकार उन्हें समय दे पाने में भी असमर्थ है।

अब कांग्रेस द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार, वहां अपनी सरकार स्थापित करने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आया राम तथा गया राम तो होते ही हैं। सत्यनिष्ठ सच्चे लोगों के साथ-साथ ये लोग भी विख्यात होते जा रहे हैं। लेकिन यह बहुत ही गंभीर बात है। मैं यह बात मजाक में नहीं कह रहा हूं।

1.00 म॰ प॰

दल-बदल करना इस देश में एक पेशा बनता जा रहा है। दल-बदल विरोधी भावना की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। भ्रष्ट राजनीतिक उद्देश्यों और व्यवहार को बढ़ावा देकर सरकारों की स्थापना की जा रही है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। निश्चय ही यह आशा करना बहुत ही कठिन है कि कांग्रेस सरकार इससे कोई सबक लेगी। और इस सभा में भी दलों में फूट पैदा करने के अपने नये प्रयासों से अब वे और अधिक उत्साहित महसूस करते हैं। मैं नहीं जानता कि तिरूपति सम्मेलन में मिले "अलौकिक आशीर्वादों" के क्या नतीजे सामने आएंगे। इसलिए हम इसका प्रबल विरोध करते हैं और इसकी निन्दा करते हैं।

महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यदि संवैधानिक औचित्य में उनका जरा भी विश्वास है तो वहां उन्हें सभा विघटित करके शीघ्र चुनावों की घोषणा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं। मैं मानता हूं कि इनके दिल में इस देश के संविधान के प्रति कुछ आदर है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं संक्षेप में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा।

जो कुछ वे कह रहे हैं सरकार ने उसे नोट कर लिया है। लेकिन साथ ही मैं समझता हूं कि उन्हें भी इतिहास के पृष्ठों को थोड़ा उलट कर देखना चाहिए कि जब ये लोग सत्ता में थे तो उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं को किस प्रकार निपटाया था। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : क्या यही मंत्री महोदय का उत्तर है? (व्यवधान) मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं ले रहा हूं। क्या यही सरकार की प्रतिक्रिया है? पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। जो वास्तविक स्थिति है, उसमें कम ही श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बयान किया है। हर जगह आप ऐसी नीति अपना रहे हैं जिससे देश विभाजन की ओर अग्रसर होता जा रहा है। आपने पंजाब में ऐसा किया है। सम्पूर्ण राष्ट्र उसका परिणाम भुगत रहा है। आपने नागालैंड में ऐसा कुछ किया है। मैं नहीं जानता कि क्या होने जा रहा है। आप मणिपुर में भी वही कुछ कर रहे हैं। आपने मेघालय में भी ऐसा ही कुछ किया है। आप झारखंड प्रदेश में भी वही बातें कर रहे हैं। आपकी ढुलमुल नीति या आपकी चालबाजियों के कारण हर जगह स्थिति इस राष्ट्र के मूल हितों के विरुद्ध होती जा रही है।

मेरे प्रिय मित्र श्री...(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धाकड़ : कुमारमंगलम।

श्री चन्द्र शेखर : श्री कुमारमंगलम एक महान व्यक्ति थे। मैं उन कुमारमंगलम की तुलना वर्तमान कुमारमंगलम के साथ नहीं कर रहा हूं। यह श्री रंगराजन कुमारमंगलम हैं। मैं आशा करता हूं कि उन कुमारमंगलम की कुछ बातें इनमें भी होंगी और यह गम्भीरतापूर्वक कुछ सोचेंगे क्योंकि यह मजाक की बात नहीं है। यह मामला अत्यधिक गंभीर है। श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी वहां उपस्थित थे। श्री जार्ज फर्नान्डीज वहां थे। हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हमारे आधे सैन्यबल और सैनिक संगठन आज इस देश में शांति बहाल करने में लगे हुए हैं। क्या आप नागरिक कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने के लिए अधिक लोग तैनात करने जा रहे हैं? महोदय, मैं नहीं जानता हूं। अब वे कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन मामला अत्यधिक गंभीर है और मैं आशा करता हूं कि इन सभी बातों पर और भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, क्योंकि मणिपुर की बात आई है, मैंने जिक्र किया, दो मामले हैं जो वहां पर बहुत परेशान कर रहे हैं। उनमें से एक मामला, मुझे लगता है कि आप लोग संवरण कर लो कि हमारी सरकार न बने और चुनाव हो जाएं, बड़ा कठिन है। दूसरे की सम्भावना, मुझे लगता है सरल है, लेकिन वह भी वहां की स्थिति को सुधारने में सहायक होगा। मणिपुर भाषा के बारे में वहां पर भावना तीव्र है, उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आने वाले शुक्रवार को एक गैर-सरकारी विधेयक है, सरकार उससे पहले अपना मन बना ले। यहां पर आकर उसी दिन घोषणा कर दें, उसका एक अच्छा परिणाम होगा, अच्छा सिग्नल जाएगा। मैं निवेदन करूंगा उस दिन ऐसा न हो कि आप कहें कि हम तैयार नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, प्रारंभ में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आज मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह कहना न्यायोचित नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता मे आई तो चालबाजियों द्वारा आई, और जब विपक्ष का गठबंधन सत्ता में आया तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा आया। प्रथम तो आप संतुलन के दो तरीके नहीं अपना सकते है। दूसरे, यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति नाजुक है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां मैं कहूंगा कि इस बारे में किसी को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। वहां विद्रोह की स्थिति है। हम बहुत ही चिन्तित है। नागालैंड की स्थिति के बारे में हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि विद्रोह की स्थिति कुछ ऐसी है जिस पर मैं समझता हूं, हम सबों को दलगत भावना से उठकर एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हम सबों को यह इतना गंभीर है कि एकजुट होकर इसका निदान ढूंढना चाहिए।

मणिपुरी भाषा के मुद्दे के सम्बन्ध में, यह मुद्दा उठाए जाने की मैं सराहना करता हूं। कुछ ही क्षण पूर्व श्री सैफुद्दीन चौधरी इस ओर मेरे पास आए थे और कहा था कि प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिए एक शिष्टमंडल प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तत्काल इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि इसे हम यथासंभव जल्दी करेंगे। मैं मणिपुरी लोगों की भावनाओं को समझता हूं। इस सभा में पहले भी इस मुद्दे पर सर्वसम्मति हो चुकी है। हम देखेंगे कि इस समस्या को कैसे अधिक अच्छे तरीके से हल किया जाए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब हम सभा-पटल पर पत्र रखने संबंधी कार्य करेंगे।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें; भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा इत्यादि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री मार्गरेट अल्वा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1764/92]

(2) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुई विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० ए० 1765/92]

(4) (एक) साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षण लेखे।

(दो) साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1090-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1766/92]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1767/92]

[हिन्दी]

पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 1991 और पंजाब कृषि उपज मंडी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) पंजाब कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 2), जो 14 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1768/92]

(2) पंजाब कृषि उपज मण्डी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 7), जो 15 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 1769/92]

———

1.07 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी० पी० कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.08 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 7 अप्रैल, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 7 अप्रैल, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.09 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) नामाक्कल-रासीपुरम होते हुए सलेम तथा मदुरई-मनियाची के बीच बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य एक साथ आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री आर० अन्बरासु आदित्यन (तिरुचेन्दूर) : महोदय, मद्रास तथा डिंडीगुल के बीच मीटरगेज रेल लाइन, बरास्ता विल्लुपुरम—तिरुचरापल्ली, जोकि 600 किलो मीटर से भी अधिक

लम्बी है, और जिसकी बड़ी लाइन में बदलने की स्वीकृति मिल चुकी है, के निर्माण कार्य को पूरा करने में 7 से 10 वर्ष लगने की संभावना है। करूर-डिंडीगुल-टूटीकोरिन के बीच बड़ी लाइन के निर्माण के प्रथम दो चरण पूरे हो गए हैं तथा मदुरई और मनियाची के बीच तीसरे और अंतिम चरण का निर्माण कार्य अभी आरंभ किया जाना है। करूर और सलेम के बीच, बारास्ता नामाक्कल तथा रासीपुरम बड़ी लाइन बनाने का भी प्रस्ताव है।

यदि प्रस्तावित करूर-सलेम बरास्ता नामाक्कल-रासीपुरम बड़ी लाइन का निर्माण कार्य भी मदुरई-मनियाची के बीच बड़ी लाइन के अंतिम चरण के निर्माण के साथ ही शुरू कर दिया जाए तो मद्रास और डिंडीगुल के बीच बड़ी लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर तमिलनाडु, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, नेलाई, कोट्टाम्बोमान तथा रामोद जिलों की जनता बड़ी लाइन से सीधे ही मद्रास पहुंच सकेगी। इससे काफी हद तक लोगों की इच्छा पूरी हो सकेगी।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह करूर और सलेम के बीच बारास्ता नामाक्कल-रासीपुरम और मदुरई-मनियाची के बीच बड़ी लाइन का निर्माण कार्य एक साथ आरंभ किया जाए।

(दो) केले के निर्यात के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय एन० पाटिल (इरनदोल) : महोदय, आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण देश में केले की उपज में वृद्धि हो रही है। इसलिए केले के निर्यात के लिए कदम उठाना अति आवश्यक है। केले के निर्यात के लिए एक दीर्घकालीन नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बागवानी फसलें उगाने के लिए हर वर्ष एक सौ करोड़ रुपये का अनुदान देना शुरू कर दिया है, इसलिए अंगूर, आम आदि बागवानी फसलें भी निर्यात के लिए काफी मात्रा में उपलब्ध होंगी। इसके लिए दीर्घकालीन फल निर्यात योजना बनानी चाहिए। इससे किसानों को अपनी उपज से सही आमदनी होगी और सरकार को भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। मैं कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपेडा (ए०पी०ई०डी०ए०) को पर्याप्त राशि उपलब्ध करायें और एयर इंडिया का मालभाड़ा कम करके अन्य विमान सेवाओं के मालभाड़े के बराबर कराने के लिए अपने पद के प्रभाव का प्रयोग करें। केले तथा दूसरे फलों का पैकिंग और प्रेषण से पूर्व ठंडा रखने के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इसके लिए केन्द्र सरकार को आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

(तीन) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 पर सुन्की के निकट पहाड़ी ढलानों पर "यू" मोड़ को मरम्मत करने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 43 उड़ीसा में कारापुट जिले से होकर रामपुर तथा विशाखापत्तनम तक जाता है। कोरापुर में यह राजमार्ग पूर्वी घाट के पहाड़ों से होकर गुजरता है। सुंकी के निकट की पहाड़ियों पर एक खतरनाक "यू" मोड़ है, जहां सड़क बहुत ही संकरी हो जाती है और मोड़ इतना तीव्र है कि चालकों को मोड़ काटते समय गाड़ी का

स्टेयरिंग एडजस्ट करने में काफी कठिनाई होती है। तीन वर्ष पहले इस मोड़ को काफी चौड़ा कर दिया गया था लेकिन यह निर्माण कार्य इतना घटिया था कि वर्षा के मौसम के दौरान पूरी सड़क बह गई है। चूंकि यह सड़क एकमात्र ऐसी सड़क है जिससे इस जिले के लोग गाड़ी पकड़ने तथा माल बुक कराने के लिए विजयनगरम् रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं; इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस "यू" मोड़ की शीघ्र मरम्मत कराई जाए ताकि भविष्य में दुर्घटना होने का कोई खतरा न रहे।

(चार) कालीकट दूरदर्शन केन्द्र में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय, कालीकट दूरदर्शन केन्द्र में इस समय कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर है। सरकार ने इसे उच्च शक्ति वाले स्टेशन में बदलने के लिए कदम उठाये हैं। तदनुसार उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर तथा अन्य उपकरण मंगाये गए जो इस समय आकाशवाणी के कालीकट केन्द्र के अहाते में पड़े हैं। केरल सरकार ने इस केन्द्र के भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस भूमि का उपर्युक्त कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। जब तक यह उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर काम करना शुरू नहीं कर देता, तब तक केरल राज्य का सारा उत्तरी भाग दूरदर्शन के कार्यक्रमों को साफ-साफ नहीं देख सकता। अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि भवन निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए तथा वहां आवश्यक उपकरण लगाए जाएं जिससे मालाबार की जनता, विशेषकर वायनाड जिला की जनता, जहां अधिकतर आबादी आदिवासी तथा हरिजनों की है, लाभान्वित हो सके।

(पांच) लद्दाख तथा जम्मू क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : जम्मू काश्मीर में जोनल कौंसिल (क्षेत्रीय परिषदें) बनाने और काश्मीर घाटी से आये विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर आजकल जम्मू में जनता आंदोलन कर रही है। जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि गत 40 वर्षों से भारत सरकार ने लगभग 75 करोड़ रुपये राज्य के लिए दिया, परन्तु इसका अधिकांश भाग काश्मीर घाटी में ही व्यय हो गया तथा जम्मू एवं लद्दाख के विकास के लिए अल्प धनराशि ही खर्च की गई।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लद्दाख क्षेत्र, जम्मू क्षेत्र और काश्मीर घाटी के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाये ताकि इनका समन्वित विकास हो सके।

(छः) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए अधिक समुद्री जहाजों की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत) : अंडमान और निकोबार ऐसे प्रदेश हैं जिसकी ओर सरकार का ध्यान जितना होना चाहिए उतना नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के इस ऐतिहासिक प्रदेश की सैलूयर जेल राष्ट्रीय स्मारक बन जाने के बाद से लाखों लोगों को वहीं आना-जाना होता है। इतना ही नहीं, इस प्रदेश के विकास में पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु के हजारों लोगों का भी भारी

योगदान रहा है। इन दोनों प्रदेशों के हजारों लोग वहां पर बसे हैं। इन लोगों के लिए और स्थानीय आबादी को आने-जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यातायात की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। कलकत्ता और मद्रास से अंडमान पोर्ट (ब्लेयर) आने-जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जहाज उपलब्ध नहीं हैं इसलिए हजारों लोगों को दो तीन महीने तक जहाज की राह देखनी पड़ती है। कभी-कभी तो 150 रुपये किराये के बदले 1000 रुपया या 1500 रुपया तक देना पड़ता है। सरकार की ओर से हर्षवर्धन नाम का जहाज पर्याप्त नहीं है जो जहाज वहां रखे जाते हैं उनको कभी हज के लिए या कभी श्रीलंका तमिलों को भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे अंडमान के हजारों लोगों को आने-जाने में बड़ी असुविधा भुगतनी पड़ती है। इन कठिनाइयों से चीजों के दामों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। भाव बढ़ जाते हैं और आने-जाने में तीन से पांच महीने लग जाते हैं।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अंडमान में बसे हजारों लोगों के यातायात के लिए पर्याप्त मात्रा में जहाज उपलब्ध करायें। इन जहाजों का सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए उपयोग हो और किसी हेतु मे दूसरा उपयोग न हो।

[अनुवाद]

(सात) औरंगाबाद से मुम्बई के लिए एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : औरंगाबाद से मनमाड तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पूरा कर लिया गया है, तथा औरंगाबाद और बंबई के बीच एक नई रेलगाड़ी भी चल रही है लेकिन कथित रेलगाड़ी को बंबई और औरंगाबाद के बीच की दूरी तय करने में लगभग 12 घण्टे का समय लगता है। उक्त रेलगाड़ी को दिया गया समय लोगों के लिए बहुत असुविधाजनक है। औरंगाबाद और बंबई के बीच एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए। दोनों स्थानों अर्थात बंबई और औरंगाबाद से इसके छूटने का समय 11.00 म०प० होना चाहिए तथा इसका इन स्थानों पर पहुंचने का समय सायं 6 बजे होना चाहिए। देवगिरि एक्सप्रेस के नाम से इस सुपर फास्ट ट्रेन चलाने से इस परिवर्तन का उद्देश्य पूरा होगा। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह गाड़ी तत्काल चलायी जाए।

(आठ) सूती धागे पर उत्पाद शुल्क में कमी करके बजट-पूर्व स्तर तक लाये जाने की आवश्यकता

डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दरम (तिरुचेंगोड) : देश में ऐसी अनेक कताई मिलें हैं जो छोटे हथकरघा तथा विद्युत करघा बुनकरों को कोर्स तथा मीडियम काउंट का सूत सप्लाई करती हैं। रुई तथा अन्य आदानों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण मिलों को काफी हानि उठानी पड़ी है तथा उनमें से कुछ तो बंद भी हो गई हैं। ऐसे समय में जब ये मिलें कुछ राहत की आशा कर रही थीं, सूती धागे तथा विस्कोज स्टेपल फाइबर पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की घोषणा कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप कई मिलें बंद हो गईं जिससे हथकरघा बुनकरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यदि उत्पाद शुल्क में की गई वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो मिलों के पास इस वृद्धि को

उपभोक्ताओं अर्थात उन आम लोगों पर डालने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाएगा जो 40 या उससे कम कांट्स के सूती धागे से निर्मित वस्त्र खरीदते हैं।

अतः इन मिलों को बंद होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों कामगारों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि सूती धागे पर बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क को बजट पूर्व स्तर पर लाया जाए।

सभापति महोदय : अब सभा 2.20 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजनावकाश के लिए स्थगित होती है।

1.18 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.27 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.27 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

ग्रामीण विकास मंत्रालय

खाद्य मंत्रालय

कृषि मंत्रालय

नागरिक पूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय—जारी

सभापति महोदय : मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि आज हर व्यक्ति अच्छे मूड में है।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, आप हमेशा खुश रहते हैं।

सभापति महोदय : अब श्री आर० जीवरत्नम बोलेंगे।

***श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनिम)** : सभापति महोदय, चूंकि मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं इसलिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मुझे कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की गई वह घोषणा याद है कि वह भारत के एक प्रभुत्वसंपन्न राज्य बन जाने के बाद भूमि कर को समाप्त कर देगी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के 45 वर्ष बाद तक भी कुछ नहीं किया गया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कम-से-कम उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए भूमि कर समाप्त कर दे जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। जो किसान सिंचाई के लिए तीन हार्स पावर या उससे कम शक्ति की मोटर प्रयोग करते हैं उन्हें बिजली की दरों में रियायत दी जाए। बड़े किसानों की भांति उनसे भी 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत प्रभार वसूल नहीं किया जाना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि राज्यों के बिजली मंत्रियों की हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत प्रभार लिया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि सभी किसानों के लिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को इस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए और जिन किसानों के पास पांच एकड़ से कम भूमि है और जो तीन होर्स पावर की मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे कम विद्युत प्रभार लिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह छोटे और सीमांत किसानों को धान, ज्वार-बाजरा, मक्का इत्यादि जैसे सभी तरह के बीज देश में ब्लाक विकास अधिकारियों के कार्यालयों के जरिए निःशुल्क उपलब्ध कराए। इससे उन्हें बड़ी सहायता मिलेगी। अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। पालीपथु अपार कृषि संभावनाओं वाला एक पिछड़ा क्षेत्र है। हरित क्रांति में इसकी भूमिका होने के बावजूद भी यह क्षेत्र विकसित नहीं हुआ है। अतः मैं सरकार से उस क्षेत्र में एक कृषि विद्यालय स्थापित करने का अनुरोध करता हूं। आर्कोनम निर्वाचन क्षेत्र में चेय्यार गन्ना उत्पादन के लिए मशहूर है। अतः मैं केन्द्र सरकार से चेय्यार में एक चीनी मिल स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, सरकार उर्वरकों पर राजसहायता देती है। लेकिन यह सहायता या तो उर्वरक उत्पादकों या वितरकों के माध्यम से दी जाती है। किसानों को सरकार द्वारा दी गई इस राज-सहायता की जानकारी नहीं है। अतः सरकार को एक ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जिसके तहत किसानों को उर्वरक विक्रय केन्द्र पर राजसहायता दी जा सके।

उत्तरी आरकोट जिले में नाबार्ड की कोई शाखा नहीं है, पानी के साधनों की कमी के बावजूद भी यह जिला कृषि के क्षेत्र में रिकार्ड स्थापित कर रहा है। अतः उत्तरी आरकोट जिले में कृषि संबंधी गतिविधियां बढ़ाने के लिए सरकार को वहां नाबार्ड की एक शाखा खोलनी चाहिए। महोदय, एक क्षेत्र में नारियल के बहुत-से पेड़ उगाए गए हैं लेकिन इन पेड़ों को अनेक कीड़े-मकोड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे नारियल के पेड़ उगाने वालों में निराशा है और उन्हें नुकसान हो रहा है। यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसानों को कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए कृषि निदर्शकों की नियुक्ति की जाए तो इस नुकसान को रोका जा सकता है और पेड़ों को बचाया जा सकता है। नारियल की अच्छी किस्में उगाने के लिए उनका मार्गदर्शन भी किया जा सकता है ताकि अधिक-से-अधिक नारियल के पेड़ उगाए जा सकें। निदर्शकों को नारियल उगाने वालों को मार्गदर्शन देने के लिए उनके क्षेत्रों का दौरा करने के लिए वाहन भी उपलब्ध किए जाने चाहिए। यह किसानों के लिए वरदान होगा और इससे कुल मिलाकर देश का कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

जहां तक धान का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का संबंध है, मेरे पास एक प्रासंगिक तर्क है। कृषि मोर्चे पर तमिलनाडु को उत्तर और दक्षिण दो खण्डों में बांटा जा सकता है। तमिलनाडु

के दक्षिण भाग में कावेरी का डेल्टा है जिसमें कावेरी, वैगई और थामीराबरानी जैसी बारहमासी नदियां बहती हैं। इस क्षेत्र में जल संसाधन पर्याप्त हैं। लेकिन उत्तरी क्षेत्र में इस प्रकार के जल संसाधन नहीं हैं। इस क्षेत्र के किसानों को केवल नलकूपों पर निर्भर रहना पड़ता है। नलकूपों में पानी का स्तर नीचे चले जाने, मोटरों और इन्जनों के लिए बिजली और डीजल पर उन्हें अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। इसलिए उन्हें दक्षिण क्षेत्र के किसानों की अपेक्षा अधिक व्यय करना पड़ता है। ऐसे में धान का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय उत्तर क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्तरी तमिलनाडु में धान का समर्थन मूल्य अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा-सा अधिक निर्धारित किया जाना चाहिए। अतः मैं केन्द्र सरकार से इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाने का अनुरोध करता हूं।

तमिलनाडु में किसान बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनके पास फसल होने के बाद धान सुखाने की जगह नहीं है और न ही उनके पास इसका भण्डारण करने के लिए गोदाम ही हैं। इसलिए फसल के बाद जब वे सरकारी समितियों या निजी पार्टियों के पास धान बेचने के लिए ले जाते हैं तो उस समय धान में कथित नमी होने के लिए धान की मात्रा का लगभग 10 प्रतिशत धान बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। इस प्रकार किसानों को असुविधा और हानि होती है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसके बारे में सरकार को गरीब किसानों के कष्ट को कम करने के लिए कुछ करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, तमिलनाडु के कुछ भागों में, आवश्यक वस्तुएं ऊंचे दामों पर बेची जाती हैं। खाद्यान्नों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जनता को काफी कष्ट हो रहा है। इसलिए, मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु को केन्द्रीय पूल में से, हर महीने, एक लाख टन चावल भेजने की कृपा करें। ऐसी उदारता से ही कीमतों में गिरावट आ सकेगी। मैं इस बात पर इसलिए जोर देना चाहूंगा, क्योंकि, खुले बाजार में एक किलो चावल की कीमत 6-7 रुपये होती है, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लगभग तीन रुपये प्रति किलो चावल मिलता है। अत: केन्द्र को राज्य की आवश्यकता के अनुसार चावल आबंटित करना चाहिए। जैसे-जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता जाएगा, तमिलनाडु में पानी की कमी की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। अत: केन्द्र को चाहिए कि वह राज्य को पर्याप्त निधि दे, ताकि राज्य सरकार, जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए नलकूप आदि लगा सके। अन्यथा, आगामी महीनों में जनता को पीने के पानी का सामना करना पड़ेगा। 'इलाज से परहेज बेहतर है', इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र से दूरदृष्टि अपनाएं और राज्य की आवश्यकताएं पूरी करें।

तमिलनाडु में, शुद्ध जल में मत्स्य पालन काफी होता है। हाल ही के भारी वर्षा के कारण, तमिलनाडु के कुछ भागों के सरोवर और झील अब मछलियों से भरे पड़े हैं। लेकिन इन मछलियों के विक्रय से होने वाला लाभ हमेशा बहुत कम होता है। क्योंकि सरकार, सहकारी संस्थाओं को ये सरोवर और झील बहुत कम कीमतों पर दे देती है। संस्थाओं में निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति कम दरों पर ठेके पा लेते हैं और कम समय में खूब पैसा कमा लेते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे सरोवर, जिनमें एक से दो लाख रुपयों की कीमत की मछलियां होती हैं, उन्हें इन

तथाकथित संस्थाओं को मात्र बीस हजार रुपयों में दिया गया है। सरकार को चाहिए कि मछलियों से समृद्ध इन सरोवरों और झीलों की नीलामी करे तथा इस तरह के विक्रय को बन्द करे। नीलामी करके जो धन इकट्ठा किया जाये, इसका उपयोग क्षेत्र के विकास के लिए किया जा सकता है।

हमारे क्षेत्र में बड़े-बड़े पोल्टरी-फार्म हैं और हर पोल्टरी फार्म में 20 से 50 हजार मुर्गियां होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे छोटे पोल्टरी फार्म भी हैं, जिनमें कुछ ही हजार मुर्गियां ही हैं। बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाकर, इस तरह के लघु मुर्गीपालन को, सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे बेरोजगारी की समया कुछ हद तक दूर होगी। इससे छोटे किसानों को अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। अतः माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में ध्यान दें और आवश्यक सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

श्रीमान जी, इन दिनों तमिलनाडु में दूध सहकारी संस्थायें, कुछ विशेष सुविधा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही हैं। इन संस्थाओं में चुनाव नहीं हुए हैं। कुछ संस्थायें, अपने मतलब को पूरा करने के लिए, चुनाव के आयोजन में अड़चनें उत्पन्न कर रही हैं। ये कोई स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। कांग्रेस और ए डी एम के बीच गठबन्धन होने के कारण, मैं, इस संस्थाओं के विषय में कुछ बातें नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वह, जहां तक हो सके, यहां पर चुनाव आयोजित करवाने की कोशिश करें। मुझे विश्वास है कि वह एक अच्छे कार्य के लिए अपने पद का उपयोग करेंगे।

मैं ग्रामीण विकास के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे पास जवाहर रोजगार योजना है। इस योजना के लिए 80% सहायता केन्द्र द्वारा दी जाती है और 20% राज्यों द्वारा। हमने इस योजना को संसद में पारित करवाया। लेकिन, संसद सदस्यों को, योजना के कार्यान्वयन में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हम संसद-सदस्यों को यह नहीं पता कि किस तरह धन खर्च किया गया, और उसका क्या परिणाम निकला? हमें कुछ नहीं भी मालूम। हम यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जवाहर रोजगार योजना का क्या हो रहा है। जब कोई आम व्यक्ति हमसे योजना के संबंध में प्रश्न करता है तो हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। तब वह कहता है कि आप इस विषय को केन्द्र के ध्यान में क्यों नहीं लाते? आप इस पर जोर क्यों नहीं देते? इस तरह से जनता हमसे प्रश्न करती है। ये बहुत ही दुखपूर्ण एवं निराशाजनक बात है कि हमसे इस बात पर परामर्श नहीं किया गया कि इस योजना का कार्यान्वयन, अच्छे-से-अच्छे ढंग से, कैसे किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। जिला समाहर्ता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसके सदस्य, स्थानीय संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य हों। और इस समिति को, योजना को कार्यान्वयन का काम देखना चाहिए। अन्यथा, हम जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। जब एम०जी०आर० की सरकार थी तब सभी संसद सदस्यों से परामर्श किया जाता था। लेकिन जब करुणानिधि जी सत्ता में आए तो उन्होंने सभी नियमों व परम्पराओं को ताक पर रख दिया और अब भी उसी तरीके को अपनाया जा रहा है। अतः मैं ग्रामीण विकास मंत्री से अपील करता हूं कि वे इस विषय को गंभीरता से लें और स्थिति को सुधारें जिससे कि जनता के धन का सही उपयोग हो सके। आई०आर०डी०पी० और एन०आर०ई० के विषय में भी संसद

सदस्यों की उपेक्षा की गई है। ऐसी स्थिति में, जबकि हम जनता के प्रति वाध्य और उत्तरदायी हैं, हमें ये सोचकर बहुत दुःख होता है कि हमसे परामर्श नहीं किया जाता। यह स्थिति शीघ्र ही बदलनी चाहिए।

कृषि आयकर के विषय में दो शब्द कहना चाहूंगा। पहले तो, सरकार कृषि आयकर लगाना चाहती थी। लेकिन किसी तरह उनमें विवेक उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। सरकार को कृषि आय कर लगाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सरकारी राजस्व को बढ़ाने के और कई तरीके हैं। उद्योगों से हमें करीब एक लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। इसलिए सरकार को कर लगाने के इस तरीके का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे निर्णयों से केवल विपक्ष को लाभ मिलता है।

महोदय, हमारे पास एक अधिनियम है जिसे बटाईदार अधिनियम कहते हैं। इस कानून के कारण बहुत-सी उपजाऊ भूमि बेकार पड़ी है। इस कानून के तहत एक बटाईदार जिस भूमि पर फसल उपजाता है, कुछ वर्षों बाद वह उक्त जमीन का मालिक होने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भूस्वामी अपनी जमीन को किसी बटाईदार को देने और उसे खो देने के बजाय उसे यूं ही बेकार पड़े रहने देना बेहतर समझता है। यही स्थिति पट्टेदारी अधिनियम की भी है। स्वर्गीय श्री कामराज ने, जब वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, इन अधिनियमों में कुछ सुधार किया था। लेकिन बाद में बनी सरकारों ने कानून में ऐसी तब्दीलियां कीं जिससे कृषि को अपूर्णीय क्षति हुई। अतः सरकार को इन दो अधिनियमों की पुनरीक्षा करनी चाहिए ताकि बहुत सारी बेकार पड़ी भूमि पर कृषि कार्य हो सके।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं तेलुगु-गंगा परियोजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कृष्णा नदी जल्द ही तमिलनाडु में पहुंचने वाली है। उत्तर अर्काट जिले में पलार नामक नदी है। वह नाममात्र की नदी है। इसलिए मेरा एक सुझाव है। यदि कृष्णा नदी का बहाव तमिलनाडु में होता है तो इस मार्ग में परिवर्तन करके इसे वन्निवाड़ी होते हुए उत्तर अर्काट तक पहुंचा दिया जाए, इससे उन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा जहां पानी की कमी है। उत्तर अर्काट होते हुए इसे चेंगलपट्टू तक पहुंचाया जा सकता है और इससे उसके आसपास के 100 मील के क्षेत्र में लोगों को पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। इससे कम-से-कम तीन जिलों को लाभ मिलेगा। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस सुझाव को स्वीकार करे कि कृष्णा नदी के मार्ग में परिवर्तन करके उसे उत्तर अर्काट जिले की ओर लाया जाए। मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्ष पीठ का आभारी हूं।

सभापति महोदय : मैं उन माननीय सदस्यों को, जो समाचार पत्र पढ़ना चाहते हैं, यह सुझाव देता हूं कि वे कृपा करके दीर्घा में चले जाएं क्योंकि समाचार पत्र पढ़ने का वही बेहतर स्थान है।

अब श्री देवगौड़ा बोलें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हासन) : सर्वप्रथम तो मैं, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए, अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।···

सभापति महोदय : कृपया माइक का उपयोग करें, ताकि रिपोर्टरों को भी सुनाई पड़ सके।

श्री एच० डी० देवगोड़ा : आपने हमें ग्रामीण विकास, कृषि और पशुपालन जोकि 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनता से जुड़ी है, उस बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

जैसा कि आप जानते ही हैं पिछली बार ग्रामीण विकास विभाग की अनुदानों की मांगों का गिलोटीन किया गया था। कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हमें अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला था। इस बार अध्यक्ष महोदय ने हमें ग्रामीण विकास पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। यह विभाग स्वतंत्रता के समय से ही उपेक्षित है।

ग्रामीण विकास पर कुछ कहने से पूर्व मैं कृषि के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां के लोगों का कृषि कार्य मुख्य पेशा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि उत्पादन तक ही सीमित है जिस पर 70 प्रतिशत से अधिक जनता निर्भर करती है। हमारे कुछ मित्रों का यह मानना है कि जो भी धन कृषि में लगाते हैं, वह बड़े किसानों या कुलक लोगों को मिल जाता है। उसका नाम वह जो भी दें उसकी चिंता मुझे नहीं है। लेकिन उन्हें सच्चाई भी जानना चाहिए। 30 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनता भूमिहीन श्रमिकों है। पंजाब जैसे सिंचित क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों की दिहाड़ी 30 रुपये तक होती है जबकि देश के किसी भी भाग में, किसी असिंचित क्षेत्र में उसकी मजदूरी 10 या 12 रुपये से अधिक नहीं है। यही नियति है, असंगठित ग्रामीण श्रमिकों की। ये उदाहरण मैंने कुछ उन सदस्यों के लिये प्रस्तुत किए हैं जो हमेशा यही रटते रहते हैं कि योजना आबंटन का पूरा लाभ बड़े किसान ले लेते हैं। यह सच्चाई नहीं है।

इस समय मैं एक और पहलू भी सामने रखना चाहता हूं। इस सभा ने उर्वरकों के मूल्य ढांचे का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। स्वतंत्रता के बाद यह पहला मौका है कि कृषि आदान के तौर पर किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली किसी वस्तु के मूल्य-ढांचे पर गौर करने के लिए इस सम्मानीय सभा ने एक समिति नियुक्त की है। इसके लिए मैं सरकार और कृषि मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राजसहायता के मुद्दे पर गहराई से अध्ययन के लिए अपनी रुचि दिखाई है ताकि यह पता चल सके कि उक्त राजसहायता किसानों को मिलती है या उद्योगपतियों को या खाद्य उत्पादों के उपभोक्ताओं को।

आज भी उर्वरक मूल्य समिति के सदस्य के नाते जो थोड़ा-बहुत अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है—यह मेरा अनुभव है उनके अनुसार कि यदि उद्योगपतियों से हम कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वे हमें सहयोग नही देते। इस मुद्दे पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वे उन जानकारियों को छिपाते हैं जो समिति को अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचाने में सहायता दे सकें। इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं केवल इतना ही कहूंगा कि संबंधित विभाग को पूरी जानकारी प्राप्त करके सहयोग देना चाहिए ताकि समिति विशेषकर उर्वरक मूल्य और राजसहायता के मामले में अपने निष्कर्ष दे सकें कि यह लाभ समाज के किस वर्ग को मिलता है—उद्योगपतियों को या किसानों को। यह ऐसी बातें हैं, जिन पर राय देने को, उन जानकारियों के आधार पर निर्णय लेना होगा।

दूसरी दलील जो हमेशा मुझे विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त होती रहती है, वह यह है कि विगत एक दशक के दौरान उर्वरक मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। यह सत्य नहीं है। समस्या के तह में गए बिना ही वे यह दलील दे देते हैं कि विगत दस वर्षों में उर्वरक मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। मैं फर्टिलाइजर गाईड 1981 से उद्धृत करना चाहता हूं, जिसे भारतीय उर्वरक संघ ने प्रकाशित किया है। 1983 में यूरिया 2150 रुपये प्रति टन था जबकि जनवरी, 1986 में यह 2350 रुपये प्रति टन हो गया और जुलाई, 1991 में यह 3300 रुपये प्रति टन हो गया। उसी तरह नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के मूल्य में 1983, 1986 और 1991 में वृद्धि हुई। अमोनियम सल्फेट वर्ष 1983 में 2150 रुपये प्रति टन था जो बढ़कर 2300 रुपया और फिर 3220 रुपया प्रति टन हो गया।

मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि लोगों का यह कहना है कि उर्वरकों के मूल्य में नहीं हुई है। यह वास्तविक स्थिति नहीं है। कुछ वस्तुओं पर नियंत्रण हटाये जाने के पश्चात् विगत वर्ष से या विगत बजट की तुलना में आज की स्थिति क्या है? कुछ अनियंत्रित वस्तुएं जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश आदि की स्थिति इस प्रकार हैं। पिछले वर्ष अमोनियम सल्फेट 1760 रुपये प्रति टन था और अब यह 3050 रुपये प्रति टन है। विगत वर्ष सुपर फास्फेट 970 रुपये प्रति टन था और अब यह खुले बाजार में 2000 रुपये प्रति टन है। उसी प्रकार विगत वर्ष पोटाश 1200 रुपये प्रति टन था जो कि बढ़ कर 1700 रुपये प्रति टन हो गया है। मैंने कुछ अनियंत्रित वस्तुओं या उत्पादों के मूल्यों की स्थिति यह स्पष्ट करने के लिए बता दी है कि किस तरह उद्योगपतियों या उर्वरक निर्माताओं ने मूल्यों में वृद्धि की है चाहे वे निजी क्षेत्र के हों, संयुक्त क्षेत्र के या सार्वजनिक क्षेत्र के हों। वे सभी एक जैसे ही हैं।

सभापति महोदय : श्री देवगौडा, रिपोर्टर आपका आधे भाषण को नोट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप माइक से दूर हट जाते हैं। कृपया माइक के सामने रहने का प्रयास करें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मुझे खेद है श्रीमन्। अब मैं ऐसा ही करूंगा।

दूसरा मुद्दा कीटनाशकों के बारे में है। विगत वर्ष से इस वर्ष तक इनके मूल्यों में 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक कीटनाशकों का संबंध है, इनके मूल्यों में 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पर इसे कोई रोकने वाला नहीं है। भारतीय किसानों का यही भाग्य है जिन्हें कृषि उत्पादों पर ही निर्भर करना है और इसके अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं तो सभा का ध्यान केवल इस ओर आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि नौकरशाह वर्ग के लोगों या प्रशासकों या उच्च वर्ग के लोग यह दलील देने का प्रयास करते हैं कि हम जो भी राशि खर्च करने जा रहे हैं, उससे ग्रामीण जनता या वे उन लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं है जो कृषि पर निर्भर हैं। यह सच नहीं है। उन्हें देश में व्याप्त वास्तविक स्थिति समझनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमने सात पंचवर्षीय योजनाओं और चार वार्षिक योजनाओं को पूरा किया है। लेकिन कृषक समुदाय या ग्रामीण जनता का भविष्य क्या है?

जहां तक ग्रामीण विकास का संबंध है, मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिसमें तथाकथित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों या ग्रामीण कारीगरों या कृषि मजदूरों को इससे सीधे लाभ मिला है। इतने सारे गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के बाद उनके आर्थिक स्थिति में

सुधार हुआ है, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। कृषि के संबंध में मैं एक-दो मुद्दों की चर्चा करूंगा।

हाल ही में एक जाने-माने कृषि वैज्ञानिक डा० एम० एस० स्वामिनाथन ने गरीबी हटाने के लिए एक नये कार्यक्रम की रूपरेखा दी थी। कृषि उत्पादन पर अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि कृषि क्षेत्र जिसकी कि पूरी तरह से अवहेलना की गई है, तो पायेंगे कि कृषि आधारित निर्यात को 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकते हैं। उन्होंने खाद्य फसलें, तिलहन, फल, फूल, सब्जियां और विभिन्न अन्य चीजों के उदाहरण दिये जिन्हें ग्रामीण खेतिहर लोग या किसान पैदा कर सकते हैं ताकि कच्चे माल पर पैसा लगाने की बजाय, जिसे कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिए अन्य देशों से आयात किया जाता है जिससे हमारा विदेशी ऋण चाहे जितना भी हो चुकाया जा सके, 40,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। मैं इस मुद्दे पर सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

सौभाग्य से हमारे नियोजकों या योजना आयोग ने अब ऐसा करना आरम्भ किया है। मैंने 'इकोनोमिक टाइम्स' में इस बारे में पढ़ा है। यह उनके लिए आंखें खोलने वाली बात है। जो विचार डा० एम० एस० स्वामिनाथन ने हाल ही में व्यक्त किए हैं, ने योजना आयोग की आंखें खोल दी हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि योजना आयोग ने निर्मित वस्तुओं के निर्यात से ध्यान हटाकर कृषि उत्पादों की तरफ कर लिया है ताकि आठवीं योजना में निर्यात में 13 प्रतिशत की वृद्धि हो।

कम-से-कम उन्होंने उनकी खोल दी है जिसके लिए मैं योजना आयोग का इसके अध्यक्ष को बधाई देना चाहूंगा। अब कम-से-कम उन्होंने यह महसूस कर लिया है कि कृषि और कृषि उत्पादों का कितना महत्व है जिसे हम तथाकथित एकाधिकार प्राप्त घराने या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कोष द्वारा तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता, या जो कुछ भी हो, पर निर्भर रहे बगैर विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। मैं इस चरण पर तर्क नहीं करना चाहता हूं।

मैं माननीय कृषि मंत्री, जो स्वयं एक किसान हैं, का ध्यान एक और मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कृषि परामर्शदात्री समिति में एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया है। जब हमने अनुरोध किया कि, जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक उर्वरक पर दी जाने वाली राजसहायता को न हटाया जाए। उन्होंने इसे स्वीकार किया और इस संबंध में उनकी अध्यक्षता में एकमत से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इससे हमारे वर्तमान कृषि मंत्री द्वारा कृषक समुदाय के बारे में उनकी वास्तविक चिन्ता प्रकट होती है।

दुर्भाग्य से वह वित्त मंत्री को कृषि क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन करने के लिए प्रभावित और राजी करने में असफल रहे। पिछले वर्ष यह आवंटन 1,838 करोड़ रुपये का था। लेकिन इस वर्ष यह लगभग इतना ही है। यह नहीं बढ़ा है। इसके लिए 1,879 करोड़ रुपये की राशि बजट में आवंटित है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इतना संवेदनशील क्षेत्र जो ग्रामीण हिस्से के लगभग 70 प्रतिशत को सहायता देता है उसकी इस तरह से अवहेलना की गई है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं। मैं अपने वरिष्ठ नेता श्री बलराम जाखड़ से अनुरोध करूंगा कि वह वित्त मंत्रालय

को यह सुनिश्चित करने के लिए राशि करें कि इस क्षेत्र की अवहेलना न हो और यह भी सुनिश्चित करें कि आने वाले दिनों में कम-से-कम अधिक राशि आवंटित की जाए।

जहां तक निर्यात की बात है, मैं यहां एक सम्पादकीय का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि इकोनोमिक्स टाइम्स में छपी थी जिसमें डा० बी० एस० मिन्हास ने तर्क दिए हैं। जो कुछ भी सम्पादकीय मे लिखा है मैं उसे उद्धृत नहीं करना चाहता हू, लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं :

"क्या संरचनात्मक समायोजन का भार कृषकों पर इतना अधिक पड़े चाहे इसका उद्देश्य गरीबी हटाना हो? कई कृषि विशेषज्ञ तर्क देंगे यह नीति न केवल गलत है बल्कि अव्यवहार्य है। वह कृषि मूल्यों में हाल की वृद्धि की भी बात करेंगे। डा० मिन्हास तो यह भी कहेंगे कि भारत में निर्मित चीजों की तुलना में कृषि निर्यात का विस्तार करने की काफी गुंजाइश है। जैसे वह कहते हैं उससे तो काफी लगता है और यह भी अवश्यंभावी लगता है कि आने वाले वर्षों में अनाजों की कीमतों में काफी वृद्धि करनी पड़ेगी।"

केवल यही मुद्दा मैं लेना चाहता हूं क्योंकि अभी भी हमें इस समुदाय के लिए काफी कुछ करना है। सरकार ने आपको विभाग की अध्यक्षता करने का अवसर दिया है। एक निर्भीक व्यक्ति होते हुए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम-से-कम इस तथाकथित रूप से उपेक्षित समुदाय का समुचित पोषण किया जाये ताकि उनकी आर्थिक स्थितियां सुधरें, उनके रहन-सहन में सुधार आये।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैंने ग्रामीण विकास को नहीं लिया है। मैं पिछले डेढ़ माह से या इस सत्र के शुरू होने से अपनी बीमारी की वजह से कुछ नहीं बोला हू। जहां तक ग्रामीण विकास, कृषि और इन विभागों की बात है मैं पूर्णतः वचनबद्ध हूं और इसमें संलग्न हूं। मैं इस सम्माननीय सभा का बेकार में समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दें। यह बजट सत्र में मेरी पहली बारी है।

सभापति महोदय : निश्चित रूप से। प्रत्येक सदस्य लगभग 10 मिनट बोल रहा है। देवगौड़ा जी आप 20 मिनट बोल सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री एच० डी० देवगौड़ा : जी नहीं, यह महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण न होने का प्रश्न नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : वह अभी तक नहीं बोले हैं, यही कारण है।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैं अब सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय पर कुछ कहना चाहता हूं। अपनी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों का 1988-89 में प्रति व्यक्ति पारिश्रमिक 39,415 रुपये था। ये आंकड़े 39,415

रुपये आर्थिक सर्वेक्षण में दिये गये हैं—जो कि एक सरकारी दस्तावेज है। मैं आपका ध्यान कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय पर दिलाना चाहता हूं। भानु प्रताप सिंह रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृषकों की प्रति व्यक्ति आय और उनकी औसत आय 420.40 रुपये है जबकि मैं पहले ही सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख कर चुका हूं। मैं पहले ही यह आंकड़ा उद्धृत कर चुका हूं। आप अन्तर देखिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पुनः दोहराऊं ?

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि रिपोर्टर आपके भाषण को रिकार्ड कर रहे हैं। अतः दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : जैसे कि मंत्री महोदय ने पूछा है। मैं तो कहूंगा कि यह आंकड़ा 39,415 रुपये का है। इसका आर्थिक सर्वेक्षण के भाग-दो के पैरा 3.3 में उल्लेख किया गया है। मैंने यह आंकड़ा केवल सरकार को यह बताने के लिए उद्धृत किया है कि अभी तक कृषि क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा हो रही है। यही मेरी शिकायत है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान नागर विमानन विभाग की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां वित्त मंत्री को गंभीरता से गौर करने की आवश्यकता है—अर्थात बजट घाटे को कम करने की जरूरत है ? उन्हें गैर-योजना व्यय सहित विभिन्न जगहों से व्यय कम करना है। पिछले वर्ष नागर विमानन के लिए 433 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया और इस वर्ष यह आवंटन 1,036 करोड़ रुपये है। किसलिए और किसके लाभ के लिए ? क्या यह इसलिए कि केवल समाज के उच्च वर्ग के लोग इस लाभ को प्राप्त करना चाहते है ? केवल आप और मैं और समाज का एक वर्ग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं न कि ग्रामीण कृषक। इससे उसे किसी भी तरह से लाभ नहीं होगा।

सभापति महोदय : आप 18 मिनट तक बोले हैं, मैंने आपको दुगना समय दिया है।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : महोदय, मुझे 15 मिनट और चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इसका निजीकरण किया जा सकता है और निजी क्षेत्र के लोगों को दिया जा सकता है। हमारे लिए नागर विमानन विभाग की आवश्यकता कहां है ? किस प्रयोजन के लिए हम इसे रखें ? इंडियन एयरलाइन्स को प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ रुपये का घाटा होता है। वायुदूत को एक वर्ष में 100 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हो रही है। आप अपने इन सभी तथाकथित आर्थिक सुधारों से सबक नहीं सीखे हैं कि समाज के उपेक्षित समुदाय या वर्ग की कैसे सहायता की जाय। सिंचाई के लिए आपने पिछले वर्ष 267 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी लेकिन अब यह 231 करोड़ रुपये है। इस तरह हमारे नियोजक और हमारे तथाकथित सलाहकार काम कर रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्री इस संबंध में स्वयं एक विशेषज्ञ और हस्ती हैं। मैं उन्हें बहुत आदर देता हूं। मैं नहीं समझता कि जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है— उनका यह दृष्टिकोण कैसे हो सकता है।

ग्रामीण विकास एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर मैंने माननीय सभापति से अपने विचार रखने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया है। हमने स्वतंत्रता मिलने के बाद से, स्वर्गीय श्री एस०के० डे के जमाने से राष्ट्रीय प्रसार सेवा से लेकर आज की तथाकथित इंदिरा

आवास योजना या जवाहर रोजगार योजना या जो कुछ भी हों, लगभग 36 कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। यह विभिन्न योजनाओं का मिला-जुला रूप है। इन योजनाओं का अन्ततः क्या परिणाम रहा। इसका परिणाम अन्ततः यह है कि आज इस देश में ग्रामीण जनसंख्या की न्यूनतम आवश्यकतायें भी पूरी नहीं होती हैं। भानुप्रसाद सिंह समिति ने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट दी है, उसके लिए हमें बधाई देनी चाहिए। जहां तक ग्रामीण जनसंख्या का संबंध है, उन्होंने बहुत प्रयास किया है: अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि कैसे ग्रामीण लोगों की न्यूनतम आवश्यकतायें भी पूरी नहीं होती हैं। यहां तक कि आज 30 प्रतिशत लोगों को भी पक्की सड़कों की सुविधा नहीं है। यहां तक कि ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 21 प्रतिशत भाग को प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों की सुविधा नहीं है—महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा की तो बात ही दूर है। आज भी हमारी 64 प्रतिशत ग्रामीण जनता के लिए हस्पताल की कोई सुविधाएं नहीं हैं। इस प्रकार उन्होंने तालिका दी है जिसमें ये सभी पहलू दर्शाए गए हैं। मैं सभी विवरण नहीं पढ़ूंगा लेकिन इसके बाद मैं आग्रह करता हूं कि आप समाज के इस वर्ग के हित के लिए लड़ें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस कार्य में सारी सभा आपके साथ है और इस विशेष मुद्दे पर दलगत दृष्टिकोण का कोई प्रश्न नहीं है।

अब मैं यह दर्शाने के लिए कुछ जानकारी दूंगा कि ग्रामीण विकास की कैसे पूर्णतः उपेक्षा की जा रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि चालू वर्ष के बजट में आवंटन को कम कर दिया गया है। क्यों और किस उद्देश्य से? मैं यह वास्तव में नहीं जानता। हम इस सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और यहां पर आए हैं। क्या हमें चुप रहना है? अथवा क्या हमें अपनी शिकायतें तथा भावनाएं व्यक्त करनी हैं? मुझे यह बात हमेशा विस्मित करती रहती है।

सातवीं योजना में ग्रामीण विकास के लिए आवंटन कुल योजना परिव्यय का 6.4 प्रतिशत था। लेकिन अब वार्षिक योजना में वह कम करके 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण विकास के लिए 1990-91 में आवटन 6.7 प्रतिशत था जबकि 1991-92 में यह केवल 6.1 प्रतिशत है। चौथी योजना के बाद से ही इसी सरकार द्वारा दिए गए संकेतों के अध्ययन से यह स्पष्ट पता लगता है कि ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में धीरे-धीरे कमी की गई है। इस मुद्दे पर सरकार को विचार करना है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री का धन्यवाद करता हू। कुछ दिन पहले उन्होंने इस सभा को संतुष्ट करने का प्रयास किया और यह आश्वासन भी दिया कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में 500 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाए। इससे उनकी चिन्ता का पता चलता है। यह व्यक्ति निचले स्तर से आया है और वह ग्रामीण जनता की पृष्ठभूमि को जानता है।

आज, मैं अपने मित्रों का ध्यान उन विभिन्न मुद्दों की ओर आकर्षित करूंगा जिनके मामले में हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। हमारी 30 से 35 प्रतिशत जनता को सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता। मैंने कार्य-निष्पादन बजट में उल्लेख किए गए आंकड़ों का अध्ययन किया है। पेयजल कार्यक्रम का नाम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा जा रहा है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। सरकार कहती है कि यह अगले कुछ वर्षों में सभी गांवों को इसके तहत लाएगी।

मैं यह नहीं समझ सकता। अगर पेयजल जैसी न्यूनतम आवश्यकता के लिए भी कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? कुपोषण, स्वास्थ्य की देखरेख इत्यादि अन्य पहलुओं को तो भूल जाइए। मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं ले रहा। लेकिन पेयजल के लिए भी सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम नहीं ला सकती। जब इस कार्यक्रम का नाम श्री राजीव गांधी पर रखा जा रहा था तो मैंने सोचा कि वे इसे और अधिक महत्व देंगे। लेकिन वे यही कहते हैं कि अगले कुछ वर्षों में वे इससे वंचित सम्पूर्ण ग्रामीण जनता को पेयजल की सप्लाई करने का प्रयास करेंगे। यह भी कहा गया है कि ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कुछ मानदंडों को अन्तिम रूप दिया गया है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर सुरक्षित पेयजल का मानदंड है। मेरे विचार से तो यह एक स्वप्न है। यदि वे वास्तव में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर सुरक्षित पेयजल देंगे तो मैं आपको कहता हूं कि मैं अपना सिर झुकाकर श्री नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकार को सलाम करूंगा। लेकिन यह व्यावहारिक दृष्टि से असंभव है। ये तो केवल आंकड़े-मात्र हैं और कुछ नहीं है। आप किसी भी गांव में जाइए और सर्वेक्षण कीजिए। तब आप वास्तविकता को देखेंगे। मैं माननीय कृषि मंत्री को एक सुझाव देता हूं। वह इस सभा की एक समिति गठित करने का साहस करें जो इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्यवाही का मूल्यांकन करे और यह सुनिश्चित करये के लिए समीक्षा करे कि क्या यह राशि वास्तव में व्यय हुई है और लक्ष्य वास्तव में प्राप्त किए गए हैं। आपने इस कार्य निष्पादन बजट तथा इन पत्रों में जो कुछ दिया है, वह आंकड़े-मात्र हैं। जब तक आप वहां जाकर मूल्यांकन नहीं करेंगे, आप वास्तविकता नहीं समझ सकेंगे। मैं यह इसलिए कहता हूं कि एक तरफ वे वास्तबिकता तथा समस्याओं को ध्यान में रखे बगैर ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों पर धनराशि खर्च कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपका ध्यान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण गरीब को दुधारू पशु देने का प्रावधान है। लेकिन योजनाकारों ने इस बारे में स्थिति की समीक्षा किए बगैर ही लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं क्या उनके अनुरूप दुधारू पशु हमारे देश में हैं। मैं कहूंगा कि संबंधित एजेंसी यह लक्ष्य पूरा करने में विफल रहेगी। उच्च अधिकारियों की तरफ से लक्ष्य प्राप्त करने का दबाव है। इसलिए वे ऐसा करेंगे कि एक ही पशु को अनेक व्यक्तियों के पास दिखलाएंगे और अपना रिकार्ड इस प्रकार दर्शाएंगे कि लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और इस उद्देश्य हेतु निर्धारित धनराशि खर्च कर दी गई है, हालांकि यह वास्तविक लाभार्थी को नहीं दी गई है।

मैंने कर्नाटक में एक जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में अचानक निरीक्षण किया। वहां रिकार्ड में यह कहा गया कि 10 अनुसूचित जाति परिवारों को दुधारू पशु दिया गया है, जबकि वास्तव में यह पशु ग्राम प्रमुख के घर में गया था। मैंने उस स्थान का दौरा किया और पुलिस अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी को कहा कि सभी पशु जब्त किए जाएं और संबंधित ग्राम प्रमुख को गिरफ्तार किया जाए। अगले दिन उसने उन गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया और उनसे एक वक्तव्य ले लिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास इन पशुओं को रखने के लिए घर नहीं है इसलिए उन्होंने उन पशुओं को ग्राम प्रमुख के घर में रखा

हुआ है और वे उनसे सारे लाभ ले रहे हैं। इस प्रकार वह ग्राम प्रमुख छूट गया। कथित गरीबी विरोधी कार्यक्रमों की यह स्थिति है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर गौर करें।

एक योजना है जिसका नाम दस लाख कुएं योजना है। इसमें प्रावधान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य गरीब वर्गों के लिए मुफ्त में खुले सिंचाई के लिए उपलब्ध कराए जाएं। इन कुओं का आकार 20 × 20 × 20 फुट है तथा इसके लिए 13,000 रुपए की सीमा है। यह जनता का पैसा है, जिसे आप खर्च कर रहे हैं। यह किसी पार्टी या व्यक्ति का पैसा नहीं है। लेकिन आपने पम्पसैट इत्यादि कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस 13,000 रुपये की सीमा के तहत इस काम को पूर्ण कर सकेंगे। मुझे यह संदेह है कि कागजों में दर्शाया जाएगा कि यह धनराशि खर्च कर दी गई है; उपलब्धि 105% या 200% दर्शाई जाएगी जबकि वास्तविकता में यह पैसा व्यर्थ हो जाएगा।

मैंने कर्नाटक में सिंचाई मंत्री के रूप में गंगा कल्याण योजना शुरू की थी। हमने इसी राशि में से पम्पसैट, कुएं तथा उनके रख-रखाव की लागत भी उपलब्ध कराई। इसलिए गरीब लोगों के लाभ हेतु क्या हम अपनी योजना में संशोधन नहीं कर सकते; क्या हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि इस धनराशि को उचित रूप से खर्च किया जाए?

सरकार ने आवास के लिए प्रति मकान 12,700 रुपये का आवंटन किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना के तहत निर्मित मकानों में से कितने मकान आज भी विद्यमान हैं। दो वर्ष पूर्व बना मकान आज ढह जाता है। क्या हम अपने अनुभव से इन सब बातों को बदल नहीं सकते? सरकार सदैव यह कहती है कि कोई बिचौलिया ठेकेदार नहीं होना चाहिए लेकिन आप मुझे एक ऐसा कार्य दिखलाइए, जिसमें बिचौलिया या ठेकेदार शामिल न हो। आप देश में किसी भी राज्य को चुन लें; वहां अचानक जाएं और देखें कि किस प्रकार धनराशि का अपव्यय हो रहा है। लगभग 50 प्रतिशत धनराशि का अपव्यय हो रहा है। इन सब मुद्दों पर गौर किया जाए।

मेरी कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण एक ग्रामीण व्यक्ति की हैसियत से मैं अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से सरकार से अपील करता हूं कि वह यह देखे कि ये सारी खामियां दूर हों। यद्यपि मेरे पास अभी अनेक मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपको क्रोधित नहीं करूंगा। मैं केवल एक मुद्दा और उठाऊंगा और फिर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय: अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री एच० डी० देवगौड़ा: मैं ग्रामीण संचार के बारे में एक मुद्दा उठाना चाहूंगा। यह हमारी आजादी के 45 वर्ष बाद भी पूर्णतया उपेक्षित है, 1000 से अधिक आबादी के 17,000 गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया है और 1,000 से कम आबादी के सभी गांव तो छुए ही नहीं गए हैं। यह स्थिति है।

महोदय, मैं सभापति के माध्यम से अपील करता हूं कि सरकार इन सभी मुद्दों पर विचार करे। ये खामियां हैं और इन्हें दूर किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं तो मैं अपने अनुभव

के आधार पर अनेक अन्य सुझाव दे सकता हूं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय अध्यक्ष का पुन: धन्यवाद करता हूं कि वह ग्रामीण विकास पर चर्चा के लिए सहमत हुए। खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी अनेक खामियां हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास और समय नहीं है, इसलिए मैं अपने विचार प्रकट करने में असमर्थ हूं।

सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मामले पर कुछ कहने के लिए मुझे समय दिया।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय से संबंधित चर्चा चल रही है। वैसे तो कृषि मंत्रालय से संबंधित तमाम आंकड़ों के विषय में मेरे पिछले वक्ता मित्रों ने सदन में अपनी बात रखी लेकिन मुझे आंकड़ों में नहीं जाना है। सभी चर्चा तो करते हैं कि हिन्दुस्तान गांवों का देश है, हमारा हिन्दुस्तान गांवों में बसता है लेकिन सभापति महोदय, गांवों के विकास के बारे में, जो गांवों का मुख्य उद्देश्य कृषि है, उसका बुनियादी विकास कैसे होगा, उसकी बुनियादी व्यवस्था कैसे सुधरेगी, मेरी समझ में अभी तक जो बजट या योजना बनी हैं, वे परिपूर्ण नहीं हैं। इसलिए मेरे मंत्री जी से कुछ सुझाव हैं जिसके बारे में बुनियादी रूप से एक सोच स्थापित करनी होगी, एक योजना बनानी होगी और जो सुझाव होंगे, उनके बारे में विचार करना होगा। मैं निवेदन करता हूं कि उसको आप करेंगे और अब घबराएंगे नहीं। कल मेरे एक मित्र श्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोट सूट पहनकर किसानों की कोई बात कैसे कर सकता है? लेकिन मैं जानता हूं कि वे किसानों की बुनियादी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं···

सभापति महोदय : हिन्दुस्तान में बना हुआ कोट सूट पहनने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वह विदेशी माल नहीं है···

श्री वीरेन्द्र सिंह : लेकिन किसानों के बारे में, उनके दर्द के बारे में जानते हैं, गांव की बुनियादी समस्याओं के बारे में जानते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हुए मैंने सुना है।

सभापति महोदय, कृषि से संबंधित चर्चा में जब तक गांव के गरीब किसान, झोंपड़ी में रहने वाले इन्सान और खेत-खलिहान की चर्चा नहीं होगी, तब तक कृषि संबंधी चर्चा परिपूर्ण नहीं होगी। इसलिए इनके बारे में जानना आवश्यक होगा। आने वाली योजनाओं में इन लोगों की समस्याओं को शामिल करना होगा, तब मैं समझूंगा कि बुद्धि के विकास, ग्रामीण विकास के बारे में हमारी सोच पूरी होगी।

सभापति महोदय, कृषि के बारे में यहां चर्चा चल रही है कि इस देश में कृषि का विकास हुआ है लेकिन हुआ कहां है? कृषि का विकास केवल खातों में या कागजों में कर देना संभव नहीं है। यदि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है तो गांव में कृषि का विकास होना चाहिए। इनके लिए योजनाएं भी गांवों में बननी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि कृषि विकास संबंधित सभी योजनाएं

दिल्ली के बड़े-बड़े भवनों में बनती हैं जिसको किसान जान ही नहीं पाता है कि उसको सरकार किस प्रकार की और कितनी सुविधाएं देने जा रही है ? ग्रामीण विकास की जो परिभाषा दी गई है, इसके बारे में मुझे असंतोष है। ग्रामीण विकास की परिभाषा गांव की सर्वांगीण चर्चा और उसका विकास होना चाहिए। खाली गांव में नाली बनाने से या विद्युतीकरण कर देने से गांव का विकास संभव नहीं है या गांव में खाली सड़क बनाने से कोई विकास संभव नहीं है। आजादी के बाद पूज्य बापू ने गांव के विकास का एक सपना देखा था। दीनदयाल जी ने भी गांवों के बारे में चर्चा की थी और गांवों की अपनी एक परिभाषा दी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी की एक योजना चली शहरों का विकास करने की। इससे हिन्दुस्तान का गांव पिछड़ा रह गया, हिन्दुस्तान के गांवों का विकास नहीं हो पाया। शहरों का विकास होता गया और गांवों का पिछड़ापन बढ़ता गया। इससे गांवों के विकास की जो योजना बननी चाहिए थी, बापू और दीनदयाल की योजनाओं के अंतर्गत बननी चाहिए, वह नहीं बनी। नेहरू की योजना के अंदर गांवों का विकास संभव नहीं है। माफ करेंगे, कांग्रेस के लोग नेहरू की योजना जो गांवों के विकास की बनी हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि नेहरू जी ने गांवों के विकास के बारे में चर्चा की थी। लेकिन नेहरू जी की योजना जो गांवों के विकास की थी, वह बापू के गांव के विकास की योजना से भिन्न थी। उससे शहरों का विकास संभव है, मगर गांवों का विकास संभव नहीं है। ग्रामीण विकास की जो परिभाषा संभव है, वह बापू और दीनदयाल जी के गांवों की परिभाषा से तय होनी चाहिए।

पंचायती राज व्यवस्था को गतिशील बनाने के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। जब तक शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, गांवों के स्तर तक ग्राम-पंचायत स्तर तक, शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, तब तक गांवों का विकास संभव नहीं है। पंचायत शक्तिशाली होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि गांवों में विवाद बढ़ रहे हैं। जब गांवों में विवाद बढ़ रहे हैं तो गांवों की जो शक्तिशाली रचनाशक्ति है, वह समाप्त हो रही है। गांवों के किसानों में विवाद बढ़ रहे हैं। लेकिन याद करें कि आजादी से पहले जब चौपालों में गांवों के विवाद हल हो जाया करते थे, वह संस्कृति कहां गई ? उस संस्कृति का अंत कैसे हुआ ? जो शक्ति केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर गांवों तक उस शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं करेगी, तो मैं समझता हूं कि इस विवाद को बढ़ावा मिलेगा और गांवों में विवाद बढ़ेंगे और रचनाशक्ति का ह्रास होगा तथा ग्रामीण विकास में वह सबसे बड़ा बाधक होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में भी योजना बनाने पर विचार करना चाहिए।

ग्रामीणों के विकास की योजना के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। ग्रामीणों के विकास की योजना के बारे में जो योजना बनती है, वह दिल्ली में बनती है। सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं कि वह योजनाएं जो गांवों के विकास के बारे में बनती हैं, गांवों के लोगों से बैठकर पहले प्राथमिक स्तर पर फिर उच्चतम स्तर पर आती है, तो मैं समझता हूं कि लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं वह निश्चित रूप से लाभदायक हैं, लेकिन दिल्ली में जो योजनाएं बनी हैं गांवों के विकास के लिए और ग्रामीणों के विकास के लिए, मैं समझता हूं कि गांवों का गरीब किसान जो झोंपड़ियों में रहता है, वह समझ नहीं पाता है कि

ग्राम-विकास के लिए क्या योजना बनती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये योजनाएं गांवों के लोगों के सुझाव के अनुसार बनाई जाएं और निश्चित रूप से लाभदायक हों। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस तरह की योजनाएं गांवों के विकास के निचले स्तर पर बनाने की योजना की जाए।

गांवों से आज पलायन हो रहा है। सभापति जी, आज गांवों से नवयुवकों का, श्रमिकों का और श्रम का पलायन हो रहा है। इसके बारे में एक चिन्ता खड़ी हो गई है और यह चिन्ता का सवाल हो गया है कि गांवों से श्रम का पलायन क्यों हो रहा है। इसका मूल कारण है शिक्षा और नौकरी। गांवों में शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग गांवों में सुव्यवस्थित शिक्षा नहीं पाने के कारण शहरों में पलायन करते हैं। शहरों में जब वे शिक्षा पाते हैं तो वे शिक्षा प्राप्त करके शहरों में ही बस जाने का काम करते हैं। शिक्षा की व्यवस्था अगर गांवों में होती तो निश्चित रूप से शहरों में बसने का काम वे नहीं करते और गांवों से शैक्षणिक लोगों का और शिक्षित समाज का पलायन नहीं होता। आज नौकरियों के लिए गांव से पलायन हो रहा है। अगर रोजगार उपलब्ध होते, कृषि से संबंधित रोजगार गांवों में ही उपलब्ध होते तो गांवों के किसान और नौजवान जिनकी रचनाशक्ति कृषि के विकास के लिए लग सकती थी, वह निश्चित रूप से शहरों की तरफ पलायन नहीं करते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में कृषि से संबंधित उद्योगों का अगर विस्तार होगा तो गांवों का विकास होगा और जो युवाशक्ति गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रही है, निश्चित रूप से गांवों में रहेगी और गांवों का विकास संभव हो सकता है।

कृषि सम्बन्धी शोधशाला खोले जाने के विषय में चर्चा करना चाहूंगा कि कृषि का विकास हो यदि करना है, कृषि के विकास के सम्बन्ध में योजनाएं बनानी हैं तो हर तहसील में एक कृषि शोधशाला की व्यवस्था की जाये। वह शोधशाला गांवों में किसानों की जमीन पर हो, सरकारी जमीन उसके लिए अधिग्रहीत न की जाए। मैं समझता हूं कि अगर परिवर्तनशील शोधशाला होगी तो गांवों के विकास उसके लिए जमीन भी दे देंगे और उस शोधशाला में कृषि के विकास सम्बन्धी चर्चाएं भी हो सकेंगी, कृषि सम्बन्धी चर्चा भी हो सकेगी और उससे गांवों का विकास भी सम्भव हो सकता है।

ग्रामीण लोक-संस्कृति के संबंध में कहना चाहता हूं कि सरकार पहले यह समझे कि ग्रामीण लोक-संस्कृति का क्या मतलब है। गांवों में मनोरंजन के लिए, गांवों की संस्कृति के विकास के लिए, लोग चौपालों में बैठकर, कहवा तापते थे और वहीं गांव के तमाम विवादों का निपटारा भी कर लिया करते थे। गांवों में अपने मनोरंजन के लिए गीत गाया करते थे लेकिन वे गीत केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होते थे, वे गीत ग्रामीणों की एकता के प्रतीक होते थे। वे गीत मनोरंजन के लिए नहीं होते थे बल्कि गांव में रचना शक्ति पैदा करने का माध्यम होते थे, इसलिए उन गीतों को मात्र मनोरंजन के लिए मान लेना भूल है। लोक-संस्कृति के माध्यम से लोग चौपालों में बैठकर, शादी-ब्याह भी तय कर लिया करते थे और दहेज प्रथा का कोई नामोनिशान नहीं दिखाई देता था, जो दहेज प्रथा आज हिन्दुस्तान में कुकृत्य बनकर, मुंह बाये खड़ी है और हमारे लिए एक अभिशाप सिद्ध हो रही है। पहले दहेज प्रथा नाम की कोई चीज गांव के समाज को प्रभावित

नहीं करती थी। वही दहेज प्रथा आज हमारे लिए अभिशाप बनी हुई है, कुप्रथा बनकर सामने आ रही है।

इसलिए लोक-संस्कृति के उत्थान के लिए योजना जरूर बनाई जानी चाहिए, जो ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में बहुत लाभदायक योजना होगी।

सभापति जी, आज लोक-संस्कृति का विकास दिल्ली में होता है। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, जंगलों से लोगों को पकड़-पकड़कर यहां लाया जाता है और ये दिल्ली में लोक संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब मैं लोक-संस्कृति के प्रदर्शन गांवों में होंगे तब सही मायने में लोक-संस्कृति का विकास होगा और तभी इसकी अच्छाइयां लोगों को मालूम होंगी। तब लोग समझेंगे कि लोक-संस्कृति का महत्व क्या है, और ग्रामीण विकास में इसका क्या योगदान होता है या ग्रामीण लोगों की एकता के लिए यह कितना योगदान करती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि लोक-संस्कृति के विकास के लिए योजना दिल्ली में न बने और लोक-संस्कृति के कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित न किए जाएं। पिछले दिनों लोक-संस्कृति के विकास के नाम पर यहां बड़ा तमाशा हुआ था, करोड़ों रुपये खर्च करके जब स्व० राजीव गांधी जी थे, उनके जमाने में बड़ा तमाशा हुआ था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसा तमाशा अब दिल्ली में न हो बल्कि प्रदेशों में, गांवों में होना चाहिए, तब लोग समझेंगे, कि लोक-संस्कृति का क्या महत्व है।

सभापति जी, मैं यहां आंकड़ों वाली बात नहीं कह रहा हूं, दो-तीन महत्वपूर्ण विषयों पर ही बोल रहा हूं। हरित क्रांति की बात की जाती है, यदि मंत्री जी मेरी बात को सुनें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहां हम हरित क्रांति की बात करते है, लेकिन हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था कितनी है, क्या हमारा ध्यान इस ओर गया है। जब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तब तक गांवों में हरित क्रांति की किरणें कैसे पहुंच पायेंगी। आज हमारे गांवों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हम अभी तक सभी खेतों को सिंचाई व्यवस्था नहीं दे पाये हैं। हमारे यहां लगभग 70 प्रतिशत जमीन ऐसी है, जो कृषि के मामले में उपजाऊ जमीन है, गंगा का मैदान है और वह विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है। उत्तर प्रदेश में, बक्सर से लेकर बाढ़-बड़ईया तक गंगा का मैदान आज सिंचाई से वंचित है। उसमें दोकटी-दियारा जैसा पचासों हजार एकड़ का क्षेत्र ऐसा है, बक्सर जिले में महुली तक का क्षेत्र, जो सिंचाई से वंचित है जबकि वहां के लोग बड़ी रचना शक्ति के धनी माने जाते हैं, परन्तु आज बेकार होकर अपराधवृत्ति अपनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। उसका मूल कारण है—हरित क्रांति की किरणों का वहां तक न पहुंचना।

मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हर गांव मे हम हरित क्रांति की किरणें नहीं पहुंचाएंगे, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो गंगा का मैदान है, इलाका है, यदि वहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए तो वह अकेले ही हरियाणा और पंजाब से ज्यादा उत्पादन करके देश को दे सकता है। अब सवाल इस बात का है कि पंजाब और हरियाणा में सिंचाई की जो व्यवस्था है, हमारे इलाके में भी वैसी ही सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति जी, ग्रामीण विकास नहीं हो रहा है। कुटीर और लघु उद्योगों का ह्रास होता

जा रहा है। कभी इस देश में गांव में लुहार होता था, बढ़ई होता था, धोबी होता था। लुहार खुर्पी, कुदाल और फावड़ा बनाने का काम करता था। किसानों की आवश्यकता की वस्तुओं को बनाने का काम करता था। बढ़ई किसान की आवश्यकता की वस्तुओं को बनाने का काम करता था। धोबी किसानों के कपड़े धोने का काम करता था। इस नेहरू के औद्योगिक विकास ने, इस नरसिंह राव के औद्योगिक विकास ने उस ग्रामीण कुटीर उद्योग का भट्ठा बैठा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि कुटीर उद्योग में, ग्रामीण उद्योग में और लघु उद्योग में जो खुर्पी, कुदाल या लगाम, हंसुआ, फावड़ा गांव का लुहार बनाता था, उसी को आज टाटा, बिड़ला और डालमियां क्यों बनाते हैं? जब गांव के लुहार और टाटा, बिरला व डालमियां के बने हुए खुर्पी, कुदाल और फावड़े बाजार में आएंगे, तो गांव के लुहार की बनी चीज बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कारखानों में बनी चीजों के सामने टिक नहीं सकेगी। बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई चीजों का बहुत प्रचार-प्रसार होगा, तो गांव के लुहार की बनी हुई वस्तुएं बाजार में नहीं बिक सकेंगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण कुटीर उद्योग के अन्तर्गत, जो बढ़ई, लुहार और धोबी काम करता था, जो गांव में सुखी रहता था, उसके बारे में आपको चिन्ता करनी चाहिए और जो चीजें वह गांव में बना रहा है, उसको बड़े पूंजीपति न बनाएं और उसके उद्योग पर वे आधिपत्य न जमाएं, नहीं तो पूरी संस्कृति समाप्त हो जाएगी।

सभापति महोदय, जिस चीज को गांव का लुहार, अपने घर में बनाएगा, उसके मुकाबले खुर्पी, फावड़ा और कुदाल अगर टाटा, बिड़ला और डालमियां बनाएंगे, तो उसका सामान कैसे बिकेगा? वह बिलकुल नहीं बिकेगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि खादी के नाम पर बापू ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। देश के लोगों ने उस समय निश्चय किया था कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, लेकिन भारत की औद्योगिक नीति ने भारत के ग्रामीण उद्योगों का भट्ठा बैठा दिया, जबर्दस्त धक्का मारा, जिसके कारण आज जो गरीब किसान गांवों में वस्त्र बनाता है, उसका कोई बाजार नहीं है। जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कपड़ा बनाती हैं, उनका कपड़ा ज्यादा बिकता है। गांव के किसान का बना कपड़ा नहीं बिकता है। इसलिए गांवों में कपड़ा उद्योग समाप्त हो रहा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए कि इसको और विचार किया जाए कि इसका किस प्रकार से विकास करना है।

सभापति महोदय, जब खेल की बात आती है, इस सदन के सभी सदस्य मेरी ओर देखने लगते हैं। सभापति जी, खेलों के बारे में जब भी कोई बात चलती है, तो निश्चय ही आप भी बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं। यह बात मैंने देखी है। इसलिए आप ग्रामीण खेलों की बात सुन लीजिए।

सभापति जी, आज ग्रामीण खेलों और ग्रामीण खिलाड़ियों की जो स्थिति हिन्दुस्तान में हो गई है, वह सबसे दुखद बात है। ग्रामीण खेल और खिलाड़ियों का ह्रास होता जा रहा है। उनका प्रचार-प्रसार नहीं होता है। आज मैं देखता हूं कि क्रिकेट का खेल जब चलता है, तो जगह-जगह पर दस-दस, पंद्रह-पंद्रह हजार लोग खड़े होकर उसको सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन गांवों के खेल, कुश्ती, कबड्डी आदि जिनको ओलम्पिक में मान्यता प्राप्त है, उनकी ओर सरकार का कोई

ध्यान नहीं है। हमने एक दिन मंत्री जी से कहा था कि खेल की जो चयन प्रक्रिया इस देश में अपनाई गई है, वही गलत है। उसको गांव से शुरू करिए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको प्रतिभावान खिलाड़ी गांव में मिलेंगे।

मंत्री जी, यह विषय हालांकि आपका नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपकी ओर से भी एक पत्र खेल मंत्री जी को लिखा जाए कि गांवों के खेलों का ह्रास हो रहा है और उसका सुधार किया जाए। ह्रास किस तरह से हो रहा है और उसका सुधार कैसे हो सकता है, यह बात मैं आपको बताता हूं। खेल जो जिला स्तर, प्रांत स्तर, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, वे अपनी पूरी नौजवानी की अवस्था में, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग राष्ट्रीय सम्मान को बढ़ाने में करते हैं और शरीर को अभ्यास करके ऐसा बनाते हैं, जिससे वे पदक जीतकर देश का सम्मान बढ़ा सकें, लेकिन जब खिलाड़ियों को खेल से अवकाश लेना पड़ता है, तो उनका जीवन बड़ा कष्टमय बीतता है, उनके जीवन को चलाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। जिस तरह से उनकी जवानी कष्ट में बीती, उसी तरह से उनका बुढ़ापा भी कष्ट में बीतता है, जिसको देखकर गांव के नौजवान कभी भी खेलों की तरफ देखने का काम नहीं करते हैं। इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। इसकी तरफ सोचना चाहिए। जब ओलम्पिक और ऐशियाड का खेल होता है तो हम हिन्दुस्ता को चाईना और कोरिया के पदक की तालिका की तुलना में देखते हैं। चाईना से हमारे राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन उसने जो काम किया है, उसे आजादी हमसे बाद में मिली है, उसने ग्रामीण खेलों के विकास के लिए जो काम किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। उसने खेल का काम बाद में शुरू किया लेकिन आज खेल की दुनिया में सबसे बड़ा प्रतियोगी चाईना हो गया है।

गांव के खिलाड़ियों की जो दुर्गति हो रही है उसे सुधारने का काम आप खेल मंत्रालय को पत्र लिखकर बता दें कि ग्रामीण विकास में भी उसका योगदान होता है। ग्रामीण खिलाड़ियों के क्या कष्ट हैं और उसके निवारण के लिए खेल मंत्रालय क्या कर सकता है।

मैंने कल कहा था, श्री कुमारमंगलम उत्तर दे रहे थे। ग्रामीण विकास के लिए जो स्पोर्ट्स होस्टल खुलते हैं, गांव का नौजवान जाकर शहरों में स्पोर्ट्स में दाखिल होता है। जो स्पोर्ट्स का वातावरण गांव में रहता है क्या वह शहरों में होता है। जिसको संस्कृति गांव के खेल का हनन कर रही है।

सभापति महोदय : आप कौन से विषय पर बोलने लग गए हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। ग्रामीण खेलों और खिलाड़ियों का संबंध निश्चित रूप से ग्रामीण विकास से है।

सभापति महोदय : उस पर कुमारी ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा बोला था।

श्री वीरेन्द्र सिंह : ग्रामीण खेल से आदमी का चरित्र बढ़ता है। उससे उसकी रचनाशक्ति बढ़ती है। इसलिए मैं मंत्री जी से ग्रामीण खेलों के बारे में चर्चा करने लगा। मैं ग्रामीण खेलों के बारे में अलग से भी चर्चा करता हूं।

मैं अन्त में कहना चाहता हूं। ग्रामीण विकास के बारे में, ग्रामीण कृषि के बारे में, हरित क्रान्ति के बारे में मैंने कहा। मैं डेरी विकास के बारे में कहना चाहता हूं। डेरी विकास के लिए जो योजनाएं बनी हैं वे सराहनीय हैं।...(व्यवधान) आपकी सरकार के आंकड़े बहुत हो सकते हैं, इन आंकड़ों से मुझे कुछ नहीं लेना है। मैंने जो सुझाव दिए हैं, ग्रामीण विकास के बारे में, उन योजनाओं को शामिल करके गांव के विकास के बारे में सार्थक योजनाएं बनाइए और कृषि का विकास कीजिए।

———

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रेसीडेन्ट यासर अराफात

सभापति महोदय : विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) सभा को कुछ बताना चाहते हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। सुबह सभा चाहती थी कि मैं उसे प्रेसीडेन्ट यासर आराफात के बारे में जानकारी देता रहा हूं। हमें यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई है तथा राहत मिली है कि प्रेसीडेन्ट यासर अराफात, उनके विमान को परिस्थितिवश लीबिया में उतारे जाने के बाद सुरक्षित और ठीक हैं। मैं सभा से आग्रह करता हूं कि वह प्रेसीडेन्ट यासर अराफात के दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करे।

सभापति महोदय : मेरे विचार में विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री से यह शुभ समाचार सुनकर वास्तव में सबको बहुत प्रसन्नता हुई है।

———

[अनुवाद]

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

ग्रामीण विकास मंत्रालय

खाद्य मंत्रालय

कृषि मंत्रालय

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय—जारी

सभापति महोदय : श्री के० प्रधानी।

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : सभापति महोदय, मैं कृषि, ग्रामीण विकास, खाद्य और नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक मुख्य साधनों में से एक है। वर्ष 1950-51 में उर्वरक की खपत 69 लाख टन थी जो 1991-92 में बढ़कर 135 लाख टन हो गई। उर्वरक की खपत में सौ गुना वृद्धि हुई है और उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ा है। कृषि के लिए अगली महत्वपूर्ण मद सिंचाई है। तीन प्रकार की सिंचाई होती है — फ्लो सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई और भूमिगत जल सिंचाई। फ्लो और लिफ्ट सिंचाई के लिए सरकार बड़े पैमाने पर परियोजनाएं बना रही है। जहां भी कुएं और नलकूप लगाए जा सकते हैं, वहां व्यक्ति विशेष द्वारा ऐसा किया जाता है। भारत सरकार छोटे और सीमांतक किसानों को निःशुल्क कुएं और छोटे कुएं उपलब्ध कराती है। लेकिन मध्यम वर्ग के किसानों को इस देश में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

भूमि सुधार लागू करने के बाद जमींदार और बड़े भूस्वामी नहीं हैं। सभी छोटे किसान बन गए हैं। छोटे और सीमांतक किसानों को नलकूप तथा कुओं के लिए सरकार से निःशुल्क अनुदान मिलता है। लेकिन मध्यम वर्ग के किसान, जो असहाय हैं, उन्हें सिंचाई के लिए कुछ नहीं मिलता। उन्हें जो भी थोड़ी-बहुत सहायता मिलती है उस पर उन्हें भारी ब्याज देना पड़ता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय निगम है। लेकिन इसके पास सीमित संसाधन हैं और यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भी उनकी आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता नहीं दे सकता है। इस संबंध में मैं कृषि मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करे तथा देखे कि इस निगम को अधिक धन प्राप्त हो ताकि यह न केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को बल्कि अन्य किसानों को भी सहायता दे सके ताकि उत्पादन बढ़ सके।

वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में, कृषि कार्य वर्ष में 6 से 7 माह ही रहता है। मैं उस जनजातीय क्षेत्र का निवासी हूं जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। लोगों के पास पांच महीने तक कोई काम नहीं रहता। फसल कटने के बाद वे जंगलों से कुछ छोटे-छोटे वन-उत्पाद इकट्ठे करते हैं और आवश्यक सामान खरीदने के लिए उन्हें बाजार में बेचते हैं। जब यह समाप्त हो जाता है तब वे दुबारा वनों में खाने का सामान इकट्ठा करने जाते हैं, वे मुलायम पत्ते, कुछ बेलों की जड़ें, खाने योग्य फल और यहां तक कि बांस के टुकड़े जो नरम होते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, इन्हें वे उबालकर खाते हैं क्योंकि उचित खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है। चूंकि यह सब मानव के उपयोग के लिए उचित खाद्य पदार्थ नहीं हैं अतः कुछ व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, उन्हें पेट की बीमारियां हो जाती हैं। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि गत वर्ष मेरे जिले में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 7,000 लोग मर गए। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने दवाइयां खरीदने के लिए 20 लाख रुपये दिए।

सभापति महोदय : क्या आपके जिले में भुखमरी से 7,000 व्यक्ति मर गए।

श्री के० प्रधानी : जी हां, महोदय। केवल भुखमरी से ही ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुपोषण से भी हुआ। चिकित्सकों का कहना है कि या तो वे लोग कुपोषण से मरे हैं अथवा आंत्रशोथ से अथवा हैजे से। यह जो भी हो लेकिन उचित खाद्य पदार्थों के अभाव में ऐसा हुआ।

राज्य सरकार तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री ने उस जिले में काफी मात्रा में खाद्यान्न भेजे।

लेकिन उसका उचित वितरण नहीं हुआ । वहां मरीजों की देखभाल करने तथा दवाइयां देने के लिए पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक नहीं हैं । कोरापुट जिले में भी ऐसा ही हुआ है ।

इस वर्ष कालाहांडी जिले में फसल की कटाई के बाद अनेक लोग जीविकोपार्जन के लिए अपने गांव छोड़कर अन्य स्थानों पर आ रहे हैं ।

महोदय, आपने 2 अप्रैल को प्रकाशित इस समाचार को पढ़ा होगा कि बोलानगीर जिले में एक आदिवासी महिला ने भोजन के अभाव में केवल 20 रुपये में अपने बेटे को बेच दिया । वह भूखी मर रही थी, अत: उसने अपने बेटे को 20 रुपये में बेच दिया । उड़ीसा के गरीब आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है ।

महोदय, इन सभी बातों को जानते हुए हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना शुरू की थी जिससे ग्राम पंचायत को सीधे धन दिया जा सके और काम उपलब्ध न होने की अवधि में भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों तथा सीमांत किसानों को जीविकोपार्जन के लिए सहायता मिल सके । लेकिन प्रधान मंत्री द्वारा आरंभ की गई इन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया गया क्योंकि क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । वे ठेकेदार नियुक्त कर रहे हैं, कार्य ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है, निर्धारित दरें नहीं दी जाती हैं जबकि यह सख्त हिदायत दी हुई है कि ठेकेदार नियुक्त नहीं किए जाएं, निर्धारित दर दी जाएं तथा जब कोई कार्य उपलब्ध न हो, कृषि का मौसम न हो तब कार्य शुरू किया जाए ।

खाद्यान्नों के वितरण के लिए सस्ती दरों पर चावल उन आदिवासी क्षेत्रों में भेजा गया था जहां लोगों की क्रय-शक्ति बहुत कम है और राज्य के विभिन्न गांवों में खाद्यान्न बांटने के लिए गाड़ियां भेजी गई हैं । लेकिन महोदय, यह सामान लोगों तक नहीं पहुंचता है क्योंकि वे गैर-सरकारी व्यक्तियों को खुदरा दुकानदार बना देते हैं, इसमें उन व्यक्तियों का हित भी शामिल होता है । वे रास्ते में ही उन्हें बेच देते हैं तथा ग्रामीणों को यह खाद्यान्न नहीं मिलते । जब मैंने भारत सरकार से संपर्क किया और कहा कि 'हमारे क्षेत्र में ऐसा होता है, कृपया हमारी सहायता कीजिए' तब वे कहते हैं, 'महोदय, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, इसे देखने का कार्य राज्य सरकार का है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा संघात्मक ढांचा है, और वे अपना कार्य करेंगे । हम केवल पैसा, चावल और जो भी संभव है वह दे सकते हैं ।'

महोदय, जब हम आदिवासी लोगों की बात कर रहे हैं तब सरकार को राज्य सरकार पर पूरा अधिकार प्राप्त है । इस संबंध में मैं संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख करूंगा । अनुच्छेद 339 (2) में कहा गया है :

> "संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है ।"

पांचवी अनुसूची में भी एक प्रावधान है, जिसका पाठ इस प्रकार से है :

> "अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट—

ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है, प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा।"

महोदय, अनुच्छेद 365 में कहा गया है :

"जहां इस संविधान के अधीन किसी उपबन्ध के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी बनाने में कोई राज्य असफल रहता है, वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।"

महोदय, अक्सर यह कहा जाता है कि सरकारिया आयोग हमें राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने से रोकता है।

मैं संविधान सभा में हुई चर्चा का एक पैराग्राफ तथा डा० अम्बेडकर की टिप्पणी यहां उद्धृत करता हूं :

"संविधान सभा में चर्चा

संविधान सभा में अनुच्छेद 257 के खंड (3) जो रेलवे के संरक्षण के बारे में है, चर्चा हुई थी लेकिन अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257 के शेष खंडों पर चर्चा नहीं हुई थी। तथापि, अनुच्छेद 365 के प्रावधानों की आलोचना हुई थी। कुछ सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 365 के प्रावधान उन मामलों में भी लागू किए जाएंगे जहां केन्द्र के निर्देशों का थोड़ा भी उल्लंघन हुआ हो···"

संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डा० अम्बेडकर ने उल्लेख किया है :

"यदि केन्द्र सरकार को कुछ मामलों में राज्यों को निर्देश जारी करने के अधिकार एक बार दिए जाते हैं जिससे वे राज्यों को कुछ मामलों में कुछ निश्चित तरह से कार्य करने को कह सकें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन निर्देशों के पालन में असफलता की स्थिति में केन्द्र को उस राज्य के विरुद्ध कार्यवाही कर सकने की शक्ति से वंचित रखना उन निर्देशों का उल्लंघन होगा जो कि संविधान द्वारा केन्द्र को दिए जाने का प्रस्ताव है। हरेक अधिकार के साथ स्थिति से निपटने का तरीका होना चाहिए।"

अतः केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा उसके निर्देशों या सुझावों का विरोध करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं।

महोदय, अब मैं पंचायत राज प्रशासन पर आता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं जनजातीय जिले का रहने वाला हूं। मेरे जिले में 44 हाई स्कूल हैं। लगभग पांच वर्ष पूर्व हमारी एक जिला कल्याण समिति थी और सांसद और विधायक इसके सदस्य थे। वहां पर परीक्षा

परिणाम बहुत खराब थे इसलिए हमने समाहर्ता को अध्यापकों को आरोप-पत्र भेजने के लिए कहा। 44 विद्यालयों में लगभग 500 अध्यापक हैं। ये साधारण विद्यालय नहीं हैं, बल्कि ये आवासीय विद्यालय हैं। पिछले वर्ष 44 स्कूलों में से केवल 70 लड़के पास हुए हैं। समाहर्ता ने 5 वर्ष पूर्व 100 अध्यापकों के विरुद्ध आरोप-पत्र भेजे; लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए कि अध्यापकों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, आदेश को साफ-साफ टाल दिया। मेरी बात ये है। समाहर्ता, जिला प्राधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि, जो मौके पर ही स्थानीय मामलों का विश्लेषण कर रहे हैं, उनकी ऐसे मामलों में कुछ नहीं सुनी जाती। राज्य सरकार ही वहां पर सर्वोच्च प्राधिकरण है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण हो। जिला परिषद अधिनियम तुरंत पारित किया जाए और जिले में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को दोषी पाए जाने पर दण्डित करने के लिए जिला प्रशासन को पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। राज्य मुख्यालयों में केन्द्रित शक्तियों वाला इस तरह का प्रशासन गरीबों और विशेष रूप से जनजातीय लोगों के विकास में सहायक नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : सभापति महोदय, मैं सदन में कृषि अनुदान की मांग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ज्यों ही कृषि का नाम आता है, हमारी नजर के सामने भारतवर्ष के गांव और गांवों में लहलहाते फसल, नजर के सामने कौंध जाते है और अफसोस होता है कि कभी सोने की चिड़िया से सम्बोधित होने वाला देश आज तंगो-तबाही की कतार में खड़ा है और इसका मूल कारण मैं यह समझता हूं कि एक मुद्दत से कृषि और गांवों की उपेक्षा इस देश में होती रही है।

हम जब गांवों और कृषि की बदहाली पर नजर डालते हैं तो यह सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि सारा शहर कर्ज में डूबा है, "सारा शहर कर्ज में डूबा है, बोझ उठाने को मेरा गांव तो है।" हम देखते हैं कि आज गांवों के ऊपर सारा बोझ आन पड़ा है। सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की कुल श्रम शक्ति का 66 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक कृषि में लगा हुआ है और हम सभी यह भी जानते हैं कि हमारे देश की जो कुल आय है, उसका 35 प्रतिशत कुल कृषि से प्राप्त होता है और दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद भी वर्तमान कांग्रेसी सरकार गांव और कृषि की उपेक्षा करके, वह लोग मल्टी-नेशनल्स की आरती उतारने में लगे हैं और मेरा यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गैट के माध्यम से जो हमारे देश में साजिश की जा रही है, आने वाले दिनों में विकसित देशों के हाथ हमारी जो कृषि है वह मोर्टगेज हो जाएगी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, बुजुर्गों ने कहा है कि विदेशी नीति और विदेशी धन जब हमारे किसी देश में जाता है तो उसके पीछे विदेशी झंडा भी जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश में यह मुमकिन है, लेकिन जिस सोच के तहत डंकल प्रस्ताव है, उसमें यह निहित है कि आने वाले दिनों में जो विकासशील देश हैं, जिनमे हमारा भारतवर्ष भी है, इनको खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर न होने दें, क्योंकि ये विकासशील देशों के बारे में विकसित देश जानते हैं

कि फूड और अनाज एक ऐसा मामला है जो इनकी दुखती रग पर उंगली रखता है। इनको पता है कि और मामलों में विकासशील देश हमारी बात न सुनें, लेकिन जब भूख का सवाल आएगा, तो अपनी मर्जी के मुताबिक हमारे देश को नचा सकेंगे और इनकी कोशिश होगी कि हमें जब हम इनकी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होने देंगे, तो हम जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे वह विकासशील देशों से कराएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे देश के लोग कम खाकर, गम खाकर जी लेंगे, लेकिन आपको देश के आत्म-सम्मान को बढ़ाने के लिए यकीनीतौर पर डंकल-प्रस्तावों का विरोध करना चाहिए।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय बड़े खुश हो रहे होंगे कि इन्होंने 17 करोड़ टन अनाज देश में पैदा किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ टन अनाज हमारे देश के लिए काफी है, जबकि देश में आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। अभी आज ही हिन्दुस्तान में यह समाचार छपा है कि हमारे प्रधान मंत्री ने माना है कि मध्य प्रदेश में भूख से कुछ मौतें हुई हैं, यह बात प्रधान मंत्री ने स्वीकार की है। जिस देश में आज भी लोग भुखमरी से मर रहे हों, उसके मंत्रीगण 17 करोड़ टन अनाज पैदा करके अपनी पीठ थपथपा रहे हों, तो उस देश का भगवान ही मालिक है। मैं कहना चाहता हूं कि 17 करोड़ टन अनाज पैदा करके आप क्यों खुश हो रहे हैं। 50 के दशक के पहले निगाह डालें तो पता चलेगा कि उस समय 395 ग्राम अनाज प्रति व्यक्ति उपलब्ध था और आज 42 वर्षों के बाद हम प्रति व्यक्ति 500 ग्राम अनाज उपलब्ध करा पाए हैं। गोया 42 वर्षों में 105 ग्राम अधिक अनाज पैदा कर पाए हैं।

सभापति महोदय, आज भी हमारे देश में बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जिनका पापुलेशन-ग्रोथ फूड ग्रोथ से अधिक है। आसाम में पापुलेशन ग्रोथ 3.3 प्रतिशत, फूड ग्रोथ 1.7 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में पापुलेशन ग्रोथ 2.4 प्रतिशत और फूड ग्रोथ 2.1 प्रतिशत, केरल में पापुलेशन ग्रोथ 2.3 प्रतिशत और फूड ग्रोथ 1.9 प्रतिशत, महाराष्ट्र में पापुलेशन ग्रोथ 2.3 प्रतिशत और फूड ग्रोथ 2.00 प्रतिशत, कर्नाटक में पापुलेशन ग्रोथ 2.1 प्रतिशत और फूड ग्रोथ 1.9 प्रतिशत, पंजाब में पापुलेशन ग्रोथ 2.12 प्रतिशत और फूड ग्रोथ 1.2 प्रतिशत है। आंध्र प्रदेश का भी यही हाल है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : आंध्र प्रदेश का भी बता दीजिए।

श्री वृषिण पटेल : आंध्र प्रदेश में पापुलेशन ग्रोथ है 1.7 प्रतिशत और फूड ग्रोथ है 1.1 प्रतिशत।

श्री जी० वेंकट स्वामी : आंध्र प्रदेश का गलत बता रहे हैं।

श्री वृषिण पटेल : आंध्र प्रदेश का गलत है या सही है, इसको बाद में देखेंगे, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आंध्र प्रदेश के आंकड़े मेरे द्वारा गलत दिए जा रहे हैं, लेकिन बाकी सारे प्रदेशों के आंकड़े भी क्या गलत हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि आज भी बहुत सारे प्रदेश में पापुलेशन ग्रोथ फूड ग्रोथ से ज्यादा है।

एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो अनाज हम

पैदा कर रहे है, उसकी गति कितनी धीमी है। 1984-86 में मोटे अनाज का उत्पादन 31.1 मिलियन टन था जो 85-86 में घट कर 26.2 मिलियन टन हो गया और 1990-91 में 33.4 मिलियन टन उत्पादन हुआ। क्या इसी गति से आप पैदावार बढ़ा रहे हैं और इसी गति से पैदावार करके क्या हम देश को अनाज खिला पाएंगे? आप दाल को ले लीजिए, तिलहन को ले लीजिए। दाल का 20.0 मिलियन टन था, आज 14.0 मिलियन टन है। मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि जितने अनाज की हम आवश्यकता है, हम उतना अनाज पैदा नही कर पा रहे है। जबकि हमारे जो पड़ोसी देश है, चीन को ले लीजिए, हम चीन की ओर ध्यान करें। नियोजित विकास के मार्ग पर हम साथ-साथ चले थे। आज उसकी राष्ट्रीय विकास दर दुगुनी हो गई है और पापूलेशन ग्रोथ आधी हो गई है तथा हम जहां के तहां खड़े है।

मैं दूसरी बात कृषि मंत्री जी कहना चाहता हूं कि आप चीन को जाने दीजिए, निगाह डालिए संकट के पूर्व सोवियत संघ पर। आप देखिए सोवियत संघ का पापूलेशन हमसे एक तिहाई है और हमारे से दुगुनी उपज है। आज सोवियत संघ को देखिए, सोवियत संघ के बिखर जाने के बाद आज वहां के लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए है। मैं कहना चाहता हू कि अग्र सोचो सदा सुखी। आप अपने मित्र देश से सीख लीजिए। भगवान न करे कि ऐसी परिस्थिति कभी हमारे देश मे आ जाए। हमारे देश का उस समय क्या होगा? हमारे देश के करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। इसलिए आप जरा अपनी इच्छा शक्ति को जगाइये और कृषि मे ज्यादा रुपया दिलवाइये। कल नीतीश जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जनता दल की सरकार मे यह घोषणा की थी कि हम कृषि के विकास पर 50 परसेंट टोटल बजट का खर्च करेंगे। आप तो उतना भी नहीं दे रहे हैं। आपको इससे ज्यादा घोषणा करनी चाहिए, रुपया देना चाहिए। लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, चूंकि मैं बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि कृषि से परे हट कर मैं ग्रामीण विकास को भी कुछ चर्चा करूं। ...(व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : बिहार के उत्थान के हिसाब से क्या सारा देश चला दें।

श्री वृशिण पटेल : सारे देश की बात मैं कह सकता हूं, अगर आप बिहार को सारा देश समझ रहे हैं तो हमे खुशी है। इसमे कोई हर्ज नहीं।

सभापति जी मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि को बढ़ाने के लिए आप जो छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएं है आपको बढ़ावा दीजिए। आपने देखा होगा गांव में जब आप जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, वहां देखते हैं कि 20-25 एकड़ के लिए लोग कहते हैं कि अगर 15 हजार या 20 हजार में नाले की खुदाई कर दी जाए तो 20 एकड़ जमीन की सिंचाई हो जाएगी। लोग कहते हैं कि हजार एकड़ या दो हजार एकड़ में 10 लाख या 15 लाख की योजना बना दी जाए तो 2 हजार, 3 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई कर आप अनाज पैदा कर सकते हैं। आपको मालूम है कि वाटर लोगिंग भी समस्या है। आप सिर्फ जल जमाव की समस्या से लोगों को निदान दिला दीजिए, आप देखिए कृषि के मामले म आप कहां-से-कहां चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फर्टीलाइजर का मामला हो या फसल बीमे का सवाल हो, फसल बीमा आपको लागू

करना चाहिए। पूर्व में भी इस पर काफी जिक्र हुआ है। मैंने आपसे कहा था फसल बीमा लागू हो सकता है। आप सहकारिता के माध्यम से, कृषि ऋण जो आप किसानों को देते हैं, उसी में से उसका प्रीमियम काट लीजिए, सारे किसान फसल बीमा करवा लेंगे। अगर आपकी नजर में कोई और बेहतर योजना हो फसल बीमा लागू करने की तो आपको यह शीघ्र लागू करनी चाहिए। मैं कृषि पर ज्यादा बात न करके कुछ बातें ग्रामीण विकास पर कहना चाहूंगा। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा सभापति जी, कि ग्रामीण विकास के माध्यम से दो महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे देश में हैं।

4.04 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

एक तो जवाहर रोजगार योजना और एक आई०आर०डी०पी०। मैं पसन्द करता हूं, जवाहर रोजगार योजना को। क्योंकि पहले गांव के विकास के लिए जो योजना इस दिल्ली में बनाई जाती थी यकीनन तौर पर वह योजना गांव के लोग बैठकर और गांव की जो आवश्यकता है, उसके अनुसार, बना रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मंत्री जी, कि आप थोड़ी हिम्मत कीजिए, आप प्राथमिकता भी तय कीजिए, ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिकता तय कीजिए कि प्रथम चरण में हम प्रत्येक गांव को कच्ची सड़क से ही नहीं, कच्ची सड़क कलवर्ट के साथ बनाकर पक्की सड़क से जोड़ देंगे।

यह प्राथमिकता आप तय कीजिए। आपके पास आर० ई० ओ० और जवाहर रोजगार योजना जैसी ग्रामीण विकास की एजेंसी है। ये गांवों के विकास के लिए हैं जिनमें सड़क का निर्माण होता है। ये दोनों एजेंसी आपके पास हैं। एक एजेंसी और जिला योजना की है। इसके माध्यम से ग्रामीण सड़कों का निर्माण होता है। आप जिला योजना मंत्री के साथ बैठकर विचार कर लीजिए और प्राथमिकता तय कर लीजिए कि प्रथम चरण में प्रत्येक गांव को कच्ची सड़क से जोड़ना है। ताकि श्री बलराम जाखड़ साहब को कभी बिहार के किसी गांव में जाना पड़े तो इनको यह न पूछना पड़े कि हमारी गाड़ी जा सकती है या नहीं। जवाहर रोजगार योजना में प्रति वर्ष बरसात के बाद जो सड़क का नुकसान होता है तो उसकी मेन्टीनेंस के लिए कुछ राशि तय कर दीजिए कि जो सड़क खराब हो जाए तो फिर आने-जाने के लायक बना दी जाए। आर० आई० ओ०, जवाहर रोजगार योजना और जिला योजना आपके पास तीन एजेंसी हैं। आप तीनों को कोआर्डिनेट कर पाते हैं तो आप निश्चित तौर से ज्यादा-से-ज्यादा सड़क का निर्माण कर सकते हैं। जवाहर रोजगार योजना मिट्टी का काम करता है। जिला योजना को कहिए कि हार्ड क्रश का काम करें और आर० ई० ओ० ब्लैक टॉपिंग का काम करें, न मिट्टी का और न हार्ड क्रश का काम करें बल्कि अपना काम करें। यह कहा जाए कि दूसरा काम तुमको नहीं करना है। इन एजेंसियों द्वारा अलग-अलग मिट्टी, हार्ड क्रश और ब्लैक टाप का काम करने से इसमें व्यापक भ्रष्टाचार पैदा हुआ है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप तीनों को कोआर्डिनेट करें। योजना मंत्री के साथ बैठकर कोआर्डिनेशन बनाइए ताकि आने वाले दिनों में सड़कों का ज्यादा-से-ज्यादा निर्माण कर सकें। प्रत्येक पंचायत में प्रति वर्ष डेढ़ से दो लाख का काम होता है। प्रत्येक प्रखंड में 30 से 32 पंचायतें होते हैं। 40, 50 या 70 लाख का काम एक ओवरसियर

प्रति सर्वे कराता है। क्या वह करा पाएगा। जवाहर रोजगार योजना के पैसे आप इन्जीनियर और ओवरसियर की नियुक्ति का प्रोविजन कर दीजिए। इससे रोजगार भी मुहैया होगा और सही समय पर वह काम भी कर लेगा ताकि विकास योजना अवरुद्ध न हो। आप प्रत्येक राज्य को त्रैमासिक प्रतिवेदन के आधार पर जवाहर रोजगार योजना का पैसा आवंटित करते हैं। जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसका पैसा केन्द्र से कट जाता है। कभी किसी राज्य में कोई हड़ताल हो जाए, कोई आपदा हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए कि वह राज्य अपने विकास की दर को प्राप्त न करता हो तो आप निश्चित तौर से उसका आवंटन काट लेते हैं। आप वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर पैसे का आवंटन कीजिए। कोई राज्य मुसीबत में हो और अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त न कर रहा हो तो उसका पैसा केन्द्र से न काटा जाए बल्कि इस पर वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर पैसे का आवंटन दें। ग्रामीण विकास में आई० आर० डी० पी० के माध्यम से आप गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप कलेजे पर हाथ रखिए कि आप कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा पाए हैं। अभी हाल ही में धर्मयुग में बुन्देलखंड की रिपोर्ट आई है। उसमें लिखा है और हम भी जानते हैं कि तीन हजार, चार हजार रुपये आप गरीबों को गाय-भैंस खरीदने के लिए देते हैं। आप सोचिए कि जब तीन हजार रुपये में बकरी नहीं मिलती तो आप जो इतनी राशि उन गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए गाय-भैंस खरीदने के लिए देते हैं वह कितना दूध देती होगी। उनका क्या विकास होगा और कैसे वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठेंगे, यह तो भगवान ही जाने। आप गरीब हरिजनों को गाय-भैंस देते हैं, लेकिन हरिजनों की कभी आनरशिप नहीं रही है। शुरू से पालने के, रखने के उत्तराधिकारी वे नहीं रहे हैं। ये दूसरों की गाय-भैंसें पालते रहे हैं, खिलाते रहे हैं, उनको आनरशिप का कोई ज्ञान नहीं है। जब आप इनको ये प्रदान कर रहे हैं तो इसके लिए प्रशिक्षण भी दें, जो कि अभी तक नहीं दिया जा रहा है। आप उनको ट्रेनिंग दें कि कैसे वे गाय या भैंस को पाल सकते हैं, कैसे उसका रख-रखाव कर सकते हैं। इससे वे अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकेंगे।

आई० आर० डी० पी० के माध्यम से महिलाओं को या नौजवानों को स्व-रोजगार के लिए या दूसरी गतिविधियों के लिए रुपया मुहैया कराते हैं। क्या आपने कभी फिजीकल वेरीफिकेशन कराया है कि हिन्दुस्तान में जितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए जो परिसम्पत्ति दी है क्या कोई परिसम्पत्ति बाकी है? मैं जब बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री था तो मैंने एक सर्वेक्षण कराया और पता चला कि 25 प्रतिशत ही परिसम्पत्ति वहां है और बाकी परिसम्पत्ति लापता है। चूंकि मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूं इसलिए उसके बारे में ज्यादा जानता हूं, वहां की समस्याओं से अवगत हूं। लेकिन आप दूसरे राज्यों में भी फिजीकल वेरीफिकेशन कराएं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां भी परिसम्पत्ति आपको नदारद मिलेगी।

आप जो रोजगार मुहैया कराते हैं उसके लिए कोई मार्केट की व्यवस्था नहीं है। सिलाई का कारोबार करने के लिए उनको मशीन उपलब्ध कराते हैं, दूध का कारोबार करने के लिए या फल-सब्जी का कारोबार करने के लिए उनको चीजें मुहैया कराते हैं, आपने कभी सोचा है कि वे जो चीजें उत्पादित करते हैं उसके लिए बाजार कहां उपलब्ध होगा। आपको उसके लिए बाजार भी सुनिश्चित करना चाहिए। आप यहां से निर्देश जारी करें जिलों में कलेक्टर्स के पास कि

ग्रामीण विकास में जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उनको बेचने के लिए प्रत्येक जिले में ग्रामीण मेले का आयोजन किया जाए ताकि वे अपना माल उसके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचा सकें। दूसरी एजेंसीज़ उनको प्रोत्साहित करें कि वह गांवों में जाएं और उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको खरीदें ताकि उनकी जीविका चल सके और वे धन संग्रह कर सकें और उनका जीवन खुशहाल हो सके।

अब मैं ट्राइसम के बारे में जिक्र करूंगा। ट्राइसम के माध्यम से आप चाहते हैं लोगों को स्व-रोजगार मिल सके, लोग सेल्फ-सफिशेंट हो सकें। आप अपने आंकड़ों को देखें। मैंने पूर्व में भी कहा था कि फिजीकल वेरीफिकेशन कराएं। वही हाल ट्राइसम योजना का है। आपने 1990-91 में लक्ष्य रखा था कि 4 लाख 25 हजार 314 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। आपकी उपलब्धि कितनी है, 45 प्रतिशत, मतलब 1 लाख 19 हजार 25 लोगों को आप प्रशिक्षित करा पाए हैं। ट्राइसम योजना में यह आंकड़े या प्रतिशत कोई मायने नहीं रखते हैं। ट्राइसम के मायने यह हैं कि आप अधिक-से-अधिक लोगों को स्व-रोजगार मुहैया करा सकें और एक लाख इक्यावन हजार लोगों में आपने स्व-रोजगार कितने लोगों को मुहैया कराया, सिर्फ इक्यावन हजार पांच सौ साठ लोगों को। क्या इसी रेशो पर हम अपने गांवों का विकास कर सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि यह मुमकिन नहीं है कि आप इस पर गांव का विकास कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि यदि देश को बचाना चाहते हैं, यदि अपने गांवों की तरक्की चाहते हैं तो आप अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत कीजिए। वे जवाहर रोजगार योजना में सारे देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इसके माध्यम से प्रतिवर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करेंगे लेकिन सभी जानते हैं कि ग्रामीण विकास में धन आपने काट दिया है। मैं तो यह कहूंगा कि भविष्य में ग्रामीण विकास में आवंटन बढ़ाइए, कृषि का आवंटन बढ़ाइए तभी हमारा देश सुखी और समृद्धिशाली हो सकता है।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : सभापति महोदय, मैं बजट में ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि मैं ग्रामीण विकास में रुचि रखता हूं, अतः मैं तेलुगू देशम पार्टी की ओर से मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों का विरोध करता हूं, क्योंकि ग्रामीण विकास को यथोचित महत्व नहीं दिया गया है। महोदय, यह मेरा पहला भाषण है।

पिछले कई वर्षों से ग्रामीण विकास एक नारा बन गया है, राजनीतिक घोषणा पत्रों के लिए एक आकर्षक शब्द बन गया है और निहित स्वार्थी लोगों के लिए आसानी से धन आवंटित कराने के लिए एक उपनाम बन गया है। अधिक मात्रा में धन व्यय करना व्यवहारिक परिरक्षण, कृषि के विकास इत्यादि जैसे चुनिन्दा क्षेत्रों में छुट-पुट विकास के अलावा और कुछ नहीं है। यह ग्रामीण जनता के जीवन के हर क्षेत्र में उनका संपूर्ण उत्थान नहीं है।

ग्रामीण लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े समुदायों के लोगों की आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें सरकार द्वारा आयोजित अनेक

कार्यक्रमों के तहत पूर्ण रूप से पूरी नहीं की जा रही हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद की और संपूर्ण ग्रामीण विकास के लिए पिछले चालीस वर्षों से भी अधिक समय में हजारों करोड़ रुपए आबंटित और खर्च करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों की दशा जैसे की तैसे बनी हुई है और ये बहुत कम विकसित हुए हैं तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अन्तर अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। इस दयनीय और खेदजनक स्थिति के कारण प्रकट रूप से ज्ञात है। यह कारण है आयोजना की कमी तथा कार्यान्वयन में पाई गई खामियां अर्थात् अमीर लोगों की भागीदारी, खुशहाल ग्रामीणों द्वारा लाभ हथियाना, लाभान्वित होने वालों में गरीबों को शामिल न करना, ऋणों का दुरुपयोग, ऋणों, राजसहायता वितरण मे दलाली और सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करके कार्यक्रमों को लागू करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव। गुणात्मक पहलुओं अथवा वास्तविक निष्पादन का कोई ध्यान रखे बगैर ग्रामीण विकास के लिए वार्षिक योजना परिव्यय में निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करना भारतीय नौकरशाही का दर्शन बन गया है। इस बारे में कोई जवाबदेही निर्धारित नहीं है और इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में और इसके बाहर हरेक स्तर पर राजनीतिक समूह कार्यरत हैं जो नौकरशाही पर उस वर्ग, जिससे वे संबंधित हैं, उस प्रबल वर्ग या जातिगत हितों के लिए दबाव डालते हैं। इस गंभीर स्थिति का कुल नतीजा यह है कि गरीब और दीन-हीन ग्रामीण लोगों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिलता है और उनका विकास एक कल्पना बनकर रह गया है। मैं वचनबद्धता और ग्रामीण लोगों का विकास सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का विरोध करते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं पर अधाधुंध धन व्यय करने के बजाय उन्हें अधिक कारगर ढंग से लागू करने और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव देता हूं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 1992-93 के बजट में 375.64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उसकी अच्छी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जिसको धन दिया जा रहा है, उन्हें केवल भौतिक लक्ष्य पूरे करने के लिए ही जिम्मेदार नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें ग्रामीण गरीबों के चुने हुए परिवारों, जिनको गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के रूप में चुना गया है, की प्रगति की निरंतर निगरानी करनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें प्रदान की गई राजसहायता का उपयोग इस तरह से हो कि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सके और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का चुने गए इन परिवारों को आय पैदा करने वाली आस्तियां देने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। इस निगरानी के बगैर किया जाने वाला सरकारी व्यय निरर्थक है। इतना ही नहीं बल्कि जिन गांवों में कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे परिवहन, विपणन सिंचाई आदि उपलब्ध हैं, उनमें ग्रामीण विकास केन्द्र भी शुरू किए जाने चाहिए तथा ग्रामीण विकास केन्द्रों का प्रबन्ध जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पर्यवेक्षण में स्थानीय पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए। इन सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उन संचार माध्यमों से सभी लोगों को दी जानी चाहिए, जिनके लिए ये बनाई गई हैं। आई॰आर॰डी॰पी॰ के कार्यों की देखभाल करने तथा भागीदारों की सम्पत्ति को बनाए रखने की योग्यता, जीवन-स्तर में प्रगति की सीमा, लाभान्वित होने वालों का गलत ढंग से पता लगाये जाने संबंधी कारण और ठीक तरह से पता लगाने की विधियां, धन का दुरुपयोग रोकने, संपत्तियों के रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था और उचित समझबूझ के लिए जानकारी का प्रचार

करने तथा ग्रामीण गरीब लोगों में इन योजनाओं के लाभों की जानकारी देने का कार्य करने के लिए एक अनुसंधान एवं अध्ययन समूह को काम पर लगाया जा सकता है। राज्य योजना कार्यों को अधिक अनुक्रियाशील बनाया जाना चाहिए। इन बोर्डों को उत्कृष्ट लक्ष्य के दृष्टिकोण और व्यय के सांख्यिकीय आंकड़े रखने के काम से परे रखा जाना चाहिए। इन कदमों से आई०आर० डी०पी० के उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को निम्नतम स्तर तक कार्यान्वित किया जा सकेगा।

उसी प्रकार ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत दूसरी महत्वपूर्ण योजना जवाहर रोजगार योजना है। इस योजना का घोषित उद्देश्य बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं को अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और ग्रामीण आर्थिक आधार ढांचे को मजबूती देकर सतत रोजगार उत्पन्न करना है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए गृह-निर्माण के साथ-साथ उक्त श्रेणियों के गरीब और छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए बिना लागत के सिंचाई के कुएं बनाना भी जवाहर रोजगार योजना में शामिल है। 1992-93 के बजट में 2046.21 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए कार्यों के मूल्यांकन से पता चलता है कि इस योजना के तहत धनराशि साधारणत: कार्यदिवस सृजित करने और विकास कार्यक्रमों में लगे ग्रामीण मजदूरों को मजूरी का भुगतान करने पर व्यय की गई है। इस योजना से लाभकारी रोजगार उत्पन्न करने के उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका है, जिससे कि स्थायी सामुदायिक अस्तियों का सृजन हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों को सतत और स्थायी आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह देखा गया है कि ऐसी स्थानीय प्राथमिकताओं के निर्धारण और परियोजनाओं के तैयार करने में, जिनसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वपोषण पर आधारित मूलभूत ढांचे का निर्माण हो सके, ऐसी प्रणाली विद्यमान नहीं है और कार्यदिवसों का उपयोग अलाभकारी तथा अप्रोत्साहक योजनाओं के लिए किया जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए अधिकाधिक धनराशि आबंटित की जाती है और जब किसी परियोजना की एक-मुश्त अदायगी हो जाती है, तो उसके बाद बहुत से श्रमिक ज्यों-के-त्यों ही रह जाते हैं और फिर नये रोजगार तलाश करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप भी शिक्षित युवा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करने लगे हैं। चूंकि वहां पर उनके लिए लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वे वहां से पलायन करने लगे हैं। परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण स्थिति में सुधार नहीं हुआ और ग्रामीण शिक्षित युवाओं की भीतरी शक्ति का उपयोग नहीं हो सका। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो धनराशि है, उसका उपयोग प्रत्येक गांव में मानव संसाधन विकास कार्यों के लिए किया जाना चाहिए और शिक्षित युवाओं को स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र सहकारी एजेंसियां और अन्य उत्पादनकारी तथा लाभकारी परियोजनाओं को चलाने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रत्येक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो धनराशि है,

इसका उपयोग बेहद सतर्कता और समुचित नियोजन के साथ किया जाना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्थायी विकास संबंधी परिणाम सामने आ सकें।

इसी तरह से स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना (ट्राइसम), एम०एन०पी० के अन्तर्गत सुरक्षित पेयजल योजना, ग्रामीण सफाई और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जैसे बहुत से अन्य कार्यक्रम भी है। इन कार्यक्रमों को संचालित करने वाले सरकारी विभागों और अभिकरणों की अधिकता भी एक कार्यक्रम को दूसरे कार्यक्रम के साथ जोड़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है और उपरोक्त कार्यक्रमो के व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन के बारे में अन्तर्विभागीय अधिकारियों में समन्वय न होना भी ग्रामीण विकास के मार्ग मे बहुत बड़ी अड़चन है। अच्छा यह रहेगा कि इन सारे कार्यक्रमो को एक ही कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ही विभाग के अधीन एकीकृत कर दिया जाए; इससे बेहतर ग्रामीण विकास के हित में विभिन्न योजनाएं प्रभावकारी तथा परिणामोन्मुखी ढंग से लागू की जा सकेंगी।

इसलिए, मैं यह अनुभव करता हूं कि अधिकाधिक धनराशि का आबंटन ही नहीं किया जाना चाहिए, अपितु विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के हित में आवश्यकता इस बात की है कि एक सर्वांगीण, व्यापक, सुनियोजित तथा एकीकृत कार्य-योजना बनाई जानी चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, अनुदानों की मांगों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं एक और सुझाव रखना चाहूंगा। ग्रामीण विकास केवल तभी संभव हो सकता है, जबकि भूमि सुधारों को उचित ढंग से लागू किया जाए; पंचायतीराज संस्थाओं जैसे स्थानीय निकायों को शक्तियां प्राप्त हों; और साक्षरता तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों को उचित ढंग से लागू किया जाए। हमारी पचायती राज प्रणाली तीन स्तरीय है। लेकिन आज ग्रामीण इलाकों की बेहतरी के लिए उचित कार्यक्रमो को लागू करने में पचायती राज प्रणाली के पास वित्तीय तथा राजनैतिक शक्ति नहीं है। इस संदर्भ में मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा। सरकार देश में स्थानीय निकायों को बेहतर बनाने के लिए 72वां संशोधन प्रस्ताव लाना चाहती है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि पंचायती राज प्रणाली में, स्थानीय नियमों में सीधे चुनाव करवाने की व्यवस्था करवाएं। केवल तभी ही ग्रामीण क्षेत्रो में ग्रामीण स्थानीय शासन प्रणाली कायम हो सकती है जोकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकेगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख (परभनी) : सभापति जी, सदन में प्रस्तुत कृषि एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और इसके साथ-साथ अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। किसानों का मामला ऐसा है, जिसमें किसी पक्ष के आधार पर नहीं देखना चाहिए। सभी धर्मों के तत्व अच्छे होते हैं लेकिन उनका पालन उस रूप में नहीं किया जाता, यही हमारी विडम्बना है। इसलिए चाहे जनता दल हो, जनता पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो, चुनाव से पहले सभी दलों के मैनीफैस्टो बहुत अच्छे होते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि हम किसानों के लिए काम करेंगे लेकिन यहां आकर कुछ करते नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार

हो या कोई दूसरी सरकार हो। महाराष्ट्र में किसानों के लिए बहुत कुछ हुआ है, मैं मानता हूं।

महाराष्ट्र में कृषि बहुत उन्नत हो गई है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी वहां सरकार में है। मैं यहां आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देश में लगभग 170 मिलियन टन अनाज पैदा होता है, क्या वह कम उपलब्धि है। वैजिटेबल्स के मामले में हम आज संसार में चाईना के बाद दूसरे नम्बर पर हैं, पहले नम्बर पर चाईना और दूसरे नम्बर पर हिन्दुस्तान। फ्रूट्स के मामले में हम ब्राजील के बाद दूसरे नम्बर पर हैं, पहले ब्राजील और दूसरे नम्बर पर हिन्दुस्तान। क्या इस प्रगति से कोई इंकार कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए कृषि के क्षेत्र में हमने प्रगति अवश्य की है। अभी हमारे साथी ने चर्चा की पोपुलेशन कन्ट्रोल करने की, मैं भी उनसे सहमत हूं क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वह हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। चाहे किसी भी पक्ष का राज हो, जब तक हम पोपुलेशन को कन्ट्रोल नहीं करेंगे, हिन्दुस्तान की हालत में सुधार आने वाला नहीं है।

इसका एकमात्र हल यही है कि हम सभी पक्ष के लोग इकट्ठा होकर, मिलकर बैठें, प्रोग्राम बनाएं, तभी इस समस्या का हल निकल सकता है। सिर्फ बोलने से हल निकलने वाला नहीं है। इसलिए सभी माननीय सदस्यों को फैमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करके कोई ठोस कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। लेकिन मैं इस विषय पर अधिक गहराई में नहीं जाना चाहता बल्कि कृषि से सम्बन्धित अपने कुछ सुझाव सदन के सामने पेश करना चाहता हूं।

आज किसान को कुछ नहीं चाहिए, उसके उत्पादन में जितना खर्च आता है, उसके अनुसार उसे भाव मिलना चाहिए। आप सब्सिडी दो, फर्टिलाइजर मत दो, लेकिन उसके उत्पादन खर्च के अनुसार उत्पाद का दाम तय कर दो, किसान को इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए।

जब चुनाव होते हैं तो सभी पक्ष के लोग किसानों से बोलते हैं कि जैसा तुम कहोगे, हम करेंगे। यदि किसान कहे कि हिमालय ला दो, तो कहेंगे कि हां, हिमालय ला देंगे। यदि किसान कहे कि समुन्दर ला दो तो कहेंगे कि हां, समुन्दर ला देंगे। यदि किसान कहे कि आकाश से चांद ला दो तो कहेंगे कि हां, आकाश का चांद ला देंगे। इस तरह के आश्वासन सभी मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट इस देश के किसान को देते हैं लेकिन जब चुनाव सम्पन्न हो जाते हैं, यहां चुनकर आ जाते हैं एअर कन्डीशण्ड में, तो बदल जाते हैं। फिर कोई किसान की बात नहीं करता। हमारे बलराम जाखड़ जी किसान हैं इसलिए हमें उन पर विश्वास है। हमारे कृषि राज्य मंत्री किसान हैं, इसलिए हमें उनसे भी आशा है। सब्सिडी किसानों को मिली है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : वे बड़े किसान हैं।

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : छोटे और बड़े किसानों में कोई फर्क नहीं है। कोई भी हमें बताए कि कौन छोटा किसान है और कौन बड़ा किसान है, सभी किसान एक समान हैं। उनमें छोटे-बड़े का कोई फर्क हमें नहीं करना चाहिए, किसी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि देश में पांच परसेंट किसान बड़े हो गए हैं तो हमें उन पर अभिमान होना चाहिए कि कुछ किसान तो चलो बड़े किसानों की श्रेणी में हैं, छोटे किसानों को उन पर गर्व करना चाहिए कि

5 परसेंट हमारे लोग कम-से-कम ऊपर उठे हैं। मैं यद्यपि इस मामले पर ज्यादा बोलना चाहता था परन्तु समय को देखते हुए आपका ध्यान महाराष्ट्र की ओर ले जाना चाहता हूं।

हमारे महाराष्ट्र में रोजगार-हमीं योजना के अंतर्गत बहुत काम हुआ है, वैसा काम किसी दूसरे स्टेट में नहीं हुआ है। फल-उत्पादन के क्षेत्र में, झाड़ पौधों की सफाई के मामले में, हमारे यहां काफी ध्यान दिया गया है और इस साल तकरीबन 2-3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में आम की पौध लगाई गई है, सिट्रस की पौध लगाई गई है। उन्हें पानी की व्यवस्था की गई है। फल-उत्पादन के मामले में हमने कितनी प्रगति की है, उसका अंदाजा आपको तीन साल बाद देखने को मिलेगा, जब महाराष्ट्र से फ्रूट्स आएंगे, मैंगो यहां आएंगे, लैमन यहां आएगा, लेकिन हमें उनके लिए एक प्रोसैसिंग यूनिट चाहिए।

सभापति महोदय, स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बहुत राज्यों ने पैसा लिया है, लेकिन उतना काम नहीं हुआ है। बिहार में 20 परसेंट कटौती हुई है। 46 हजार किलोमीटर रोड बिहार में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बनी हैं, क्या यह संभव है? सब पार्टियां एक जैसी हैं। मैंने सब पार्टियों को परखा है। मैं ठीक बोलता हूं। इसीलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। हमें आखिर में नरसिंह राव जी की पालिसी अच्छी लगी, इसीलिए हमने यहां ज्वाइन किया है।

मान्यवर, कुछ सुझाव देकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। जब फल आएंगे, सब्जियां आएंगी, तो उनकी मार्केटिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। देश के अंदर भी और देश के बाहर भी मार्केटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए।

बीज नीति के अन्तर्गत भी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। हमने पालिसी 1988-89 में बनाई और बाहर से जो आपने पेड़-पौधे और उनके बीज मंगाए, वहां से वे रोग-ग्रस्त आए हैं जिनके कारण हमारे देश में भी कई रोग फैल गए हैं। पहले डायना-बोड आया फिर रिंगटीट आया। जहां से ये आते हैं, वहां चैक करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मेरी मांग है कि बीज नीति को बहुत अच्छी तरह से बनाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन भी है कि सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं के विशेषज्ञों को एक-दूसरे के यहां आने-जाने की सुविधा दी जाए। रीजनल/राष्ट्रीय स्तर के सरकारी शोध संस्थाओं से विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति पर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाना चाहिए जिससे एक-दूसरे की प्रगति से उनको जानकारी प्राप्त हो सके।

सभापति जी, जैसा हमारे साथी नीतीश कुमार जी ने कहा कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र होना चाहिए, मैं उनकी इस बात को दोहराना चाहता हूं। अब आपके पास उसके लिए धन है या नहीं, यह आप देखिए। लेकिन मेरा सुझाव है कि यह बहुत आवश्यक है। अगर हमारे देश में आप चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति हो, तो यह बहुत ही जरूरी है।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कृषि के मामले में हम बहुत लो-टैकनालॉजी से अपना विकास कर रहे हैं, जिसमें बहुत समय जाया हो रहा है। इसलिए मेरा

निवेदन है कि चुनी हुई जनहित की अनुसंधानशालाओं में हाई टैक्नोलोजी का उपयोग करके सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से ज्यादा-ज्यादा विकास किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने नयी बीज-नीति 1988-89 में बनाई, लेकिन प्लांट क्वैरंटाइन सुविधा अच्छी नहीं है। नयी टैक्नीक के अनुसार एन० बी० पी० जी० आर० देना चाहिए।

अपने देश में सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि सम्बन्धी व्यापार में राज्य बीमा निगम, राज्य कृषि उद्योग मण्डल और नाफेड जैसी संस्था कृषि व्यापार में व्यस्त हैं। इनका व्यवस्थापन आई० ए० एस० अधिकारियों के द्वारा हो रहा है जिनको व्यापार और कृषि विषयों का ज्ञान कम है। जो वैज्ञानिक हैं जो अपने विषय के ज्ञाता हैं वे तो ठीक हैं, लेकिन जो आई० ए० एस० अधिकारी हैं, वे ठीक से काम नहीं करते हैं क्योंकि उनको विषय का ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसमें एक्सपर्ट रखने की जरूरत है।

कृषि क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए हर राज्य में कृषि एक्सपोर्ट काउंसिल सरकारी और निजी क्षेत्रों के संयुक्त व्यवस्थापन में स्थापित करनी चाहिए। निर्यात के लिए किसानों को दिए गए मूल्य के अलावा निर्यात इंसेंटिव्ह का ज्यादा भुगतान मुनाफे मे करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार पैंकिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए उन क्षेत्रों में जहां सामान पैक होता है, मटीरियल की इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। सामरी और हवाई माल द्वारा कृषि मालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए आज भाड़ा बहुत लगता है। ग्रेप और मैंगो जैसे फलों पर तो बहुत भाड़ा लगता है। ग्रेप पर 50 रुपए लगता है, जो बहुत ज्यादा है। इसलिए नामिनल टैरिफ की सुविधा आवश्यक है।

सभापति महोदय, देश में अच्छी किस्म के फल, मसाले और अनाज जिस भाग में हो रहे हैं, उसका एक्सपोर्ट जोन बनाया जाए और वहां पर सड़क टेलीफोन, स्टोरेज की अच्छी सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

प्रदेश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अच्छी और बड़ी मार्केट के देशों में भारतीय दूतावास कार्यालयों में "कृषि निर्यात" स्वतंत्र कक्ष हर रोज की स्थिति जानने के लिए खोलना चाहिए और उनका सीधा समन्वय हर स्टेट की एक्सपोर्ट काउंसिल से जोड़ना चाहिए। इससे कृषि निर्यात में बहुत सुविधा होगी।

इस देश में बायो-टैक्नोलोजी डेवलप कर सकते हैं। टिशू कल्चर के थ्रू हम ज्यादा-से-ज्यादा पौधे इस देश में तैयार कर सकते हैं। आज बहुत रिसर्च हुई है, हर यूनीवर्सिटी में आप देखेंगे कि रिसर्च हो रहा है। ड्राई फारमिंग का काम हो रहा है।

कास्ट आफ कल्टीवेशन बहुत गलत है। मैं मराठवाड़ा क्षेत्र का रिकार्ड बताता हूं। ज्वार का भाव 200 रुपये है और हमारा खर्च उससे बहुत ज्यादा है। बाजरे में भी ऐसा ही है। पैडी, उड़द, मूंग में भी घाटा है। कौटन में एक फैडरेशन बनाया है, लेकिन फैडरेशन से जो बेल लेनी है वह नहीं ली गई। किसानों के मामले में पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब तक इस देश का किसान मजबूत नहीं होगा, यह देश मजबूत नहीं होगा। हमारे कृषि मंत्री आज जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं।

मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। किसानों की बात पर सभी पक्षों को साथ देना चाहिए। हमारे पास वैरन लैंड भी बहुत पड़ी है, उसे पानी के क्षेत्र में लाने की जरूरत है · मिनिमम वेजेस ऐक्ट तो लगाया है, लेकिन जब तक मिनिमम वर्क ऐक्ट नहीं होगा लोग काम नहीं करेंगे और खेती नुकसान में जाएगी। मिनिमम वेजेस ऐक्ट की तरह मिनिमम वर्क ऐक्ट भी सदन में पास होना चाहिए। इससे किसान फायदे में रहेगा।

जितनी भी ग्रामीण योजनाएं हैं जैसे आवास योजना है, उसमें पैसा तो खर्च हुआ लेकिन मकान नहीं है। सड़क पर पैसा खर्च हुआ, लेकिन सड़क नहीं है। जो ग्राम विकास से वंचित हुए हैं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अब भी उनकी बात आए हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब हमारे किसान को उत्पादन के अनुसार भाव मिलना चाहिए।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामचन्द्र मैरोतराव घंगारे (वर्धा) : सभापति महोदय, मैं कृषि पर ही खास तौर से बोलूंगा, क्योंकि, समय पर्याप्त नहीं है।

भूमि सुधार कानून जो अपने देश में बने हैं, उन पर अमल बराबर नहीं हुआ है। टीनेन्सी ऐक्ट, लैण्ड सीलिंग ऐक्ट, सीलिंग ऑन लैण्ड होल्डिंग ऐक्ट में ऐसी अपेक्षा थी कि करीब सात करोड़ एकड़ जमीन भूमिहीनों में बांटने के लिए मिल जाएगी, लेकिन असल में वह जमीन मिली नहीं। बहुत सारी जमीन अभी भी बड़े-बड़े जमींदारों ने अपनी ही फैमिली में रखी है, अपने ही में बांट दी है और वास्तव में जो जोतने वाले लोग हैं, उनको कोई भूमि मिली नहीं, बहुत थोड़ी मिली। जब तक यह भूमि-सुधार कानून पूरी तौर से अमल में नहीं आते तब तक इस देश की खेती व्यवस्था में प्रगति होना असम्भव मालूम पड़ता है।

दूसरा एक मुख्य सवाल यह है कि जो मजदूर इस जमीन पर काम करते हैं हमारे इलाके में तो 40 परसेंट, 50 परसेंट तक खेत मजदूरों की संख्या है और जगह 30 परसेंट, 33 परसेंट खेत मजदूर हैं, तो खेत मजदूरों के लिए पूरे देश की जमीन पर कोई कानून नहीं है कि उनकी सर्विस कंडीशस तय करने के लिए, उनको मिनिमम वेजिज हर जगह पर ठीक नहीं हैं और महाराष्ट्र में जो मिनिमम वेजिज तय किए, वह बाबा आदम के जमाने के हैं, उसमें सुधार करने का कोई प्रोवीजन नहीं, कब बैठेंगे, कब करेंगे। तो पूरे देश में खेत मजदूरों को न्यूनतम वेजिज, उसी तरह खेत मजदूरों को पेंशन, उनके प्रोविडेंट फण्ड और यदि कोई जखम वगैरह होता है या कोई अपघात होता है तो उनको मुआवजा मिलने की, कम्पेंसेशन मिलने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह का कानून पूरे देश भर में देशव्यापी पैमाने पर लागू होना चाहिए, यह सारे देश के खेत मजदूर संगठनों की मांग है और इस पर सोचना चाहिए।

महाराष्ट्र ने एक दिखावा किया है कि जो खेत मजदूर 65 साल का होगा, आधी एकड़ भी जमीन उसके पास रहे तो उसको खेत मजदूर नहीं माना जायेगा, जब छोटा खेत मजदूर दो-ढाई एकड़ का कोई व्यक्ति खेत मजदूर नहीं, वह जमींदार माना जाता है तो बगैर जमीन वाला

65 साल का जब होगा तो पेंशन पाने का हकदार है और कौन-सा खेत मजदूर, जिसको विटामिन-युक्त अन्न नहीं मिलता है, उसके अन्न में कोई जीवनसत्व नहीं रहता है, ऐसा खेत मजदूर 65 वर्ष का आपको मिलना, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल से एक-दो मिलेगा। यह तमाशा है, वर्तमान सरकार कहती है कि हमने खेत मजदूरों को पेंशन देना शुरू कर दिया है। इस तरह से जो महाराष्ट्र में बोलते हैं तो उसमें कोई दम नहीं है। जिसको अच्छा न्यूट्रिसियस फूड मिल सकता है, वह 55 और 58 साल में रिटायर होता है तो खेत मजदूरों के लिए 65 साल की मर्यादा क्यों रखी गई, यह मेरा कहना है? इसलिए हम चाहते हैं कि देशव्यापी खेत मजदूरों के लिए कानून बने, जिसके अन्दर इन सारी चीजों का अन्तर्भाव होना चाहिए।

देखा यह गया है कि महाराष्ट्र में हर दूसरे-तीसरे साल अकाल पड़ता है। समझा जाता है कि महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित है, यह बात गलत है। केवल कुछ एरिया बम्बई, पुणे, ठाणे यह बैल्ट छोड़कर महाराष्ट्र के बाकी विभाग औद्योगिक दृष्टि से भी अविकसित हैं लेकिन खेती के बारे में तो सबसे ज्यादा अविकसित हैं। इसका कारण यह है कि पूरे देश में औसतन खेती योग्य जमीन 31.4 टका है तो महाराष्ट्र में सिंचित जमीन का परसेंटेज 13.3 है। यह है महाराष्ट्र की प्रगति और इस प्रगति में भी ज्यादातर भाग वह है, जहां गन्ने की सिंचाई होती है। यह शुगर लॉबी जो तैयार हो गई है, बड़े-बड़े जमींदारों की, बड़े-बड़े बागायतदारों की, उन्हीं को पानी दिया जाता है, बाकी फसल को बहुत कम पानी मिलता है। वहां बहुत सारे प्रोजैक्ट्स को बन्द कर दिया है। पांच-छः साल पहले चन्द्रपुर और गडचिरोली जिलों के जंगलों के कुछ हिस्सों को काट कर बांध बनवाए, नहर बनवाई और नई वन नीति आई। कई करोड़ रुपया खर्च किया गया और कई लोगों को विस्थापित किया गया। देहात से लोगों को हटाया गया और आज इतना खर्च करने के बाद सारा काम रोक दिया गया। पहले जंगल को काट कर बांध बनवाए और पांच साल बाद हालत यह है कि बांध तोड़ कर जंगल लगाओ। इस तरह की वहां पर परिस्थिति पैदा हो रही है। 28 प्रोजैक्ट बन्द हैं। कारवाकर प्रकल्प बंद है, हुमन प्रकल्प बन्द है और इसी तरह से चन्द्रपुर व गडचिरोली जिले के 28 प्रोजैक्ट बन्द हैं। इन पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, सौ करोड़ से भी ज्यादा रुपया खर्च हो चुका है। वर्धा जिले में भी कुछ प्रकल्प बन्द हैं। अपर-वर्धा में 25 साल से एक प्रकल्प चल रहा है, जो कि एक साल में पूरा हो सकता है, लेकिन उसके बारे में मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी होगी या नहीं, यह बता नहीं सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जान-बूझकर सिंचाई के जो प्रोजैक्टस हैं, उन पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह मेरा आरोप है।

मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में हर दूसरे-तीसरे साल अकाल पड़ता है। अपने देश में बारिश कम होने की वजह से देश में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, जो कि अकालग्रस्त है, वे राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा भी है। ...(व्यवधान)...और भी राज्य हैं, मैं कोई नाम नहीं गिनाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर बिहार भी है। हर जगह पर, मेरा ख्याल है कि भूख की वजह से मौतें हुई हैं। राजस्थान, गुजरात और बिहार वगैरह की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरगुजा जिले में भयंकर भुखमरी फैली हुई है। वहां लोगों को पूरा काम नहीं मिलता है,

पर्याप्त काम नहीं मिलता है। ऐसा पता चला है कि चपलाई-टोला जिले में हबई पांडे की बहू मर गई और उसके दो पोते अन्न न मिलने की वजह से मर गए और वे खुद दवाखाने में भर्ती किए गए थे, तो जिन्दा रहे। दूसरे मध्य प्रदेश के 28 जिलों की 95 तहसीलें अकालग्रस्त से प्रभावित हैं। खास तौर से शहडोल, वल्लभ नगर, रीवा, रायगढ़ और विलासपुर आदि जिलों में भयंकर स्थिति है, लोगों को अन्न न मिलने की वजह से। ऐसी भी खबर है कि बंदर और बिल्लियों को मारकर खा रहे हैं। ऐसी अखबारों में खबर आई है, आप इसकी छानबीन कर सकते हैं। एक जहरीला कंद है, मूली, जिसको पन्द्रह बार गरम पानी में उबाल कर खाया जाता है। इस मूली को खाने की वजह से भी लोग मर जाते हैं। महाराष्ट्र का ही सवाल लीजिए, खास तौर से मैं महाराष्ट्र के बारे में बोलना चाहूंगा। हमारे महाराष्ट्र में 29 हजार गांव सूखे से प्रभावित हैं। करीबन 22 जिलों के 29 हजार ग्रामों में पचास फीसदी से भी कम फसल है, यानी बुआई और बिजाई वगैरह का खर्चा भी वसूल नहीं हुआ और वहां पर काफी बड़ी मात्रा में अभावग्रस्त स्थिति है। अनाज तो वहां बिल्कुल नहीं हुआ था, यानी एक खरीफ की फसल गई और रबी की भी फसल नहीं हुई और सरकार ने इसको मंजूर किया है, सरकार यह आंकड़े हैं कि 29,000 ग्राम अभावग्रस्त हैं और रोजगार "इजोयस" के शुरू किए गए हैं, इन इजीयस के कामों पर 4-4, 5-5 हफ्ते पगार नहीं मिलती, रोजी नहीं मिलती। मैं आपको कई उदाहरण बता सकता हूं जैसे महाराष्ट्र के सुभाष जाधव नाम का, अमरावती जिले का ईटकी ग्राम है, यहां सुभाष जाधव नाम का एक मजदूर काम करता था और उसे पांच हफ्ते काम करने के बाद मजदूरी नहीं मिली, वह एसडीओ को एप्रोच हुआ और एसडीओ को एप्रोच होने के बाद में भी उसने बोला कि मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, पांच हफ्ते की मेरी मजदूरी है और मेरी पत्नी भी काम करती है तो उसने कहा कि मुझे पगार दो, हम तीन-चार दिनों से भूखे हैं, लेकिन तब भी एसडीओ ने नहीं सुना और वह आदमी काम करते-करते गिर पड़ा और मर गया।

यह सुभाष जाधव की कहानी, यह और भी कई जगह पर दोहराई जा सकती है। सुभाष जाधव जो मर गया, यह हमारे स्टेट पर काला धब्बा है, मुंह पर काला धब्बा है। वह क्यों मरा, क्या वहां अनाज नहीं था, अनाज था, लेकिन खरीद नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। 4-5 हफ्ते से उसे कोई उधार नहीं देता और आज काम करने के बाद सरकार के ऊपर उसका और उसकी पत्नी की मजदूरी रहने के बाद भी उसके हक का पैसा न मिलने की वजह से वह मर गया।

इसके साथ-ही-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि थाना जिले में ताल्लुका, मोखाड़ा ताल्लुका है, मोखाड़ा ताल्लुका का एक गांव है, बाबर नाम का एक गांव है, उस गांव में 70 बच्चे, शासन कहता है कि 40 बच्चे मरे हैं, लेकिन सभी की रिपोर्ट यह है कि 70 बच्चे भूख की वजह से और लगातार कमजोर होने जाने से और दवा का भी कोई इन्तजाम न होने की वजह से मरे है। शासन ने 40 मरे, ऐसा कबूल किया है और भी कई गांवों में बच्चे मर रहे हैं। महाराष्ट्र की हालत बड़ी भयानक है, खतरनाक है, वहां पीने का पानी तक नहीं मिलता और जानवर भी पानी और चारे के अभाव में मर रहे हैं। एक किनवट ताल्लुका में पिछले ही हफ्ते डेढ़ सौ पालतू जानवरों के मरने की खबर है। पुणे जिले में भी जो पालतू जानवर हैं, वह मर गए हैं और कई लोगों को तो पानी के लिए 2-2, 3-3 मील तक जाना पड़ता है और अपने जानवर जिन्दा रखने

के लिए उनको 25-25 मील, वर्धा नदी के किनारे जाकर, कुछ लोग अपने जानवर लेकर पहुंच गए हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसी तरह से मौतें नासिक जिले में भी हुई, पेठ, सुरगना में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स शुरू की हैं, टैक्नोलाजी मिशन व कार्यक्रमों का अमल, यानी उसके ऊपर अमल करने के लिए श्याम पित्रोदा जी वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जो योजनाएं वहां पर दीं उन पर अमल न होने की वजह से ये बच्चे मरे हैं। वहां देहातों में और जंगल में कोई नहीं जाता, मास्टर नहीं जाता, डाक्टर, नर्सें नहीं जाती और सवाल यह होता है कि हाजिरी वे तहसील में बैठकर ही लगाते हैं और इधर दवाखाने में कोई भी नहीं रहता है। इस तरह की हालत है तो फिर सरकार की योजनाओं का क्या उपयोग है। इसलिए इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने इस भयंकर और अभावग्रस्त स्थिति का मुकाबला करने के लिए 650 करोड़ रुपया केन्द्र से मांगा है, लेकिन दुःख की बात है कि केन्द्र सरकार ने कोई सहायता नहीं की है। यह महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया है। वहां के मुख्य मंत्री दिल्ली आए और सबसे मिले, सारी रिपोर्ट बना कर भेजी, लेकिन न तो यहां से एक्सपर्ट्स टीम भेजी गई और न ही उनको कोई मदद दी गई। तो क्या यह समझना चाहिए कि महाराष्ट्र की जो भीषण स्थिति है, मौतें हो रही हैं, पीने का पानी नहीं है, चारे के अभाव में जानवर मर रहे हैं, इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या महाराष्ट्र सरकार को कोई मदद नहीं दी जाएगी। सरकार ने कहा था कि कैटल कैंप खोले जाएंगे, जिन किसानों के पास व्यवस्था नहीं है, वे अपने जानवर इस कैटल कैंप में लाकर रख सकेंगे और वहां पर चारे और पानी की व्यवस्था होगी। इसकी घोषणा अक्तूबर, 1991 में की गई थी, लेकिन अब अप्रैल, 1992 आ गया है, लेकिन कैटल कैंप नहीं खोले गए हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं उनको अमल में लाने के लिए केन्द्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और एक्सपर्ट्स टीम वहां पर भेजनी चाहिए, महाराष्ट्र सरकार की पूरी मदद करनी चाहिए। जिन अधिकारियों को यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी और उस क्षेत्र में मवेशी मरे हैं, लोग मरे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। एफसीआई में बहुत गड़बड़ चल रही है और भ्रष्टाचार चल रहा है। अधिकारियों की वहां पर तानाशाही चल रही है, जिससे वहां के कर्मचारियों में काफी असंतोष फैला हुआ है। नौबत यहां तक आ गई है कि 15 मई से कर्मचारी भूख-हड़ताल पर जाने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवाई जाए ताकि वहां पर कोई बवंडर पैदा न हो। एफसीआई में जो अनियमितताएं और अव्यवस्था की गड़बड़ी चल रही है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

अंत में मैं इन मांगों का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर** (अकोला) : सभापति महोदय, कृषि तथा अन्य मंत्रालयों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूं। यह एक मान्य तथ्य है कि भारत एक कृषि-प्रधान देश है। यहां की 75 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। यदि हम स्वतन्त्रता के 45 वर्षों के बाद अपने देश की कृषि की स्थिति का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि यह स्थिति वास्तव में ही शोचनीय है। इस तरह की स्थिति होने का कारण यह है कि विगत वर्षों के दौरान हमने अपने देश में कृषि की उपेक्षा की है। राष्ट्रीय आय में कृषि आय का योगदान 1951 से 1956 के दौरान 60.5%, 1985-89 के दौरान 33.7% था और वर्तमान समय में यह 33.7% है। हमारे किसान कारखानों को कच्चा माल देते हैं जो कि कच्चे माल का प्रसंस्करण कर बदले में देश में रोजगार सामर्थ्य पैदा करते हैं। इसलिए कृषि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ की भांति है।

महोदय, हमारे देश की कुल भूमि के लगभग 51% पर कृषि होती है जबकि कनाडा में यह अनुपात 54.5%, चीन में 18%, रूस में 10% और जापान में 13% है। लेकिन अभी भी ऐसे आसार हैं कि हम अपने देश में कृषि के लिए और अधिक भूमि का उपयोग कर सकते हैं। हमने अपने देश में हरित क्रान्ति का परीक्षण किया है। लेकिन यह परीक्षण हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ही सफल हुआ। जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहां पर परीक्षण विफल हुआ है। इसका परिणाम यह है कि इस वर्ष देश में खरीफ-उत्पादन बहुत ही कम हुआ है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् महात्मा गांधी जी ने हमें गांवों की ओर वापिस जाने और वहां पर कार्य करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के बारे में कहा था। उन्होंने हमें यह भी सलाह दी थी कि गांवों में ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए जिससे कि ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति कर सकें। लघु उद्योगों के विकास करने से यह आशा की गई थी कि हमारे गांव आत्म-निर्भर इकाइयां बन जाएंगे। ऐसा महसूस किया गया था कि गांवों का विकास हो जाने से देश का विकास हो जाएगा। लेकिन हमारे शासकों ने महात्मा गांधी जी की इस सलाह की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया।

हमने सन् 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत की। अब तक सात पंचवर्षीय योजनाएं हमने पूरी कर ली हैं और आठवीं योजना अभी-अभी आरंभ हुई है। लेकिन इन पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करते समय हम अपनी बजट राशि का मात्र 20 प्रतिशत देश की 80 प्रतिशत जनता के आवंटित करते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और जहां केवल 20 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, वहां हम 80 प्रतिशत बजट-राशि आवंटित करते हैं। हम अपनी योजनाओं में यही गलती कर रहे हैं। यही कारण है कि नगर विकसित हो गए हैं और गांव आज भी पिछड़ी अवस्था में हैं। अमीर और अधिक अमीर हो गए हैं तथा गरीब और अधिक गरीब हो गया है। अमीर और गरीब के बीच की खाई हमेशा बढ़ती रही है।

---

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जब भी हमने देश में औद्योगिक नीति को लागू किया, कृषि को सबसे कम स्थान दिया गया। कृषि-प्रधान देश होने के नाते हमारे देश में कृषि को एक प्रमुख उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए था। लेकिन इसकी बजाए हमने लोहा और इस्पात, कपड़ा उद्योग को प्रमुख उद्योग माना और सभी रियायतें और राज-सहायता इन्हीं लोगों को ही दी है। सरकार ने आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराए एवं बिजली भी प्रदान की और इन उद्योगों को अन्य निवेश भी उपलब्ध कराए तथा उनके उत्पादनों की कीमतें निर्धारित करने का अधिकार दिया। परन्तु देश के 75 प्रतिशत लोग जो कि किसान हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं और देश का पोषण करते हैं, को कृषि पैदावार की कीमत निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वतन्त्रता मिलने के 45 वर्षों के बाद भी हम महाराष्ट्र में कपास, ज्वार और अन्य फसलें उगाते हैं, पंजाब में गेहूं पैदा किया जाता है। लेकिन इन खाद्यान्नों की कीमत कौन निर्धारित करता है? निश्चित रूप से किसान नहीं करते हैं। उद्योगपतियों को इतनी सारी रियायतें दी जाती हैं। उद्योग निर्मित वस्तुओं की उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिए इस देश में एक तरीका निश्चित किया गया। हम साबुन, कार, स्कूटर की उत्पादन लागत निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहां कृषि वस्तुओं की उत्पादन लागत के आधार पर कीमत निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है। महाराष्ट्र में कपास पैदा की जाती है लेकिन इसकी कीमतें दिल्ली में निर्धारित की जाती हैं। पंजाब में गेहूं पैदा किया जाता है लेकिन इसकी कीमतें दिल्ली में निर्धारित की जाती हैं। कृषि मूल्य आयोग इन कीमतों को निर्धारित करता है। लेकिन हमारे ग्रामीण किसान जो कृषि उत्पादन करते हैं, यह भी नहीं जानते कि यह आयोग क्या है। और यह आयोग उत्पादन लागत पर गौर किए बिना कृषि वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करता है। वे नगरों में रहने वाले व्यक्ति जो कृषि के बारे में नहीं जानते हैं, कृषि संबंधी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करते हैं और इस तरह वे हमारे किसानों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। अतः हमारी पार्टी की मांग है कि कृषि को इस देश में एक प्रमुख उद्योग का दर्जा दिया जाए। यद्यपि हमारी जनसंख्या का 75 प्रतिशत भाग कृषि में लगा है फिर भी इसे हमारे देश में उद्योग का स्थान नहीं मिला है। अतः किसानों को अपनी उपज की कीमत निर्धारित करने के मामले में कोई अधिकार नहीं है। यही आधारभूत गलती हमने की है। अतः मेरी मांग है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। किसान फसल, तिलहन, दालें आदि उगाने के लिए पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन यदि कीमतें कृषि-मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं तो मैं नहीं समझता कि किसानों को न्याय मिलेगा।

5.00 म० प०

महोदय, कृषि मूल्य आयोग के सदस्य कौन हैं? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के शासनकाल के दौरान श्री देवी लाल कृषि मंत्री थे, तब इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उस समय हमने मांग की थी कि वे किसान जो कि वास्तव में कृषि में लगे हैं, उन्हें कृषि मूल्य आयोग का सदस्य होना चाहिए। सरकार ने इस बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस सिद्धान्त को कार्यान्वित नहीं किया गया, इसी वजह से किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है।

किसानों को उर्वरक, कीटनाशक आदि चीजें बहुत ही ऊंचे दाम पर खरीदनी पड़ती है

जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। कृषि उपस्करों के ऊंची कीमतों के अलावा किसान को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को भी भुगतना पड़ता है। यद्यपि कृषि उत्पादन की लागत और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं तो फिर उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में क्या बढ़ोतरी हो रही है? यहां यह कहा गया है कि कीटनाशकों की कीमतें 250 प्रतिशत बढ़ गयी हैं। कारखाना निर्मित वस्तुओं की कीमतें 510 50 प्रतिशत बढ़ गयी हैं जबकि गेहूं की कीमत में प्रति क्विन्टल 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्री ने कहीं कहा था कि इस वर्ष वह गेहूं को 250 रुपये प्रति क्विन्टल खरीदने की कोशिश करेंगे। कल ही सरकार ने किसानों के लिए बोनस की घोषणा की है। सरकार किसानों के लिए भीख मांग रही है। किसान नहीं चाहते हैं कि उन्हें कोई चीज भीख मांग कर मिले। वह तो कड़ी मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। अब जबकि सरकार ने गेहूं की कीमत 250 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया है, तो बाजार में गेहूं की कीमत 500 से 600 रुपये प्रति क्विन्टल है। अतः बिचौलिये या एजेन्ट कौन है? जब तक हम इन बिचौलियों या एजेन्टों को नहीं हटायेंगे, किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। अतः यहां मैं कुछ विशेष मांगें करना चाहूंगा। जब माननीय मंत्री मांगों पर होने वाले वाद-विवाद का उत्तर देंगे तो मैं आशा करता हूं कि वह कृषि नीति की घोषणा करेंगे जिससे कि किसानों और कृषि की हालत में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन आयेंगे। जैसे कि देश की औद्योगिक नीति होती है उसी तरह कृषि नीति भी होनी चाहिए तथा इसे विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करके बनाया जाना चाहिए। हमें कृषि नीति में मूलभूत परिवर्तन लाने चाहिए जिन्हें हम पिछले 45 वर्षों से जारी रखे हैं। हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए, जो कृषि को प्राथमिकता दे और इसे उद्योग का दर्जा दे तथा किसानों को न्याय प्रदान करे।

सरकार ने उद्योगपतियों के लिए अनेक रियायतों की घोषणा की है और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा है। एक लाख साठ हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हैं। यहां इस सदन में सरकार ने इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए दस हजार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उद्योगपतियों के लिए सरकार दस हजार करोड़ रुपये मंजूर कर सकती है। लेकिन सरकार किसानों को कोई रियायत देने को तैयार नहीं है जो कि हमारे देश की रीढ़ है। इसी वजह से हमारे देश में किसान असंतुष्ट हैं, असहाय हैं। जब पिछली सरकार ने ऋण माफ करने की योजना की घोषणा की तो काफी शोर-शराबा हुआ था और कई व्यक्तियों ने पूछा था कि किसानों को यह रियायत देने का क्या औचित्य है और इस नीति का उस समय विरोध किया गया था।

महोदय, मैं महाराष्ट्र से हूं। श्री गंगारे ने महाराष्ट्र की स्थिति का वर्णन किया है। महाराष्ट्र में 17 लाख कपास की गांठें उगाई जाती हैं। महाराष्ट्र सरकार कपास एकाधिकार योजना को पिछले 20 वर्षों से कार्यान्वित कर रही है, जिससे किसानों के जीवन में क्रान्ति आई है। महाराष्ट्र सरकार केन्द्रीय सरकार से इस बात की भी अपील करती रही है कि वह इस योजना को समर्थन दे ताकि यह सफल हो। हमने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस योजना को किसानों के हित में 10 वर्षों तक बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार इसे प्रति वर्ष के आधार पर बढ़ा रही है। वर्तमान में इस योजना को 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। वस्तुतः केन्द्रीय सरकार ने

इस योजना का विरोध किया है। यदि यह योजना महाराष्ट्र के कपास उत्पादकों के पक्ष में है तो इस योजना को दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए।

5.04 म० प०

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

महोदय, महाराष्ट्र में प्याज की फसल भी ली जाती है। लेकिन आज नासिक के प्याज उत्पादकों की हालत क्या है? प्याज की कीमत गिर गई है। कोई भी प्याज खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लाखों क्विटल प्याज सड़ रहा है। न तो 'नेफेड' और न ही सरकार इस प्याज को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्याज उत्पादक बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं और उनका भाग्य डावांडोल है। अतः मेरी मांग है कि सरकार इस सभा में एक विधेयक लाए जिससे कृषि वस्तुओं को समर्थन मूल्य से नीचे खरीदने पर कानूनी प्रतिबन्ध लग जाना चाहिए। मुझे इस बात का दुःख नहीं होगा, यदि माननीय मंत्री मेरी अन्य मांगें, जो मैंने रखी हैं, पर गौर न करें। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस मांग को स्वीकार करें, जोकि मैंने इस सदन में रखी थीं और किसानों को न्याय दें।

जैसे कि एक माननीय सदस्य ने पहले कहा था, महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है। 29,000 से अधिक गांव सूखे से प्रभावित हैं। 16,000 से अधिक गांवों में पीने का पानी नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि मुझे इस सदन में स्वतन्त्रता के 45 वर्षों के बाद भी पीने के पानी की समस्या उठानी पड़ रही है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि किसान सूखे की स्थिति का सामना करने की स्थिति में नहीं है। उनकी वित्तीय स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। अब क्योंकि सरकार ने किसी प्रकार की सहायता नहीं दी है अतः पीने के पानी की कमी कितने ही गांवों में हो रही है। चारे की भी कमी है और महाराष्ट्र से अनेक कृषि श्रमिक जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार कहती है कि उसे केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं मिल रही है और केन्द्रीय सरकार यह जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल रही है। लेकिन इस जिम्मेदारी को थोपने की प्रक्रिया में गरीब किसानों को ज्यादा नुकसान होता है और उनकी हालत और भी दयनीय हो जाती है। इसीलिए केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार को अधिकतम सहायता देनी चाहिए।

अन्त में मैं तो कुछ एक मांगों के बारे में कहूंगा। यदि आप वास्तव में कृषि में क्रान्ति लाना चाहते हैं और किसानों की जिन्दगी में गुणात्मक रूप से परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें अपनी कृषि नीति में कतिपय आधारभूत परिवर्तन करने होंगे। मेरी पहली मांग यह है कि सरकार कृषि को एक उद्योग के रूप में मान्यता दे। अब जबकि औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करते वक्त उत्पादन लागत पर ध्यान दिया जाता है, अतः इसी तरह कृषि वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करते हुए उत्पादन लागत ही निर्णयात्मक कारक होना चाहिए और कृषि वस्तुओं की निर्धारित मान्य कीमत के नीचे खरीददारी को कानून द्वारा अपराध करार दिया जाए। कृषि वस्तुओं की प्रसंस्करण संबंधी इकाइयां स्थापित की जाएं। बड़े शहरों जैसे मुम्बई, पुणे, मद्रास, दिल्ली आदि में इन इकाइयों का केन्द्रीयकरण नहीं होना चाहिए। इन्हें तालुक स्तर पर विकेन्द्रीकृत करना चाहिए। इन इकाइयों को सरकारी आधार पर चलाना चाहिए और इन

उद्यमों में किसानों को भागीदार बनाना चाहिए। हमारी ऐसी नीति होनी चाहिए, जिससे कि सारा अर्जित लाभ किसानों को मिले। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार के पास चीनी कारखानों और कपास मिलों के कई प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं, लेकिन सरकार ने इन्हें मंजूर नहीं किया है।

फसल बीमे का भी उल्लेख किया गया है। माननीय मंत्री कह सकते हैं कि फसल बीमा योजना को सभी फसलों के संदर्भ में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि आप किसानों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस योजना को सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाए और सभी फसलों के सम्बन्ध में कार्यान्वित किया जाए। किसानों को कुछ सहायक उद्योग भी लगाने चाहिए। किसान केवल कृषि पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए और स्वाभिमानपूर्वक जीने के लिए गांवों में सहायक उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। हम मत्स्यकी, दुग्ध उद्योग, मुर्गीपालन आदि जैसे सहायक उद्योग शुरू कर सकते हैं। किसानों को सहायक उद्योग शुरू करने के लिए राजसहायता तथा अन्य सहायता दी जानी चाहिए।

भूमि सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमें इस सिद्धांत को मानना चाहिए कि मेहनतकश मजदूर भूमि मालिक बने। जिन किसानों के कुएं हैं, उन्हें पम्पसेट दिए जाने चाहिएं। महाराष्ट्र सरकार ने पम्पसेट देने के कार्यक्रम की घोषणा की थी, लेकिन वह कार्यक्रम अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसलिए प्रत्येक किसान के पास कुआं होना चाहिए और प्रत्येक कुएं में पम्पसेट होना चाहिए। इसे हमें एक नीति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लंबित सिंचाई योजनाओं को भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना चाहिए। विदर्भ में 150 सिंचाई परियोजनाएं वन विभाग की स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं योतुमल अकोला सीमा पर अदन बांध का उदाहरण देना चाहता हूं। यह बांध तीन वर्ष पहले बनाया गया था। बांध में पानी जमा किया गया था। लेकिन चूंकि एक नहर वन क्षेत्र से गुजरती है, इसलिए किसानों को इस परियोजना द्वारा सिंचाई की सुविधा नहीं मिल रही है। किसान असहाय होकर पानी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वहां ऐसी स्थिति है। इसलिए सिंचाई परियोजनाएं समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जानी चाहिए। किसानों को कच्चा माल, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों जैसी वस्तुएं सस्ते दामों पर दी जानी चाहिएं। प्रत्येक किसान को एक पासबुक दी जानी चाहिए। बजटीय आवंटन का 50% कृषि और ग्रामीण विकास पर व्यय किया जाना चाहिए। मैं यही मांग प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : सभापति महोदय, कल से अब तक 20 मेम्बर्स बोल चुके हैं और ज्यादातर कृषि पर बोले। कुछ लोगों ने ग्रामीण विकास पर भी चर्चा की है, मगर मैं देखता हूं कि उनमें से एक भी यहां नहीं है। उन लोगों ने जो भी सुझाव दिए, उसका मैं जवाब दूंगा बल्कि तैयार करके आया, लेकिन कोई यहां नजर नहीं आता। मेरा कर्तव्य है कि···

सभापति महोदय : आप इंटरवीन कर रहे हैं, शायद लोगों को पता नहीं होगा।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : मेरा कर्तव्य है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ग्रामीण विकास के प्रति क्या कर रही है, उस सिलसिले मे चन्द बातें हाउस के सामने आपके मार्फत रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सेवंथ फाईव ईयर प्लान में मजदूरी के ग्रामीण रोजगार प्रोग्रामों के लिए तीन हजार करोड़ रुपया रखा गया था जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तकरीबन सात हजार करोड़ रुपया खर्च किया। आप जानते हैं कि देश को आजाद हुए आज 45 साल हो गए हैं, लेकिन यदि गांवों की तरफ देखते हैं तो अभी तक अंधकार है। बहुत सारी जगहों पर काम हुआ है और हमें बहुत कुछ करना है। इन आठवीं प्लान के अन्दर हमारी तरफ से कोशिश हो रही है कि ग्रामों के अन्दर जो 75 फीसदी पापुलेशन है, उनमे ज्यादातर नौजवान हैं, जो एम्प्लायमेंट के लिए परेशान रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता और वे काम करना चाहते हैं, उनको अधिक मदद दी जाए। इसका कारण है कि जब सीजनल वर्क आता है तो काम मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर बेरोजगार हो जाते हैं। इस सबके लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने पर्टिकुलरली जवाहर रोजगार योजना चलाई। यह स्व॰ राजीव गांधी का एक सपना था कि आजादी के इतने सालों के बाद भी ग्रामीण विकास के नाम पर करोड़ों रुपया तो खर्च हो रहा है लेकिन ग्राम विकास नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, अभी हमारे दोस्त जनता दल के श्री पटेल ने बताया कि जवाहर रोजगार योजना के तहत हर गांव में तारकोल रोड बनना चाहिए। यह बड़ी खुशी की बात है और जब मैंने यह पोर्टफोलियो संभाला तो मैंने उस वक्त अपनी मिनिस्ट्री और अपने डिपार्टमेंट से पूछा कि इन रोड्स को कनेक्ट करने के लिए कितना पैसा लगेगा तो मालूम हुआ कि करीब-करीब 15-20 हजार करोड़ रुपया का खर्च होगा। इसके अतिरिक्त ब्रिजेज बनाना, फिर तारकोल रोड्स बनाना— इन सबके लिए सब खर्चा-ही-खर्चा है। अब तक जितने भी रोड्स डेवलप हुए हैं, जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से, जिला परिषद के जरिये, स्टेट गवर्नमेंट के जरिये, जो भी हो सकता है, अब तक किया गया है। उसके बाद भी हम और ज्यादा करना चाहते हैं। इन सबके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा-से-ज्यादा रोड्स के नाम के लिए हम पैसा रखने की कोशिश करेंगे।

सभापति जी, मैंने जो आंकड़े बताए, अभी पिछले साल 1991 में जवाहर रोजगार योजना के लिए 2100 करोड़ रुपये का बजट था। इस प्रोग्राम में 80% गवर्नमेंट आफ इंडिया और 20% स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं। इस प्रकार 2600 करोड़ रुपए की देश की जवाहर रोजगार योजना है। गांवों में जो उनके प्रमुख हैं, सरपंच हैं या प्रधान हैं, पहले उनके पास पैसा जल्दी पहुंचाने का प्रबंध किया गया था अप्रैल, 1989 में, जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस योजना की स्थापना के बाद उस विलेज का प्रमुख या प्रधान या सरपंच यह सोचने लगा कि देश आजाद होने के बाद कम से कम इस ग्राम लेवल तक हमारे चैंस्स आने लगे और हम ग्रामीण विकास के लिए काम शुरू करेंगे और शुरू भी किया है और बहुत हद तक इस जवाहर रोजगार योजना के लिए जो प्रिंसिपल हमने अडाप्ट किया, असल में बेरोजगारी को और जो गांव में भूख और तड़प है,

उसको किस तरह से कम किया जाए और किस तरह से हम उनको सीजनल बेकारी के वक्त में रोजगार दें यह देखने की बात है। जब सीजन नहीं होता है तो वह भूखा मरता है। इसलिए जवाहर रोजगार योजना के तहत उस गांव में कुछ काम निकाले और उनके लिए कुछ काम दें, यह उनका बुनियादी मकसद है और उसी तरह से काम चल रहा है। कई माननीय सदस्यों ने यहां पर प्रश्न किया और सभापति जी, आप भी जानते हैं कि जो ग्राम प्रधान, सरपंच हैं वह ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं और उनके ऊपर कई तरह के चार्जेज भी आए हैं। मैं मानता हूं कि 45 सालों में जो हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके काम नहीं कर सके, जो गरीबों से इलेक्ट होकर सरपंच बनकर आता है, प्रधान बनकर आता है, उस पर अब ये ब्यूरोक्रैट्स की पावर गरीब के ऊपर डाली गई, तो उसके ऊपर जो नाना किस्म के प्रचार करने शुरू किए हैं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वह ठीक काम नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हू और बहुत सारे राष्ट्रों में मैं गया, बहुत सारी जगह की मैंने रिपोर्ट्स मंगाईं। हमारी मिनिस्ट्री हर स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मंगाती है और देखती है कि सही मायनों में जवाहर रोजगार योजना का फंड यूज हो रहा है या नहीं। कहीं भी गलती हुई है तो हम स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं कि पूरी तरह से उसके ऊपर एक्शन ले और कई जगह एक्शन लिया गया है और इसको ठीक ढंग से चलाने के लिए आप जानते हैं कि हमने 72वां अमेंडमेंट पंचायती राज का यहां पर इंट्रोड्यूस किया है : इलेक्टेड बाडी आ जाएगी तो वह इसमें इंप्लीमेंटेशन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

सभापति जी, आप जानते हैं कि आज कई स्टेट्स में 10-12 साल से ग्राम पंचायत नहीं है, जिला-परिषद् नहीं हैं। इंप्लीमेंटेशन के लिए जो इलेक्टेड बाडी आती है रिस्पान्सिबिलिटी के साथ इस जवाहर रोजगार योजना को सही मायनों में मुख्य मकसद रोजगार देना है। इसलिए इस स्कीम में 60% वेज के लिए ही पैसा देना चाहिए, सभापति जी, उस विलेज के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको काम देना जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य है। मैं मानता हूं, हमारे दोस्त पटेल जी ने सजेस्ट किया है, वह भी जानते हैं कि कितने विलेजेज के अंदर हम कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। पैसे की जरूरत है और 8वी पंचवर्षीय योजना के अंदर बहुत सारी रोड्स का काम लेने की हम कोशिश करेंगे।

सभापति जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना के साथ इंदिरा आवास योजना भी जुड़ी हुई है जिसके अंतगत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मकान बनाने के लिए सहायता की जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 10 लाख मकानात बनाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पूरी तरह से देने की कोशिश की। हमारी रूरल डैवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सारी स्टेटस को लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। इंसट्रक्शन्स देकर, इन मकानों को बनाने के लिए पूरा जोर दिया और अब जहां तक सवाल है सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार दिलाने का कम से कम 350 करोड़ मैनडेज एम्पलायमेंट हमने इस पीरियड में क्रिएट किया है। स्टेट्स से हमारे पास जो फीगर्स आयी हैं, उन्हें ही मैं इस हाउस के सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं।

जहां तक ड्रिंकिंग वाटर का ताल्लुक है, जवाहर रोजगार योजना के फण्ड्स से तीन लाख वैल्स बनाने के लिए हमने पैसा खर्च किया है ताकि हमारे गांव के लोगों को पीने का

पानी उपलब्ध हो सके। तकरीबन दो लाख स्कूलों के लिए भी जवाहर रोजगार योजना के फण्ड्स से सहायता देकर, हमने उन स्कूलों को कम्प्लीट कराया है। आइंदा भी, ऐसे ही कई प्रोग्राम, इसे और ताकतवर बनाने के लिए, हम लेंगे। इसी तारतम्य मे पंचायती राज बिल को सदन में इंट्रोड्यूस किया गया है जो इस समय ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी के विचाराधीन है, उस पर अभी चर्चा चल रही है। यदि वह आ गया तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ग्रामीण विकास के काम को सरपंच, ग्राम प्रमुख और उसके साथ-साथ ब्लाक लेवल पर, जिला परिषद लेवल पर, आ चला सकते हैं। अभी हमारे गांवों में जो अंधकार दिखायी देता है, उसे हम बहुत हद तक, सिर उठाने के काबिल ग्रामीण नौजवानों को बनाने में सफल होंगे, ऐसी मेरी आशा है।

ड्रिंकिग वाटर के सिलसिले में, आप जानते हैं कि कई प्रोब्लम्स हैं। कई प्रोब्लम विलेजेज हैं, जहां पानी पीने के काबिल नहीं है। वहां भी पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और रूरल डैवलपमैंट के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे दोस्त पटेल साहब, उस सम्बन्ध में पूरी डिटेल्स आपके सामने कल रखेंगे। उन्होंने पूरा प्रबंध किया है। प्रोब्लम विलेजेज में पानी पीने के काबिल नहीं है, वहां मशीनरी के जरिए, पानी को पीने के योग्य बनाकर उपलब्ध कराने का काम हमने तकरीबन कई हजार विलेजेज में शुरू किया है।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : पीने का पानी भी तो दिलवाइए जो आजादी मिलने के इतने साल बाद तक भी आप उपलब्ध नहीं करा सके हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उसकी भी व्यवस्था करिये।

श्री जी० वेंकट स्वामी : आप जैसा बोल रहे हैं, मैं वही फीगर्स आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जो सूचना हमें राज्यों से मिली है और जो सही जानकारी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरे देश में, हर विलेज में पानी आ गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं मगर यह जरूर कह रहा हूं कि देश के आजाद होने के बाद, जितना पानी हर विलेज में लाना चाहिए, उसके लिए पूरी कोशिश हुई है। कई प्रोब्लम विलेजेज हैं और ऐसे। लाख 62 हजार विलेजेज में से, 5 हजार से कम विलेजेज तक लाया गया है। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध मे आंकड़े चाहते हैं तो मैं लिखित रूप में कल आपको पहुंचा दूंगा। अगर ऐसे कुछ विलेजेज छूट गये हैं क्योंकि 5,83,000 कुल विलेजेज हमारे देश में हैं, उनमें आप बताइये कौन से विलेजेज में पानी नहीं है। अगर आप बतायेंगे तो जरूर इसी महीने या नैक्स्ट मंथ में, उसके ऊपर एक्शन लेंगे और पूरी तरह से उसकी व्यवस्था की जायेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसे विलेजेज के लिये हम कोशिश करेंगे।

श्री सूर्य नारायण यादव : सभापति जी, हमारे देश में 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं और गांवों मे आज यह स्थिति है कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, बहुत कम गांवों में है, 20 परसेंट में भी नहीं है। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ही चापा-नलकूप की सुविधा मुहैया कराई जायेगी। आप तो अभी तक उसको पूरा नहीं कर सके। व्यक्तिगत गांवों का सवाल कहां पूछना है। हम 15 लाख लोग चुनकर भेजते हैं और जब हम लोग गांव जाते हैं चाहे कहीं भी देख लीजिए, ऐसे अनेकों गांव हैं जहां एक भी चापाकल नहीं है। एक, दो और कहीं-कहीं 3 किलोमीटर पर एक चापाकल रहती है। पहाड़ी और पिछड़े एरियाज में तो और अभी ज्यादा पानी की दिक्कत है।

श्री वी० वेंकट स्वामी : सभापति महोदय, मैं तो यह जानता हूं कि जहां पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, वहां के लिए किसी तरह से पानी का प्रबन्ध करना चाहिए, यह काम भी हमारी मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही कर सकती है।

सभापति महोदय, जितना पैसा यहां से ड्रिंकिंग वाटर के लिए गया, अगर वह सही मायनों में वहां लग गया है और यह योजना इम्प्लीमेंट हो गई है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर इस बात की जांच कराई जाए कि जितना पैसा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है, वह सब क्षेत्र में लगा है या नहीं, तो आपको वास्तविक स्थिति मालूम हो जाएगी। (व्यवधान) सभापति महोदय, रूरल डिवेलपमेंट के लिए हमारी काफी योजनाएं हैं। हमारे प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव साहब चूंकि एक विलेज से आते हैं और वह विलेज भी खुशकिस्मती से मेरी कांस्टीट्यूएंसी में ही है। वे इस बात को जानते हैं और उन्होंने इस सदन में भी उसको बताया है कि मैं चाहता हूं कि रूरल डवलपमेंट के लिए ज्यादा-से-ज्यादा पैसा खर्च हो और अभी हमारे आठवें फाइव ईयर प्लान में ज्यादा पैसा देकर ग्रामीण विकास को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

सभापति जी, जैसा मैंने बताया 5 लाख 50 हजार ग्रामों का विकास करने के लिए हमें, गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से डायरेक्ट खर्च करने का अधिकार नहीं है। हम तो स्टेट्स को देते हैं और स्टेट्स के थ्रू विलेज डवलपमेंट होता है।

बिलो पावर्टी लाइन के लिए यहां से जवाहर रोजगार योजना का प्रोग्राम बनाया है। इस पाइंट आफ व्यू से जितना पैसा हर विलेज के लिए चाहिए, उतना पैसा हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। वहां से वह जिला परिषद को जाता है और वहां से विलेज को पहुंचता है। यह जवाहर रोजगार योजना की स्कीम है। इस स्कीम के नीचे 60 परसेंट मजदूरी और 40 परसेंट मटीरियल पर खर्चा किया जाता है।

सभापति जी, अभी हमारे महाराष्ट्र के दोस्त बता रहे थे। लैंड रिफार्म और लैंड सीलिंग के बारे में उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया। आप जानते हैं हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने यही प्रश्न पहले उठाया था।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : गृह मंत्री को वक्तव्य देना है। वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय, आप उसके बाद बोल सकते हैं। हम उन्हें सुनना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री वी० वेंकट स्वामी : वे यहां बैठे नहीं हैं, उठकर चले गए हैं, लेकिन उनके साथी हैं। जो वहां बैठे हैं। पी० वी० नरसिंह राव ने क्या किया, यह सवाल उन्होंने उठाया। मेरी कांस्टीट्यूएंसी पी० वी० नरसिंह राव के विलेज में है। उन्होंने 1700 एकड़ जमीन सरेंडर की थी 1972 में। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पांसिबिलिटी थी कि वह उसको डिस्ट्रीब्यूट करती, उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया।

सभापति महोदय : मंत्री जी आपको कितना समय और लगेगा क्योंकि होम मिनिस्टर को एक स्टेटमेंट देनी है।

श्री जी० वेंकट स्वामी : सर, मुझे तो 15 मिनट और लगेंगे।

सभापति महोदय : अब स्टेट होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देने दीजिए।

श्री जी० वेंकट स्वामी : ठीक है, मैं बाद में बोलूंगा।

सभापति महोदय : मैं अपनी तरफ से एक बात बताता हूं। आपका स्टेटमैंट होना है, इसकी पूर्व सूचना सदस्यों को मिलनी चाहिए। वह मिली नहीं है। मैं चाहता हूं कि कम-से-कम आगे इस प्रकार से कमी न हो। जो सदस्य सभागार में बैठे हैं, उनको पता नहीं चलता है। आगे चलकर पार्लियामेंट्री मिनिस्टर इस बात का ख्याल रखें कि सदस्यों को पूर्व सूचना मिले।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : वास्तव में मैंने, पांच बजे पूर्व सूचना दी थी।

सभापति महोदय : इसे यहां सदस्यों को परिचालित किया जाना चाहिए था।

———

5.36 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का निरसन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : जैसा कि सदन को ज्ञात है कि मणिपुर के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अन्तर्गत मणिपुर राज्य के संबंध में 7 जनवरी, 1992 को एक उद्घोषणा जारी की थी। राज्य सभा द्वारा 25-2-1992 को और लोक सभा द्वारा 3-3-1992 को उद्घोषणा का अनुमोदन किया गया था।

हाल में भारत के राष्ट्रपति को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में मणिपुर में राज्यपाल ने यह सिफारिश की है कि 7 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को रद्द कर दिया जाए। राज्यपाल का कांग्रेस विधायी दल के नेता को 8 अप्रैल, 1992 को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव है।

राज्यपाल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मणिपुर राज्य के संबंध में 7 जनवरी, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा को राष्ट्रपति ने आज 8 अप्रैल, 1992 को रद्द कर दिया है।

मैं, मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा आज जारी की गई उद्घोषणा को सदन के पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मणिपुर राज्य के संबंध में 7 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को रद्द करने के लिए 8 अप्रैल, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, मैं मणिपुर राज्य के संबंध में 7 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड(2) के अंतर्गत उनके द्वारा 8 अप्रैल, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत 8 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 414(ङ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) भी सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1773/92]

श्री बसुदेव आचार्य : राज्यपाल की सिफारिश आने से बहुत पहले हमने यह मांग की थी। केन्द्र सरकार को स्वयं ही वहां राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा रद्द करने का निर्णय लेना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : वह राज्यपाल के आचरण पर प्रश्न चिह्न लगा रहे हैं। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं राज्यपाल के आचरण पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार ने जो भी किया वह भारत के संविधान के विरुद्ध है। (व्यवधान)

5.38 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

ग्रामीण विकास मंत्रालय

खाद्य मंत्रालय

कृषि मंत्रालय

नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय—जारी

सभापति महोदय : श्री वेंकट स्वामी अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : सभापति महोदय, लैंड रिफार्म और लैंड सीलिंग के सिलसिले में

मैंने प्रधान जी को उस रोज बताया था। 1972 में हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले लैंड रिफार्म को आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। उस समय उन्होंने अपनी 1700 एकड़ जमीन स्टेट गवर्नमेंट को सरेंडर की थी। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, यह प्रधान जी ने यहां पर उठाया।···(व्यवधान)···

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, यह भी बताना चाहिए।···(व्यवधान)···

श्री जी० वेंकट स्वामी : लैंड रिफार्म की वजह से ही मिनिस्टरशिप उखड़ गई थी, यह भी आप जानते हैं। मैं खुद गया था, कलेक्टर से मिला और सारा डिस्ट्रीब्यूशन करके, आकर प्रधान जी को इसी हाउस में रिपोर्ट दी थी।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : वह तेलंगाना आन्दोलन के कारण था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या वह चुप हो रहे हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अमर रायप्रधान : 1971 से लेकर 1991 तक, मैं मानता हूं कि 1982 से दूसरी सरकार थी, लेकिन 1971 से 1982 तक तो कांग्रेस की सरकार थी। तब डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ।

श्री जी० वेंकट स्वामी : सभापति जी, आप जानते हैं···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : आप वर्तमान में जाएं, भूतकाल में न जाएं।

श्री जी० वेंकट स्वामी : इन्दिरा जी ने पहली मर्तबा 1974 में चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस बुलाई थी और सारे स्टेट्स को उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप लैजिस्लेशन पास करिए और लैंड रिफार्म बिल को लाइए और उसे इम्पलीमेंट कीजिए। बहुत सारी स्टेट्स लैजिस्लेशन लाईं। ऐसे में आप मुझसे सवाल करेंगे कि कितनी स्टेट्स ने इम्पलीमेंट किया। इसका जवाब भी मैं देने के लिए तैयार हूं। प्रधान मंत्री जी ने पिछले साल अक्तूबर में एक चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस बुलाई। मेरी यह बात प्रधान जी नहीं सुनेंगे। असल बात वह सुनना नहीं चाहते हैं। उसमें सारे मुख्यमंत्रियों के सामने उन्होंने निर्णय लिया और एग्री भी कराया कि एक सब-कमेटी बने। इसको कैसे इम्पलीमेंट किया जाए, यह टारगेट उसमें रखा कि जो सरप्लस लैंड है, वह 31 मार्च, 1992 के अन्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए, इसको सारे मुख्यमंत्रियों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद उन्होंने लैटर भी लिखा और मैंने भी लिखा। इसका रिजल्ट यह निकला कि 31 मार्च, 1992 से पहले रेवेन्यू मिनिस्टर्स की फिर कांफ्रेंस बुलायी गई। इसका रिजल्ट यह निकला कि 30 जून, 1992 तक सरप्लस जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करने को हर स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर ने एग्री किया। क्या यह एचीवमेंट नहीं है ? हमारे प्रधान मंत्री जी ने लैंड रिफार्म्स के बारे में इंटरस्ट लेकर डिस्ट्रीब्यूट

करने की जो बात कही है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। 1974 में 72 लाख एकड़ सरप्लस…(व्यवधान)…

श्री अमर रायप्रधान : मैं उस समय आपको बधाई दूंगा, जब सरप्लस लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।

सभापति महोदय : बार-बार डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। एक बार तो करना ठीक है।

श्री जी० वेंकट स्वामी : 1974 में 72 लाख एकड़ लैंड सरप्लस बतायी थी। उसमें से 62.6 लाख एकड़ की पोजीशन प्राप्त हुई है और 48.5 लाख एकड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हरेक स्टेट को मिलाकर। तकरीबन 46 लाख लोगों को जमीन मिली है। यह आज तक की रिपोर्ट है।

श्री वसुदेव आचार्य : कहां पर मिली है ?

श्री जी० वेंकट स्वामी : इस देश में मिली है। जो लैंड रिफार्म्स और लैंड सीलिंग के आंकड़े हैं, उन्हें मैं दे रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं। अभी 11 लाख एकड़ जमीन डिस्प्यूटिड है। जो रेवेन्यू लैवल में, कलेक्टर लैवल में, हाई कोर्ट लैवल में और सुप्रीम कोर्ट लैवल में पड़ी हुई है। इसको किस तरह निपटाया जाए, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने 14 मार्च, 1992 को रेवेन्यू मिनिस्टर्स की एक सब-कमेटी बनायी। इसमें आपके रेवेन्यू मिनिस्टर श्री विनय चौधरी भी आए थे। वह उसके कनविनर थे। 11 लाख एकड़ जमीन जो कोर्ट्स में डिसप्यूटिड है…(व्यवधान)…

श्री सूर्य नारायण यादव : आप सीलिंग ऐक्ट की बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी के पास सबसे अधिक जमीन है। जिन केन्द्रीय मंत्रियों के पास सीलिंग ऐक्ट से अधिक जमीन है, क्या वे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : ऐसा व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछना चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : जिस चीज का पता नहीं हो, वह बात नहीं कहनी चाहिए। कमजोर नालेज वाला गुनाहगार होता है।

श्री सूर्य नारायण यादव : आप उसका बंटवारा कर दीजिए।

श्री बलराम जाखड़ : वह तो बिल्कुल ही कर दिया। आपको गलतफहमी है।

श्री जी० वेंकट स्वामी : जो फैक्ट्स एंड फीगर्स दे रहा हूं, उसको एप्रीशिएट करना चाहिए। जो सब-कमेटी ने निर्णय लिया, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। सब-कमेटी की रिपोर्ट यह है कि जून के अन्दर तक जितनी भी सरप्लस लैंड है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। दूसरा प्वाइन्ट है, 11 लाख एकड़ जमीन जो डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर या डिप्टी कलैक्टर के लेविल पर है और कोर्ट के लेविल पर है, जहां तक भी है, उनको कहा गया है कि कोशिश कीजिए और जल्दी-से-जल्दी गवर्नमेंट लेविल पर जो भी जमीन है, उन केसिस को खत्म करके 30 सितम्बर, 1992 के अन्दर

टार्गेट रखा है कि 75 परसेन्ट इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। मेरा अंदाजा है कि यह सब मिलाकर प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव साहब ने जो स्टैण्ड लिया है, 30 सितम्बर तक 5 से 6 लाख एकड़ जमीन को गरीबों के अन्दर डिस्ट्रीब्यूट करने का, इस लैण्ड रिफोर्म सीलिंग के बारे में, सरप्लस लैण्ड, वेस्टलैण्ड का सब चोज का मैं उम्मीद करता हूं कि सारे रेवेन्यू मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स इसमें इण्टरैस्ट ले रहे हैं। उसमें बहुत हद तक जो गरीब और बेजमीन लोग हैं, उन लोगों को इससे लाभ होगा। खास तौर से जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं वह लोग इसका ज्यादा फायदा उठाएंगे।

मैं ज्यादा न कहते हुए यह जरूर कहूंगा कि जवाहर रोजगार योजना एक रोशनी है, विलेज के लिए, भूख के लिए, बेरोजगारी के लिए और यह उनकी मदद के लिए पहुंची है। लैण्ड रिफार्म्स पर प्रधानमंत्री ने जो भी स्टैंड लिया है, उसके बारे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेजमीन वालों को लैण्ड रिफोर्म्स के तहत जमीन मिल सकेगी।

जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह कब होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीन कोर्ट्स के डिस्प्यूट्स में हैं, उसके 30 सितम्बर, 1992 तक हम 75 परसेन्ट लैण्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश करेंगे।

इन चन्द अल्फाज के साथ ग्रामीण विकास के जो मुख्य विषय हैं, उनको सामने रखने की मैंने कोशिश की। मुझे विश्वास है कि जो भी कटमोशंस हमारी मिनिस्ट्री के लिए मैम्बर्स ने दिए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वह उनको विदड्रा कर लें और ग्रामीण विकास विभाग की डिमाण्ड्स को पास करके हमको एनकरेज करें। आठवें फाइव ईयर प्लान के अन्दर हम ज्यादा-से-ज्यादा पैसा लेकर ग्रामीण विकास को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : जवाहर रोजगार योजना के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहिए। एक ही बात है, चिन्तन क्या है सरकार का ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चर्चा के अंत में आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : सरकार को इसकी मोनिटरिंग के बारे में आप जानते हैं कि सदन में सब दलों के लोगों ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल के एम० पी० को लेकर मोनेटरिंग करने के लिए काफी मांग होती है, सब दल के लोग यह मांग करते हैं कि क्या गवर्नमेंट का इस पर रीएक्शन है, चिन्तन क्या है ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको बिना अनुमति के नहीं बोलना चाहिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकट स्वामी : हर स्टेट में एक-एक तरीका है, उसको हम परस्यू कर रहे हैं। हमारे एम० पीज० की डिमाण्ड है कि उन लोगों को भी पार्टीसिपेट करने के लिए हम हर चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके आपके सवाल को भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : इस स्थिति में कोई प्रश्न न पूछें। उन्होंने हस्तक्षेप किया है। चर्चा के अंत में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वह उपस्थित रहेंगे और प्रश्न पूछने के लिए आपको भी चर्चा के अंत में उपस्थित रहना होगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : कार्य मंत्रणा समिति की पिछली बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था कि कई सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। यद्यपि जो समय वास्तव में निर्धारित किया गया था वह दस घंटे था। यह महसूस किया गया कि कुछ और समय दिया जाना चाहिए। अत: यह विचार किया गया कि बैठक दो घंटे और अधिक आज चले और कल अंतिम उत्तर 6.00 बजे शाम में दिया जाए। ताकि पूरे 14 घंटे मिल जाएं। मैं समझता हूं कि सभा इस प्रस्ताव से सहमत होगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उन्होंने रैफरेंस दिया है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में इस तरह से डिस्कस हुआ है, करके।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं माननीय मंत्री जी का समर्थन करता हूं। चूंकि चार विभागों को इसमें लिया गया है, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, ग्रामीण विकास, जनवितरण प्रणाली और कोआपरेटिव, इतने विभागों की डिमाण्ड्स पर दो दिन बहस हुई है। आज तीसरा दिन है इसलिए टाइम बढ़ाया जा सकता है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इसीलिए बढ़ाया गया है।...(व्यवधान)...इसी में टाइम बढ़ा है। कल चार घण्टे, आज छ: घण्टे और कल चार घण्टे।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : समय पूरा नहीं हुआ है, इसलिए पूरा करना है, तो कल करिएगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आज तय हुआ है, दो घण्टे और बढ़ाएंगे, तो चार घण्टे पूरा एक्स्ट्रा होगा।

सभापति महोदय : कल और बढ़ाना है, तो और बढ़ाएंगे।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, यदि मंत्री कल 6.00 म० प० उत्तर देंगे तो इस चर्चा का निर्धारित समय आठ घंटे होगा। इसलिए आज हमें एक घंटे से अधिक नहीं बैठना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप समय बढ़ाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : सूची में वक्ताओं के नामों की संख्या कितनी है ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : स्पीकर्स की बहुत लम्बी लिस्ट है। कल परसों भी भाषण करना है, तो वह सूची काफी है। मुझे लगता है, सबकी सहमति दिखती है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : सभापति जी, यह ऐसा मंत्रालय है, जिस पर ज्यादा-से-ज्यादा सदस्य बोलना चाहते हैं। एक्सटरनल एफेयर्स पर इस मंत्रालय की अपेक्षा कम बोलेंगे और कामर्स पर कम बोलेंगे।

श्री पी० एम० सईद : एक्सटरनल एफेयर्स पर तो काफी सदस्य बोलेंगे।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : नहीं, इसकी अपेक्षा ! मैं कृषि मंत्रालय की अपेक्षा कह रहा हूं। मूलत कृषि हमारा विषय है। अधिकतम सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से है। इसमें समय बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है, सदन की सहमति है। मंत्री जी भी कह रहे हैं कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में भी चर्चा हुई है। सदन की सहमति है, तो पहले अभी एक घण्टा बढ़ाते हैं, फिर एक घण्टे के बाद देखेंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आप दो घण्टे बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : सभापति जी, सदस्यों को सूचित करते हुए आपको बैठना है। सदस्य भी जा चुके हैं, तो बोलने वाले नहीं होंगे, तो सदन कैसे चलेगा। ज्यादा अच्छा होगा कल ही समय बढ़ाएं अन्यथा आज कुछ समय बढ़ा दें।...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : जिनका नाम आज लिया जाएगा, कोई कारण से वे यहां नही होंगे, तो उनको कल बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार।

[अनुवाद]

श्री एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार (चेंगलवट्टू) : सभापति महोदय, अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक दल की ओर से मुझे कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मैं तमिलनाडु के लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि गत वर्ष राज्य में आए बाढ़ के प्रकोप से, विशेषकर चेंगलपट्टू जिला में, करोड़ों रुपये का कृषि उत्पाद बर्बाद हो गया। किसानों को इससे अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। डा० पुरात्ची थलाइवी के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने युद्ध स्तर पर तुरंत कार्रवाई शुरू की और प्रभावित किसानों को तुरंत क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई। केन्द्र द्वारा दी गई राशि गत वर्ष के आर्थिक घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सामने आना चाहिए।

तमिलनाडु के लिए एक बड़ी योजना 'पंडियारू-पोन्नमबलारू योजना' का प्रस्ताव भारत सरकार के पास बहुत दिनों से लम्बित पड़ा है। यह योजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है और मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इसे जल्द स्वीकृति प्रदान करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में तमिलनाडु सरकार को एक लाख पचास हजार टन चावल की आवश्यकता केन्द्रीय पूल से है। लेकिन अभी तमिलनाडु को केन्द्र सरकार से कम मात्रा में आवंटन प्राप्त हो रहा है और राज्य सरकार उसी से अपना काम चला रही है। महोदय, हमारे राज्य में इस माह के लिए चावल का कम आवंटन करने का प्रस्ताव है। मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु सरकार के लिए केन्द्रीय पूल से की जा रही आवंटन में कमी नहीं की जाए और कम-से-कम 85,000 टन चावल प्रति माह आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमी का सामना नहीं करना पड़े।

ग्रामीण विकास के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना है। इन योजनाओं के लिए आवंटन पर्याप्त नहीं है, फिर भी तमिलनाडु एक मात्र ऐसा राज्य है जो उस राशि का उपयोग अच्छी तरह कर रहा है।

तमिलनाडु में हमारे माननीय पुरात्ची थलाईवी ने करोड़ों रुपये पंचायत स्तर पर मुहैय्या कराए थे ताकि ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों। यह योजना देश के किसी भी अन्य राज्य में लागू नहीं की गयी है। पूरे राज्य नशाबंदी लागू करने के कारण तमिलनाडु सरकार को अत्यधिक राजस्व का घाटा हो रहा है। इससे राज्य को 340 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इस स्थिति में भी यह पंचायत विकास के लिए करोड़ों रुपये आवंटित कर रही है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को बुनियादी सुविधाएं दी जा सकें।

कावेरी जल विवाद बहुत दिनों से लम्बित पड़ा है और कावेरी जल के बिना तंजावुर और

त्रिची जिलों के किसान अत्यधिक प्रभावित हुए । अधिक समय से लम्बित पड़े मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया था और इस न्यायाधिकरण भी अपने अंतरिम आदेश मे भी कहा है कि कर्नाटक से 205 टी० एम० सी० जल तमिलनाडु को दिया जाए । भारत सरकार ने भी इसे अपने राजपत्र में शामिल किया है । कर्नाटक सरकार ने न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की जिसे दो दिन पूर्व ही खारिज कर दिया गया है । अभी तक न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय को लागू नही किया गया है । कावेरी जल के अभाव मे तंजावुर, त्रिची, दक्षिण अर्काट, उत्तर अर्काट और चेंगलपट्टू के किसानो को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । कर्नाटक सरकार के इस रवैये के कारण तमिलनाडु को चावल उत्पाद अत्यधिक प्रभावित हुआ है । न्यायाधिकरण के अंतरिम फैसले को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप दंगे हुए जिससे अधिकतर तमिलों के जानमाल का नुकसान हुआ । तमिलनाडु की मुख्य मंत्री डा० पुरात्ची थलाईवी जयललिता ने केन्द्र से अविलम्ब क्षतिपूर्ति की याचना की जिस पर कर्नाटक सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ।

मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह कर्नाटक सरकार को कावेरी जल न्यायाधिकरण के आदेश को लागू करने का निर्देश दे जिससे तमिलनाडु के किसानों को बचाया जा सके और वहां चावल के उत्पादन को बढ़ाया जा सके । साथ ही यह भी निर्देश दे कि तमिलों को जल्द से जल्द उपयुक्त क्षतिपूर्ति दी जाए ।

मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह हमारे सुझावों पर अविलम्ब कदम उठाए और जल्द-से-जल्द आवश्यक कार्रवाई करे ।

श्री अंकुश राव टोपे (जालना) : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास, खाद्य, कृषि, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों के लिए अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । ये सभी विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं । लेकिन एक साथ कोई व्यक्ति इन सभी विषयों पर समय की कमी को ध्यान में रखते हुए चर्चा नहीं कर सकता । इसलिए मैं केवल खाद्य विभाग और वह भी केवल चीनी के बारे में चर्चा करूंगा ।

भारत में वर्ष 1990-91 के दौरान 120 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ । भारत चीनी उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम रहा । भारत म कुल 493 चीनी मिलें हैं । उनमें से 293 मिलें सहकारी हैं । उनमें से 130 मिलें महाराष्ट्र म हैं और वे सभी सहकारी क्षेत्र में हैं । उनमें से 94 में उत्पादन हो रहा है । महाराष्ट्र में अन्य सभी मिलें निर्माण और अन्य चरणों में हैं ।

इस राज्य में, जहां का मैं वासी हूं, इन सभी 130 मिलों में करीब 35 लाख शेयरधारक शामिल है । वे सदस्य बन गए हैं । इन शेयर धारकों में से 50 प्रतिशत के पास मात्र एक एकड़ जमीन है । इन शेयर धारकों मे 28 प्रतिशत के पास दो एकड़ भूमि है । इस प्रकार कुल 35 लाख में से 75 प्रतिशत छोटे किसान यानि सीमांत कृषक हैं । ये सभी किसान एक साथ हैं । वे अपना निदेशक मंडल निर्वाचित करते हैं । यह निदेशक मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित करता है और गरीब किसानों के ये सभी प्रतिनिधिमंडल मिलों को सहकारिता के आधार पर अच्छी तरह

चला रहे हैं। इन चीनी मिलों में केवल चीनी का उत्पादन ही नहीं हो रहा है बल्कि चीनी से संबद्ध अन्य उत्पादों का उत्पादन भी हो रहा है। चीनी से संबद्ध उत्पाद जिसमें शराब कारखाने शामिल हैं और रासायनिक तेल संयंत्र भी हैं जिनमे ऐसीटोन, एसिटिक एसिड, कागज कारखाना पार्टिकल बोर्ड आदि शामिल हैं। इतना ही नहीं कई कारखाने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी आ गए हैं। इन सभी क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति हुई है। 'महाराष्ट्र सुगर फेडरेशन' के अध्यक्ष के नाते मैं आपको आमंत्रित करता हूं क्योंकि आप भी महाराष्ट्र के ही हैं। अध्यक्ष की हैसियत से मैं

6.00 म० प०

निश्चित रूप से सभी सम्बद्ध माननीय मंत्रीगण जैसे श्री बलराम जी, खाद्य मंत्री और अन्य सभी को, जो सहकारी आन्दोलन में रुचि रखते हैं, महाराष्ट्र आने का और यह देखने का निमंत्रण दूंगा कि सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में क्या कार्य हो रहा है।

सभापति महोदय : आप सत्र के पश्चात निमंत्रण दे सकते हैं।

श्री अंकुशराव टोपे : सभी की सुविधानुसार किसी भी समय मैं उन्हें बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : मीठा निमंत्रण है, मान लीजिए।

सभापति महोदय : उसमें मुझे लगता है कि कोई विवाद भी नहीं होगा कि यह पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है या डेलीगेशन आफ पार्लियामेंटेरियंस है।

[अनुवाद]

श्री अंकुशराव टोपे : इस शिष्ट मंडल का नेतृत्व शक्कर संघ करेगा। इन सबके बावजूद महाराष्ट्र में चीनी के मिलों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से मैं सिर्फ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य समस्याओं का उल्लेख करूंगा। सातवीं योजना में महाराष्ट्र को 38 चीनी मिलों के लिए लाइसेंस प्राप्त हुए थे। दो मिलों को लेकर विवाद चल रहा है। नौ मिलों में अपना कार्य शुरू कर दिया गया है और छः महीनों के भीतर वे चालू हो जायेंगे तथा अक्तूबर, 1992 तक इन सभी नौ मिलों द्वारा चीनी उत्पादन का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जहां तक 27 उद्योगों का सम्बन्ध है, विगत दो वर्षों में महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन समस्त 27 मिलों को क्रयादेश जारी कर दिए गए हैं। इन्होंने 2 करोड़ रु० तक के अपने शेयर संग्रहीत किये हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सभी मिलों द्वारा संग्रहीत शेयर पूंजी की प्रथम अग्रिम राशि मशीनों के आपूर्तिकर्ता को चुका दी गई है। जब कार्य प्रगति पर था तो आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं, जैसे आई० एफ० सी० आई० तथा अन्य ने इन सभी मिलों को इस आशय का पत्र भेजा था कि वे कार्य को आगे न बढ़ायें तथा अगले आदेश तक कार्य रोक दें। आई० एफ० सी० आई० तथा आई० डी० बी० आई० भारत सरकार से कह रहे हैं कि वह जाने जा रहे सभी प्रोत्साहनों में संशोधन करें। उच्च लागत के कारण इन सभी 27 मिलों में से प्रत्येक को 34 करोड़ रु० देना पड़ेगा और इसी उच्च लागत की वजह से आवधिक ऋण देने

वाली संस्थाओं द्वारा उन्हें दिए जा रहे प्रोत्साहनों में संशोधन करने के लिए कहा जा रहा है अन्यथा इन मिलों को ऋण प्राप्त नहीं होगा। अतः विगत दो वर्षों से इन सभी 27 मिलों का काम रुका पड़ा है। हमारे सभी चीनी संघ, हमारे सांसद गण, जिनमें से अधिकांश चीनी मिलों के अध्यक्ष हैं, किसी प्रकार इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिल पाया है। परिणामस्वरूप, इन सभी कारखानों मे कार्य रुक गया है पिछले माह, महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक कारखाने के लिए 85 लाख रुपये मंजूर किये थे। यह महाराष्ट्र सरकार की प्रथम शेयर पूंजी है लेकिन शर्त यह है कि जब तक आई० एफ० सी० आई० तथा आई० डी० बी० आई० द्वारा ऋण चुकता नहीं कर दिया जाता है तब तक यह धनराशि नही दी जायेगी। इसलिए अब ये सभी कारखाने भारत सरकार की ओर से संशोधित प्रोत्साहन योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने माननीय प्रधान मंत्री, खाद्य मंत्री जी तथा सम्बद्ध सभी माननीय मंत्रियों से भेंट की है। बैठकों के पश्चात भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वर्तमान में हमें जो प्रोत्साहन मिल रहे हैं वे न मिलने के बराबर ही है। इसी कारण प्रोत्साहन सम्बन्धी मांग उठाई गई हैं। अतः हमें उच्च वसूली क्षेत्र मे 10 वर्षों के लिए, मध्यम वसूली क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए तथा निम्न वसूली क्षेत्र मे 15 वर्षों के लिए 100% निर्बाध बिक्री की छूट अवश्य ही मिलनी चाहिए। जब तक हमें ये सभी प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होते हैं। ये सभी कारखाने अर्थक्षम नहीं बनेंगे तथा ऋणदाता संस्थाओं द्वारा ऋण नहीं दिया जाएगा और कारखानों के कार्यों में प्रगति नहीं होगी। इसलिए सभी सम्बद्ध माननीय मंत्रियों से मेरा अनुरोध है, कि वे इस मामले में तेजी से कार्यवाही करें तथा कोई निर्णय लें।

जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है मेरा दूसरा अनुरोध लेवी चीनी से सम्बधित है। हमारे यहां दो प्रकार के क्षेत्र हैं चूंकि मराठवाड़ा, विदर्भ तथा खाण्डेश महाराष्ट्र के पिछड़े हुए इलाके हैं अतः निम्न वसूली के कारण इन्हें उत्तरी क्षेत्र में रखा गया है। महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र के अन्तर्गत है। इसलिए शुल्क के उद्देश्य से, हमारे यहां दो क्षेत्र हैं परन्तु प्रोत्साहन दिये जाने के प्रयोजन से हमारे यहां सिर्फ एक ही क्षेत्र है और वह उच्च वसूली का क्षेत्र है। अतः मेरा अनुरोध है कि उत्तरी क्षेत्र के भाग को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए अथवा इसे अन्य उच्च वसूली के क्षेत्र में परिवत कर देना चाहिए ताकि इन कारखानों को सभी प्रोत्साहन दिये जा सकें और ये कारखाने अर्थक्षम बन सकें।

अब मुझे यह पता चला है कि आई० एस० एम० ए० भारतीय चीनी मिल संघ, जो कि देश के सभी निजी चीनी उद्योगों का एक संघ है, इन प्रोत्साहनों का विरोध कर रहा है। ये कारखाने सिर्फ इन प्रोत्साहनों की सहायता से चल सकते हैं और आई० एस० एम० ए० नही चाहता है कि सहकारी चीनी मिलों की स्थापना हो। इसी कारण वे इन प्रोत्साहनों का विरोध कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि भारत सरकार सहकारी चीनी मिलों को उच्च प्राथमिकता दे रही है। इसलिए वे शायद उनके किसी भी परामर्श पर विचार नहीं करेगी और मैं समझता हूं कि इन प्रोत्साहनों की घोषणा निश्चित रूप से जल्द-से-जल्द कर दी जाएगी।

मेरा एक और अनुरोध है। ये सभी कारखाने सातवी योजना के अन्तर्गत हैं। जब तक इन प्रोत्साहनों को इन कारखानों में लागू नहीं किया जाता है ये अर्थक्षम नहीं बनेंगे। इन प्रोत्साहनों की घोषणा एक बात है तथा सातवीं योजना के अन्तर्गत सम्मिलित सभी कारखानों में इन्हें लागू

करना अन्य बात है। इसलिए इन दोनों ही बातों को करना चाहिए। सिर्फ तभी इन कारखानों को आई० एफ० सी० आई० तथा आई० डी० बी० आई० से ऋण सम्बन्धी प्रोत्साहन मिल पायेगा।

चीनी उद्योग से सम्बन्धित एक अन्य महत्वपूर्ण बात चीनी विकास कोष की है। चीनी उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु धनराशि एकत्रित करने के लिए चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत 1-6-1982 से उपकर लगाया गया था। 14 रु० प्रति बोरी की दर से उपकर लगा कर इनके वितरण के लिए सभी कारखानों से करीब 901 करोड़ रुपया वर्ष 1982-83 से 1990-91 तक एकत्रित किया गया है। लेकिन अब तक कितने ऋण की मंजूरी दी गयी है? 901 करोड़ रु० की तुलना में सिर्फ 588.16 करोड़ रु० की मंजूरी दी गयी है और सिर्फ 364.50 करोड़ रु० की राशि वितरित की गयी है जो कि 50 प्रतिशत भी नहीं है। एम० डी० एफ० या सरकारी खाद्य विभाग द्वारा धन का अब तक उतना ही वितरित किया गया है। यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। वास्तव में, 14 रु० प्रति बोरी उपकर लगा कर इस कोष का गठन इन कारखानों के विकास के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन वे ऋण की मंजूरी और इसका वितरण नहीं कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि ऋणों की मंजूरी और वितरण हेतु शीघ्र कदम उठाया जाए सभी कारखानों को शीघ्र ही ऋण दिया जाए। मैं यहां इस बात का भी उल्लेख कर दूं कि इस वर्ष भी इस कोष के लिए एकत्रित 170 करोड़ रुपए की तुलना में सिर्फ 110 करोड़ रुपया देना प्रस्तावित किया गया है।

जिन नियमों में संशोधन किया गया है वे बहुत ही कठिन हैं। इन कारखानों को आसानी से ऋण नहीं मिल पायेगा। संशोधित नियमों के अनुसार एक प्रावधान यह भी है कि कारखानों को तब तक ऋण नहीं मिलेगा जब तक कि इनमें कार्य शुरू नहीं हो जाता है। यह बहुत ही गलत प्रक्रिया है। नये कारखानों द्वारा मशीनों के लिए क्रयादेश दे दिये जाने के पश्चात ही उन्हें ऋण पाने का पात्र बना देना चाहिए। कारखाने स्थापित करने और गन्ने के विकास का कार्य एक ही साथ शुरू कर देना चाहिए ताकि जब कारखानों में पेराई का कार्य शुरू हो तो गन्ने की कमी न होने पाए और कारखानों को आराम से चलाया जा सके। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

नियमों में यह भी प्रावधान है कि किसी भी कारखाने को इसके शुरू होने के पश्चात निरन्तर सात वर्षों के लिए ऋण का पात्र नहीं समझा जायेगा। ये ऋण आधुनिकीकरण, पुनर्वास, गन्ना विकास तथा अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों के लिए है। लेकिन प्रथम सात वर्षों तक के लिए तो प्रतिबंधित है। मैं यह महसूस करता हूं कि सात वर्षों के इस प्रतिबंध को समाप्त करना चाहिए और सभी मामलों पर उनके गुणों के आधार पर विचार करना चाहिए।

इस ऋण को छः प्रतिशत ब्याज दर की शर्तों पर दिया गया आसान ऋण समझा गया है। अब पुनः ब्याज दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः आसान शर्तों पर दिए गए इस ऋण को कठिन शर्तों के ऋण में परिणत किया जा रहा है। 14 रु० प्रति बोरी उपकर लगाकर इस कोष की स्थापना की गई है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि ब्याज की दर 6 प्रतिशत ही रखनी चाहिए तथा इसे बढ़ा कर 9 प्रतिशत किये जाने के प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए।

आजकल हमें चीनी का खरीद मूल्य नहीं मिल रहा है। वास्तव में हमें चीनी की उत्पादन लागत प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे यहां दोहरी मूल्य पद्धति और आंशिक नियंत्रण प्रणाली है। बाजार में चीनी को नियंत्रण-मुक्त करने की अफवाहें उड़ रही हैं। परन्तु सरकार ने न तो सार्वजनिक रूप से और न ही संसद में इस संबंध में अपना इरादा स्पष्ट किया है। परन्तु मैं यह कहूंगा कि यदि चीनी पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया जाएगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही समाप्त हो जाएगी। हमारे प्रधान मंत्री जी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वोच्च महत्व दे रहे हैं। अतएव सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कायम रखने और समाज के निर्धन वर्ग को रियायती दरों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए चीनी पर से नियंत्रण नहीं हटाया जाना चाहिए और वर्तमान दोहरी मूल्य नीति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

मैं निर्यात-आयात के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस समय एस०ई०जी० निगम चीनी के निर्यात-आयात का काम संभाले हुए है। इसका निजीकरण हो जाने के कारण कुछ व्यापारियों ने इसका निर्यात करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। यदि आप उन्हें अनुमति देंगे, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, परन्तु यदि आप उन्हें निर्यात सम्वर्द्धन अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति देंगे तब इससे सभी कारखानों को घाटा उठाना पड़ेगा। घाटा तो कारखानों को उठाना पड़ता है और लाभ व्यापारियों और एस०ई०जी० के कार्मिकों को होता है। मैं यह कहूंगा कि अधिक-से-अधिक निर्यात किया जाए और गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी अनुमति दी जाए, परन्तु घाटा केवल कारखानों को ही नहीं उठाना चाहिए। यह घाटा इसके व्यापारी द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं कर क्षेत्रों के बारे में कुछ कहूंगा। पिछले बीस वर्षों से महाराष्ट्र सरकार चीनी पर कर लगाने की मांग करती रही है। उत्तर और दक्षिण दो क्षेत्र हैं, परन्तु दक्षिण क्षेत्र में एक मध्य क्षेत्र भी है। दक्षिण क्षेत्र में सितारा तथा सांगली का भाग और कोलापुर का भाग ही आता है और कर लगाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र मध्य क्षेत्र में आते हैं। मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इन सभी सुझावों पर भी विचार करेंगे। अन्त में मैं कहूंगा कि कारखानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के विषय पर सरकार को तुरन्त निर्णय लेना चाहिए।

मैं आपको मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, आज सदन में एक साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय पर चर्चा हो रही है। इन मांगों का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हिन्दुस्तान गांवों का देश है। अभी मंत्री जी ने कहा कि साढ़े पांच लाख गांव हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में वास करती है। 45 वर्ष की आजादी के बाद भी भारत की आत्मा कराह रही है और परेशानी तथा तबाही की जिन्दगी बिता रही है। साठ प्रतिशत लोग गांवों में गरीबी रेखा के नीचे हैं और राष्ट्रीय

आय में चालीस प्रतिशत कृषि से देते हैं। लेकिन हमारी तबाही और बर्बादी बढ़ती चली जा रही है। सरकार की ओर से ग्राम सुधार के लिए बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है। जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण जल-पूर्ति, सूखाग्रस्त कार्यक्रम सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, महिला तथा शिशु विकास दर और स्व-रोजगार जैसी बहुत-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पर मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा दी गई और इस साल जो बजट पेश किया है और जो पैसा आवंटित किया है। वह रुपये के अवमूल्यन के बावजूद भी हमने उसको कम कर दिया है। 1991-92 में 3508 करोड़ रुपया हमने रखा था ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए, इस बार हमने 3100 करोड़ रुपया रखा है, अर्थात् 22 प्रतिशत उसमें हमने कमी करने का काम किया है और ढिंढोरा पीटते हैं कि हम गांवों का विकास करेंगे। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री अभी बोलकर गए हैं कि हम गांवों के लिए योजना बनाएंगे। लेकिन इस तरह से कैसे योजनाओं को पूरा करेंगे।

इंदिरा आवास योजना का भी जिक्र हुआ। उसमें वही रकम रखी है जो पहले थी। जबकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। कहा गया था कि सौ दिन में महंगाई कम करेंगे, अब तीन बरस में कम करने की बात कही जा रही है। इंदिरा आवास योजना में जो रकम पहले दी जाती थी, वही अब दी जा रही है। पहले 2 रुपये का बांस मिलता था, घर बनाने के लिए आज 20 रुपये का मिलता है, लेकिन रकम वही है। क्या आप लोगों के मकान के नीचे मरने के लिए ही इंदिरा आवास का निर्माण करा रहे हैं।

अभी मंत्री जी ने पीने के पानी की बात चलाई थी। मंत्री जी ने कहा कि पांच-छः हजार गांव बाकी हैं। मुझे मालूम है, साढे पांच लाख गांवों में से एक लाख गांव ऐसे हैं, जहां पीने के पानी का इन्तजाम नहीं हुआ है। मंत्री जी के आंकड़े इसी तरह के हैं, जैसे एक गांव के किनारे से बिजली की लाइन चली जाए तो सरकार कहती है कि उस गांव का विद्युतीकरण हो गया। पंचायत में एक ट्यूबवैल लग जाता है, तो कहा जाता है कि पीने के पानी का पंचायत के सभी गांव में प्रबन्ध हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि आप एक लाख गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं कर सके हैं। मगर पेप्सीकोला इत्यादि बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को न्योता देकर इस देश को लूटने के लिए तैयार कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक गांव को सड़क से शहर तक जोड़ने की बात है, मैं बिहार से आता हूं, मेरे गांव की सड़क पर चलते हैं, तो पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में

6.19 म० प०

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

सड़क है। इस तरह की दुर्गति है। आप कह रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1500 की आबादी वाले गांव को आपने पक्की सड़क से जोड़ने की बात कही थी, लेकिन आज पक्की क्या कच्ची सड़क से भी जोड़ने का काम नहीं हुआ है।

इसी तरह से आप कृषि के अन्दर देखें। उसमें इस साल 1049 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान है, पिछले साल के हिसाब से देखें तो अधिक लगता है, मगर रुपये के अवमूल्यन को

अब देखें तो करीब तीन प्रतिशत गत साल से कम रकम रखी गई है। हरित क्रांति के बाद अब श्वेत क्रांति की बात की जाती है। पशुशालाओं का कुछ नहीं हो रहा है। देश में पशु प्रजनन केन्द्र हैं, जिनमें प्रशिक्षण और परीक्षण बीस साल से चल रहा है, उसमें भी दुर्गति है। केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म ठीक से नही चल रहे हैं और सांडों की नस्ल सुधारने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। बछड़ों को सांड बनाने का काम करना है, लेकिन वे बैल ही बनकर निकलते हैं।

गांवों के लिए खेती है, मगर उसके लिए भी बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को निमंत्रण दिया जाता है। डुंकेल साहब कहते हैं कि खेती में जो सब्सिडी या सहायता दी जा रही है, वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि उन्हीं के देश, अमरीका में किसानों को 39 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। जहां कि 6 प्रतिशत खेती पर निर्भर हैं और हमारे यहां 75 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं, वहां 10 प्रतिशत से ज्यादा वे देने को तैयार नहीं हैं और सब्सिडी भी कम कर दी गई है। कल मंत्री जी ने आकर कहा कि हम एक क्विंटल गेहूं पर पच्चीस रुपये बोनस देंगे। बोनस आप किनको देंगे, बड़े किसान होते हैं, मंझोले किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं। बड़े किसान होते हैं, वे ही गेहूं बेचेंगे। लेकिन छोटे किसान, मंझोले किसान हैं, वे गेहूं बेचने का काम करते हैं या कृषि मजदूर हैं, उनके घर में जब भी कोई बीमार हो जाता है, उसके लड़के को स्कूल की या कालेज की फीस देनी होती है, चाहे शादी-ब्याह में रुपया खर्च होता है, फसल के समय गेहूं को बेच देते हैं, परन्तु छः महीने के बाद उनको गेहूं महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है और यह वही गेहूं होता है जो बड़े किसान बेचते हैं। इसलिए कहते हैं कि यदि गेहूं की कीमत को उसी वर्ष बढ़ा दिया जाता है, जैसे 250 रुपये प्रति क्विंटल से 350 रुपये कर दिया जाता तो छोटे किसान और कृषक मजदूर उस रेट पर गेहूं बेचते और छः महीने बाद महंगे दाम पर गेहूं न खरीदते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अन्न के दाम में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जैसा डा० लोहिया ने कहा :

अन्न दाम का घटना-बढ़ना, अन्न सेर का भीतर हो।
करखनियां माल का दाम लागत कर से ड्योढ़ा हो।

आज हम जो अन्न बेचते हैं, छः महीने के बाद उसको खरीदें तो एक आन सेर भी अन्तर ही होना चाहिए और उसी तरह से कारखाना से जो माल तैयार होता है, उसे लागत दर से ड्योढ़ा ही होना चाहिए अर्थात् कृषि उत्पादन वस्तु से कारखाना उत्पादन वस्तु की कीमत में संतुलन होना चाहिए।

सभापति महोदय, सब्सिडी को घटा दिया गया है, वह लागू करना चाहिए। डंकेल ने एक बात और कर दी कि पेटेंट बीज आयेगा, तो उसके साथ जो जीएटीटी का एग्रीमेंट हुआ है, उसमें बीज को आगे साल तक में लेते चले जाएंगे यानि पांच वर्ष तक महंगे दाम पर सीड लेते चले आएंगे और जब बीज खत्म हो जाएगा तो हमें कहा जाएगा कि 500 रुपये कि०ग्रा० बीज का दाम है, खरीदना हो तो खरीदो नहीं तो एक्जिट पालिसी के मुताबिक वे विदेशी कम्पनियों के साथ चले जाएंगे और हमारी खेती चौपट हो जाएगी।

सभापति महोदय, कृषि उत्पादन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलना चाहिए। बिहार में जनता दल की सरकार के समय कई कृषि विज्ञान केन्द्र की मंजूरी हो गई थी, परन्तु इस सरकार के आते ही हमारे मंजूर किए हुए कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना स्थापित हो बंद कर दिए गए। कृषि की उन्नति के लिए सायल टैस्टिंग का काम होना चाहिए। परन्तु गरीब लोग केन्द्र में मिट्टी का परीक्षण कराने नहीं जा सकते हैं, इसके लिए मोबाईल वैन होना चाहिए। मैं बिहार से आता हू जो हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा भू-भाग है। एक जमाना था, जब बिहार अन्न का भण्डार माना जाता था। आजादी के बाद से भारत की 1/10 भाग आजादी वहां पर है। वहां के लोग मेहनती हैं, जो हरियाणा और पंजाब में काम करने जाते हैं। हमारा बिहार 40% देश का खनिज पैदा करके सप्लाई करता है, परन्तु बिहार की हालत सबसे खराब है। आजादी के समय हमारी जहां प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से 7वीं पोजीशन थी, आज नीचे से फर्स्ट आ गया है। इसका कारण बिहार नही केन्द्र सरकार है। इसका कारण आप प्रथम पंचवर्षीय योजना से सातवी पंच-वर्षीय योजना को देखिएगा। बिहार देश की आजादी का 10 प्रतिशत है, परन्तु एलोकेशन ढाई से तीन और अधिक-से-अधिक साढे चार प्रतिशत हो रहा है। यदि 1961 की सैंसेज देखी जाए तो उस समय बिहार के कृषि मजदूरों की संख्या 22 प्रतिशत थी जो 1991 में बढ़कर 41% से अधिक हो गई है और भूमि का टुकड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में जब तक भूमि सुधार को लागू नहीं करिएगा, तब तक खेतिहर मजदूरों की हालत नहीं सुधर सकेगी और साथ ही वहां पर मिनिमम वेजेज कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी उद्योग या कृषि पर आधारित उद्योग चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता रहती है। अगर बिजली नहीं दी जाएगी तो खेती नहीं चल सकती है, न सिंचाई हो सकती है और न ही कोई रोजगार चल सकता है परन्तु हमारे बिहार में बिजली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि कांटी बिजलीघर अधूरे काम को हर हालत में उत्तर बिहार की दयनीय दशा को दूर करने के लिए यथाशीघ्र निर्माण करें। महाराष्ट्र में सिंचाई के लिए बिजली पर 15 लाख पंपिंग सैट चलते है, वहीं बिहार में ढाई लाख पंपिंग सैट बिजली पर चलाए जाते हैं। जहां उत्तर प्रदेश में डीजल पर 15 लाख पंपिंग सैट चलाए जाते हैं वहां बिहार में दो लाख पंपिंग सैट चलाए जाते हैं और खेती पर प्रति व्यक्ति बिजली जहां बिहार में 12 किलोवाट प्रति घंटा है, वहां पंजाब में 190 किलोवाट प्रति घंटा है।

जब 1977 में हमारी सरकार बनी थी, हमने नार्थ बिहार में बिजली के लिए काटी थर्मल पावर बनाने का काम किया था। 220 मेगावाट बिजलीघर तैयार हो गया, 660 का प्रस्ताव था और जब हमारी सरकार गई तो बाकी 440 मेगावाट बिजलीघर बनाना रोक दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरी बिहार में बिजली के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। खाद की भी हालत बिहार मे वही है। जहां बिहार मे प्रति हैक्टेयर 57 कि० ग्रा० खाद उपलब्ध है, पंजाब मे 156 कि० ग्रा० खाद उपलब्ध है। बिहार के मजदूर पंजाब मे खेती करते हैं, वहां खाद अधिक दी जाती है। कीटनाशक दवाओं का भी वही हाल है। बिहार में 285 ग्राम प्रति हैक्टेयर है और तमिलनाडु में 10,700 ग्राम प्रति हैक्टेयर कीटनाशक दवाओं की सप्लाई होती है। हम खाद भेजें, खनिज भेजें, हमारी जमीन उपजाऊ रहे, पर हमारी पालिसी ऐसी है कि

बिहार में प्रति व्यक्ति जमीन की जोत की जमीन कम है, क्योंकि खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ती जाती है, यहां 0.17 हैक्टेयर एक आदमी पर जमीन पड़ती है, वहां पंजाब में 0.6 हैक्टेयर जोत की जमीन पड़ती है जिसका नतीजा यह होता है कि पंजाब में प्रति व्यक्ति आय सालाना 3,500 रुपए होती है तो बिहार में 1,016 रुपए होती है। उसी तरह अन्न के मामले में हम पीछे होते चले जा रहे हैं। 1970 में बिहार में प्रति व्यक्ति 153 कि० ग्रा० अन्न पैदा होता था, 1990 में प्रति व्यक्ति 125 कि० ग्रा० अन्न पैदा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप अब समाप्त कीजिए।

श्री संजय लाल : सभापति जी, छोटे किसानों और मार्जिनल किसानों के लिए बागवानी और हार्टिकल्चर बहुत जरूरी है। हार्टिकल्चर के लिए जो पैसा इस साल मिला है, कुछ बढ़ाया गया है और 165 करोड़ रखा गया है। मगर इसके विकास के लिए जो बोर्ड है, साउथ में नारियल बोर्ड है, मसाला बोर्ड है, मगर हमारे उत्तरी हिन्दुस्तान में खासकर बिहार में बहुत केला होता है और बहुत लीची होती है। मुजफ्फरपुर की लीची बहुत मशहूर है जहां का मैं रहने वाला हूं। वहां पर फूड प्रोसेसिंग उद्योग नहीं लगा है।

सभापति जी, मैं यह भी चाहता हूं कि फसल बीमा योजना को लागू किया जाए। मछली पालन पर भी अधिक ध्यान दिया जाए। आज मछली पालन में जो 50 लाख मछुआरे समुद्र के किनारे हैं, आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छूट दे दी है कि आकर मछली मारें और 50 लाख मछुआरे परिवारों को वह बरबाद करने में लगे हुए हैं। कृषि विज्ञान और फूड प्रोसेसिंग के साथ मैं चाहता हूं कि सहकारी समिति के द्वारा इनको ठीक से चलाया जाए जिससे किसानों की उन्नति हो।

सभापति जी, दलहन और तिलहन के संबंध में जो रेन फेड एरिया है, जो कम पानी में पड़ता है, वहां इंप्रूव्ड वेराइटी के बीच दिए जाएं तो दलहन और तिलहन का बहुत काम हो सकता है।

सभापति जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बजट का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : सभापति महोदय, मैं कृषि क्षेत्र में नयी पहल करने के लिए माननीय कृषि मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाली देश की 80 प्रतिशत जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ग्रामीण जनता के लिए कृषि रोजगार का मुख्य स्रोत है। देश में कृषि का सम्बन्ध मानसून से है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में और भूमि के उपयोग हेतु अवैज्ञानिक पद्धति के अभाव के कारण देश में कृषि योग्य परती भूमि का 107 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र और खाली भूमि का 23 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र व्यर्थ पड़ा हुआ है। प्रयोग में न लाई जा रही यह भूमि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो रही है। सबसे बड़ी समस्या इस भूमि को कृषि योग्य बनाने की है। 329 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से 173.65 मिलियन हेक्टेयर भूमि समस्यायुक्त है और इसमें से भी 26 मिलियन

हेक्टेयर क्षेत्र सूखाग्रस्त है। जनसंख्या वृद्धि और पशुधन के दबाव के कारण इस भूमि से होने वाली उपज में गिरावट आ रही है।

भूमि के इस्तेमाल सम्बन्धी समस्या के निदान हेतु एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए केन्द्रीय भूमि आयोग का गठन किया जाना चाहिए। सरकार ने प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि आयोग और परती भूमि विकास परिषद नामक एक शीर्ष निकाय का गठन किया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए बोर्ड की बैठक जल्दी-जल्दी होनी चाहिए और राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को नीति सम्बन्धी निर्देश दिए जाने चाहिए।

सांझी भूमि के प्रबन्धन के बारे में मैं यह कहूंगा कि सरकार को जनता की भागीदारी और सांझी भूमि के प्रबन्धन द्वारा लाभ की वितरण सम्बन्धी नीति शीघ्र ही बनानी चाहिए। सांझी भूमि पर अवैध कब्जा करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

चरागाह और पशुधन जनसंख्या का दबाव कृषि भूमि की ही एक और सम्बद्ध समस्या है। पिछले 30 वर्षों में पशुधन की संख्या में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप चरागाहों में कमी आती जा रही है और भूमि की उर्वरता समाप्त होती जा रही है। इसको रोकने के लिए देश के चरागाह संसाधनों की सर्वोत्तम उपयोगिता और उसके विकास के लिए एक यथापरक और प्रभावकारी नीति तुरन्त बनाई जानी चाहिए।

सूखा पड़ने की स्थिति में कृषि मजदूरों, लघु और सीमान्त किसानों को सर्वाधिक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। रोजगार के अभाव में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बोलंगीर में 12 खंडों के 200 गांव सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। सरकार को लघु और सीमान्त किसान विकास एजेन्सी स्थापित करनी चाहिए और इन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए इनके लिए उचित योजनाएं बनानी चाहिए।

सहकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यद्यपि एन० सी० सी० एफ० और नैफेड कार्यरत है तथापि इन संस्थाओं की पहुंच अभी पिछड़े क्षेत्रों तक नहीं हो पाई है जहां पर लोगों को इनकी सेवाओं की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बोंगोमुंडा, टिटलागढ़ और मुरीबहल खंडों में प्याज उत्पादकों को भंडारण सुविधाओं के अभाव में उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इस क्षेत्र के सूखाग्रस्त होने के कारण सरकार को इस क्षेत्र के प्याज उत्पादकों के लिए अपेक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए।

सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की है। परन्तु इस योजना का विस्तार उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्र तक नहीं किया गया है। इसका विस्तार उड़ीसा के बोलगीर, कालाहांडी, फूलबनी और कोरापट जिलों मे शीघ्र ही किया जाना चाहिए।

गांव के लोगों को लाभकर रोजगार प्रदान करने के लिए कृषि विविधकरण कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए। बागवानी वाली फसलों की यहां पर काफी सम्भाव्यता है। देश के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में बागवानी वाली फसलें जैसे सब्जियां, आलू, मसाले इत्यादि उगाए जाने चाहिए। सरकार को उड़ीसा के बोलंगीर और कालाहांडी जिलों में बागवानी वाली फसल सम्बन्धी योजना को कार्यान्वित करने की व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए। सरकार को इस

क्षेत्र के अर्ध-कुशल ग्रामीण श्रमिकों के लिए कृषि व्यापार संघ की स्थापना करके रोजगार सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रीय बीज नीति बनाने के बावजूद और भारतीय बीजों के निर्यात की काफी संभावना है, हम इसका पूरी तरह से निर्यात नहीं कर पा रहे हैं और सरकार को भारतीय बीजों की विदेशों में खपत को बढ़ावा देने के उपाय करने चाहिए।

यद्यपि मत्स्य पालन क्षेत्र में सरकार ने मत्स्य किसान विकास एजेन्सी की स्थापना की है फिर भी सरकार खारा पानी, मत्स्य-पालन और समुद्री उत्पादों के संवर्धन की संभावना को सुनिश्चित नहीं कर पाई है। इनकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए जोरदार प्रयास किए जाने चाहिए।

बारानी खेती एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर सरकार को और अधिक ध्यान देना चाहिए। अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में इससे रोजगार और आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सरकार को वर्तमान दशक के लिए एक बारानी खेती योजना बनानी चाहिए।

समेकित नाशीकीट नियंत्रण तथा जलाशय व्यवस्था और दलहन तथा तिलहनों के लिए बीज विकसित करने के सम्बन्ध में चालू दशक में अनुसंधान और विकास कार्य किया जाना चाहिए।

यद्यपि सरकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर अत्यधिक धन व्यय कर रही है परन्तु उसका परिणाम संतोषजनक नहीं है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना है। परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र बोलंगीर में लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वहां पर उनके लिए लाभकर रोजगार मिलने की कोई संभावना नहीं है। अतः इस योजना के अन्तर्गत बोलंगीर जिले को कुछ विशेष अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार ने उनके लिए जीविका साधन प्रदान करने के लिए और बुनियादी सुविधाएं देने के लिए जवाहर रोजगार योजना आरम्भ की थी। यद्यपि राज्य सरकार ने परामर्शदात्री समिति का गठन किया है फिर भी संसद के प्रतिनिधि को सक्रिय भूमिका नहीं दी गई है। अतः उसकी उचित निगरानी नहीं की जाती है। समिति का सभापति कोई सांसद होना चाहिए।

यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीणों के लिए जल आपूर्ति योजना चलाई है फिर भी इस योजना की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। मेरे क्षेत्र में 250-300 समस्याग्रस्त गांव हैं जहां पर मौसम की काफी गंभीर समस्या है। सरकार को वर्ष 1992-93 तक इन सभी गांवों को पेयजल प्रदान करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना को अन्तिम रूप देना चाहिए।

यद्यपि सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की है फिर भी यह प्रणाली अभी तक मेरे क्षेत्रों के समस्याग्रस्त गांवों में लागू नहीं हो पाई है।

उड़ीसा राज्य सरकार मेरे इलाके के गरीब लोगों की भलाई के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं भेज रही है। जैसा कि सभा को भी विदित है, उड़ीसा का पश्चिम हिस्सा—बोलंगीर, कालाहाण्डी, फूलबनी और कोरापुट ज्यादा ही उपेक्षित हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए और प्रस्तावों की प्रतीक्षा किए बिना ही उन्हें बोलंगीर जिले के

दस से बारह खण्डों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए और वहां के लोगों को पीने के पानी की सुविधा भी मिलनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : सभापति जी, मैं 4 विभागों की अनुदान की मांगों, कृषि ग्रामीण विकास, खाद एवं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के विभाग की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

बजट को देखते हुए, मैं इन मांगों का समर्थन तो नहीं कर सकता क्योंकि ये मांगें और यह जो बजट पेश किया गया है, इसमें गरीब किसान, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले इन्सान, बेरोजगार तथा महिलाओं के हितों की अनदेखी की गई है। इसलिए मैं इन मांगों का विरोध करता हूं।

कहने को तो भारत कृषि-प्रधान देश है। देश की 85 करोड़ आबादी है उसमें से 80 प्रतिशत आबादी किसान है। किसान से मेरा मतलब किसी विशेष जाति या धर्म के व्यक्ति से नहीं है। मेरा मतलब उनसे है, जो जमीन से उत्पन्न करते हैं और देश की जनता का भरण-पोषण करते हैं। किसान इस देश की रीढ़ हैं और किसान की रीढ़ कृषि है और कृषि की रीढ़ फर्टिलाइजर है। इस देश में सरकार ने फर्टिलाइजर की जो नीति बनाई, वह गलत बनाई है। हमारा देश खाद के मामले में सैल्फ-सफीश्येंट नहीं है। हमें खाद विदेशों से आयात करनी पड़ती है। जो सबसिडी खाद पर देते जा रहे थे वह भी आपने कम कर दी है और समाप्त करने जा रहे हैं, जिससे किसानों को खेती बहुत महंगी पड़ती है और खाद के महंगा होने के कारण जिस मात्रा में वे फसल तैयार करना चाहते हैं, उस मात्रा में फसल तैयार नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपकी यह नीति भी किसान-विरोधी नीति है।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा बिन्दु सिंचाई के बारे में है। लघु, मध्यम और वृहद् सिंचाई योजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। हमारे ही प्रदेश की 24 वृहद् सिंचाई की योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो 1982 से लंबित हैं। सरकार उनको स्वीकृति नहीं दे रही है। जो मध्यम सिंचाई की योजना है, जिसमें केन्द्र सरकार विश्व बैंक से पैसा लेकर ट्यूबवैल लगाती है, वह योजना भी आपकी विफल हो रही है। ट्यूबवैल लगाए जाते हैं, तो कभी आपरेटर नहीं आता है, कभी मोटर उठ जाती है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है और कभी तारें कट जाती हैं। इसलिए यह योजना भी आपकी ठीक नहीं है। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि वह विश्व बैंक से पैसा लेकर ट्यूबवैल न लगाए, बल्कि किसान को पैसा देकर प्रोत्साहित करे जिससे वह स्वयं अपनी तरफ से ट्यूबवैल लगाए। जो लघु सिंचाई योजना है वह फ्री बोरिंग स्कीम है। उसमें सरकार अपनी तरफ से पाइप देती है। पाइप घटिया क्वालिटी का दिया जाता है, पाइप के बाद जो पैसा किसानों को दिया जाता है वह किसानों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए लघु सिंचाई की स्कीम बेकार है। किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं जिसकी वजह से खेती में नुकसान होता है। अतः सरकार को सिंचाई की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं सरकार की किसान विरोधी नीतियां गिना सकता हूं। एक उदाहरण देना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की सबसे अधिक पैदावार होती है। जो गन्ने की चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है वह गन्ने का 33 प्रतिशत ही पिराई कर पाती है। एक तिहाई चीनी मिलों द्वारा होती है और दो तिहाई गन्ने की पिराई कोल्हू और क्रशरों द्वारा होती है। चीनी मिलों में गन्ने का जो मूल्य निर्धारित है उससे तिहाई दामों में कोल्हू और क्रशरों पर किसानों को गन्ना डालना पड़ता है जिससे किसानों की आर्थिक हालत जर्जर होती जाती है। किसानों के बारे में हर सरकार अच्छी-अच्छी बातें करती है, उनके विकास की बातें करती है लेकिन कथनी और करनी में अन्तर है।

देश को आजाद हुए 45 वर्ष हो गए लेकिन आज तक कृषि मूल्य संबंधी कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है। जो भी मूल्य नीति बनाई गई है अथवा अपनाई गई है, कृषकों के लिए कम लाभकर सिद्ध हुई है। सही कारण यह है कि कृषकों के आर्थिक स्थिति विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों की अर्थव्यवस्था मे कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनेक अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि कृषकों को उनके कुल उत्पादन के अनुमान में उन्हें शुद्ध लाभ कम मिला है क्योंकि बाजार में उनके द्वारा उत्पादित कृषि पदार्थों का मूल्य सही नहीं मिलता है जबकि कृषि उत्पादन पर लागत (सिंचाई, बीज, उर्वरक, मशीन, यातायात, ऋण आदि) में तेजी से वृद्धि हुई है। अतएव राष्ट्रीय हित में कृषि मूल्य नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कृषकों के हितों की रक्षा की जा सके। इसके लिए अनिवार्य है कि चार मूल्य सूचकों में अन्तर संबंध एवं समन्वयन स्थापित किया जाए।

(क) कृषि उत्पादित पदार्थों के मूल्य सूचकांक।

(ख) कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक लागतों की मूल्य सूचकांक।

(ग) सकल घरेलू उत्पादों (जी० डी० पी०) का मूल्य सूचकांक।

(घ) कृषि उत्पादित पदार्थों की फुटकर मूल्य सूचकांक।

उपर्युक्त चारों मूल्य सूचकांकों में यदि समन्वयन स्थापित होगा तब किसी के लिए मूल्य अलाभकर नहीं होगा। अत: कृषि उत्पादों की स्थायी मूल्य नीति उपर्युक्त आधारों पर बनाई जानी चाहिए तथा लागू की जानी चाहिए जिससे कृषक अधिक उत्पादन करके भी आर्थिक दृष्टि से निराश न हो सके।

बड़े दुख से यहां यह कहना पड़ रहा है कि पिछले तीन वर्षों के अन्तराल में अनेक सरकारों के आश्वासन के बावजूद भी अब तक कृषि नीति संसद में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अत: भावी कृषि नीति बनाते समय इन सुझावों का ध्यान रखना चाहिए।

कृषि मंत्री यहां मौजूद हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्दी-से-जल्दी कृषि मूल्य नीति की घोषणा करें।

मैं ग्रामीण विकास के बारे में बात कहना चाहता हूं। ग्रामीण विकास पर पूंजी निवेश में कमी आई है। 199 -93 के बजट में ग्रामीण विकास पर कुल पूंजी निवेश 2610 करोड़ है। यह कुल बजट का 5.4 प्रतिशत है जबकि पिछले साल 5.8 प्रतिशत था। 80 से 90 के दशक से 6.4 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत था। इस प्रकार ग्रामीण बजट पर घटती पूंजी निवेश ग्रामीण

गरीबों के लिए दुखदाई होगी। ग्रामीण विकास के कुल पूंजी निवेश का 85 प्रतिशत केवल दो योजनाओं पर खर्च किया जाता है—आई० आर० डी० पी० और जवाहर रोजगार योजना। ग्रामीण विकास मंत्री जवाहर रोजगार योजना के बारे में बहुत बखान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उससे मिट्टी डलवाई जाती है, खरंजे बनवाए जाते हैं, और इन्दिरा विकास योजना के अंतर्गत मकान बनाए जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिन लक्ष्यों को लेकर जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी उन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। यह जवाहर रोजगार योजना है या जवाहर रेड मार योजना है। आप गांवों में जायेंगे तो वहां इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। गांवों में आये दिन इस जवाहर रोजगार योजना के धन को लेकर झगड़ा हो जाता है। सरकारी अधिकारी और पदाधिकारी मिलकर इस योजना के धन का दुरुपयोग करते हैं। अभी जनता दल के साथी बोल रहे थे कि यह योजना जब शुरू की गई थी तो इन्दिरा आवास योजना के लिए भी कुछ धनराशि आवंटित की गई थी। महंगाई तो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इस योजना के लिए जो धनराशि रखी गई है वह उतनी ही है। इससे उस पैसे का पूरा सदुपयोग भी नहीं हो पाता है। आप इस योजना को महंगाई के आधार पर लागू करिये और धन का वितरण भी ठीक तरह से होना चाहिए। वास्तव में इसके कार्यान्वियन में अनेक समस्याओं का अनुभव हमें हुआ है जिसकी असफलता के लिए सरकारी तंत्र में समर्पित भावना की कमी को विशेष उत्तरदायी बताया गया। इन योजनाओं ने कार्यान्वियन में पूंजी निवेश की कमी तथा निचले स्तर तक इस पूंजी निवेश का लाभ सही प्रकार से न पहुचना विशेष रूप से बाधक है। ग्रामीण रोजगार सृजन की व्यवस्था हेतु साधनों का अभाव भी है।

उद्योग मंत्रालय ने 24.5 लाख अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 177 विकास केन्द्रों की स्थापना तथा उन्हें सभी सुविधायें प्रदान कराने के उद्देश्य से धनराशि की मांग की थी परन्तु वित्त मंत्रालय ने बजट में अपर्याप्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर इस योजना को निष्फल कर दिया। उद्योग मंत्रालय का यह भी प्रस्ताव था कि 1997 तक देश के कुल 247 पिछड़े जनपदों में विकास केन्द्रों की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया जायेगा। प्रत्येक विकास केन्द्र पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 5 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना प्रस्तावित थी।

अतएव इस योजना को पूर्णरूपेण अविलम्ब लागू किया जाये अन्यथा ग्रामीण अंचलों में बेरोजगारी में सतत वृद्धि होगी। ग्रामीण बेरोजगारी की फौज अनवरत नगरों की ओर भागती रहेगी जिससे नगरों में अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी तथा एक स्थिति यह भी आ सकती है कि नगरों का ग्रामीकरण हो जाए। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के पूर्ण निजीकरण का प्रस्ताव न्यायोचित नहीं है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने हाल ही में एक संगोष्ठी में प्रायोगिक स्तर पर ग्रामीण विकास के निजीकरण की सोच दी थी। मैं इससे सहमत नहीं हूं। 42 वर्षों की विकास यात्रा के मूल्यांकन के पश्चात एक नई सोच को जन्म दिया जा रहा है जो अब तक की सरकारी मशीन द्वारा संचालित एवं नियंत्रित व्यवस्था की असफलता को स्वीकारना है। क्या एक मात्र निजीकरण से ग्रामीण विकास में सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जायेगा जो अब तक सम्भव नहीं हो पाया है। नीति के साथ-साथ नीयत निष्ठा, ईमानदारी, संकल्प, सही आकलन आदि का होना किसी कार्यक्रम की

सफलता के लिए एक पूर्व अनिवार्यता है। कुछ समय पूर्व स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने यह सत्य स्वीकार किया था कि एक रुपया विकास पर रखने के बाद निचले स्तर तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। शेष बीच में ही खो जाते हैं। योजना चाहे सरकारी मशीन द्वारा नियंत्रित व संचालित हो या निजी क्षेत्र में हो, योजना की सफलता के लिए हर स्तर पर संबंधित जनता की पूर्ण, सक्रिय साझीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से धनराशि अनुदान देने के स्थान पर ग्राम स्तर पर ही पूंजी सृजन की व्यवस्था करनी होगी। सक्रिय भूमिका ग्रामवासियों की होनी चाहिए। सरकार की तरफ से केवल सुपरवाईजरी भूमिका होनी चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : फिर अफसरों के हाथ में दे देना चाहते है।

डा० रमेश चन्द तोमर : आप जवाहर रोजगार योजना की बात कहते हैं और कहते हैं कि बेरोजगार नवयुवकों द्वारा इससे काम कराया जाना चाहिए। क्या आपने कभी इसका आकलन किया है? सरकारी अधिकारी और पदाधिकारी मिलकर ठेकेदारी पर काम करते हैं।

प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार को पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित करानी चाहिए। प्रत्येक गांव को सम्पर्क मार्गों की सहायता से मुख्य मार्गों तक जोड़ना चाहिए। अधिकतम एक किलोमीटर की दूरी पर प्रत्येक ग्रामीण बच्चे को प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अधिकतम तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर स्वास्थ्य, संचार, पोस्टल, बाजार, माध्यमिक शिक्षा, बीज, उर्वरक गोदाम, पशु चिकित्सालय आदि सेवाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। ग्रामीण जिलों में सार्वजनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम की व्यवस्था करना, ग्राम के प्रत्येक गरीब परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए हर स्तर पर शिक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराना इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए अलग-अलग धनराशि को आबंटित करना चाहिए।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह कहते हुए मैं इन मांगों का विरोध करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, जो मांगें माननीय मंत्री जी की ओर से कृषि, सहकारिता विभाग, कृषि अनुसंधान, पशु पालन, डेयरी विभाग, रासायनिक उर्वरक, पोल्ट्री फार्म्स इत्यादि और नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण विभाग के सम्बन्ध में यहां पर रखी हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि कम-से-कम जो यहां देर तक बैठने वाले हैं, उनको आप बाद में भी समय देते हैं, और जो पिछड़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनकी टर्न भी इस तरह से आती है, बहुत बाद में। मैं आगे के लिए यह कहना चाहूंगा कि उनको बाकायदा तौर पर अपने दुःख व्यक्त करने के लिए आपको समय निर्धारित करना चाहिए। जो नये मैम्बर्स हैं वह सभी चाहते हैं कि इसमें पार्टीसिपेट करें।

मैं जहां इन मांगों का समर्थन करता हूं, वहां खास तौर से हिमाचल प्रदेश के बारे में यह

कहना चाहूंगा, समय इतना नहीं है, कि मेरे क्षेत्र में फल उत्पादक हैं। हमारे यहां दो फसलें होती हैं, एक आलू और दूसरा सेब, इसके अलावा अदरक की फसल। इसमें पिछले साल तीन नौजवानों को गोली से मारा गया और वहां एजीटेशन चला। यह सरकार जो कहती है कि हम गरीबों के रखवाले हैं, इन लोगों का हिमाचल प्रदेश में क्या उसूल रहा है? इसके बी० जे० पी० के शासन में यह सारा काम हुआ। यह बड़े शर्म की बात है कि जब मैंने यहां सदन में मांग रखी कि इसकी इन्क्वायरी हाई कोर्ट के जज के द्वारा कराई जाय ताकि हमारे सेब उत्पादकों को पता लगे कि यह राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसका आप समर्थन कर रहे थे, मैंने उस सरकार से यहां इस सदन में कहा था लेकिन किसानों की कोई आवाज नही सुनी गई और 11 महीने के शासन में किसानों के ऊपर जो अन्त ढाया गया, वह मैं कहना चाहता हूं। उस समय गरीब आदमी का पैसा माफ नहीं हुआ। माफ किन आदमियों का हुआ, जो बड़े आदमी थे। चौधरी देवी लाल यहां नहीं रहे। वह कहते थे कि हम तो किसानों का बहुत भला करते हैं···

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों का बी०जे०पी० की सरकारों ने ऋण माफ किया।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : बड़ा अच्छा किया है, वह किसान जो बी०जे०पी० के हैं। मुझे लिस्ट लाकर बताओ कि जो हरिजन और अनुसूचित जाति के लोग हैं, क्या उनका भी आपने माफ किया? नहीं हुआ। किसानों को धोखा दिया गया। जाखड़ साहब हमारे स्पीकर भी रहे और आज यह अच्छी पोजीशन में हैं, मंत्री भी हैं और किसान भी हैं···

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अकेले मध्य प्रदेश में 764 करोड़ का कर्जा माफ किया है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : आप इस बात की जांच कराएं। किसानों को स्प्रे के लिए दवाइयां नहीं मिलती थीं, मैंने आपको हाल ही में चिट्ठी लिखी, जो स्प्रे के लिए दवाइयां मिलती थीं, उसे राज्य सरकार ने बन्द कर दिया।

आप कहते हैं कि जवाहर रोजगार योजना में कुछ पैसा नहीं मिलता, कम मिलता है तो क्या राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं होती कि उसमें फण्ड डाले, अगर गरीबों की हमदर्द बनती है। भारत सरकार जितना दे सकती है, उतना देती है, लेकिन उसका भी मिसयूज हो रहा है। मैं चेलेंज करके यहां पर कहता हूं कि इन्होंने अन्त्योदय प्रोग्राम बनाया, मैं नहीं जानता, क्या अन्त्योदय प्रोग्राम है, मगर उसमें भी ट्रक के मालिक जो बड़े-बड़े हैं, उनकी लिस्ट की जांच होनी चाहिए कि गरीबों के नाम पर जवाहर रोजगार योजना के नाम पर और ग्रामीण विकास के नाम पर सारे पैसे का हिमाचल प्रदेश सरकार दुरुपयोग कर रही है और मैं यहां इस बात के लिए इल्जाम लगाता हूं कि पहाड़ की रक्षा करने के लिए आपको उचित कदम उठाना पड़ेगा। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो दो रुपये साठ पैसे के हिसाब से हम सेब का समर्थन मूल्य किसानों को देते रहे हैं और दूरदराज के किसान, जहां पर रेल नहीं जाती, जहां सड़कें नहीं हैं, हम बड़ी मुश्किल से पीठ पर बोरियों में लाद कर रोड हैड पर लाते हैं फिर उसको मार्केट में पहुंचाते हैं और बिचौलिए उसका शोषण करते हैं। हिमाचल की सरकार ने तीन-चार वायदे किए थे। क्या वायदे किए थे? यह मैं नहीं कहता हूं, जिस वक्त सरकार

बनी, तो उन्होंने ओथ लेते हुए कहा कि यह जो 2.60 रुपये देते हैं, हम किसानों को 5 रुपये देंगे। मैं गलत नहीं कहता हूं, उन्होंने पांच रुपये का एनाउंस किया और हर आदमी को चार आने किलो में नमक देंगे और पंजाब के बराबर दिहाड़ी देंगे। इस वक्त पंजाब में दिहाड़ी 33 रुपये के हिसाब से दी जा रही है। यह जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए, हम उसको तोड़ देंगे। इस प्रकार तरह-तरह के वायदे किए गए थे। ऐसे ही लोगों ने सारे देश को तबाह करके छोड़ दिया है। कई किस्म के दल हैं, यह राष्ट्रीय मोर्चा, क्या राष्ट्रीय मोर्चा है, राष्ट्र के लिए इन्होंने क्या काम किया है। अब हमारे नरसिंह राव जी नेता हैं, इंदिरा जी ने और राजीव जी ने देश को आगे बढ़ाया। इसका कायाकल्प करने का व्रत रखा, इसी वजह से यह देश आगे बढ़ सका। आपने आईएमएफ के लिए कहा कि सारा देश बिक गया। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस राष्ट्र को आईएमएफ के पास गिरवी रखेगा। मैं कहना चाहता हूं, जब हमें बात करनी है, तो सोच-समझकर करनी चाहिए। आप किसानों की नीति की बात करते है, आप कौन से किसानों की बात करते हैं? आज हमारे लोगों को उचित भाव मिल रहा है, लेकिन जो बिचौलिए हैं, वे हमारा शोषण करते हैं। आजादपुर में सारे हिन्दुस्तान का सेब आता है, जो केला पैदा करने वाले हैं, लीची पैदा करने वाले हैं, ये सब चीजें भी आजादपुर मार्केट में आती हैं। वहां पर किस प्रकार ने किसानों का शोषण किया जाता है, इसको कभी आपने देखने की कोशिश की है। कहा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना ठीक नहीं चल रही है। तो क्या जाखड़ साहब और मंत्रिमंडल जाकर उस काम को करेगा, क्या हमारी ड्यूटी नहीं होती है कि हम उस काम को करें। वितरण प्रणाली के बारे में भी आप कहते हैं कि वहां भाव बहुत तेज है। आपने सौ दिन के लिए कहा था, हमने पांच साल के लिए वायदा किया है। तुमने तो ग्यारह महीने में राष्ट्र का बेड़ा-गरक कर दिया। उस वक्त तो प्रधान मंत्री भी दूसरे दल के थे और वही आपके लीडर बन गए। बोफोर्स-बोफोर्स में ही सदन का सारा समय ले लेते हैं, किसानों की बात नहीं होने देते हैं। हरिजन और गरीब आदिवासियों की बात नहीं होने देते हैं। आपकी सारी-की-सारी बातें हमने सुनी हैं और आपकी बातें सुन-सुनकर हमारे कान बहरे हो गए हैं। आप कहते हैं कि आप राष्ट्र भक्त हैं, मैं पूछता हूं, आपकी राष्ट्रभक्ति क्या है? क्या आपकी यही राष्ट्रभक्ति है कि मंदिर बनाओ और मस्जिद को गिराओ? दूसरी भक्ति यह हो गई कि चलो यात्रा काश्मीर की, तो क्या काश्मीर में हमारा झण्डा नहीं लहरा रहा है। क्या इस तरह से आप इस राष्ट्र को चलाना चाहते हैं? क्या इस तरह से आप किसानों की मदद करना चाहते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा सोचिए कि यह जो जुमले कसने की बात है, यह जो जुमले कसे जाते हैं और हर मिनिस्टर को बदनाम करने की बात कही जाती है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इस तरह की बातों से राष्ट्र बदनाम होता है। आपके जो नेता हैं, जो आपको इस तरह से चलाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अब आगे तो मुकाबला हमारा और तुम्हारा ही होना है। ये जो जनता दल वाले हैं, जो शोर मचाते हैं, ये तो बंट गए हैं, इसलिए मुकाबला अब हमारा और तुम्हारा ही होना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी बात यहां कही जाए, वह राष्ट्र के हित में होनी चाहिए। आप कहते हैं कि किसानों के लिए बातें होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बहुत छोटे-छोटे गांव हैं, उन गांवों के लिए आपको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, अब से आपकी

सरकार आई है, तो उसने क्या कोई योजना बनाकर भारत सरकार के पास भेजी है ? मैं कहता हूं कि कोई योजना नहीं बना रही है। उनके पास योजना को बनाने के लिए समय नहीं है। आपने वहां लोगों को काफी परेशान कर दिया है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अभी जाखड़ साहब वहां गए थे, मैं भी उनके साथ गया था, वहां एक बागवानी यूनिवर्सिटी है, वहां के लड़कों ने डिग्री लेने से मना कर दिया और प्रोटैस्ट करके बाहर चले

7.00 म० प०

गए लेकिन मंत्री जी ने जब प्रार्थना की कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम यहां आओ, तो फिर उन्होंने बाद में डिग्रियां हासिल कीं और फिर आज तक ये सरकार उनको रोजगार नहीं दे सकी और कृषि में जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने केन्द्र सरकार पर यह सारी बात डाल दी, अब जो करे वह केन्द्र सरकार, ताकि ये सारे खजाने खाली कर जाएं और अब केन्द्र सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है।

कांग्रेस ने हमेशा इस देश को आगे बढ़ाया है, कांग्रेस ने हिन्दुस्तान के किसानों को आत्म-निर्भर किया और मुझे बड़ा दुःख होता है, इस बात का, जब यह कहते है कि फर्टिलाइजर जो बाहर से आ रहा है, इससे हमारी जमीन खत्म होगी। अभी एक भाई सहब कह रहे थे कि फर्टिलाइजर कम आ रहा है और फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन इनका तो पहले ख्याल था, एक पश्चिम के जवान ने, जो हमारी उमा भारती जी ने कहा था, फर्टिलाइजर के बारे में, शायद ये भी यहां होंगे, तो इन्होंने कहा था कि यह जो बाहर से आईएमएफ के लोगों खाद भेजी हुई है, इससे हमारी जमीन खराब हो जाएगी और इससे प्रोडक्शन घट जाएगा, तो हमारे जाखड़ साहब ने बताया कि ये 90 किलो के करीब हुआ था, चाइना में और हमारे यहां तो बहुत कम खाद इस्तेमाल की जाती है। तो आज आप मांग कर रहे हैं, सब्सिडी दी तब तो आप हमारी खेती को खत्म कर देंगे। आपके विचार में तो इस तरह की खेती होनी चाहिए कि गाय, गाय के गोबर से खाद हो, गाय को चाहे कोई पाले या न पाले, चाहे वह भूखी मर जाए, यह जो सारी बातें हैं, यह आप लोगों में है और इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पशु पालने हैं तो इतना चारा, इतना गाय को खाना देना है। ये सारे लालों की पार्टी हैं और लालों को कुछ पता नहीं होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हू, मैं उनको लाले कह रहा हूं जिन्होंने सारे राष्ट्र का ठेका ले रखा है, उनको मैं कहना चाहता हूं और मैं इनसे यह भी कहना चाहूंगा कि अगर हिमाचल प्रदेश और इस राष्ट्र के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, हमारी सब्जियां जो होती हैं। हमारे यहां सेब होता है, आलू होता है, वहां ट्रेनों का भी कोई प्रोग्राम नहीं होता है, सड़कें बड़ी कम हैं तो उनके लिए ज्यादा प्रावधान किया जाए और जो समर्थन मूल्य है, उस सरकार के लिए यहां कह दिया है कि जो कांग्रेस पार्टी देती थी दो रुपये साठ पैसे के हिसाब से सेब का, आप पांच रुपये पूरा करिए, मैं जाखड़ साहब से प्रार्थना करूंगा कि जहां आप कोकोनेट, लीची को दे रहे हैं, जहां आप हर चीज को किसान पैदा करता है, उसको समर्थन मूल्य दे रहे हैं. तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पहाड़ी लोगों को, वे जो फ्रूट पैदा करते हैं, उसमें चाहे वह नाशपाती करे,

आड़ू करें, चाहे खुमानी करें और चाहे वह सेब पैदा करते हैं, तो उनके लिए समर्थन मूल्य होना चाहिए।

मैं उनका भी आभारी हूं जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने यह रास्ता दिखाया है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का और जिन्होंने यह किया कि आज कम-से-कम हरित क्रांति है, पंजाब में इतना अच्छा अनाज पैदा होता है, हालांकि वहां उग्रवादता है और हमारे लोग जो यहां पर पंजाब से जीत कर आए हैं वे बड़े बहादुर हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ काम किया है और उन किसानों के साथ उनका जुड़ना बहुत जरूरी था, इस वजह से कांग्रेस पार्टी वहां जीती है और यही सब जगह हुआ है। अब आगे के लिए असेम्बलियां आएंगी, दो-तीन साल के बाद, तो उसका ध्यान रखना क्योंकि आई०एम०एफ० के लोन में आप नहीं फंसेंगे, ये जो हमें आपने फंसा दिया है, हमको फंसाते हैं और हमको कहते हैं कि हम इस देश को बेच रहे हैं, आपकी जो अक्ल है, वह सारी आई०एम०एफ० के ऊपर लगी हुई है और सारे दिन, सारी बात आई०एम०एफ० के ऊपर चलती है और कोई आपके पास सुझाव नहीं होता कि इस सुझाव से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता।

मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और आप जब भी कुर्सी पर बैठते हैं, तो हमें समय मिल ही जाता है, वरना हमारे नाम ही कट जाते हैं और आगे के लिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप जरा इसकी मानिटरिंग कराएं, क्योंकि जो वहां की सरकारें हैं, वह आपके हाथ में तो हैं नहीं, वे तो टलियां उनकी बजाते हैं, हम पर यहां रोब मारते हैं और हमारा पूरा-पूरा दिन खराब करते हैं। तो यह जो सारी बातें हैं, यह आपने देखनी हैं और इस राष्ट्र को आप लोगों के सुपुर्द किया है, जनता ने, हमारी जो पार्टी है, वहां नरसिंह राव जी की अध्यक्षता में आगे बढ़ेगी और हम चाहते हैं कि तीन साल के अन्दर हम सारी कोई अपनी करामात दिखाएं और इस राष्ट्र को अच्छा बनाएं और किसानों के लिए बेहतर-से-बेहतर हम कोई सुविधा प्रदान करें, हमें जाखड़ जी से ऐसी उम्मीद है और कमालुद्दीन जी से और सबसे उम्मीद है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे।

इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भू० विजय कुमार राजू (नरसापुर)* : सभापति महोदय, मैं तेलुगु में बोलना चाहता हूं और इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि वह ईयर फोन लगा लें।

महोदय, जैसा कि सर्वविदित है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 80% से भी अधिक अधिक आबादी केवल कृषि पर ही आश्रित है। देश में चल रहे आर्थिक संकटों के कारण, उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता काफी हद तक बंद कर दी गई है। इस देश में किसान पहले ही बहुत गरीब हैं। राजसहायता बंद करने के परिणामस्वरूप उन्हें और भी बहुत-सी परेशानियों को

*मूलतः तेलुगु में दिए म० भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

झेलना पड़ेगा । मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । यदि मेरे इन सुझावों पर अमल किया जाता है तो मुझे यकीन है कि कृषक वर्ग काफी हद तक भार से छुटकारा पा सकेगा ।

अच्छी फसलों के लिए उत्तम किस्म के बीज होना बहुत ही आवश्यक है । यदि हम यह चाहते है कि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हो, तब हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उत्तम किस्म के बीज भी उपलब्ध कराए जाएं । आज हम उत्तम किस्म के बीजों को विकसित करने के लिए जो भी धनराशि आबंटित कर रहे हैं, वह हमारी अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के वेतन पर व्यय हो रही है । हमारी व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान आबंटन बहुत ही अपर्याप्त है । इसलिए हमारे कृषि मंत्री माननीय श्री बलराम जाखड़ जी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्तम किस्म के बीजों के विकास बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा वितरण के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाए । हमारे देश के प्रत्येक भाग में किसानों को उत्तम किस्म के बीज ठीक समय पर उपलब्ध कराए जाने चाहिएं । अन्यथा केवल किसान ही नहीं, अपितु पूरे देश को भी इससे भारी नुकसान होगा । आज हम देखते हैं कि बीज तैयार करने वाली कई संस्थाएं बीजों के विज्ञापन देती हैं । इन विज्ञापनों आदि के जरिए किसानों को यह बताया जाता है कि अमुक संस्थान द्वारा तैयार किए गए बीज उत्तम किस्म के हैं । लेकिन किसानों को ये बीज बेचे नहीं जाते । उन बीजों के ब्रांड के नाम पर घटिया किस्म के बीज बेचे जा रहे हैं । प्रायः बिचौलिए भोले-भाले गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं । आप जानते हैं कि जब घटिया किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर फसल की क्या स्थिति होगी । देश में खाद्यान्नों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसलिए, माननीय मंत्री जी से मैं यह अपील करता हूं कि किसानों को उत्तम किस्म के बीज मुहैया कराने के लिए विशेष सावधानी बरती जाए । इस बारे में उन्हें कोई कसर नहीं रखनी चाहिए ।

यही स्थिति उर्वरकों के बारे में भी है । उर्वरकों में अत्यधिक मिलावट की जा रही है । यह एक तथ्य है, जिसके बारे में हर कोई जानता है । इस सभा में कोई भी माननीय सदस्य इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता । मेरे विचार में माननीय मंत्री जी भी इस बात को जानते हैं । महोदय, मेरे ही जिले में जिला समाहर्ता ने कई व्यक्तियों को उर्वरकों में मिलावट करते और उन्हें बेचते रंगे हाथों पकड़ा है । लेकिन किसी को भी सजा नहीं हुई । उनके खिलाफ कोई भी कार्य-वाही नहीं की गई । यदि उर्वरकों में मिलावट का सिलसिला निर्बाध रूप से चलता रहा तो देश में किसानों की क्या दशा होगी । हमने उर्वरकों पर राज-सहायता हटा दी है । इसके परिणाम-स्वरूप किसान अब उर्वरकों के लिए अधिक कीमत देने के लिए विवश हैं । और किसानों द्वारा अधिक कीमतों पर खरीदे गए उर्वरकों में मिलावट निकलती है तो हम गरीब किसान की दुर्दशा का अंदाजा लगा सकते हैं । इससे किसानों के साथ क्या होता है ? हमारे उत्पादन का क्या होता है ? इसलिए इस मामले में जो कोई भी उर्वरकों में मिलावट करता है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए । यह सही है कि उर्वरकों की आपूर्ति करना राज्य-सूची से संबंधित विषय है । फिर भी केन्द्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि इस पर नजर रखे कि पूरे देश में किसानों को बिना मिलावट वाले, अच्छे उर्वरकों की आपूर्ति की जा सके । केन्द्र सरकार को चाहिए कि यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे

और स्थिति को सही करे। किसानों को बिना मिलावट वाले उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मामले में केन्द्र सरकार को सतर्क रहना चाहिए।

महोदय, देश में अच्छी फसल तथा अधिक उत्पादन के लिए पानी की आपूर्ति का भी इतना ही महत्व है। इस प्रयोजन के लिए हम बड़े-बड़े बांधों और परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। आज ऐसा समय आ गया है जबकि देश में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की उपादेयता के बारे में नए सिरे से विचार किया जाना आवश्यक है। हम इन परियोजनाओं की स्वीकृति करने में काफी समय लगाते हैं। फिर इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में भी काफी समय लगता है। निर्माण-कार्य में भी लम्बा समय लगने के कारण, परियोजना पर आने वाली लागत कई गुना बढ़ जाती है। मैं यह महसूस करता हूं कि इसकी जगह अच्छा यह होगा कि पूरे देश में अलग-अलग स्थानों पर छोटी-छोटी परियोजनाओं का निर्माण किया जाए। इसके फलस्वरूप किसानों को आश्वस्त जल आपूर्ति सुविधा मिल सकेगी। कहना न होगा, इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो सकेगी।

महोदय, मैं भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। भारतीय खाद्य निगम किसानों के साथ धोखेबाजी कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम को किसानों से अनाज खरीदना होता है। किसानों के पास भी भारतीय खाद्य निगम को अपना उत्पादन बेचने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होता। यदि तूफान अथवा भारी वर्षा के कारण अनाज को क्षति पहुंचती है, तो भारतीय खाद्य निगम किसानों से ऐसा अनाज खरीदने से इन्कार कर देता है। तब धीरे-धीरे बिचौलिए आ जाते हैं और किसानों से सौदेबाजी करने लगते हैं। अंत में भारतीय खाद्य निगम किसानों को इस बात के लिए विवश कर देता है कि क्षति-प्रभावित खाद्यान्नों की खरीद से पहले किसान बिचौलियों को रिश्वत दें। यदि इसे सिद्ध करने के लिए कहा जाता है तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। अगर भारतीय खाद्य निगम किसानों से इनके उत्पादन की खरीद करता है तो बिचौलियों की मौजूदगी परमावश्यक है। इस कारण से भी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से बोरियों की आपूर्ति में भी रिश्वत मांगी जाती है। यदि आप रिश्वत दे देते हैं तो बोरियां मिल जाती हैं और यदि आप रिश्वत नहीं देते तो आपको बोरियां नहीं मिलेंगी। मुझे गलत न समझा जाए। मैं मात्र आलोचना की दृष्टि से ही सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं कुछेक सच्ची बातों को यहां कह रहा हूं ताकि उन्हें सरकार की जानकारी में ला सकूं जिससे वे स्थिति को सही करने की दिशा में कदम उठा सकें। इस संबंध में मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा। गांवों में कुछ व्यापारी, डीलरों के माध्यम से कंपनी से उर्वरक खरीद लेते हैं और फिर बड़े-बड़े दामों पर उधार पर किसानों को बेचते हैं। इसके बदले में ये व्यापारी लोग बहुत ही सस्ते दामों पर उनका अनाज खरीद लेते हैं। और फिर वे अनाज की जमाखोरी करते हैं और जमा किए गए अनाज को उस समय बेचते हैं जबकि उनके दाम बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इस प्रकार व्यापारी लोग गरीब किसानों का खून चूस रहे हैं। ऐसे बेईमान व्यापारियों की वजह से भी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार को इस संबंध में अवश्य ही कुछ-न-कुछ करना चाहिए। सरकार एक ऐसा कानून बना सकती है जिससे व्यापारियों को इस तरह के अवैध कार्य करने से रोका जा सके। यह ठीक है कि यह विषय राज्य सूची में दिया गया है। लेकिन केन्द्रीय सरकार इस बारे में चुप्पी साधे नहीं रह

सकती। इस किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी। किसानों को हम इतनी आसानी से ले रहे हैं। किसानों के बारे में देश में गलत धारणा व्याप्त है। चूंकि किसानों को आयकर से मुक्त रखा गया है, लोग सोचते है कि वे बहुत ही अमीर हैं और लाखों, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन यह अवधारणा बिल्कुल गलत है। किसानों की दिक्कतों को कोई नहीं जानता। उर्वरकों की खरीद के लिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। उसके लिए उन्हें अत्यधिक दाम चुकाने पड़ते हैं। वर्ष-भर वे रात-दिन खून-पसीना बहाते हैं। वे सूखा और बाढ़ को झेलते हैं। इसके बावजूद इस बात की कोई गारन्टी नहीं होती कि वे अपनी फसल काट पाएंगे। अन्ततः वे व्यापारियों की दया पर हैं जो कि उत्पाद का बहुत कम मूल्य देते हैं। दूसरी ओर, व्यापारी कुछ न करने के बावजूद पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। अतः कृषकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार को हमेशा सावधान रहना चाहिए तथा यदि आवश्यकता हो तो कृषि समुदाय के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को मार्ग-निर्देश जारी करें। कृषि क्षेत्र से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिएं। आज भी हमारी कृषि इन्द्र देवता की दया पर निर्भर है। यदि वर्षा नहीं होती है, तो सूखा पड़ेगा और कोई फसल नहीं होगी। यदि भारी वर्षा होती है, तो खड़ी फसलें बह जाती हैं। एकत्रित किए गए अनाज को नुकसान पहुंचता है। चूंकि यह देश महाद्वीपीय आकार का है, एक क्षेत्र में तो सूखा होगा और दूसरी ओर बाढ़ होगी। इन वर्षों के दौरान हम कृषि की वैज्ञानिक पद्धति विकसित करने में असफल रहे हैं। धनराशि की कमी कृषि की वैज्ञानिक पद्धति विकसित करने की राह में एक रुकावट है। हमने राज-सहायता बंद कर दी है। इससे सरकार पर कृषि समुदाय के हितों की रक्षा की अधिक जिम्मेदारी आ जाती है।

महोदय, चूंकि मुझे बहुत कम समय दिया गया है इसलिए मैं ग्रामीण विकास पर बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। सन 1920 के आसपास इण्डियन नैशनल कांग्रेस ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए, एक संकल्प पारित किया। चूंकि हम उस समय स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रगति नहीं कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से, स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् भी हमने ग्रामीण क्षेत्रों के सुधार की दिशा में बहुत कम कार्य किया है। यहां-वहां कुछ विकास कार्य हुए हैं लेकिन वे नगण्य हैं। अभी-अभी, बिहार के एक माननीय सदस्य ने बताया है कि किस तरह से डी० आर० डी० ए० के ऋणों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश में सब जगह यही स्थिति है। हमें प्रायः ऐसे कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है जहां ऋणों का वितरण होता है क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अवसरों पर अक्सर दूध देने वाले पशु और सिलाई मशीनें इत्यादि वितरित की जाती हैं। मैं यह कहूंगा कि धनराशि बैंक कर्मचारियों, स्थानीय कर्मचारियों तथा बिचौलियों द्वारा हड़प ली जाती है। गरीबों तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। सरकार ने उर्वरकों पर राज-सहायता देना बन्द कर दिया है। यहां तक कि विभिन्न योजनाओं द्वारा यह छोटे-छोटे लाभ भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों तक नहीं पहुंच रहे हैं। योजनाएं जारी हैं लेकिन जिन लाभभोगियों के लिए यह योजनाएं है वह कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यहां, इस सम्मान्य सभा में हम बजट, ग्रामीण विकास इत्यादि के लिए आबंटन के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन हम इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए आबंटित बजट का कितना सही उपयोग किया गया है। महोदय, मैं आपको बताऊं कि थोड़ी-बहुत आबंटित धनराशि को भी उपयुक्त रूप से खर्च नहीं किया जाता है। हमें प्रशासनिक तंत्र को इस बारे में सचेत

करना होगा कि वह सुनिश्चित करे कि क्या आबंटित धनराशि का सही ढंग से उपयोग किया जा रहा है। हमें प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाना है। वहां भी हम जाते हैं हमें दूध, दही देने वाले पशु, वही सिलाई की मशीनें तथा वही आयल इंजिन दिखाई देते हैं। बैठकें व कार्यक्रम भिन्न होते हैं लेकिन वितरित की जाने वाली वस्तुएं वही रहती हैं। वही पशु अथवा वस्तुएं वितरित की जाती हैं, और पुनः वितरित की जाती हैं। हमें हर जगह गलत बिल, गलत वाउचर मिलेंगे। सभी जगह असीमित भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि यही स्थिति रहने दी गई, तो मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किस तरह होगा। अब, समय है, आत्म-विश्लेषण का। कम-से-कम अपनी संतुष्टि के लिए हमें सुनिश्चित करना है कि सभी कल्याणकारी योजनाएं ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्यान्वित की जाएं। महोदय, अपने मुख्य दल से अलग हो गए हैं ताकि हम सरकार का समर्थन कर सकें जो कि निर्धनों को ऊपर उठाने के लिए वचनबद्ध है। यदि सरकार बहुत सावधानी से सभी कल्याणकारी उपायों को कार्यान्वित करने के पश्चात् भी निर्धनों को ऊपर उठाने में असफल रहती है तो यह न केवल हमारे लिए लज्जा की बात होगी बल्कि इतनी ही सरकार के लिए भी लज्जाजनक बात होगी। मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को ऊपर उठाने का कार्य सरकार के लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे गरीबों के लिए दस लाख घरों का निर्माण करेंगे। लेकिन भूमि कहां है? ठीक है, हो सकता है आप भूमि प्राप्त करने का प्रबंध कर लें, लेकिन वह भूमि अथवा प्लाट वर्षा ऋतु के दौरान पानी से भर जाएंगे। वहां पहुंचने के लिए कोई उपयुक्त सड़कें नहीं होंगी। निर्माण कार्य में हमेशा की तरह कमियां होंगी। वह मकान वहां के निवासियों के जीवन को खतरे में डालकर किसी भी समय गिर पड़ेंगे। अतः, यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम 10 लाख मकानों का निर्माण करने जा रहे हैं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मकानों का निर्माण उपयुक्त तरीके से तथा उपयुक्त जगह पर किया जाए ताकि वहां पर रहने वाले निवासी वहां रहकर वास्तव में प्रसन्न हों। यह मेरा अनुरोध है, न कि सरकार की आलोचना।

हमने जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वनरोपण, सामाजिक वानिकी, सड़कों तथा इमारतों का निर्माण इत्यादि कार्य हाथ में लिए हैं। धनराशि का दुरुपयोग किया जाता है तो अब गांव के सरपंच तथा मुखिया को कारावास का डर दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं हो रहा है। कुछ मामलों में योजना के लिए रखी गई बहुत बड़ी धनराशि भी बैंकों द्वारा वापस ली जा रही है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए कि योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया गया है।

महोदय संरक्षित जल की आपूर्ति के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं सरकार की इस बात से सहमत हूं कि संरक्षित जल की आपूर्ति के लिए आबंटित धनराशि का कुछ हद तक उपयुक्त प्रयोग किया गया है। तटवर्ती क्षेत्रों में और अधिक डीजल पर आधारित संयंत्र लगाने की आवश्यकता है। वहां अब उपलब्ध जल खारा है और पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। उन क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वहां पहले ही कुछ अपक्षारी संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ऐसे और संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि पूरे तटीय क्षेत्र को इनमें शामिल किया जा सके।

महोदय, आपका अधिक समय न लेते हुए मैं अंत में सार्वजनिक वितरण और नागरिक आपूर्ति के संबंध में संक्षेप कुछ उल्लेख करूंगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि सारी अर्थव्यस्था इस प्रणाली पर निर्भर है। इस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट की पहले ही आलोचना हो रही है। ऐसा कहा गया है कि बजट में दलितों, मध्यम दर्जे के और छोटे किसानों की उपेक्षा की गई है। समाज के गरीब लोगों के भय को दूर करने के लिए इन लोगों को खाद्यान्न, कपड़े, खाद्य तेल और दालें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दामों पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में कहीं भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है, गरीब वर्ग का शोषण हो रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कुछ हद तक कारगर है। इसके लिए मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री एन० टी० रामाराव के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। इसका श्रेय उन्हें जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ गरीब लोगों को मिला। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल और केरल जैसे कम्यूनिस्ट शासित राज्यों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली समान रूप से कारगर रही है। माननीय नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि इस प्रणाली को पूरे देश में कारगर बनाया जा सके। इस बारे में संदेह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के कुछ भागों में कार्य कर भी रही है। अतः मैं माननीय मंत्री से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने का पुरजोर आग्रह करता हूं क्योंकि इसका संबंध देश के लोगों और विशेष रूप से गरीब लोगों से है। इस लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए कि इस प्रणाली से गरीब लोगों को लाभ पहुंचता है।

महोदय, मैं भूमि सुधारों के बारे में बोलने के लिए केवल एक मिनट का समय लूंगा, शायद आंध्र प्रदेश ही केवल ऐसा राज्य है जहां भूमि सुधारों को कारगर रूप से कार्यान्वित किया गया है। इन्हें आंध्र प्रदेश में तब शुरू किया गया था जब श्री पी० वी० नरसिंह राव वहां के मुख्य मंत्री थे। मैं उस समय विधान सभा का सदस्य था। लेकिन किसी को भी एक ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सारी उपलब्ध फालतू जमीन भूमिहीनों में वितरित कर दी गई है। अभी न्याय किया जाना है। अनेक झूठी घोषणाएं की गईं। न्यायालयों में मामले दर्ज किए गए। भूस्वामियों ने अपनी फालतू जमीन को बचाने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग और दुरुपयोग किया। भूमि सुधारों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि इस विषय को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। इस प्रकार हम इस मामले को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल सकते हैं। भूमि सुधारों को कारगर रूप से लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। यदि भूमि सुधारों को भविष्य में कारगर रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया तो देश के सामने संकट पैदा हो जाएगा। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह भूमि सुधारों को लागू करने में जरूरी साहस और राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई और इस प्रकार देश को संकट से बचाए।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री पलास बर्मन (बलूरघाट) : सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा देश कृषि प्रधान है। 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। साथ ही 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही है क्योंकि हमारी कृषि प्रणाली प्रकृति पर निर्भर है। हमें कृषि के लिए उचित सिंचाई सुविधा और अच्छे किस्म के बीजों की आवश्यकता है। परन्तु खेद की बात है कि आज भी किसान इन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए तकलीफ उठा रहे हैं। केरल और पश्चिम बंगाल के सिवाय किसी भी राज्य में भूमि सुधारों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसलिए भूमि अभी भी बड़े किसानों और जमींदारों के कब्जे में है। गरीब किसानों और भूमि जोतन वालो में भूमि वितरित नहीं की गई है। भूमि सुधार अधिनियम को ठीक से लागू करने में सरकार विफल रही है। इसके परिणामस्वरूप बड़े किसान और जमींदार सभी तरह के लाभ उठा रहे हैं और गरीब किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। अभी तक हमारे देश में एक बहुत बड़ा भाग परती भूमि का है जिसे निश्चित कार्य योजना के साधनों से उपजाऊ भूमि में बदला जा सकता है। सरकार गांवों में कोई भी विकास कार्य शुरू करने में असफल रही है। अतः स्वतंत्रता के 45 वर्ष बाद भी ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। वहां कोई संचार सुविधा नहीं है, सड़कों या परिवहन के साधनों का विकास नहीं हुआ है या वे बुरी हालत में हैं। कुछ गांवों में कोई सड़क नहीं है। वहां पीने का पानी नहीं है। हममें से शहरों में रहने वाले पढ़े-लिखे भाग्यशाली लोगों को ग्रामीण जनसंख्या की दशा का कोई अंदाजा नहीं है। हम पढ़े-लिखे लोग जो वहन कर सकते हैं बड़े शहरों में बस गए हैं और इस प्रकार गांवों से हमारा संपर्क टूट गया है। ग्रामीण लोग अपनी न्यूनतम जरूरतों, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं।

हम जानते हैं कि आबादी के अनुपात में भूमि नहीं बढ़ रही है। इसलिए भूमि की कमी पड़ गई है। ऐसी हालत में हमें वर्ष में केवल एक फसलें उगाने की बजाय दो या तीन फसलें उगाने की जरूरत है। अन्यथा किसानों की तकलीफ और गंभीर हो जाएगी। साथ ही किसानों को अब दूसरे प्रकार के व्यवसाय भी अपनाने चाहिए। उन्हें केवल कृषि पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन सड़कों और संचार साधनों के अभाव में ग्रामीण लोग अपना काम भी नहीं बदल सकते हैं। गरीबी के बोझ तले दबे लोगों को किन्ही दूसरे कामों में लगाया जाना चाहिए ताकि वे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर सकें।

उन्नत किस्म के बीजों का व्यापक प्रचार किया जाता है। लेकिन गांवों में लोग अभी भी पुराने बीजों को प्रयोग में ला रहे हैं। अतः स्वाभाविक है कि घटिया किस्म के बीजों और खाद का इस्तेमाल करके वे अच्छी किस्म की फसलें नहीं ले सकते हैं। साथ ही उर्वरकों की कीमतें धीरे-धीरे बढ़ गई हैं और छोटे किसान कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

मैं नहीं समझता हूं कि छोटे किसानों और बटाईदारों के बारे में सरकार कुछ सोचती है। भले ही आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० या आर० एल० ई० जी० पी० जैसी अनेक योजनाएं या परियोजनाएं हैं। लेकिन इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया

*मूल रूप से बंगला में दिए गए भाषण का अनुवाद।

है। यदि हम गांवो में जाएं तो हम देखेंगे कि अधिकांश गांवों को इन परियोजनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ है। परन्तु संचार माध्यम, समाचार पत्र इस तरह के प्रचार कर रहे हैं कि इन परियोजनाओं या योजनाओं से कैसे किसानों के भाग्य को सुधारा गया है। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। भूमि को जोतने वाले किसान हम सबको भोजन प्रदान करते हैं, परन्तु सरकार ने उनकी उपेक्षा की है। सरकार ने उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। उनकी दशा सुधारने के लिए कोई सुविचारित योजना नहीं बनाई गई है। बजट में उनके लिए बहुत कम प्रावधान किया गया है।

जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं की आधारशिला तो रखी गई हैं परन्तु योजना शुरू नहीं की गई है अथवा वे आधी-अधूरी रह गई है। उत्तरी बंगाल में तिस्ता परियोजना है। केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए अब तक पांच करोड़ रुपए सहायता राशि और पच्चीस करोड़ रुपए ऋण दिया है तथा पश्चिम बंगाल सरकार इस पर 359 करोड़ रुपए व्यय कर चुकी है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल में हरित क्रांति आ जाएगी। 9 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी तथा मास्टर प्लान मे 13 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा दी जा सकेगी। यह महत्वपूर्ण परियोजना समय पर पूरी हो जाती तो उत्तरी बंगाल के किसानों को इसका लाभ मिल गया होता। लेकिन नहीं मालूम तिस्ता परियोजना का काम कब पूरा होगा। प्रत्येक परियोजना के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। एक निर्माणाधीन परियोजना पर कार्य शुरू करने के बाद आप उसे अधूरे में नहीं छोड़ सकते हैं। ये कैसा कार्यक्रम है। ग्राम पंचायतें भी इस संबंध में इससे अच्छी हैं। यदि वे कोई योजना शुरू करते हैं तो वे उसे निश्चित समय के भीतर पूरी कर देते हैं। परन्तु भारत सरकार योजना शुरू तो करती है लेकिन उसे कभी भी पूरा नहीं करती। इसलिए यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोग आपके कार्यों में विश्वास करें। वे महसूस करते हैं कि उसके साथ भेद-भाव किया जा रहा है और इसलिए हर कहीं साम्प्रदायिकता, अलगाववाद सिर उठा रहे हैं। ऐसा क्यों है? लोग भुखमरी सहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। गरीबी और वंचन के कारण लोग अपनी संवेदनशीलता एवं धैर्य जैसे दोनों जन्मजात गुणों को छोड़ने पर मजबूर हुए है। वे सहानुभूति और धैर्य को छोड़ रहे हैं तथा हिंसा की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इस संबंध मे गंभीरता से विचार करें और आधी अधूरी परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने की कोशिश करें।

मैं इस संबंध मे आपका ध्यान एक दूसरे तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हम जानते हैं कि 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली 80 करोड़ जनता, अपनी जीविका के लिए मात्र कृषि पर ही निर्भर है। मैं महसूस करता हूं कि यदि समाज के इतने बड़े वर्ग को हम अच्छी बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाएं देकर उनकी स्थिति में सुधार ला सकें तो हम उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। यदि उनके पास क्रय शक्ति होगी तो वे औद्योगिक उत्पाद को खरीद सकेंगे। तब स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए उत्तरदायी रुग्ण उद्योगों को जीवनक्षम बनाया जा सकता है। उसके बाद उद्योग को बन्द करने की या 'लाक आउट' करने का कोई भय नहीं रहेगा लेकिन सरकार इस दिशा में कोई भी योजना तैयार करने में असफल रही

है । उद्योग में अधिक पूंजी निवेश करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है जिसका कोई लाभदायक फल नहीं होगा । वे ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं । तब उद्योग कैसे चलेगा । इसलिए तो हम औद्योगिक क्षेत्र में 'लाक आउट' और 'बन्द' पाते हैं । सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए । हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यदि हम निर्धन किसानों की दयनीय स्थिति में थोड़ा भी सुधार ला पाए तो देश की आर्थिक संकट को हल किया जा सकता है । तब हमारे रुग्ण एवं बंद हुए उद्योगों को जीवनक्षम बनाया जा सकता है । हमें विकासशील देशों पर, शिक्षा पात्र थामे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा । हमारा देश, कई देशों की तुलना में, प्राकृतिक एवं खनिज संपदा से समृद्ध है । हमें संसाधनों को जुटाने के लिए एक समुचित योजना की जरूरत है ।

अत: सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इतनी अधिक जनसंख्या की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें एक सुनियोजित योजना तैयार करनी चाहिए । यह बड़ी खेदपूर्ण बात है कि आजादी के 45 वर्ष के बाद भी किसानों की दयनीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है । कृषि के क्षेत्र में आधुनिक यंत्रों को नहीं अपनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप निर्धन किसानों की स्थिति और भी भयानक हो गई है । इन सभी बातों को देखते हुए, मेरे पास, अनुदान की मांगों का विरोध करने के अलावा और कोई चारा नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार) : सभापति महोदय, मैं कृषि, ग्रामोद्योग विकास, खाद्य एवं पी०डी०एस० मंत्रालयों की अनुदान की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कृषि प्रधान देश की, जिसमें कि 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि के कार्यों में लगी है, कृषि पर निर्भर है, इस बड़े मंत्रालय का भार डा० बलराम जाखड़, कृषि पण्डित, जो कृषकों की समस्याओं को जानते हैं, उनको सौंपा है । इस वर्ष के बजट में कुछ शुभ संकेत हैं, जिससे लगता है कि किसानों की तरफ जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह दिया जाएगा । किसान ऐसे व्यवसाय में है, जिसके खेत में, जिनकी उपज पर सारा परिश्रम और पैसा खर्च करने के बाद भी यह भरोसा नहीं होता कि फसल सुरक्षित रूप में घर पहुंच पाएगी क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं -- ओलावृष्टि और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, जिनसे उनका व्यवसाय अनुरक्षित है । इसके लिए क्रॉप इंश्योरेन्स की तरफ जो सरकार का ध्यान गया और 40 करोड़ रुपये की राशि रखी और जनरल इंश्योरेन्स के तहत भी जो सेन्ट्रल क्रॉप इंश्योरेन्स में 3,60,00,000 से बढ़ाकर 29,55,00,000 रुपया किया, ये राशियां बहुत कम हैं और इसके लिए व्यापक नीति अपनाने की आवश्यकता है और इस फसल बीमा योजना में गांव को ही एक यूनिट इसमें मानना होगा । कई बार ऐसा होता है कि हमने ओलावृष्टि में देखा कि एक तरफ गांव की फसलें साफ हो जाती हैं और दूसरी तरफ बच जाती हैं । इसके लिए कुछ योजना बननी चाहिए और गांव को इसकी इकाई मानकर चलना चाहिए । इसके अतिरिक्त जो बागबानी, हार्टिकल्चर के लिए पिछले बजट में केवल एक करोड़ रुपये का प्रावधान था, अब 19 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि इसमें

रखी है, तो लगता है कि इस पर भी सरकार का उचित ध्यान है और इसमें भी देश के अन्दर प्रगति होगी।

इसी तरह से केन्द्रीय आयोजन स्कीमों के लिए 72 करोड़ 88 लाख से बढ़ा कर 112 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना भी एक सराहनीय पग है और इसी तरह से शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज की विशेष खेती योजना के लिए 8.5 करोड़ से बढ़ाकर 14 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान करना भी अच्छा कदम है। लेकिन सभापति महोदय, अभी तक जिस कृषि नीति की बड़ी प्रतीक्षा थी कि यह सरकार बहुत शीघ्र एक व्यापक कृषि नीति बनाएगी जैसे कि उद्योग नीति आई है, व्यापार नीति आई है, उसी प्रकार से कृषि नीति का भी निर्धारण किया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि भारतवर्ष के अन्दर जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिससे आशा की जाती थी कि हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि की तरफ से जो वृद्धि होगी, वह नहीं हो पा रही है, इस संबंध में पूर्णरूपेण नीति बनाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या मुझे लगती है, वह लगती है, किसानों के बच्चों की, विशेष तौर पर जो शिक्षित बच्चे हैं, युवक हैं, उनकी बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय है। हमने देखा है कि पड़ोस के राज्य पंजाब में आज जो स्थिति हो रही है, उसका जहां राजनीतिक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है, जो मौलिक कारण है, वह आर्थिक कारण रहा है। जो पढ़े-लिखे नौजवान बच्चे हैं किसानों के, वह या तो सेना में भर्ती हो सकते हैं या पुलिस में आ सकते हैं या किसी दफ्तर में काम कर सकते हैं। उनके लिए इतनी भारी समस्या है, रोजगार के मामले की, जबकि छोटे दुकानदार का बच्चा भी दुकान पर बैठते हुए संकोच नहीं करेगा, उद्योग चलाने वालों के बच्चे भी उद्योग धंधे में लगने में संकोच नहीं करते, लेकिन इस पढ़ाई को, यह जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, मैं इसको दोषी मानता हूं।

किसानों के बच्चे खेती को घाटे वाला व्यवसाय समझते हैं, अत: कृषि के कार्य को अपनाने से संकोच करते हैं। जो भी ग्रेजुएट्स या पोस्ट-ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, वैसे तो हर मां-बाप, हर किसान अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जो भी बच्चा पढ़कर आता है, खेती की तरफ उसकी रुचि नहीं होती, खेती की तरफ उसका ध्यान नहीं होता, रुझान नहीं होता, कोई खेती करना पसन्द नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि देश में कृषि पर आधारित उद्योगों का, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज का जाल बिछाया जाए, भारत के देहातों में। जहां आलू पैदा होता है, प्याज पैदा होती है, टमाटर पैदा होता है, वहीं उनके प्रोसैसिंग प्लांट्स या डिहायड्रेशन प्लांट्स देहातों में लगें। उनमें प्राथमिकता के आधार पर किसान के पढ़े-लिखे बच्चों को लिया जाए। इसी तरह जहां शुगर-केन पैदा होता है, जहां कपास पैदा होती है, जहां जो कोई उपज होती है, उसी के आधार पर उद्योग वहीं देश के देहातों में लगें, जैसे स्पिनिंग मिल लगें, टैक्सटाइल मिल लगें, शुगर मिल लगें, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने की तरफ हमारा ध्यान जाए और उनमें किसान के परिवारों के पढ़े-लिखे बच्चों को ही प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए, तभी हमें कुछ सफलता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त स्व-रोजगार या सैल्फ एम्पलायमैंट की जहां बात आती है, जैसे यहां

जे०आर०वाई० की चर्चा हुई, दूसरी बातें हुई, जे०आर०वाई० जैसी स्कीमें, यह ठीक है कि देहात में रहने वाले बेरोजगारों के लिए काफी लाभकारी हैं, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि देश के तमाम पढ़े-लिखे युवक छोटे उद्योग या स्माल स्केल सैक्टर में उद्योग लगा सकें, इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ-साथ ऐसी व्यवस्था होना भी जरूरी है कि उसमें वे जिन वस्तुओं का निर्माण करें, मैन्युफैक्चर करें, सरकार की तरफ से उन्हें संरक्षण मिले क्योंकि आज जिस तरह से छोटी-छोटी चीजें भी हमारे देश में बड़े औद्योगिक घराने बना रहे हैं, चाहे साबुन हो, नमक हो, उन चीजों को छोटी इंडस्ट्रीज के लिए सुरक्षित कर दिया जाए, सरकार की तरफ से उन्हें संरक्षण मिले, इसकी व्यवस्था होनी जरूरी है। उनका ऐसी वस्तुओं के निर्माण में जो भी खर्चा आए, मैन्युफैक्चरिंग पर जो भी खर्चा आए, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है, प्रत्येक वस्तु की मिनिमम प्राइस सरकार फिक्स कर सकती है। यदि मार्केट में उनका माल नहीं खपता है, कम दाम में वह वस्तु जाती है, सरकार ऐसी वस्तुओं के संबंध में सपोर्ट प्राइस मुकर्रर कर सकती है या कोई ऐसा प्रावधान कर सकता है, क्योंकि सभी पढ़े-लिखे नौजवानों को नौकरी में खपाया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए इस दिशा में सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा। वर्ना हमारे नौजवानों का लोग राजनैतिक कार्यों के लिए प्रयोग करेंगे, उनका दुरुपयोग करते हैं, मैं यह भी कहता हूं, क्योंकि पिछले चार सालों में हमारे हरियाणा में, हमने देखा है कि न जाने कितने पढ़े-लिखे नौजवानों की जिन्दगी तबाह हो गई। कितने ही नौजवानों को कट्टे या पिस्तौलें थमा दी गईं, कोई कार छीनता है, कोई मोटर-साईकल छीनता है या दूसरी किसी तरह की बदमाशी करता है और ऐसी बातें लगातार बढ़ते-बढ़ते, जैसे पंजाब में स्थिति आ गई है, हमें डर है कि उनकी हरकतों से अब हरियाणा व दिल्ली भी नहीं बच पाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम पढ़े-लिखे नौजवानों की तरफ ध्यान दें, उन्हें रोजगार देने की तरफ ध्यान दें।

इसके अतिरिक्त मैं अनुरोध करूंगा कि यद्यपि इस देश के किसानों ने खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाकर बहुत सराहनीय काम किया है, जहां स्वतंत्रता के बाद, जनसंख्या में तीन गुनी वृद्धि हो गई, उसके बावजूद भी, देश की 85 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में किसान ने अनाज का उपार्जन या उत्पादन किया है, उसके लिए जहां देश के किसान बधाई के पात्र हैं, लेकिन इस संबंध में सरकार ने समय-समय पर जो नीतियां बनाईं, उन नीतियों के अंतर्गत देश में कृषि विश्वविद्यालय खोले, वैज्ञानिक खोजों पर जोर दिया, हमारे देश में "लैब टू लैंड" प्रोग्राम चला, कृषि उत्पादन में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए मैं अपने देश के कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में जो हमारे राज्यों के अन्दर कृषि विभाग हैं, उनमें भी, देखने में आता है कि निदेशक के पद पर आई०ए०एस० अधिकारियों को लगा दिया जाता है, यह ठीक नहीं है। इस बारे में मैं अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकारों को भी यहां से निर्देश दें कि कम-से-कम इन विभागों में तो कृषि विशेषज्ञ ही विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने चाहिए।

सभापति महोदय, कृषि स्नातकों की भी अनदेखी होती है। चूंकि पढ़ाई में उतना ही समय कृषि स्नातकों को लगता है, जितना मैडीकल और इंजीनियरिंग वालों को लगता है, इसलिए उनके साथ भेदभाव या अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए इंटर्नशिप का भी कोई

प्रावधान नहीं है। इनके पे-स्केल्स और ग्रेड भी बहुत कम हैं। इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि कृषि के जो विशेषज्ञ हैं, कृषि के जो स्नातक हैं, उनको भी इसी तरह से इंसेंटिव दिया जाना चाहिए और कृषि उत्पादन जहां 17 करोड़ टन का दिया है, इसका काफी बढ़ाने की गुंजाइश है। इसमें मैं चाहूंगा कि जहां जिस राज्य में खनिज होते हैं और उनकी रॉयल्टी की मांग होती रहती है, हालांकि यह प्राकृतिक सम्पदा है, यह बड़ी अच्छी बात है, वह राष्ट्र की सम्पदा है, लेकिन जो किसान अपना खून-पसीना बहाकर अनाज पैदा करता है और देश के लोगों को पेट भरता है, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। जिन राज्यों से एफ०सी०आई० या सरकारी एजेंसी जो भी अनाज का क्रम करती हैं या सरकार खरीदती है, मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ा रायल्टी का अधिकार तो किसान को हैं। सबसे ज्यादा अधिकार किसान को है, जो अपनी मेहनत से उत्पादन करता है, इसलिए उसको कम-से-कम 50 पैसे प्रति किलोग्राम जितना अनाज जिस राज्य से बाहर के प्रांतों में जाए, जो राज्य खरीद करे, वह किसानों को रायल्टी के रूप में दें।

इसके अतिरिक्त शुगरकेन के बारे में एक माननीय साथी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन शुगरकेन टैस्टिंग ट्रेनिंग यूनिट्स का बहुत अभाव है। हमारे हरियाणा में जो नये कृषि मिल लगते हैं, उनको टैक्नीकल आदमियों की उपलब्धता नहीं होती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हरियाणा में शुगरकेन टैस्टिंग व ट्रेनिंग यूनिट स्थापित की जाएं क्योंकि वहां गन्ना बहुत होता है। अभी भी आधा गन्ना खड़ा है। अतः और शुगर मिलों की स्थापना की आवश्यकता है।

सभापति महोदय इसी प्रकार से हरियाणा में एक मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे बढ़िया होती है, लेकिन यह नस्ल धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। इसको कायम रखने के लिए सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म जींद में स्थापित किया जाए। इसके लिए पहले जींद में जमीन भी ली गई, वहां पर इसे स्थापित किया जाए। इसी प्रकार से जो एलीट (Elite) सीड टैस्टिंग लेबोरेट्री है, उसको स्थापित किया जाए क्योंकि जो अच्छी सीड हैं, जो क्वालिटी सीड हैं, वे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिए वे उपलब्ध कराए जाएं।

अभी देखने में आया है कि सन फ्लावर का बीज गुजरात से आता है। एक एकड़ के लिए साढ़े सात सौ रुपए का बीज मिल रहा है। उसमें भी यह तसल्ली नहीं है कि वह बीज सही है या गलत है। इसलिए बीज की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात तो यह हो रही है—हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन फिर विदेशों से गेहूं मंगाये जाने की जो चर्चा होती है, हमारे लिए यह बड़ी कष्टदायी होती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि एक्सपोर्ट की पोटेंशियलिटी देखनी चाहिए। खाद्यान्नों को इम्पोर्ट करने की बात नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा जो एग्रीकल्चर क्राप लोन है, वह साफ्ट लोन 6 प्रतिशत ब्याज पर मिलना चाहिए और उसके अलावा जो इम्पलीमेंट्स हैं उन पर भी जो ड्यूटी है वह भी कम करके रीजनेबलरेट्स पर किसानों को उन्हें उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, बात तो मुझे बहुत कहनी थीं, लेकिन आपका आदेश है, इसलिए मैं यहीं

पर अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी तो उम्मीद थी कि मैं सारी बातों को कह पाऊंगा।

सभापति महोदय : आपने दूसरों से 7 मिनट ज्यादा ले लिए हैं।

श्री नारायण सिंह चौधरी : ठीक है, सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, मैं कृषि विकास, खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्यों ने बताया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं और कृषि पर उनका जीवन निर्भर है। मान्यवर, जैसा कि बताया गया है कि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, फिर भी गांव में किसानों की दशा बहुत चिन्तनीय है। कोई भी किसान का बेटा अपने आप शहरों में, स्कूल, कालेज में जाकर अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो कृषि उत्पादन का मूल्य है वह उनको उचित नहीं मिलता है। कृषि में लगने वाली जो वस्तुएं है जैसे खाद, पानी, बिजली, ट्रैक्टर, उनके दाम कई गुना बढ़ गए है लेकिन कृषि अनाज के दाम उस रेशियो में नहीं बढ़े। किसान की जो आवश्यकता है जैसे कपड़ा या और चीजें, उनकी कीमतों में जितनी बढ़ोतरी हुई है उस हिसाब से कृषि के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस कारण कृषक चिन्तनीय दशा में है। उत्तर प्रदेश में गांव के किसान को देखें तो वह जिस तरह खाता-पीता है उससे कहीं अच्छा शहरों के रिक्शा चलाने वाले खा रहे हैं। इसका कारण यह है कि उसके पास उतनी पूंजी नहीं है। वह समय से अपना काम पूरा नहीं कर पाता है।

मेरा कृषि मंत्री से अनुरोध है कि कृषि की उपज का मूल्य उचित तरीके से निर्धारित किया जाए जिससे कृषकों का शोषण न हो सके। अगर ईमानदारी के साथ कृषि नीति निर्धारित की जाए तो कोई वजह नहीं कि उनको उचित मूल्य न मिले। अगर खेत को पूरा पानी मिलेगा और उपज का पूरा पैसा कृषक को मिलेगा तो गल्ले की कमी कभी नहीं होने देंगे। यह देश ऐसा नहीं रहेगा कि बाहर से गेहूं मगाना पड़े बल्कि बाहर भेजने वाला हो जाएगा।

यूनीवर्सिटी में जो कृषि अनुसंधान किए जाते है उनको खेती तक पूरा पहुंचाया जाए। इसका डेमोंस्ट्रेशन विकास खंडों, मेलों द्वारा होता है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। उनको और बढ़ावा दिया जाए जिससे कृषि की उपज और बढ़े।

इसके साथ-साथ खाद का मामला है। हमारे उत्तर प्रदेश में काफी चीनी मिलें हैं। गन्ना अभी तक खड़ा है। चीनी मिलों के लिए लाइसेंस के तमाम प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश से आए हैं लेकिन उनको स्वीकृति नहीं मिली है। चीनी मिलों में मोडर्नाइजेशन प्रोग्राम में जो पैसा मिलना था वह नहीं मिला है जिसके कारण गन्ने की पिराई रुकी हुई है। औसत इस समय जो प्रदेश की चीनी मिलें हैं, वह कुल 35 से 40 प्रतिशत से कम गन्ना पेर पाती हैं बाकी गन्ना किसानों को क्रशरों पर देना पड़ता है। गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में 42 से 45 पर क्विंटल है लेकिन कृषक को 30 से 32 रुपए पर क्विंटल पर ही गन्ना क्रेशर देना पड़ता है। वह विवश है, कोल्हू में पिराई नहीं कर पाता है। मेरा अनुरोध है कि अधिक-से-अधिक और चीनी मिलें लगाई जाएं और देश में जो चीनी मिलें हैं उनको ठीक से लगाया जाए।

हमारे संसदीय क्षेत्र जनपद, सिद्धारनगर में कोई भी चीनी मिल नहीं है। वहां से दूसरी चीनी मिलें बस्ती, वाटरगंज, खलीलाबाद को गन्ना दिया जाता था। इसलिए खलीलाबाद चीनी मिल भी बन्द हो गई। नतीजा यह हुआ कि नवम्बर-दिसम्बर तक कांटे नहीं लगे। बड़ी भागदौड़ करने के बाद वहां से गन्ना उठाना शुरू हुआ है। खेतों मे :0 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना पड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र मे चीनी मिल लगाई जाए। गन्ने का मूल्य दो-दो, तीन-तीन साल नहीं मिल पाता है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। किसान अपनी फसल के दाम पर ही सारा प्रोग्राम बनाता है चाहे शादी-विवाह हो, चाहे अगले साल खेती करने का प्रोवीजन हो। ये सब उसी पर निर्भर करता है। अगर उसको दाम समय पर नही मिलेंगे तो अपना काम नहीं कर पायेगा।

अभी बताया गया कि चीनी का उत्पादन वर्ष 1989-90 में 119.8 लाख मिट्रिक टन था और 1990-91 में 119.5 लाख मिट्रिक टन रहा। इसमें वृद्धि नहीं हुई है। हमारे देश में इतनी गन्ने की उपज है, अगर इसकी ठीक से पेराई का इंतजाम कर दिया जाए और फैक्ट्रियों का इंतजाम कर दिया जाए तो हम चीनी निर्यात भी कर सकेंगे और अधिक-से-अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर लेंगे।

पहले यह बताया गया था कि ग्रामीण जनता के लिए बजट को 50 परसेंट रखा जाएगा लेकिन इसके लिए जो धन रखा गया है, वह कम है। इससे गावों का पूरा विकास नहीं होगा। मंत्री महोदय ने बताया कि जे० आर० वाई० के अंतर्गत सड़कों का निर्माण होता है जिसमें 60 परसेंट कच्चे काम और 40 परसेंट दूसरे काम होते हैं। इस योजना के अंतर्गत काम जरूर हो रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। इसकी ठीक से मानिटरिंग की आवश्यकता है। फ्री बोरिंग स्कीम की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जा रही है उसमें पाइप दी जा है। वह पाइप अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। काश्तकारों को विवश होकर लेनी पड़ती है। उसकी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि यह पाइप न दे करके काश्तकारों के लिए बोरिंग की व्यवस्था कर दी जाए और कुछ उनको पैसा दे दिया जाए। जब उसकी कम्पलिशन रिपोर्ट आ जाए कि सुचारू रूप से बोरिंग चल रही है तब पैसा दिया जाए तो ज्यादा हमारी राय मे ज्यादा अच्छा होगा। इसी जे० आर० वाई० के अंतर्गत 10 लाख नलकूप की योजना है। इस योजना से गांव में पोखरें, तालाब या सिंचाई के अन्य साधनों की मरम्मत की जाती है। जिसमें 50 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को मिलना चाहिए। इस योजना से ज्यादा लाभ गांवों मे नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि गांवों के प्रधान वगैरह अपनी दादागिरी के जरिए कागज बनाकर तालाब की मरम्मत करवाकर, ये पैसे ले जा रहे है। इसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इससे सिंचाई योजना चाहे ड्रेनेज की हो, चाहे ट्यूबवेल की नाली की हो या नहर या नालों की हो, इनकी मरम्मत मे पैसा लगाया जाए न कि 10 लाख नलकूप की योजना का मात्र गड्ढा, तालाब में फेंक दिया जाए।

ग्रामीण वाटर सप्लाई की योजना के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है कि यह काफी गांवों में की गई है। इसके द्वारा मार्क इंडिया पप लगाए गए हैं लेकिन अभी भी हमारे क्षेत्र में कुछ जगह वहां वाटर बियरिंग स्ट्रैटा ऐसा नहीं है कि यह पम्प 100-150 फीट नीचे तक लग सकते हों, वहां पानी की दिक्कत है। नेपाल हिन्दुस्तान के बार्डर का एरिया है। वहां पर बढ़नी,

मोहरतखड़, ककरहवा में ऊपर का स्ट्रैटा बहुत खराब मिलता है। नीचे जाना पड़ता है। ऐसी जगहों में सर्वे करवाकर जहां इनकी आवश्यकता ज्यादा हो, वहां ज्यादा पैसा देकर उन एरियाज को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया जाए।

महिलाओं का भी उत्थान नहीं हो पा रहा है। जो जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास बनाए गए हैं, उसके लिए मात्र आठ हजार रुपये का प्रावधान एक आवास के लिए किया गया है। यह प्रावधान पहले से चला आ रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। आठ हजार में वह आवास पूरा नहीं हो पा रहा है। नतीजा यह होता है कहीं वह खराब बनते हैं, कहीं आधे बनते हैं, कहीं रह जाते हैं। अत: मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसको दिखवा लें और जिस साइज के आवास प्रोवाइड हैं, उतने में ही आवास बनाए जाएं। इसी के साथ आपको अंत में धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : श्रीमान, मैं ग्रामीण विकास खाद्य, कृषि और नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का विरोध करता हूं।

श्रीमान, हमारी जनसंख्या में से 60% लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि को जीविका का आधार बनाकर रहते हैं। इसलिए, भूमि स्वामित्व व्यवस्था में कोई संरचनात्मक परिवर्तन लाए बिना हमारे देश की कोई भी मूलभूत समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता और भूमि सुधार के कोई वैकल्पिक उपाय भी नहीं हैं।

छठी योजना में एक समयबद्ध कार्यक्रम का और भूमि परिसीमन लागू करने हेतु आवश्यक कानून का निर्माण करने तथा अतिरिक्त भूमि को अपने आधीन लेकर उसका वितरण करने का वादा किया गया था। सातवीं योजना में एक नई धारणा, संयुक्त क्रिया शुरू की गई थी। उसका मतलब था कि भूमि-सुधार, निर्धनता उपशमन कार्यक्रम का एक भाग होगा और भूमि-सुधार उत्पादन का मूल माध्यम होगा।

भूमि, राज्य से संबंधित विषय है लेकिन केन्द्रीय सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। विभिन्न राज्यों में मनेर भूमि-सुधार कानून पारित किए गए हैं। विभिन्न विधान-सभाओं में कुल 222 भूमि सुधार कानून पारित किए गए। लेकिन पश्चिम बंगाल, केन्द्र और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को छोड़, अन्य राज्यों में भूमि परिसीमन कानून और अतिरिक्त भूमि का वितरण समुचित रूप से नहीं किया गया।

श्रीमान, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है, उनमें से 74.5 प्रतिशत लोग, केवल 26.7 प्रतिशत भूमि का ही उपयोग करते हैं जबकि 22.6 प्रतिशत भूमि उन भूस्वामियों के समूह के पास है जो कि कुल भूमि का 2.4% है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को, राज्य सरकारों द्वारा किए गए भूमि वितरण पर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ-साथ कृषकों से संबंधित एक कार्यक्रम भी है।

सभापति महोदय : श्री महतो जी, कृपया आप एक मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं जानता हूं कि डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी इसे पसन्द नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे दो या तीन वक्ता हैं जो इस विषय पर बोलना चाहेंगे और वे दूसरे शहर जा रहे हैं। वे अब बात करना चाहते हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि अब उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए। यह सभा के विचारार्थ है।

[हिन्दी]

श्री हरि केशव प्रसाद (सलेमपुर) : क्या मजाक करा रहे हैं, सदन में कोरम भी है क्या ?

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : हमारी ओर से भी बोलने वाले काफी लोग हैं, आप बैठें तो हम उनको बुला लें। जैसा आपने कहा 2 घण्टे बैठें तो 8 बजे तक बैठें तो ठीक है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : चलो, आप नहीं चाहते तो कल कर लेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप ऐसा कहते हैं, तो हम आठ बजे स्थगित करेंगे। श्री महतो जी, आप और कितना समय चाहते हैं ?

श्री बीर सिंह महतो : मैं कुछ और समय लूंगा।

सभापति महोदय : क्या आप और दो मिनट लेंगे ?

श्री बीर सिंह महतो : मैं दस मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी कर सकते हैं।

अब सभा कल 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 9 अप्रैल, 1992/20 चैत्र, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।